चतुर्दश माला, खंड 16, अंक 22

गुरूवार, 22 दिसम्बर, 2005
1 पौष, 1927 (शक)

लोक सभा वाद-विवाद

(हिन्दी संस्करण)

छठा सत्र
(चौदहवीं लोक सभा)

सत्यमेव जयते

Gazetteer & Debates Unit
Parliament Library Building
Room No. FD-025
Block 'G'
Acc. No. 59
Dated 13/3/07

(खण्ड 16 में अंक 21 से 23 तक हैं)

लोक सभा सचिवालय
नई दिल्ली
मूल्य : अस्सी रुपये

सम्पादक मण्डल

पी. डी. टी. आचारी
महासचिव
लोक सभा

पी. के. ग्रोवर
संयुक्त सचिव

किरण साहनी
प्रधान मुख्य सम्पादक

जे. पी. शर्मा
मुख्य सम्पादक

वन्दना त्रिवेदी
वरिष्ठ सम्पादक

एस. एस. चौहान
सहायक सम्पादक

(अंग्रेजी संस्करण में सम्मिलित मूल अंग्रेजी कार्यवाही और हिन्दी संस्करण में सम्मिलित मूल हिन्दी कार्यवाही ही प्रामाणिक मानी जाएगी। उनका अनुवाद प्रामाणिक नहीं माना जाएगा।)

विषय सूची

चतुर्दश माला, खंड 16, छठा सत्र, 2005/1927 (शक)

अंक 22, गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2005/1 पौष, 1927 (शक)

विषय	कॉलम
प्रश्नों के मौखिक उत्तर	
* तारांकित प्रश्न संख्या 423 से 427	1-36
प्रश्नों के लिखित उत्तर	36-247
तारांकित प्रश्न संख्या 422 और 428 से 441	36-57
अतारांकित प्रश्न संख्या 4305 से 4486	57-247
सभा पटल पर रखे गये पत्र	247-257
राज्य सभा से संदेश	257-258
सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति	258-259
कुछ सदस्यों द्वारा अनुचित आचरण के आरोपों की जांच करने संबंधी समिति	
प्रतिवेदन	259
लोक लेखा समिति	
तेईसवां प्रतिवेदन	259
अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति	
विवरण	260
सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति	
आठवां प्रतिवेदन	260
रेलवे अभिसमय समिति	
चौथा प्रतिवेदन	260
रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति	
दसवां प्रतिवेदन	260
कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति	
ग्यारहवें से तेरहवां प्रतिवेदन	261
वित्त संबंधी स्थायी समिति	
अठाइसवें से बत्तीसवां प्रतिवेदन	261-262
खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति	
विवरण	262-265

* किसी सदस्य के नाम पर अंकित + चिह्न इस बात का द्योतक है कि सभा में उस प्रश्न को उस सदस्य ने ही पूछा था।

विषय कॉलम

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

छियत्तरवां प्रतिवेदन 265

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

एक सौ सैंतालीसवें से एक सौ बावनवां प्रतिवेदन..... 266

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004–2005) के बारे में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति की पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री मणि शंकर अय्यर..... 266-267

(दो) (क) उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री राम विलास पासवान 269-271

(ख) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदान की मांगों (2005–06) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री राम विलास पासवान..... 271-274

(ग) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांग (2005–06) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री राम विलास पासवान..... 274-275

(तीन) जल संसाधन मंत्रालय की जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री संतोष मोहन देव..... 275-276

(चार) नागर विमानन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के अठ्ठासीवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री प्रफुल पटेल..... 276-277

(पांच) रेल संबंधी स्थायी समिति के आठवें, नौवें और दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

श्री आर. वेलु..... 277-278

"कच्चे तेल पर रायल्टी" के संबंध में 1.12.2005 के तारांकित प्रश्न संख्या 141 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

श्री मणि शंकर अय्यर 268

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) बजट 2005–2006 के दौरान वित्त मंत्री द्वारा की गयी घोषणा के अनुसार देश के पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर बिहार के 36 पिछड़े जिलों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने की आवश्यकता 279-292

श्री राम कृपाल यादव 280, 281-284

श्री पी. चिदम्बरम 280-281, 289-292

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव 284-287

श्री गणेश प्रसाद सिंह 287

श्री प्रभुनाथ सिंह 288-289

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में कमी किए जाने से उत्पन्न स्थिति 292-304

श्री रूपचन्द पाल 292, 293

श्री ए. नरेन्द्र 292-293, 302-304

श्री सुरेश कुरूप 293-295

श्री गुरूदास दासगुप्त 295-299

श्री सी.के. चन्द्रप्पन 299-300

नियम 377 के अधीन मामले 307-319

(एक) हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के समुचित रखरखाव और अनुरक्षण के लिए उसे राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाने की आवश्यकता

श्रीमती प्रतिभा सिंह 307-308

(दो) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, झारखंड के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता

डा. रामेश्वर उरांव 308

(तीन) अभिभावकों के शोषण को रोकने के लिए निजी स्कूलों के कार्यकरण को विनियमित किए जाने की आवश्यकता

डा. अवतार सिंह भड़ाना 308-309

(चार) क्षेत्र के किसानों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कार्यकरण की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त 309-310

(पांच) 1947 में पाकिस्तान से आए हुए और जम्मू–कश्मीर में बस गए व्यक्तियों को राज्य का अधिवास प्रदान किए जाने की आवश्यकता

श्री गिरधारी लाल भार्गव 310-311

(छह) विदर्भ क्षेत्र के किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने तथा कपास और सोयाबीन का लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश वाघमारे 311-312

(सात) मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में रेलवे क्रासिंग पर उपरिपुल/अधोपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री अशोक अर्गल 312

(आठ) उत्तर प्रदेश में कोंच से दिबयापुर रेलवे स्टेशन तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा 312-313

(नौ) निर्धन लोगों को सस्ती दरों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए औषध नियंत्रण आदेश की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्रीमती मिनाती सेन 313

(दस) पीएमसीएच, पटना, बिहार की सेवाओं में सुधार के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव 313-314

(ग्यारह) डुमरियागंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदी के तटबंधों के सुदृढ़ीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

मो. मुकीम 314

(बारह) तमिलनाडु के वेल्लौर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अरनी टाउन को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता

प्रो. के. एम. कादर मोहिदीन 314-315

(तेरह) उड़ीसा में बसे हुए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब 315-316

(चौदह) पुरानी जूट मिलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रयास किए जाने तथा जे सी आई द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जूट उत्पादकों से कच्चे जूट की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय चक्रवर्ती 316

(पन्द्रह) शत प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सेदारी से बिहार के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह 316-317

(सोलह) भारतीय सीमा क्षेत्र के भीतर विशेषकर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिले के कुछ भागों में भूटानी मुद्रा के प्रचलन को रोकने की आवश्यकता

श्री जोवाकिम बखला 317-318

(सत्रह) असम में बाढ़ के कारण विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता

डा. अरूण कुमार शर्मा 318-319

(अठारह) गुजरात के साबरकांठा जिले में अहमदाबाद–हिम्मतनगर रेलवे लाइन की क्रॉसिंग संख्या 81/ए पर सड़क उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन मिस्त्री 319

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 ..... 319-343, 409-445

विचार करने के लिए प्रस्ताव

श्री शिवराज वि. पाटील 319-325, 430-444

श्री पी.एस. गढ़वी 325-328

श्री एस.के. खारवेनथन 328-330

श्रीमती सुस्मिता बाउरी 330-333

श्री गणेश प्रसाद सिंह 333-334

प्रो. के.एम. कादर मोहिदीन 334-337

श्री सुरेश प्रभु 337-340

श्री भर्तृहरि महताब 340-343, 409-412

श्री अजय चक्रवर्ती 412-415

श्री प्रभुनाथ सिंह 415-420

श्री अविनाश राय खन्ना 420-425

डा. सिबैस्टियन पॉल 425-426

प्रो. एम. रामदास 426-428

प्रो. रासा सिंह रावत 428-430

खंड 2 से 9 और 1 445

पारित करने के लिए प्रस्ताव 445

नियम 193 के अधीन चर्चा

आगामी खेल स्पर्धाओं को ध्यान में रखते हुए देश में खेल संबंधी अवसंरचना का विकास किए जाने की आवश्यकता

श्री नवीन जिन्दल 344-357

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा 357-361

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर 361-365

श्री रवि प्रकाश वर्मा 365-368

श्री पन्नियन रवीन्द्रन 369-372

श्री आलोक कुमार मेहता 372-374

श्री ए. कृष्णास्वामी 374-377

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु 378-383

श्री के.सी. सिंह "बाबा" 383-386

श्री तथागत सत्पथी 387-391

श्री कीरेन रिजीजू 391-394

श्री सुव्रत बोस 394-397

श्री रविचन्द्रन सिप्पीपरई 397-339

श्री लक्ष्मण सेठ 399-402

श्री एम. शिवन्ना 403-405

डा. रामकृष्ण कुसमरिया 405-406

श्री हंसराज जी. अहीर 406-407

श्री हरिभाऊ राठौड़ 407-408

श्री वीरेन्द्र कुमार 408

अनुबंध-I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 447

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका 448-452

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 453-454

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका 453-456

लोक सभा के पदाधिकारी

अध्यक्ष

श्री सोमनाथ चटर्जी

उपाध्यक्ष

श्री चरणजीत सिंह अटवाल

सभापति तालिका

श्री पवन कुमार बंसल

श्री गिरिधर गमांग

श्रीमती सुमित्रा महाजन

श्री अजय माकन

डा. लक्ष्मीनारायण पाण्डेय

श्री बालासाहिब विखे पाटील

श्री वरकला राधाकृष्णन

श्री अर्जुन सेठी

ले. कर्नल (सेवानिवृत्त) मानवेन्द्र शाह

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव

महासचिव

श्री पी. डी. टी. आचारी

लोक सभा

गुरुवार, 22 दिसम्बर, 2005/1 पौष, 1927 (शक)

लोक सभा पूर्वाह्न ग्यारह बजे समवेत हुई।

(**अध्यक्ष महोदय** *पीठासीन हुए*)

प्रश्नों के मौखिक उत्तर

अध्यक्ष महोदय : मुझे खेद है कि मैं एक मिनट विलम्ब से पहुँचा हूँ।

प्रश्न सं. 422 – श्री अर्जुन सेठी – अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 423 – श्री रायापति सांबासिवा राव।

श्री रायापति सांबासिवा राव : महोदय, प्रश्न सं. 423 ।

अध्यक्ष महोदय : पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री – अनुपस्थित।

श्री अनंत कुमार : महोदय, यह गंभीर मामला है।

अध्यक्ष महोदय : यह गंभीर मामला है। मैंने उन्हें उन्मुक्ति प्रदान नहीं की है। मेरी टिप्पणी की प्रतीक्षा कीजिए।

सभा के माननीय नेता, अध्यक्षपीठ ने इस मामले को गंभीरता से लिया है।

श्री अनंत कुमार : महोदय हमारा अनुरोध है कि इस मामले को बड़ी गंभीरता से लिया जाए तथा पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री को इस लापरवाही के लिए प्रताड़ित किया जाये।

अध्यक्ष महोदय : मैं उनकी अनुपस्थिति में उन्हें प्रताड़ित नहीं कर सकता। मैं कह चुका हूँ कि मैंने इसे गंभीरता से लिया है।

प्रश्न सं. 424, श्री सर्वानन्द सोनोवाल – अनुपस्थित।

प्रश्न सं. 425, श्री जीवाभाई अम्बालाल पटेल।

श्री अनंत कुमार : महोदय, माननीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री आ गए हैं। वह विलम्ब से आए हैं।

अध्यक्ष महोदय : क्या मैं आपसे अध्यक्षपीठ को आदेश देने की आदत को छोड़ने के लिए कह सकता हूँ?

श्री अनंत कुमार : मेरा निवेदन यह है कि उन्होंने सभा के प्रति लापरवाही बरती है।

अध्यक्ष महोदय : जब तक वह क्षमा नहीं मांगते मैं उन्हें कुछ भी कहने की अनुमति नहीं दूंगा। इसके लिए आपको प्रतीक्षा करनी होगी।

[हिन्दी]

घाटे में चल रहे विमानपत्तन

***425. श्री जीवाभाई ए. पटेल :**

श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा चलाए जा रहे अधिकतर विमानपत्तन घाटे में चल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार घाटे में चल रहे कुछ विमानपत्तनों पर वाणिज्यिक क्रियाकलाप शुरू करने का है ताकि इस घाटे की भरपाई की जा सके;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) सरकार द्वारा विमानपत्तनों को अर्थक्षम बनाने के लिए अन्य क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) और (ख) जी, हाँ। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा. वि.प्रा.) द्वारा संचालित 126 हवाई अड्डों में से 86 प्रचालनात्मक हवाईअड्डे हैं, जिनमें से 2004–05 के दौरान 10 हवाई अड्डों ने लाभ कमाया तथा 76 हवाई अड्डे घाटे में रहे।

(ग) जी, हाँ।

(घ) घाटे वाले हवाई अड्डों पर भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा अन्य बातों के साथ, घाटे को कम करने के लिए जो वाणिज्यिक सुविधाएं/योजनाएं बनाई गई हैं, उनमें स्नैक बार काउंटर, कॉफी शॉप, एटीएम, चाय/कॉफी/शीतल पेयों की मशीनें, दूरसंचार सुविधाएं, यात्रियों की जरूरतों के साथ, कार रेंटल होटल रिजर्वेशन, विज्ञापन प्रदर्शन के अधिकार, ब्रांडेड आउटलेट्स आदि स्थापित करना है।

(ङ) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा गैर–यातायात राजस्व को बढ़ाने तथा नियंत्रित किए जा सकने वाले खर्चों को कम करने के यथासंभव कार्रवाईयाँ की गई हैं। इसके अलावा, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा एक अनुषंगी कंपनी के गठन की भी योजना है जो वाणिज्यिक शर्तों पर एयरलाइनों की भू–सेवाओं को चला सके तथा विमानन रिफ्यूलिंग आउटलेट व ब्रांडेड फास्ट फूड आउटलेटों आदि के ठेके आबंटित कर सकें।

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल : अध्यक्ष महोदय, मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूँ कि जिन हवाई अड्डों पर घाटा हो रहा है, उसके क्या कारण हैं, और सरकार ने उन कारणों को दूर करने हेतु क्या प्रयास किए हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, देश में अनेक हवाई अड्डों पर घाटा हो रहा है और इसका कारण यह है कि उड़ानें प्रमुख महानगरों से ही भरी जाती है। अन्य शहरों से दिन में संभवतः एक, दो या तीन उड़ानें ही भरी जाती हैं। इसके फलस्वरूप, उन हवाई अड्डों का स्थापना व्यय और इनके विकास और रख–रखाव पर होने वाला व्यय इतनी उड़ानों में विभाजित नहीं हो पाता जितनी में हवाई अड्डों का इष्टतम उपयोग हो सके। किन्तु, यह प्रवृत्ति अब बदल रही है। लाभ कमाने वाले हवाई अड्डों की संख्या भी बढ़ रही है या कहें कि घाटे में चल रहे हवाई अड्डों का घाटा कम होने की दिशा में है। ऐसा देश में और विशेषतः ऐसे छोटे हवाई अड्डों पर भी उड़नों की संख्या बढ़ रही है जो अब तक अलग–थलग पड़े हुए थे। इसलिए, यातायात में वृद्धि के साथ–साथ हम आशा कर रहे हैं कि या तो घाटे में चल रहे हवाई अड्डों की संख्या में कमी आएगी या घाटे में चल रहे हवाई अड्डों का घाटा कम हो जाएगा।

[हिन्दी]

श्री जीवाभाई ए. पटेल : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से पूछना चाहता हूँ कि क्या सरकार ने उत्तरी गुजरात में किसी हवाई–अड्डे को शुरू करने हेतु कोई सर्वे करवाया है, यदि हां, तो उसका ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, मौजूदा जरूरतों को देखते हुए, देश में हवाई अड्डों की भौगोलिक स्थिति की तुलना जब देश के अन्य राज्यों से की जाती है तो उत्तरी गुजरात या गुजरात में अनेक कार्यशील हवाई अड्डे हैं। किन्तु, यदि कोई विशेष मुद्दा है या कोई विशेष हवाई अड्डा है या माननीय सदस्य किसी शहर को विमान सेवा से जुड़वाना चाहते हैं तो वह मुझे लिखकर दे सकते हैं और मैं उस पर भलीभांति कार्य करूंगा।

[हिन्दी]

श्री हरिसिंह चावड़ा : माननीय अध्यक्ष जी, पहले जमाने में हवाई जहाज से मध्यम श्रेणी के लोग यात्रा के लिए नहीं जाते थे लेकिन आज उसमें आम और खास सभी श्रेणी के लोग यात्रा करते हैं। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता है कि जब इतने लोग जहाज से यात्रा करते हैं तो घाटा कैसे होता है? मैं पहले जब अहमदाबाद जाता था तो उसमें द्विज लोग यात्रा करते थे लेकिन आज तो जैसे रेलवे स्टेशन पर भीड़ होती है ऐसा ही माहौल एयरपोर्ट पर होता है। आज जो आदमी बिजनैस करता है वह जहाज से यात्रा करता है तो फिर सरकार को घाटा कैसे होता है और अगर होता है तो उसे रोकने के उपाय करने चाहिए। आठ हजार, दस हजार रुपये में दिल्ली से अहमदाबाद का टिकट मिलता है जबकि प्राइवेट विमान वाले दो हजार रुपये में ले जाने के लिए तैयार रहते हैं। इसलिए मेरी समझ में नहीं आता है कि घाटा क्यों होता है। ऊपर से आप प्राइवेट कंपनीज़ को बढ़ावा दे रहे हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि आप प्राइवेट आपरेटरों से हवाई–अड्डे की सेवा देने के बदले कितना पैसा वसूल करते हो। उनसे इतना किराया लेना चाहिए जिससे वे अपनी हवाई सेवा

जारी न रख पाएं और केवल हमारी विमान सेवा चले। दूसरा प्रश्न यह है कि...

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : दूसरे अनुपूरक प्रश्न की अनुमति नहीं है। आप प्राइवेट ऑपरेटरों को अनुमति क्यों दे रहे हैं? आप उन पर विशेष कर क्यों नहीं लगाते?

श्री प्रफुल पटेल : मैं ऐसे किसी प्रश्न का उत्तर नहीं दे सकता जो काल्पनिक है। किन्तु, मैं इतना कह सकता हूं सरकारी और निजी क्षेत्र दोनों की ओर से बढ़ी हुई विमान सेवा से ही यह सुखद स्थिति आई है जिसके बारे में माननीय सदस्य ने कहा है कि अब देश में लोगों को अधिक विकल्प, अधिक संपर्क और किफायती किरायों का लाभ मिल रहा है। इस प्रयास में, जहाँ कल तक हमारे पास हमेशा कमी बनी रहती थी अब आपूर्ति में वृद्धि हुई है और उससे हमारे लोगों की जरूरतें और आकांक्षाएं भी बढ़ गई हैं। अतः यह सही दिशा में एक स्वागत योग्य कदम है। अब असली चुनौती बुनियादी ढाँचा खड़ा करने की है। चूंकि प्रश्न घाटे में चल रहे हवाई अड्डों के बारे में है, तो स्थिति यह है कि यदि छोटे हवाई अड्डों पर उड़ानें बढ़ेंगी या ऐसे हवाई अड्डों पर उड़ाने बढ़ेंगी जिनसे बहुत कम उड़ाने भरी जा रही थीं तो हवाई अड्डों का घाटा भी कम होगा या अधिक हवाई अड्डे लाभ की स्थिति में होंगे। इस प्रकार, माननीय सदस्य जो कहने का प्रयास कर रहे हैं, वह एक वृहत्तर प्रश्न है। लेकिन मेरे विचार से हमारे देश में विमानन सही दिशा की ओर अग्रसर है।

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि दिल्ली, मुम्बई और जोधपुर एयरपोर्ट्स पर जो चाय, कॉफी के स्टॉल हैं या जो दूसरी कमर्शियल एक्टीविटीज हैं उनके लिए जमीन का किराया बराबर है। इसके कारण जोधपुर में जो एयरपोर्ट पर कमर्शियल एक्टीविटीज होनी चाहिए वह नहीं के बराबर हैं। जोधपुर में केवल दो फ्लाइट्स आती हैं, इसलिए मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि जोधपुर में उन स्टॉल्स की जमीन का किराया कम करने की व्यवस्था करेंगे, जिससे वहां ज्यादा से ज्यादा कमर्शियल एक्टीविटीज़ हो सकें।

अध्यक्ष महोदय : इस विषय पर पूरी चर्चा की अनुमति दी गई है। हर शहर और नगर के लिए अलग से चर्चा कैसे होगी?

श्री प्रफुल पटेल : मेरे विचार से माननीय सदस्य का प्रश्न दिल्ली और मुम्बई की तुलना में जोधपुर के चाय–स्टालों से लिए जाने वाले किराए के बारे में है। ये सब विमानपत्तन प्राधिकरण की वाणिज्यिक नीतियां हैं। पक्की बात है कि ये सब काफी समय से बनी सुपरिभाषित नीतियां हैं। फिर भी, यदि माननीय सदस्य को कोई खास शिकायत है तो वह मुझे लिखें। मैं हरसंभव तरीके से उसका हल करने का प्रयास करूंगा।

मोहम्मद सलीम : महोदय, घाटे में चल रहे हवाई–अड्डों का सवाल ही भ्रामक है। हवाई अड्डा कोई बिल्कुल अलग से स्थापित संस्था नहीं होती। ऐसी बात नहीं है। आपके आवागमन और यात्राओं से बड़े हवाई अड्डे काफी आय अर्जित करते हैं। लेकिन जब तक ये सम्भरक विमान–सेवाएं और हवाई अड्डे काम करेंगे, बड़े हवाई अड्डों का काम मंदा रहेगा। जब भी आप घाटे में चलने वाले हवाई अड्डों की बात करें तो इन सभी बिन्दुओं पर आपका ध्यान होना चाहिए। किसी गाँव या कस्बे के बस स्टैण्ड से यदि मात्र दो प्रतिशत यातायात ही चले, तो इसका अर्थ यह नहीं कि शहरी बस स्टैण्ड की तुलना में गाँव का वह बस–स्टॉप लाभकारी नहीं है। गैर–विमानन क्षेत्र में भी काफी पैसा आता है, हमें इस ओर काम करने की आवश्यकता है। छोटे शहरों में स्थापित हवाई अड्डे आपको शुल्कमुक्त दुकानों या होर्डिंगों या किसी गैर–विमानन मद से आय नहीं दे सकते। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार यह बात जानती है या वह जानबूझकर यह अंतर उत्पन्न करने का प्रयास कर रही है कि अमुक–अमुक हवाई अड्डे कम महत्वपूर्ण हैं क्योंकि उनसे राजस्व–प्राप्ति कम है और अमुक अधिक महत्वपूर्ण हैं चूंकि वहां से राजस्व–प्राप्ति अधिक है। इस तरह से या तो हमारे पास दो प्रकार के हवाई अड्डे रहेंगे, अथवा हमें उन्हें एकीकृत करना पड़ेगा। जब तक प्रति राजसहायता (क्रॉस–सब्सिडी) का यह चलन जारी रहेगा, विमानन क्षेत्र का विकास नहीं हो सकता। जब तक 'हब एंड स्पोक' की अवधारणा नहीं आयेगी, आप कोई ऐसा केंद्र नहीं बना सकते जो ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

मोहम्मद सलीम : मेरा प्रश्न यह है कि क्या यह अंतर जानबूझकर उत्पन्न किया जा रहा है और इस धारणा को बलवती किया जा रहा है कि फलां हवाई अड्डे घाटे में चल रहे हैं और फलां फायदे में, या कि आप इन्हें इकट्ठा रखना चाहते हैं?

श्री प्रफुल पटेल : मैंने यह बात नहीं कही कि हवाई अड्डे घाटे में चल रहे हैं या नहीं। यह बात तो एक माननीय सदस्य ने ही कही। मैं तो एक प्रश्न का उत्तर दे रहा हूँ यह बताते हुए कि कौन से हवाई अड्डे लाभ कमा रहे हैं और किन्हें घाटा हो रहा है। किसी हवाई अड्डे को लाभ या घाटा क्यों होता है? मैं विमानन की उस मूल धारणा से हटना नहीं चाह रहा हूं जिसके अनुसार मैं यह मानता हूं कि छोटे या अन्य कोटि के हवाई अड्डे बड़े हवाई अड्डों जितने लाभार्जक नहीं हो पाते। विमानन में 'हब एंड स्पोक' व्यवस्था की जरूरत होती ही है। अतः, इस तथ्य से इन्कार नहीं हो सकता कि यदि देश भर मे विमानन को जारी रखना है तो विमानपत्तन प्राधिकरण को लाभार्जक हवाई अड्डों से प्राप्त आय को कम लाभार्जक हवाई अड्डों की ओर लगाना ही होगा। उस दिन भी मैंने माननीय सदस्यों से कहा था कि हम हमारे राष्ट्रीय साझा–न्यूनतम कार्यक्रम के प्रति वचनबद्ध हैं और हम इसी लीक पर चलते रहेंगे। हम सुनिश्चित करेंगे कि भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण देश में विमानपत्तनों का पथ–प्रदर्शन बना रहे।

अध्यक्ष महोदय : गौरतलब है कि हर दिन हम अगर विमानन मंत्री जी को प्रश्नों का उत्तर देते देख रहे हैं। इनसे प्रश्न भी बहुत पूछे जा रहे हैं। यह इतने लोकप्रिय मंत्री हैं कि हरेक इनसे कुछ न कुछ पूछना चाहता है।

श्री पोन्नुस्वामी, अपने शहर के मामले को परे रखकर अपना प्रश्न पूछिए।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : माननीय मंत्री ने अपने उत्तर में कहा कि कुल 126 हवाई अड्डों में से केवल 86 काम कर रहे हैं, जिनमें से दस लाभ कमा रहे हैं और शेष 76 घाटे में जा रहे हैं। अनावश्यक देरी, अपर्याप्त आंतरिक सुविधाओं और ऐसी ही बातों को देखते हुए यातायात सुविधाएँ बढ़ाने से क्या होगा यदि विमानचालक–दल में अनुशासन की भावना न आए। रखरखाव करना बहुत जरूरी है। चेन्नै–दिल्ली मार्ग पर तो एक भी दिन ऐसा नहीं जाता जब आगमन या प्रस्थान में देर न हो। सुबह 6.40 की उड़ान के लिए चालक–दल 7 बजे से पहले नहीं पहुंचता। ऐसी अवांछनीय देरी से घाटा होता है। मेरे विचार से तो अपर्याप्त आंतरिक सुविधाओं और चालक–दल की मनमानी से यह विलम्ब होता है। यदि उपस्थित विमानों की ही ठीक तरह देखभाल न हो पाए तो और अधिक विमान खरीदने से क्या फायदा?

अध्यक्ष महोदय : चालक–दल के सभी सदस्यों को इस बात के लिए आलोचना नहीं की जा सकती।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : यह तो रोज़ का अनुभव है। यह आलोचना नहीं है। वैसे विमानसेवा विकास के लिए उठाए गए कदमों के लिए मैं माननीय मंत्री जी को धन्यवाद देता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अच्छा काम करने वाले चालक भी तो हैं।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : मैं जानता हूं कि रखरखाव का स्तर बनाए रखने के साथ–साथ, विमान–चालन दल के सदस्यों की अनुशासनहीनता दूर करने के लिए मंत्री महोदय क्या कदम उठा रहे हैं? निजी विमानसेवाएं यात्रियों को अच्छी सुविधाएं दे रही हैं और यात्री भी इस कारण उनकी ओर जा रहे हैं। विमानपत्तन प्राधिकरण को इससे काफी घाटा हो रहा है।

श्री प्रफुल पटेल : मेरे विचार से माननीय सदस्य विमानपत्तनों के घाटे की बजाय विमानसेवाओं के घाटे की बात कर रहे हैं। फिर भी मैं इनकी भावनाएं समझता हूं, उनका सम्मान करता हूं। मुझे यह भी पता है कि खासकर मुम्बई और दिल्ली विमानपत्तनों पर यातायात काफी सघन है। इसके कारणों को भी समझा जाना चाहिए। हम यह भूल रहे हैं कि विश्व के किसी भी देश के व्यस्ततम और आधुनिकतम हवाई अड्डों तक में यातायात–सघनता की स्थिति बनती है। इस तथ्य को भी ध्यान में रखा जाना चाहिए।

दूसरी बात यह है कि सभी उड़ानों का समय सुबह और शाम के निश्चित 2–3 घण्टों के भीतर ही रख दिया जाएगा तो फिर भीड़भाड़ होगी है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, बैठ जाइए।

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, मैं इसी सवाल का उत्तर देने की कोशिश कर रहा हूं।

अध्यक्ष महोदय : दोनों लोग संक्षेप में अपनी बात कहिए।

श्री प्रफुल पटेल : विकास की शुरूआत में कुछ दिक्कतें तो होती ही हैं और शुरूआती दिक्कतों का सामना करना सीखना चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : विमानचालक–दल की इन्होंने जो आलोचना की, क्या आप उससे सहमत हैं?

श्री प्रफुल पटेल : जी नहीं, महोदय। ऐसा नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : आपको कहना चाहिए कि ऐसा नहीं है, वरना इससे गलत संदेश जाता है।

श्री प्रफुल पटेल : मैं उस भाग का उत्तर दे रहा हूं। हमारी अपनी विमान सेवाओं की अतिरंजित आलोचना करना ठीक नहीं है।

श्री ई. पोन्नुस्वामी : यह अतिरंजित बात नहीं है। यह चेन्नै–दिल्ली वायुमार्ग पर मेरा दिनों दिन का अनुभव है। आप जांच करके देख सकते हैं।

अध्यक्ष महोदय : बस, बहुत हुआ।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप इस मामले में बाद में माननीय मंत्री जी से मिल सकते हैं।

श्री प्रफुल पटेल : मैं उनकी भावनाएँ समझने और उनका समाधान करने का प्रयास करूंगा।

[हिन्दी]

श्री ब्रजेश पाठक : माननीय अध्यक्ष महोदय, एक तरफ तो एयरपोर्ट्स घाटे में चल रहे हैं और दूसरी तरफ जो प्राइवेट एयरलाइन्स हैं, उन पर एयरपोर्ट आथॉरिटी का करोड़ों रुपया बाकी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि इसकी वसूली के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं?

श्री प्रफुल पटेल : एयरलाइन्स की ओर से जो बकाया होता है, नियमित तौर पर उसे रिकवर करने की योजना होती है। अगर वे एक सीमा से बाहर पेमेंट नहीं करते हैं तो उन पर कार्रवाई हो सकती है, उनकी फ्लाइट रोकी जा सकती है। इसलिए ऐसी कोई बात नहीं है कि वर्तमान में जो एयरलाइन्स चल रही हैं, उसमें किसी के साथ भी किसी भी प्रकार से कोई ढिलाई बरती जा रही है। जो भी पैसा है वह समय पर वसूल किया जाए, अगर वसूल नहीं होगा तो उन पर कार्रवाई भी की जा सकती है।

श्रीमती किरण माहेश्वरी : माननीय अध्यक्ष महोदय, जैसा मंत्री महोदय ने अपने जवाब में कहा कि एयरपोर्ट अथॉरिटी के घाटे को कम करने का काम तभी किया जा सकता है, जितनी ज्यादा हो सके फ्लाइट्स चलाई जाएं। दिल्ली से उदयपुर जाने के लिए मात्र एक ही फ्लाइट है। क्या इसे बढ़ाने की कोई योजना है?

महोदय, उदयपुर एक ऐसा पर्यटक स्थल है जहां देश भर से और विदेशों से लोग पर्यटन के लिए आते हैं। लेकिन वहां एकमात्र इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइट है जबकि प्राइवेट फ्लाइट्स ज्यादा चल रही हैं। इंडियन एयरलाइन्स की फ्लाइट घाटे में इसलिए चल रही है क्योंकि वहां प्राइवेट फ्लाइट्स के टाइमिंग इंडियन एयरलाइन्स से ज्यादा हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : इस बात का विमानपत्तन के घाटे से कोई संबंध नहीं है।

[हिन्दी]

श्रीमती किरण माहेश्वरी : इसके साथ यह सवाल भी है कि मंत्री महोदय कहते हैं कि उसका विस्तार करने जा रहे हैं ताकि वहां ज्यादा फ्लाइट्स आ सकें। क्या उदयपुर एयरपोर्ट के विस्तार की योजना बनी है? अगर बनी है तो उस योजना को कब तक लागू करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न संगत है। अब यह प्रश्न उदयपुर विमानपत्तन के बारे में है।

[हिन्दी]

श्री प्रफुल पटेल : उदयपुर एयरपोर्ट डेवलपमेंट के बारे में आपको कहना चाहता हूँ, परसों सदन में लंबी चर्चा हुई थी और माननीय अध्यक्ष महोदय ने मुझे बोलने का मौका दिया था, तब आपके सहयोगी ने उदयपुर एयरपोर्ट के विषय में पूछा था। उस प्रश्न के उत्तर में मैंने कहा था कि उदयपुर में नये टर्मिनल और एयरपोर्ट डेवलपमेंट का काम वर्ष 2006 में शुरू हो रहा है और वह काम इंटरनेशनल दर्जे का होगा।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब, प्रश्न संख्या 423 पर लौटते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : बस एक मिनट। कृपया अपने स्थान पर बैठिए। मुझे माननीय मंत्री से लिखित क्षमा याचना प्राप्त हुई है। लेकिन मैं महसूस करता हूं कि माननीय मंत्री को सभा में क्षमा–याचना करनी चाहिए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, क्या मैं देर से आने के लिए सभा से अपनी क्षमा याचना के साथ अपनी बात शुरू कर सकता हूं? महोदय, मुझे अपनी गलती पर गहरा दुख है।

पेट्रोलियम उत्पादों पर राजसहायता

***423. श्री रायापति सांबासिवा राव** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकार और सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के बीच पेट्रोलियम उत्पादों पर राज सहायताओं के भार को बांटने के लिए क्या मानदंड अपनाए गए हैं;

(ख) क्या सरकार को इस संबंध में तेल और प्राकृतिक गैस निगम से कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) एक विवरण सदन के पटल पर रख दिया गया है।

विवरण

(क) पेट्रोलियम उत्पादों के लिए बाजार–निर्धारित मूल्य निर्धारण की आरे जाने की घोषित मंशा के साथ सरकार ने 1.4. 2002 से लागू प्रशासित मूल्य निर्धारण पद्धति (एपीएम) की समाप्ति की घोषणा की। चूंकि पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी आम जनता के खपत के ईंधन हैं और इनका इस्तेमाल व्यापकतः समाज के आर्थिक रूप से कमजोर वर्गों द्वारा किया जाता है इसलिए यह निर्णय लिया गया कि इन दोनों उत्पादों पर राजसहायता राजकोषीय बजट से देकर विनिर्दिष्ट समान दर के आधार पर जारी रहेगी: तदनुसार "पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी राजसहायता योजना, 2002" के अनुसार सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज़) को प्रति बिक्री इकाई पर एक समान दर से राजसहायता दिये जाने के लिए अनुमोदित किया गया जो 31.3.2002 की स्थिति अनुसार प्रति बिक्री इकाई के लागत मूल्यों और निर्गम मूल्य के बीच अंतर के बराबर है और इसे तीन से पांच वर्षों में चरणबद्ध रूप से समाप्त किया जाना है। ओएमसीज को इन उत्पादों के खुदरा बिक्री मूल्यों (आरएसपी) को इस अवधि के दौरान अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के अनुरूप समायोजित करने थे। तथापि सरकारी निर्देशों के अनुपालन में ओएमसीज़ ने पीडीएस मिट्टी तेल और घरेलू एलपीजी के मूल्यों के तदनुरूपी वृद्धि नहीं की, जिसके परिणामस्वरूप इन दोनों उत्पादों के संबंध में अल्पवसूलियां हुईं। अक्तूबर, 2003 में सरकार ने निर्णय लिया कि ओएमसीज़ पेट्रोल और डीजल में अधिशेषों से इन दोनों उत्पादों पर अपनी अल्प वसूलियों का लगभग 1/3 पूरा करेंगी और शेष अल्पवसूलियों में अपस्ट्रीम कंपनियों और ओएमसीज़ द्वारा समान रूप से हिस्सेदारी की जाएगी।

परन्तु अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में विशेषकर 2003 की अंतिम अवधि से अभूतपूर्व, तीव्र और उछालदार वृद्धि हुई है जिसके साथ–साथ सप्ताह–दर–सप्ताह और दिन–प्रतिदिन मूल्यों में उतार–चढ़ाव रहा। संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में अत्याधिक वृद्धि के होते हुए भी ओएमसीज़ सरकार के साथ परामर्श से घरेलू एलपीजी और पीडीएस मिट्टी तेल जैसे राजसहायता प्राप्त उत्पादों के मूल्य यथावत बनाए रखने के अलावा पेट्रोल और डीजल में मूल्य वृद्धि को नियंत्रित कर रहीं थीं। इसके परिणामस्वरूप उनको पेट्रोल और डीजल की बिक्री पर भी अल्पवसूलियां झेलनी पड़ीं हैं। अतः जून, 2004 में सरकार ने ऐसे सिद्धांतों की व्याख्या की जिनके तहत इन संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों में वृद्धि के बोझ को नियंत्रित किया जा सके। यह निर्णय लिया गया कि इस बोझ में उपभोक्ताओं, सरकार और तेल कंपनियों द्वारा समान रूप से हिस्सेदारी की जानी चाहिए। तदनुसार, 2003–04 से आगे के लिए सरकार ने राजसहायता हिस्सेदारी पद्धति आरंभ की जिसमें राजकोषीय बजट से प्रदान की गई राजसहायता को अलग रखने के बाद शेष में हिस्सेदारी अपस्ट्रीम और डाऊनस्ट्रीम कंपनियों द्वारा समान रूप से की जाती है।

राजसहायता हिस्सेदारी पद्धति लागू किए जाने के बाद भी ओएमसीज़ पर अल्पवसूलियों का बोझ रिफाइनरियों द्वारा दी गई रियायतों के बावजूद बढ़ना जारी रहा। 2003–04 के लिए

अनुमानित अल्पवसूलियां 9,274 करोड़ रुपये, 2004–05 के लिए 20,146 करोड़ रुपये थी, जिसके वर्तमान वर्ष के दौरान 38,154 करोड़ रुपये होने का अनुमान है। बजट के माध्यम से सहायता के रूप में अनुमत धनराशि से अधिक अल्पवसूलियों के बढ़ जाने के कारण सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज़ की प्रतिपूर्ति करने के उद्देश्य से सरकार ने तेल बाण्ड जारी करने का निर्णय लिया है। वित्त मंत्रालय ने वर्तमान वित्तीय वर्ष के दौरान 5,750 करोड़ रुपये के अंकित मूल्य के बाण्ड जारी करने का प्रावधान किया है। इसे 2005–06 की अनुदानों की पूरक मांगों के द्वितीय बैच में शामिल किया गया है।

(ख) और (ग) जी, हां। आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) के समान राजसहायता हिस्सेदारी पद्धति के औचित्य का पुनरीक्षण कराने के लिए अभ्यावेदन किया है जिसके तहत अपस्ट्रीम कंपनियां पेट्रोल और डीजल के खुदरा बिक्री मूल्यों (आरएसपीज) में वृद्धि, रिफाइनरियों द्वारा अल्पवसूलियों में हिस्सेदारी और कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पादों के अंतर्राष्ट्रीय मूल्य में कमी को ध्यान में रखते हुए सरकार और डाऊनस्ट्रीम कंपनियों के साथ अल्पवसूलियों के बोझ के हिस्सेदारी करती हैं।

(घ) सरकार की असामान्य मूल वृद्धियों के संदर्भ में ओएमसीज द्वारा झेली गई अल्पवसूलियों के बोझ के समान रूप से हिस्सेदारी करने की नीति है। अपस्ट्रीम कंपनियों का हिस्सा अल्पवसूलियों की कुल मात्रा का समानुपाती होगा।

श्री रायापति सांबासिवा राव : माननीय मंत्री महोदय ने कहा था कि रसोई गैस और मिट्टी के तेल पर प्रति विक्रय इकाई पर राज सहायता की समान दर, जो 31 मार्च, 2002 को प्रति विक्रय इकाई के लागत मूल्य और निर्गत मूल्य के बीच अन्तर के बराबर है, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों को देने के लिए अनुमोदित की गई थी। और इसे तीन से पांच वर्षों में धीरे–धीरे समाप्त किया जाना है।

यह आर्थिक बोझ उपभोक्ता के बजाय क्यों न प्रमुख तेल कंपनियों के द्वारा ही पूरी तरह वहन किया जाए? भविष्य में कोई वृद्धि गरीबी रेखा से नीचे के वर्ग के उपभोक्ताओं पर बोझ नहीं बननी चाहिए। पेट्रोलियम उत्पादों की कीमतों में पिछली बार की गयी भारी वृद्धि के कारण गरीबी रेखा से नीचे के उपभोक्ता पहले से ही बहुत कठिनाई झेल रहे हैं। यदि अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर तेल की कीमतें बढ़ती हैं तो क्या सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कि भविष्य में गरीबी रेखा से नीचे रह रहे उपभोक्ताओं पर और बोझ न पड़े और यह भी कि पूरा बोझ प्रमुख तेल कंपनियों पर ही पड़े, कोई रास्ता निकालेगी?

श्री मणि शंकर अय्यर : अभी भी जब पिछली बार सितम्बर माह में हमने कीमतें बढ़ायीं तो पूरे बोझ का सिर्फ 13 प्रतिशत उपभोक्ता पर डाला गया। हमारे उत्तम गुणवत्ता वाले मिट्टी के तेल के वितरण में राज्यों को आबंटित मात्रा राज्य सरकारों को प्रदान की जाती है और राज्य सरकारों को यह निर्णय लेना होता है कि आबंटित मात्रा सिर्फ गरीबी रेखा से नीचे रह रहे उपभोक्ताओं के लिए आरक्षित रखी जाएगी या अन्य उपभोक्ताओं को भी दी जाएगी। जहां तक घरेलू उद्देश्यों के लिए रसोई गैस प्रदान करने का संबंध है, हम घरेलू उद्देश्य के लिए रसोई गैस और व्यावसायिक उद्देश्य के लिए रसोई गैस के बीच भेद करते हैं लेकिन गरीबी रेखा से नीचे रह रहे रसाई गैस के उपभोक्ताओं और अन्य उपभोक्ताओं के बीच अभी तक भेद नहीं किया जाता है। इसलिए माननीय सदस्य द्वारा दिया गया सुझाव हमारे लिए स्वागत योग्य है और जब हम इस मामले की नीतिगत समीक्षा करेंगे तो इस सुझाव पर विचार करेंगे।

श्री रायापति सांबासिवा राव : क्या ओ एन जी सी के अलावा सार्वजनिक क्षेत्र की किसी अन्य तेल कंपनी ने बढ़ी हुई कीमत का बोझ कम करने या साझा करने के लिए प्रस्ताव या अभ्यावेदन दिया है? यदि हां तो उसका विवरण क्या है?

श्री मणि शंकर अय्यर : सिर्फ ओ आई एल और ओ एन जी सी ही सार्वजनिक क्षेत्र की लाभदायक कंपनियां हैं। ओ एन जी सी ने 18 नवम्बर, को अपना प्रस्ताव प्रस्तुत किया था और 17 दिसम्बर को उसका स्मरण हमें कराया। हमारी इच्छा मामले के तथ्यों पर तीसरी तिमाही में अववसूलियों की जानकारी के विवरण प्राप्त होने के बाद विचार करने की थी। अवश्यय ही तीसरी तिमाही की अवधि अभी भी पूरी नहीं हुई परंतु अब पूरी होने ही वाली है। हमने पाया कि यद्यपि पेट्रोल और डीजल की अववसूलियां वास्तव में कम हुई हैं लेकिन रसोई गैस और मिट्टी के तेल की अववसूलियां बहुत बढ़ गई हैं। इसका परिणाम है कि इस वर्ष की तीसरी तिमाही में अववसूलियां कमोबेश दूसरी तिमाही के समान स्तर पर ही हैं। इसलिए मैं यह कहने के लिए बाध्य हूं कि ओ एन जी सी के निवेदन पर हमें निगम द्वारा दिए गए अभ्यावेदन के प्रभावशाली विवरण के आलोक में विचार करने के बजाय वास्तविकता के आलोक में विचार करना होगा।

श्री रूपचन्द पाल : अन्तर्राष्ट्रीय तेल बाजार में अनिश्चितता जारी रहने को देखते हुए तेल मूल्य स्थिरीकरण कोष की स्थापना

करने में सरकार को क्या कठिनाई हो सकती है जबकि इसके लिए भारी संग्रहित तेल उपकरण कोष उपलब्ध है।

श्री मणि शंकर अय्यर : करीब डेढ़ वर्ष पहले, हमने एक सीमा तक उतार–चढ़ाव की अनुमति देने वाले तंत्र का सुझाव दिया था, उस संबंध में मूल्य स्थिरीकरण कोष बनाने के प्रस्ताव पर विचार किया गया था। लेकिन बाजार में अस्थिरता पिछले 18 माह में इतनी ज्यादा रही है कि हम लगभग पूरे समय उस सीमा के बाहर रहे हैं।

जहाँ तक तेल उपकर से बनाये गये मूल्य स्थिरीकरण कोष का संबंध है वास्तव में समस्या अधिनियम की भाषा में निहित है। उस कोष की स्थापना करने वाले अधिनियम में प्रावधान है कि तेल उद्योग से जुटायी गई निधियों का लाभ उर्वरक उद्योग को भी मिल सकता है। और बढ़ते तेल उत्पादन पर उपकर के माध्यम से जुटायी गई निधियों के ऐसे बड़े भाग को उर्वरक उद्योग के लिए उर्वरक उद्योग की बहुत बड़ी कीमत पर निर्धारित किया जा रहा है। क्या हम सिर्फ तेल उद्योग के विकास के लिए ये सभी निधियां अर्जित करने में समर्थ हो जाएंगे। यही वह दुविधा है जिसे हम दूर करने की कोशिश कर रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम उत्पादों के दाम लगातार बढ़ते जा रहे हैं। इससे खासकर गांवों में रहने वाले किसान और गरीबी रेखा से नीचे रहने वाले लोगों पर भार बढ़ता जा रहा है। हर राज्य में पेट्रोलियम उत्पादों पर अलग–अलग टैक्स का प्राक्धान है। क्या माननीय मंत्री जी राज्य सरकारों से बात करके राज्यों में टैक्स की दर को समान करने पर विचार करेंगे?

अध्यक्ष महोदय, पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ताओं में एक तरफ जहां किसान और मजदूर हैं, वहीं उद्योगपतियों को भी ये उत्पादन उसी मूल्य पर मिलते हैं। क्या सरकार इन उपभोक्ताओं का वर्गीकरण करके किसानों और मजदूरों के लिए राजसहायता बढ़ाने के संबंध में विचार करेगी?

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय सदस्य का बहुत आभारी हूं कि उन्होंने उसी विषय को दोहराया जिसकी ओर मैं पूरे सत्र में ध्यान आकर्षित करता रहा हूं। हमें इन सारे मामलों पर पुनर्विचार करने की आवश्यकता है, हालांकि हाल ही में अंतर्राष्ट्रीय बाजार में पेट्रोल और डीजल के दाम कुछ कम हुए हैं, परंतु आज उस सिलसिले में कुछ खास समस्या नहीं है।

जहां तक एलपीजी और कैरोसीन की बात है, अंतर्राष्ट्रीय बाजार में इनके दाम बहुत ही बढ़ चुके हैं, खास तौर पर एलपीजी के दाम बहुत बढ़ चुके हैं जिसका आयात भी इस देश में हो रहा है और जिसको हम निजी पेट्रोलियम रिफाइनरीज़ से खरीद रहे हैं। इस परिस्थिति में हमें इस पर विचार करना चाहिए कि क्या एसकेओ, यानी मिट्टी का तेल जो हम बीपीएल परिवारों को पीडीएस के माध्यम से बेचते हैं, वह उन्हीं को हम बहुत कम दामों पर बेचें, या उनको और एपीएल के बीच में किसी प्रकार का अंतर हम रखें। जहां तक एलपीजी का सवाल है, मेरे ख्याल मे इस पर विचार करना चाहिए कि वह कौन सा वर्ग है जो कि एलपीजी खरीदता है। बहुत हद तक हम जानते हैं कि मध्य वर्ग ज्यादातर एलपीजी खरीद रहा है, हालांकि हमारे पास इसका कोई वैज्ञानिक आधार नहीं है जैसे हमारे पास कैरोसीन के सिलसिले में है। कुछ लोग बीपीएल के नीचे हो सकते हैं जिनके पास यह उपलब्ध हो लेकिन इस पर विचार करने की आवश्यकता है, इस पर वैज्ञानिक अध्ययन करने की आवश्यकता है। इसको करने के लिए हम कुछ कदम उठा रहे हैं और जो सुझाव अभी हमें माननीय सदस्य द्वारा दिया गया है, इसको मद्देनजर रखते हुए हम किसी निष्कर्ष पर पहुंचेंगे।

श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या यह बात सही है कि कुछ वर्ष पहले हम एलपीजी का निर्यात कर रहे थे जबकि आज हम इसका आयात कर रहे हैं जिसके कारण घरेलू उपभोक्ता परेशान हो रहे हैं?

श्री मणि शंकर अय्यर : अध्यक्ष महोदय, आज भी एलपीजी का थोड़ा बहुत निर्यात हो रहा है क्योंकि भूटान और नेपाल को हम यह बेच रहे हैं। माननीय सदस्य मुझसे सहमत होंगे कि यह करना उचित है और उसको करना ही चाहिए। जहां तक आयात का सवाल है, जिस तरह से इसकी मांग बढ़ती गई और इस पर किसी प्रकार की रोक नहीं रही, पिछली सरकार के आखिरी दिनों में, पिछले साल जून महीने में हम मजबूर हो गए कि थोड़ा बहुत हम उस पर रोक लगाएं क्योंकि बहुत सी एलपीजी घरेलू एलपीजी के नाम पर खरीदी जा रही थी जो ढाबों, रैस्टोरैन्ट्स,

होटलों, ऑटोरिक्शा और अन्य गाड़ियों को जा रही थी। हमने इस पर पाबंदी लगाई और इसका नतीजा यह हुआ है कि अब जो बढ़ती हुई असली मांग है, उसको तो हम पूरा कर रहे हैं लेकिन जो डाइवर्शन के लिए खरीदी जा रही थी, उसको कम करने की आवश्यकता है। हां, यह हकीकत है कि अब हम इसका आयात कर रहे हैं और इस देश में उपयोग हो रही एलपीजी का करीब 25 प्रतिशत आयात किया जा रहा है।

श्री रतिलाल कालिदास वर्मा : सर, मैं इतना ही पूछना चाहूंगा कि लम्बी–लम्बी लाइनें लगी रहती हैं। लोग परेशान हो रहे हैं। जब हमारे देश में ऐसी स्थिति है, तो निर्यात करने की क्या जरूरत है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जब तक आपको अपनी संतुष्टि के अनुसार उत्तर नहीं मिलता तब तक आप वही प्रश्न पूछते रहते हैं?

श्री अब्दुल्लाकुट्टी : महोदय, हमारी सार्वजनिक क्षेत्र की तेल कंपनियाँ मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज से परस्पर सहमत बाजार मूल्य पर पेट्रोलियम उत्पाद खरीद रही हैं। मेरा निवेदन है कि राजसहायता के बोझ का एक भाग मैसर्स रिलायंस इंडस्ट्रीज द्वारा भी वहन किया जाना चाहिए। यह बहुत तार्किक बात है। इस संबंध में सरकार द्वारा क्या उपाय किए जा रहे हैं?

महोदय, मेरे प्रश्न का दूसरा भाग यह है कि केरल राज्य के घरेलू उपभोक्ता अनेक कठिनाइयों का सामना कर रहे हैं ... *(व्यवधान)*

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, ये पहले ही पहला प्रश्न पूछ चुके हैं। पहले प्रश्न के संबंध में मैं यह स्पष्ट करना चाहता हूं कि रिलायंस रिफाईनरी स्वावलंबी तेलशोधक कारखाना है। यह समेकित उद्योग नहीं है जो विपणन भी करती हो। इन परिस्थितियों में हमें निजी क्षेत्र और सार्वजनिक क्षेत्र के सभी स्वावलम्बी तेल शोधकों को भी मद्देनज़र रखना है। हमने उन्हें बाजार में मोल भाव करने पर राजी करने और हमारी विपणन कंपनियों को उनसे खरीदे जाने वाले उत्पादों पर छूट देने का काम किया है। यह छूट बोझ को बांटने संबंधी प्रयास में रिलायंस सहित सभी स्वावलंबी तेलशोधक कारखानों के योगदान का हिस्सा है।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : महोदय, अब मेरी बारी है। प्रश्न सं. 424 मेरे नाम से है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपनी बारी खो चुके हैं।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : जी नहीं, महोदय।

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपका नाम पुकारा था और आप मौजूद नहीं थे। आप 'न' क्यों कह रहे हैं?

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : महोदय, उस समय माननीय मंत्री जी मौजूद नहीं थे।

अध्यक्ष महोदय : इसीलिए आप सभा से बाहर रहे।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : जी नहीं, महोदय। कृपया मुझे अनुमति दीजिए। यह एक महत्वपूर्ण प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आप ऐसी कोई सफाई मत दीजिए। आपको इस पर खेद प्रकट करना चाहिए था। पहले आप इस पर खेद प्रकट कीजिए।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : महोदय, मुझे इसका खेद है।

अध्यक्ष महोदय : किसी भी चीज को आप हल्के से न लें, चाहें आप मंत्री हों, या एक सदस्य मात्र। यह सभी किसी भी व्यक्ति से कहीं अधिक महत्वपूर्ण हैं। यह सभा किसी की इच्छानुसार नहीं चलेगी।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : महोदय, अनुमति प्रदान करने के लिए मैं आपका आभारी हूं।

अध्यक्ष महोदय : आप युवा सदस्य हैं और आपको पता होना चाहिए कि सद्व्यवहार क्या है।

प्राकृतिक गैस का जलना

***424. श्री सर्वानन्द सोनोवाल** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या असम के तेल कुंओं में पिछले कई सालों से बड़ी मात्रा में प्राकृतिक गैस जल रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग). सरकार द्वारा प्राकृतिक गैस को जलने से रोकने के लिए क्या उपाय किए जा रहे हैं;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई निगरानी समिति गठित की है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) सदन के पटल पर एक विवरण रख दिया गया है।

विवरण

(क) और (ख) आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओएनजीसी), आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) और संयुक्त उद्यम/निजी कंपनियों (जेवी/पीवीटी) द्वारा असम में पिछले तीन वर्षों में प्राकृतिक गैस के उत्पादन और जलने के बारे में विवरण नीचे दिया गया है:-

[मिलियन मानक घन मीटर (एमएमएससीएम) में]

ओएनजीसी

वर्ष	गैस का उत्पादन	जल गई गैस	जलन का %
2002-03	476	51.1	10.7
2003-04	498	65.7	13.2
2004-05	467	65.7	14.1

ओआईएल

वर्ष	गैस का उत्पादन	जल गई गैस	जलन का %
2002-03	1570.54	101.89	6.49
2003-04	1705.85	107.46	6.30
2004-05	1780.14	130.56	7.33

निजी प्रचालकों द्वारा 2004-05 के दौरान असम में गैस का उत्पादन लगभग 0.868 एमएमएससीएम था और जलाव शून्य था। इसके पहले असम में निजी प्रचालकों द्वारा कोई गैस उत्पादन नहीं किया गया।

(ग) असम में गैस के जलने को कम करने के लिए ओएनजीसी और ओआईएल द्वारा निम्नलिखित उपाय किए गए या किए जा रहे हैं:-

(1) गैस प्रणाली के प्रभावशाली नियंत्रण के लिए पर्यावेक्षणीय नियंत्रण और आंकड़ा अर्जन (एससीएडीए) प्रणाली की स्थापना।

(2) नए क्षेत्रों को तुरन्त गैस नेटवर्क से जोड़ना।

(3) बहाव के प्रभाव को समाप्त करने के लिए गैस संपीडकों में क्षमता नियंत्रण उपकरण लगाना और गैस होल्डरों की स्थापना करना।

(4) चाय बागानों के आसपास के क्षेत्रों में कम दबाव प्रणाली को सीधे सीमान्त क्षेत्रों से कम दबाव गैस की आपूर्ति।

(5) विद्यमान गैस प्रेषण लाइनों को आगे और आगे डि-बॉटलनेकिंग कराना।

(6) गैस संपीडन के अलग-थलग क्षेत्रों में कम दबाव वाली गैस की बूस्टिंग करना।

(7) जहां गैस कम दबाव पर और कम मात्राओं में उत्पादित की जा रही है उन अलग-थलग क्षेत्रों में पास लघु-उपभोक्ताओं की पहचान करना।

(8) प्राकृतिक गैस के उपभोक्ताओं से गैस की वचनबद्धित मात्रा उठाने के लिए अनुरोध करना क्योंकि फाल बैक ग्राहक नहीं है।

(9) कम दबाव वाले बूस्टर संपीडकों की स्थापना।

(घ) जी नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

श्री सर्बानन्द सोनोवाल : महोदय, यह सच है कि असम के तेल क्षेत्रों में विगत कई दशकों में प्राकृतिक गैस की भारी मात्रा जल चुकी है। इसके परिणामस्वरूप, असम सरकार और भारत सरकार को हानि हुई है। हम अपने बेहतर भविष्य हेतु प्राकृतिक गैस का दोहन करने के लिए कोई विशेष योजना का कार्यक्रम तैयार करने में विफल रहे हैं। असम के तेल क्षेत्रों में हजारों

करोड़ रुपये आग की लपटों में जल चुके हैं। पिछले कई दशकों में जो हानि हुई, वह हमारी किसी गलती की वजह से नहीं हुई। पेट्रोलियम मंत्रालय की वजह से ही हमें यह नुकसान उठाना पड़ा था। मंत्रालय देश के बेहतर भविष्य के लिए प्राकृतिक गैस का दोहन करने के लिए कोई भी योजना तैयार नहीं कर सका।

महोदय, अब हमें यह जानकारी मिली है कि भारतीय गैस प्राधिकरण लिमिटेड ने म्यांमार में गैस के बड़े भंडार की खोज की है और पेट्रोलियम मंत्रालय उस देश की सरकार के साथ भारत में बिहार के गया क्षेत्र तक पाइपलाइन के निर्माण के लिए वार्ता कर रहा है। चूंकि इतने वर्षों से हमें अपनी किसी गलती के बिना ही घाटा हुआ है और इसी कारण हमारा औद्योगिकीकरण नहीं हो पाया है। तो क्या मंत्री जी यह घोषणा करेंगे कि असम के होते हुए गया के लिए जो प्राकृतिक गैस आएगी, उसमें से असम राज्य को अगले 20 वर्ष तक रियायती दर पर गैस उपलब्ध कराई जाएगी जिससे वह उस क्षति की भरपाई कर सके?

अध्यक्ष महोदय : मुख्य प्रश्न से अनुपूरक प्रश्न पैदा नहीं होता।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, इस संबंध में मामले के तथ्य यह हैं कि पिछले पांच वर्षों में हमने देखा है कि असम में ओआईएल की 8.3 प्रतिशत की दहन–दर गिरकर 7.3 प्रतिशत पर आ गई है और निजी क्षेत्र में असम में गैस का जो उत्पादन शुरू हुआ है, उसमें गैस का कोई दहन नहीं हुआ।

कुछ चिंता का विषय यह है कि ओ एन जी सी की गैस के दहन में पिछले पांच वर्षों के दौरान वृद्धि हुई है। इसका प्रतिशत 8.6 से बढ़कर गतवर्ष 14.3 हो गया है। लेकिन हम दो बहुत ही महत्वपूर्ण विशिष्ट कदम उठाकर इसे कम करने का प्रयास कर रहे हैं।

एक उपाय है, 14 कि.मी. लम्बी 18 इंच की लाइन चंगमई गाँव और चारली से रनीलेक तक बिछाई जा रही है। एक बार यह पूरी हो जाए तो अगले तीन महीने के आसपास इससे प्रतिदिन 30,000 घन मीटर गैस का दहन बच सकेगा। जिससे दहन का प्रतिशत 14 से घटकर 11 हो जायेगा। जैसे ही असम गैस कम्पनी अपनी 30,000 घन मीटर आबंटित मात्रा खोराघाट से लेती है तो इससे दहन और कम होकर 8 प्रतिशत हो जायगा। यह जनवरी, 2004 में ही हो जाना चाहिए था लेकिन अभी तक हो नहीं पाया है। इन परिस्थितियों में हम गैस के दहन को कम करने के प्रयासों पर बहुत ध्यान दे रहे हैं।

'ओआईएल' की ओर से विशेष कदम उठाए गए है – जो तकनीकी प्रकृति के हैं, मुझे नहीं लगता कि उनका उल्लेख करके सभा का समय लिया जाए। ओ एन जी सी ने भी ऐसे ही उपाय किए हैं। मैं माननीय सदस्य को इसकी लिखित रूप में इसकी जानकारी प्रेषित कर दूंगा।

महोदय, सार–संक्षेप में, ओ एन जी सी में हो रहे गैस के दहन के ऊंचे स्तर की मुझे बहुत चिंता है। मैं ऐसा मानता हूं कि यह अंशतः इसलिए है क्योंकि उनका ध्यान मुख्यतः तेल पर है न कि गैस पर। जिस गैस का दहन हो रहा है, वह संबद्ध गैस है। गैस का दहन अंशतः 'शट डाउन' प्रक्रिया के दौरान तकनीकी कारणों से होता है क्योंकि अलग–थलग पड़े गैस फील्डों से गैस को आगे भेजने की अपेक्षा उसका दहन होने देना किफायती पड़ता है और अंशतः यह अन्य तकनीकी कारणों से होता है।

महोदय, यह विचार सच है कि हमें असम क्षेत्र में दहन कम करने की आवश्यकता है। हम इस संबंध में कदम उठाने का प्रयास कर रहे हैं और जो कुछ भी संभव होगा, वह किया जायेगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्य 20 वर्ष के लिए रियायती दर पर गैस की आपूर्ति चाहते हैं।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, यह हमारे लिए थोड़ा मुश्किल होगा।

श्री सर्वानन्द सोनोवाल : महोदय, मेरा दूसरा अनुपूरक प्रश्न यह है कि स्वर्गीय राजीव गांधी द्वारा किए गए असम समझौते के अनुसार, यह घोषणा की गई थी कि असम में गैस क्रेकर परियोनजा चलाई जाएगी। हमारे माननीय प्रधानमंत्री, डा. मनमोहन सिंह ने असम के लोगों को स्पष्ट रूप से यह आश्वासन दिया है कि असम में शीघ्र ही गैस क्रेकर परियोजना चलाई जायेगी। महोदय, क्या इस विशिष्ट परियोजना के लिए कोई गारण्टी रहेगी जो कि असम समझौते के एक परिणाम के रूप में एक ऐतिहासिक परियोजना होगी? कम से कम अगले पांच दशकों तक इस परियोजना के जारी रहने के लिए प्राकृतिक गैस, खासकर कच्ची सामग्री की कोई कमी नहीं रहेगी।

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, असम गैस क्रैकर परियोजना का उद्देश्य गैस–आपूर्ति बढ़ाना नहीं है। जहां तक इस परियोजना का सवाल है, इस प्रश्न से उसका कोई संबंध नहीं है। लेकिन मैं इस सदन में इस विषय पर अनेक प्रश्नों का उत्तर दे चुका हूं। मुझे वेबसाइट से उसके उत्तर खोजकर माननीय सदस्य को उपलब्ध कराने में खुशी होगी।

महोदय, तथापि, मैं इन्हें आश्वास्त कर सकता हूं कि हम असम गैस क्रैकर परियोजना के प्रति प्रतिबद्ध हैं। असम समझौते के बाद से लेकर अब तक इसकी अनुमानिक लागत काफी बढ़ चुकी है, फिर भी हम इसे जारी रखे हुए हैं। हमें अभी इसके वाणिज्यिक और आर्थिक मापदण्ड पूरी तरह तय करने हैं। इस ओर काम प्रगति पर है और मैं माननीय सदस्य को आश्वस्त करना चाहता हूं कि प्रधानमंत्री जी ने जो कहा है उसका पूर्णरूपेण पालन होगा।

अध्यक्ष महोदय : श्री लक्ष्मण सिंह। यदि आपकी बात असम से संबंधित है, तो ही आपको अनुमति है, अन्यथा नहीं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह : अध्यक्ष महोदय, असम राज्य से ही संबंधित है। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि क्या यह सही है कि डिब्रुगढ़ असम में 1960 के दशक से लगभग 42 लाख रुपये की नेचुरल गैस जलाई जा रही है? अगर उसका आकलन हम आज करते हैं तो लाखों–करोड़ों रुपये बैठता है। क्या यह क्योटो प्रोटोकाल का उल्लंघन नहीं है, मैं जानना चाहूंगा और उसको रोकने का क्या प्रयास करेंगे? एक चीज और, यदि आप अनुमति दें, महोदय। आपने बताया कि गैस क्रैकर प्लांट ...*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : नहीं, यह बात इस प्रश्न से संबंधित नहीं है।

श्री लक्ष्मण सिंह : जी, नहीं यह इसी प्रश्न से संबंधित है।

[हिन्दी]

जो गैस जल रही है, उसको कम करने के लिए गैस क्रैकर प्लांट लगाया जाता है, इसलिए यह प्रश्न उससे उत्पन्न होता है। आपने बताया कि नहीं होता है तो आपने यह सदन को गलत जानकारी दी है, कृपया इसमें सुधार करें। क्रैकर प्लांट गैस उत्सर्जन की मात्रा कम करने के लिए लगाए जाते हैं। इसलिए महोदय यह बात इसी प्रश्न से संबंधित है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अच्छा।

[हिन्दी]

श्री मणि शंकर अय्यर : महोदय, सबसे पहले तो मैं यह स्पष्टीकरण दूं कि हालांकि मैं एनवायर्नमेंट विभग का मंत्री नहीं हूं लेकिन जहां तक मेरी जानकारी है, हमने क्योटो प्रोटोकाल पर हस्ताक्षर नहीं किया है। दूसरी चीज यह है कि न केवल डिब्रुगढ़ में, लेकिन आज दूसरी जगह असम में भी गैस फ्लेयरिंग चल रही है। गैस फ्लेयरिंग उस जमाने में चल रही थी, जब गैस के पूरे मूल्य की समझ की टेक्नोलोजी उस हद तक नहीं पहुंची थी, जहां तक कि 90 के दशक में पहुंच चुकी है। इसलिए हम बहुत बड़ा प्रयास कर रहे हैं कि जो फ्लेयरिंग हो रही है, उसको हम कम करें और मैंने इस सिलसिले में अभी कुछ जानकारियां दीं। मैंने साथ–साथ यह भी कहा, मुझे भी खेद है कि ओ.एन.जी.सी. का जो गैस फ्लेयरिंग का परसेंटेज है, वह बढ़ता गया है, लेकिन उसको कम करने के लिए जो दो अहम कदम उठाये जा सकते हैं, उसकी भी मैंने अभी–अभी आपको जानकारी दी है।

[अनुवाद]

प्रो. बसुदेव बर्मन : महोदय, प्राकृतिक गैस या किसी अन्य प्राकृतिक ईंधन जैसे – पेट्रोलियम, कोयला या लिग्नाइट आदि का कोई विकल्प नहीं है क्योंकि ये पुनःप्रयोज्य नहीं होते। हम एक ऐसे युग में हैं जहां ईंधन हमारी जरूरत के मुताबिक नहीं मिल पा रहा है। पिछले चार दशकों में ईंधन की लागत अंधाधुंध तरीके से बढ़ी है। हमें एल.पी.जी. और सी.एन.जी. सहित काफी मात्रा में कच्चे तेल और पेट्रोलियम उत्पाद का आयात करना पड़ता है जिस पर बहुमूल्य विदेशी मुद्रा का बड़ा अंश व्यय होता है; और यह व्यय हर साल बढ़ता जा रहा है जिससे हमारी अर्थव्यवस्था काफी हद तक प्रभावित हो रही है। प्राकृतिक गैस के दहन की बात तो अब सोचना भी मुश्किल है, उसे रोका जाना चाहिए।

मैं माननीय मंत्री जी से यह जानकारी देने का अनुरोध करूंगा कि क्या सरकार असम में ओ.एन.जी.सी. और ऑयल

इंडिया लिमिटेड का एकीकृत रूप से एक साझा नेटवर्क रखकर, उनकी क्षमता का उपयोग करते हुए एल.एन.जी. या सी.एन.जी. के उत्पादन के लिए एक संयंत्र स्थापित करने पर विचार कर रही है ताकि यह मूल्यवान कच्ची सामग्री बेकार न हो।

श्री मणि शंकर अय्यर : मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि हमने स्वतः स्फूर्त गैस तथा उसके उत्पादक–क्षेत्रों – जो छोटी, पृथक, सीमांत और कभी–कभी विचित्र स्थिति में मिल जाते हैं – को संपृक्त कर दिया है। अब हम तेजी से वह करने की कोशिश कर रहे हैं कि गैस का दहन कम से कम हो। उदाहरण के बतौर, ओ.एन.जी.सी. न केवल देश भर में कई जगहों पर गैस के दहन का प्रतिशत शून्य तक ले आया है बल्कि इसका राष्ट्रीय औसत भी घटकर तीन प्रतिशत से थोड़ा ही अधिक बचा है। अभी एक मिनट पहले ही मैं कह रहा था कि पिछले साल असम में ओ.एन.जी.सी. अपने पास उपलब्ध गैस की मात्रा का 14 प्रतिशत भाग दहन कर रहा था। इसलिए उसमें सुधार की गुंजाइश दिखती है। हम यह सुधार करने की कोशिश कर रहे हैं, परंतु मुझे नहीं लगता कि उसका हल एल.एन.जी. संयंत्र स्थापित करने में है, क्योंकि यह इस बात पर निर्भर करेगा कि क्या गैस की पूरी की पूरी मात्रा जल रही है या बच रही है; और यदि बच रही है तो भी क्या उससे संयंत्र चलाने योग्य गैस मिल भी पा रही है या नहीं। हम यह कर सकते हैं कि इसका उपयोग अलग–अलग तरीके से करें जिसके लिए इसे उपलब्ध कराया जा सकता है। हमारी पहली मांग तो यह है कि असम गैस कम्पनी ने हमसे जनवरी, 2004 में 30,000 घनमीटर गैस लेने का जो वायदा किया था उसे वह निभाए। हम इसे बेचने के लिए आतुर हैं और असम में उसकी आवश्यकता भी है। लेकिन मूल समझौते की शर्तों के अनुसार क्रेता द्वारा यह गैस खरीदी ही नहीं जा रही है ... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न सं. 426 – श्री थावरचंद गेहलोत। अनुपस्थित।

श्री कृष्ण मुरारी मोघे।

मेरे विचार से प्रश्न सं. 427 को भी इसके साथ ही जोड़ दिया जाए। क्योंकि वह भी हरित विमानपत्तनों के बारे में है।

श्री सुबोध मोहिते – अनुपस्थित।

श्री बालसोवरी वल्लभनेनी।

अब मैं पूरक प्रश्नों पर आता हूं।

[हिन्दी]

विमानपत्तनों के विकास हेतु भूमि अर्जन

*426. **श्री कृष्ण मुरारी मोघे :**

श्री थावरचन्द गेहलोत :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) वर्ष 2000 से आज की तारीख तक विमानपत्तनों के विस्तार और विकास हेतु केन्द्र सरकार ने किन–किन राज्य सरकारों से उनके राज्य में भूमि आबंटित करने की मांग की है;

(ख) उन राज्यों का ब्यौरा क्या है जिन्होंने मांग के अनुसार भूमि उपलब्ध करा दी है;

(ग) भूमि किन–किन तारीखें को उपलब्ध कराई गई और तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) उक्त अवधि के दौरान केन्द्र सरकार द्वारा विमानपत्तनों का विस्तार और विकास कार्य किन–किन स्थानों पर किया गया और उन पर स्थान–वार कितनी धनराशि खर्च की गई; और

(ङ) सरकार का देश में किन स्थानों पर विमानपत्तन बनाने का विचार है और वहां पर जिस प्रकार के नए विमानपत्तन बनाये जाने का प्रस्ताव है उसका राज्य–वार ब्यौरा क्या है?

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) वर्ष 2000 से भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (भा.वि.प्रा) द्वारा आसाम, पश्चिम बंगाल, बिहार, छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश, गुजरात, महाराष्ट्र, गोवा, आंध्र प्रदेश, केरल, तमिलनाडु, पंजाब, हिमाचल प्रदेश, उत्तरांचल तथा राजस्थान राज्य सरकारों से उनके अपने–अपने राज्यों में हवाई अड्डों के विकास कार्य हेतु भूमि उपलब्ध कराने का अनुरोध किया गया है।

(ख) और (ग) जिन राज्य सरकारों ने मांग के अनुसार भूमि उपलब्ध कराई है उनका ब्यौरा तथा भूमि सुपुर्दगी का वर्ष निम्न

प्रकार से है: आसाम – सिल्चर (2000), डिब्रूगढ़ (2002), लीलाबाड़ी (2000, 2003, 2004), पश्चिम बंगाल – बागडोगरा (2005), बरहमपुर (2000–2003) बिहार – पटना (2002, 2004), छत्तीसगढ़ – रायपुर (2005), गोवा (2005), मध्य प्रदेश – जबलपुर (2002), खजुराहो (2003), आंध्र प्रदेश – तिरुपति (2003, 2005), विशाखापत्तनम (2002), केरल – कालीकट (2002, 2004, 2005), पंजाब – पठानकोट (2001), अमृतसर (2001), हिमाचल प्रदेश – गगल (2002), भुंतार (2002), उत्तरांचल – देहरादून (2003, 2004), राजस्थान – उदयपुर (2005), जयपुर (2002), जैसलमेर (2003)।

(घ) उन स्थलों का ब्यौरा जहां भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा सन् 2000 से विकास कार्य किए गए हैं तथा उन पर व्यय होने वाली राशि (करोड़ रु. में) स्थल अनुसार निम्न प्रकार से है: बंगलौर (41.11), हैदराबाद (93.02) बागडोगरा (25.70), सिल्चर (33.40), इम्फाल (2.53), जबलपुर (22.81), कालीकट (302.31), लीलाबाड़ी (34.50), गुवाहाटी (56.96), तेजपुर (22.00), जोरहाट (1.10), अहमदाबाद (70.87), पोरबंदर (7.72), वड़ोदरा (2.07), कारगिल (37.00), जम्मू (26.05), गया (61.01), चेन्नई (23.04), भुवनेश्वर (28.90), कांगड़ा (5.20), वाराणसी (2.72), भावनगर (11.95), अगरतला (33.99), शिमला (2.28), मदुरै (36.78), कोयम्बतूर (21.00) पठानकोट (17.11), नागपुर (9.97), जयपुर (4.92), इंदौर (1.93), दीमापुर (10.27), राजामुंदरी (8.86), लखनऊ (17.25), त्रिची (25.93), अमृतसर (35.00), विशाखापत्तनम (159.00), सूरत (35.34), खजुराहो (21.78), मंगलौर (55.26), हुबली (15.00), बेलगाम (15.00), श्रीनगर (77.50), अगाती (5.50)।

(ङ) सरकार द्वारा बंगलौर तथा हैदराबाद में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों को स्थापित करने हेतु संबंधित राज्य सरकारों के प्रस्तावों को अनुमति प्रदान की गई है। सैद्धांतिक रूप से गोवा के मोपा में भी ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण हेतु अनुमोदन प्रदान कर दिया गया है। इसके अतिरिक्त, विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है, जिसमें अन्य बातों के अलावा केरल के कन्नूर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा, पुणे के चकन में, पंजाब में लाडोवाल तथा महाराष्ट्र में नवी मुम्बई सम्मिलित हैं। वर्तमान में ये प्रस्ताव आरंभिक अवस्था में हैं।

हरित क्षेत्र विमानपत्तनों का निर्माण

*427. **श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :**

श्री सुबोध मोहिते :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हरित क्षेत्र विमानपत्तनों के विकास हेतु कोई पृथक कोष स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) देश में हरित क्षेत्र विमानपत्तनों के निर्माण हेतु सरकार के विचारार्थ प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है;

(घ) प्रत्येक विमानपत्तन की अनुमानित लागत कितनी है;

(ङ) इस प्रयोजनार्थ आबंटित की गई/की जाने वाली धनराशि कितनी है; और

(च) इन विमानपत्तनों का निर्माण कार्य कब तक आरंभ होने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (च) एक विवरण सदन के पटल पर रखा गया है।

विवरण

(क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) से (च) सरकार ने बंगलौर और हैदराबाद में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों की स्थापना के लिए संबंधित राज्य सरकारों के प्रस्ताव का अनुमोदन कर दिया है। गोवा में मोपा में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डे के निर्माण के लिए सिद्धांत रूप से अनुमोदन दे दिया है। बंगलौर और हैदरबाद में निर्माण का कार्य आरंभ हो चुका है। इसके अतिरिक्त, बहुत सी राज्य सरकारों ने ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण का प्रस्ताव किया है जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ केरल में कन्नूर, पुणे में चकन, पंजाब में लाडोवाल तथा महाराष्ट्र में नवी मुम्बई में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों का निर्माण सम्मिलित है। इस समय ये प्रस्ताव अपनी प्रारंभिक अवस्था में हैं।

श्री कृष्णा मुरारी मोघे : अध्यक्ष जी, मैं आपके माध्यम से

माननीय मंत्री जी से जानना चाहता था कि वर्ष 2000 से आज तक विमानपत्तनों के विस्तार और विकास हेतु कितनी राज्य सरकारों से भूमि की मांग की गयी थी और वह भूमि किस विस्तार कार्य के लिए, किस तारीख तक प्राप्त हुई। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप प्रश्न पूछिए।

श्री कृष्णा मुरारी मोघे : महोदय, जो लिखित उत्तर आया है, उसमें लगभग 20–22 स्थानों से यह मांग की गयी थी और इसमें अधिकतम प्रस्ताव 2000–01 और 2003 तक हैं। जैसा अभी माननीय मंत्री जी ने स्वयं स्वीकार किया कि प्रतिस्पर्धा के इस युग में उनके विस्तार और विकास की अत्यंत आवश्यकता है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या मंत्रालय इस बात का निश्चय कर सकता है कि समय के अंदर वे इस कार्य को पूरा कर लेंगे?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : माननीय अध्यक्ष महोदय, जहां तक भूमि–अर्जन का संबंध है, यह प्रश्न राज्य सरकार के दायरे में है। हम अपने विभिन्न हवाई अड्डों के विस्तार या विकास के लिए अधिक भूमि की मांग करते रहते हैं। वास्तव में ऐसा हरेक मुद्दा राज्य सरकारों के दायरे में है। मैं यहां यह भी कहना चाहूंगा कि कुछ राज्य सरकारें समय–समय पर हमें भूमि उपलब्ध कराती भी रही हैं। परंतु, पुनश्च, मैं सदस्यों से यह भी कहना चाहूंगा कि हम सब सार्वजनिक जीवन में होने के नाते इस तथ्य से अवगत हैं कि भूमि–अर्जन की प्रक्रिया अक्सर धीमी और कठिन होती है। यदि माननीय सदस्य की कोई विशेष मांग है तो वह उससे मुझे अवगत कराएं। मैं समस्या के शीघ्र हल के लिए संबंधित राज्य सरकार से व्यक्तिगत तौर पर बात करूंगा।

श्री कृष्ण मुरारी मोघे : अध्यक्ष जी, मेरा दूसरा प्रश्न है कि विभिन्न राज्य सरकारों द्वारा ग्रीन फील्ड हवाई अड्डों के निर्माण का प्रस्ताव प्रस्तुत किया गया है। इस उत्तर में मात्र 3 स्थानों का उल्लेख है। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि क्या इसके अतिरिक्त भी प्रस्ताव आपके पास हैं, यदि हैं, तो वे कौन से हैं?

[अनुवाद]

श्री प्रफुल पटेल : हरित विमानपत्तनों का निर्माण एक नयी बात है। मैं कल ही चर्चा के दौरान सदन में कहा था कि प्रथम हरित विमानपत्तन कोच्चि में निर्मित किया गया था। इसके पश्चात्, नए विमानपत्तन बनाने की नीति के बतौर, हमने हरित विमानपत्तनों की बात शुरू की क्योंकि हमारे कुछ पुराने विमानपत्तनों के विस्तार की जगह ही नहीं बची थी। कभी–कभी उन शहरों को भविष्य की जरूरतों के लिए बड़े हवाई–अड्डे की आवश्यकता होती है। इसलिए, जैसा कि मैंने पहले कहा, हमने 'ग्रीनफील्ड' हवाई अड्डों की यह नीति शुरू की है। हैदराबाद और बंगलौर, इन दो हवाई अड्डों का निर्माण इस नीति के अन्तर्गत वर्तमान में कराया जा रहा है। जैसा कि मैंने उत्तर में कहा है कि प्रस्तावित नए 'ग्रीनफील्ड' हवाई अड्डों का विवरण निम्नलिखित है – पुणे के चाकन में, महाराष्ट्र के नवी मुम्बई में, पंजाब के लाडोवाल में, केरल के कन्नूर में और गोवा के मोपा में ...*(व्यवधान)*। ये नए प्रस्ताव प्राप्त हो चुके हैं लेकिन प्रक्रिया अभी भी पूरी नहीं हुई है। यह अभी प्रारंभिक चरण में है। हालांकि, यदि भविष्य में राज्य सरकारों से कुछ प्रस्ताव प्राप्त होते हैं तो हम उन पर यथोचित रूप से विचार करेंगे।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : अध्यक्ष महोदय, इस बात से कोई इन्कार नहीं कर सकता कि जहां तक देश में ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की उपस्थिति की बात है तो हम लोग थाईलैंड आदि जैसे छोटे देशों से भी बहुत पीछे हैं। सबसे ज्यादा दुर्भाग्यपूर्ण बात तो यह है कि हाल ही में मुंबई, चेन्नई और हैदराबाद में विशाखापत्तनम जैसे महानगर भी बाढ़ की चपेट में आ गये और विशेष रूप से विशाखापत्तनम हवाई अड्डा करीब 15 दिनों तक बंद रहा।

अध्यक्ष महोदय : कृपया प्रश्न पूछिए। जानकारी मत दीजिए। हम आशा करते हैं कि अनुपूरक प्रश्न कैसे पूछा जाये, यह आप जानते हैं।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : महोदय, हैदराबाद और बंगलौर में ग्रीनफील्ड हवाईअड्डों के निर्माण के लिए वित्तपोषण किस प्रकार किया जायेगा?

अध्यक्ष महोदय : यह प्रश्न अच्छा और बेहतर है।

श्री प्रफुल पटेल : हैदराबाद और बंगलौर में नीति के अनुसार ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों का संवर्द्धन मूलतः राज्य सरकारों द्वारा किया जाता है जहां नीति के अनुसार तकनीकी रूप से

100 प्रतिशत तक निजी निवेश या प्रत्यक्ष विदेशी निवेश करना संभव है। हालांकि, महोदय, यह आशा की जाती है कि निविदा प्रक्रिया वैश्विक निविदा प्रक्रिया होगी जहां जमीन राज्य सरकार द्वारा उपलब्ध करायी जा सकती है। ये सभी विभिन्न मॉडल है। इसलिए, आगे कार्यवाही कैसे की जाये, इसका कोई निश्चित नियम नहीं है। लेकिन यदि माननीय सदस्य हैदराबाद और बंगलौर के मॉडल के बारे में जानना चाहते हैं तो वे निविदा प्रक्रिया पर नजर डालें। जमीन उपलब्ध करायी गयी, उसमें राज्य के सहयोग का भी ध्यान रखा गया और संबंधित राज्यों की सरकारों और विमानपत्तन प्राधिकरण की हिस्सेदारी संयुक्त रूप से 26 प्रतिशत है (प्रत्येक की 13 प्रतिशत) और शेष 74 प्रतिशत हिस्सेदारी निविदा देने वाले और इन परियोजनाओं को हासिल करनेवाले संघ की है। यदि माननीय सदस्य ग्रीनफील्ड हवाई अड्डों की नीति से संबंधित कोई और जानकारी चाहते हैं तो मुझे जानकारी उपलब्ध कराने में बहुत खुशी होगी।

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : महोदय, मंत्री जी ने अपने उत्तर में कहा है कि बंगलौर और हैदराबाद हवाई अड्डे निर्माणा-धीन हैं। क्या हैदराबाद अन्तर्राष्ट्रीय हवाईअड्डा, जिसे राजीव गांधी अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा कहा जाता है, को पूरा करने के लिए कोई समय-सीमा निर्धारित की गई है?

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, मैं माननीय सदस्यों को यह आश्वासन दे सकता हूं कि हैदराबाद और बंगलौर, दोनों हवाई अड्डों पर निर्माणकार्य बहुत तेजी से चल रहा है। 05 जुलाई, 2004 को भारत सरकार और बंगलौर अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के बीच हुए समझौते के अनुसार यह परियोजना वित्तीय-लेखा बंदी की तिथि के 33 माह के भीतर पूरी हो जायेगी। वित्तीय लेखा-बंदी 23 जून, 2005 को हासिल की गयी थी। हैदराबाद के मामले में वित्तीय लेखा-बंदी 22 अगस्त, 2005 को हासिल की गयी थी और यह परियोजना वित्तीय लेखा-बंदी की तिथि के 36 माह के भीतर पूरी कर ली जायेगी। हमें उपलब्ध जानकारी और की गई निगरानी के अनुसार दोनों परियोजनाओं की प्रगति समयानुकूल है।

अध्यक्ष महोदय : अब, नए सदस्य श्री पी. रविन्दन बोलेंगे।

श्री पन्नियन रविन्द्रन : त्रिवेन्द्रम हवाई अड्डे के आधुनिकीकरण की आपकी क्या योजना है?

अध्यक्ष महोदय : त्रिवेन्द्रम हवाईअड्डा! यह तो ग्रीनफील्ड हवाईअड्डा नहीं है।

श्री प्रफुल पटेल : हालांकि यह प्रश्न इससे संबंधित नहीं है लेकिन मैंने एक अन्य दिन इसका उत्तर दिया है और मैं सदस्य की जानकारी के लिए सिर्फ इतना बताना चाहता हूं कि राज्य सरकार से जमीन हासिल करने का यह एक छोटा सा मुद्दा है। मेरे विचार से यह भी सही दिशा में प्रगति कर रहा है और करीब 256 करोड़ रुपये की लागत से त्रिवेन्द्रम अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे के पहले चरण और दूसरे चरण का निर्माण कार्य वर्ष 2006 में ही आरंभ होने की संभावना है।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। मैं आपके सजग प्रश्न के लिए आपको बधाई देता हूं।

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक : अध्यक्ष महोदय, मेरा प्रश्न सं. 426 से संबंधित है। प्रश्न 426 के भाग 'डी' के अंतर्गत देश के लगभग 43 एयरपोर्ट्स के एक्सपैंशन और अपग्रेडेशन के बारे में सरकार द्वारा सन् 2000 से आज तक जितनी धनराशि खर्च की गयी है, उसका ब्यौरा दिया गया है। मुझे जानकार खुशी है कि काफी काम एनडीए सरकार में हुआ है और यूपीए सरकार में भी हो रहा है। इसमें अहमदाबाद और गुजरात के बाकी भी एयरपोर्ट्स हैं, मगर मैं अहमदाबाद के सरदार वल्लभ भाई पटेल एयरपोर्ट पर ही सीमित रहूंगा, जहां अभी तक 70.87 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं। जहां तक मेरी जानकारी है, माननीय मंत्री जी उसमें खुद बहुत इंटरेस्ट ले रहे हैं और उसमें सरदार वल्लभ भाई पटेल का नाम जुड़ा हुआ है, इसलिए उस शहर के एयरपोर्ट को सिंगापुर का एयरपोर्ट बनाने जा रहे हैं। मैं मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि अब आप टोटल कितना एमाउंट खर्च करने जा रहे हैं, क्योंकि

[अनुवाद]

इससे इस हवाई अड्डे पर किया जाने वाला खर्च बढ़ जायेगा। संपूर्ण परियोजना कब तक पूरी कर ली जायेगी? मैं यह इसलिए पूछ रहा हूं कि पूर्व निर्धारित कार्यक्रम के अनुसार इसे 2006 में पूरा किया जाना था। अब मंत्री महोदय ने इसका डिजाइन परिवर्तित कर दिया है और मुझे खुशी है कि मंत्री जी इसे सिंगापुर हवाई अड्डे जैसा बनाने जा रहे हैं। मैं उनसे यह

जानना चाहूंगा कि इस परियोजना की पूरी लागत क्या होगी और इसे कब तक पूरा कर लिया जाएगा।

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, माननीय सदस्य स्थिति से पूरी तरह अवगत हैं और इसके बावजूद उन्होंने यह प्रश्न पूछा है। वह कुछ दिन पूर्व अहमदाबाद में एक घरेलू टर्मिनल का शुभारंभ करने के लिए अहमदाबाद हवाई अड्डे पर मेरे साथ थे। जो भी हो, वह इसे रिकार्ड में दर्ज कराना चाहते हैं जिसका संदर्भ वे अहमदाबाद में देना चाहेंगे। फिर भी मैंने उन्हें अहमदाबाद में पहले ही से अधिकृत किया था, इसलिए यह कोई समस्या नहीं है। तथ्य यह है कि मैं इस हवाई अड्डे के संबंध में उनकी चिंता की सराहना करता हूं। मैंने पहले ही कहा है कि देश के चारों महानगरों के बाद अहमदाबाद देश के सबसे अच्छे हवाईअड्डों में से एक है। मैं अहमदाबाद के लिए पूर्वनियोजित निर्माण कार्यक्रम से संतुष्ट नहीं था और अब हमारे पास सरदार वल्लभभाई हवाईअड्डे के नए अंतर्राष्ट्रीय टर्मिनल के लिए नया विश्वस्तरीय डिजाइन है। चूंकि इसकी लागत भारतीय प्राधिकरण की अनुमोदन क्षमता से ज्यादा हो गई थी, इसलिए हम इस परियोजना को परियोजना निवेश बोर्ड के पास ले गए। निर्माण कार्य का पूर्व परियोजना निवेश बोर्ड (प.नि.बो.) अंश पूरा हो चुका है और कार्य का प.नि.बो. अंश जनवरी या फरवरी 2006 तक पूरा हो जाने की आशा है। इसके तुरंत बाद मैं वहां देखूंगा कि कार्य 2006 की पहली छमाही में ही शुरू हो जाए।

अध्यक्ष महोदय : हां, वह आपकी गर्दन पर सवार रहेंगे।

श्री पवन कुमार बंसल : अध्यक्ष महोदय, यद्यपि इस बात को मान लेने के लिए मेरे पास कारण हैं कि चंडीगढ़ हवाई अड्डे का विस्तार और विकास माननीय मंत्री जी के सक्रिय विचाराधीन है, फिर भी प्रश्न सं. 426 के उत्तर में मैंने चंडीगढ़ का उल्लेख नहीं पाया। मैं समझता हूं कि इस शहर के महत्व को ध्यान में रखते हुए वर्तमान टर्मिनल के विस्तार और नया टर्मिनल बनाने के लिए अधिक भूमि हासिल करने का प्रस्ताव भी रखा गया है। शायद फिर रिकार्ड के लिए ही मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि वे इस संबंध में क्या कर रहे हैं।

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, जैसा कि माननीय सदस्य जानते हैं कि चंडीगढ़ रक्षा क्षेत्र है। हालांकि वहां असैनिक क्षेत्र भी है। माननीय सदस्य ने परसों ही बहस में इस बारे में कहा था पर उन्होंने मेरे उत्तर का इंतजार नहीं किया।

अध्यक्ष महोदय : वह मेरे द्वारा दिए गए काम को निपटाने में व्यस्त थे।

श्री प्रफुल पटेल : मेरा उत्तर बहुत व्यापक था जिसमें मैंने चंडीगढ़ हवाई अड्डे से संबंधित परियोजना के बारे में बताया था। मैं उन्हें कुछ दिनों में लिखित रूप में उसका विवरण दे दूंगा। इस समय मेरे पास वह जानकारी उपलब्ध है और इसलिए मैं इसे अभी पढ़ सकता हूं। चंडीगढ़ हवाई अड्डे के भवन और एप्रन के विस्तार के लिए 60 करोड़ रुपये आवंटित किए गए हैं जो कि मैं समझता हूं कि उस असैनिक क्षेत्र के लिए अच्छी खासी राशि है जहां वायु सेना पहले से ही फील्ड का संचालन कर रहा है और हम बहुत कम समय में ही उस राशि को खर्च करने जा रहे हैं।

अध्यक्ष महोदय : लेकिन आपको कोलकाता का भी ध्यान रखना होगा।

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, मैंने एक दिन कोलकाता का भी उल्लेख किया था। दुर्भाग्यवश उस दिन आप अध्यक्ष आसन पर नहीं बैठे थे।

अध्यक्ष महोदय : श्रीमती एम.एस.के. भवानी राजेन्तीरन – उपस्थित नहीं हैं।

श्री हितेन बर्मन : अध्यक्ष महोदय, बागडोगरा हवाई अड्डा पूर्वी क्षेत्र का और साथ ही साथ हमारे पड़ोसी देशों यथा, भूटान, नेपाल और बांग्लादेश का भी प्रवेश द्वार है। पश्चिम बंगाल सरकार ने बागडोगरा हवाई अड्डे के विस्तार और विकास के लिए अपेक्षित भूमि पहले ही सौंप दी है। सरकार 25.7 करोड़ रुपये खर्च कर चुकी है। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि क्या सरकार के पास बागडोगरा हवाई अड्डे को अन्तर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा बनाने का कोई प्रस्ताव है। मैं यह भी जानना चाहता हूं कि सरकार मेरे निर्वाचन क्षेत्र में कूचबिहार हवाई अड्डा कब शुरू करेगी।

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, प्रश्नकाल से पूर्व माननीय सदस्य से मेरी मुलाकात हुई थी। मैंने उन्हें आश्वासन दिया है कि कूचबिहार हवाई अड्डे पर काम चल रहा है और मेरे विचार से यह 2006 में ही पूरा हो जाना चाहिए। उत्तरी बंगाल के लोगों के लिए यह बहुत अच्छा होगा।

श्री सानछुमा खुंगुर बैसीमुथियारी : बोडोलैंड क्षेत्र के बारे में आपका क्या कहना है?

श्री प्रफुल पटेल : एक मिनट रुकिए।

मध्याह्न 12.00 बजे

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, जहां तक बागडोगरा का संबंध है, माननीय सदस्य भी यह जानते हैं कि बागडोगरा केवल पूर्वोत्तर के लिए ही नहीं बल्कि भूटान जैसे पड़ोसी देशों के लिए भी एक गेटवे का काम करता है और प्रिय दा भी यहीं से घर जाते हैं। हम इस पर अवश्य काम करेंगे। मैं माननीय सदस्य को यह आश्वस्त करना चाहता हूं कि विस्तार और विकास के लिए बागडोगरा हमारी योजना में निश्चित तौर पर शामिल हैं।

***श्रीमती परमजीत कौर गुलशन :** धन्यवाद, महोदय। महोदय, पंजाब के मालवा क्षेत्र में कोई हवाई अड्डा नहीं है। भटिंडा में सेना मुख्यालय है। कैंसर पीड़ित मरीजों को उपचार के लिए दूर–दूर तक जाना पड़ता है। वहां पर दो बड़े थर्मल प्लांट और एक राष्ट्रीय उर्वरक संयंत्र है। यह सबसे बड़ा कपास क्षेत्र है। यदि किसी को आपात स्थिति में हवाई यात्रा करनी पड़ जाती है तो उसे या तो 250–300 कि.मी. दूर चंडीगढ़ जाना पड़ता है या लगभग 300 कि.मी. दूर अमृतसर, जहां पर हवाई अड्डे हैं। भटिंडा से लगभग 35 कि.मी. पर सेना का हवाई अड्डा है। यदि सेना के हवाई अड्डे से साधारण उड़ानें शुरू की जाएं तो उस क्षेत्र के लोगों का बहुत भला होगा। इसलिए, मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहती हूं कि क्या वह इस प्रस्ताव पर विचार करेंगे?

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, मैं पंजाबी समझ लेता हूं इसलिए मैं जवाब दे सकता हूं।

अध्यक्ष महोदय : अनुवाद भी मौजूद है।

श्री प्रफुल पटेल : महोदय, इन सब मुद्दों पर विचार किए जाने की संभावना है। किन्तु, इस समय मेरे पास खास तौर से भटिंडा के बारे में कोई स्पष्ट जानकारी नहीं है। लेकिन हम जालंधर और लुधियाना के बीच लाडोवाल में एक हरित क्षेत्र के बारे में विचार कर रहे हैं। हम पंजाब के टी नगर पठानकोट स्थित हवाई अड्डे को भी चालू करने पर विचार कर रहे हैं। इस प्रकार हम सभी संभावनाओं की जांच करेंगे। किन्तु, अभी, इस समय मेरे पास भटिंडा के बारे में कोई सटीक जानकारी नहीं है।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, देवी जी, भटिंडा में बन रही एच पी सी एल की विशाल रिफाइनरी का उल्लेख करना भूल गई हैं।

प्रश्नों के लिखित उत्तर

[अनुवाद]

लड़कियों को एन.सी.सी. प्रशिक्षण

***422. श्री अर्जुन सेठी :** क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन सी सी) में लड़कियों के लिए कोई कोटा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार पूरे देश में एन सी सी में लड़कियों के प्रशिक्षण कोटे और इसके लिए आबंटित धनराशि में वृद्धि करने पर विचार कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) ऐसे प्रशिक्षण के लिए केन्द्र सरकार और राज्य सरकारों द्वारा व्यय पर कितने–कितने प्रतिशत हिस्सा दिया जा रहा है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) राष्ट्रीय कैडेट कोर (एन सी सी) में बालिका–कैडेटों के लिए कोई कोटा नहीं है। तथापि, एन सी सी द्वारा बालिका–कैडेटों की भर्ती को बढ़ावा देने के प्रयास किए जा रहे हैं।

एन सी सी के कार्यकलापों के लिए धन मुहैया कराना केन्द्र तथा राज्य सरकारों की संयुक्त जिम्मेदारी है। इस समय संस्थागत प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय को संबंधित राज्य सरकार वहन करती है तथा कैंप प्रशिक्षण पर होने वाले व्यय को केन्द्र तथा

---

* मूलतः पंजाबी में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

राज्य बराबर–बराबर वहन करते हैं। हाल ही में हुए संयुक्त राज्य प्रतिनिधियों तथा उप महानिदेशकों के सम्मेलन में, एन सी सी प्रशिक्षण के लिए केन्द्र सरकार के हिस्से को बढ़ाने की सिफारिश की गई है।

[हिन्दी]

सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों का बाजार हिस्सा

***428. श्री मित्रसेन यादव :**

श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियां केरोसिन और नाफ्था के अपमिश्रण की वजह से अपनी विश्वसनीयता और बाजार हिस्सा खोती जा रही है;

(ख) यदि हां, तो 1 नवम्बर, 2005 की स्थिति के अनुसार घरेलू बाजार में डीजल, पेट्रोल, रसोई गैस, केरोसिन सहित सभी पेट्रोलियम उत्पादों में उनकी हिस्सेदारी कितने प्रतिशत है और निजी कंपनियों ने बाजार के कितने प्रतिशत हिस्से पर कब्जा किया है;

(ग) ग्रामीण क्षेत्रों में और राष्ट्रीय राजमार्गों पर पेट्रोल पंप/गैस एजेंसियों को खोलने के लिए सरकारी और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों हेतु सरकार ने दूरी संबंधी क्या मानदंड निर्धारित किये हैं;

(घ) क्या सरकार को निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा निर्धारित मानदंडों के उल्लंघन संबंधी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार ने क्या कार्रवाई की है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जबकि पेट्रोल/डीजल के मूल्य में अत्याधिक अंतर और बाजार में उपलब्ध विविध अपमिश्रकों और पेट्रोल/डीजल में इन उत्पादों के आसानी से मिल जाने के कारण कुछ बेईमान तत्वों द्वारा पेट्रोल/डीजल में मिलावट करने की संभावना नकारी नहीं जा सकती, इसका यह अर्थ नहीं लगाया जा सकता है कि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) मिलावट के कारण बाजार में अपनी विश्वसनीयता और हिस्सा खो रही हैं।

सरकार ने 8.3.2002 के सरकारी संकल्प के अनुसार नई कंपनियों को परिवहन ईंधन का विपणन करने के अधिकार प्रदान किए हैं। इन कंपनियों ने खुदरा बिक्री केन्द्रों को चालू करना आरंभ कर दिया है और इन खुदरा बिक्री केन्द्रों पर बिक्री मुख्य रूप से ओएमसीज के विद्यमान बिक्री केन्द्रों की बिक्री में कटौती से हो रही है।

अप्रैल–अक्टूबर 2005 की अवधि के दौरान डीजल, पेट्रोल, एलपीजी, मिट्टी तेल और सभी पेट्रोलियम उत्पादों के संबंध में ओएमसीज और निजी क्षेत्र की तेल कंपनियों का अनंतिम प्रतिशत बाजार हिस्सा निम्नानुसार था:

(आंकड़े % में)

उत्पाद	सार्वजनिक क्षेत्र की ओएमसीज	निजी क्षेत्र की तेल कंपनियां
डीजल	91.8	8.2
पेट्रोल	96.5	3.5
एलपीजी	96.6	3.4
मिट्टी तेल	100	0.0
सभी उत्पाद	83.4	16.6

(ग) 1.4.2002 से लागू प्रशासित मूल्य प्रणाली (यूपीएम) की समाप्ति की घोषणा के बाद से खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए कोई मात्रा दूरी मानक निर्धारित नहीं है। ओएमसीज स्वयं द्वारा तैयार विपणन योजनाओं के अनुसार संभाव्यता तथा आर्थिक व्यवहार्यता के आधार पर व्यवहार्यता अध्ययन करने के बाद खुदरा बिक्री केन्द्रों की स्थापना करती है। इसके अलावा, 8.3.2002 के संकल्प द्वारा सरकार द्वारा नई कंपनियों को परिवहन ईंधनों के विपणन के लिए अधिकार प्रदान करने के समय खुदरा बिक्री केन्द्रों की मात्रा, आकार और स्थान पर कोई सीमा निर्धारित नहीं की गई है। तथापि राष्ट्रीय राजमार्गों पर स्थापित किए जाने वाले खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए राष्ट्रीय राजमार्गों से खुदरा बिक्री केन्द्रों तक पहुंचने के लिए अनुमति सड़क परिवहन राजमार्ग

मंत्रालय (उत्तर) से प्राप्त करनी होती है। उन्होंने राष्ट्रीय राजमार्गों के पास खुदरा बिक्री केन्द्रों तक पहुंच के लिए मानक निर्धारित किए हैं जिन्हें अनुमति लेने के लिए पूरा करना होता है। इन मानकों के अनुसार दो ईंधन केन्द्रों के बीच न्यूनतम दूरी निम्नानुसार होगी:–

गैर-नगरीय (ग्रामीण) क्षेत्रों में समतल और ऊबड़-खाबड़ भू-भाग:-

(1)	अविभाजित परिवहन मार्ग (दोनों तरफ के परिवहन मार्ग के लिए)	300 मीटर
(2)	विभाजित परिवहन मार्ग (इस स्थान और विस्तार के मध्य बिना किसी अंतर के)	1000 मीटर

पर्वतीय/पहाड़ी भूभाग और नगरीय प्रसार

(1)	अविभाजित परिवहन मार्ग (दोनों तरफ के परिवहन मार्ग के लिए)	300 मीटर
(2)	विभाजित परिवहन मार्ग (इस स्थान और विस्तार के मध्य बिना किसी अंतर के)	300 मीटर

जहां तक घरेलू एलपीजी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का संबंध है, ओएमसीज ऐसी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों वाणिज्यिक बातों को ध्यान में रखकर खोलती हैं। तथापि एक नीतिगत मामले के रूप में सरकार ने ओएमसीज को अर्ध–शहरी/ग्रामीण क्षेत्रों में अपनी भविष्य की विस्तार योजनाओं पर ध्यान केन्द्रित करने की सलाह दी है।

(घ) जी नहीं।

(ङ) उपर्युक्त (घ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

रेलगाड़ियों में यात्री संख्या

*429. **श्री सुग्रीव सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अलग–अलग रेलगाड़ियों के यात्रियों की संख्या तथा उनसे अर्जित आय के आंकड़े रखता है;

(ख) यदि हां, तो वर्ष 2003–04 और वर्ष 2004–05 के दौरान उन रेलगाड़ियों की जोन–वार संख्या कितनी है जिनमें यात्रियों की संख्या कम रही;

(ग) इन रेलगाड़ियों में कम यात्रियों के होने के क्या कारण हैं;

(घ) रेलवे द्वारा इस संबंध में क्या उपचारात्मक उपाय किए गए हैं; और

(ङ) रेलवे द्वारा इन रेलगाड़ियों के परिचालन से इष्टतम लाभ प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) और (ख) भारतीय रेल पर प्रतिदिन चल रही लगभग 9000 यात्री रेलगाड़ियों में से लगभग 4000 ई एम यू गाड़ियों हैं जिनमें स्थान की उपलब्धता का एक निश्चित पैटर्न है अर्थात् व्यस्त समय के दौरान इनमें उपलब्ध स्थान की तुलना में यात्रियों की संख्या अधिक रहती है और गैर–व्यस्त अवधि के दौरान यात्रियों की संख्या कम होती है। लगभग 1500 मेल/एक्सप्रेस गाड़ियों के लगभग 10% से 15% गाड़ियों के आरक्षित सवारीडिब्बों में वार्षिक औसत आधार पर उपलब्ध स्थान का उपयोग कम (क्षमता से 30% नीचे) रहता है। शेष लगभग 3500 साधारण यात्री गाड़ियों में मुख्यतः अनारक्षित सवारीडिब्बों में साधारणतः उपलब्ध स्थान का उपयोग 30% से अधिक होता है।

(ग) लोकप्रिय तथा सुविधाजनक समय के लिहाज से तथा कम ठहराव के साथ चलने वाली गाड़ियां आमतौर पर अत्याधिक लोकप्रिय है और इसीलिए इन गाड़ियों में वर्ष भर प्रतीक्षा सूची लगभग बरकरार रहती है। बहरहाल, अन्य गाड़ियों में जिनमें ये विशेषताएं नहीं होती हैं, यात्रियों द्वारा विकल्प के तौर पर यात्रा की जाती है, इसलिए वे पूरी तरह से लोकप्रिय नहीं होती हैं। गाड़ियों का लोकप्रिय होना न होना व्यस्त तथा कम भीड़–भाड़ वाली अवधियों के अलावा उपर्युक्त विभिन्न कारकों पर निर्भर करता है। गाड़ियों के कम लोकप्रिय होने का दूसरा कारण कुछ क्षेत्रों जैसे राजमार्गों तथा एक्सप्रेस मार्गों पर सुविधाजनक तथा तीव्र सड़क नेटवर्क का होना भी है जिनका आजकल देश के विभिन्न भागों में तेजी से विकास हो रहा है जिससे निजी गाड़ियों, बसों तथा कई अन्य साधनों के उपयोग को प्रोत्साहन मिल रहा है।

(घ) और (ङ) कम लोकप्रिय गाड़ियों को लोकप्रिय बनाने के लिए किए जाने वाले विभिन्न उपाय निम्नलिखित हैं:–

(1) तेज रफ्तार वाली गाड़ियों को चलाना और मौजूदा गाड़ियों के चालन समय में कमी लाना।

(2) जहां तक संभव हो सके, गाड़ियों की समय–सूची को और अधिक सुविधाजनक बनाना।

(3) यात्री रूप रेखा प्रबंधन (पी पी एम) के जरिए गाड़ियों के प्रोफाइलों का अध्ययन करना ताकि आरक्षण कोटा के पुनर्वितरण, गाड़ियों के भार इत्यादि में संवर्धन/कमी जैसे क्षेत्रों में आवश्यक परिवर्तन किया जा सके।

(4) यात्रियों की विशिष्ट आवश्यकताओं को पूरा करने के लिए नई किस्म की गाड़ियों को चलाना।

(5) कम लोकप्रिय गाड़ियों को रद्द करना।

ओएनजीसी परियोजनाओं के लिए उन्नयन कार्यक्रम

***430. श्री उदय सिंह :** क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) अपनी विभिन्न परियोजनाओं के लिए एक बड़े उन्नयन कार्यक्रम की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) ओएनजीसी द्वारा अपनी विभिन्न परियोजनाओं के उन्नयन हेतु कुल कितना निवेश किया जाना है;

(घ) यह धनराशि किन स्रोतों से जुटाई जाएगी; और

(ङ) इस उन्नयन कार्य के कब तक पूर्ण होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) जी हां। विभिन्न अपतटीय परियोजनाएं नामतः प्लेटफार्म और पाइपलाइनों का लगभग 8583 करोड़ रुपए की अनुमानित लागत पर ओएनजीसी द्वारा उद्धार या उन्नयन किया जा रहा है/या किए जाने की योजना है।

ओएनजीसी ने लगभग 3883 करोड़ रुपए के अनुमानित निवेश पर फ्लोलाइनों, ट्रंक लाइनों, कम्प्रेसरों और गैस संग्रह केन्द्रों सहित कई जमीनी सतह सुविधाओं के उद्धार/उन्नयन के लिए भी कार्रवाई योजना तैयार की है।

इसके अलावा ओएनजीसी ने 2006–07 में भूकंपीय, वेल लॉगिंग, वर्क स्टेशनों और आईटी परियोजनाओं के उन्नयन के लिए लगभग 884 करोड़ रुपए का निवेश करने की योजनाएं बनाई हैं।

(घ) उद्धार/उन्नयन कार्यों के लिए वांछित निवेश की ओएनजीसी के स्वयं के स्रोतों से वित्तपोषण करने की योजना है।

(ङ) उपर्युक्त उन्नयन कार्य 2006–2010 के बीच पूरे करने का कार्यक्रम है।

[हिन्दी]

कल्याण योजनाओं का अनुवीक्षण

***431. श्री हरिकेवल प्रसाद :**

श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव :

क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मंत्रालय द्वारा कार्यान्वित कल्याण योजनाएं उचित अनुवीक्षण एवं समन्वय के अभावा में अपने निर्धारित लक्ष्य पूर्ण करने में सफल नहीं रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है;

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान इन योजनाओं के कार्यान्वयन में क्या खामियां पाई गईं; और

(ङ) इन खामियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं/किए जाने हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री (श्रीमती मीरा कुमार) : (क) से (घ) अनुसूचित जातियों, अन्य पिछड़े वर्गों, अल्पसंख्यकों, विकलांग व्यक्तियों, बेसहारा बच्चों, वृद्ध व्यक्तियों,

मद्यपान और नशीली दवाइयों के पीड़ित व्यक्तियों के विकास की कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन की समय–समय पर समीक्षा की जाती है। योजना आयोग द्वारा पिछले तीन वर्षों की और मौजूदा वर्ष में अर्धवार्षिक आधार पर सभी योजनाओं के तिमाही निष्पादन की समीक्षा की गई। निष्पादन समीक्षा एक सतत् प्रक्रिया है। स्वतंत्र एजेंसियों द्वारा भी योजनाओं का मूल्यांकन किया जाता है। पिछले तीन वर्ष में इस योजना के उचित कार्यान्वयन के विषय में फीडबैक प्राप्त करने के लिए समाज कल्याण के क्षेत्र में कार्यरत विश्वविद्यालयों, विभागों, अनुसंधान संस्थाओं, स्वैच्छिक संगठनों, व्यावसायिक संगमों जैसी स्वतंत्र एजेंसियों को 103 मूल्यांकन अध्ययन करने के लिए सहायता दी गई है।

(ङ) योजनाओं के कार्यान्वयन के अनुभवों, राज्य सरकारों, गैर–सरकारी संगठनों और योजना के लाभार्थियों से प्राप्त फीडबैक और अनुरोध के आधार पर इन योजनाओं को आवश्यकतानुसार संशोधित किया जाता है। उदाहरण के लिए, अनुसूचित जातियों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति, अस्वच्छ व्यवसाय में लगे व्यक्तियों के बच्चों के लिए मैट्रिक–पूर्व छात्रवृत्ति, राष्ट्रीय अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति समुद्रपारीय छात्रवृत्ति, सहायक यंत्रों और उपकरणों की खरीद के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना और दीनदयाल पुनर्वास योजना। मद्यपान और पदार्थ (नशीली दवा) दुरुपयोग निवारण योजना, योग्यता उन्नयन योजना और संरक्षण और देखभाल के जरूरतमंद बच्चों की सहायता–योजना संशोधित की जा रही हैं।

[अनुवाद]

खरीद प्रक्रिया जांच हेतु समिति

*432. **श्री किसनभाई वी. पटेल** : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रक्षा उपकरणों के अर्जन/खरीद प्रक्रिया की जांच करने हेतु किसी समिति का गठन किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस समिति ने सरकार को अपनी रिपोर्ट सौंप दी है;

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा स्वीकृत की गई सिफारिशों का ब्यौरा क्या है; और

(ङ) यदि नहीं, तो उक्त समिति द्वारा अपनी रिपोर्ट कब तक सौंपने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) सरकार ने 'खरीदो' तथा 'खरीदो और बनाओ' श्रेणियों सहित पूंजीगत अर्जन से संबंधित रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2002 (रूपांतर जून, 2003) की समीक्षा की तथा रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी.पी.पी.) 2005 को जारी किया। सरकार ने राजस्व–मदों के लिए रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डी.पी.एम.) 2005 भी जारी किया है। रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया (डी.पी.पी.) 2005 तथा रक्षा अधिप्राप्ति मैनुअल (डी.पी.एम.) 2005, दोनों, रक्षा मंत्रालय की वेबसाइट (डब्ल्यू.डब्ल्यू.डब्ल्यू.एम ओ डी.एन आई सी. आई एन) पर उपलब्ध हैं।

इसके अलावा सरकार ने, अन्य बातों के साथ–साथ, निम्नलिखित मुद्दों की जांच करने के लिए डा. विजय एल. केलकर की अध्यक्षता में एक समिति का गठन किया था:–

(i) मौजूदा प्रक्रिया तथा ऐसी मदों, जिन्हें आंतरिक रूप से अथवा 'प्रौद्योगिकी अंतरण' के माध्यम से विकसित किए जाने की जरूरत है, के लिए 'उत्पाद रणनीति' के आधार पर अर्जन प्रक्रिया में परिवर्तन के संबंध में सिफारिश करना।

(ii) सशस्त्र सेनाओं द्वारा अपेक्षित उत्पादों की अर्जन प्रक्रिया में प्रयोक्ता, रक्षा मंत्रालय और निजी तथा सार्वजनिक क्षेत्र, दोनों, में भारतीय उद्योग के एकीकरण के लिए कार्यविधियों की सिफारिश करना।

(iii) रक्षा निर्यात में वृद्धि करने तथा रक्षा अर्जन में ऑफसेट को शामिल करने, आदि के लिए आवश्यक परिवर्तनों के संबंध में सिफारिश करना।

समिति ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है।

[हिन्दी]

रेल पटरियों पर कामगारों की मौत

*433. **श्री हेमलाल मुर्मू** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे देश में रेल पटरियों पर काम करते समय गुजरती हुई रेलों से रेल कामगारों के टकरा जाने और उसके कारण उनकी मौत/घायल होने की बढ़ती हुई घटनाओं से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान मारे गए/घायल हुए कामगारों की जोन–वार संख्या कितनी है;

(ग) क्या रेलवे दुर्घटनाओं में मारे गए/घायल हुए कामगारों को कोई मुआवजा प्रदान करता है;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त अवधि के दौरान उन्हें कितना मुआवजा दिया गया;

(ङ) क्या रेलवे ने ऐसी दुर्घटनाओं के ठीक–ठीक कारणों का पता लगाने और इस मामले में रेलवे कर्मचारियों की जिम्मेदारी निर्धारित करने के लिए किसी जांच के भी आदेश दिए हैं;

(च) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष हैं और रेलवे द्वारा दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(छ) रेलवे द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) जी हां।

(ख) पिछले तीन वर्ष और चालू वर्ष प्रत्येक के दौरान मारे गए/घायल कामगारों की संख्या निम्नानुसार है:–

रेलवे	2002–03		2003–04		2004–05		2005–06 (नवम्बर, 05 तक)	
	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल	मारे गए	घायल
1	2	3	4	5	6	7	8	9
मध्य रेलवे	18	15	36	18	25	19	26	15
पूर्व रेलवे	16	0	19	0	13	0	11	0
पूर्व मध्य रेलवे	49	0	37	0	41	0	24	0
पूर्व तट रेलवे	16	1	8	0	16	0	15	0
उत्तर रेलवे	25	42	36	41	30	37	22	15
उत्तर मध्य रेलवे	23	41	22	24	23	22	26	30
पूर्वोत्तर रेलवे	3	8	8	2	6	1	1	0
पूर्वोत्तर सीमा रेलवे	8	0	11	0	16	0	10	0
उत्तर पश्चिम रेलवे	1	0	3	1	3	0	4	0
दक्षिण रेलवे	10	0	17	0	22	1	11	0
दक्षिण मध्य रेलवे	13	9	25	2	23	2	32	0
दक्षिण पूर्व रेलवे	10	3	12	9	6	1	6	0

1	2	3	4	5	6	7	8	9
दक्षिण पूर्व मध्य रेलवे	7	0	10	1	15	0	8	0
दक्षिण पश्चिम रेलवे	2	1	2	1	2	0	2	0
पश्चिम रेलवे	16	108	17	124	15	100	12	54
पश्चिम मध्य रेलवे	19	9	21	9	15	5	16	0
कुल	236	237	284	232	271	188	226	114

(ग) जी, हां।

(घ) भारतीय रेल पर पिछले तीन वर्ष और मौजूदा वर्ष में नवम्बर, 2005 तक मुआवजे के रूप में भुगतान की गई कुल धनराशि लगभग 25.94 करोड़ रुपये है।

(ङ) और (च) ऐसी दुर्घटनाएं आमतौर पर रेलपथ पर काम करने वाले कर्मचारियों के साथ होती हैं जो सामने से आने वाली गाड़ी के बारे में ठीक से अनुमान नहीं लगा पाते, इसलिए, आमतौर पर इस संबंध में किसी की जिम्मेदारी तय नहीं की जाती। बहरहाल, मुआवजे का भुगतान करने के लिए मामले की वास्तविकता का पता लगाने के लिए प्रत्येक मामले की जांच की जाती है।

(छ) ट्रैकमैनों को समुचित प्रशिक्षण दिया जाता है। ट्रैकमैनों के परिधान का डिजाइन लम्बी दूरी तक दृश्यता को ध्यान में रखते हुए किया जाता है। कम दृश्यता वाले स्थानों पर सीटी बोर्डों की व्यवस्था की जाती है ताकि ड्राइवर रेलपथ पर अथवा उसके नजदीक कार्य करने वाले कामगारों को सचेत कर सके।

[अनुवाद]

तेल कुंओं से तेल निकालना

*434. **श्री जोवाकिम बखला** : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उन्नत देशों के अधिकांश तेल क्षेत्रों की तुलना में विद्यमान तेल क्षेत्रों से तेल निकालने की दर बहुत कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) तेल निकालने की दर को बढ़ाने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) वेधन दर सब सर्फेस लिथोलाजी और फार्मेशन केरेक्टरिस्टिक्स पर निर्भर करती है जो विभिन्न क्षेत्रों के लिए पृथक-पृथक हैं। वेधन दरों संबंधी आंकड़े अंतर्राष्ट्रीय कंपनियों द्वारा प्रकाशित नहीं किए जाते हैं। पिछले तीन वर्षों में आयल एंड नेचुरल गैस कार्पोरेशन (ओएनजीसी) और आयल इंडिया लिमिटेड (ओआईएल) के लिए कूपों की औसत वेधन दर (वाणिज्यिक गति) निम्नानुसार थी:-

वर्ष	ओएनजीसी की वेधन दर (एम/आरएम)*	ओआईएल की वेधन दर (एम/आरएम)*
2002-03	1197	2207
2003-04	1247	2154
2004-05	1233	2252

*एम/आरएम: मीटर प्रति रिग माह

यह भी नोट किया जाये कि विभिन्न देशों और विभिन्न कंपनियों की तुलनात्मक वेधन दरों को अंतर्राष्ट्रीय जर्नलों में प्रकाशित नहीं किया जाता है।

(ग) वेधन दर बढ़ाने के लिए तेल कंपनियों द्वारा उठाए गए विभिन्न कदमों में निम्नलिखित शामिल हैं:

- प्रीमियम वेधन बिट्स का प्रयोग
- उच्च निष्पादन मड प्रणालियों का प्रयोग

* अत्याधुनिक रिगों का प्रयोग

* वेधन कार्मिकों का नियमित प्रशिक्षण।

[हिन्दी]

मेट्रो चैनल ट्रांसमीटर लगाया जाना

***435. श्री रामदास आठवले :** क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को विभिन्न राज्य सरकारों से मैट्रो चैनल ट्रांसमीटर लगाने के आग्रह प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार ने इस पर क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं। दूरदर्शन मेट्रो चैनल को वर्ष 2003 में बन्द कर दिया गया था।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

भारत निर्माण परियोजना में पंचायती राज संस्थाओं की भूमिका

***436. श्री अनिरुद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव :** क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पंचायती राज संस्थाएं इस समय भारत निर्माण परियोजना के कार्यान्यन में लगी हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो क्या इस संबंध में कोई प्रस्ताव विचाराधीन है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) ग्रामीण आधारभूत संरचना को बनाने के लिए भारत निर्माण एक कार्यक्रम है जिसके अंतर्गत छः अंग हैं, जैसे – सिंचाई, जलापूर्ति, ग्रामीण सड़क, ग्रामीण आवास, ग्रामीण संचार व्यवस्था और ग्रामीण विद्युतीकरण। इन घटकों के अधीन कुछ खास योजनाओं और कार्यान्वयन के तरह–तरह के पहलुओं पर पंचायत पहले से ही संलग्न है। ग्रामीण आधारभूत संरचना और राष्ट्रीय समिति के अध्यक्ष के रूप में प्रधानमंत्री की इच्छा है कि कार्यक्रम में पंचायतों की केन्द्रीयता को सैद्धान्तिक रूप में स्वीकार करते हुए सदस्य–सचिव योजना आयोग के सभापतित्व में सचिवों के समूह द्वारा भारत निर्माण के प्रत्येक घटक में पंचायतों को शामिल करने के औचित्य पर विचार होना चाहिए। इस संबंध में विभिन्न मंत्रालयों/विभागों के बीच आपसी तालमेल की प्रक्रिया प्रारंभ हो चुकी है।

रेल मार्गों का विद्युतीकरण

***437. श्री अनन्त नायक :**

श्री जुएल ओराम :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे द्वारा कुछ खण्डों पर विद्युतीकरण का कार्य शुरू किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी जोन–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे को इस बात की जानकारी है कि विद्युतीकरण कार्य की प्रगति बहुत धीमी है;

(घ) यदि हां, तो प्रत्येक खंड में अब तक कितनी प्रगति हुई है और इस संबंध में विलम्ब हेतु जोनवार क्या कारण हैं;

(ङ) प्रत्येक खंड में उक्त कार्य पर अब तक जोन–वार कितना व्यय किया गया है; और

(च) इन खण्डों पर विद्युतीकरण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) से (च) अनुसूची के अनुसार, निम्नलिखित खण्डों पर विद्युतीकरण कार्य प्रगति पर है। ब्यौरा निम्नलिखित है:–

(करोड़ रुपए में)

क्र. सं.	जोन/रेलवे	परियोजना का नाम	स्वीकृति वर्ष	मार्ग कि.मी.	लागत	31.3.05 तक व्यय	30.11.05 तक विद्युतीकरण मार्ग कि.मी.	लक्ष्य तिथि
1.	दक्षिण पूर्व/पूर्व तट	तालचेर–कटक–पारादीप की शाखा लाइन सहित खड़गपुर/नीमपुरा–भुवनेश्वर	1995–96	540	325.18	305.68	450	पूरा कर लिया गया है, कटक–पारादीप शाखा लाइन (90 मार्ग कि.मी.) को छोड़कर जिसे मार्च, 07 तक पूरा करने का लक्ष्य है।
2.	उत्तर	अम्बाला–मुरादाबाद	1992–93	274	223.73	201.83	170	मार्च, 06
3.		मुरादाबाद–लखनऊ–उतरतिया	2005–06	338	209.20	0.0	–	मार्च, 08 प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है।
4.	दक्षिण मध्य	तिरुपति–पकाला–काटपाडी	2004–05	105	41.27	–	–	मार्च, 06 शिरोपरि उपस्कर और सिगनल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
5.		रेणिगुंटा–गुंतकल	1992–93	308	168.34	73.77	86	इकहरी लाइन पर कार्य को नंदूर तक पूरा कर लिया गया है, दोहरीकरण सहित आगे के कार्य को आर वी एन एल द्वारा शुरू किया जाना है। लक्ष्य निर्धारित नहीं है।
6.	दक्षिण	एर्णाकुलम–त्रिवेन्द्रम	1999–2000	320	162.32	149.99	252	मार्च, 06 शिरोपरि उपस्कर, सब–स्टेशनों और सिगनल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
7.		विल्लुपुरम–पांडिचेरी	2005–06	38	8.6	–	–	मार्च, 06 शिरोपरि उपस्कर और सिग्नल संबंधी कार्य प्रगति पर हैं।
8.	पूर्व	कृष्णनगर–लालगोला	2000–01	128	63.84	15.87	–	दिसम्बर, 06 शिरोपरि उपस्कर, सब–स्टेशनों और सिगनल संबंधी कार्य प्रगति पर है।
9.	दक्षिण पश्चिम	बैंगलोर क्षेत्र का विद्युतीकरण	2005–06	46	21.44	0.0	–	मार्च, 07 प्रारंभिक कार्य प्रगति पर है।

रेलवे द्वारा बिजली की खरीद

*438. **श्री वसुदेव आचार्य** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे अपनी बिजली की आवश्यकता राज्य बिजली बोर्डों और राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लिमिटेड (एन टी पी सी) से पूरी करता है;

(ख) यदि हां, तो रेलवे द्वारा प्रतिवर्ष अनुमानत: कितनी बिजली खरीदी जाती है;

(ग) क्या रेलवे स्वतंत्र बिजली उत्पादकों से बिजली खरीदने पर विचार कर रहा है जैसाकि दिनांक 23 नवम्बर, 2005 के "बिजनेस स्टैण्डर्ड" में समचार प्रकाशित हुआ है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है और इस मामले में क्या निर्णय लिया गया है?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) जी हां। इस समय, रेलवे कर्षण प्रयोजनों हेतु अपनी बिजली संबंधी आवश्यकताएं 17 राज्यों के बिजली संयंत्रों तथा 3 बिजली कंपनियों अर्थात् दामोदर घाटी निगम (डी वी सी), मैसर्स टाटा, राष्ट्रीय ताप विद्युत निगम लि. (एन टी पी सी) से पूरी करती है।

(ख) 2004–05 के कर्षण प्रयोजनों के लिए रेलवे द्वारा खरीदी गई बिजली की मात्रा 10133 मिलियन किलो वाट घंटे थी।

(ग) जी, हां, रेलवे स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों (आई पी पी) तथा विद्युत ट्रेडिंग कंपनियों (पी टी सी) से बिजली खरीदने की संभावनाओं का पता लगा रही है।

(घ) विद्युत कर्षण के लिए प्रभारित औसत दर लगभग 421 पैसे प्रति यूनिट है। इसका उस लागत से कोई संबंध नहीं है जिससे देश में बिजली पैदा की जाती है। इसलिए, उत्तर क्षेत्र (जिसमें लगभग 419 मेगा वाट की आवश्यकता है) में तथा दक्षिणी क्षेत्र में (जिसमें लगभग 490 मेगावाट की आवश्यकता है) रेलवे कर्षण सब–स्टेशनों को सस्ती दरों पर बिजली की सप्लाई के लिए स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों/विद्युत ट्रेडिंग कंपनियों में "रुचि अभिव्यक्ति" को आमंत्रित किया गया है।

विद्युत अधिनियम, 2003 के संदर्भ में उभरते हुए परिदृश्य के मद्देनजर इन बारीकियों को समझने के लिए भावी स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों/विद्युत ट्रेडिंग कंपनियों से विस्तार से चर्चा की जा रही है। रेलवे स्वतंत्र विद्युत उत्पादकों/विद्युत ट्रेडिंग कंपनियों की चयन प्रक्रिया में सहायता के लिए खुली निविदा के तहत परामर्शदाताओं की सेवाएं लेने की संभावनाओं का पता लगा रही है।

परिचालन कर्मियों का कार्य समय

*439. **श्री प्रभुनाथ सिंह** : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के परिचालन कर्मियों विशेषत: गैंगमैनों से लगातार 22 से 24 घंटे तक काम लिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो संरक्षा कार्यों में लगे परिचालन कर्मियों के तनाव को कम करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं;

(ग) क्या उनका आठ घंटे से अधिक समय तक काम पर नहीं लगाने हेतु कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्री (श्री लालू प्रसाद) : (क) जी, नहीं। भारतीय रेलवे में गैंगमैन को परिचालनिक कर्मचारियों की कोटि में शामिल नहीं किया जाता। वे 8½ घंटों की दैनिक रोस्टर ड्यूटी के अनुसार काम करते हैं जिसमें प्रारंभिक तथा काम पूरा करने का समय शामिल होता है। भारतीय रेलवे के परिचालनिक कर्मियों में मुख्यत: ड्राइवर, गार्ड और स्टेशन मास्टर होते हैं। ड्राइवरों तथा गार्डों को "निरंतर" की कोटि में वर्गीकृत किया जाता है और उन्हें एक सप्ताह में कानूनी तौर पर 54 घंटे कार्य करना होता है। उनके रोस्टर घंटों को 14 दिन की दो सप्ताह की अवधि में 104 घंटे के रूप में निर्धारित किया गया है। इसमें प्रारंभिक और काम पूरा करने का समय शामिल है।

स्टेशन मास्टरों को सामान्यत: "निरंतर" अथवा "अनिवार्यत: सविरामी" के रूप में वर्गीकृत किया जाता है। "निरंतर" के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर उन्हें कानूनी तौर पर प्रति सप्ताह 54 घंटे के लिए और "अनिवार्यत: सविरामी" के रूप में वर्गीकृत किए जाने पर उन्हें कानूनी तौर पर प्रति सप्ताह 75 घंटे कार्य करना अपेक्षित होता है।

(ख) परिचालनिक कर्मियों को अपवादिक परिस्थितियों में निर्धारित रोस्टर घंटों के अतिरिक्त कार्य करना होता है। तनाव स्तर को नियंत्रित रखने के लिए आवधिक विश्राम का प्रावधान है। तनाव स्तर कम करने के लिए कार्य घंटों पर नियंत्रण, सिगनल प्रणाली का आधुनिकीकरण, रनिंग रूम्स की हालत में सुधार, कर्मियों के लिए सुविधाजनक लोकोमोटिव कैब के इरगोनॉमिक डिजाइन अपनाने जैसे कुछ उपाय किए गए हैं।

(ग) और (घ) जी, नहीं। विभिन्न समितियों/अधिकरणों और केंद्रीय प्रशासनिक अधिकरण/एर्णाकुलम ने ड्राइवरों और गार्डों के मौजूदा वर्गीकरण/कार्य घंटों को यथावत रखने की सिफारिश की है। स्टेशन मास्टरों के कार्य घंटों का निर्धारण उनके कार्य–विश्लेषण को ध्यान में रखते हुए यथानिर्धारित वर्गीकरण के आधार पर किया जाता है। यह व्यवस्था स्टेशन मास्टरों सहित रेल कर्मचारियों की सभी कोटियों के लिए लागू है।

विमान किराये में वृद्धि

***440. श्री वाडिगा रामकृष्णा :**

श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया (एआई) तथा इंडियन एयरलाइंस (आईए) ने एविएशन टरबाईन फ्यूल (एटीएफ) कीमतों में हुई वृद्धि के मद्देनजर पिछले दिनों अपने किराये में वृद्धि कर दी है;

(ख) यदि हां, तो विमान किराये में वृद्धि करने से पूर्व ए.टी.एफ. कीमतों का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कम्पनियों ने हाल ही में ए.टी.एफ. कीमतों में कमी की हैं;

(घ) यदि हां, तो क्या एयर इंडिया/इंडियन एयरलाइंस का विचार कीमतों में हुई कमी का लाभ यात्रियों को देने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जबकि एयर इंडिया ने विमान किरायों में संशोधन नहीं किया है, परन्तु विमानन टरबाईन ईंधन की लागत के आधार पर, समय–समय पर ईंधन अधिभार में कुछ नाममात्र का सामंजस्य किया जाता है, इंडियन एयरलाइंस ने, विमानन टरबाईन ईंधन मूल्यों में वृद्धि के कारण प्रचालनों की लागत में वृद्धि की भरपाई करने के लिए, किराए में 10% (अक्तूबर, 2005 से प्रभावी) की वृद्धि कर दी है।

(ख) अप्रैल, 2005 से विमानन टरबाईन ईंधन के मूल्यों में उतार–चढ़ाव के ब्यौरे निम्न अनुसार हैं:–

महीना	मूल्य (रु. प्रति किलोलीटर)
अप्रैल, 2005	32250
मई, 2005	34800
जून, 2005	31550
जुलाई, 2005	33500
अगस्त, 2005	34100
सितम्बर, 2005	36700
अक्तूबर, 2005	38400

(ग) से (च) यद्यपि विमानन टरबाईन ईंधन के औसत मूल्य दिसम्बर, 2005 में 33,550 रु./किलोलीटर तक की कमी आई है, तब भी यह 2004–05 में 27500 रु. के औसत मूल्य की तुलना में यह लगातार 22% अधिक है। इसलिए कुछ समय के लिए किरायों में कमी करने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

सैनिक अस्पतालों को आपस में जोड़ा जाना

***441. श्री किन्जरपु येरननायडु :** क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार जरूरतमंद सैन्य कर्मियों को अधिकतम चिकित्सा सुविधाएं प्रदान करने के लिए सभी सैनिक अस्पतालों को एक केन्द्रीय नेटवर्क से जोड़ने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार निकट भविष्य में निजी अस्पतालों को सैनिक अस्पतालों के साथ जोड़ने की भी योजना बना रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या आम जनता को भी इन अस्पतालों में विशेषज्ञतायुक्त उपचार प्राप्त करने की अनुमति दी जायेगी; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, हां। सभी सैन्य अस्पतालों को अति लघु अपरचर टर्मिनल (वी एस ए टी) संयोजकता उपलब्ध कराकर परस्पर अन्तः सम्बद्ध किए जाने की एक परियोजना है। इससे अल्फान्यूमेरिक डाटा और एक्सरे, अल्ट्रासाउंड, कंप्यूटिड टोमोग्राफी (सी टी) स्कैन, मेग्नैटिक रेसोनंस इमेजिंग जैसी प्रतिकृतियों का संप्रषण किया जा सकेगा और वीडियो कांफ्रेंसिंग सुविधा सुकर होगी। टेलीमेडिसिन की सुविधा इस समय सेना अस्पताल (रिसर्च एंड रेफरल) दिल्ली छावनी और कुछेक सीमा सैन्य अस्पतालों के बीच उपलब्ध है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) जी, नहीं।

(च) उपर्युक्त (ङ) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

पवित्र स्थलों के लिए हेलिकॉप्टर सेवा

4305. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में उन पवित्र स्थलों के नाम क्या है जहां के लिए इस समय हेलीकॉप्टर सेवा मौजूद है;

(ख) क्या अन्य महत्वपूर्ण धार्मिक स्थलों और पर्वतीय मंदिरों के लिए हेलीकॉप्टर सेवा प्रदान करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और सेवाओं को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) वैष्णों देवी, केदारनाथ, बद्रीनाथ तथा अमरनाथ तीर्थ स्थानों के लिए विभिन्न प्रचालकों द्वारा हेलीकॉप्टर सेवाएं मुहैया कराई जा रही हैं।

(ख) से (घ) संबंधित राज्य सरकार तथा तीर्थ स्थान प्रबंधन के धार्मिक ट्रस्टी से अपेक्षित क्लीयरेंस प्राप्त करके जैसा भी जरूरी हो, के आधार पर अपने वाणिज्यिक निर्णय के अनुसार, प्रचालक अन्य धार्मिक स्थलों को हेलीकॉप्टर सेवाएं उपलब्ध करने के लिए स्वतंत्र है।

भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे में प्रशिक्षण

4306. श्री जी. एम. सिद्देश्वर : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय फिल्म और टेलीविजन संस्थान, पुणे में किन क्षेत्रों में प्रशिक्षण दिया जा रहा है;

(ख) उक्त संस्थान में इस समय कितने विद्यार्थी प्रशिक्षण प्राप्त कर रहे हैं और कितने कर्मचारीवृन्द सदस्य कार्य कर रहे हैं;

(ग) उक्त संस्थान में कितने विद्यार्थियों के लिए आवास सुविधा उपलब्ध है;

(घ) पिछले तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान इस संस्थान पर सरकार द्वारा कितना वार्षिक व्यय किया गया;

(ङ) क्या उक्त संस्थान में "अभिनय में प्रशिक्षण" कार्यक्रम पुनः शुरू करने का कोई प्रस्ताव है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) फिल्म संस्थान, पुणे फिल्म निर्माण और टेलीविजन कार्यक्रम निर्माण के निम्नलिखित सभी पहलुओं में प्रशिक्षण प्रदान करता है:–

(i) फिल्म और टेलीविजन अर्थात् निर्देशन, चलचित्रिकी, ऑडियोग्राफी और सम्पादन में तीन–वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा;

(ii) 2–वर्षीय स्नाकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम के अन्तर्गत अभिनय; कला निर्देशन में 2 वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा;

(iii) एनीमेशन और कम्प्यूटर ग्राफिक्स में डेढ़–वर्षी प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम;

(iv) निर्देशन, इलेक्ट्रॉनिकी चलचित्रिकी, वीडियो सम्पादन और ऑडियोग्राफी तथा टेलीविज़न अभियांत्रिकी में एक–वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम; और

(v) फीचर फिल्म के स्क्रीन–प्ले लेखन में एक–वर्षीय स्नातकोत्तर प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम।

इसके अतिरिक्त, विशिष्टीकृत क्षेत्रों में लघु–कालिक पाठ्यक्रम के अन्तर्गत दूरदर्शन के सभी श्रेणी के अधिकारियों; भारतीय सूचना सेवा के परीवीक्षाधीन अधिकारियों, कार्यरत व्यावसायिकों और संबंधित क्षेत्रों में रुचि रखने वाले लोगों को सेवाकालीन प्रशिक्षण प्रदान किया जाता है।

(ख) क्रमशः 223 और 224।

(ग) सभी पाठ्यक्रमों के लिए दाखिल किए गए सभी छात्रों को आवास व्यवस्था मुहैया कराने के उद्देश्य से बालक और बालिकाओं दोनों के लिए छात्रावास हैं। भोजन हेतु मेस की व्यवस्था की जाती है यदि लागत–हिस्सेदारी आधार पर एक सहकारी मेस चलाने के लिए पर्याप्त संख्या में छात्र उपलब्ध हैं।

(घ) निवल घाटा आधार पर प्रत्येक गत तीन वर्षों के दौरान संस्थान पर भारत सरकार द्वारा किया गया वार्षिक व्यय निम्नानुसार है:–

वर्ष	योजनागत	योजनातर	कुल (लाख रुपये में)
2002–2003	30	452	482
2003–2004	358	490	848
2004–2005	306	624	930

(ङ) और (च) शैक्षणिक वर्ष 2004 से अभिनय में दो–वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा पाठ्यक्रम शुरू कर दिया गया है। पहला सत्र 12 जुलाई, 2004 में प्रारंभ हुआ था। इस पाठ्यक्रम की छात्र–क्षमता 20 है।

[हिन्दी]

कैलारूस प्रसारण केन्द्र से अश्लील फिल्मों का प्रसारण

4307. श्री रघुवीर सिंह कौशल : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को डी.डी.–I टेलीविजन चैनल पर कैलारूस प्रसारण केन्द्र से दिनांक 4 नवम्बर, 2005 को प्रसारित की गई अश्लील फिल्मों की जानकारी है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस मामले में कोई जांच करवाई गयी है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले और इस पर क्या कार्रवाई की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 2 नवम्बर, 2005 को लगभग छह मिनट के लिए अल्पशक्ति ट्रांसमीटर कैलारूस से डी.डी.–I चैनल के ऑडियो सिगनल के साथ अवांछनीय कार्यक्रम (वीडियो) प्रसारित हुआ था।

(ग) और (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन द्वारा स्थल पर जाँच–पड़ताल की गई थी और तीन तथाकथित चूककर्ता कर्मचारियों को 10 नवम्बर, 2005 से निलम्बित कर दिया गया था।

[अनुवाद]

किशोर अपराध

4308. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या किशोर अपराध बढ़ रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार द्वारा किशोर अपराध मामलों से निपटने हेतु कोई दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार द्वारा ऐसे अपराधों में हो रही वृद्धि को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) और (घ) किशोर न्याय (बाल देखरेख और संरक्षण) अधिनियम, 2000 के अंतर्गत बनाए गए आदर्श नियमों में विधि का उल्लंघन करने वाले किशोरों के साथ पूर्णरूप से निपटने का उल्लेख है जिसमें संस्थागत प्रबन्ध और जांच करने में अपनाई जाने वाली प्रक्रिया भी शामिल है।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

फिल्मों का प्रमाणन

4309. श्री पी. करुणाकरन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारत में फिल्मों के प्रमाणन हेतु क्या दिशा–निर्देश बनाए गए हैं;

(ख) क्या चालू वर्ष के दौरान सेंसरशिप संबंधी उल्लंघन का कोई मामला सरकार के ध्यान में आया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में क्या कार्रवाई की गई?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी बी एफ सी) चलचित्रकी अधिनियम, 1952 की धारा 5 ख (1) के प्रावधानों और इसके अंतर्गत जारी किए गए निर्देशों के अनुसार सार्वजनिक प्रदर्शन के लिए फिल्म को प्रमाणित करता है।

(ख) और (ग) केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने सूचित किया है कि सेंसरशिप के उल्लंघन के कुछ मामले जो चालू वर्ष के दौरान केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड की जानकारी में आये हैं। पता लगाए गए उल्लंघनों के कुल मामले क्षेत्र–वार ब्यौरा विवरण रूप में संलग्न है।

(घ) चलचित्रकी अधिनियम के दण्ड प्रावधानों के प्रवर्तन की जिम्मेदारी राज्य सरकारों/शासित क्षेत्रों की है। तथापि, चलचित्रकी अधिनियम और उसके अंतर्गत बनाए गए नियमों के उल्लंघनों का पता लगाने में राज्य सरकारों के हाथ मजबूत करने के लिए केन्द सरकार ने केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सभी नौ क्षेत्रों के लिए निजी गुप्तचर एजेंसियों की नियुक्ति की एक स्कीम तैयार की है। ये एजेंसियां सिनेमा थिएटरों में छापा मारकर उल्लंघनों की जांच करने और पुलिस अधिकारियों के पास प्राथमिकी दर्ज कराने में सहायता करती हैं।

विवरण

क्र.सं.	क्षेत्र	पता लगाए गए उल्लंघनों की संख्या
1.	मुम्बई	5
2.	चेन्नई	45
3.	कोलकाता	20
4.	हैदराबाद	6
5.	बंगलौर	100
6.	तिरूवनन्तपुरम	104
7.	दिल्ली	22
	योग	302

[हिन्दी]

नए इंटरसेप्ट विमानों का निर्माण

4310. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस का विचार भारत के साथ संयुक्त रूप से इंटरसेप्ट विमानों के निर्माण का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में भारत और रूस के बीच कोई वार्ता हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) रूस ने, पांचवीं पीढ़ी के लड़ाकू विमानों के संयुक्त विकास तथा विनिर्माण का प्रस्ताव किया है। इस संबंध में भारत और रूस के बीच बातचीत हुई है। ये विचार–विमर्श अभी प्रारंभिक चरण में हैं। अतः इस संबंध में निर्णय लेने के लिए कोई समय–सीमा नहीं बताई जा सकती है।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र में प्रसार भारती का विपणन संभाग

4311. श्री नारायण चन्द्र बरकटकी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती पूर्वोत्तर क्षेत्र में विपणन संभाग कार्यालय खोलने की योजना बना रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक खोले जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) जी, हां। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पूर्वोत्तर क्षेत्र में गुवाहाटी में एक विपणन प्रभाग कार्यालय खोलने के लिए प्रस्ताव शुरू किया गया है। प्रसार भारती ने यह भी सूचित किया है कि वे इस संबंध में ब्यौरे तैयार कर रहे हैं और इस वित्त वर्ष के अन्त तक इसके शुरू हो जाने की संभावना है।

रेल दुर्घटनाओं पर जांच समिति

4312. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल दुर्घटनाओं के संबंध में गठित जांच समितियां अपनी रिपोर्टें प्रस्तुत करने में काफी समय लगाती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) उन रेल दुर्घटनाओं का ब्यौरा क्या है जिन पर जांच रिपोर्ट प्रस्तुत किया जाना अभी बाकी है; और

(घ) सरकार द्वारा इस संबंध में शीघ्र कार्रवाई करने हेतु क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) जी, नहीं। रेल अधिनियम 1989 की धारा 114 के अंतर्गत गंभीर रेल दुर्घटनाओं की जांच करते समय रेल संरक्षा आयोग और जोनल रेलवे की दुर्घटना जांच समिति अपनी जांच रिपोर्ट अधिकतर निर्धारित समय सीमा के अन्दर ही सौंप/प्रस्तुत कर देती है। यद्यपि, निर्धारित समय के अन्दर ही दुर्घटना की जांच पूरा करने के लिए हर संभव प्रयास किए जाते हैं। तथापि, कुछ मामलों में अपरिहार्य परिस्थितियों अर्थात् मामलें की गहन तकनीकी छानबीन की आवश्यकता, साक्ष्य उपलब्ध नहीं होने, गैर–रेल एजेंसियों से तकनीकी रिपोर्ट प्राप्त होने में देरी इत्यादि कारणों से रिपोर्ट प्रस्तुत करने में देरी हो जाती है। केवल 8 दुर्घटनाओं (रेल संरक्षा आयोग की 6 और रेल जांच समिति की 2) की जांच रिपोर्ट विभिन्न चरणों में है, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है।

क्र. सं.	दुर्घटना की तिथि	संक्षिप्त विवरण	टिप्पणी
1	2	3	4
1.	05.09.2005	पश्चिम रेल की अहमदाबाद मंडल के विसनगर–वडनगर स्टेशनों के बीच चौकीदार वाले समपार सं. 20 पर रेल बस 602 की ऑटोरिक्शा के साथ टक्कर	रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
2.	03.10.2005	उत्तर–मध्य रेलवे के झांसी मंडल में दतिया–सोनगीर स्टेशनों के बीच 1108 डाउन बुंदेलखंड एक्सप्रेस का पटरी से उतरना।	रल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
3.	29.10.2005	दक्षिण मध्य रेलवे के गुंटूर मंडल में पुल सं. 61 पर रमन्नापेट और वल्लागोंडा	रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।

1	2	3	4
		ब्लॉक स्टेशनों के बीच 415 रिपल्ले–सिकंदराबाद डेल्टा फास्ट यात्री गाड़ी को असामान्य घटना की वजह से पटरी से उतरना।	
4.	07.11.2005	उत्तर पश्चिम रेल के जयपुर मंडल में श्री माधोपुर और कचेरा स्टेशनों के बीच चौकीदार वाले समपार सं. 96 पर जे डब्ल्यू ओ–एस एस बी स्पेशल गुड्स ट्रेन के साथ ट्रक की टक्कर।	रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
5.	09.11.2005	पूर्व मध्य रेलवे के धनबाद मंडल के बड़वाडीह स्टेशन यार्ड में एल एच एम स्पेशल अप गुड्स ट्रेन के साथ 619 अप गोमो–चोपन यात्री गाड़ी की किनारे से टक्कर।	रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
6.	17.11.2005	दक्षिण पूर्व रेल के रांची मंडल में 8616 डाउन हटिया–रांची–हावड़ा एक्सप्रेस के कोच सं. एन ई 00206 डब्ल्यू जी एस में आग।	रेलवे की दुर्घटना जांच समिति द्वारा जांच की जा रही है। तकनीकी ब्यौरे की गहन छानबीन की जरूरत है।
7.	25.11.2005	दक्षिण पूर्व रेलवे खडगपुर मंडल में पनस्कुरा स्टेशन के होम सिगनल के बाहर स्थित के–112 खड़गपुर हावड़ा यात्री गाड़ी से 8006 डाउन कोरापुट हावड़ा एक्सप्रेस के पिछले भाग से टक्कर।	रेल संरक्षा आयुक्त द्वारा जांच की जा रही है। प्रारंभिक रिपोर्ट प्राप्त हो गई है।
8.	12.12.2005	उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मंडल के जैंतीपुरा और बटाला स्टेशन के बीच बिना चौकीदार वाले समपार सं. सी–21 पर 4633 रवि एक्सप्रेस के इंजन से ट्रैक्टर ट्रॉली की टक्कर।	रेलवे की दुर्घटना जांच समिति द्वारा जांच की जा रही है।

स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों को स्टॉल

4313. श्री काशीराम राणा : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे स्टेशनों पर खान–पान हेतु मुंबई डिवीजन में स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों को कितने स्टॉल आबंटित किए गए;

(ख) ये स्टाल किन स्टेशनों पर स्थिति हैं;

(ग) क्या रेलवे ने अपनी नई खान–पान नीति, 2005 के

अंतर्गत स्वतंत्रता संग्राम सेनानी के परिवारों को आबंटित स्टॉलों को उन्हें ही दिए रखने का प्रस्ताव किया है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) स्वतंत्रता संग्राम सेनानी को वापी स्टेशन पर एक अल्पाहार स्टाल आबंटित किया गया था।

(ग) और (घ) खान-पान नीति 2005 के अनुसार, आरक्षित श्रेणी के लाइसेंसधारियों के लाइसेंस संतोषजनक निष्पादन पर प्रत्येक 3 वर्ष में नवीकृत किए जाएंगे। आरक्षित श्रेणी के तहत मौजूदा लाइसेंसधारकों का नवीकरण सभी देनदारियों और बकाया के भुगतान किए जाने पर ही किया जायेगा।

[हिन्दी]

पुरूषोत्तम एक्सप्रेस की दुर्घटना

4314. श्री सुनिल कुमार महतो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जून, 2005 के दौरान जमशेदपुर के गमहरिया स्टेशन के निकट पुरूषोत्तम एक्सप्रेस की दुर्घटना हुई थी;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त दुर्घटना की जांच के लिए गठित जांच समिति का ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या उक्त ट्रेन दुर्घटना के संबंध में जांच समिति की रिपोर्ट प्राप्त हुई है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और उक्त दुर्घटना संबंधी रिपोर्ट कब तक प्राप्त होने की संभावना है; और

(छ) दोषी पाए गए कर्मचारियों के विरूद्ध रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई/किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, हां। 20.06.2005 को दक्षिण पूर्व रेलवे के चक्रधरपुर मंडल के चांडिल-टाटानगर बड़ी लाइन आमान परिवर्तन खंड पर गमहरिया और बीरराजपुर के बीच 2802 डाउन नई दिल्ली-पुरूषोत्तम एक्सप्रेस से एक बिजली बैंकिग इंजन की भिडंत हुई थी। इस दुर्भाग्यपूर्ण दुर्घटना में 2 रेल कर्मचारियों सहित 4 व्यक्ति बुरी तरह घायल हुए और 5 रेल कर्मचारियों सहित 22 व्यक्तियों को मामूली चोटें आई।

(ग) से (छ) रेल अधिनियम 1989 के खंड 114 के अनुसार, रेल संरक्षा आयुक्त दक्षिण पूर्व सर्किल, ने इस दुर्घटना की सांविधिक जांच की और अपनी रिपोर्ट इस निष्कर्ष के साथ दी कि उपरोक्त दुर्घटना बैंकिग इंजन के चालक द्वारा बिना किसी प्राधिकार के खतरे के 'अप' स्टार्टर सिग्नल को पार करने के कारण हुई। इस दुर्घटना के लिए जिम्मेदार अधिकारियों को अनुशासन एवं अपील नियम के तहत बड़ी शास्ति आरोप पत्र जारी किया गया है।

[अनुवाद]

स्टीम इंजन

4315. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रेलवे में इस समय जोन-वार कितने स्टीम इंजन कार्य करने की अवस्था में हैं;

(ख) क्या कुछ स्टीम इंजन चलने/कार्य करने की स्थिति में नहीं हैं और उन्हें राष्ट्रीय विरासत के रूप में रखा गया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) रेलवे द्वारा उन इंजनों के संरक्षण हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) आज की तारीख में भारती रेल के विभिन्न जोनों पर चलाए जा रहे 29 भाप इंजन निम्नानुसार है-

रेलवे	इंजनों की संख्या
मध्य	01
उत्तर	04
पूर्वोत्तर सीमा	15
दक्षिण	07
राष्ट्रीय रेल संग्रहालय	02

(ख) से (घ) जी, हां। भाप इंजनों के विरासत का महत्व समझते हुए, कुछ इंजनों को रेल संग्रहालय, जोनल/मंडल रेल मुख्यालय एवं सार्वजनिक स्थानों में प्रदर्शन हेतु रखा गया है। इसके अतिरिक्त, कुछ भाप इंजनों को चालू करने के लिए उनकी मरम्मत की जा रही है।

नहुर रेलवे स्टेशनों को पूरा करना

4316. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नहुर रेलवे स्टेशन के निर्माण कार्य की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) परियोजना संबंधी निर्माण कार्य को कब तक पूरा किए जाने की संभावना है;

(ग) क्या उक्त स्टेशन का पैदल उपरि पुल के निर्माण के लिए धनराशि स्वीकृति हो गई है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) नहुर हाल्ट स्टेशन के निर्माण के लिए तीन प्रमुख कार्यों को पूरा किया जाना है। इन कार्यों की वर्तमान स्थिति निम्नानुसार है:–

(i) सिरोपरि बुकिंग कार्यालय – इस्पात कार्य की रचना और इसका निर्माण कार्य पूरा हो चुका है। फर्श के स्लैब बना दिए गए हैं। दीवार बनाने के लिए ईंटें लगाने का काम चल रहा है।

(ii) आइलैंड प्लेटफार्म – प्लेटफार्म के डाउन और अप साइड पर दीवार बनाना, मिट्टी डालने और प्लेटफार्म की सतह पर मिट्टी डालने का कार्य पूरा हो गया है। प्लेटफार्म की सतह पर कंक्रीट बिछाने का कार्य प्रगति पर है।

(iii) ऊपरी पैदल पुल – ऊपरी पैदल पुल की पूर्वी साइड के पायों की नींव और आइलैंड प्लेटफार्म पर का कार्य पूरा हो गया है। प्लेटफार्म पर पायों की स्थापना कर दी गई है। ऊपरी पैदल पुल के स्टील गर्डरों का निर्माण हो गया है और गर्डरों की असेम्बलिंग की जा रही है।

(ख) मार्च, 2006।

(ग) जी, हां।

(घ) 2005–06 के दौरान 10.10 लाख रु. आबंटित किए गए हैं।

भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण

4317. श्री सुव्रत बोस : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (ए.ए.आई.) का गठन भारतीय राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एन.ए.ए.आई.) और भारतीय अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण (आई.ए.ए.आई.) के विलय के बाद रिहा किया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के नाम के अंतर्गत विभिन्न विमानपत्तनों पर एन.ए.ए.आई. और आई.ए.ए.आई. के दो भिन्न संवर्ग अभी भी काम कर रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) पूर्ण रूप से विलय के कब तक हो जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां।

(ग) और (घ) राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण तथा अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन प्राधिकरण दोनों में अलग–अलग वेतन–संरचना, कार्य संस्कृति, कैरियर प्रगति आदि थे। भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण (एएआई) ने संवर्गों के यौक्तिकरण, समीक्षा तथा एक प्रभाग में उपलब्ध लाभों को अन्य प्रभाग में प्रदान करने के द्वारा अनेक प्रशासनिक आदेशों के माध्यम से एक रूपता लाने के प्रयास किए हैं। एएआई अधिनियम में निहित प्रावधानों के अनुसरण में, अनेक समान विनियम अधिसूचित किए गए हैं। इसके अतिरिक्त, विभिन्न स्तरों पर भिन्न–भिन्न, विभागों की कार्य प्रणाली को और आगे एकीकरण करने के उद्देश्य से विभिन्न संवर्गों के बीच कर्मचारियों की पारस्परिक वरिष्ठता के लिए मुख्य सिद्धान्तों का निर्णय करने के प्रयोजार्थ, एक उच्चस्तरीय समिति का गठन किया गया है। विभिन्न संवर्गों/विभागों के विलय के लिए आगे प्रयास समिति की रिपोर्ट प्राप्त होने के पश्चात् ही किए जा सकते हैं। अतएव, सम्पूर्ण विलय होने तक के समय को ठीक–ठीक इंगित नहीं किया जा सकता।

[हिन्दी]

पटना में रेल उपरि-पुल का निर्माण

4318. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पटना में चिरैयाटाड़ में रेल उपरि पुल का निर्माण किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है और इसे कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) चिरैया टांड (पटना) में 545/1 रेलवे किमी. पर ऊपरी पुल के निर्माण कार्य को बिहार सरकार के साथ लागत में भागीदारी के आधार पर रेलवे के निर्माण कार्यक्रम 2000–01 में अनुमोदित किया गया है। कार्य की कुल अनुमानित लागत 16.89 करोड़ रु. है जिसमें रेलवे का हिस्सा 7.95 करोड़ रु. और राज्य सरकार का हिस्सा 8.94 करोड़ रु. है।

रेलवे अपने हिस्से का कार्य, पुल विशेष अर्थात् रेलपथ के दोनों ओर पुल का निर्माण कर रही है और राज्य सरकार/बिहार पुल निगम लिमिटेड द्वारा पहुंच मार्गों का निर्माण किया जा रहा है।

पुल का काम दो चरणों में पूरा किया जाना है। पहले चरण में दो लेन वाले नए पुल का कार्य पूरा होगा और पहले चरण में यातायात शुरू होने के बाद मौजूदा पुल को गिरा दिया जाएगा और दो लेन वाले दूसरे पुल का निर्माण किया जाना है।

इस समय रेलवे के साथ–साथ पहुंच मार्गों का निर्माण कार्य प्रगति पर है। कार्य पूरा करने का समय, राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के पूरा करने पर निर्भर करेगा। रेलवे अपने हिस्से के कार्य के साथ–साथ पहुंच मार्गों को पूरा करने का हर संभव प्रयास करती है।

[अनुवाद]

राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान

4319. श्री रवीन्द्रन सिप्पीपारई : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय सामाजिक रक्षा संस्थान द्वारा छात्रों को जराचिकित्सा देखभाल का प्रशिक्षण दिया जाता है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) चालू वर्ष के दौरान कितने छात्रों को प्रशिक्षित किया गया है और पास हो चुके कितने छात्रों को नियोजन प्रदान किया गया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां।

(ख) राष्ट्रीय समाज रक्षा संस्थान दो दीर्घकालिक पाठ्यक्रमों का आयोजन करता रहा है, अर्थात् (क) समेकित जराचिकित्सा देखभाल में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा; और (ख) जराचिकित्सा देखभाल में छः माह का प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम।

(ग) मौजूदा वर्ष 2005–06 के दौरान, जराचिकित्सा देखभाल में छः माह की अवधि के प्रमाण–पत्र पाठ्यक्रम में 100 छात्रों को और समेकित जराचिकित्सा देखभाल में एक वर्षीय स्नातकोत्तर डिप्लोमा में 19 छात्रों को प्रशिक्षित किया गया। इन पाठ्यक्रमों का संबंध संस्थाओं के साथ सीधे स्थापन से नहीं है।

रेलवे सुरक्षा बल द्वारा व्यापारियों को परेशान करना

4320. श्री श्रीनिवास दादासाहेब पाटील : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि सामान खरीदने के लिए मुंबई आने वाले व्यापारी समुदाय को दादर, सी एस टी और मुंबई सेन्ट्रल रेलवे स्टेशनों पर रेलवे सुरक्षा बल द्वारा परेशान किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या इस संबंध में कोई शिकायात प्राप्त हुई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, नहीं

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठता।

रसोई गैस की कमी

4321. डा. के. धनराजू : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह सच है कि सरकार द्वारा तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) की सामान्य आपूर्ति का आश्वासन दिए जाने के बावजूद रसोई गैस सिलेंडरों की आपूर्ति में कमी बरकरार है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) यदि नहीं, तो उपभोक्ताओं को मांग पर एक से अधिक सिलेंडर न देने के क्या कारण हैं; और

(घ) सरकार का उपभोक्ताओं को मांग पर प्रतिमाह कम से कम दो सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित करने के लिए क्या कदम उठाने का विचार है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा योजित एलपीजी के कुछ अतिरिक्त आयातों के पूरा न होने के कारण, दिनांक 4 अक्टूबर से 1 नवम्बर, 2005 तक की अवधि के लिए रिलायंस इंडस्ट्रीज़ लिमिटेड की रिफाइनरी के बंद होने तथा वर्तमान वर्ष के दौरान देश में अन्य रिफाइनरियों/प्रभंजकों के गैर योजनाबद्ध तरीके से बंद होने के कारण सितम्बर 2005 से एलपीजी की अस्थायी कमी हो गई थी। रिलायंस इंडस्ट्रीज लिमिटेड का सामान्य उत्पादन दिनांक 1 दिसम्बर, 2005 से प्रारंभ हुआ। इसके अतिरिक्त, सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) ने अपनी मूल योजनाबद्ध मात्राओं से अधिक एलपीजी का आयात किया। आने वाले कुछ सप्ताहों में परिस्थिति में सुधार होने व इसके सामान्य हो जाने की संभावना है।

(ग) और (घ) घरेलू एलपीजी एक राजसहायता प्राप्त उत्पाद है। जबकि सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियां (ओएमसीज) उपभोक्ताओं की वास्तविक मांग को पूरा करने के सभी प्रयास कर रही हैं, घरेलू एलपीजी सिलेंडरों के अप्राधिकृत प्रयोग के लिए विपथन को रोकने के लिए निगरानी रखने की भी आवश्यकता है। इस प्रकार मांग पर प्रति उपभोक्ता प्रतिमाह कम से कम दो सिलेंडरों की आपूर्ति सुनिश्चित नहीं की जा सकती।

[हिन्दी]

रोहतांग सुरंग का निर्माण

4322. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या रक्षा मंत्री 2 दिसम्बर, 2004 के सुरंग के निर्माण के बारे में तारांकित प्रश्न संख्या 26 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिमाचल प्रदेश में रोहतांग पास पर सुरंग के निर्माण के लिए वैश्विक निविदा आमंत्रित की गई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) यह ठेका किस एजेंसी को दिया गया है;

(घ) निर्माण कार्य के कब तक आरंभ होने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो वैश्विक निविदा आमंत्रित करने में विलंब के क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) रोहतांग पास परियोजना के लिए अभिकल्प परामर्श तथा निर्माण पर्यवेक्षण हेतु वैश्विक निविदा आमंत्रित की गई है तथा कई पार्टियों ने रुचि की अभिव्यक्ति प्रस्तुत की है। इन प्रस्तावों का मूल्यांकन किया जा रहा है। सुरंग के अभिकल्प को अंतिम रूप दे दिए जाने के बाद ही सुरंग के निर्माण के लिए वैश्विक निविदाएं जारी की जा सकती हैं।

फिकारी के निकट रेल उपरिपुल का निर्माण

4323. श्री वाई. जी. महाजन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास महाराष्ट्र में राष्ट्रीय राजमार्ग सं. 6 पर फिकारी के निकट रेल उपरि पुल के निर्माण संबंधी प्रस्ताव लंबित हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस परियोजना संबंधी निर्माण कार्य में तेजी लाने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी, नहीं। महाराष्ट्र राज्य में फिकारी के निकट राष्ट्रीय राजमार्ग–6 पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण का कार्य, परिचालन करो और हस्तांतरित करो (बी ओ टी) की अवधारना पर लोक निर्माण विभाग, राष्ट्रीय राजमार्ग मंडल, राज्य सरकार द्वारा किया जा रहा है। रेलवे द्वारा सामान्य प्रबंध आरेखण (जी ए डी) पहले ही 2001 में अनुमोदित किया जा चुका है। रेलवे के हिस्से के कार्य के लिए विस्तृत आरेखण और अभिकल्प अर्थात् पुल विशेष (रेलपथ के आर–पार पुल) को रेलवे द्वारा जांचा और अनुमोदित किया जाएगा जिसके लिए मौजूद नियमों के अनुसार आवश्यक सेंटेज प्रभार राज्य सरकार द्वारा जमा किया जाना है। राज्य सरकार से अभी तक विस्तृत आरेखण और अभिकल्प प्राप्त नहीं हुआ है।

रसोई गैस कनेक्शन जारी करना

4324. श्री संतोष गंगवार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि पिछले तीन वर्षों के दौरान प्रतिवर्ष आज तक विभिन्न सरकारी तेल कंपनियों द्वारा कंपनीवार कितने रसोई गैस कनेक्शन जारी किए गए थे?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : सार्वजनिक क्षेत्र तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) द्वारा गत तीन वर्षों के दौरान और अप्रैल–नवंबर, 2005 में जारी किए गए एलपीजी कनेक्शनों का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

वर्ष	एलपीजी कनेक्शनों की संख्या (आंकड़े लाख में)				
	आईओसी	बीपीसी	एचपीसी	आईबीपी	कुल
2002–03	28.87	19.15	18.20	1.12	67.34
2003–04	29.83	26.77	21.11	0.58	78.29
2004–05	35.30	18.57	19.11	0.31	73.29
अप्रैल–नवंबर, 2005	14.39	7.27	6.65	0.28	28.59

[अनुवाद]

प्रशासनिक संवर्ग की संवर्ग समीक्षा

4325. श्री किशन सिंह सांगवान : क्या रक्षा मंत्री एम. ई. एस. में अभियांत्रिकी और प्रशासनिक सेवा संवर्ग समीक्षा के बारे में 25 अगस्त, 2005 के अतारांकित प्रश्न संख्या 4566 के उत्तर के संबंध में यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभागीय संवर्ग समीक्षा समिति द्वारा सैन्य अभियांत्रिकी सेवा (एम.ई.एस.) में प्रशासनिक संवर्ग के संवर्ग समीक्षा की जांच को पूरा कर लिया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके कब तक पूरा होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सैन्य अभियांत्रिकी सेवा (एम.ई.एस.) के प्रशासनिक संवर्ग की संवर्ग–समीक्षा की जांच अभी पूरी नहीं हुई है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) चूंकि संवर्ग–समीक्षा को अंतिम रूप देने के लिए कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, और वित्त मंत्रालय के साथ परामर्श करना होता है, अतः कोई समय–सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती।

बीपीसीएल डीलरों द्वारा शिकायतें

4326. श्री रघुराज सिंह शाक्य :

श्रीमती परनीत कौर :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हरियाणा को भारत पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड के डीलरों ने सितंबर, 2005 में कंपनी के अधिकारियों के विरुद्ध कोई शिकायत की है;

(ख) यदि हां, तो सरकार ने बीपीसीएल डीलरों द्वारा उठाए गए मुद्दों पर क्या कार्रवाई की है;

(ग) क्या पानीपत और नोएडा के बीपीसीएल के ऐसे अधिकारियों जिनके विरुद्ध शिकायतें की गई थीं, वे इन शिकायतों

पर कार्रवाई करने की बजाए डीलरों की डीलरशिप समाप्त करने संबंधी धमकी भरे पत्र जारी कर रहे हैं; और

(घ) यदि हां, तो दोषी अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) हरियाणा बीपीसीएल डीलर संघ की ओर से दिनांक 26.9.2005 को आरोप लगाते हुए एक शिकायत प्राप्त हुई कि बीपीसीएल अधिकारियों ने अनुसूचित जाति से संबंधित मैसर्स इंदर फिलिंग स्टेशन, भादसोन, करनाल की आपूर्तियों को गैर कानूनी ढंग से बंद कर दिया है और पानीपत बीपीसीएल अधिकारियों ने मैसर्स डीजल सर्विस सेंटर, करनाल की डीलरशिप को असार/जाली आधारों पर समाप्त कर दिया है।

बीपीसीएल ने मंत्रालय को बताया कि खुदरा बिक्री केन्द्र के विस्तृत निरीक्षण के उद्देश्य से उनके अधिकारियों ने दिनांक 14.7.2005 को मैसर्स डीजल सर्विस सेंटर, जो करनाल मेरठ रोड स्थित खुदरा बिक्री केन्द्र है, का दौरा किया। तथापि, बीपीसीएल ने यह भी रिपोर्ट दी कि उनके निरीक्षण दल को अत्यंत समस्याओं/कठिनाइयों का सामना करना पड़ा, उन्हें लगभग 30 व्यक्तियों के समूह द्वारा निरीक्षण करने से रोका गया, जो स्थानीय/राज्य पेट्रोलियम डीलर संघ के पदाधिकारी/सदस्य बताए गए। बीपीसीएल ने इस मामले की शिकायत, वरिष्ठ पुलिस अधीक्षक, करनाल के पास दर्ज कराई और इस मामले की रिपोर्ट प्रैस को भी की गई।

मंत्रालय ने यह मामला हरियाणा राज्य सरकार के समक्ष उठाया और उन्हें बीपीसीएल द्वारा दर्ज कराई गई शिकायत पर त्वरित कार्रवाई करने, ओएमसी स्टॉफ एवं संस्थान परिसरों की सुरक्षा सुनिश्चित करने तथा पेट्रोलियम उत्पादों के सुरक्षित आवागमन को सुरक्षा प्रदान करने, सतत् आधार पर खुदरा बिक्री केन्द्रों की जांच–पड़ताल में प्रशासनिक भागीदारी प्रदान करने की व्यवस्था करने के निर्देश देने और राज्य में पुलिस अधिकारियों को शिकायत दर्ज करने तथा ओएमसी अधिकारियों द्वारा बताए गए गलत कार्यों में लिप्त मामलों में जांच–पड़ताल करने में सहयोग का अनुरोध किया।

जहां तक मैसर्स इंदर फिलिंग स्टेशन, भादसोन, करनाल का संबंध है बीपीसीएल ने रिपोर्ट दी है कि गंभीर प्रकृति के अनैतिक कार्यों (कदाचारों)/अनियमितताओं की पुनरावृत्ति के मद्देनजर डीलर की डीलरशिप को समाप्त करने के आवश्यक कदम उठाने की प्रक्रिया जारी है।

(ग) बीपीसीएल ने रिपोर्ट दी है कि उनके अधिकारियों ने किसी भी डीलर को किसी प्रकार की धमकी नहीं दी है। सच्चाई यह है कि कुछ डीलरों ने बीपीसीएल के अधिकारियों के साथ दुर्व्यवहार किया है और जब डीलरों द्वारा किए गए अनैतिक कार्यों को पकड़ा गया तो उन्होंने अपमानजनक बातें कहीं।

(घ) उपर्युक्त (ग) को देखते हुए, प्रश्न नहीं उठता।

आज़मगढ़ रेलवे स्टेशन पर रेल उपरि पुल

4327. मो. मुक्तीम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने उत्तर प्रदेश के आज़मगढ़ जिले में आज़मगढ़ रेल स्टेशन के निकट बिलासा समपार पर रेलवे उपरि पुल के निर्माण के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) निर्माण कार्य के कब तक शुरू होने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रेलें उन व्यस्त समपारों पर जहां यातायात का घनत्व 1 लाख टी वी यू या उससे अधिक हो (टी वी यू – 24 घंटे में समपार पर गुजरने वाली रेलगाड़ियों की संख्या को सड़क वाहन की संख्या से गुणा करने पर प्राप्त इकाई) पर उपरि/निचले सड़क पुलों का निर्माण लागत में भागीदारी के आधार पर अन्यथा निक्षेप शर्तों पर करती हैं। दोनों ही मामलों में प्रस्ताव मौजूदा नियमों के अनुसार कतिपय प्राथमिक शर्तों को पूरा करते हुए राज्य सरकार से प्रायोजित कराया जाना होता है।

आज़मगढ़ और सराय रानी स्टेशनों के बीच 49/9–10 कि. मी. पर समपार 29 के बदले उपरि सड़क पुल के निर्माण का प्रस्ताव लागत में भागीदारी के आधार पर अनुमोदन के लिए प्राप्त हुआ है। राज्य सरकार से प्राप्त प्रस्तावों को साइट पर उपरी

सड़क पुल के निर्माण कार्य की व्यवहारिकता के संबंध में राज्य सरकार द्वारा पहुंच मार्गों के लिए प्रस्तुत की गई अनुमानित लागत उपरि/निचले सड़क पुल पर यातायात शुरू होने पर समपार यातायात को बंद करने की वचनबद्धता, राज्य सरकार की वार्षिक योजना में दी गई प्राथमिकता,पहले से ही स्वीकृत कार्यों की प्रगति और पहले से ही अनुमोदित कार्यों के लिए देयताओं के थ्रो फॉरवर्ड के संदर्भ में जांच की जाती है और रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में शामिल करने से पहले विचार किया जाता है और जिन्हें बजट दस्तावेजों के साथ संसद के सम्मुख अनुमोदन के लिए प्रस्तुत किया जाता है। निर्माण कार्य शुरू करने से पहले सामान्य आरेखण व्यवस्था (जी ए डी), विस्तृत अभिकल्प और विस्तृत आकलन तैयार और अनुमोदित किए जाते हैं और स्थल की विस्तृत मिट्टी जांच का काम शुरू किया जाता है। विविध गतिविधियों को ध्यान में रखते हुए जो कई मुख्यतः संबंधित राज्य सरकार और सड़क प्राधिकारियों की प्राथमिकताओं पर निर्भर करती है, के कारण कार्य शुरू होने की निश्चित तिथि बताई नहीं जा सकती है।

राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येयता-वृत्ति योजना

4328. श्री नवीन जिन्दल : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान करने के लिए राजीव गांधी राष्ट्रीय अध्येयतावृत्ति योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके पात्रता मानदंड क्या हैं एवं इस योजना की मुख्य विशेषताएं क्या हैं;

(ग) इस योजना के क्रियान्वयन के लिए कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) इस योजना के अंतर्गत प्रतिवर्ष कितने छात्रों को छात्रवृत्ति प्रदान की जाएगी?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) यह योजना विचाराधीन है।

(ख) इस योजना का उद्देश्य एम.फिल और पीएच.डी. तक उच्चतर अध्ययन के लिए अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को अध्येयतावृत्तियां प्रदान करता है। इस योजना के तहत विश्वविद्यालयों/संस्थाओं में एम.फिल/पीएच.डी. पाठ्यक्रम के लिए पंजीकृत छात्र अध्येयतावृत्ति लेने के लिए पात्र होंगे।

(ग) वर्तमान वित्त वर्ष 2005–06 के दौरान यह योजना कार्यान्वित करने के लिए 24.83 करोड़ रुपये की राशि निर्धारित की गई है।

(घ) अनुसूचित जाति और अनुसूचित जनजाति के छात्रों को प्रतिवर्ष कुल 2000 अध्येयतावृत्तियां दी जाती हैं।

[हिन्दी]

मनमाड-सूरत रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

4329. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने मनमाड–मालेगांव–धुलिया–नरदाना–सूरत रेलवे लाइन के संबंध में कोई सर्वेक्षण कराया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार उक्त रेलवे लाइन के निर्माण हेतु अपनी स्वीकृति देने का है; और

(घ) यदि हां, तो ऐसी स्वीकृति कब तक दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) सूरत और नरदाना के बीच पहले से ही बड़ी लाइन मौजूद है। शीरपुर–नरदाना–धुले के लिए विगत में एक सर्वेक्षण किया गया था तथा चालू परियोजनाओं के भारी थ्रोफॉवर्ड एवं संसाधनों की अत्याधिक तंगी के कारण परियोजना पर कार्य शुरू नहीं किया जा सका।

[अनुवाद]

पूर्वोत्तर क्षेत्र से वायु संपर्क

4330. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पूर्वोत्तर क्षेत्र के विभिन्न गंतव्यों से बेहतर वायु संपर्क सुनिश्चित करने के लिए कोई योजना बनाई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस योजना को क्रियान्वित करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) पूर्वोत्तर क्षेत्र सहित देश के विभिन्न क्षेत्रों की हवाई परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रखते हुए हवाई परिवहन सेवाओं के बेहतर विनियमन के प्रयोजन से सरकार द्वारा मार्ग संवितरण संबंधी दिशा–निर्देश निर्धारित किए गए हैं। इन दिशा–निदेशों के अध्याधीन, यातायात मांग एवं वाणिज्यिक व्यवहार्यता के आधार पर एयरलाइनें किसी भी स्थान के लिए विमान सेवाएं सुलभ कराने हेतु स्वतंत्र हैं। इंडियन एयरलाइन्स, एलाइंस एयर, सहारा एयरलाइन्स, एयर डेक्कन, जेट एयरवेज तथा किंगफिशर एयरलाइन्स द्वारा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए पहले से ही विमान सेवाएं सुलभ कराई जा रही हैं इसके अतिरिक्त एलाइंस एयर ने पूर्ण रूप से पूर्वोत्तर क्षेत्र में तैनाती के प्रयोजन से 4 एटीआर विमान लीज पर लिए जाने के लिए पूर्वोत्तर परिषद के साथ समझौता ज्ञापन (एम.ओ.यू.) किया है।

पारादीप में तेल शोधनशाला हेतु भूमि का अधिग्रहण

4331. श्री गिरिधर गमांग : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पारादीप में तेल शोधनशाला की स्थापना हेतु भूमि का अधिग्रहण किया गया है;

(ख) यदि हां, तो भू–स्वामियों को कितना मुआवजा दिया गया है;

(ग) क्या उड़ीसा सरकार तथा इंडियान आयल कार्पोरेशन के बीच मुआवजों, बिक्री कर से छूट तथा अन्य संबंधित मामलों के बारे में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आईओसीएल) ने पारादीप रिफाइनरी परियोजना के लिए 3,347 एकड़ भूमि का अधिग्रहण किया है।

(ख) आईओसी की ओर से रिफाइनरी परियोजना के लिए भूमि अधिग्रहण कार्य करने के लिए आईओसी की ओर से नामित, उड़ीसा सरकार के उद्यम उड़ीसा औद्योगिक आधारभूत संरचना विकास निगम (आईडीसीओ) को आईओसी ने 57.5 करोड़ रुपयों की राशि का भुगतान कर दिया है। उक्त राशि में भूमि मालिकों को मुआवजा हेतु 40.3 करोड़ रुपये शामिल हैं।

(ग) और (घ) उड़ीसा सरकार और आईओसीएल ने उड़ीसा सरकार द्वारा सहमत राजकोषीय प्रोत्साहनों पर आधारित परियोजना के कार्यान्वयन हेतु दिनांक 16.2.2004 को एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं। भूमि मालिकों को दिए जाने वाले मुआवजे को एमओयू पर हस्ताक्षर करने से पहले ही अंतिम रूप दे दिया जा चुका था। एमओयू की मुख्य विशेषताओं में उड़ीसा सरकार द्वारा दिए गए प्रोत्साहन पैकेज में, वाणिज्यिक उत्पादन आरंभ होने से 11 वर्षों तक रिफाइनरी के उत्पादनों पर बिक्री कर में आस्थगन और कच्चे तेल और सामग्री पर प्रवेश कर में छूट दी जानी शामिल है।

कमीशंड कार्यक्रमों का निर्माण

4332. श्री सुनील खां : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या दूरदर्शन निदेशालय द्वारा कमीशंड कार्यक्रमों के निर्माण के लिए कोलकाता दूरदर्शन को मात्र लगभग 96 लाख रु. आबंटित किए गए हैं जबकि इसी प्रयोजनार्थ अन्य प्रमुख केन्द्रों को 4 से 6 करोड़ रुपये आबंटित किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो कोलकाता दूरदर्शन को कम धनराशि आवंटित करने के क्या कारण हैं; और

(ग) कमीशंड कार्यक्रम के निमार्ण के लिए कोलकाता दूरदर्शन को अन्य केन्द्रों के बराबर धनराशि के आबंटन हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) प्रसार भारती,

सांविधिक/स्वायत्तशासी निगम ने सूचित किया है कि भारतीय शास्त्रीय श्रृंखलाओं के अंतर्गत कमीशंड, बांग्ला कार्यक्रमों के लिए विशेष रूप से 96 लाख रुपये का आबंटन किया गया है।

इसी प्रकार 39 लाख रुपये से 168 लाख रुपये तक की सीमा में निधियां अन्य केन्द्रों को ग्यारह अन्य क्षेत्रीय भाषाओं में ऐसे कार्यक्रमों के निर्माण के लिए आबंटित की गयी हैं।

(ग) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता को भारतीय शास्त्रीय श्रृंखलाओं के अंतर्गत बांग्ला भाषा में कार्यक्रमों के लिए आबंटित निधियां पर्याप्त हैं।

प्रसार भारती कर्मचारियों को उच्च वेतनमान

4333. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आकाशवाणी तथा दूरदर्शन के कार्यक्रम एवं इंजीनियरिंग संवर्ग के कर्मचारियों को प्रसार भारती ने अपनी सेवाएं देने के लिए पहले ही उच्च वेतनमान दिए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो अन्य संवर्गों को विकल्प देकर कार्यक्रम तथा इंजीनियरिंग कर्मचारियों के बराबर उच्च वेतनमान न दिए जाने के क्या कारण हैं; और

(ग) सूचना और प्रसारण मंत्रालय के दिनांक 25 फरवरी, 1999 के आदेश के पश्चात् विभिन्न संवर्गों के वेतनमानों में विसंगतियों को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं/उठाए जाने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) प्रसार भारती कर्मचारियों की कुछ श्रेणियों को कार्यात्मक अनिवार्यता के आधार पर उच्च वेतनमान दिया गया था।

(ख) और (ग) प्रसार भारती से प्राप्त एक प्रस्ताव पहले ही सरकार के विचाराधीन है।

टॉप्ड ऐरे सोनर नागन प्रणाली का उत्पादन

4334. डा. के. एस. मनोज : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय नौसेना में स्वदेशी रूप से विकसित "टॉप्ड ऐरे सोनर नागन सिस्टम" की स्थापना/शामिल करने की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या भारतीय नौसेना ने इस प्रणाली का आर्डर भारत इलेक्ट्रॉनिक्स लिमिटेड को दिया है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या ऐरे सिस्टम के निर्माण तथा परीक्षण कार्य करने के लिए केल्ट्रॉन कंट्रोल्स, अलूर तथा केईसीएल, कुट्टीपुरम अपनी सुविधाओं तथा बुनियादी ढांचे को बेहतर बनाने की योजना बना रहा है;

(ङ) यदि हां, तो क्या केल्ट्रॉन को प्रारूप प्रौद्योगिकी दस्तावेज दे दिया गया है;

(च) यदि हां, तो क्या अवसंरचना निवेश के लिए केन्ट्रॉन को तैयार करने हेतु टॉप्ड ऐरे सोनर नागन सिस्टम के लिए मांग-पत्र जारी कर दिया गया है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) भारतीय नौसेना की अग्रणी पंक्ति पोत पर इस प्रणाली का तकनीकी परीक्षण पूरा कर लिया गया है। शेष समुद्री परीक्षण तथा मूल्यांकन परीक्षण, 06 सितंबर से तथा उसके पश्चात्, वैकल्पिक प्लेटफार्म पर किए जाने का कार्यक्रम है।

(ख) और (ग) भारतीय नौसेना, नए निर्मित किए जाने वाले पोतों के लिए इस प्रणाली हेतु आर्डर देने पर विचार कर रही है। मैसर्स बी ई बेंगलूर को नागन प्रणाली के लिए प्रमुख उत्पादन एजेंसी तथा प्रणाली संघटनकर्ता के रूप में चिन्हित किया गया है।

(घ) वर्तमान में केल्ट्रॉन कंट्रोल्स, नेवल फिजिकल एण्ड ओसियनोग्राफी लेबोरेट्री परिसर में प्रोटोटाइप अरे का संघटन कर रहा है। अरे का उत्पादन करने के लिए उनकी सुविधाओं और बुनियादी ढांचे में वृद्धि करने की जरूरत है।

(ङ) प्रौद्योगिकी का पहले ही हस्तांतरण किया जा रहा है।

(च) और (छ) अभी नहीं। मैसर्स बी ई, नौसेना से आर्डर प्राप्त होने पर, मांग-पत्र प्रस्तुत करेगा।

अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के लिए खुदरा बिक्री केन्द्र

4335. श्री गणेश सिंह : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एचपीसीएल), अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों से संबंध रखने वाले उम्मीदवारों को खुदरा बिक्री केन्द्र प्रदान कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या एचपीसीएल ने ये बिक्री केन्द्र कंपनी की लागत से ही स्थापित किए हैं;

(ग) यदि हां, तो क्या इस वर्ग से संबंध रखने वाले लोगों को इन बिक्री केन्द्रों की स्थापना के लिए भूमि खरीदने के लिए विवश किया जाता है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ङ) कंपनी द्वारा 2004 से आज की तारीख तक अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों को राज्यवार कितने बिक्री केन्द्र स्वीकृत किए गए?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरशन लिमिटेड (एचपीसीएल) सहित सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओएमसीज) के दिशानिर्देशों के अनुसार स्थापित किए जाने वाले कुल खुदरा बिक्री केन्द्रों का 25% अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति (अ.जा./अ.ज.जा.) श्रेणी के लिए आरक्षित किए जाते हैं। ऐसे सभी आरक्षित स्थानों के संबंध में अन्य ओएमसीज की तरह एचपीसीएल अपनी स्वयं की लागत से सभी आधारभूत सुविधाएं सहित खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करतीं हैं।

(ग) और (घ) अ.जा./अ.ज.जा. श्रेणी से संबंधित आवेदकों से खुदरा बिक्री केन्द्र स्थापित करने के लिए भूमि, आधारभूत ढांचे और वित्त का प्रस्ताव करने की अपेक्षा नहीं की जाती है।

(ङ) जनवरी, 2004 से सितम्बर, 2005 तक देश में अ. जा./अ.ज.जा. श्रेणी को एचपीसीएल द्वारा आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्य/केन्द्रशासित प्रदेश वार संख्या संलग्न विवरण में दी गई है।

विवरण

एचपीसीएल द्वारा अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति वर्ग के तहत आबंटित खुदरा बिक्री केन्द्रों की राज्य/केन्द्र शासित प्रदेशवार संख्या

क्रम संख्या	राज्य/संघ शासित प्रदेश	जनवरी, 2004 से सितंबर 2005 के दौरान आबंटनों की संख्या	
		अनुसूचित जाति	अनुसूचित जनजाति
1	2	3	4
1.	आंध्र प्रदेश	24	16
2.	असम	2	6
3.	बिहार	1	3
4.	चंडीगढ़	0	0
5.	छत्तीसगढ़	6	7
6.	दिल्ली	1	0
7.	गोवा	0	0
8.	गुजरात	11	22
9.	हरियाणा	30	0
10.	हिमाचल प्रदेश	7	1
11.	जम्मू-कश्मीर	2	0
12.	झारखंड	4	5
13.	कर्नाटक	34	8
14.	केरल	25	2
15.	महाराष्ट्र	21	22
16.	मेघालय	0	8
17.	मिजोरम	0	3
18.	मध्य प्रदेश	10	26

1	2	3	4
19.	नागालैंड	0	2
20.	उड़ीसा	4	7
21.	पांडिचेरी	3	0
22.	पंजाब	66	0
23.	राजस्थान	24	16
24.	सिक्किम	0	1
25.	तमिलनाडु	56	3
26.	उत्तर प्रदेश	61	5
27.	उत्तरांचल	12	1
28.	पश्चिम बंगाल	14	5
	योग	418	169

[हिन्दी]

तहलका मामले में सी बी आई जांच

4336. श्री रशीद मसूद : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सीबीआई ने तहलका मामले की जांच पूरी कर ली है;

(ख) यदि हां, तो उसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) यदि नहीं, तो इसकी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(घ) इस मामले की जांच कब तक पूरी हो जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) जी, नहीं

(ग) और (घ) जांच-कार्य पूरा करने के लिए केन्द्रीय जांच ब्यूरो को कोई समय-सीमा नहीं दी गई है। यह केंद्रीय जांच ब्यूरो को तय करना है कि वे कितने समय में जांच-कार्य पूरा कर सकेंगे।

[अनुवाद]

अल्पसंख्यक सूची

4337. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत के उच्चतम न्यायालय ने केन्द्र सरकार से देश में अल्पसंख्यकों की अधिसूचित सूची को न्यूनतम रखने तथा अंततः इसे समाप्त करने का निर्देश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा इस पर सरकार की क्या प्रकिक्रिया है; और

(ग) केन्द्र सरकार द्वारा निर्देशों के क्रियान्वयन हेतु क्या कदम उठाए गए हैं/उठाये जाने का विचार है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) जी, हां। केन्द्र सरकार द्वारा अधिसूचित अल्पसंख्यक समुदायों की सूची में "जैनियों" को शामिल करने के संबंध में बाल पाटिल और अन्य बनाम भारत संघ और अन्य मामले में, भारत के उच्चतम न्यायालय ने अन्य बातों के साथ-साथ यह टिप्पणी की है कि आयोग राष्ट्रीय अल्पसंख्यक आयोग अधिनियम, 1992 के अंतर्गत अधिसूचित अल्पसंख्यकों की सूची में जोड़े जाने के लिए विभिन्न समुदायों से दावे मंगाने के बजाय सामाजिक व्यवस्था सृजित करने में सहायता हेतु अर्थोपाय सुझाए जिससे अधिसूचित अल्पसंख्यकों की सूची धीरे-धीरे कम हो जाए और अंततः बिल्कुल समाप्त हो जाए। उच्चतम न्यायालय द्वारा की गई टिप्पणी को मंत्रालय ने ध्यान में रखा है।

(ग) उपर्युक्त के मद्देनजर अल्पसंख्यकों के पिछड़े वर्गों के सामाजिक-आर्थिक विकास के लिए सरकार पहले से ही विभिन्न योजनाएं कार्यान्वित कर रही है।

केबल टेलीविजन का डिजीटलीकरण

4338. श्री एम. श्रीनिवासुलु रेड्डी : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने केबल टेलीविजन के डिजीटलीकरण के लिए एक राष्ट्रीय कार्य योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) कार्य योजना के क्रियान्वयन के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हां। भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने केबल टेलीविजन के डिजिटलीकरण के संबंध में दिनांक 14 सितंबर, 2005 की अपनी सिफारिशों में अनुशंसा की है कि 1 अप्रैल, 2006 से 31 मार्च, 2010 तक डिजिटलीकरण हेतु एक राष्ट्रीय योजना होनी चाहिए। ये सिफारिशें ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध हैं। इस योजना की मुख्य विशेषताएं निम्नलिखित हैं:–

(i) वर्ष 2010 तक एक मिलियन से अधिक आबादी वाले सभी शहरों/शहरी समूहों में डिजिटल सेवा की शुरूआत। इन सभी शहरों में इसके साथ–साथ मौजूदा एनालॉग सेवा जारी रहेगी।

(ii) नए प्रवेशकों के लिए लाइसेंस व्यवस्था और मौजूदा संचालकों के लिए स्वचालित लाइसेंस–व्यवस्था।

(iii) दिनांक 1 अप्रैल, 2006 तक आयात एवं घरेलू शुल्कों का सरलीकरण।

(iv) इन चार वर्षों (2006–10) के दौरान उपभोक्ता शिक्षा कार्यक्रम के लिए मनोरंजन कर का उपयोग।

(ग) सरकार इन सिफारिशों की जांच कर रही है।

[हिन्दी]

इलाहाबाद से वाराणसी तक रेल लाइन का दोहरीकरण

4339. श्री सुकाली सरोज : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इलाहाबाद और वाराणसी के बीच चलने वाली लंबी दूरी की रेलगाड़ियां एक ही लाइन होने के कारण आमतौर पर विलंब से चलती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार का विचार इलाहाबाद और वाराणसी के बीच वाया ग्यानपुर रेल लाइन का दोहरीकरण करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं तथा इस समस्या से निपटने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

(घ) खंड की क्षमता अभी तक दोहरीकरण के लिए मान्य स्तर तक नहीं पहुंची है।

[अनुवाद]

युद्ध में शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं की स्थिति

4340. डा. राजेश मिश्रा :

श्री जे. एम. आरून रशीद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनवरी, 1999 से पहले विभिन्न आपरेशनों के दौरान अपने जीवन का बलिदान देने वाले सैनिकों की विधवाओं को युद्ध के दौरान शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं का दर्जा नहीं किया जा रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस असमानता को दूर करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का विचार है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, नहीं। जब किसी युद्ध–संक्रिया में किसी सैनिक की मृत्यु हो जाती है तो, निर्धारित कार्यविधि के अनुसार, उसे युद्ध हताहत घोषित करने की प्रक्रिया है। ऐसे युद्ध हताहतों की विधवाओं को सामान्यतया युद्ध–विधवा कहा जाता है।

(ख) और (ग) शहीद हुए सैनिकों की विधवाओं/युद्ध हताहतों

के निकटतम संबंधी को, संक्रियाओं (आपरेशनों) के स्वरूप के आधार पर, विभिन्न लाभ दिए जाते हैं।

पांडुरंगपुरम से सरुपका तक रेल लाइन का विस्तार

4341. डा. बापू राव मिडियम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने आंध्र प्रदेश में पांडुरंगपुरम से सरुपका तक रेल लाइन के विस्तार का प्रस्ताव छोड़ दिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या रेलवे को विभिन्न पक्षों से उक्त रेल लाइन बिछाने हेतु अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) पाण्डूरंगपुरम से सरापका तक नई रेल लाइन के निर्माण के लिए आवेदन प्राप्त हुए हैं। सर्वेक्षण पूरा कर लिया गया था। चालू परियोजनाओं के भारी ओ फारवर्ड और संसाधनों की अत्याधिक कमी को ध्यान में रखते हुए प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

इंजन चालकों हेतु प्रशिक्षण केन्द्र

4342. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विशेषकर कर्नाटक में इंजन चालकों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन केन्द्रों की स्थापना कब तक किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ग) प्रश्न नहीं उठता।

ईंधन की कथित चोरी

4343. श्रीमती अर्चना नायक :

श्री असादूद्दीन ओवेसी :

श्री एम. पी. वीरेन्द्र कुमार :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने लद्दाख क्षेत्र में सेना को सप्लाई किए जा रहे ईंधन की कथित चोरी और उसमें मिलावट की जांच की है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले;

(ग) दोषी पाए गए व्यक्तियों/अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(घ) सरकार द्वारा ऐसी घटनाओं की पुनरावृत्ति को रोकने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) सरकार ने, लेह सेक्टर में सेना को सप्लाई किए जा रहे ईंधन की कथित चोरी की जांच-पड़ताल करने के लिए एक जांच अदालत के आदेश दिए थे। जांच से भारतीय तेल निगम के कुछ अधिकारियों, परिवहन एजेंसियों, ट्रक-ड्राइवरों और कतिपय सेना अधिकारियों के बीच अवैध आनुतोषिक प्राप्त करने की मंशा से ईंधन से स्थान पर धोखे से जलापूर्ति करने के षडयंत्र का पता चलता है। दो अधिकारियों को ड्यूटी से निलंबित कर दिया गया है तथा एक अधिकारी को सिविल पुलिस द्वारा गिरफ्तार कर लिया गया था। सेना तथा सिविल पुलिस द्वारा आगे की जांच जारी है। ऐसी घटनाओं को रोकने के लिए, सरकार द्वारा सितंबर, 2005 में ईंधन का लेखा-जोखा रखने और भंडारण करने, तेल तथा स्नेहक के हिसाब से विस्तृत ब्यौरा रखने, बड़ी मात्रा में भंडारण टैंकों का उपयोग करने, सामान-सूची नियंत्रण तथा भंडार का सत्यापन करने के संबंध में सभी फील्ड फार्मेशनों को दिशा-निर्देश जारी कर दिए गए हैं।

हजीरा पत्तन को रेल से जोड़ना

4344. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा :

डा. सुधीर अमरसिंह चौधरी :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) हजीरा पत्तन को उसकी पश्चभूमि से रेल लाइन को जोड़ने की परियोजना की वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ख) परियोजना पर अभी तक कुल कितनी राशि व्यय की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) यह एक अस्वीकृत परियोजना है जिसे रेल विकास निगम लिमिटेड (आर वी एन एल) द्वारा सरकारी निजी भागीदारी के तहत कार्यान्वित किया जाना है। इसका अंतिम स्थान सर्वेक्षण और व्यवहारिकता अध्ययन पूरा हो गया है। वित्तीय संरचना के अंतर्गत महत्वपूर्ण भागीदारों एवं व्यवहार्यता अंतर निक्षेप द्वारा बराबर के वित्त पोषण करने हेतु विचार किया गया है। महत्वपूर्ण भागीदारों ने वित्तीय भागीदारी के लिए अभी तक स्पष्ट रूप से प्रतिबद्धता जाहिर नहीं की है।

(ख) व्यवहारिकता अध्ययन एवं अंतिम स्थान निर्धारण सर्वेक्षण पर 13.21 लाख रु. का व्यय किया गया है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंप डीलरों को कमीशन

4345. श्री जसवंत सिंह बिश्नोई : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सरकारी और गैर–सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा अपने पेट्रोल पंप डीलरों को दिए जा रहे कमीशन के बीच कितना अंतर है;

(ख) क्या सरकार को सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों के पेट्रोल पंप डीलरों से गैर–सरकारी क्षेत्र के पेट्रोल पंप डीलरों को मिल रहे कमीशन के समान कमीशन देने के बारे में अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों द्वारा अपने खुदरा केन्द्र डीलरों को पेट्रोल और डीजल पर दिया जाने वाला डीलर का कमीशन क्रमशः 848 रु. /किलोलीटर और 509 रु./किलोलीटर है। निजी पेट्रोलियम कंपनियों द्वारा अपने डीलरों को दिया जाने वाला कमीशन डीलरों द्वारा किए गये निवेश के अनुसार अलग–अलग होता है।

(ख) से (घ) सरकार को अखिल भारतीय पेट्रोलियम व्यापारी संघ (एफएआईपीटी) से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जिनमें मूल्यानुसार 5% कमीशन की मांग की गई है। तेल विपणन कंपनियों द्वारा विपणनतंत्र और डीलरों के कमीशन पर खर्च का जांच अध्ययन करने और समुचित सिफारिश करने हेतु अहमदाबाद के भारतीय प्रबंधन संस्थान (आईआईएम) को काम सौंप दिया गया है। रिपोर्ट की प्रतीक्षा की जा रही है।

कम लागत वाली हवाई सेवाएं

4346. श्री तुकाराम गणपतराव रेंगे पाटील :

श्री वी. के. दुग्गर :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आज तक देश में कम लागत वाली हवाई सेवाएं शुरू करने के लिए कितने प्रस्ताव प्राप्त हुए हैं; और

(ख) सरकार द्वारा कितने प्रस्तावों को स्वीकार किया गया है?

नागर विमानन मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) कारोबार माडल के आधार पर सरकार एयरलाइनों की अलग पहचान नहीं करती है, इसलिए सरकार द्वारा इस प्रकार के कोई आंकड़े नहीं रखे जाते हैं। तथापि, वर्ष 2003 से 2005 तक (20.12.2005 तक) के दौरान, अनुसूचित विमान परिवहन (यात्री) सेवाओं के प्रचालन के लिए, 14 आवेदन प्राप्त हुए थे, जिनमें से 5 को अनुमोदित किया गया था।

[अनुवाद]

अन्तर्देशीय गैस आपूर्ति ग्रिड्स

4347. श्री एल. गणेशन : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ईंधन की मांग को पूरा करने के लिए अन्तर्देशीय गैस आपूर्ति ग्रिड्स स्थापित किए जा रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी स्थान-वार ब्यौरा क्या है;

(ग) यदि नहीं, तो सरकार का देश में तरलीकृत पेट्रोलियम गैस (एलपीजी) और प्राकृतिक गैस दोनों की मांग और आपूर्ति के अनुसार जरूरत को किस प्रकार पूरा करने का विचार है;

(घ) क्या तमिलनाडु में त्रिरूचिरापल्ली, पुडुकोट्टाई, थंजावुर और नागपट्टीनम जिलों को लाभ पहुंचाने हेतु कावेरी बेसिन में गैस/तेल संसाधनों का पूरी तरह से उपयोग करने का कोई प्रस्ताव है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) सरकार एक पाइपलाइन नीति तैयार कर रही है जिसमें सार्वजनिक क्षेत्र और निजी क्षेत्र दोनों को शामिल करते हुए एक प्रतिस्पर्धी वातावरण में एक राष्ट्रव्यापी गैस ग्रिड के प्रगामी विकास की परिकल्पना है। विभिन्न पाइपलाइन खंडों का क्रियान्वयन, अन्य बातों के साथ-साथ गैस के विपणन और आपूर्ति स्रोतों के लिए उचित गठजोड़ प्राप्ति पर निर्भर होगा।

देश में कंपनियों द्वारा वाणिज्यिक प्रतिफलों के अनुसार गैस पाइपलाइनें बिछाई गई हैं और बिछाई जा रही हैं। वर्तमान में, मंत्रालय के प्रशासनिक नियंत्रणाधीन सार्वजनिक क्षेत्र का उपक्रम, गेल, दहेज-उरण पाइपलाइन और विजयपुर-कोटा पाइपलाइन परियोजना का निष्पादन कर रहा है। गेल की विभिन्न अन्य पाइपलाइन परियोजनाओं को क्रियान्वित करने की योजना है जिनकी विस्तृत व्यवहार्यता रिपोर्टें (डीएफआरएस) तैयार की जा रही है। दि गेस ट्रांसपोर्टेशन एंड इंफ्रास्ट्रक्चर कंपनी लिमिटेड (जीटीआईसीएल) और गुजरात राज्य पेट्रोलियम निगम लिमिटेड (जीएसपीसीएल) ने भी देश में गैस पाइपलाइन बिछाने का प्रस्ताव किया है।

(ग) प्राकृतिक गैस की लगभग 150 मिलियन मानक घन मीटर प्रतिदिन की अनुमानित मांग के प्रति वर्तमान में कुल उपलब्धता लगभग 92 एमएमएससीएमडी है। प्राकृतिक गैस की उपलब्धता को बढ़ाने हेतु किए गए प्रयासों में नई अन्वेषण लाइसेंस नीति (एनईएलपी) के अधीन घरेलू गैस उपलब्धता का संवर्धन, तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एलएनजी) का आयात, और राष्ट्र पारीय पाइपलाइनों के माध्यम से गैस आयात के प्रयास शामिल हैं।

एलपीजी के संबंध में, मांग घरेलू उत्पादन और आयातों के सम्मिश्रण द्वारा पूरी की जाती है। 2004-05 के दौरान कुल मांग 9938 टीएमटी थी जिसे 7737 टीएमटी घरेलू उत्पादन से और 2217 टीएमअ आयात द्वारा पूरा किया गया।

(घ) और (ङ) कावेरी बेसिन में उपलब्ध गैस का तमिलनाडु के विभिन्न भागों में उपभोक्ताओं द्वारा पूर्णतः उपयोग किया जा रहा है। 2005-06 की प्रथम और दूसरी तिमाहियों में कावेरी बेसिन से गैस की औसतन आपूर्ति क्रमशः 2.069 एमएमएससीएमडी और 2.158 एमएमएससीएमडी थी।

एन सी आर में नया विमानपत्तन

4348. श्री के. एस. राव :

श्री बालासोवरी वल्लभनेनी :

श्री एन. एस. वी. चित्तन :

क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र (एन. सी. आर.) में एक नया विमानपत्तन बनाने की योजना बना रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हरियाणा सरकार सिस्ता विमानपत्तन के निर्माण हेतु इंदिरा गांधी अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तन के साथ वाली 4000 एकड़ भूमि देने की पेशकश कर रही है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) केन्द्र सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) और (ङ) प्रश्न नहीं उठते।

रेलवे हेतु योजना

4349. श्री वीरेन्द्र कुमार : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने रेलवे हेतु कोई दीर्घकालीन योजना तैयार की है;

(ख) यदि हां, तो दीर्घकालीन योजना में किस बात पर मुख्य बल दिया गया है; और

(ग) इसमें खर्च होने वाली राशि का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां।

(i) रेलवे ने नवंबर, 2004 में एक एकीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना (आई आर एम पी) – 2005–2010 तैयार की है।

(ii) समवेत संरक्षा योजना 2003–2013 भी तैयार की गई है।

(ख) (i) एकीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना : इस योजना में निश्चित समय–सूची के तहत गतिविधियों के कार्यान्वयन की पहचान की गई है। इस योजना में माल भाड़ा व्यवसाय क्षेत्र, यात्री संव्यवहार क्षेत्र तथा रेलवे कार्य प्रणाली, की अन्य संबंधित क्षेत्रों के आधुनिकीकरण की बात कही गई है। चिह्नित गतिविधियों का आधुनिकीकरण एक लक्ष्य के रूप में नहीं अपितु साध्य के रूप में रेलवे को अतिरिक्त जवाबदेही तथा एक जिम्मेदार संगठन बनाने के लिए किया गया है। चिह्नित गतिविधियों का उद्देश्य संवर्धित कुशलता, कम लागत पर संवर्धित ग्राहक संवर्धन के लिए है। इस योजना में निम्नलिखित शामिल हैं :

यात्री संव्यवहार क्षेत्र में सभी राजधानी/शताब्दी गाड़ियों में अधिकाधिक आधुनिक सवारी डिब्बे लगाना, पूरे देश में अनारक्षित टिकट वितरण प्रणाली तथा यात्री आरक्षण प्रणाली का विस्तार, सवारी डिब्बों में पर्यावरण के अनुकूल शौचालय, टक्कररोधी तथा अग्निरोधी विशेषताओं से सुसज्जित बेहतर संरक्षा विशिष्टताओं से लैस सवारी डिब्बे इत्यादि शामिल है।

माल यातायात क्षेत्र में उच्चतर धुरा–भार वाले पहिए, दोहरे चट्टे वाले कंटेनर, तथा चिह्नित मार्गों पर रोल–ऑन–रोल–ऑफ मालडिब्बों को लगाना, हल्के तथा जंगरोधी तथा अल्युमिनियम मालडिब्बों का लगाना, टर्मिनल, रेक तथा फ्लू प्रबंधन प्रणाली को शामिल करने के लिए माल यातायात परिचालन प्रबंधन प्रणाली का विस्तार, कुछ अन्य थ्रू–पुट संवर्धन संबंधी कार्यों सहित राष्ट्रीय रेल विकास योजना के अंतर्गत चिह्नित कार्यों का समापन इत्यादि शामिल है।

अन्य आधुनिक शुरूआतों में रेलपथ आधुनिकीकरण तथा अनुरक्षण पद्धतियां, पुल प्रबंधन प्रणाली का आधुनिकीकरण, सिगनल एवं दूर–संचार प्रणाली, यांत्रिकीय एवं विद्युत प्रणाली तथा आपदा प्रबंधन प्रणाली इत्यादि शामिल है।

आधुनिकीकरण योजना के तहत वित्तपोषक आवश्यकताओं सहित प्रत्येक गतिविधि को पूरा करने का लक्ष्य चिह्नित किया जाता है। बड़ी तादाद में ये कार्य रेलवे की उत्तरोत्तर योजनाओं का भाग है जिनका वित्तपोषण सामान्य वित्तपोषण के स्रोतों से किया जाएगा। आवश्यक शेष निधि को संवर्धित आंतरिक सृजन, अतिरिक्त बजटीय स्रोतों तथा संवर्धित बजटीय सहायता के जरिए जुटाया जाएगा।

ऐसी आशा की जाती है कि एकीकृत रेलवे आधुनिकीकरण योजना, जो कि अपने तरह की ऐसी पहली योजना होगी, से यह सुनिश्चित हो सकेगा कि रेलवे न केवल निष्पादन के मौजूदा स्तर को बरकरार रख सकेगी अपितु यात्री एवं माल यातायात की बढ़ती हुई मांगों को भी पूरा कर सकेंगी तथा अपने लाखों ग्राहकों को कुशल सेवाएं मुहैया कराएंगी और निकट भविष्य में एक विश्व स्तरीय रेलवे प्रणाली बन जाएगी।

(ii) समवेत संरक्षा योजना : समवेत संरक्षा योजना में उन उद्देश्यों, रणनीतियों तथा लक्ष्यों का जिक्र किया गया है जिसके लिए भारतीय रेलवे अगले दशक में भरसक प्रयास करेंगी। इस दस्तावेज में संरक्षा संबंधित कार्यों की प्राथमिकताओं को शामिल किया गया है और वित्तीय निदेशों की आकलित अनुमानित आवश्यकता सहित इन्हें पूरा करने का खाका दर्शाया गया है।

यद्यपि दुर्घटनाओं में हताहतों की तादाद न्यूनतम करने का प्रमुख उद्देश्य रहता है, फिर भी योजना उद्देश्यों को दुर्घटना मुक्त तथा हताहत मुक्त रेलवे प्रणाली को अंजाम देने की दृष्टि से हमारे प्रयासों को मध्यम स्तर ही माना जाना चाहिए। यद्यपि रेलवे को एक दुर्घटना मुक्त प्रणाली बनाना पहाड़ जैसा कार्य है, फिर भी इस श्रमिक गहन, संसाधनों से तंग वृहत संगठन में प्रक्षेपित आवश्यक निवेश की योजना तैयार करने के लिए एक वास्तविक तथा विश्लेषणात्मक दृष्टिकोण अपनाया गया है।

भारतीय रेलवे की समवेत संरक्षा योजना (2003–2013) में अपने ग्राहकों को आसन्न खतरे के स्तर में लगातार कमी लाने, प्रणाली में सुझाई सिफारिशों का कार्यान्वयन, बेहतर संरक्षा कल्चर अपनाने, परिसंपत्तियों की संवर्धित विश्वसनीयता इत्यादि के लिए संरक्षा कार्य योजना की भी परिकल्पना की गई है। इसमें

परिसंपत्तियों का निरंतर आधुनिकीकरण तथा पुर्नस्थापन, कर्मचारियों और मशीनों में गुणवत्तापरक परिवर्तन, मानवीय प्रयासों में उचित प्रौद्योगिकियों को आत्मसात करना शामिल है।

(ग) (i) योजना में हमारी वित्तीय रणनीति की रूपरेखा भी दर्शायी गई है। 24,000 करोड़ रु. के कुल खर्च में से विशेष रेल संरक्षा निधि के अंतर्गत 4000 करोड़ रु. उपलब्ध है, आंतरिक सृजनों के जरिए 3,730 करोड़ रु. तथा बाजार से ऋण लेकर 6,000 करोड़ रु. जुटाए जाने का प्रस्ताव है। शेष 10,270 करोड़ रु. की जरूरतों को बजटीय सहायता से पूरा किया जाएगा।

(ii) समवेत संरक्षा योजना में संरक्षा कार्य की परिकल्पना की गई है जिसमें सामान्य समय सीमा के भीतर दस वर्षीय अवधि के दौरान संरक्षा से संबंधित कुल 31,835 करोड़ रु. के निवेश को प्रस्तावित किया गया है। जिसके तहत परिसंपत्तियों के आधुनिकीकरण का पुर्नस्थापन, कर्मचारियों और मशीन तंत्र में गुणवत्तापरक परिवर्तन, मानवीय प्रयासों में उचित प्रौद्योगिकी का समाहन इत्यादि किया जाएगा।

विमानपत्तनों पर सुरक्षा जांच हेतु प्रबंध

4350. श्री एम. शिवन्ना : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि 19 नवम्बर, 2005 को रायपुर विमानपत्तन पर यात्रियों के बैगों की जांच करने वाली एक्स–रे मशीन खराब थी और सामान को जांच किए बिना लाद दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो क्या देश में विमानपत्तनों पर सुरक्षा जांच हेतु कोई वैकल्पिक प्रबंध नहीं है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसे मामलों में सुरक्षा जांच हेतु वैकल्पिक प्रबंध करने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) दिनांक 19.11.2005 को, रायपुर एयरपोर्ट पर यात्रियों के पंजीकृत सामान की जांच के लिए लगाई गई मशीन मरम्मत के योग्य नहीं थी। तथापि, निर्धारित निर्देशों के अनुसार, यात्रियों के पंजीकृत सामान को हाथ से जांच करने के बाद उसे लोड किया गया था।

(ख) से (घ) देश के कुछ प्रमुख हवाईअड्डों पर, प्रचालनरत एक्स–रे मशीनों के विकल्प के रूप में अतिरिक्त एक्स–रे मशीनें उपलब्ध करवाई गई हैं। तथापि, छोटे हवाईअड्डों पर, टर्मिनल भवनों में स्थान की कमी की वजह से अतिरिक्त एक्स–रे मशीन उपलब्ध नहीं करवाई गई हैं। जब भी एक्स–रे मशीनें खराब हो जाती हैं तो यात्रियों के पंजीकृत सामान की, सुरक्षा कर्मियों द्वारा हाथ से जांच की जाती है।

[हिन्दी]

स्टूडियों भवनों को किराए पर लेना

4351. योगी आदित्यनाथ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या उत्तर प्रदेश में दूरदर्शन केन्द्रों के स्टूडियों भवनों को किराए पर लिया हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान कुल कितनी राशि व्यय की गई है; और

(ग) उत्तर प्रदेश में प्रत्येक दूरदर्शन केन्द्र के स्टूडियो के लिए भवनों का निर्माण कार्य कब तक पूरा होने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि उत्तर प्रदेश में गोरखपुर स्थित केवल एक दूरदर्शन केन्द्र (स्टूडियो केन्द्र) किराए के भवन में कार्यशील है। पिछले तीन वर्षों (2002–2003 से 2004–2005) के दौरान भवन के किराए पर हुआ कुल व्यय 1,22,940/– रुपये प्रति वर्ष की दर पर 3,68,820/– रुपये है।

(ग) गोरखपुर में दूरदर्शन के स्वयं के स्टूडियो भवन का निर्माण कार्य प्रगति पर है जिसके वर्ष 2006–2007 के दौरान पूरा हो जाने की आशा है।

बिलासपुर से मंडला तक रेल लाइन

4352. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने बिलासपुर से मंडला तक रेल लाइन बिछाने हेतु कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निष्कर्ष क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने उक्त परियोजना को स्वीकृति दे दी है;

(घ) यदि हां, तो परियोजना पर कार्य शुरू करने में विलंब के क्या कारण हैं; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) बिलासपुर से जबलपुर को जोड़ने के लिए दो वैकल्पिक मार्गों का पता लगाने के लिए 2003–2004 के दौरान सर्वेक्षण किया गया था। प्रथम नैनपुर को छोड़ते हुए मंडला के रास्ते बिलासपुर और जबलपुर के बीच सीधी लाइन का निर्माण करके और दूसरा सिर्फ बिलासपुर से मण्डला फोर्ट तक एक नई लाइन के निर्माण द्वारा और मण्डला फोर्ट–नैनपुर खंड का आमान परिवर्तन पूरा करके सर्वेक्षण रिपोर्ट के अनुसार दोनों ही मामलों में ऋणात्मक प्रतिफल की दर के साथ प्रथम विकल्प की लागत 1284.11 करोड़ रु. आंकी गई थी जबकि दूसरे विकल्प की लागत 736.96 करोड़ रु. आकलित की गई थी।

परियोजना के अलाभप्रद स्वरूप चालू परियोजनाओं के भारी थ्रो फारवर्ड और संसाधनों की अत्यधिक कमी को ध्यान में रखते हुए बिलासपुर–मण्डला–जबलपुर नई लाइन का पूर्ण अथवा आंशिक रूप से निर्माण करना फिलहाल व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

वीरमगाम से जामनगर तक रेल लाइन का दोहरीकरण

4353. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई माडम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार वीरमगाम से जामनगर तक रेल लाइन का दोहरीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) जी नहीं। इस खंड पर यातायात अभी उस स्तर पर नहीं पहुंचा है जिससे दोहरीकरण का औचित्य बनता हो।

[हिन्दी]

ओएनजीसी द्वारा कारोबार का विविधीकरण

4354. श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या तेल और प्राकृतिक गैर निगम (ओएनजीसी) लगातार गत तीन वर्षों से निर्धारित लक्ष्य के अनुसार कच्चे तेल का उत्पादन नहीं कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या कंपनी अन्य क्षेत्रों में अपने कारोबार का विविधीकरण करने हेतु प्रयास कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो ओएनजीसी को अपने कारोबार का विविधीकरण करने की अनुमति देने के क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) 2002–03 से 2004–05 की समयावधि के दौरान, ओएनजीसी द्वारा किया गया तेल का वास्तविक उत्पादन 2002–03 और 2004–05 में निर्धारित लक्ष्यों से थोड़ा अधिक था जबकि यह 2003–04 के लक्ष्यों से थोड़ा कम था। विवरण निम्नानुसार है :–

वर्ष	कच्चे तेल का उत्पादन (एमएमटी)	
	लक्ष्य	वास्तविक
2004–05	26.174	26.484
2003–04	26.387	26.057
2002–03	25.9	26.005

(ख) और (ग) तेल और गैस के अन्वेषण और उत्पादन के अपने मुख्य दक्षता क्षेत्रों में बल देने के अलावा ओएनजीसी अग्रगामी और पश्चगामी समेकन द्वारा अपने कार्यों के विविधीकरण

के विभिन्न विकल्पों की खोज कर रही है, इस संबंध में विभिन्न एजेंसियों के साथ निम्न समझौता ज्ञापन (एमओयू)/करार ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं।

(1) दहेज विशेष आर्थिक क्षेत्र (एसईजैड) में ढांचागत सुविधाएं बनाने के लिए एलएनजी आधारित मूल्य वर्द्धित परियोजनाओं को स्थापित करने हेतु गुजरात औद्योगिक निगम लिमिटेड (जीआईडीसी) के साथ एमओयू।

(2) मंगलौर, कर्नाटक में तटीय एसईजैड के विकास के लिए कर्नाटक औद्योगिक क्षेत्र विकास बोर्ड (केआईएडीबी) और कनारा वाणिज्य एवं उद्योग मंडल के साथ एमओयू।

(3) काकीनाडा में बंदरगाह आधारित एसईजेड के विकास के लिए काकीनाडा सीपोर्ट्स लिमिटेड (केएसपीएल) और इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसिएल सर्विसेज (आईएलएंड एफएस) के साथ एमओयू।

(4) त्रिपुरा में अलग-थलग पड़े गैस पूलों के कारण बंद पड़ी परिसंपत्तियों के मौद्रीकरण के क्रम में 750 मैगावाट के संयुक्त चक्रीय गैस टर्बाइन विद्युत संयंत्र को स्थापित करने के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर लीजिंग एंड फाइनेंसिएल सर्विसेज (आईएल एंड एफएस) के साथ एमओयू।

(5) ओएनजीसी की वर्तमान और भावी इकाइयों से अधिशेष विद्युत की थोक बिक्री के लिए पावर ट्रेडिंग कार्पोरेशन के साथ एमओयू।

इन एमओयूज में कल्पित विद्युत उत्पादन, तेल रिफाइनरी, पेट्रोरसायन, एलएनजी परिवहन इत्यादि के क्षेत्रों से संबंधित विभिन्न योजनाएं वैचारिक चरण में हैं। तथापि, ओएनजीसी को यह परामर्श दिया गया है कि वर्धित घरेलू तेल और गैस उत्पादन के ऊर्जा सुरक्षा के प्रति अत्यधिक महत्व और गरीबी उन्मूलन में तेजी लाने के लिए विकास की उच्चतर दरों में तीव्रता लाने हेतु विविधीकरण परियोजनाएं ओएनजीसी की मुख्य सक्षमता की लागत पर नहीं होनी चाहिए जो अन्वेषण और उत्पादन के व्यवसाय में है।

[अनुवाद]

देहरादून स्थित आयुध निर्माणी में धोखाधड़ी

4355. डा. पी. पी. कोया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा लेखा-परीक्षा प्राधिकारियों को देहरादून स्थित आयुध निर्माणी द्वारा कथित रूप से धोखाधड़ी करने के एक मामले का पता चला है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले;

(ङ) दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्यवाही की गई है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) लेखापरीक्षकों ने प्रक्रियागत अनियमितता के एक मामले का पता लगाया है।

(ख) यह सूचित किया गया था कि सेना को मदों की आपूर्ति करने के लिए निरीक्षण-दस्तावेज, नामित एजेंसी से इतर एजेंसी द्वारा प्रमाणित किए गए थे।

(ग) यूनिट स्तरीय जांच की गई है।

(घ) विचाराधीन मद, सेना और गृह मंत्रालय को एक साथ सप्लाई की जाती है। सेना को की जाने वाली आपूर्तियों का निरीक्षण गुणता आश्वासन नियंत्रक द्वारा किया जाता है। गृह मंत्रालय, फैक्टरी द्वारा किए जाने वाले स्वप्रमाणन के अधीन सामान स्वीकार करता है। निरीक्षण दस्तावेज आपस में मिल गए थे। गृह मंत्रालय के लिए अभिप्रेत दस्तावेज सेना को की जाने वाली आपूर्तियों के दस्तावेजों के साथ भूलवश नत्थी हो गए थे।

(ङ) किसी व्यक्ति के विरुद्ध कोई कार्रवाई नहीं की गई थी।

(च) यह गलती भूलवश हुई है। फैक्टरी द्वारा ऐसी गलती की पुनरावृत्ति रोकने के लिए निवारक उपाय किए गए हैं।

[हिन्दी]

तुर्कमेनिस्तान-अफगानिस्तान-पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना में भारत की भागीदारी

4356. प्रो. महादेवराव शिवनकर :

श्री चन्द्रभूषण सिंह :

श्री शिशुपाल पाटले :

श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

श्री मो. ताहिर :

श्री अशोक कुमार रावत :

क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार भारत ईरान गैस पाइपलाइन की अनिश्चितता के मद्देनजर तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान गैस पाइपलाइन परियोजना से जुड़ने की संभावनाओं का पता लगा रही है जैसा कि दिनांक 27 नवंबर, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) ईरान–पाकिस्तान–भारत (आईपीआई) गैस पाइपलाइन परियोजना के बारे में कोई अनिश्चितता नहीं है। सरकार ईरान और पाकिस्तान की सरकारों के साथ इस परियोजना के ब्यौरों के बारे में चर्चा कर रही है। इस प्रयोजन के लिए सचिव स्तरीय दो संयुक्त कार्य दल अर्थात् भारत–पाकिस्तान संयुक्त कार्य दल और भारत–ईरान विशेष संयुक्त कार्य दल गठित कर दिये गये हैं। इन कार्य दलों की बैठकें नियमित रूप से हो रही हैं और चर्चा संतोषजनक ढंग से प्रगति कर रही है।

तुर्कमेनिस्तान–अफगानिस्तान–पाकिस्तान (टीएपी) गैस पाइपलाइन परियोजना में भारत की सहभागिता का ईरान–पाकिस्तान–भारत (आईपीआई) गैस पाइपलाइन परियोजना से किसी तरह से कोई संबंध नहीं है। तुर्कमेनिस्तान, अफगानिस्तान और पाकिस्तान की सरकारें तुर्कमेनिस्तान में गैस भंडारों के दोहन के लिए राष्ट्र–पारीय गैस पाइपलाइन बिछाने हेतु कुछ समय से विचार कर रही हैं। उन्होंने एडीबी को प्रमुख सलाहकार और विकास साझेदार नामोदिष्ट किया है। भारत को इस पाइपलाइन परियोजना में शामिल होने के लिए हाल ही में ही आमंत्रित किया गया है। अपनी प्राकृतिक गैस की जरूरतों को देखते हुए, शुरू में एक प्रेक्षक के रूप में, भारत इसके लिए सहमत हो गया है।

[अनुवाद]

रेलवे स्टेशनों पर इस्केलेटर' का निर्माण

4357. श्री वरकला राधाकृष्णन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को देश में रेलवे स्टेशनों पर विशेषकर त्रिवेन्द्रम रेलवे स्टेशन पर इस्केलेटर के निर्माण हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) विभिन्न स्टेशनों पर इस्केलेटर की व्यवस्था के लिए मांग प्राप्त हुई है। त्रिवेन्द्रम सेंट्रल पर इस्केलेटर की व्यवस्था के लिए मांग नवम्बर, 2003 में प्राप्त हुई थी। जिसकी विस्तृत जांच की गई थी परंतु व्यावहारिक नहीं पाया गया।

एन.एफ.डी.सी. और सी.बी.एफ.सी.

4358. श्रीमती सुमित्रा महाजन : क्या **सूचना और प्रसारण** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) जून, 2004 से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम और केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड में कितने व्यक्ति नामित किए गए हैं;

(ख) क्या सरकार ने जून, 2004 से इन संगठनों से किसी व्यक्ति को हटाया है; और

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) यद्यपि जून, 2004 से राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम (एन एफ डी सी) के बोर्ड में किसी गैर–सरकारी सदस्य की कोई नियुक्ति नहीं की गई है तथापि, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी बी एफ सी) के बोर्ड का दिनांक 5/2/2005, 3/3/2005 और 3/6/2005 की अधिसूचनाओं के अंतर्गत पुनर्गठन किया गया था जिनके तहत बोर्ड में 23 सदस्यों की

नियुक्ति की गई थी। दिनांक 13/10/2004 की अधिसूचना के तहत अध्यक्ष की नियुक्ति की गई।

केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड को फिल्में प्रमाणित करने के अपने दायित्वों का निर्वहन करने में सक्षम बनाने के प्रयोजन से केन्द्र सरकार जनता के सदस्यों के बीच से प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय के लिए सलाहकार पैनल के सदस्यों को नियुक्ति करती है। प्रत्येक सलाहकार पैनल में सदस्यों की कोई अधिकतम संख्या निर्धारित नहीं है। जून, 2004 से नियुक्त सलाहकार पैनल के सदस्यों का ब्यौरा संलग्न विवरण–I के अनुसार है।

(ख) और (ग) चलचित्र अधिनियम, 1952 की धारा 3 के अनुसार केन्द्र सरकार केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के बोर्ड का गठन करेगी जिसमें अध्यक्ष और न्यूनतम 12 तथा अधिकतम 25 अन्य सदस्य शामिल होंगे। चलचित्र (प्रमाणन) नियमावली, 1983 के नियम 7 के अनुसार केन्द्र सरकार बोर्ड के प्रत्येक क्षेत्रीय कार्यालय में एक सलाहकार पैनल का गठन करेगी और सदस्यों की संख्या बोर्ड के परामर्श से निर्धारित की जाएगी। तथापि, केन्द्र सरकार कुल सदस्य–संख्या के अधिकतम एक–तिहाई सदस्यों के संबंध में ऐसे परामर्श की उपेक्षा कर सकती है। सी बी एफ सी के बोर्ड का गठन तीन वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए किया जाता है तथा सलाहकार पैनलों का गठन दो वर्ष की अवधि अथवा अगले आदेशों तक, जो भी पहले हो, के लिए किया जाता है। दिनांक 28/1/2004 को गठित सी बी एफ सी के 24 सदस्यों वाले बोर्ड का उपरोल्लिखित अधिसूचनाओं के तहत वर्ष 2005 में दोबारा पुनर्गठन किया गया तथा नए अध्यक्ष की नियुक्ति भी की गई। दिनांक 4/2/2004 को नौ क्षेत्रीय कार्यालयों के लिए गठित सलाहकार पैनलों में से संलग्न विवरण–II के अनुसार छह क्षेत्रीय कार्यालयों के सलाहकार पैनलों का वर्ष 2005 में दोबारा पुनर्गठन किया गया।

विवरण-I

जून, 2004 के बाद केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सलाहकार पैनल में नियुक्त सदस्य

क्रम सं.	क्षेत्र	वर्ष 2005 में नियुक्त सदस्यों की संख्या
1	2	3
1.	मुम्बई	100
2.	बंगलौर	44
3.	हैदराबाद	109
4.	चेन्नई	97
5.	तिरूवनंतपुरम	42
6.	दिल्ली	27

विवरण-II

जून, 2004 के बाद केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड के सलाहकार पैनल से हटाये गए सदस्य

क्रम सं.	क्षेत्र	जून, 2004 से पहले नियुक्त किए गए सदस्यों की संख्या
1.	मुम्बई	53
2.	बंगलौर	27
3.	हैदराबाद	30
4.	चेन्नई	28
5.	तिरूवनंतपुरम	27
6.	दिल्ली	30

भू-अर्जन

4359. श्रीमती सी.एस. सुजाता : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा कोचीन विमानपत्तन के विकास के लिए भू–स्वामियों की भूमि का अर्जन करते समय भू–स्वामियों के परिवार के सदस्यों को रोजगार प्रदान करने का आश्वासन दिया गया था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या भू–अर्जन करते समय इस संबंध में समझौतों पर भी हस्ताक्षर किए गए थे;

(घ) यदि हां, तो क्या सभी आश्वासनों/वायदों को पूरा कर दिया गया है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (च) प्रश्न नहीं उठते।

विज्ञापनों से राजस्व अर्जन

4360. श्री ए. साई प्रताप : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश में रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों के द्वारा रेलवे ने वर्ष–वार कितना राजस्व अर्जन किया है;

(ख) क्या ऐसे अर्जन में से राज्य सरकार को कोई हिस्सा या लाभ दिया गया है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) पिछले तीन वर्षों के दौरान आंध्र प्रदेश के रेलवे स्टेशनों पर प्रदर्शित विज्ञापनों से प्राप्त राजस्व का विवरण नीचे दिया गया है:

2002–03	1.18
2003–04	1.56
2004–05	2.22

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

रेलगाड़ियों को चलाया जाना

4361. श्री नरेन्द्र कुमार कुशवाहा :

श्री शिशुपाल पाटले :

प्रो. महादेवराव शिवनकर :

श्री मो. ताहिर :

श्री मुन्शी राम :

श्री अशोक कुमार रावत :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने आईआईटी के सहयोग से उसी पटरी पर कई रेलगाड़ियों को चलाने हेतु कोई परीक्षण कराया है, जैसा कि दिनांक 25 नवम्बर, 2005 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या उक्त पटरी पर किया गया परीक्षण सफल साबित हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या रेलवे का विचार ऐसी प्रणाली को शुरू करने का है; और

(च) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी नहीं। बहरहाल, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान (आई आई टी) कानपुर के सहयोग से अनुसंधान अभिकल्प मानक संगठन (आर डी एस ओ) द्वारा "सेटेलाईट इमेंजिंग फॉर रेल नेविगेशन" (एस आई एम आर ए एन) पर एक परियोजना शुरू की गई है। इस परियोजना का लक्ष्य गाड़ियों के चालन से संबंधित सूचना प्रणाली के आधार पर ग्लोबल पोजिशनिंग सिस्टम (जी पी एस) का अभिकल्प तैयार करने के संबंध में है। इस परियोजना का उद्देश्य एक ही रेलपथ पर अनेक गाड़ियां चलाना नहीं था।

(ग) और (घ) आई आई टी/कानपुर ने कानपुर–इलाहाबाद एवं कानपुर–लखनऊ खंड के रेलपथ की अक्षांश एवं देशान्तर मापने के लिए प्रारंभिक सर्वेक्षण आयोजित किया था।

(ङ) और (च) इस परियोजना को छोड़ने का विनिश्चय किया गया है।

[अनुवाद]

पुणे से अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानें

4362. श्री बालासाहिब विखे पाटील :

श्री मोहन रावले :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पुणे विमानपत्तन से कई अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का संचालन किया जा रहा है; और

(ख) यदि हां, तो शुरू की गई अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों या भविष्य में शुरू होने वाली अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) दोनों एयर इंडिया तथा इंडियन एयरलाइन्स ने पुणे को/से क्रमशः दुबई को 3 उड़ानें प्रति सप्ताह तथा सिंगापुर को 2 उड़ानें प्रति सप्ताह प्रचालित करके अनुसूचित अंतर्राष्ट्रीय सेवाएं प्रारंभ की हैं।

[हिन्दी]

प्लेटफार्म को ऊंचा उठाना

4363. श्री सज्जन कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने दिल्ली में मंडावली और चन्द्रावल रेलवे स्टेशनों के प्लेटफार्मों को ऊंचा उठाने की स्वीकृति दे दी है;

(ख) यदि हां, तो क्या इन प्लेटफार्मों को ऊंचा उठाने का निर्माण कार्य शुरू हो गया है;

(ग) यदि हां, तो इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) यदि नहीं, तो इस कार्य के कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) मण्डावली–चन्दर विहार नाम से दिल्ली में सिर्फ एक स्टेशन है। मण्डावली चन्दर विहार पर अप लाइन साइड के प्लेटफार्म को उठाने का कार्य शुरू हो चुका है, और इस पर 50% प्रगति हो चुकी है। 2005–06 के दौरान, डाउन लाइन को उठाने के कार्य को भी मंजूरी दी गई है।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल हेतु अलग रेलवे जोन

4364. श्री ए. अजय कुमार : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केरल हेतु अलग से रेलवे जोन की स्थापना का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसे कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) नए जोनों की स्थापना विभिन्न कारकों जैसे आर्थिक एवं कुशलता की आवश्यकताओं के अनुसार आकार, कार्य भार, पहुंच, यातायात स्वरूप एवं अन्य प्रशासनिक/परिचालनिक जरूरतों को ध्यान में रखकर की जाती है न कि क्षेत्रीय आधार पर। इन विचारों को ध्यान में रखकर जब केरल में जोन बनाने की मांग की जांच की गई तो इसे व्यावहारिक नहीं पाया गया।

जेटकेरो/एटीएफ के निर्यात पर प्रतिबंध

4365. श्री डी.वी. सदानन्द गौडा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों ने सरकार से जेट केरो/एविएशन टर्बाइन फ्यूल (एटीएफ) पर प्रतिबंध लगाये जाने पर विचार करने का अनुरोध किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) सरकार द्वारा इस पर क्या निर्णय लिया गया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.) के मिट्टी तेल का वितरण करने वाली तेल विपणन कंपनियों (ते.वि.कं.) ने फरवरी–मार्च, 2005 में सरकार को यह अभ्यावेदन दिया कि सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों में आत्मनिर्भर रिफाइनरियां सा.वि.प्र. मिट्टी तेल के लिए मिट्टी तेल की वांछित मात्राएं उपयुक्त मूल्यों पर प्रदान नहीं कर रही हैं। इसके परिणामस्वरूप तेल वितरण कंपनियों को उच्चतर मूल्यों पर मिट्टी तेल का आयात करने के लिए बाध्य किया जा रहा है जबकि कुछ आत्मनिर्भर रिफाइनरियां जेट केरोसीन/एविएशन टर्बाइन फ्यूल, सुपीरियर केरोसीन आयल (एसकेओ) का समकक्ष उत्पाद, का निर्यात कर रही है। इस बात की आशंका से कि सा.वि.प्र. के लिए वांछित मूल्यों पर घरेलू रूप से उत्पादित एसकेओ की अनुपलब्धता से स्थिति गंभीर हो सकती है, सरकार ने जेट केरोसीन/एटीएफ के निर्यात पर प्रतिबंध सहित सा.वि.प्र. के लिए मिट्टी तेल की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए विभिन्न विकल्पों पर विचार आरंभ किया। इसी बीच आत्मनिर्भर रिफाइनरियों सहित सभी संबंधित पक्षों के बीच अप्रैल–जुलाई 2005 की अवधि के दौरान आयोजित गहन परामर्श के परिणामस्वरूप सार्वजनिक वितरण प्रणाली (सा.वि.प्र.) के लिए उपयुक्त मूल्यों पर मिट्टी तेल की उपलब्धता में व्यापक सुधार हुआ। स्थित को गहन समीक्षा के अंतर्गत रखा जा रहा है।

[हिन्दी]

नैनी-इटारसी रेलवे मार्ग का विद्युतीकरण

4366. श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नैनी से इटारसी रेलवे मार्ग के विद्युतीकरण हेतु कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस मार्ग को कब तक शुरू किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एशियन गैस ग्रिड

4367. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार एशियन गैस ग्रिड पर कोई अध्ययन कराने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को कुछ अन्य देशों से ऐसे अध्ययन में भाग लेने हेतु कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ङ) उत्तरी और मध्य एशियाई और खाड़ी के प्राकृतिक गैस उत्पादक देशों को एशिया के उपभोक्ता देशों के साथ जोड़ने के लिए "एशियाई गैस ग्रिड" के विचार का प्रथम बार प्रस्ताव पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री द्वारा 14–15 फरवरी, 2005 को नई दिल्ली में तृतीय एशियाई गैस क्रेता शिखर सम्मेलन में रखा गया था।

इस प्रस्ताव को 25 नवम्बर, 2005 को नई दिल्ली में प्रमुख एशियाई उपभोक्ताओं के साथ वार्तालाप में उत्तरी और मध्य एशियाई तेल उत्पादकों के मंत्री स्तरीय गोलमेज सम्मेलन में एक अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय परामर्शक द्वारा की गई एक प्रस्तुति में मूर्त रूप दिया गया था। गोलमेज में प्रतिभागियों को सूचित किया गया कि एशियाई गैस ग्रिड का प्रस्ताव एक व्यावहारिक प्रस्ताव है। इसके लिए लगभग 22 बिलियन अमरीकी डालर की लागत से एशियाई महाद्वीप के आरपार 22,000 कि.मी. से अधिक लंबाई की गैस पाइपलाइन डालने की अपेक्षा होगी।

गोलमेज बैठक में सर्वसम्मत विचार उभर कर आया कि "एशिया क्षेत्र के भीतर एलएनजी के माध्यम से और राष्ट्रपार तेल और गैस पाइपलाइनों के माध्यम से गैस और तेल इन्टर

कनेक्शनों को बढ़ावा देने और इनका विकास करने की संभावना और व्यवहार्यता" का अध्ययन किया जाना चाहिए। इस अध्ययन में "केस्पियन बेसिन को दक्षिण एशिया के देशों के साथ जोड़ने के विकल्पों सहित सम्पूर्ण एशिया में भूमि और समुद्र द्वारा सभी वैकल्पिक लिंकों की गवेषणा सम्मिलित हो सकता है।"

यह सहमति हुई कि कोरिया गणराज्य और अन्य प्रतिभागी देशों के सहयोग से भारत इन प्रस्तावों का अनुसरण करने के लिए मास्टर प्लान तैयार करने के लिए कार्य समूह की स्थापना करेगा जिसमें एशियाई गैस ग्रिड संस्थान की स्थापना करना शामिल है जो प्रस्ताव की निगरानी, मार्गदर्शन और मदद करेगा। प्रस्तावित अध्ययनों के पूर्ण कर लिए जाने के बाद ही प्रस्ताव के कार्यान्वयन के लिए आवश्यक समय का पता चल सकेगा।

ऐर्नाकुलम-कायमकुलम रेल लाइन का दोहरीकरण

4368. श्री पी.सी. थामस : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) कोट्टायम और अल्लपूझा के बरास्ते ऐर्नाकुलम–कायमकुलम रेलवे लाइन के दोहरीकरण की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ख) क्या सरकार के पास केरल में कोट्टायम रेलवे स्टेशन के आधुनिकीकरण की कोई योजना है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) कोट्टायम और अलेप्पी मार्ग के रास्ते एर्नाकुलम कायनकुलम लाइन, एर्नाकुलम–मुलंतुरूत्ति – कुरूप्पन्तरा, कायनकुलम–मवेलिकारा–चेंगनूर और कायनकुलम–चेप्पड–हरिपद खंडों पर कहीं–कहीं दोहरीकरण का कार्य प्रगति के अनेक चरणों में है।

(ख) और (ग) कोट्टायम रेलवे स्टेशन के उन्नयन के लिए निम्नलिखित यात्री सुविधाओं का कार्य प्रगति पर है:–

(i) प्लेटफार्मों के फर्श की सतह को सुधारना,

(ii) कम्प्यूटरीकृत यात्री आरक्षण प्रणाली (पी आर एस) कार्यालय के परिचलन क्षेत्र को सुधारना,

(iii) आमने–सामने एवं टेलीफोन पूछताछ प्रणाली में सुधार करना।

इसके अतिरिक्त, कोट्टायम स्टेशन के लिए कोच संबंधी सूचना प्रणाली की व्यवस्था की भी स्वीकृति मिल गई है और कार्य शीघ्र ही आरंभ कर दिया जाएगा।

[हिन्दी]

सीमावर्ती क्षेत्र में पाक टी.वी. प्रसारण

4369. श्री कैलाश मेघवाल :

श्री जसवंत सिंह बिश्नोई :

श्री रामदास आठवले :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अन्तर्राष्ट्रीय सीमा के पार पाकिस्तान उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों का उपयोग करके झूठा प्रचार–प्रसार कर रहा है और इस प्रसारण को राजस्थान में आसानी से ग्रहण किया जा सकता है;

(ख) यदि हां, तो क्या राजस्थान सरकार और सुरक्षा एजेंसियों ने केन्द्र सरकार से उच्च शक्ति वाले ट्रांसमीटरों की संख्या बढ़ाने और सीमावर्ती राज्यों विशेषकर राजस्थान के क्षेत्रों में अन्तर्राष्ट्रीय सीमा पर प्रणाली को सुदृढ़ बनाने की मांग की है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) सरकार ने इस संबंध में क्या सुधारात्मक कदम उठाये हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (घ) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि पाकिस्तान के टी वी कार्यक्रमों के राजस्थान के सीमावर्ती जिलों के कुछ भागों में प्राप्त होने की सूचना मिली है। राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों में टी वी कवरेज को सुदृढ़ बनाने के लिए विभिन्न क्षेत्रों से समय–समय पर अनुरोध प्राप्त हुए हैं। स्थलीय कवरेज हेतु राजस्थान के सीमावर्ती जिलों में जैसलमेर और बाड़मेर दो उच्च शक्ति ट्रांसमीटर (अंतरिम ढांचा) तथा ग्यारह अल्प शक्ति ट्रांसमीटर इस समय कार्यशील हैं। स्थलीय कवरेज के और अधिक विस्ताव हेतु बीकानेर में एक उच्च शक्ति

ट्रांसमीटर स्थापित किया जा रहा है और बाड़मेर के ट्रांसमीटर की क्षमता को स्थायी संरचना से संबंधित करने की परिकल्पना है।

दूरदर्शन ने अपनी यू–बैंड (फ्री–टू–एयर) डी टी एच सेवा प्रारंभ की है जो कि राजस्थान के सीमावर्ती क्षेत्रों सहित संपूर्ण देश में (अंडमान एवं निकोबार द्वीप समूह को छोड़कर) बहु चैनल टी वी कवरेज उपलब्ध कराती है जिसे लघु आकार की एक डिश अभिग्रहण इकाई की मदद से आसानी से प्राप्त किया जा सकता है।

[अनुवाद]

विमान परिचारिकाओं/फ्लाइट पर्सर की नियुक्ति

4370. श्री जी. करुणाकर रेड्डी : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नेशनल कैरिअर्स में विमान परिचारिकाओं/फ्लाइट पर्सरों की नियुक्ति हेतु क्या अर्हता निबंधन और मानदंड निर्धारित किए हैं;

(ख) क्या इन पदों पर नियुक्ति के लिए हिन्दी भाषा का ज्ञान होना अनिवार्य है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(घ) क्या सरकार को चयन मानदंडों में से 'हिन्दी भाषा के ज्ञान' की शर्त को हटाने के लिए अहिन्दी भाषी लोगों से अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) एयर इंडिया में एयर होस्टेस/फ्लाइट पर्सर के पद के लिए अर्हताशर्तें इस प्रकार हैं: (i) उम्मीदवार को अविवाहित भारतीय नागरिक होना चाहिए; (ii) भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए अथवा एचएससी (10+2) के साथ राष्ट्रीय होटल मैनेजमेंट परिषद से मान्य संस्थान से होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग तकनीक पर 03 वर्ष का डिप्लोमा; (iii) महिलाओं की ऊंचाई 157.5 से.मी. तथा पुरुषों की 165 से.मी. (गोरखा गढ़वाली और पूर्वोत्तर राज्यों में पहाड़ी क्षेत्रों से संबंधित लोगों के लिए 2.54 से.मी. छूट); (iv) ऊंचाई के अनुपात में कंपनी मानकों के अनुसार वजन; (v) आयु सीमा उल्लिखित तिथि में 24 वर्ष से अधिक नहीं होनी चाहिए। ऊपरी आयु सीमा में अ.जा./अ.ज.जा. के लिए छूट 05 वर्ष तथा अ.पि. वर्ग के लिए 03 वर्ष; (vi) सामान्य दृष्टि ; (vii) अंग्रेजी में तथा एक या अधिक भारतीय भाषाओं में धाराप्रवाह। फ्रेंच, जर्मन तथा जापानी बोल सकने वाले आवेदकों को प्रमुखता दी जाती है।

इंडियन एयरलाइंस में पात्रता शर्तें इस प्रकार है : (i) भारतीय विश्वविद्यालय से स्नातक होना चाहिए अन्यथा एचएससी (10+2) के साथ राष्ट्रीय होटल प्रबंधन परिषद से मान्य संस्थान से होटल मैनेजमेंट और कैटरिंग तकनीक पर 03 वर्ष का डिप्लोमा; (ii) महिलाओं की ऊंचाई 154.5 सेमी तथा पुरूषों की 163 सेमी (अनु.जा.अ.ज.जा. के उम्मीदवारों को 2.5 सेमी तक की छूट); (iii) ऊंचाई के अनुपात में वजन कंपनी मानकों के अनुसार; (iv) आयु सीमा 18–25 वर्ष के बीच। अ.जा./अ.ज.जा. के उम्मीदवारों के लिए ऊपरी आयु सीमा में 5 वर्ष की तथा अ.पि.व. के उम्मीदवारों के लिए 03 वर्ष की छूट; (v) सामान्य दृष्टि तथा (vi) अंग्रेजी तथा एक या अधिक भारतीय भाषा में धारा प्रवाह। हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान भी होना चाहिए। लेकिन केबिन क्रू के लिए किसी ख्यात एयरलाइन में दो वर्ष का अनुभव।

(ख) और (ग) इंडियन एयरलाइंस के केबिन क्रू के पद के लिए उम्मीदवार के लिए पूर्ण पात्रता हेतु हिन्दी का कार्यसाधक ज्ञान निर्धारित किया गया है। जबकि एयर इंडिया में, संसदीय राजभाषा समिति की सिफारिशों के अनुसार सभी पदों के लिए हिन्दी में प्रवीणता के लिए 10 अंक दिए जाते हैं।

(घ) जी, नहीं।

(ङ) प्रश्न नहीं उठता।

रेलवे सुरक्षा बल के माफिया के साथ सांठ-गांठ

4371. डा. एम. जगन्नाथ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे सुरक्षा बल और माफिया के बीच कोई सांठ–गांठ है जैसा कि दिनांक 5 अक्तूबर, 2005 के 'एशियन ऐज' में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है;

(ग) सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(घ) सरकार द्वारा रेलवे स्टेशनों पर तैनात रेलवे सुरक्षा बल कर्मियों की गतिविधियों पर निगरानी रखने के लिए और अधिनियम के दोषों को दूर करने के लिए क्या कदम उठाये गये हैं अथवा उठाये जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

थैलीसिमिया रोग से ग्रस्त बच्चों को विकलांग श्रेणी में शामिल किया जाना

4372. श्री नवजोत सिंह सिद्धू : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को थैलीसिमिया रोग से ग्रस्त बच्चों को विकलांगों की श्रेणी में शामिल करने हेतु कोई अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) से (ग) दि फाउन्डेशन अगेन्स्ट थैलीसिमिया से अनुरोध प्राप्त हुआ था कि थैलीसिमिया से ग्रस्त बच्चों को विकलांग व्यक्तियों की श्रेणी में रखा जाना चाहिए, जिससे कि वे सरकार के विभिन्न कार्यक्रमों का लाभ उठा सकें। चूंकि थैलीसिमिया एक रोग है, अतः इस रोग से ग्रस्त व्यक्यिों के साथ विकलांग व्यक्तियों जैसा बर्ताव नहीं किया जा सकता।

वायु रक्षा प्रणाली की खरीद

4373. श्री बृजभूषण शरण सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार रूस से वायु रक्षा प्रणाली खरीदने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रणाली को कब तक खरीदे जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) वायु रक्षा प्रणाली सहित आवश्यक शस्त्र प्रणालियों की अधिप्राप्ति, रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया के अनुसार की जाती है। प्रस्तावित अधिप्राप्तियों का ब्यौरा देना राष्ट्रीय सुरक्षा के हित में नहीं होगा।

डिंडिगुल-शबरी-मलाय रेललाइन का आमान परिवर्तन

4374. श्री एन.एस.वी. चित्तन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने डिंडिगुल–शबरी–मलाय छोटी रेल लाइन को बड़ी रेल लाइन में बदलने का आमान परिवर्तन कार्य आरंभ कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) दिंडिगुल–सबरीमाला के बीच कोई रेल लाइन मौजूद नहीं है।

[हिन्दी]

हरियाणा में रेल ऊपरि पुलों का निर्माण

4375. श्री आत्मा सिंह गिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार हरियाणा में राष्ट्रीय राजमार्गों पर रेल ऊपरि पुलों का निर्माण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इनका निर्माण कब तक किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रेलवे उपरि सड़क पुल का निर्माण उन व्यस्त समपारों के स्थान पर करती है जहां यातायात का घनत्व 1 लाख गाड़ी वाहन

इकाई (टीवीयू) से अधिक हो अन्यथा इनका निर्माण निक्षेप शर्तों पर किया जाता है। कतिपय महत्वपूर्ण राष्ट्रीय राजमार्गों पर ऊपरी/निचले सड़क पुल का निर्माण भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण द्वारा राष्ट्रीय राजमार्ग विकास कार्यक्रम (एन एच डी पी) योजना के अंतर्गत किया जाता है। ये ऊपरी/निचले सड़क पुल पूरी तरह से भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग द्वारा वित्त पोषित होते हैं। अन्य राष्ट्रीय राजमार्गों पर कार्य अंश भागिता/निक्षेप शर्तों पर उन राज्यों की सरकारों द्वारा किया जाता है। लागत में भागीदारी के आधार पर ऊपरी सड़क पुलों के निर्माण संबंधी प्रस्ताव राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरणों द्वारा प्रायोजित किये जाते हैं और उस स्थान पर ऊपरी सड़क पुल के निर्माण की व्यावहारिकता, राज्य सरकार द्वारा प्रस्तुत पहुंच मार्गों संबंधी कार्य की अनुमानित लागत, ऊपरी/निचले सड़क पुल के चालू होने पर समपार को बंद करने की वचनबद्धता, राज्य सरकार द्वारा अपनी वार्षिक योजना में उसे प्रदान की गई प्राथमिकता मौजूदा नियमों के अंतर्गत अपेक्षित पूर्व अपेक्षाओं के संदर्भ में इनकी जांच की जाती है। उपरोक्त मानदंडों को पूरा करने के पश्चात्, रेलवे के निर्माण कार्यक्रम में अनुमोदन के लिए रेलवे द्वारा आवश्यक कार्रवाई की जाती है। रेलवे अपने हिस्से का कार्य अर्थात् रेलपथ के ऊपर पुल का निर्माण और पहुंच मार्गों का निर्माण राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा किया जाता है। रेलवे अपने हिस्से के कार्य को, राज्य सरकार/सड़क प्राधिकरण द्वारा पहुंच मार्गों के निर्माण के साथ या पहले पूर्ण करने के सभी संभव प्रयास करती है।

हरियाणा राज्य में दो ऊपरी सड़क पुल अर्थात् समपार सं. 63/ए और एन एच–10 पर समपार सं. 32/बी को अंश भागिता के आधार पर अनुमोदित किया गया है। समपार सं. 63/ए के संबंध में विस्तृत अनुमान स्वीकृत हो चुके हैं और सामान्य प्रबंधन को राज्य सरकार द्वारा संशोधित किया जा रहा है और यह अनुमोदनाधीन है। समपार सं. 32/बी के मामले में, राज्य सरकार द्वारा अपने हिस्से का कार्य शुरू नहीं किया गया। सामान्य आरेखण प्रबंधन और आकलन राज्य सरकार से प्राप्त नहीं हुए हैं।

रेलगाड़ियों का ठहराव

4376. श्री टेक लाल महतो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बोकारो और गिरडीह रेलवे स्टेशनों पर बहुत कम रेलगाड़ियां रुकती हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या सरकार का विचार इस क्षेत्र के यात्रियों की समस्याओं का समाधान करने के लिए उक्त स्टेशनों पर अन्य एक्सप्रेस/मेल रेलगाड़ियों के ठहराव को सुनिश्चित करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (घ) बोकारो के दो स्टेशन बोकारो स्टील सिटी और बोकारो थर्मल हैं। गुजरने वाली/समाप्त होने वाली सभी गाड़ियों का ठहराव बोकारो स्टील सिटी और गिरीडीह में है। 3025/3026 हावड़ा–भोपाल एक्सप्रेस (साप्ताहिक) को छोड़कर, गुजरने वाली सभी गाड़ियों का ठहराव बोकारो थर्मल स्टेशन पर है। वर्तमान में, बोकारो थर्मल पर अतिरिक्त गाड़ियों का ठहराव देने के लिए कोई प्रस्ताव नहीं है। बोकारो थर्मल के यात्री गोमिया से, जो बोकारो थर्मल से 5 कि.मी. दूर है, 3025/3026 एक्सप्रेस का लाभ उठा सकते हैं।

[अनुवाद]

सी हैरियर जम्प-जेट लड़ाकू विमान का दुर्घटनाग्रस्त हो जाना

4377. श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नौसैना का सी हैरियर जम्प जेट लड़ाकू विमान हाल ही में गोवा स्थित डाबोलिम विमानपत्तन से उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितने जानमाल की क्षति हुई;

(ग) पीड़ितों को कितना मुआवजा दिया गया;

(घ) क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच करायी है;

(ङ) यदि हां, तो उक्त जांच के निष्कर्ष क्या हैं;

(च) क्या ऐसी दुर्घटनाओं को ध्यान में रखते हुए सी हैरियर लड़ाकू विमानों का उन्नयन करने का कोई प्रस्ताव है; और

(छ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारतीय नौसेना का एक सी हैरियर जम्प–जेट फाइटर 5 दिसम्बर, 2005 को डेबोलिम एयरफील्ड, गोवा से उड़ान भरते समय दुर्घटनाग्रस्त हो गया था। पायलट, लेफ्टिनेंट कमांडर एच पी एस पन्नू उक्त दुर्घटना में मारे गए थे तथा विमान पूर्ण रूप से क्षतिग्रस्त हो गया था। पायलट के निकटतम संबंधी को मुआवजे का भुगतान सेवा मानकों के अनुसार किया जायेगा।

(घ) और (ङ) दुर्घटना के कारणों का पता लगाने के लिए एक जांच–बोर्ड का गठन किया गया है तथा इसकी रिपोर्ट की प्रतीक्षा है।

(च) और (छ) नियत योजना के अनुसार सी हैरियर के सेवा काल के मध्य के उन्नयन का कार्य हिन्दुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड को सौंपा गया है।

हरिजन सेवक संघ की परियोजना

4378. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने हरिजन सेवक संघ द्वारा चलायी जा रही परियोजना का वित्तपोषण करना बंद कर दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या केन्द्र सरकार ने कमजोर तबकों हेतु विद्यालय परियोजना चलाने वाले कुछ गैर–सरकारी संगठनों को काली सूची में डाला है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) बर्चना, जिला – जाजपुर, उड़ीसा में आवासीय स्कूल की सहायता अनुदान को पर्याप्त सुविधाओं के अभाव के कारण बन्द कर दिया गया था। हाल ही में स्कूल का निरीक्षण किया गया है और सुधारों को देखते हुए अनुदान को पुनः शुरू करने का निर्णय लिया गया है।

(ग) और (घ) अनुदान की शर्तों का अनुपालन न करने, राज्य सरकार से प्रतिकूल रिपोर्टें प्राप्त होने और अनुदान का दुरुपयोग करने के कारण 17 गैर सरकारी संगठनों को काली सूची में डाल दिया गया है।

मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों को शैक्षिक प्रशिक्षण

4379. श्री जोवाकिम बखला : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार का विचार देश में मानसिक रूप से अस्वस्थ बच्चों को शैक्षिक प्रशिक्षण देने के लिए अधिक संस्थान स्थापित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी राज्यवार ब्यौरा क्या है;

(ग) इन संस्थानों को कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

समपारों के बारे में जागरूकता

4380. श्री नारायण चन्द बरकटकी : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जनता में जागरूकता के अभाव के कारण समपारों पर बड़ी संख्या में रेल दुर्घटनाएं होती है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार जनता के बीच इस संबंध में जागरूकता पैदा करने के लिए कोई उपाय कर रही है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या उपाय किये गये/किये जा रहे हैं और चालू वर्ष के दौरान इस प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गयी?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क)

2002–03 के दौरान समपारों पर 96 दुर्घटनाएं हुई थीं, जो 2003–04 के दौरान 95 तक और 2004–05 के दौरान 70 (अनंतिम) तक कम हुई हैं। इनमें से ज्यादातर दुर्घटनाएं बिना चौकीदार वाले समपारों पर सड़क उपयोगकर्ताओं द्वारा गाड़ी वाहन अधिनियम 1988 के खण्ड 131 के प्रावधानों का पालन करने में असफल रहने के कारण हुई।

(ख) जी, हां।

(ग) इस संबंध में सरकार द्वारा उठाए गए/उठाए जा रहे कुछ कदम इस प्रकार से हैं:–

(i) सड़क उपयोगकर्ताओं को समपारों से गुजरते समय सुरक्षित तरीकों के पालन करने के लिए शिक्षित करने के लिए जन अभियानों जैसे टी.वी. पर लघु वृत्तचित्र, सिनेमा स्लाइड्स, पोस्टर्स, रेडियो, समाचार पत्रों और नुक्कड़ नाटकों आदि विभिन्न माध्यमों के द्वारा शिक्षित करना।

(ii) रेलवे के लोक जागरूकता कार्यक्रमों में गांव की पंचायतों को भी शामिल किया जाता है।

(iii) समपारों, गांव पंचायत कार्यालयों, पेट्रोल पम्पों आदि पर संरक्षा पोस्टरों और पैम्फलेटों आदि का प्रर्दशन/वितरण करना।

(iv) मोटरवाहर अधिनियम 1988 और रेल अधिनियम 1989 के प्रावधानों के तहत गलती करने वाले वाहन चालकों को पकड़ने के लिए सिविल प्राधिकरणों के साथ संयुक्त औचक जौंच करना।

मुद्रण और इलैक्ट्रोनिक माध्यमों के माध्यम से रेल समपारों पर संरक्षा उपायों सहित रेलवे की कार्य प्रणाली के विभिन्न पहलुओं के बारे में जागरूकता के लिए रेल द्वारा प्रचार अभियान किया जा रहा है। संरक्षा उपायों के लिए अलग से कोई बजट निर्धारित नहीं किया जाता है।

मिलिटरी कॉलेज खोला जाना

4381. श्री सनत कुमार मंडल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज देहरादून देश का एकमात्र ऐसा कॉलेज है जो भारत के सशस्त्र बलों में अधिकारी बनने के इच्छुक भारत में जन्मे अथवा अधिवासिता प्राप्त युवकों को अनिवार्य प्रारंभिक प्रशिक्षण प्रदान करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या देश के अन्य भागों में ऐसा कोई कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) राष्ट्रीय इंडियन मिलिट्री कॉलेज (आर.आई.एम.सी.) देहरादून के अतिरिक्त, देश में पांच मिलिटरी स्कूल तथा 20 सैनिक स्कूल हैं जो लड़कों को भारत में सशस्त्र सेना में भर्ती हेतु तैयार करते हैं।

(ख) और (ग) देश के अन्य भागों में दूसरा राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज खोलने का कोई प्रस्ताव नहीं है।

(घ) चूंकि देश में पहले ही पांच मिलिटरी स्कूल तथा बीस सैनिक स्कूल समान उद्देश्य से कार्यरत हैं अतः दूसरा राष्ट्रीय इंडियन मिलिटरी कॉलेज खोलने की कोई आवश्यकता नहीं है।

गेल द्वारा गैस क्रेकर परियोजनाओं में निवेश

4382. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड ने देश में विभिन्न गैस क्रेकर परियोजनाओं में निवेश करने का प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इनमें कितनी धनराशि निवेश किये जाने का प्रस्ताव है; और

(ग) इन्हें कब तक चालू किये जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) ऐसी परियोजनाओं को पूरा करने के लिए अनुमानित लागतों और समयानुक्रमों का विवरण निम्नानुसार है:

क्र सं.	परियोजना का नाम	अनुमानित लागत (करोड़ रुपये में)	पूरा करने के लिए अनुमानित समयानुक्रम
1.	असम गैस क्रेकर परियोजना, नजदीक डिब्रूगढ़, असम	5460.61	सरकार द्वारा अनुमोदन दिए जाने की तारीख से 60 महीने
2.	केरल पेट्रोरसायन परिसर, अम्बलमुगल नजदीक कोच्चि, केरल	6210.00	गेल के निदेशक मंडल द्वारा अनुमोदन के पश्चात् परियोजना प्रबंधन परामर्शदाता की नियुक्ति की तारीख से 48 महीने

राजगीर में आयुध निर्माणी का निर्माण

4383. श्री सुशील कुमार मोदी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) बिहार में राजगीर में आयुध निर्माणी के निर्माण पर कुल कितनी धनराशि खर्च की गयी है;

(ख) क्या राजगीर में उक्त निर्माणी का निर्माण कार्य रोक दिया गया है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसका निर्माण कार्य कब तक पूरा किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) राजगीर में आयुध निर्माणी के निर्माण पर अभी तक 306.04 करोड़ रुपये खर्च किए गए हैं।

(ख) जी, हां। यह निर्माण–कार्य आस्थगित रखा गया है।

(ग) और (घ) इस परियोजना की स्वीकृत लागत 941.13 करोड़ रुपये थी। इस परियोजना को निष्पादित करते समय, लागत में लगभग 57% की बढ़ोत्तरी होने का अनुमान लगाया गया है। इस बात को ध्यान में रखते हुए, आयुध निर्माणी, नालंदा परियोजना की समीक्षा करने के लिए एक विशेषज्ञ समिति गठित की गई है।

[अनुवाद]

नागपुर सिटी में रेलवे टर्मिनस

4384. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या गोधनी के निकट नागपुर सिटी में रेलवे टर्मिनस का निर्माण करने संबंधी कोई प्रस्ताव सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो यह प्रस्ताव कब से लंबित है और इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस परियोजना को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

सौराष्ट्र में रिंग रेलवे का निर्माण

4385. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को सौराष्ट्र क्षेत्र में यातायात की समस्या के समाधान हेतु रिंग रेलवे के निर्माण का कोई प्रस्ताव प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस प्रस्ताव पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

पुणे-नासिक रेलवे लाइन का सर्वेक्षण

4386. श्री हरिश्चंद्र चव्हाण : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने पुणे–नासिक–धहानु रेलवे लाइन के संबंध में कोई सर्वेक्षण किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) उक्त रेलवे लाइन का निर्माण कब तक किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) पुणे–नासिक नई रेल लाइन के लिए सर्वेक्षण 2000–01 में पूरा कर लिया गया था। सर्वेक्षण के अनुसार, इस 266 कि.मी. लंबी लाइन की निर्माण की लागत 1044 करोड़ रुपये की निर्धारित की गई थी। चालू परियोजनाओं के भारी थो–फारवर्ड और संसाधनों की अत्याधिक तंगी को ध्यान में रखते हुए, इस प्रस्ताव पर विचार करना व्यावहारिक नहीं पाया गया है।

[अनुवाद]

मैट्रिक-पूर्व एवं मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत बकाया धनराशि

4387. श्री तुकाराम गंगाधर गदाख : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए मैट्रिक–पूर्व और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजनाओं के अंतर्गत बकाये के रूप में भारी धनराशि जमा हो गई है जिसका भुगतान विभिन्न राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों को किया जाना है;

(ख) यदि हां, तो उक्त योजनाओं के अंतर्गत आज तक बकाया धनराशि का अलग–अलग राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार ब्यौरा क्या है;

(ग) बकाया धनराशि के बढ़ने के क्या कारण हैं; और

(घ) ऐसी बकाया धनराशि के नियमित भुगतान के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना के अंतर्गत 2005–06 के दौरान केन्द्रीय भागीदारी के रूप में राज्यवार/संघ राज्य क्षेत्रवार बकाया राशि को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है। अन्य पिछड़े वर्गों से संबंधित राशि समग्र बजट आबंटन को ध्यान में रखते हुए, वर्ष दर वर्ष जारी की जाती है।

(ग) अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की योजना का संशोधन जिसके तहत अनुरक्षण भत्ता की दरों मे वृद्धि तथा पात्रता की आय सीमा में वृद्धि के साथ 50% शिक्षा शुल्क के बदले पूर्ण शिक्षा शुल्क के भुगतान से लाभार्थी छात्रों की संख्या में वृद्धि और मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति योजना के लिए निधियों की आवश्यकता में वृद्धि में फलीभूत हुआ है। इसके अतिरिक्त, राज्य सरकारें व्यावसायिक संस्थानों सहित स्कूलों तथा कालेजों/विश्वविद्यालयों में शुल्क संरचना में वृद्धि करती रही है।

(घ) इस मंत्रालय ने चालू वित्त वर्ष के दौरान राशि की निकासी के लिए अतिरिक्त निधियां प्रदान करने हेतु योजना आयोग और वित्त मंत्रालय को प्रस्ताव भेजे हैं।

विवरण

2005–06 के दौरान केन्द्रीय सहायता के रूप में जारी की जाने वाली बकाया राशि की राज्यवार स्थिति – अनुसूचित जाति के छात्रों के लिए मैट्रिकोत्तर छात्रवृत्ति की केन्द्रीय प्रायोजित योजना

क्र. सं.	राज्य	राशि (लाख रुपये)
1	2	3
1.	आंध्र प्रदेश	19186.32
2.	असम	4.00
3.	बिहार	0.00
4.	छत्तीसगढ़	0.00
5.	गोवा	0.00
6.	गुजरात	0.00
7.	हरियाणा	64.56
8.	हिमाचल प्रदेश	0.00
9.	जम्मू–कश्मीर	95.55

1	2	3
10.	झारखंड	27.27
11.	कर्नाटक	7281.26
12.	केरल	3034.13
13.	मध्य प्रदेश	0.00
14.	महाराष्ट्र	5264.63
15.	मणिपुर	102.43
16.	मेघालय	6.83
17.	उड़ीसा	0.00
18.	पंजाब	541.29
19.	राजस्थान	1914.92
20.	सिक्किम	0.54
21.	तमिलनाडु	1713.31
22.	त्रिपुरा	2.75
23.	उत्तर प्रदेश	16299.19
24.	उत्तरांचल	2.97
25.	पश्चिम बंगाल	629.50
26.	दमन और दीव	1.53
27.	दादरा और नगर हवेली	0.00
28.	दिल्ली	0.00
29.	पांडिचेरी	80.60

सीमवर्ती सड़कों का रख-रखाव

4388. डा. राजेश मिश्रा :

श्री अवतार सिंह भड़ाना :

श्री जे. एम. आरून रशीद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) सीमा सड़क संगठन द्वारा पाकिस्तान की अंतर्राष्ट्रीय सीमा सहित कुछ राज्यों के सीमवर्ती जिलों में कितनी लंबाई तक सड़कों का रख–रखाव किया जाता है;

(ख) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पंजाब में सीमावर्ती सड़कों के निर्माण और रख–रखाव पर कुल कितना व्यय किया गया;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पंजाब में अनेक सीमवर्ती सड़कें जर्जर हालत में हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इन सड़कों की शीघ्र मरम्मत करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) 2921 किलोमीटर।

(ख)

वर्ष		व्यय
2002–03	–	8.57 करोड़ रुपये
2003–04	–	7.94 करोड़ रुपये
2004–05	–	11.98 करोड़ रुपये

(ग) पंजाब में सीमा सड़क संगठन द्वारा अनुरक्षित सड़कें अच्छी हालत में हैं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में अतिरिक्त कर्मचारी

4389. श्री सुनील कुमार महतो :

श्री वी. के. दुग्गर :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एयर इंडिया और इंडियन एयरलाइन्स में अतिरिक्त कर्मचारी हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इन एयरलाइनों में कर्मचारियों की संख्या को आवश्यकता के अनुसार करने के लिए सरकार द्वार क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, नहीं।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

विमानपत्तनों पर 'एप्रोच लाइटिंग सिस्टम' स्थापित किया जाना

4390. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या बड़े आकार वाले विमानों के प्रचालन के लिए तमिलनाडु में विमानपत्तनों पर 'एप्रोच लाइटिंग सिस्टम' स्थापित किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है, और

(ग) यदि नहीं, तो इसको कब तक स्थापित किए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) तमिलनाडु में चेन्नई, कोयम्बटूर तथा तिरूचिरापल्ली हवाई अड्डों पर पहुंच प्रकाश प्रणाली की व्यवस्था पहले ही की जा चुकी है। मदुरै हवाई अड्डे पर पहुंच प्रकाश प्रणाली के संस्थापन के लिए कार्य पहले ही आरंभ चुका है जिसके जून, 2006 तक पूरा हो जाने की संभावना है।

विमानपत्तन प्रभारों को औचित्यपूर्ण बनाया जाना

4391. श्री रायापति सांबासिवा राव :

श्री इकबाल अहमद सरडगी :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विमानपत्तन प्रभारों को औचित्यपूर्ण बनाने और रूट डिसपर्सल गाइड-लाइन्स में संशोधन करने के लिए घरेलू एयरलाइनों की ओर से अभ्यावेदन/अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) अनुसूचित एयरलाइनों ने, विशेष रूप से श्रेणी-II तथा श्रेणी-II क मार्गों पर उनको हो रही भारी हानि की दृष्टि से, नागर विमानन मंत्रालय से मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की संवीक्षा किये जाने का अनुरोध किया है। हवाई अड्डा प्रभारों के युक्तिकरण के लिए कोई विशिष्ट अनुरोध नहीं किया गया है।

(ग) 1994 में नागर विमानन महानिदेशालय द्वारा जारी मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धांतों की संवीक्षा करने के लिए, नागर विमानन महानिदेशक, श्री सत्येन्द्र सिंह की अध्यक्षता में, सितम्बर, 2003 में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने मार्च, 2005 में अपनी रिपोर्ट दी है। समिति की सिफारिशों के कार्यान्वयन के लिए अंतर विभागीय विचार-विमर्श किया जा रहा है।

[हिन्दी]

आवासीय इकाइयों का निर्माण

4392. श्री बापू हरी चौरे : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों और चालू वर्ष के दौरान आज तक सैन्य कर्मियों के परिवारों के लिए अब तक राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण किया गया;

(ख) उक्त अवधि के दौरान इस कार्य पर कितना व्यय किया गया; और

(ग) निकट भविष्य में कितनी आवासीय इकाइयों का निर्माण किए जाने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सेना कार्मिकों के परिवारों के लिए आवासीय इकाइयों का निर्माण, विवाहितों के लिए आवास परियोजना के अंतर्गत किया जा रहा है। अभी तक कोई परियोजना पूरी नहीं हुई है। इस समय, 43 स्टेशनों में निर्माण कार्य चल रहा है। इस परियोजना के अंतर्गत सेना कार्मिकों के परिवारों के लिए, विवाहितों के लिए आवास के निर्माण पर आज तक 284.42 करोड़ रुपये व्यय किए जा चुके हैं। इस परियोजना के चरण-I में सेना के लिए 50,185 आवासीय इकाइयों के निर्माण की परिकल्पना है।

अन्वेषण पश्चात् भूमि वापस किया जाना

4393. श्री जीवाभाई ए. पटेल :

श्री हरिसिंह चावड़ा :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत पांच वर्षों के दौरान अन्वेषण और उत्पादन कार्य करने के लिए तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओएनजीसी) द्वारा अधिग्रहित भूमि का ब्यौरा क्या है;

(ख) उक्त अवधि के दौरान भू-स्वामियों को कितनी मुआवजा राशि का भुगतान किया गया;

(ग) क्या ओएनजीसी को भू-स्वामियों की ओर से उस भूमि को वापस करने के लिए अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं जहां पर अन्वेषण कार्य पूरा हो चुका है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस संबंध में ओएनजीसी द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) गत पांच वर्षों के दौरान ओएनजीसी द्वारा अपने अन्वेषण एवं उत्पादन क्रियाकलापों के लिए अधिग्रहीत की गई भूमि का ब्यौरा निम्नवत् है:

वर्ष	अर्जित की गई कुल भूमि (एकड़ में)	दिया गया मुआवजा (करोड़ रु. में)
2000-01	986.16	13.73
2001-02	910.91	15.07
2002-03	691.36	15.42
2003-04	746.40	19.29
2004-05	642.91	16.36
कुल	3977.74	79.87

(ख) गत पांच वर्षों के दौरान ओएनजीसी द्वारा मुआवजे के रूप में भू-स्वामियों को 79.87 करोड़ रुपये की राशि का भुगतान किया गया था।

(ग) से (ङ) असम में स्थायी रूप से अर्जित भूमि की वापसी के लिए एक अभ्यावेदन प्राप्त हुआ था। जिला राजस्व प्राधिकारियों के माध्यम से मूल भूस्वामी को भूमि वापस करने का कार्य प्रक्रियाधीन है।

मुआवजे के गैर भुगतान/भुगतान में विलंब की शिकायत करते हुए कभी-कभी अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं। इन्हें संबंधित जिला राजस्व प्राधिकारियों के सहयोग से निपटाया जाता है।

[अनुवाद]

रेलवे कस्बों का आधुनिकीकरण

4394. श्री एल. गणेशन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे के पास रेलवे कस्बों के आधुनिकीकरण/पुनरुद्धार संबंधी कोई नीति है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का विचार तिरूचिरापल्ली रेलवे कस्बे में मौजूदा सड़कों और ऊपरि पुलों को चौड़ा करने और मकानों, स्कूलों और पार्कों की मरम्मत/पुनरुद्धार जैसी मूलभूत सुविधाओं में सुधार करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) तिरूचिरापल्ली जंक्शन स्टेशन में मौजूदा ऊपरी सड़क पुलों को चौड़ा करने से संबंधित कोई प्रस्ताव नहीं है। तिरूचिरापल्ली क्षेत्र में स्टाफ क्वार्टरों में दोबारा बिजली का तार लगाने, पाइप लाइनों को बदलने, विद्यालय की छत को फिर से बनाने और कॉलोनी के सड़क को सुधार करने के लिए प्रस्ताव हैं।

(घ) तिरूचिरापल्ली क्षेत्र में स्वीकृत कार्यों का ब्यौरा दिया गया है:-

क्रम सं.	कार्य का विवरण	लागत (हजार रु. में)
1.	गोल्डन रॉक–स्टाफ क्वार्टरों का निर्माण टाइप I–30 इकाई, टाइप–II–16, टाइप–III–12 एवं टाइप–IV–4 इकाई	2,66,00
2.	पॉनमलाई कॉलोनी स्टाफ क्वार्टरों में बिजली के तार बदलना, टाइप–I 815, टाइप II–342	1,00,00
3.	पॉनमलाई – पानी आपूर्ति का एकसमान वितरण सुनिश्चित करने के लिए कॉलोनी में पाइप लाइनों का बदलाव (सी–टाइप–1300 एवं एफ–टाइप–500)	60,00
4.	गोल्डन रॉक – आयु एवं हालत के आधार पर स्टाफ क्वार्टरों का पुनःनिर्माण	25,76
5.	तिरूचिरापल्ली : टाइप–V का पुनःनिर्माण–2 इकाई	28,30
6.	तिरूचिरापल्ली : टाइप–IV का निर्माण–4 इकाई	24,19
7.	तिरूचिरापल्ली फोर्ट : टाइप–II का पुनःनिर्माण–4, टाइप–III –2 इकाई	28,10
8.	तिरूचिरापल्ली : टाइप–V का पुनःनिर्माण–2 इकाई	26,70
9.	कालुकुज़ी कॉलोनी : जंग लगे पाइप लाइनों का बदलाव	41,00
10.	पॉनमलाई रेलवे अस्पताल : जीर्णशीर्ण सेप्टिक वार्ड का पुनःनिर्माण	29,25
11.	तिरूचिरापल्ली गुड्स यार्ड : स्टाफ क्वार्टरों में फिर से टाइलों को लगाना – 60 इकाई	16,55
12.	तिरूचिरापल्ली जं. – वितरण प्रणाली में गतायु परत उतरे पाइप लाइन का बदलाव	12,53
13.	गोल्डन रॉक कॉलोनी – रेलवे का मेट्रिकुलेशन उच्चतर माध्यमिक विद्यालय/अंग्रेजी माध्यम : मौजूदा मैंगलोर टाइलों वाली छातों का आर सी सी स्लोप्ड छत में बदलाव	9,00
14.	गोल्डन रॉक रेलवे हॉस्पीटल – ऑपरेशन थियेटर में सुधार चरण:-I	9,00
15.	तिरूचिरापल्ली गुड्स यार्ड–कॉलोनी–कॉलोनी रोड, क्षतिग्रस्त फर्श की मरम्मत करना और सामने वाले बरामदों का प्लास्टर करना	24,45
16.	तिरूचिरापल्ली मंडल – किम्बर गार्डन : बैरकों के लिए आर सी सी टाइल छत में मैंगलौर टाइलों वाली छत को बदलना	15,64

घाटे में चल रही रेलगाड़ियां

4395. श्री सुग्रीव सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे बोर्ड ने घाटे में चल रही रेलगाड़ियों का पता लगाने के लिए कोई अध्ययन किया है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में जोन–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) ऐसे अध्ययन पर रेलवे द्वारा क्या कार्रवाई की गई है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान विभिन्न जोनों के राजस्व घाटे का ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) गाड़ी के स्थान अधिभोग का अध्ययन एक सतत् प्रक्रिया है जो क्षेत्रीय रेलों द्वारा आय और स्थान के अधिभोग जहां कहीं भी

इसे निम्न पाया जाता है, में सुधार लाने के उद्देश्य से निवारक उपाय हेतु किया जाता है। बहरहाल, भारतीय रेलवे पर प्रतिदिन 9000 यात्री रेलगाड़ियों में से लगभग 4000 बिजली मल्टीपल यूनिट रेलगाड़ियां जिनमें स्थान अधिभोग का स्वरूप निश्चित होता है अर्थात व्यस्त अवधि में अधिकतम स्थान अधिभोग, के साथ गैर व्यस्त अवधि में बहुत कम अधिभोग स्तर। 1500 मेल/एक्सप्रेस रेलागाड़ियों में, अनारक्षित श्रेणी में, स्थान अधिभोग स्तर 10% से 15% औसतन वार्षिक तक शेष रहता है (क्षमता से 30% कम)। शेष 3500 सामान्य पैसेंजर रेलगाड़ियों में सामान्यतः अनारक्षित खण्ड में स्थान अधिभोग 30% से अधिक है।

(ग) स्थान अधिभोग कम होने के कारण कुछ गाड़ियों को रद्द किया गया है जबकि कुछ गाड़ियों के संबंध में जिनकी स्थान अधिभोग कम है, के कोटे/कम्पोजिशन में परिवर्तन किया गया है जिससे उनकी लोकप्रियता में सुधार हो।

(घ) रेलों पर गाड़ीवार राजस्व हानि के आंकड़े अलग से नहीं रखे जाते हैं।

[हिन्दी]

सतना-रीवा रेलवे लाइन को बढ़ाया जाना

4396. श्री कृष्णा मुरारी मोघे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सतना–रीवा रेलवे लाइन को मिर्जापुर तक बढ़ाए जाने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस रेलवे लाइन पर निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) रीवा–मिर्जापुर नई लाइन (175 कि.मी.) के लिए सर्वेक्षण शुरू किया गया है।

आरक्षण सेवाएं

4397. श्री संजय धोत्रे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे महानगरों में चौबीसों घंटे आरक्षण सेवा शुरू करने पर विचार कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह सेवा कब तक शुरू किए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) महानगरों सहित पूरे देश में भारतीय रेलवे खानपान एवं पर्यटन निगम की वेबसाइट www.irctc.co.in पर 04.00 बजे से 23.30 बजे तक इन्टरनेट पर आरक्षण बुकिंग उपलब्ध है। इसके विस्तार का और कोई प्रस्ताव नहीं है।

[अनुवाद]

सेना के जवानों को प्रशिक्षण

4398. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

श्री बाडिगा रामकृष्णा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या स्कूल ऑफ फारेन लैंग्वेजेज सशस्त्र बलों के जवानों को प्रशिक्षण देता है;

(ख) यदि हां, तो उक्त स्कूल द्वारा पढ़ाई जा रही विभिन्न विदेशी भाषा पाठ्यक्रमों का ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान विभिन्न विदेशी भाषाओं में कितने सेना के जवानों को प्रशिक्षण मिला;

(घ) क्या उक्त स्कूल में सिविलियन छात्रों को भी प्रवेश दिया जाता है; और

(ङ) यदि हां, तो उक्त स्कूल में सिविलियन छात्रों के प्रवेश हेतु निर्धारित मानदण्ड क्या हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) यह विद्यालय दस भाषाओं (अरबी, बर्मी, बहासा, इंडोनेशिया, चीनी, फ्रांसीसी, जर्मन, रूसी, सिंहल, स्पैनिश और तिब्बती) में नियमित आधार पर और बारह भाषाओं (दारी, द्विवेही, हिब्रू, इतावली, जापानी, माले, पारसी, पाक उर्दू, पश्तो, तुर्की, थाई, वियतनामी) में अनुरोध के आधार पर दुभाषिया कार्य, प्रवीणता प्रमाण पत्र, उन्नत डिप्लोमा और अल्पावधिक नामक चार तरह के पाठ्यक्रम चलाता है।

(ग) वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान इस स्कूल में विभिन्न विदेशी भाषाओं में जिन सेना कार्मिकों ने प्रशिक्षण प्राप्त किया उनकी संख्या क्रमशः 49, 40 और 45 है। भाषावार ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) जी, हां

(ङ) सिविलियन अभ्यार्थियों को 10+2 उत्तीर्ण के न्यूनतम पात्रता मानदंड के साथ अंग्रेजी भाषा की योग्यता और सामान्य बुद्धिमत्ता को परखने के लिए प्रवेश परीक्षा के आधार पर प्रवेश दिया जाता है।

विवरण

वर्ष 2003, 2004 और 2005 के दौरान विभिन्न भाषाओं में विदेशी भाषा विद्यालय में प्रशिक्षण प्राप्त सेना कार्मिकों की संख्या

क्रम सं.	भाषा	2003	2004	2005
1	2	3	4	5
1.	फ्रांसीसी	04	02	08
2.	रूसी	02	03	04
3.	जर्मन	–	01	02
4.	तुर्की	–	–	02
5.	वियतनामी	–	–	01
6.	अरबी	–	04	02
7.	बी/इंडोनेशिया	03	06	01
8.	चीनी	02	06	21
9.	दारी	–	–	02
10.	स्पैनिश	–	01	01
11.	तिब्बती	02	01	01
12.	पारसी	05	–	–
13.	पश्तो	23	14	–
14.	जोंखा	01	–	–
15.	सिंहल	02	02	–
16.	थाई	02	–	–
17.	द्विवेही	03	–	–
	जोड़	49	40	45

दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों पर उपभोक्ता सेवा

4399. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या **नागर विमानन** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण के आह्वान पर हाल ही में किए गए एक अध्ययन से पता चला है कि दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों पर उपभोक्ताओं की संतुष्टि अंतर्राष्ट्रीय मानकों से काफी कम है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं; और

(ग) इन विमानपत्तनों पर सेवाओं को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर लाने के लिए, इन सेवाओं में और सुधार लाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाये जाने का प्रस्ताव है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने मुम्बई व दिल्ली एयरपोर्टों पर उपभोक्ता संतुष्टिकरण स्तर को सुनिश्चित करने के लिए तथा इन एयरपोर्टों को मध्य पूर्व/एशिया पैसिफिक के सर्वोत्तम एयरपोर्टों के समकक्ष रखने के लिए अंतर्राष्ट्रीय हवाई यातायात संघ (आई.ए.टी.ए) एवं हवाईअड्डा अंतर्राष्ट्रीय परिषद (ए.सी.आई.) के द्वारा एक सर्वेक्षण करवाया है। सर्वेक्षण के अनुसार कुल 5 अंकों में से जुलाई–सितम्बर, 2005 तिमाही में, मुम्बई एयरपोर्ट को 2.99 (अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए) एवं 3.22 (घरेलू प्रचालनों के लिए) तथा दिल्ली एयरपोर्ट को 2.78 (अंतर्राष्ट्रीय प्रचालनों के लिए) एवं 3.01 (घरेलू प्रचालनों के लिए) अंक दिए गए।

(ग) दिल्ली व मुम्बई एयरपोर्टों को, विश्व स्तर की

व्यवस्थाओं के साथ विश्व स्तर के एयरपोर्ट बनाने के लिए, संयुक्त उद्यम द्वारा उनके आधुनिकीकरण एवं पुनर्निर्माण के लिए अंतिम चरण पर कार्रवाई चल रही है।

[हिन्दी]

बिलासपुर एयरस्ट्रिप को चौड़ा करना

4400. श्री पुन्नूलाल मोहले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रायपुर तथा बिलासपुर में विमान सेवाओं को बढ़ाने का प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार बिलासपुर एयरस्ट्रिप को चौड़ा करने अथवा एक नई एयरस्ट्रिप बनाने का है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा निर्माण कार्य कब तक शुरू किए जाने की संभावना है; और

(ङ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, नहीं, तथापि, देश के विभिन्न क्षेत्रों में विमान परिवहन सेवाओं की आवश्यकता को ध्यान में रख कर, बेहतर विनियमन प्राप्त करने की दृष्टि से, सरकार ने मार्ग संवितरण संबंधी मार्गदर्शी सिद्धान्त तैयार किए हैं। इन मार्गदर्शी सिद्धान्तों के अनुसार, एयरलाइनें यात्री मांग और वाणिज्यिक साध्यता के आधार पर, किसी स्थान के लिए विमान सेवाएं प्रचालित करने के लिए स्वतंत्र हैं।

(ग) से (ङ) इस समय बिलासपुर पर वर्तमान हवाईपट्टी के स्तरोन्नयन अथवा नयी हवाई पट्टी के निर्माण का कोई प्रस्ताव नहीं है, चूंकि किसी भी अनुसूचित एयरलाइन से कोई ठोस मांग नहीं है।

भारत और फ्रांस के बीच समझौता

4401. श्री अविनाश राय खन्ना :

श्री वाई. जी. महाजन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा सहयोग पर भारत और फ्रांस के बीच हाल ही में किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए गए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके फलस्वरूप भारत को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत और फ्रांस के बीच रक्षा सहयोग पर हाल ही में कोई करार नहीं हुआ है। प्रधानमंत्री डॉ. मनमोहन सिंह तथा फ्रांस के राष्ट्रपति जॉक शिराक के बीच हुई बैठक के बाद 12 सितम्बर, 2005 को जारी किए गए संयुक्त वक्तव्य के अनुसरण में दोनों देश रक्षा सहयोग पर एक करार की रूपरेखा को अंतिम रूप देने की दृष्टि से विचार-विमर्श कर रहे हैं।

[अनुवाद]

विमान टर्बाइन ईंधन के मूल्यों में कमी

4402. श्री उदय सिंह :

श्री राजीव रंजन सिंह "ललन" :

श्री रामजीलाल सुमन :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विमान टर्बाइन ईंधन (ए टी एफ) के मूल्यों में कमी करने का निर्णय लिया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा मूल्यों में कितनी कमी किए जाने का प्रस्ताव है;

(ग) गत दो वर्षों के दौरान ए टी एफ के मूल्यों में कितनी बार कमी की गई थी तथा तत्संबंधी तिथियां क्या हैं;

(घ) क्या सरकार का विचार अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्यों में कमी करने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री

(श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) विमान टर्बाइन ईंधन (ए टी एफ) के मूल्य अप्रैल, 2001 से नियंत्रणमुक्त कर दिए गए थे। सरकार ए टी एफ मूल्यों को न बढ़ाती है, न बनाए रखती है और न ही कम करती है। ये तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज़) द्वारा प्रचालित बाजार दशाओं के अनुसार लिए गए वाणिज्यिक निर्णय होते हैं। हाल ही में, अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में कमी को देखते हुए सार्वजनिक क्षेत्र की ओ एम सीज़ द्वारा ए टी एफ के घरेलू मूल्यों में लगभग 1.8% तक कमी की गई है। पिछले दो वर्षों के दौरान ए टी एफ के भण्डार तक मूल्य (मुंबई में) में हुए मूल्य संशोधन का ब्यौरा संलग्न विवरण में दिया गया है।

(घ) से (च) 2003 की समाप्ति से अंतर्राष्ट्रीय तेल मूल्यों में सप्ताह दर सप्ताह और बल्कि दिनप्रतिदिन अस्थिरता के साथ साथ अप्रत्याशित, तीव्र और सर्पिल वृद्धि हुई है। इसलिए, जून, 2004 में सरकार ने उन सिद्धांतों को स्पष्ट किया जो संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों के उपभोक्ताओं पर अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों के बढ़ते भार को कम करने के लिए इसकी नीति को शासित करें। यह निर्णय लिया गया है कि इस भार को उपभोक्ताओं, सरकार और तेल कंपनियों द्वारा बराबर–बराबर वहन किया जाना चाहिए। इसलिए, अंतर्राष्ट्रीय मूल्यों मे होने वाली वृद्धि का पूरा भार संवेदनशील उत्पादों के उपभोक्ताओं पर नहीं पड़ने दिया गया और ओ एम सीज़, सरकार के परामर्श से घरेलू एल पी जी एवं पी डी एस मिट्टी तेल जैसे राजसहायता प्राप्त उत्पादों के मूल्यों को बनाए रखने के अलावा पेट्रोल एवं डीज़ल की मूल्य वृद्धि को नियंत्रित रखे हुए है। परिणामस्वरूप, ओ एम सीज़ ने संवेदनशील पेट्रोलियम उत्पादों नामतः पेट्रोल, डीज़ल, पी डी एस मिट्टी तेल एवं घरेलू एल पी जी पर अत्याधिक कम वसूलियां की। ओ एम सीज़ द्वारा अन्य पेट्रोलियम उत्पादों के मूल्य वाणिज्यिक प्रतिफलों पर निर्धारित किए जाते हैं।

विवरण

मुंबई में ए टी एफ के भंडारण बिन्दु मूल्य

(रुपये/कि.ली.)

1	2
01.01.04	14110.00
01.02.04	15030.00
01.03.04	13790.00
01.04.04	13920.00
01.05.04	14820.00
01.06.04	17210.00
01.07.04	16150.00
01.08.04	17850.00
01.09.04	19900.00
01.10.04	20670.00
01.11.04	22730.00
01.12.04	20800.00
01.01.05	18030.00
01.02.05	18120.00
01.03.05	18030.00
01.04.05	21700.00
01.05.05	23550 00
01.06.05	21150.00
01.07.05	22560.00
01.08.05	23000.00
01.09.05	24630 00
01.10.05	25910.00
01.11.05	25390.00
01.12.05	22320.00

[हिन्दी]

प्रसार भारती के कर्मचारियों के लिए भर्ती नियम

4403. श्री गिरधारी लाल भार्गव : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में केन्द्र सरकार को प्रसार भारती के कर्मचारियों की सेवा शर्तों को अंतिम रूप देने का निदेश दिया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इस मामले में सरकार द्वारा कोई कार्रवाई की गई है; और

(घ) प्रसार भारती के कर्मचारियों की सेवा शर्तों के कब तक अधिसूचित किए जाने की संभावना है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हाँ। माननीय उच्चतम न्यायालय ने हाल ही में अपने आदेश में सरकार को छः माह के भीतर प्रसार–भारती के कर्मचारियों के लिए भर्ती नियमों और सेवा–शर्तों को अंतिम रूप देने का निदेश दिया है।

(ग) और (घ) उच्चतम न्यायालय के निदेशानुसार भर्ती नियमों और सेवा शर्तों को शीघ्रातिशीघ्र अंतिम रूप देने के लिए शीघ्र कार्रवाई करने हेतु आवश्यक कदम उठाए जा रहे हैं।

पार्सल बुकिंग के लिए बाहरी रेलवे एजेन्सियां

4404. श्री हरिकेवल प्रसाद : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उदारीकृत योजनाओं के अंतर्गत पार्सलों तथा लगेज की बुकिंग हेतु बाहरी रेलवे एजेंसियों को नियुक्त करने के लिए क्या मानदण्ड निर्धारित किए गए हैं; और

(ख) उक्त योजना के अंतर्गत इन एजेंटों को रेलवे द्वारा कितनी कमीशन तथा सेवा शुल्क दिया जाता है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) बाहरी एजेंसियों और शहरी बुकिंग एजेंसियों को काम के लिए ठेके खुली निविदा आमंत्रित करके दिए जाते हैं। सभी बातों से सन्तुष्ट होने पर सर्वोत्तम निविदाकर्ता को ठेका दिया जाता है। अन्य शर्तें जैसे मजबूत वित्तीय स्थिति, अनुभव, गोदामों की उपलब्धता, ट्रक, बसें, प्रशिक्षित जनशक्ति आदि होने पर भी अनुसूचित जाति/जनजाति के निविदाकर्ताओं को वरीयता दी जाती है।

(ख) पार्सल को सड़क द्वारा बाहरी एजेंसियों/शहरी बुकिंग एजेंसियों से रेल शीर्ष तक के लिए कमीशन की दर या सेवा प्रभार का निविदाकर्ताओं द्वारा निविदा प्रस्तुत करते समय ही उल्लेख कर दिया जाता है।

[अनुवाद]

अहमदाबाद-जामनगर रेलवे रूट का विद्युतीकरण

4405. श्री विक्रमभाई अर्जनभाई मादम : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार अहमदाबाद से जामनगर तक के रेलवे रूट का विद्युतीकरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) अन्य उच्च घनत्व वाले मार्गों के विद्युतीकरण की सापेक्ष प्राथमिकता के कारण, अहमदाबाद–जामनगर खंड को विद्युतीकरण करने का फिलहाल कोई प्रस्ताव नहीं है।

स्वतंत्र रक्षा गुणता आश्वासन बोर्ड का गठन

4406. डा. पी. पी. कोया : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या एक उच्च स्तरीय समिति ने सिफारिश की है कि गुणता आश्वासन महानिदेशालय (डी जी क्यू ए) को रक्षा उत्पादन विभाग के नियंत्रण से अलग कर देना चाहिए;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) एक स्वतंत्र रक्षा गुणता आश्वासन बोर्ड (डी क्यू ए बी) बनाने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) किसी स्वतंत्र रक्षा गुणता आश्वासन (डी क्यू ए) बोर्ड के गठन का कोई प्रस्ताव नहीं है।

[हिन्दी]

ओ एन जी सी - (विदेश) द्वारा निवेश

4407. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता :

श्री सीता राम यादव :

क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) 1 नवम्बर, 2005 तक ओ एन जी सी (विदेशी) लिमिटेड ने विदेश में देश-वार कुल कितना निवेश किया है; और

(ख) 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान ओ एन जी सी की आय - व्यय का ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) आयल एण्ड नेचुरल गैस कारपोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) के पूर्ण स्वामित्व वाली सहायक कंपनी ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) द्वारा दिनांक 1 नवम्बर, 2005 तक विदेशों में तेल और गैस क्षेत्र की विभिन्न परियोजनाओं में किए गए निवेश निम्नानुसार हैं-

(करोड़ रुपये में)

देश	1 नवम्बर, 2005 तक व्यय की गई राशि*
1	2
वियतनाम	896.18
रूस	10,041.15
सूडान	6,011.40
आस्ट्रेलिया	34.64
आइवरी कोस्ट	47.42
लीबिया	65.66
सीरिया	7.56
म्यांमार	106.32
कुवैत	1.29
इराक	4.43
ईरान	30.39
अन्य	22.22
योग	17,266.67

* आंकडे अनंतिम हैं।

(ख) ओ एन जी सी के वर्ष 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान आय और व्यय के ब्यौरे निम्नानुसार हैं-

(करोड़ रुपये में)

	2003-04	2004-05
प्रचालनों से आय	32927.00	47245.40
कुल लागत और व्यय	20392.10	28768.60

रेलवे परियोजनाओं को पूर्ण किया जाना

4408. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने पूर्व में रेलवे की चालू परियोजनाओं के लिए धनराशि की कमी तथा पर्याप्त धन की अनुपलब्धता के संबंध में श्वेत पत्र जारी किया था.

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या हाल ही में विभिन्न स्रोतों से रेलवे की राजस्व आय में बढ़ोत्तरी हुई है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या सरकार का विचार पिछले कुछ दिनों में रेलवे की राजस्व आय बढ़ोत्तरी को देखते हुए रेलवे की लम्बित तथा चालू परियोजनाओं को पूर्ण करने के लिए प्राथमिकता निर्धारित करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जुलाई, 1998 में रेल परियोजनाओं पर एक श्वेत पत्र प्रकाशित किया गया था जिसमें भारी थो–फारवर्ड और रेल परियोजनाओं के लिए निधियों की अपर्याप्त उपलब्धता के मामलों को उजागर किया गया था।

(ग) और (घ) नवम्बर, 2005 के अन्त तक, रेलवे द्वारा समग्ररूप से यातायात राजस्व अर्जन से गत वर्ष की तदनुरूपी अवधि की तुलना में 13.89% (लगभग) की वृद्धि दर्ज की गई है। मदवार विवरण निम्नानुसार हैं:–

(आंकड़े करोड़ रु. में)

यातार.	के अन्त तक यातायात राजस्व		
	नवम्बर, 2004	नवम्बर 2005 (लगभग)	% वृद्धि
यात्री	9279.41	9827.48	5.91%
अन्य कोचिंग	614.51	694.18	12.96%
माल	19356.70	22881.24	18.23%
फुटकर	645.00	642.42	–0.40%
कुल	29895.62	34045.32	13.89%

(ङ) और (च) हाल ही में, परियोजनाओं की प्राथमिकता को पुनःनिर्धारित किया गया है। आंतरिक राजस्व वृद्धि के साथ, कुछ महत्वपूर्ण थ्रुपुट संवर्द्धन कार्यों को निधि उपलब्ध कराने के लिए पूंजी को पुनः प्रवर्तन करने का प्रस्ताव है।

[अनुवाद]

सबरीमाला पिलिग्रमेज स्पेशल की शुरूआत

4409. श्री वरकला राधाकृष्णन :

श्री एस. अजय कुमार :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या कोंकण रेलवे के माध्यम से मुम्बई तथा अर्णाकुलम के बीच सबरीमाला पिलिग्रमेज वीकली स्पेशल शुरू करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस संबंध में कब तक अंतिम निर्णय लिए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, हां।

(ख) और (ग) 165/166 दादर टर्मिनस से एर्णाकुलम बरास्ता कोंकण रेलवे विंटर स्पेशल 20.12.05, 24.12.05, 27.12.05 और 31.12.05 को चलाये जाने की योजना बनाई गई है। गाड़ी सं. 165, 12.45 बजे दादर (टर्मिनस) से प्रस्थान करेगी और अगले दिन 16.45 बजे एर्णाकुलम पहुंचेगी जबकि गाड़ी सं. 166, 23.45 बजे एर्णाकुलम से प्रस्थान करेगी और तीसरे दिन 03.45 बजे दादर (टर्मिनस) पहुंचेगी।

[हिन्दी]

नेट उत्सव योजना

4410. श्री वाई. जी. महाजन :

श्री हरिभाऊ राठौड़ :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइंस ने हाल ही में एक नेट उत्सव योजना शुरू की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यह योजना कंपनी के लिए किसी सीमा तक लाभकारी सिद्ध हुई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) इंडियन एयरलाइंस ने उन यात्रियों, जो अपनी वेबसाइट के जरिए ऑनलाइन टिकटें बुक कराते हैं तथा नैटिकट्स पर यात्रा करते हैं, के लिए प्रोत्साहन के रूप में दिनांक 30 अगस्त, 2005 से 25 अक्टूबर, 2005 तक 'नेट उत्सव स्कीम' लांच की है। यह स्कीम बंगलौर–मुम्बई, दिल्ली–बंगलौर तथा दिल्ली–मुम्बई, तथा वापसी सेक्टरों पर नैटिकट खरीदने वाले यात्रियों के लिए खुली थी, तथा इससे वे निःशुल्क टिकटों तथा

अतिरिक्त बोनस प्वाइंटों आदि के रूप में कतिपय प्रोत्साहनों के भी पात्र बनते थे।

(ग) इस स्कीम से इंडियन एयरलाइंस को, जब यह प्रतिस्पर्धा का सामना कर रही थी, अपने 'नैटिकट' उत्पाद को बाजार में टिकटों की बिक्री के लिए वितरण माध्यम के रूप में प्रोत्साहित करने के साथ-साथ विनिर्दिष्ट सेक्टरों पर अपने उत्पाद को प्रोमोट करने में मदद मिली।

[अनुवाद]

ए एल आई एम सी ओ में रोजगार

4411. श्रीमती मेनका गांधी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को जानकारी है कि आर्टिफिशियल लिम्ब्स मैन्यूफैक्चरिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया (ए एल आई एम सी ओ), कानपुर में नैमित्तिक कार्मिकों को रोजगार देने के माध्यम से सार्वजनिक धन की बर्बादी हो रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार ने ए एल आई एम सी ओ के स्थायी कर्मचारियों की उत्पादकता में सुधार लाने के लिए कदम उठाए हैं; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) और (ख) एलिम्को द्वारा अनियत कर्मचारियों को तुरंत आधार पर उत्पादन लक्ष्यों की प्राप्ति हेतु लगाया जाता है। ऐसे कर्मचारियों की संख्या 2005 में 77 से नवम्बर, 2005 में 33 हुई है।

(ग) और (घ) कर्मचारियों की उत्पादकता और मानव संसाधन कौशलों को सुधारने के लिए प्रत्येक वर्ष प्रशिक्षण कैलेंडर बनाया जाता है। चालू वर्ष में अप्रैल-नवम्बर, 2005 के बीच 53 कर्मचारियों को प्रशिक्षित किया गया है।

[हिन्दी]

देशभक्ति की फिल्में

4412. श्री रामदास आठवले : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या पिछले कुछ वर्षों के दौरान देश भक्ति की फिल्मों के निर्माण में तेजी से कमी आई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान देश में विशेष रूप से महाराष्ट्र में निर्मित तथा प्रसारित देशभक्ति की फिल्मों की दूरदर्शन-वार संख्या कितनी है;

(घ) क्या सरकार का विचार इन फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने तथा भविष्य में एक्शन फिल्मों के निर्माण को रोकने का है;

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(च) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ग) भारत में फिल्म उद्योग लगभग पूर्णतया निजी क्षेत्र में है और प्रत्येक वर्ष निर्मित फिल्मों की शैली के संबंध में कोई भी आंकड़े केन्द्रीकृत रूप से नहीं रखे जाते हैं। तथापि, केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड (सी बी एफ सी) और दूरदर्शन की टिप्पणियाँ प्राप्त कर ली गई हैं। केन्द्रीय फिल्म प्रमाणन बोर्ड ने कहा है कि फिल्मों के वर्गीकरण जिसके अंतर्गत प्रमाण पत्र जारी किए जाते हैं, में "देशभक्तिपूर्ण फिल्में" जैसी कोई श्रेणी नहीं है। यदि कोई देशभक्तिपूर्ण फिल्में हों तो भी उन्हें ऐतिहासिक फिल्मों की श्रेणी में शामिल किया जाता है जिसमें अन्य फिल्में भी शामिल हो सकती हैं। इसलिए ऐसी निर्मित फिल्मों की संख्या से संबंधित कोई ठोस उत्तर नहीं दिया जा सकता है। दूरदर्शन ने कहा है कि वे कोई फीचर फिल्म नहीं बनाते हैं और गत तीन वर्षों में दूरदर्शन केन्द्र, मुम्बई द्वारा प्रसारित की गई देशभक्तिपूर्ण फिल्मों की संख्या दो है जिनमें से एक फिल्म को चार बार प्रसारित किया गया था। राष्ट्रीय नेटवर्क में पिछले तीन वर्षों में 18 देशभक्तिपूर्ण फिल्में प्रसारित की गई थीं।

(घ) से (च) सरकार का सभी श्रेणियों में उच्च गुणवत्ता की फिल्मों के निर्माण को बढ़ावा देने का प्रयास रहता है। राष्ट्रीय फिल्म विकास निगम, फिल्म समारोह निदेशालय और बालचित्र समिति, भारत जैसे संगठन राष्ट्रीय और क्षेत्रीय स्तरों पर वित्तीय सहायता, पुरस्कार और फिल्म समारोहों के जरिए इस उद्देश्य को पूरा करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं।

[अनुवाद]

कर्नाटक सरकार द्वारा केन्द्रीय सहायता का उपयोग

4413. श्री डी. वी. सदानन्द गौडा : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या वर्ष 2004-05 के दौरान केन्द्रीय प्रायोजित योजना के अंतर्गत अनुसूचित जातियों के लड़कों तथा लड़कियों के लिए छात्रावासों के निर्माण हेतु जारी की गई धनराशि का कर्नाटक सरकार द्वारा पूर्णतः उपयोग किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) कितने छात्रावासों का निर्माण किया गया है तथा निर्माण कार्य की कितनी योजनाएं लंबित हैं; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (घ) वर्ष 2004-05 में, भारत सरकार ने दिनांक 29.9.2004 के मंजूरी आदेश सं. 11013/17/2004-एस सी डी-1 के द्वारा अनुसूचित जाति के 1150 छात्रों के 23 छात्रावासों के निर्माण की अनुमानित लागत के 50% अंश के लिए 447.68 लाख रुपये की राशि जारी की है। इसी वर्ष, अनुसूचित जाति की 450 लड़कियों के 9 होस्टलों के निर्माण हेतु 50% केन्द्रीय अंश के लिए 150.15 लाख रुपये की राशि जारी करने के लिए दिनांक 29.9.2004 का दूसरा मंजूरी आदेश सं. 11015/17/2004-एस सी डी-1 जारी किया गया।

इस योजना के मानकों के अनुसार, राज्य सरकार से यह परियोजना केन्द्रीय अंश की निर्मुक्ति की तारीख से 5 वर्षों की अवधि के भीतर, पूरा करने की अपेक्षा है।

सीमा सड़क संगठन में अनुकम्पा के आधार पर रोजगार

4414. श्री सुव्रत जोस :

श्री हितेन बर्मन :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने सीमा सड़क संगठन बी आर ओ में सेवारत व्यक्तियों के आश्रितों के लिए कोई नीति बनाई है जो उनकी मृत्यु होने के मामले में अनुकंपा आधार पर रोजगार पाने के हकदार होते हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि मृत कर्मचारियों की विधवाओं को सीमा सड़क संगठन में रोजगार देने से मना कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं तथा आज की तिथि तक सीमा सड़क संगठन में लंबित पड़े ऐसे मामलों की संख्या कितनी है; और

(ङ) सीमा सड़क संगठन में मृत कर्मचारियों की विधवाओं/स्त्री आश्रितों को नियुक्ति देने हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) समूह 'ग' तथा 'घ' पदों की सीधी भर्ती कोटे में से 5 प्रतिशत नियुक्तियां अनुकम्पा के आधार पर की जाती हैं। ये नियुक्तियां, किसी आश्रित परिजन अर्थात् पति/पत्नी या पुत्र (दत्तक पुत्र सहित) अथवा पुत्री (दत्तक पुत्री सहित) अथवा अविवाहित सरकारी कर्मचारियों के मामले में उस भाई अथवा बहन को दी जाती है जो पूर्णतया सरकारी कर्मचारी पर आश्रित हैं।

(ग) से (ङ) जनवरी, 1985 से जनवरी, 2002 तक, सीमा सड़क संगठन में महिला कार्मिकों की भर्ती पर प्रतिबंध लगा हुआ था। महिला आश्रितों को अब नियमों के प्रावधान के अंतर्गत रोजगार दिया जाता है। इस समय, विधवाओं के 165 तथा अन्य महिला आश्रितों के 35 मामले नियुक्ति पाने के लिए लंबित पड़े हैं।

[हिन्दी]

महानदीसल एक्सप्रेस को आगे बढ़ाया जाना

4415. श्री राकेश सिंह : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या जबलपुर से निजामुद्दीन के बीच चलने वाली महाकौशल एक्सप्रेस को जम्मू तक आगे बढ़ाये जाने का प्रस्ताव अभी भी सरकार के पास लंबित है;

(ख) यदि हां, तो प्रस्ताव की वर्तमान स्थिति क्या है;

(ग) क्या यात्रियों की निरन्तर मांग के मद्देनज़र उक्त रास्ते पर नई रेलगाड़ी चलाए जाने का कोई प्रस्ताव है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

भारत-ईरान गैस पाइपलाइन

4416. श्री बालासोवरी वल्लभनेनी : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रूस ने भारत–ईरान गैस पाइपलाइन बिछाने के लिए अपनी इच्छा जताई है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या इस संबंध में कोई चर्चा हुई है; और

(घ) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम निकले?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) हाल ही में, 24.11.2005 को, नई दिल्ली में भारत के पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री और रूस के उद्योग एवं ऊर्जा मंत्री के बीच हुई एक बैठक में रूस के मंत्री ने कहा था कि रूस की राष्ट्रीय गैस कंपनी गैजप्रोम, ईरान–पाकिस्तान–भारत गैस पाइपलाइन परियोजना में एक निवेशक अथवा एक ठेकेदार के रूप में सहभागी बनने के लिए तैयार है। रूस के मंत्री ने सूचित किया कि निवेशक की भूमिका गैजप्रोम के लिए वरीय विकल्प है।

सरकार ईरान और पाकिस्तान की सरकारों के साथ परियोजना के ब्यौरों पर चर्चा कर रही है। इस प्रयोजन के लिए सचिव स्तरीय दो संयुक्त कार्य दल (जे डब्ल्यू जीएस) अर्थात् भारत पाकिस्तान जे डब्ल्यू जी और भारत–ईरान विशेष जे डब्ल्यू जी (एस जे डब्ल्यू जी) गठित कर दिये गये हैं।

तीनों प्रधान सहभागी देशों के बीच प्रस्तावित परियोजना के ढांचे के बारे में सहमति बन जाने के बाद परियोजना के गैजप्रोम के शामिल होने की पेशकश पर विचार किया जायेगा।

रेल डिब्बों का आयात

4417. श्री अनन्त नायक : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना में विभिन्न प्रकार के रेल डिब्बों की अनुमानित आवश्यकता क्या है;

(ख) क्या सरकार ने रेल डिब्बों की आवश्यकताओं की पूर्ति करने हेतु कोई योजना बनाई है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार ऐसे रेल डिब्बों का आयात करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो इस मामले में सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ङ) ग्यारहवीं पंचवर्षीय योजना के लिए सवारी डिब्बों की आवश्यकता के लिए अभी तक कोई आकलन नहीं किया गया है।

[हिन्दी]

हिन्डन वायु सेना स्टेशन को उपयोग में न लिया जाना

4418. श्री ब्रजेश पाठक : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि पिछले कई वर्षों से उपयोग में नहीं लिये जाने के कारण हिन्डन स्थित वायु सेना स्टेशन की हवाई पट्टियां क्षतिग्रस्त हो गई हैं

जैसा कि दिनांक 2 अक्टूबर, 2005 के 'नवभारत टाइम्स' में समाचार प्रकाशित हुआ है; और

(ख) यदि हां, तो हिन्डन वायु सेना स्टेशन की हवाई पट्टियों का पुनरुद्धार करके उनका उपयोग करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) हिन्डन एयरफील्ड की हवाई पट्टी का भारतीय वायुसेना द्वारा उड़ाने भरने के लिए व्यापक रूप से इस्तेमाल किया जा रहा है। हवाई पट्टी का इस्तेमाल नहीं किए जाने के कारण उसे कोई क्षति नहीं पहुंची है।

हिमाचल प्रदेश में विमानपत्तनों का विस्तार/आधुनिकीकरण

4419. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार के पास हिमाचल प्रदेश में विमानपत्तनों के विस्तार/आधुनिकीकरण करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) उक्त प्रयोजनार्थ कितनी धनराशि निर्धारित की गई है; और

(घ) ये कार्य कब तक पूरा कर लिए जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हाँ।

(ख) से (घ) कार्यों के ब्यौरे के साथ-साथ शामिल निधियों तथा उसकी स्थिति इस प्रकार है:- कांगड़ा हवाईअड्डे पर 4500 फीट तक रनवे का विस्तार, एप्रन, टैक्सी-वे, 100 यात्रियों के लिए टर्मिनल भवन, कार पार्किंग, प्रचालन दीवार आदि का निर्माण कार्य 10.76 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से पूरा कर लिया है। सरकार द्वारा रोड को परिवर्तित कर दिये जाने पर कुछ छोटे-छोटे कार्यों को पूरे कर लिए जाने की संभावना है। कुल्लू हवाई अड्डे पर 7.81 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से 100 यात्रियों के लिए एक नये टर्मिनल भवन परिसर का निर्माण कार्य अन्तिम चरण में है। शिमला हवाईअड्डे पर, 2.50 करोड़ रुपये की अनुमानित लागत से एक नये फायर स्टेशन (श्रेणी-iv) के निर्माण का कार्य प्रारम्भिक स्तर पर है।

सिरसा-दिल्ली के बीच इंटरसिटी रेलगाड़ी

4420. श्री आत्मा सिंह गिल : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार सिरसा तथा दिल्ली के बीच एक इंटरसिटी सुपर फास्ट रेलगाड़ी चलाये जाने का है; और

(ख) यदि हां, तो यह रेलगाड़ी कब तक चलाए जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

विवाहित व्यक्तियों के लिए आवास परियोजना हेतु निविदाएं स्वीकार किया जाना

4421. श्री नवीन जिन्दल : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना अभियांत्रिकी सेवाएं (एम ई एस) फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के अंतर्गत विवाहित व्यक्तियों के लिए आवास परियोजना हेतु निर्धारित समय सीमा में निविदाएं स्वीकार करने में असफल रही हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके परिणामस्वरूप कितना व्यय अधिक हुआ तथा इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या दुर्ग अभियंता, मथुरा की लापरवाही के कारण ठेकेदारों को अधिक भुगतान कर दिया गया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) क्या इस संबंध में कोई जिम्मेदारी तय की गई है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा भविष्य में ऐसी गलतियों को रोकने के लिए क्या पूर्वोपाय किए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (च) विगत तीन वर्षों में फास्ट ट्रैक प्रक्रिया के अंतर्गत विवाहितों के लिए किसी आवास परियोजना को स्वीकृति नहीं दी गई है। इसलिए इस पर अतिरिक्त व्यय होने का प्रश्न नहीं उठता।

लखनऊ क्षेत्र के मुख्य अभियंता ने 1996 में मथुरा में 9.01 करोड़ रुपए की लागत से निर्माण कार्य करने के लिए दो संविदाएं की थीं। विचलनों के गलत मूल्यांकन की वजह से ठेकेदारों को 52.91 लाख रुपये का अधिक भुगतान किये जाने का पता चला था। अधिक भुगतान की जांच करने के लिए जुलाई, 2002 में एक स्टाफ जांच अदालत के आदेश दिए गए थे। जांच अदालत ने माने गए अधिक भुगतान के लिए, आठ कार्मिकों को उत्तरदायी ठहराया है। इन कार्मिकों के विरुद्ध विभागीय अनुशासनिक कार्रवाई की जा रही है। अधिक भुगतान को रोकने के लिए किए जाने वाले उपाय विभागीय मैनुअलों तथा विनियमों में पहले से ही निर्धारित किए हुए हैं।

[हिन्दी]

गिरिडीह में रेल साइडिंग

4422. श्री टेक लाल महतो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि झारखण्ड में गिरिडीह में रेल साइडिंग नहीं होने के कारण रेल यात्रियों को अत्याधिक असुविधाओं का सामना करना पड़ रहा है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार गिरिडीह में रेल साइडिंग का निर्माण करने पर विचार करेगी; और

(ग) यदि हां, तो परियोजना का निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) झारखंड में गिरिडीह में रेलवे साइडिंगों की अनुपलब्धता के कारण रेल यात्रियों को कोई असुविधा नहीं है। गिरिडीह में एक गुड्स शेड है जो आठ पहियों वाले 8 माल डिब्बों को समाहित कर सकता है। पिछले 2 वर्षों से कोई आवक या जावक यातायात नहीं है और यातायात न होने वजह से गिरिडीह के गुड्स शेड को बंद कर दिया गया है। पर्याप्त यातायात उपलब्ध होने पर रेलवे गिरिडीह गुड्स शेड को पुनः खोला जा सकता है।

अवैध तेल डिपो

4423. मो. मुकीम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में बहुत से अवैध तेल डिपो प्रचालित हो रहे हैं तथा मिलावटी उत्पादों की बिक्री कर रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या ऐसे अवैध तेल डिपुओं का पता लगाने के लिए सरकार द्वारा कोई छापे मारे गये हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है तथा सरकार द्वारा कितने अवैध तेल डिपुओं की पहचान की गई है;

(घ) उनके विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) ऐसे अवैध तेल डिपुओं के प्रचालन पर रोक़ लगाने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किये गये हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (घ) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की सरकार ने सूचित किया है कि कुछ मामलों में गैर कानूनी ढंग से पेट्रोलियम उत्पादों की बिक्री के बारे में शिकायत प्राप्त हुई हैं। शिकायतों के आधार पर छापे मारे गये। अप्रैल–नवम्बर, 2005 की अवधि के दौरान दिल्ली में मायापुरी और बदरपुर स्थलों पर दो छापे मारे गये और संबंधित पुलिस स्टेशनों में अनधिकृत डीलरों के विरुद्ध एफ आई आर दर्ज किए गए।

(ङ) आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन "पेट्रोलियम उत्पाद" एक अत्यावश्यक वस्तु है। पेट्रोलियम उत्पादों की गैर–कानूनी बिक्री और ऑटो ईंधनों में मिलावट के लिए पेट्रोलियम उत्पादों का अनधिकृत विपथन रोकने के लिए इस मंत्रालय ने मोटर स्पिरिट और हाई स्पीड डीज़ल (आपूर्ति और वितरण का विनियमन और कदाचार निवारण) आदेश, 1998, नाफ्था (अर्जन, बिक्री, भंडारण और ऑटोमोबाइल में प्रयोग पर रोक) आदेश, 2000 और साल्वेन्ट, रैफिनेट और स्लाप (अर्जन, बिक्री, भंडारण

और ऑटोमोबाइल में प्रयोग पर रोक) आदेश, 2000 जारी किया है। इन नियंत्रण आदेशों के प्रावधानों का उल्लंघन करते पाये जाने पर किसी व्यक्ति के विरुद्ध आवश्यक वस्तु अधिनियम, 1955 के अधीन कार्रवाई की जा सकती है। राज्य सरकारों को इन नियंत्रण आदेशों के अधीन कार्रवाई करने का अधिकार दिया गया है।

[अनुवाद]

दिल्ली और मुम्बई विमानपत्तनों का आधुनिकीकरण

4424. श्री रवि प्रकाश वर्मा :

श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या योजना आयोग मुम्बई और दिल्ली विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण की पूरी प्रक्रिया को रद्द करने की मांग कर रहा है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं;

(ग) क्या इस मुद्दे पर योजना आयोग और नागर विमानन मंत्रालय के बीच कोई मतभेद है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ङ) इस विवाद को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ङ) दिल्ली तथा मुम्बई हवाईअड्डे के आधुनिकीकरण तथा पुनर्संरचना की प्रक्रिया अंतरमंत्रालयी परामर्श से की जा रही है। सरकार विभिन्न विचार बिन्दुओं को ध्यान में रखते हुए उपयुक्त निर्णय लेगी।

सुरक्षा भंग होना

4425. श्री आनन्दराव विठोबा अडसूल :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का ध्यान दिनांक 8 दिसम्बर, 2005 के 'द टाइम्स आफ इंडिया' में 'आर्मी प्लेस डाऊन सिक्योरिटी ब्रीच' शीर्षक से प्रकाशित समाचार की ओर आकृष्ट हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस घटना की कोई जांच करायी है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या निष्कर्ष निकले हैं;

(घ) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गयी है; और

(ङ) ऐसी त्रुटियों की पुनरावृत्ति रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) सेना मुख्यालय से पेन ड्राइव गुम होने का एक मामला हाल ही में सरकार की जानकारी में आया है। इस घटना की जांच करने के लिए अधिकारियों के एक बोर्ड का गठन किया गया था तथा बोर्ड इस निष्कर्ष पर पहुंचा है कि यह पेन ड्राइव एक सैन्य अधिकारी से खो गया था किंतु, स्पष्टतया, इसमें कोई सरकारी अथवा वर्गीकृत सामग्री नहीं थी। संबंधित अधिकारी को इस नुकसान के लिए सतर्क किया गया है। ऐसी चूकों की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए सुरक्षा संबंधी पर्याप्त उपचारात्मक उपाय किए गए हैं।

रक्षा उत्पादन हेतु रूस के साथ संयुक्त उद्यम

4426. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने रक्षा कलपुर्जों, पनडुब्बियों और पांचवीं पीढ़ी के युद्धक विमानों के विनिर्माण हेतु रूस के साथ संयुक्त उद्यम लगाया है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) रक्षा संघटकों, पनडुब्बियों और पांचवीं पीढ़ी के युद्धक विमानों के निर्माण के लिए कोई संयुक्त उद्यम मौजूद नहीं है।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

ओ एन जी सी में माल का स्टॉक

4427. श्री जोआकिम बखला : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि तेल और प्राकृतिक गैस निगम (ओ एन जी सी) के पास बड़ी संख्या में माल का स्टॉक है;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वित्तीय वर्षों के अंत में प्रत्येक वर्ष ओ एन जी सी के माल के स्टॉक का मूल्य कितना है;

(ग) क्या इस माल के स्टॉक का किसी स्वतंत्र निकाय द्वारा कभी वास्तविक सत्यापन किया गया है;

(घ) यदि हां, तो इसके परिणाम क्या रहे;

(ङ) यदि नहीं, तो क्या सरकार का विचार सत्यापन करने का है; और

(च) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) ओ एन जी सी से प्राप्त सूचना के अनुसार उनकी माल सूची धारिताओं का अवधि विशेष के दौरान उसके द्वारा परिकल्पित/चलाये जाने वाले प्रचालनों की मात्रा से सीधा संबंध होता है।

(ख) पिछले तीन वित्तीय वर्षों के दौरान ओ एन जी सी द्वारा धारित माल सूची का मूल्य निम्न प्रकार रहा–

इस तिथि को	करोड़ रुपये में
31.03.2005	2569.19
31.03.2004	2405.69
31.03.2004	1571.02

(ग) से (च) किसी बाहरी एजेन्सी ने ओ एन जी सी की माल सूची का मौके पर प्रत्यक्ष सत्यापन नहीं किया है। ऐसा सत्यापन सामग्री प्रबंधन विभाग के अधीन ओ एन जी सी का भण्डार सत्यापन स्कन्ध करता है और इसकी रिपोर्टें उनके लेखा परीक्षकों को मान्य होती हैं। ओ एन जी सी अब बहुत बड़ी संख्या में सस्ती मदों के सत्यापन हेतु एक बाहरी एजेन्सी को इस काम पर लगाने की योजना बना रही है।

तेल और गैस की खोज हेतु थाईलैण्ड के साथ समझौता

4428. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या थाईलैण्ड के अपतटीय क्षेत्र में तेल और गैस की खोज तथा सी एन जी वितरण नेटवर्क की स्थापना में निवेश के लिए उसके साथ कोई समझौता हुआ था;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है; और

(ग) देश के बाहर और अधिक तेल और गैस की खोज करने तथा आयात पर निर्भरता कम करने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) पी एस यू तेल कंपनियों जैसे आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) अपनी सहायक कंपनी ओ एन जी सी विदेश लिमिटेड (ओ वी एल) के माध्यम से, आयल इंडिया लिमिटेड (ओ आई एल), गेल (इंडिया) लिमिटेड, हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड (एच पी सी एल) और इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी एल) के विदेश में अन्वेषण और उत्पादन रकबों में हित हैं। ओ वी एल ने तेरह देशों नामतः वियतनाम, रूस, सूडान, लीबिया, सीरिया, ईरान, इराक, म्यांमार, मिस्र, कतर, साओ टोम व प्रिंसिप, क्यूबा और नाइजीरिया में अपने कार्य का विस्तार किया है। इसी प्रकार, ओ आई एल–आई ओ सी परिसंघ ने ओ आई एल के प्रचालक के रूप में लीबिया में अन्वेषण ब्लाक लिए हैं। विदेश में ई एण्ड पी परियोजनाओं में कुल निवेश वचनबद्धता 5 बिलियन अमरीकी डालर से अधिक होने का अनुमान है। 2004–05 के दौरान ओ वी एल द्वारा अपने विदेशी उद्यमों से तेल और तेल समतुल्य गैस का उत्पादन 5.06 मिलियन मीट्रिक टन रहा। ये कंपनियां भावी अधिग्रहण के लिए विदेश में अन्वेषण और उत्पादन सुअवसरों को प्रबलता से तलाश रही हैं।

महानदी एक्सप्रेस को पुनः चलाना

4429. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार बरास्ता नागपुर, भोपाल और बिलासपुर के बीच महानदी एक्सप्रेस को पुनः चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) औचित्यपूर्ण नहीं है।

अनुसूचित जाति और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए विद्यालय/महाविद्यालय/हॉस्टल/तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्र

4430. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार अनुसूचित जाति और अ.पि.व. हेतु विद्यालयों/आवासीय विद्यालयों/महाविद्यालयों/हॉस्टलों/तकनीकी प्रशिक्षण केन्द्रों को खोलने और विस्तार हेतु राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान करती है;

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों से प्राप्त प्रस्तावों का ब्यौरा क्या है और वर्ष 2004–05 और 2005–06 के दौरान इसके अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार कितनी वित्तीय सहायता आबंटित/जारी की गई है;

(ग) इस संबंध में विशेषतः गुजरात के कितने प्रस्ताव केन्द्र सरकार के पास लंबित हैं;

(घ) इनके लंबित रहने के क्या कारण हैं; और

(ङ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, हां। सरकार अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए छात्रावास की योजना के अंतर्गत राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को वित्तीय सहायता प्रदान कर रही है।

(ख) उक्त योजनाओं के अंतर्गत राज्य/संघ राज्य क्षेत्रवार निधि का आबंटन नहीं है। तथापि, अनुसूचित जातियों और अन्य पिछड़े वर्गों के लिए 2004–05 और 2005–06 के दौरान राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निवेदित/इनको जारी निधि का ब्यौरा क्रमशः संलग्न विवरण I और II में दिया गया है।

(ग) गुजरात राज्य के प्रस्ताव के साथ–साथ अनुसूचित जातियों के 5 प्रस्ताव और अन्य पिछड़े वर्गों के 7 प्रस्ताव लंबित हैं।

(घ) अनुसूचित जातियों के संबंध में प्रस्ताव निधि की कमी के कारण लंबित हैं। पिछड़े वर्गों के संबंध में प्रस्ताव राज्य सरकारों/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों से अतिरिक्त दस्तावेजों की कमी के कारण रोके गए हैं।

(ङ) अनुसूचित जातियों के मामले में इन प्रस्तावों पर पर्याप्त निधि के उपलब्ध होने पर विचार किया जाएगा। राज्य सरकारें/संघ राज्य क्षेत्र प्रशासनों द्वारा अपेक्षित दस्तावेज प्रस्तुत करते ही पिछड़े वर्गों के प्रस्तावों पर विचार किया जायेगा।

विवरण-I

अनुसूचित जातियों के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास की योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निवेदित/इनको जारी केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004–05		2005–06	
		निवेदित निधि	मंजूर राशि	निवेदित निधि	मंजूर राशि
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	3650.00	700.00	5563.00	0
2	छत्तीसगढ़	196.90	196.90	398.05	0

1	2	3	4	5	6
3	गुजरात	0	0	0	60.00
4	हिमाचल प्रदेश	0	0	1907.53	1907.53
5	झारखंड	206.94	206.94	222.88	222.88
6	जम्मू–कश्मीर	0	0	6.39	6.39
7	कर्नाटक	593.87	593.87	0	0
8	केरल	152.21	152.21	0	0
9	पांडिचेरी	0	0	242.52	50.00
10	पंजाब	0	0	0	0
11	राजस्थान	0	0	96.75	96.75
12	तमिलनाडु	1275.00	1275.75	0	0
13	त्रिपुरा	58.83	158.83	0	151.89
14	उत्तर प्रदेश	0	0	395.67	395.67
15	उत्तरांचल	95.81	95.81	0	0
	कुल	7627.80	3435.28	8044.69	2891.11

विवरण-II

अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों और छात्राओं के लिए छात्रावास की योजना के अंतर्गत विभिन्न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा निवेदित/इनको जारी केन्द्रीय सहायता

क्र.सं.	राज्य/संघ राज्य क्षेत्र	2004–05		2005–06	
		निवेदित निधि	मंजूर राशि	निवेदित निधि	मंजूर राशि
1	2	3	4	5	6
1	आंध्र प्रदेश	440.00	330.00	781.00	330.00
2	असम	8.00	0	20.00	0
3	बिहार	0	0	287.00	0
4	छत्तीसगढ़	133.00	133.00	0	0

1	2	3	4	5	6
5	गुजरात	138.00	138.00	150.00	0
6	हिमाचल प्रदेश	42.00	42.00	140.00	0
7	झारखंड	97.00	97.00	86.00	0
8	जम्मू–कश्मीर	0	0	546.00	0
9	कर्नाटक	0	0	259.00	259.00
10	केरल	48.50	0	48.50	48.50
11	मणिपुर	233.00	0	233.00	0
12	मध्य प्रदेश	91.50	91.50	120.00	120.00
13	उड़ीसा	0	0	3.00	0
14	पांडिचेरी	371.00	50.00	0	0
15	पंजाब	0	0	58.00	0
16	राजस्थान	0	0	52.00	0
17	तमिलनाडु	630.00	157.50	787.00	205.00
18	त्रिपुरा	27.00	27.00	39.00	39.00
19	उत्तर प्रदेश	355.00	212.00	249.00	71.00
20	पश्चिम बंगाल	0	0	97.00	0
	कुल	2475.00	12.76	4252.00	10.72

वर्ष 2006 को भूतपूर्व सैनिक वर्ष के रूप में घोषणा

4431. डा. राजेश मिश्रा :

श्री अवतार सिंह भड़ाना :

श्री जे. एम. आरून रशीद :

श्री मणी कुमार सुब्बा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न पक्षों से वर्ष 2006 को भूतपूर्व सैनिक वर्ष के रूप में घोषणा करने हेतु अनुरोध प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की प्रतिक्रिया क्या है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) और (ख) जी, हाँ। वर्ष 2006 को, भूतपूर्व सैनिक वर्ष के रूप में घोषित किए जाने के लिए कुछ अनुरोध प्राप्त हुए हैं। सुझाए गए क्रियाकलापों में भूतपूर्व

सैनिकों की रैली आयोजित करना, सेवा–निवृत्त सेनानियों को सम्मानित करना, प्रचार और सांस्कृतिक कार्यक्रम आयोजित करना, आदि शामिल हैं।

(ग) वर्ष 2006 को भूतपूर्व सैनिक वर्ष के रूप में घोषित किए जाने की कोई योजना नहीं है।

[हिन्दी]

भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों का निपटान

4432. श्री सुनील कुमार महतो :

श्री जीवा भाई ए. पटेल :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को विभिन्न समस्याओं/पहलुओं से संबंधित भूतपूर्व सैनिकों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान कितनी शिकायतें प्राप्त हुई हैं; और

(ग) उनकी शिकायतों के निपटान हेतु सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं या उठाए जा रहे हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, हां। सरकार को विभिन्न स्तरों पर एवम् अलग–अलग स्थानों से भूतपूर्व सैनिकों के अभ्यावेदन प्राप्त होते हैं।

(ख) विगत तीन वर्षों में रक्षा मंत्रालय, भूतपूर्व सैनिक कल्याण विभाग को भूतपूर्व सैनिकों से प्राप्त अभ्यावेदनों की संख्या इस प्रकार है:–

2003	–	8031
2004	–	7193
2005	–	7518*

*(16 दिसम्बर, 2005 तक)

(ग) भूतपूर्व सैनिकों की शिकायतों पर, संबंधित केन्द्रीय/राज्य सरकार की एजेंसियों के साथ परामर्श करके, शीघ्रता से कार्यवाही की जाती है।

[अनुवाद]

कल्याणकारी योजनाओं हेतु
अतिरिक्त धनराशि

4433. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष विभिन्न कल्याणकारी योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु तमिलनाडु को आबंटित धनराशि का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या तमिलनाडु सरकार ने योजनाओं के कार्यान्वयन हेतु अतिरिक्त धनराशि के लिए अनुरोध किया है; और

(ग) यदि हां, तो केन्द्र सरकार द्वारा इस पर क्या कार्रवाई की गई है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुब्बुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) निधि का राज्यवार आबंटन नहीं किया जाता है। राज्य सरकारों/संघ क्षेत्र प्रशासनों को निधि विभिन्न योजनाओं और कार्यक्रमों के तहत शर्तों के अनुसार प्राप्त प्रस्तावों के आधार पर जारी की जाती है।

(ख) जी, नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

अमलनेर रेलवे स्टेशन
का जीर्णोद्धार

4434. श्री बापू हरी चौरे : क्या **रेल** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का महाराष्ट्र के जलगांव जिले में अमलनेर रेलवे स्टेशन के जीर्णोद्धार का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) इस स्टेशन पर सभी निर्धारित सुविधाएं मौजूद हैं।

[अनुवाद]

तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का निर्यात

4435. श्री सनत कुमार मंडल : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या विभिन्न देशों को तरलीकृत पेट्रोलियम गैस का निर्यात करने की कोई योजना है; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) चूंकि एल पी जी की वर्तमान मांग घरेलू उत्पादन से अधिक है, तेल विपणन कंपनियां (ओ एम सीज़) इस कमी को पूरा करने के लिए एल पी जी का आयात कर रही हैं। तथापि, इंडियन आयल कार्पोरेशन लि. (आई ओ सी) दिनांक 31.3.2007 तक वैध, नेपाल आयल कार्पोरेशन (एन ओ सी), नेपाल के साथ हुए एक समझौते के तहत प्रति वर्ष लगभग 75 टी एम टी से 80 टी एम टी तक थोक मात्रा में एल पी जी की आपूर्ति करेगी। इसके अतिरिक्त, आई ओ सी द्वारा भूटान को प्रति माह लगभग 500 एम टी पैक्ड एल पी जी की आपूर्ति की जा रही है।

साझेदारी का पुनर्गठन

4436. श्री सी. कुप्पुस्वामी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय तेल निगम की नीति है कि पेट्रोल पम्प एस.के.ओ./एल.पी.जी. की डीलरशिप फर्मों के वित्तीय साझेदारों से त्यागपत्र स्वीकार करने और फर्म का पुनर्गठन किए जाने की अनुमति है;

(ख) यदि हां, तो इस बात के मद्देनज़र किये उत्पाद आवश्यक वस्तुओं के अंतर्गत आते हैं इनसे संबंधित औपचारिकताओं को पूरा करने के लिए अपेक्षित/लगने वाली अवधि कितनी है;

(ग) पुनर्गठन प्रस्तावों के लम्बित रहने के कारण ऐसी कितनी डीलरशिप तदर्थ आधार पर चलाई जा रही हैं; और

(घ) इन प्रस्तावों को कब तक स्वीकृत किये जाने की संभावना है और डीलरशिप की फर्मों को अंतिम रूप से कब तक पुनर्गठित होने की अनुमति है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) उस स्थिति में खुदरा बिक्री केन्द्र (पेट्रोल पम्प) डीलरशिपों/एस के ओ-एल डी ओ डीलरशिपों/एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के वित्तीय भागीदारों का त्यागपत्र स्वीकार करती है यदि ऐसे भागीदारों ने डीलरशिप/डिस्ट्रीब्यूटरशिप करारों पर हस्ताक्षर किए हों। ऐसी डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों का मामले के गुण दोष के आधार पर कंपनी की नीति के अनुसार पुनर्गठन करने की अनुमति दी जाती है। चूंकि पुनर्गठन के लिए अनुरोधों की विस्तृत जांच की आवश्यकता होती है और प्रक्रिया में कानूनी अनुमोदन प्राप्त करना सम्मिलित होता है, इसलिए इस मामले में निर्णय लेने के लिए कोई समय सीमा विशेष विनिर्दिष्ट नहीं की जा सकती।

(ग) आई ओ सी ने यह सूचित किया है कि पुनर्गठन के लिए किसी प्रस्ताव के लम्बित रहने के कारण आई ओ सी की कोई डीलरशिप तदर्थ आधार पर नहीं चलाई जा रही है।

(घ) उपर्युक्त भाग (ग) के उत्तर के मद्देनज़र प्रश्न नहीं उठता।

रक्षा बलों हेतु उपभोग्य वस्तुओं की खरीद

4437. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

श्री बाडिगा रामकृष्णा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सेना क्रय संगठन रक्षा बलों के उपभोग हेतु वस्तुओं की खरीद करता है;

(ख) यदि हां, तो क्या संविदा के तहत आने वाली वस्तुओं की गुणवत्ता संयुक्त खाद्य प्रयोगशालाओं द्वारा सुनिश्चित की जाती है;

(ग) यदि हां, तो वर्ष 2004–05 के दौरान विभिन्न आपूर्ति डिपुओं को माल भेजने का पर्यवेक्षण करने हेतु कितने निरीक्षण कराए गए;

(घ) कितने मामलों में आपूर्ति को निविदा में मांगी गई आवश्यकताओं से कम पाया गया था;

(ङ) ऐसे आपूर्तिकर्त्ताओं के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई है; और

(च) ऐसी घटिया आपूर्ति को रोकने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) जी, हां।

(ग) से (च) सामान की गुणता का विश्लेषण करने के लिए निरीक्षण किए जाते हैं तथा स्वीकृत सामान को अधिकारियों के एक बोर्ड के पर्यवेक्षण में विभिन्न आपूर्ति डिपुओं को भेजा जाता है। यदि आपूर्ति विनिर्दिष्टियों से निम्न स्तर की पाई जाती है, तो ऐसी घटिया आपूर्ति को अस्वीकार कर दिया जाता है। वर्ष 2004 के दौरान, विश्लेषण हेतु लिए गए कुल 22,002 नमूनों में से 1921 नमूने अस्वीकार किए गए थे।

[हिन्दी]

गैस एजेंसियां खोलना

4438. श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को झारखण्ड और बिहार में गैस एजेंसियां खोलने के लिए कोई अनुरोध/अभ्यावेदन प्राप्त हुए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) झारखण्ड और बिहार सहित देश में एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप खोलने के लिए प्राप्त हुए अभ्यावेदनों को सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के पास उनके विचारार्थ भेज दिया जाता है। ओ एम सीज अपने वाणिज्यिक प्रतिफलों के अनुसार व्यवहार्य स्थानों पर एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिप स्थापित करने के लिए स्वतंत्र हैं। नीतिगत मामले के अनुसार सरकार ने ओ एम सीज को अपनी भावी विस्तार योजनाओं को अर्ध शहरी और ग्रामीण क्षेत्रों में केन्द्रित करने की सलाह दी है। झारखण्ड और बिहार में निकट भविष्य में खोले जाने वाली एजेंसियों के स्थानों का ब्यौरा ओ एम सीज के निदेशक (विपणन) के पास उपलब्ध है।

विकलांग व्यक्तियों को रिक्शों का वितरण

4439. श्री हेमलाल मुर्मू : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार का विचार विकलांग व्यक्तियों को उनके कल्याण के लिए भुगतान पर तथा निःशुल्क रिक्शों का वितरण करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) गत तीन वर्षों तथा चालू वर्ष में से प्रत्येक वर्ष के दौरान विकलांग व्यक्तियों को भुगतान पर तथा निःशुल्क वितरित रिक्शों की अलग–अलग राज्यवार संख्या कितनी है;

(घ) क्या इस प्रकार वितरित रिक्शे सरकार द्वारा स्वयं खरीदे गए थे; और

(ङ) यदि हां, तो विकलांगों के लिए रिक्शों की खरीद के संबंध में वर्तमान नियम क्या है?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) जी, नहीं।

(ख) से (ङ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

एडीआईपी धनराशि का उपयोग

4440. श्रीमती मेनका गांधी : क्या **सामाजिक न्याय और अधिकारिता** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार 2004–2005 के दौरान भारतीय कृत्रिम अंग निर्माण निगम (एएलआईएमको) कानपुर को संवितरित धनराशि के दुरुपयोग से अवगत है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) धनराशि का दुरुपयोग रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या उपाय किए गए हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीसन) : (क) से (ग) सहायक साधनों और उपकरणों की खरीद/फिटिंग के लिए विकलांग व्यक्तियों को सहायता की योजना के अंतर्गत, विकलांग व्यक्तियों को सहायता साधनों और उपकरणों के वितरण के लिए भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम सहित कार्यान्वयन एजेंसियों को निधि दी जाती है। एलिम्को के अधिकारियों के विरुद्ध वर्ष 2004–05 के दौरान निधि के दुरुपयोग की कोई शिकायत प्राप्त नहीं हुई है। यह भी उल्लेखनीय है कि एलिम्को द्वारा आयोजित सभी कैम्पों में राज्य/जिला प्राधिकरण संबद्ध होते हैं।

[हिन्दी]

पेट्रोल पंपों का आबंटन

4441. श्री ब्रजेश पाठक : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार पेट्रोल पम्पों के आबंटन में व्यापक स्तर पर अनियमितताओं से अवगत है जैसा कि दिनांक 17 अगस्त, 2005 के "दैनिक जागरण" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है; और

(ग) यदि हां, तो उसके निष्कर्ष क्या हैं और उन पर क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) प्रश्नगत समाचार कुछ राजनीतिज्ञों और उनके रिश्तेदारों आदि को किए गए डीलरशिप के कथित आबंटनों के संदर्भ में है। पेट्रोलियम उत्पादों के डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) के दिशानिर्देशों, जो वस्तुपरक और पारदर्शी स्वरूप के हैं, में डीलरों/डिस्ट्रीब्यटरों का चयन करने में ओ एम सीज द्वारा अपनाई जाने वाली विस्तृत प्रक्रिया का प्रावधान है। इन दिशानिर्देशों के अनुसार राजनीतिज्ञों अथवा उनके रिश्तेदारों को डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यटरशिपों के आबंटन पर कोई प्रतिबंध नहीं है बशर्ते कि उनका चयन इन दिशानिर्देशों के उपबंधों का पालन करते हुए किया जाए।

तथापि, यदि किसी ऐसे चयन के विरुद्ध शिकायत प्राप्त होती है और जांच के बाद यह सिद्ध हो जाता है कि चयन उक्त दिशानिर्देशों का उल्लंघन करके किया जाता है तो ओ एम सीज द्वारा अपनी अपनी शिकायत निवारण व्यवस्था के अनुसार सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है। इसके अतिरिक्त जैसे और जब डीलरों/डिस्ट्रीब्यूटरों के चयन के विरुद्ध सरकार को कोई शिकायत/अभ्यावेदन प्राप्त होता है तो उसकी जांच की जाती है और ओ एम सीज में उपलब्ध व्यवस्था के माध्यम से जांच के बाद उपयुक्त सुधारात्मक कार्रवाई की जाती है।

[अनुवाद]

माल (फ्रेट) टर्मिनल

4442. श्री आनंदराव विठोबा अडसूल :

श्री रवि प्रकाश वर्मा :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने केंद्रीय भांडागार निगम के साथ प्रारंभिक तथा गंतव्य स्थानों पर लदाई/उतराई, भंडारण और रोड ब्रिजिंग सहित एकल खिड़की सेवा प्रदान करने के लिए माल (फ्रेट) टर्मिनलों के नेटवर्क का विकास करने के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी निबंधन व शर्तों का ब्यौरा क्या है;

(ग) इस उद्देश्य के लिए पहचाने गए माल (फ्रेट) टर्मिनलों की जोनवार संख्या कितनी है; और

(घ) रेलवे की आय में बढ़ोत्तरी के लिए रेलवे द्वारा माल (फ्रेट) सेवाओं को सुचारु बनाने के लिए क्या कदम उठाए जा रहे हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी हां, महोदय।

(ख) से (घ)

(क) समझौता में उल्लिखित प्रमुख शर्तें एवं निबंधन निम्नलिखित हैं:–

(i) रेलवे सेंट्रल वेयर हाउसिंग कार्पोरशन (सी डब्ल्यू सी) को 30 वर्षों की अवधि के लिए भूमि पट्टे पर देगी जोकि माल गोदाम परिसरों के विकास के लिए रेलवे साइडिंग का निर्माण कराएगी। इस पट्टावधि की रेलवे और सी डब्ल्यू सी के बीच आपसी तालमेल से बढ़ाया जा सकता है।

(ii) सी डब्ल्यू सी पट्टे की रेलवे भूमि पर अपनी लागत से संपूर्ण मालगोदाम परिसरों का निर्माण, विकास एवं रखरखाव करेगा। जरूरतमंद सुविधाएं जैसे संपर्क सड़क, परिपादन क्षेत्र बिजली बाड़ लगाने इत्यादि की व्यवस्था सी डब्ल्यू सी द्वारा अपनी लागत की जाएगी। उसी रेल टर्मिनल पर रेलवे अथवा किसी अन्य प्राधिकृत पार्टी द्वारा अतिरिक्त गोदामों का भी निर्णय करवाया जा सकता है।

(iii) सी डब्ल्यू सी को पट्टे पर दी गई भूमि के लिए रेलवे प्रशासन सालाना 1 रु. प्रतिवर्ष मीटर के हिसाब से मामूली पट्टा किराया लेगा।

(iv) करार की तीसरे वर्ष से संकल आमदनी का 5% रेलवे का हिस्सा होगा।

(v) सी डब्ल्यू सी उपयोगकर्ता के दरवाजों पर सड़क द्वारा मंडल/सुपुर्दगी/वित्तीय के जरिए लदान/उतराई तथा संपूर्ण संभारतंत्र की व्यवस्था करेगा।

(vi) सी डब्ल्यू सी परिवहन की अन्य प्रतिस्पर्धी व्यवस्थाओं द्वारा मुहैया कराई गई सुविधाओं तथा प्रौद्योगिकीय उन्नयन के माफिक अद्यतन मालगोदाम संबंधी सुविधाएं मुहैया कराएगा जिससे कि ग्राहकों को परिसर में उपलब्ध सुविधाओं की ओर आकर्षित किया जा सके।

(vii) मालगोदाम परिसरों के उपलब्ध अवसंरचना तथा संभारतंत्र सेवाओं का संपूर्ण उपयोग करते हुए सी डब्ल्यू सी परिवहन क्षेत्र में रेलवे के पार्टनर के रूप में कार्य करते हुए रेलवे के हिस्से में (क) ब्लॉक रेकों में बाहरी संचलन के लिए फुटकर यातायात का जोड़ और (ख) ब्लॉक रेकों में प्राप्त आवक यातायात के भंडारण, सम्हलाई और शार्टकट से सड़क वितरण के लिए सुधार करेगा।

(ख) मालगोदाम परिसरों के विकास के लिए 22 स्थलों का चयन किया गया है। जोनवार ब्यौरे निम्नलिखित हैं:–

मध्य रेल–5, पूर्व रेल–3, पूर्व तटीय रेल–2, उत्तर रेल–4, उत्तर मध्य रेल–2, दक्षिण रेल–1, दक्षिण मध्य रेल–1, दक्षिण पूर्व रेल–1, पश्चिम रेल–1 और पश्चिम मध्य रेल–2

(ग) माल यातायात सेवाओं को दुरुस्त बनाने तथा रेलवे की आमदनी में इजाफा लाने के लिए निम्नलिखित उपाय किए गए हैं:–

(i) साइडिंग नियमों को उदारीकृत किया गया है तथा ग्राहकोन्मुखी बनाया गया है।

(ii) मालडिब्बों के जल्दी रिलीज़ होने तथा शीघ्र उपलब्ध होने के लिए एक नयी योजना "इंजिन–आन–लोड" (ई ओ एल) योजना लागू की गई थी जहां लदान/उतराई परिचालन के दौरान गाड़ी का इंजन खड़ा रहता है।

(iii) रेलवे की ओर अतिरिक्त यातायात आकर्षित करने तथा मालडिब्बों की खरीद में सरकारी–निजी सहभागिता को बढ़ावा देने के लिए रेलवे द्वारा "मालडिब्बा निवेश योजना" शुरू की गई है।

(iv) सी डब्ल्यू सी के अलावा, सरकारी–निजी भागीदारी के जरिए अद्यतन रेल साइड वेयरहाउसिंग काम्पलेक्स विकसित किया जायेगा।

(v) कंटेनर कार्पोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, जोकि एक सार्वजनिक क्षेत्र की कंपनी है, भी कंटेनरीकृत संचलन के जरिए कार्गो निर्यात/आयात को आकर्षित करने के लिए अहम भूमिका अदा कर रहा है।

(vi) दिसम्बर, 2005 से जनवरी, 2006 की अवधि के दौरान साइडिंग से दर्ज आवर्त यातायात की मालभाड़ा दरों में 10% की रियायत।

(vii) मालडिब्बों के प्राधिकृत एम्पटी फ्लों दिशा में साइडिंग दर्ज आवर्त यातायात की मालभाड़ा दर में 15% रियायत।

(viii) गैर–व्यस्त अवधि के दौरान अर्थात जुलाई से सितम्बर की अवधि के दौरान साइडिंगों से दर्ज आवर्त यातायात की मालभाड़ा दरमें 15% रियायत।

(ix) आवर्त यातायात को आकर्षित करने के लिए स्टेशन दर

स्टेशन दरें मुहैया कराने के लिए क्षेत्रीय रेलों के महाप्रबंधकों को शक्तियां प्रत्यायोजित कर दी गई हैं।

चीन के साथ सैन्य अभ्यास

4443. श्री किन्जरपु येरननायडु : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत ने चीन के साथ हिन्द महासागर में सैन्य अभ्यास के लिए किसी समझौते पर हस्ताक्षर किए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) ऐसे अभ्यासों से भारत को क्या लाभ मिलने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) भारत ने हिंद महासागर में सैन्य अभ्यासों के लिए चीन के साथ किसी करार पर हस्ताक्षर नहीं किए हैं।

वायुवाहित पूर्व चेतावनी तथा नियंत्रण प्रणाली का विकास

4444. श्री ई. जी. सुगावनम : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रक्षा अनुसंधान एवं विकास संगठन (डी आर डी ओ) का विचार स्वदेशी वायुवाहित पूर्व चेतावनी तथा नियंत्रण प्रणाली विकसित करने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसके कब तक विकसित होने की संभावना है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) 1800 करोड़ रुपये की लागत वाली स्वदेशी वायुवाहित पूर्व चेतावनी तथा नियंत्रण (एईडब्ल्यू एण्ड सी) प्रणाली के अभिकल्प तथा विकास के लिए एक कार्यक्रम को सरकार द्वारा 06 अक्तूबर, 2004 को मंजूरी दी गई थी। वायुवाहित पूर्व चेतावनी तथा नियंत्रण प्रणाली की विभिन्न उप-प्रणालियों के प्रारंभिक अभिकल्प पूरे कर लिए गए हैं तथा विशेषज्ञ-समितियों द्वारा उनकी समीक्षा की जा रही है।

(ग) वायुवाहित पूर्व चेतावनी तथा नियंत्रण प्रणाली, अप्रैल, 2011 तक विकसित कर लिए जाने की संभावना है।

दूरदर्शन/आकाशवाणी पर क्षेत्रीय कार्यक्रम

4445. श्री जसुभाई धनाभाई धारड़ : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) उन राज्यों के क्या नाम हैं जहां दूरदर्शन ने क्षेत्रीय कार्यक्रमों को प्राथमिकता दी है; और

(ख) राज्यों तथा ग्रामीण जीवन की संस्कृति को बढ़ावा देने के वाले कार्यक्रमों को प्राथमिकता देने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) प्रसार भारती ने सूचित किया है कि दूरदर्शन देश भर में स्थित 32 दूरदर्शन केन्द्रों के माध्यम से राज्यों की संस्कृति को बढ़ावा देने वाले और ग्रामीण जीवन के चित्रण करने वाले कार्यक्रमों को प्राथमिकता देता है। दूरदर्शन केन्द्रों और उनके राज्यों के नामों को दर्शाने वाला विवरण संलग्न है।

प्रसार भारती ने यह भी सूचित किया है कि आकाशवाणी के सभी केन्द्र देश की सांस्कृतिक विरासत के संवर्धन पर वार्ताओं, फीचरों, परिचर्चाओं और नाटकों आदि जैसे विभिन्न प्रारूपों में अनेकों कार्यक्रमों का प्रसारण कर रहे हैं। आकाशवाणी केन्द्र अपने क्षेत्र के महत्वपूर्ण सांस्कृतिक कार्यकलापों की कवरेज करते हुए नियमित कार्यक्रमों का प्रसारण करते हैं तथा अपने क्षेत्रों में प्रचलित सांस्कृतिक लोकाचारों के बारे में अपने श्रोताओं को जानकारी भी देते हैं। वे देश के विभिन्न भागों की सांस्कृतिक परम्परा का संवर्धन करने के लिए लोक एवं जनजातीय संगीत के साथ-साथ सुगम एवं शास्त्रीय संगीत और लोक थियेटर पर आधारित कार्यक्रमों को भी प्रसारित करते हैं।

विवरण

क्षेत्रीय केन्द्रों की सूची

1. दूरदर्शन केन्द्र, अहमदाबाद (गुजरात)
2. दूरदर्शन केन्द्र, अगरतला (त्रिपुरा)

3. दूरदर्शन केन्द्र, एजवाल (मिजोरम)
4. दूरदर्शन केन्द्र, भोपाल (मध्य प्रदेश)
5. दूरदर्शन केन्द्र, बंगलौर (कर्नाटक)
6. दूरदर्शन केन्द्र, भुवनेश्वर (उड़ीसा)
7. दूरदर्शन केन्द्र, चेन्नई (तमिलनाडु)
8. दूरदर्शन केन्द्र, देहरादून (उत्तरांचल)
9. दूरदर्शन केन्द्र, दिल्ली (नई दिल्ली)
10. दूरदर्शन केन्द्र, गंगटोक (सिक्किम)
11. दूरदर्शन केन्द्र, गुवाहाटी (असम)
12. दूरदर्शन केन्द्र, गोरखपुर (उत्तर प्रदेश)
13. दूरदर्शन केन्द्र, हिसार (हरियाणा)
14. दूरदर्शन केन्द्र, हैदराबाद (आन्ध्र प्रदेश)
15. दूरदर्शन केन्द्र, इम्फाल (मणिपुर)
16. दूरदर्शन केन्द्र, ईटानगर (अरुणाचल प्रदेश)
17. दूरदर्शन केन्द्र, जयपुर (राजस्थान)
18. दूरदर्शन केन्द्र, जालन्धर (पंजाब)
19. दूरदर्शन केन्द्र, जम्मू (जम्मू एवं कश्मीर)
20. दूरदर्शन केन्द्र, कोलकाता (प. बंगाल)
21. दूरदर्शन केन्द्र, लेह, लद्दाख क्षेत्र (जम्मू एवं कश्मीर)
22. दूरदर्शन केन्द्र, लखनऊ (उत्तर प्रदेश)
23. दूरदर्शन केन्द्र, मुम्बई (महाराष्ट्र)
24. दूरदर्शन केन्द्र, पणजी (गोवा)
25. दूरदर्शन केन्द्र, पटना (बिहार)
26. दूरदर्शन केन्द्र, पाण्डिचेरी (पाण्डिचेरी)
27. दूरदर्शन केन्द्र, पोर्ट ब्लेयर (अंडमान एवं निकोबार)
28. दूरदर्शन केन्द्र, रांची (झारखण्ड)
29. दूरदर्शन केन्द्र, रायपुर (छत्तीसगढ़)
30. दूरदर्शन केन्द्र, श्रीनगर (जम्मू एवं कश्मीर)
31. दूरदर्शन केन्द्र, शिलांग (मेघालय)
32. दूरदर्शन केन्द्र, शिमला (हिमाचल प्रदेश)

नीलगिरि पर्वतीय रेलवे का विकास

4446. श्री एस. के. खारवेनथन : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नीलगिरि पर्वतीय रेलवे (एनएमआर) घाटे में चल रही है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और गत तीन वर्षों में से प्रत्येक के दौरान वित्तीय स्थिति का ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे का एनएमआर में पटरियों, सवारी डिब्बों और अन्य अवसंरचनाओं में सुधार का कोई प्रस्ताव है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस उद्देश्य के लिए कितनी राशि निर्धारित की गई है; और

(ङ) रेलवे द्वारा सेवाओं में सुधार करने और एन एम आर में आने वाले पर्यटकों को बेहतर सुविधाए प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) जी हां। नीलगिरि माउंटेन पर्वतीय रेलवे कम लोकप्रिय होने के कारण घाटे में चल रही है। पिछले तीन वर्षों के दौरान वित्तीय स्थिति निम्नानुसार है:–

(राशि करोड़ रु. में)

	2002–03	2003–04	2004–05
आय	3.35	3.68	4.22
व्यय	4.93	5.07	8.68
हानि	1.58	1.39	4.46

(ग) से (ङ) सवारी डिब्बा अनुरक्षण के लिए 2 करोड़ रु. स्वीकृत किए गए हैं। इसके अलावा, अतिरिक्त सवारी डिब्बों, रेल इंजनों के निर्माण और रेलपथ के नवीकरण का प्रस्ताव है।

पर्यटकों की सुविधा के लिए मेट्टुपलय्यम, कुन्नूर, उडगमंडलम स्टेशनों पर स्पर्श पटल कम्प्यूटरीकृत आरक्षण सुविधा मुहैया कराई गई है। इस पूरे रेलवे में, अनेक स्टेशनों पर यात्री सुविधा एवं मरम्मत कार्य की व्यवस्था के लिए निधि भी आबंटित कर दी गई है।

रुग्ण कुओं से कच्चे तेल का उत्पादन

4447. श्री सुबोध मोहिते : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ऊर्जा अनुसंधान संस्थान (टेरी) ने रुग्ण कुओं से कच्चे तेल का उत्पादन तीन गुना तक बढ़ाने के लिए सूक्ष्म जैविक तकनीक विकसित की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या सरकार का विचार इस तकनीक को देश में शुरू करने का है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) ऊर्जा और स्रोत संस्थान (टेरी) ने तीन बार एक तेल कूपों से कच्चे तेल का उत्पादन बढ़ाने के लिए एक माइक्रोबियल तकनीक विकसित की है। इस संबंध में टेरी का व्यापक अनुसंधान कार्य आरंभ में (1992–1995) जैव–प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा वित्तपोषित किया गया था। बाद में टेरी ने 90 डिग्री सेंटीग्रेड के रिजर्वायर तापमानों तक के स्ट्रिप्पर तेल कूपों का उत्पादन बढ़ाने के लिए माइक्रोबियल वर्धित तेल निकासी (एम ई ओ आर) तकनीक के विकास के लिए 1999 में आयल एण्ड नेचुरल गैस कार्पोरेशन लिमिटेड (ओ एन जी सी) के रिजर्वायर अध्ययन संस्थान (आई आर एस) के साथ एक करार पर हस्ताक्षर किए। यह तकनीक जो बीमार कूपों की तुलना में निम्न उत्पादन वाले कूपों के लिए लागू है, दो से तीन गुना उत्पादन लाभ के लिए अंशदान करने वाली पाई गई है।

(ग) से (घ) एम ई ओ आर तकनीक ओ एन जी सी की अहमदाबाद और मेहसाना आस्तियों के 26 कूपों और असम में आयल इंडिया लिमिटेड के 3 कूपों में क्रियान्वित की गई है। ओ एन जी सी ने अपनी असम आस्तियों में भी इस तकनीक को क्रियान्वित करने के लिए उपाय आरम्भ किए हैं। इसके अतिरिक्त ओ एन जी सी की 2006–07 अहमदाबाद और मेहसाना आस्तियों के क्षेत्रों में लगभग 60 कूप प्रति वर्ष के बड़े पैमाने पर एम ई ओ आर क्रियान्वित करने की योजना है।

विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण/अनुरक्षण के लिए मूल्यांकन

4448. श्री सनत कुमार मंडल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या देश में विभिन्न विमानपत्तनों के आधुनिकीकरण और अनुरक्षण के संबंध में अपेक्षित आवश्यकताओं का कोई नया मूल्यांकन किया गया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सरकार द्वारा इस दिशा में क्या कदम उठाए गए/उठाए जा रहे हैं; और

(घ) अंतर्राष्ट्रीय विमानपत्तनों को और अधिक उपभोक्ता सुग्राह्य और सुरक्षित बनाने के लिए वहां पर प्रस्तावित प्रमुख अतिरिक्त सुविधाओं के सृजन का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा प्रबंधित किये जा रहे हवाईअड्डों पर आधुनिकीकरण तथा अवसंरचना सुविधाओं का अनुरक्षण एक सतत प्रक्रिया है, जिसका यातायात की आवश्यकता तथा संसाधनों, भूमि आदि की उपलब्धता के आधार पर समय–समय पर मूल्यांकन किया जाता है।

(घ) अंतर्राष्ट्रीय हवाईअड्डों पर अतिरिक्त प्रमुख सुविधाएं सुलभ कराये जाने का प्रस्ताव है जिसमें अन्य बातों के साथ–साथ टर्मिनल क्षमता में वृद्धि, अतिरिक्त कन्वेयर बेल्ट, अतिरिक्त चैक–इन आप्रवासन तथा सीमाशुल्क कॉउन्टर, सामान्य प्रयोक्ता टर्मिनल उपस्कर (सीयूटीई) प्रणाली की शुरूआत, चेक–इन कॉउन्टर तथा चेक–इन बैगेज कन्वेयर बेल्ट युक्त इन–लाइन

बैगेज सिस्टम, अतिरिक्त एक्स–रे सामान निरीक्षण प्रणाली और अतिरिक्त सामान ट्रालियां शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने अतिरिक्त यात्री बोर्डिंग ब्रिजों, स्वचालित सीढ़ियों, एलीवेटर्स आदि को उपलब्ध कराये जाने के लिए कार्यवाही भी शुरू कर दी है।

गैर-रक्षा ग्राहकों को बिक्री

4449. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

श्री वाडिगा रामकृष्णा :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आयुध निर्माणियों ने निर्यात सहित गैर–रक्षा ग्राहकों को अपनी बिक्री बढ़ा दी है;

(ख) यदि हां, तो 2004–05 के दौरान गैर–रक्षा ग्राहकों को बिक्री का निर्माणी–वार ब्यौरा क्या है;

(ग) आयुध निर्माणियों के प्रमुख गैर–रक्षा ग्राहकों का ब्यौरा क्या है; और

(घ) इन निर्माणियों द्वारा उक्त लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए क्या कदम उठाये गए हैं?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय झान्डिक) : (क) जी, हां।

(ख) वर्ष 2004–05 में आयुध निर्माणियों ने रक्षेतर ग्राहकों को 977.75 करोड़ रुपये मूल्य की मदों का विक्रय किया है। वर्ष 2004–05 के दौरान रक्षेतर ग्राहकों को की गई बिक्री का निर्माणी–वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

(ग) आयुध निर्माणियों के प्रमुख रक्षेतर ग्राहक, केंद्रीय तथा अर्द्ध सैन्य–बल जैसे सीआरपीएफ, बीएसएफ, सीआईएसएफ तथा एनएसजी, राज्य पुलिस संगठन, सिविल सेक्टर तथा विदेशी ग्राहक हैं।

(घ) आयुध निर्माणियों में क्षमता का सृजन विशेष रूप से रक्षा बलों की जरूरतों को पूरा करने के लिए किया गया है। चूंकि रक्षा बलों की वास्तविक जरूरत, क्षमता के सृजन के दौरान दर्शाई गई जरूरत से भिन्न है, इसलिए रक्षा बलों की जरूरतें पूरी करने के बाद, उत्पादों के विविधिकरण के माध्यम से रक्षेतर सेक्टर को संवर्द्धित आपूर्ति करके संस्थापित क्षमता का इस्तेमाल करने का निरंतर प्रयास किया जाता है।

विवरण

वर्ष 2004–05 के दौरान गैर–रक्षा सेक्टर को निर्माणी–वार बिक्री का ब्यौरा

क्रम सं.	निर्माणी	करोड़ रुपये में
1	2	3
1.	आयुध निर्माणी, कटनी	2.00
2.	आयुध निर्माणी, अंबरनाथ	21.26
3.	धातु एवं इस्पात निर्माणी, ईसापोर	6.16
4.	आयुध निर्माणी, मुरादनगर	0.01
5.	आयुध केबल निर्माणी, चंडीगढ़	1.09
6.	आयुध निर्माणी, भुसावल	0.04
7.	आयुध निर्माणी, अम्बाझरी	4.33
8.	मशीन टूल्स आदिप्ररूप निमाणी, अंबरनाथ	3.95
9.	हैवी एलॉय पेनिट्रेटर प्रोजेक्ट, त्रिची	1.02
10.	राइफल निर्माणी, ईसापोर	147.69
11.	लघु शस्त्र निर्माणी, कानपुर	100.06
12.	तोप एवं गोला निर्माणी, कोसीपुर	38.70
13.	आयुध निर्माणी, दम दम	0.00
14.	आयुध निर्माणी, त्रिची	81.49
15.	आयुध निर्माणी, कानपुर	0.00
16.	फील्ड तोप निर्माणी, कानपुर	42.30
17.	तोप वाहन निर्माणी, जबलपुर	81.17
18.	वाहन निर्माणी, जबलपुर	0.98

1	2	3
19.	ग्रे आयरन फाउंड्री, जबलपुर	0.48
20.	कार्डाइट निर्माणी, अरुवनकाडु	2.43
21.	उच्च विस्फोटक निर्माणी, किर्की	10.71
22.	आयुध निर्माणी, भण्डारा	2.96
23.	आयुध निर्माणी, इटारसी	2.00
24.	गोला बारूद निर्माणी, किर्की	134.93
25.	गोला बारूद निर्माणी, वरणगांव	59.81
26.	गोला बारूद निर्माणी, खमरिया	83.16
27.	गोला बारूद निर्माणी, चन्दपुर	14.27
28.	गोला बारूद निर्माणी, बडमाल	0.21
29.	गोला बारूद निर्माणी, देहू रोड	33.00
30.	भारी वाहन निर्माणी, आवड़ी	0.39
31.	आयुध निर्माणी, मेडक	51.19
32.	आयुध निर्माणी, देहरादून	29.24
33.	ऑप्टो इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माणी, देहरादून	0.69
34.	इंजन निर्माणी, आवडी	0.01
35.	आयुध उपस्कर निर्माणी, कानपुर	4.52
36.	आयुध पैराशूट निर्माणी, कानपुर	1.26
37.	आयुध वस्त्र निर्माणी, शाहजहांपुर	4.62
38.	आयुध वस्त्र निर्माणी, आवडी	9.62
39.	आयुध उपस्कर निर्माणी, हजरतपुर	0.00
	कुल	977.75

पवन हंस द्वारा नये हेलिकॉप्टरों की खरीद

4450. श्री बृज किशोर त्रिपाठी :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) आज की तिथि के अनुसार पवन हंस के पास कितने हेलिकॉप्टर हैं;

(ख) क्या सरकार ने वर्ष 2004–05 के दौरान पवन हंस द्वारा नये हेलिकॉप्टरों की खरीद को मंजूरी दे दी है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस बारे में अब कितनी प्रगति हुई है; और

(घ) गत तीन वर्षों में प्रत्येक वर्ष के दौरान पवन हंस द्वारा अर्जित लाभ का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) आज की तारीख में पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड के बेड़े में 30 हेलीकॉप्टर हैं।

(ख) और (ग) वित्तीय वर्ष 2004–05 के लिए वार्षिक योजना में नए हेलीकॉप्टरों के अर्जन हेतु सरकार द्वारा 94 करोड़ रुपये के परिव्यय को अनुमोदित किया गया है। पवन हंस हेलीकाप्टर्स लिमिटेड द्वारा एक नया बैल–407 हेलीकॉप्टर तथा दो डॉफिन एन 3 हेलीकॉप्टरों की खरीद के लिए करार किया गया है।

(घ) वित्तीय वर्ष 2002–03, 2003–04 तथा 2004–05 के दौरान, पवन हंस हेलीकॉप्टर्स लिमिटेड को कर पश्चात् शुद्ध लाभ क्रमशः 15.39 करोड़ रु., 52.69 करोड़ रु. तथा 49.58 करोड़ रुपये प्राप्त हुआ है।

'एलिम्को' में भर्ती

4451. श्रीमती मेनका गांधी : क्या सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर में भर्ती के मामले में अनियमितताएं हो रही हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या 'एलिम्को' प्रशासन द्वारा अनुसूचित

जाति, अनुसूचित जनजाति और अन्य पिछड़ा वर्ग के अभ्यर्थियों के मामलों में नियमों की अनदेखी और भेदभाव हो रहा है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या है; और

(घ) इस संबंध में सरकार ने क्या सुधारात्मक उपाय किये हैं?

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : (क) भारतीय कृत्रिम अंग विनिर्माण निगम (एलिम्को), कानपुर में भर्ती के मामले में तीन शिकायतें प्राप्त हुई हैं।

(ख) से (घ) एलिम्को में नियमों के अनुसार अनुसूचित जातियों, अनुसूचित जनजातियों और अन्य पिछड़ा वर्गों को आरक्षण दिया जाता है। 1.12.2005 तक, दो रिक्तियां हैं, जिन्हें अनुसूचित जाति के अभ्यर्थियों द्वारा भरा जाना है। ये रिक्तियां हाल में सेवा–निवृत्ति के कारण हुई हैं।

[हिन्दी]

पंचायतों के सबलीकरण हेतु धनराशि

4452. श्री ब्रजेश पाठक :

श्री अविनाश राय खन्ना :

श्रीमती किरण माहेश्वरी :

क्या पंचायती राज मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष के दौरान गांवों के विकास हेतु राज्य/संघ शासित प्रदेश–वार पंचायतों को कितनी धनराशि प्रदान की गई;

(ख) क्या केन्द्र सरकार का विचार पंचायतों के सबलीकरण हेतु 500 करोड़ रुपये का एक कोष स्थापित करने का है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) इस संबंध में अब तक कितनी प्रगति हुई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना और केन्द्रीय वित्त आयोग द्वारा अनुदान के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं को राशि आबंटित की जाती है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यान्वयन ग्रामीण विकास मंत्रालय द्वारा होता है। योजना का मुख्य उद्देश्य ग्रामीण क्षेत्रों में अतिरिक्त जीविका के साधन उपलब्ध कराना है जैसे – टिकाऊ समुदाय के सृजन, ग्रामीण क्षेत्रों में सामाजिक और आर्थिक आधारभूत संरचना के साथ–साथ भोजन की सुरक्षा भी है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना का कार्यान्वयन जिला, प्रखण्ड तथा ग्रामीण स्तर पर 20:30:50 के आधार पर पंचायती राज संस्थाओं द्वारा होता है। सम्पूर्ण ग्रामीण रोजगार योजना के अंतर्गत 2002–03 से सितम्बर, 2005 तक किए गए मेनडेट जेनरेटेड तथा पूर्ण कार्यों का ब्यौरा विवरण–I के रूप में संलग्न है।

केन्द्रीय वित्त आयोग को राज्य वित्त आयोग द्वारा पंचायतों के लिए बताये गये पूरक संसाधनों के आधार पर राज्यों की समेकित धनराशि के विकास के लिए अपनी सिफारिश करनी होती है। ग्यारहवें वित्त आयोग ने पंचायती राज संस्थाओं के नाम वर्ष 2000–2005 की अवधि के लिए रुपये 8000 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की है। निर्धारित मार्गदर्शी सिद्धान्तों के आधार पर राज्यों के उपयोग और फुलफिलमेंट संबंधी शर्तों को ध्यान में रखते हुए पंचायती राज संस्थाओं को अनुदान दिए जाते हैं। ग्यारहवें वित्त आयोग की सिफारिशों और पंचायती राज संस्थाओं के उपयोग के आधार पर अनुदानों का राज्यवार ब्यौरा विवरण–II के रूप में संलग्न है।

बारहवें वित्त आयोग ने 2005–10 की अवधि के लिए पंचायतों के नाम 20000 करोड़ के अनुदान की सिफारिश की थी। वर्ष 2005–06 के लिए जारी प्रथम किश्त का ब्यौरा विवरण–III के रूप में संलग्न है। राज्यों के भाग के आबंटन को दर्शाने वाला ब्यौरा विवरण–IV के रूप में संलग्न है।

(ख) से (घ) पंचायतों को सशक्त बनाने के लिए प्रारंभिक योजना के सृजन का प्रस्ताव पंचायती राज मंत्रालय के पास विचाराधीन है।

विवरण-I

वर्ष 2002-03, 2003-04 और चालू वर्ष के दौरान एस.जी.आर.वाई के अन्तर्गत मैनडेज जेनरेटेड और पूरा किए गए कार्यों को दर्शाने वाला विवरण

क्र. सं.	राज्य/केन्द्र शासित प्रदेश	2002-03		2003-04		2004-05		2005-06 (सितम्बर, 2005 तक)	
		मैनडेज जेनरेटेड (लाख में)	पूरा किए गए कार्यों की समीक्षा	मैनडेज जेनरेटेड (लाख में)	पूरा किए गए कार्यों की समीक्षा	मैनडेज जेनरेटेड (लाख में)	पूरा किए गए कार्यों की समीक्षा	मैनडेज जेनरेटेड (लाख में)	पूरा किए गए कार्यों की समीक्षा
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
1	आंध्र प्रदेश	392.09	88119	445.55	89062	336.26	84171	180.95	36491
2	अरुणाचल प्रदेश	16.62	2411	18.42	3426	8.53	1491	3.22	456
3	असम	483.5	40517	637.2	84781	626.02	96475	318	35865
4	बिहार	442.44	66876	489.85	70077	605.32	80623	162.26	31254
5	छत्तीसगढ़	377.68	37215	308.55	50152	348.85	56147	118.03	21748
6	गोवा	0.68	27	0.49	18	3.57	45	0.05	18
7	गुजरात	201.4	20884	323.19	50477	264.68	78404	71.27	24481
8	हरियाणा	119.184	29933	68.87	40302	70.118	17004	29.48	5192
9	हिमाचल प्रदेश	21.74	8761	39.06	17849	40.18	18954	13.9	7780
10	जम्मू-कश्मीर	47.1	17419	47.89	20481	43.73	18060	1.85	1058
11	झारखण्ड	283.85	39153	386.05	46017	303.88	47007	52.69	11785
12	कर्नाटक	519.6	126445	566.07	112144	419.24	116254	161.54	37330
13	केरल	70.95	12999	100.86	12257	118.91	15021	43.43	4242
14	मध्य प्रदेश	531.52	161574	585.21	175147	581.39	169110	237.52	39759

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
15	महाराष्ट्र	490.38	72068	630.96	87761	674.69	99929	195.82	30799
16	मणिपुर	14.91	4278	14	3281	31.93	6923	4.374	397
17	मेघालय	24.43	2952	34.37	5458	36.96	5545	12.4	1418
18	मिजोरम	12.99	5277	15.38	6019	6.54	2644	0.22	716
19	नागालैंड	16.39	474	398.99	0	36.71	2818	36.71	2818
20	उड़ीसा	599.03	96868	618.57	114536	553.94	59808	236.27	14229
21	पंजाब	25.93	17227	46	18076	33.39	26053	11.88	2822
22	राजस्थान	377.84	57073	268.62	63643	219.48	49458	89.67	15254
23	सिक्किम	6.28	778	8.21	850	5.34	1339	3.15	575
24	तमिलनाडु	491.96	79225	512.06	153846	519.41	137100	295.66	30805
25	त्रिपुरा	99.46	13921	126.96	25414	108.46	24849	67.06	8842
26	उत्तरांचल	62.1	4654	91.44	26937	94.29	33881	46.73	10986
27	उत्तर प्रदेश	1335.11	253913	1330.53	270985	1750.45	277648	502.48	81300
28	पश्चिम बंगाल	414.39	154857	445.04	139387	377.56	112659	215.04	41483
29	अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह	0	0	0.42	13	3.01	131	3.79	185
30	दादरा और नागर हवेली	0	0	0	0	0	0	0	
31	दमन और दीव	0	0	0	0	0	0	0	
32	लक्षद्वीप	0.1	0	0.01	0	0.13	4	0	
33	पांडिचेरी	3.28	198	1.42	197	0.13	64	0.76	122
	समस्त भारत	7482.93	1416096	8560.24	1688593	8223.09	1639619	3116.2	500210

विवरण-II

31.3.2005

इएफसी की सिफारिशों के अनुसार स्थानीय निकायों के लिए अनुदानों के आबंटन एवं जारी करने की सूची

(रुपये लाख में)

क्र. सं.	राज्य	पंचायती राज संस्था जारी किया गया							शहरी स्थानीय निकाय जारी किया गया							स्थानीय निकायों के लिए जारी किया गया कुल अनुदान
		वार्षिक आबंटन	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	कुल	वार्षिक आबंटन	2000-01	2001-02	2002-03	2003-04	2004-05	कुल	
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
1	आंध्र प्रदेश	15204.83	0.00	15204.83	15204.83	30409.66	7602.41	68421.73	3293.14	1646.58	4102.56	2463.71	4939.71	3293.14	16465.70	84887.43
2	अरुणाचल प्रदेश	556.85	278.42	0.00	0.00	1670.55		1948.97	13.67	6.84	6.83	20.50			34.17	1983.14
3	असम	4668.95	0.00	4668.95	2334.47	4668.95		11672.37	430.84	215.42	215.42	646.26			1077.10	12749.47
4	बिहार	10875.00	0.00	10875.00	16312.50	10875.00	5437.50	43500.00	1340.94	0.00	0.00	3352.35		670.47	4022.82	47522.82
5	छत्तीसगढ़	4200.39	2100.00	6300.79	4200.38	2100.19	6300.59	21001.95	572.23	286.10	858.36	572.23	286.11		2002.80	23004.75
6	गोवा	185.45	92.72	278.19	92.72			463.63	92.73	46.36	139.10	46.36			231.82	695.45
7	गुजरात	6960.87	0.00	6960.87	10441.30		17402.18	34804.35	2650.46	1325.22	1325.24	3975.69		6626.15	13252.30	48056.65
8	हरियाणा	2941.75	1470.88	4412.63	2941.74	2941.75	2941.75	14708.75	732.80	366.40	1099.20	732.80	732.80	732.80	3664.00	18372.75
9	हिमाचल प्रदेश	1313.38	656.68	1970.08	656.69	1313.38	1328.46	5925.29	77.84	38.92	38.92	116.76	77.84	116.76	389.20	6314.49
10	जम्मू और कश्मीर	1486.14	744.06	744.08	0.00			1486.14	313.16	156.58	156.58	469.74			782.90	2271.04

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17
11	झारखंड	4825.76	0.00	0.00	0.00			0.00	537.00	0.00	0.00	1342.50			1342.50	1342.50
12.	कर्नाटक	7882.35	3941.18	11823.53	3941.17	11823.52		31529.40	2496.39	1248.20	1248.19	3744.58		6240.98	12481.95	44011.35
13	केरल	6562.58	3296.28	9886.86	6562.58	6562.58	6562.58	32962.80	1504.91	752.46	2257.36	1504.91	1504.91	1504.91	7524.55	40487.45
14	मध्य प्रदेश	10109.00	5054.70	15163.30	10109.00	10109.00	5054.50	45490.50	2548.00	1274.00	1274.00	3822.00	3822.00	2548.00	12740.00	58230.50
15	महाराष्ट्र	13134.58	6567.28	19701.86	6567.29	6567.28	19701.86	59105.61	6325.09	3162.54	9487.64	3162.54		3162.55	18975.27	78080.88
16	मणिपुर	375.43	187.72	563.15	0.00	187.70		938.57	87.92	43.96	43.96	131.88			219.80	1158.37
17	मेघालय	512.16	256.08	768.24	256.08	768.24		2048.64	53.98	27.00	26.98	80.97			134.95	2183.59
18	मिजोरम	157.11	78.56	235.67	157.10	157.11	157.11	785.55	76.89	38.44	115.34	76.89	76.89	76.89	384.45	1170.00
19	नागालैंड	257.33	128.66	386.01	128.66			643.33	35.72	17.86	17.86	53.58			89.30	732.63
20	उड़ीसा	6911.76	3455.88	10367.64	3455.88	3455.88	13823.52	34558.80	799.20	399.60	1198.80	399.60	1198.80	799.20	3996.00	38554.80
21	पंजाब	3092.71	0.00	0.00	9278.13		2902.62	12180.75	1094.53	547.26	547.27	1641.79		1094.53	3830.85	16011.60
22	राजस्थान	9818.96	4909.48	14728.44	4909.48		24547.40	49094.80	1988.32	994.16	2982.48	994.16	1988.32	2971.06	9930.18	59024.98
23	सिक्किम	105.85	52.92	158.79	52.92	158.77		423.40	4.16	2.08	2.08	6.24	6.24		16.64	440.04
24	तमिलनाडु	9322.36	4661.18	13983.54	4661.18	13983.54	6726.76	44016.20	3867.34	1933.66	5801.02	1933.67	3867.34	5741.66	19277.35	63293.55
25	त्रिपुरा	569.19	284.60	853.79	284.59		853.78	2276.76	80.32	40.16	120.48	40.16	120.48	80.32	401.60	2678.36
26	उत्तर प्रदेश	23342.67	11671.34	35014.01	11671.33	23342.66	11671.33	93370.67	4557.64	2278.90	6836.38	2278.82	4557.64	4557.64	20509.38	113880.05
27	उत्तरांचल	3040.00	1520.00	4560.00	0.00	1520.00	4560.00	12160.00	475.00	237.42	237.58	712.50		475.00	1662.50	13822.50
28	पश्चिमी बंगाल	11554.59	5777.30	17331.89	5777.29		5777.29	34663.77	3949.78	1974.90	5924.66	3949.78	3949.78	3949.78	19748.90	54412.67
	कुल	160000.00	57185.92	206944.18	120027.31	132645.76	143381.66	660184.83	40000.00	19061.02	46064.29	38292.97	27128.86	44641.84	175188.98	835373.81

विवरण-III

बारहवें वित्त आयोग द्वारा राज्यों को अब तक जारी किए गए अनुदानों का विवरण

(रुपये करोड़ में)

राज्य	पंचायतों को जारी किया गया अनुदान	नगर पालिकाओं को जारी किया गया अनुदान
आंध्र प्रदेश	0.00	0.00
अरुणाचल प्रदेश	0.00	0.00
असम	0.00	0.00
बिहार	162.40	14.20
छत्तीसगढ़	61.50	7.45
गोवा	0.00	0.00
गुजरात	0.00	0.00
हरियाणा	38.80	9.10
हिमाचल प्रदेश	0.00	0.00
जम्मू–कश्मीर	0.00	0.00
झारखण्ड	0.00	0.00
कर्नाटक	0.00	0.00
केरल	98.50	14.90
मध्य प्रदेश	166.30	36.10
महाराष्ट्र	198.30	0.00
मणिपुर	0.00	0.00
मेघालय	0.00	0.00
मिजोरम	0.00	0.00
नागालैंड	0.00	0.00
उड़ीसा	0.00	0.00
पंजाब	32.40	0.00
राजस्थान	123.00	0.00
सिक्किम	0.00	0.00
तमिलनाडु	0.00	0.00
त्रिपुरा	0.00	0.00
उत्तर प्रदेश	0.00	0.00
उत्तरांचल	0.00	0.00
पश्चिम बंगाल	127.10	39.30
कुल	1008.30	121.05

विवरण-IV

वर्ष 2005–10 के आवंटन के लिए राज्यों की हिस्सेदारी

क्रम सं.	राज्य	पंचायत		नगर पालिका	
		प्रतिशत	रुपये करोड़ में	प्रतिशत	रुपये करोड़ में
1.	आंध्र प्रदेश	7.935	1587.00	7.480	374.00
2.	अरुणाचल प्रदेश	0.340	68.00	0.060	3.00
3.	असम	2.630	526.00	1.100	55.00
4.	बिहार	8.120	1624.00	2.840	142.00
5.	छत्तीसगढ़	3.075	615.00	1.760	88.00
6.	गोवा	0.090	18.00	0.240	12.00
7.	गुजरात	4.655	931.00	8.280	414.00
8.	हरियाणा	1.940	388.00	1.820	91.00
9.	हिमाचल प्रदेश	0.735	147.00	0.160	8.00
10.	जम्मू–कश्मीर	1.405	281.00	0.760	38.00
11.	झारखण्ड	2.410	482.00	1.960	98.00
12.	कर्नाटक	4.440	888.00	6.460	323.00
13.	केरल	4.925	985.00	2.980	149.00
14.	मध्य प्रदेश	8.315	1663.00	7.220	361.00
15.	महाराष्ट्र	9.915	1983.00	15.820	791.00
16.	मणिपुर	0.230	46.00	0.180	9.00
17.	मेघालय	0.250	50.00	0.160	8.00
18.	मिजोरम	0.100	20.00	0.200	10.00
19.	नागालैंड	0.200	40.00	0.120	6.00
20.	उड़ीसा	4.015	803.00	2.080	104.00
21.	पंजाब	1.620	324.00	3.420	171.00
22.	राजस्थान	6.150	1230.00	4.400	220.00
23.	सिक्किम	0.065	13.00	0.020	1.00
24.	तमिलनाडु	4.350	870.00	11.440	572.00
25.	त्रिपुरा	0.285	57.00	0.160	8.00
26.	उत्तर प्रदेश	14.640	2928.00	10.340	517.00
27.	उत्तरांचल	0.810	162.00	0.680	34.00
28.	पश्चिम बंगाल	6.355	1271.00	7.860	393.00
	कुल	100.000	20000.00	100.000	5000.00

[अनुवाद]

संगीत तथा खेलों के कार्यक्रमों हेतु रियायती दरें

4453. श्री ई.जी. सुगावनम : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती ने संगीत तथा खेलों से संबंधित सीधे प्रसारण वाले कार्यक्रमों के लिए रियायती दरों को प्रस्ताव किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) प्रसार भारती के कार्य निष्पादन को बेहतर बनाने तथा निजी आपरेटरों के साथ इसे प्रतिस्पर्धा करने योग्य बनाने हेतु सरकार द्वारा क्या-क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हाँ। खेल की कवरेज हेतु नकद निकासी की दरें संगीत प्रदर्शन आदि के सीधे प्रसारण के लिए भी उपलब्ध हैं। ये दरें केन्द्र से दूरी, कवरेज वाहन और अपलिंकिंग उपकरणों तथ जनशक्ति इत्यादि की उपलब्धता जैसे कारकों पर निर्भर करते हुए 60,700/- रु. से 3,06,700/- रु. के बीच है।

(ग) दूरदर्शन द्वारा नवीनतम विधियों और आधुनिक बाजार रणनीतियों को अपनाकर अपने कार्यक्रमों तथा राष्ट्रीय एवं अंतर्राष्ट्रीय आयोजनों की कवरेज की गुणवत्ता में वृद्धि करने का सतत् प्रयास किया जाता है।

रसोई गैस सिलेण्डरों हेतु जमानत राशि

4454. श्री एस. के. खारवेलवन : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) नये कनेक्शन जारी करने पर रसोई गैस सिलेण्डर हेतु जमानत राशि के रूप में कितनी धनराशि ली जाती है;

(ख) क्या जमानत राशि में कटौती का कोई प्रस्ताव है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) 14.2 कि.ग्रा. घरेलू एल पी जी के लिए जमानती जमानत राशि की दर 19 जनवरी, 2005 से 850 रुपये प्रति सिलेंडर है। तथापि, सिक्किम सहित उत्तर-पूर्वी क्षेत्र के लिए जमानती जमाराशि की दर 500 रुपये प्रति सिलेंडर है। 19 कि.ग्रा. की क्षमता वाले एल.पी.जी. सिलेंडर के लिए जमानती जमा राशि 1000 रुपये प्रति सिलेंडर और 5 कि.ग्रा. के एल पी जी सिलेंडर के लिए यह 350 रुपये प्रति सिलेंडर है।

(ख) और (ग) जी, नहीं। प्रापण लागत और प्रत्येक ग्राहक को सेवाएं प्रदान करने की लागत को ध्यान में रखते हुए, वसूलनीय जमाराशि दर काफी अधिक बनती है।

एफ एम निजी आपरेटर्स

4455. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किसनभाई वी. पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने एफ एम निजी आपेरेटरों के लिए नीतियों और मानदंडों की सिफारिश हेतु एक कृतिक बल गठित किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या कृतिक बल ने अपनी रिपोर्ट पेश कर दी है;

(घ) यदि हां, तो इसकी मुख्य विशेषताएं क्या हैं; और

(ङ) इन पर सरकार ने क्या कार्यवाही की है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) से (ङ) सरकार ने निजी एजेंसियों के माध्यम से एफ एम रेडियो प्रसारण के विस्तार (चरण-II) के लिए एक नई नीति को पहले ही अधिसूचित कर दिया है। नीति में अन्य बातों के साथ-साथ बन्द निविदा प्रणाली के आधार पर निर्धारित किये जाने वाले एकमुश्त प्रवेश शुल्क (ओ टी ई एफ), न्यूनतम 10% आरक्षित एकमुश्त प्रवेश शुल्क के अध्ययधीन सकल राजस्व के 4% की दर से वार्षिक शुल्क, प्रदत्त इक्विटी के 20% तक प्रत्यक्ष विदेशी निवेश सहित विदेशी निवेश, समाचारों और समसामयिक विषयक कार्यक्रमों के प्रसारण पर जारी प्रतिबंध तथा निबंधन एवं शर्तों के उल्लंघन के लिए श्रेणीकृत शास्ति का प्रावधान है। नीति के शेष ब्यौरे मंत्रालय की वेबसाइट www.mib.nic.in पर उपलब्ध हैं।

नये गैस ब्लाक प्रदान करना

4456. श्री बृज किशोर त्रिपाठी : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने हाल ही में असम और अरुणाचल प्रदेश में नये गैस अन्वेषण ब्लाक प्रदान किये हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इन ब्लाकों से अनुमानतः कितने गैस भण्डारों का अन्वेषण किये जाने की संभावना है;

(घ) नई अन्वेषण लाइसेंसिंग नीति के अंतर्गत कौन-कौन सी एजेंसियों ने भाग लिया; और

(ङ) इन ब्लाकों से उत्पादन कब तक आरम्भ होने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) और (ख) जी, हां। असम में पड़ने वाले एए-ओएनएन-2003/1 और एए-ओएनएन-2003/3 ब्लाक और अरुणाचल प्रदेश में पड़ने वाला एए-ओएनएन-2003/2 ब्लाक नई अन्वेषण लाइसेंस नीति के पांचवें दौर (एनईएलपी-5) के तहत तीन परिसंघों को पृथकतः प्रदान किए गए हैं। ब्लाक संख्या एए-ओएनएन-2003/1 मैसर्स जुबिलेंट आयल एण्ड गैस प्रा. लि., जुबिलेंट सिक्यूरिटीज प्रा. लि., गुजरात राज्य पेट्रोलियम कार्पोरेशन लि. और गेल (इंडिया) लि. के परिसंघ को प्रदान किया गया है; ब्लाक संख्या एए-ओएनएन-2003/3 आयल इंडिया लि. और हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कार्पोरेशन लिमिटेड को प्रदान किया गया है तथा ब्लाक संख्या एए-ओएनएन-2003/2 एन टी पी सी लि., ज्यो पेट्रोल इंटरनेशनल इंक और कनोरो रीसोर्सेज़ लि. के परिसंघ को प्रदान किया गया है।

(ग) से (ङ) ये वे अन्वेषण ब्लाक हैं जहां तेल और गैस का अन्वेषण किए जाने का प्रस्ताव है। अनुमानित गैस भण्डार अन्वेषण के बाद खोज, यदि कोई हो, के आकार पर निर्भर करेंगे। इसलिए भण्डारों का कोई अनुमान इस चरण पर नहीं लगाया जा सकता है।

विमानपत्तनों के रखरखाव पर किया गया खर्च

4457. श्री जसुभाई धानाभाई बारड़ : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) देश में कितने विमानपत्तन हैं;

(ख) गत तीन वर्षों के प्रत्येक वर्ष के दौरान विमानपत्तनों के रखरखाव पर कितना खर्च किया गया;

(ग) इन विमानपत्तनों में वार्षिक रूप से विमान पत्तन-वार औसतन कितने यात्री आते हैं; और

(घ) गत तीन वर्षों के दौरान वर्षवार प्रत्येक विमानपत्तन द्वारा अर्जित राजस्व का ब्यौरा क्या है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) रक्षा एयर फील्डों पर स्थित 25 सिविल एन्क्लेवों सहित देश के 126 हवाईअड्डों का प्रबंधन भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा किया जाता है।

(ख) पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्थात् 2002-03, 2003-04 तथा 2004-05 के दौरान हवाई अड्डों के अनुरक्षण पर क्रमशः 205.74 करोड़ रुपये, 245.02 करोड़ रुपये तथा 284.65 करोड़ रुपये व्यय हुआ है।

(ग) उच्च श्रेणी के 45 हवाईअड्डों पर वर्ष 2004-05 के दौरान हैंडिल किये गये यात्रियों की संख्या, हवाईअड्डा-वार (अंतर्राष्ट्रीय तथा घरेलू सहित) इस प्रकरा हैं:- मुम्बई-15665777, दिल्ली-12782979, चेन्नई-5633926, बंगलौर-4113383, कोलकाता-3494564, हैदराबाद-2845029, कोचीन (सीआईएएल)-1596126, अहमदाबाद-1289747, गोवा-1265410, त्रिवेंद्रम-1160151, कालीकट-827861, पुणे-600949, गुवाहाटी-598932, लखनऊ-453345, कोयम्बटूर-391175, श्रीनगर-389493, जयपुर-380251, बडौदरा-361894, अमृतसर-347911, नागपुर-277830, इंदौर-269625, मंगलौर-268424, जम्मू-262316, वाराणसी-253011, अगरतला-230328, उदयपुर-217018, भुवनेश्वर-205230, विशाखापट्टनम-200036, पोर्टब्लेयर-193785, पटना-176234, बागडोगरा-172619, तिरूचिरापल्ली-167991, मदुरै-158424, राजकोट-158172, लेह-141000, जूहू-134821, औरंगाबाद-133199, इम्फाल-129103, भोपाल-127510, चण्डीगढ़-105848, जोधपुर-104609, डिब्रूगढ़-95678, रायपुर-95257, सिल्चर-90509, रांची-79698, शेष हवाई अड्डों में कुल 636624 यात्री हैंडल किये गये।

(घ) पिछले तीन वर्षों के दौरान सिविल हवाई अड्डों से अर्जित राज्य का वर्ष-वार ब्यौरा विवरण के रूप में संलग्न है।

विवरण

पिछले तीन वर्षों के दौरान अर्जित राजस्व के ब्यौरे को दर्शाता विवरण

(लाख रुपये में)

क्रम सं.	राज्य का नाम	वर्ष	2002–03			2003–04			2004–05		
		हवाई अड्डे का नाम	कुल राजस्व	कुल व्यय	शुद्ध लाभ/हानि	कुल राजस्व	कुल व्यय	शुद्ध लाभ/हानि	कुल राजस्व	कुल व्यय	शुद्ध लाभ/हानि
1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
1.	अंडमान एवं निकोबार	पोर्टब्लेयर (सी.ई.)	168.46	369.71	–201.25	293.08	588.18	–295.10	323.45	680.88	–357.43
2.	आंध्र प्रदेश	कुडप्पा#	0.00	2.84	–2.84	0.00	5.91	–5.91	0.00	8.06	–8.06
3.		दोनाकोन्डा #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
4.		हैदराबाद	7232.90	5497.99	1734.91	6920.88	5441.48	1479.40	8978.68	6313.35	2665.34
5.		नादिर गुल (फ्लाइंग क्लब)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
6.		राजामुन्दी	28.59	41.00	–12.41	26.77	79.12	–52.35	31.81	169.590	–137.78
7.		तिरुपति	44.34	252.13	–207.79	51.24	341.48	–290.04	88.79	490.13	–401.34
8.		विजयवाड़ा	8.42	211.97	–203.55	31.11	189.57	–158.46	46.22	378.7	–332.48
9.		विशाखापत्तनम (सी.ई.)	251.47	485.82	–234.35	206.95	547.3	–340.34	370.25	641.04	–270.79
10.		वारंगल #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
11.	अरुणाचल प्रदेश	आलोंग # (सी.ई.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
12.		दपोरिजो (सी.ई.) #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
13.		पासीघाट #	0.00	4.00	–4.00	0.00	4.09	–4.09	0.00	4.09	–4.09

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
14.		तेजू (सी.ई.)	1.26	20.83	−19.57	1.99	26.57	−24.58	1.61	20.63	−19.02
15.		जीरो (सी.ई.)	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
16.	असम	डिब्रूगढ़ (मोहन बाड़ी)	193.93	792.43	−598.50	196.64	959.84	−763.20	257.98	670 77	−412.79
17.		गुवाहाटी	1790.53	4820.29	−3029.76	1356.52	4717.19	−3360.67	1521.77	6631.44	−5109.67
18.		जोरहाट (सी.ई.)	36.01	193.12	−158.11	42.96	306.84	−263.88	65.28	237.65	−172.37
19.		लीलाबारी (नार्थ लखीमपुर)	6.54	238.89	−232.35	10.21	297.21	−287.00	7.97	211.24	−203.27
20.		रुपसी #	0.00	3.85	−3.85	0.00	2.15	−2.15	0.00	2.15	−2.15
21.		शैल्ला #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
22.		सिल्चर (कुम्बीग्राम) (सी.ई.)	57.35	289.26	−231.91	68.44	291.96	−223.52	57.57	207.05	−149.48
23.		तेजपुर (सी.ई.)	10.08	80.21	−70.13	10.09	102.35	−92.26	12.44	74.17	−61.73
24.	बिहार	गया	21.63	322.12	−300.49	94.71	390.6	−295.89	97.67	739.9	−642.23
25.		जोगबानी #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
26.		मुजफ्फरपुर #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
27.		पटना	594.78	1187.21	−592.43	603.92	1690.19	−1086.27	597.3	1790.94	−1193.64
28.		रक्सौल #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
29.	चण्डीगढ़	चण्डीगढ़ (सी.ई.)	117.71	359.44	−241.73	118.76	346.61	−227.85	169.20	448.95	−279.75
30.	छत्तीसगढ़	बिलासपुर #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
31.		रायपुर (मन्ना कैम्प)	111.58	383.71	−272.13	242.34	520.09	−277.75	284.81	647.12	−362.31
32.	दिल्ली	दिल्ली आई.जी.आई. एयरपोर्ट	58071.95	36953.46	21118.49	64896.12	37692.63	27203.49	77648.13	43177.22	34470.91

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
33.		दिल्ली (सफदरजंग)	96.53	753.78	–657.25	166.81	881.85	–715.04	315.45	1017.52	–702.07
34.	गोवा	गोवा (सी.ई.)	2250.03	1373.35	876.68	2186.63	1711.19	475.44	2932.39	1605.76	1326.64
35.	गुजरात	अहमदाबाद	3259.65	3243.03	16.62	3272.53	3689.98	–417.45	4560.18	4756.55	–196.37
36.		भावनगर	117.61	248.39	–130.78	129.32	314.49	–185.17	119.72	476.04	–356.32
37.		भुज (सी.ई.)	168.04	192.78	–24.74	154.88	279.09	–124.21	181.37	313.98	–132.61
38.		देस्सा (पालनपुर) #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
39.		जामनगर (सी.ई.)	80.48	120.81	–40.33	76.45	124.77	–48.32	91.38	169.11	–77.73
40.		काण्डला	1.15	52.55	–51.40	1.66	50.48	–48.82	1.44	58.22	–56.78
41.		केशोड (जूनागढ़)	1.12	58.45	–57.33	1.39	47.03	–45.64	1.76	63.89	–62.13
42.		पोरबन्दर	33.75	122.45	–88.70	39.18	134.13	–94.95	37.98	228.55	–190.57
43.		सूरत	0.00	0.00	0.00	6.46	31.83	–25.37	9.3	38.07	–28.77
44.		राजकोट	310.03	513.83	–203.80	345.48	609.96	–264.48	375.24	682.56	–307.32
45.		वड़ोदरा (बड़ौदा)	788.39	952.88	–164.49	857.97	1093.19	–235.22	1017.15	1216.75	–199.6
46.	हिमाचल प्रदेश	कांगड़ा (गग्गल)	4.08	77.29	–73.21	6.82	89.43	–82.61	3.19	199.29	–196.10
47.		कूल्लु (भुन्तर)	37.45	231.28	–193.83	30.72	250.24	–219.52	17.38	316.05	–298.67
48.		शिमला	10.78	332.24	–321.46	10.77	195.95	–185.18	7.15	274.19	–267.04
49.	जम्मू–कश्मीर	जम्मू (सी.ई.)	326.80	671.43	–344.63	360.54	628.68	–268.14	445.89	965.4	–519.51
50.		लेह (सी.ई.)	144.03	158.46	–14.43	183.16	239.51	–56.35	218.72	229.55	–10.83
51.		श्रीनगर (सी.ई.)	417.66	503.86	–86.20	440.65	574.9	–134.25	632.58	667.11	–34.53

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
52.	झारखण्ड	चक्कुलिया #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
53.		रांची	173.86	575.91	–402.05	214.82	805.66	–590.84	261.32	927.22	–665.9
54.	कर्नाटक	बंगलौर (सी.ई.)	7264.52	4069.92	3194.60	8098.81	4458.86	3639.95	10858.78	4654.24	6204.53
55.		बेलगाम	7.50	142.24	–134.74	39.20	216.02	–176.82	50.47	209.12	–158.65
56.		हासन #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
57.		हुबली	1.11	15.22	–14.11	27.12	49.54	–22.42	20.7	151.51	–130.81
58.		मंगलौर	474.13	794.55	–320.42	554.48	859.25	–304.77	599.37	1235.77	–636.4
59.		मैसूर #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
60.	केरल	कालीकट	2231.36	1660.86	570.50	3124.77	2168.56	956.21	3700.76	3204.59	496.17
61.		कोचीन (सी.ई.) #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
62.		त्रिवेन्द्रम	4280.36	4436.34	–155.98	4679.61	4543.82	135.79	4781.34	5201.13	–439.79
63.	लक्षद्वीप द्वीप समूह	अगाती	26.12	189.26	–163.14	21.35	99.35	–78.00	10.84	140.88	–130.04
64.	मध्य प्रदेश	भोपाल	231.97	904.41	–672.44	363.01	962.05	–599.04	342.56	1230.96	–888.4
65.		ग्वालियर (सी.ई.)	7.07	164.38	–157.31	8.40	181.21	–172.81	2.31	208.16	–205.85
66.		इन्दौर	548.25	613.46	–65.21	642.44	695.33	–52.89	677.96	993.83	–315.87
67.		जबलपुर	5.70	143.67	–137.97	7.36	141.18	–133.82	3.18	373.37	–370.19
68.		सतपुड़ा	116.88	426.77	–310.09	139.56	561.34	–421.78	216.47	889.75	–673.28
69.		खांण्डवा #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
70.		पन्ना #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
71.		सतना #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
72.	महाराष्ट्र	अकोला #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
73.		औरंगाबाद	291.73	480.17	–188.44	295.77	547.22	–251.45	301.19	663.52	–362.33
74.		हडप्सर	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
75.		पुणे	772.78	438.97	333.81	1457.07	785.65	671.42	1369.90	495.37	874.52
76.		कोल्हापुर (एस.जी.) #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	4.44	4.50	–0.06
77.		मुम्बई	76197.37	42880.18	33317.19	76764.20	42236.22	34527.98	87717.89	56166.67	31551.22
78.		नागपुर (सोनेगांव)	562.35	1951.03	–1388.68	606.45	2130.45	–1524.00	781.65	3700.37	–2918.72
79.		पुणे (सी.ई.)	992.31	618.85	373.46	1095.38	754.69	340.69	1340.62	700.68	639.94
80.		शोलापुर (एस.जी.) #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00
81.	मणिपुर	इम्फाल	225.15	792.49	–567.34	208.46	812.72	–604.26	235.53	510.91	–275.38
82.	मेघालय	शिलांग (बारापानी)	0.00	77.39	–77.39	7.04	124.37	–117.33	6.44	122.03	–115.59
83.	मिजोरम	लेंगपुई (अइजोल)	80.39	204.14	–123.75	60.79	194.34	–133.55	57.03	118.25	–61.22
84.		तुरियल (अइजोल) #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
85.	नागालैंड	दीमापुर	39.31	297.80	–258.49	49.30	373.62	–324.32	38.2	304.99	–266.79
86.	उड़ीसा	भुवनेश्वर	347.94	1075.05	–727.11	559.44	1534.89	–975.45	595.62	2066.57	–1470.95
87.		झारसुगुडा	0.14	53.52	–53.38	0.14	47.53	–47.39	0.49	51.05	–50.56
88.	पांडिचेरी	पांडिचेरी	11.65	27.78	–16.13	12.85	33.28	–20.43	7.27	37.13	–29.86
89.	पंजाब	अमृतसर	699.70	1170.45	–470.75	688.41	1289.46	–601.05	1082.77	1838.35	–755.58

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
90.		लुधियाना	3.35	74.11	−70.76	1.71	135.79	−134.08	2.68	145.59	−142.91
91.		पठानकोट	0.00	34.38	−34.38	0.00	47.03	−47.03	0.00	170.3	−170.3
92.	राजस्थान	जयपुर	936.82	1644.86	−708.04	1100.32	1768.32	−668.00	1156.35	2432.1	−1275.75
93.		जैसलमेर (सी.ई.)	0.00	2.47	−2.47	0.00	6.37	−6.37	0.03	45.73	−45.7
94.		जोधपुर (सी.ई.)	139.47	325.81	−186.34	174.02	354.05	−180.03	202.82	451.71	−248.89
95.		कोटा	6.26	65.87	−59.61	4.40	90.90	−86.50	65.34	77.23	−11.89
96.		नाल (बीकानेर) (सी.ई.)	0.00	47.95	−47.95	0.00	46.15	−46.15	0.00	115.39	−115.39
97.		उदयपुर	419.60	791.89	−372.29	570.22	955.30	−385.08	653.89	1062.33	−408.44
98.	तमिलनाडु	कोयम्बटूर	817.99	1046.88	−228.89	980.49	1154.02	−173.53	1235.06	1256.13	−21.07
99.		चेन्नई	27844.19	20377.04	7467.15	29725.91	23360.20	6365.71	35812.76	20881.82	14930.94
100.		मदुरै	187.71	532.60	−344.89	413.17	617.78	−204.61	284.75	684.09	−399.34
101.		सलेम	1.13	15.11	−13.98	0.69	17.76	−17.07	1.17	23.65	−22.48
102.		तिरुचिरापल्ली	337.86	660.89	−323.03	356.37	807.04	−450.67	439.57	938.34	−498.77
103.		तूतीकोरिन	0.00	15.57	−15.57	0.00	22.70	−22.70	0.00	28.08	−28.08
104.		वेल्लोर	0.00	3.35	−3.35	0.00	6.75	−6.75	0.00	5.39	−5.39
105.	त्रिपुरा	अगरतला	251.64	1185.63	−933.99	242.36	1603.6	−1361.24	427.03	1275.80	−848.77
106.		कैला शहर #	0.00	11.52	−11.52	0.00	11.71	−11.71	0.00	11.71	−11.71
107.		कमलपुर #	0.00	1.96	−1.96	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
108.		खोवई #	0.00	3.00	−3.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00

1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12
109.	उत्तर प्रदेश	आगरा (सी.ई.)	101.86	347.86	−246.00	55.87	334.43	−278.56	58.41	524.87	−466.46
110		इलाहाबाद (सी.ई.)	21.47	1008.47	−987.00	44.3	1051.55	−1007.25	158.21	1771.65	−1613.44
111.		गोरखपुर (सी.ई.)	1.56	16.28	−14.72	33.42	34.25	−0.83	31.10	34.47	−3.37
112.		झांसी #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
113.		कानपुर	2.33	128.02	−125.69	5.58	165.00	−159.42	8.90	182.80	−173.90
114.		कानपुर (चकेरी) (सी.ई.) #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
115.		ललितपुर #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
116.		लखनऊ	1221.85	2192.54	−970.69	1319.09	2367.84	−1048.75	1776.74	2856.80	−1080.06
117.		वाराणसी	515.57	1275.47	−759.90	550.67	1445.98	−895.31	652.06	2107.80	−1455.74
118.	उत्तरांचल	देहरादून	8.72	249.01	−240.29	7.66	117.78	−110.12	10.49	137.27	−126.78
119.		पन्त नगर	5.46	79.58	−74.12	5.80	87.03	−81.23	1.85	91.43	−89.58
120.	पश्चिम बंगाल	आसनसोल #	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0.00	0	0.00
121.		बागडोगरा (सी.ई.)	265.98	679.90	−413.92	321.25	955.24	−633.99	400.48	−529.60	−129.12
122.		बालुरघाट	0.03	5.24	−5.21	0.43	4.91	−4.48	1.75	5.82	−4.07
123.		बेहाला	0.05	17.31	−17.26	0.05	17.52	−17.47	0.09	20.39	−20.30
124.		कोलकाता	19985.55	17184.01	2801.54	22460.69	18402.15	4058.54	25320.56	17838.09	7482.47
125.		कूच–बिहार	0.00	17.34	−17.34	0.47	13.06	−12.59	0.47	12.77	−12.30
126.		मालदा	0.23	8.07	−7.84	3.04	17.12	−14.08	3.06	9.44	−6.38

(सी.ई.) सिविल एन्क्लेव # गैर प्रचालनात्मक हवाई अड्डा

रेलवे में रोजगार

4458. श्री तूफानी सरोज :

श्री हेमलाल मुर्मू :

क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे ने रेल दुर्घटना में मारे गये व्यक्तियों के प्रत्येक परिवार के एक सदस्य को रोजगार प्रदान करने की घोषणा की है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या रेलवे ने चालू वर्ष के दौरान कोई रोजगार प्रदान किया है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ङ) यदि नहीं, तो इस संबंध में रेलवे की बिना किसी नीति के इस प्रकार की घोषणा के क्या कारण हैं; और

(च) ऐसे मामलों में नीति बनाने के लिए रेलवे ने क्या कदम उठाए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) दिसम्बर, 2004 में उत्तर रेलवे के फिरोजपुर मण्डल में डीजल मल्टीपल यूनिट (डी एम यू) और जम्मू तवी–अहमदाबाद एक्सप्रेस और अक्टूबर, 2005 में अचानक बाढ़ आ जाने के कारण दक्षिण मध्य रेलवे के गुंटुर मण्डल के रामनपेट और वलीगौंडा के बीच यात्री गाड़ी के पटरी से उतरने जैसी कुछ गंभीर गाड़ी दुर्घटनाओं में मारे या कुचले गये लोगों रोजगार देने के लिए कुछ उद्घोषणाएं की थीं।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

(ङ) और (च) मामले की जांच की जा रही है।

केबल शुल्क

4459. श्री निखिल चन्द : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) भारतीय दूरसंचार नियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा क्या मूल राशि निर्धारित की गई है जिसके अनुसार केबल ऑपरेटर उपभोक्ताओं से 1 जनवरी, 2005 से 7 प्रतिशत अधिक शुल्क वसूल सकते हैं;

(ख) क्या कतिपय केबल ऑपरेटर उपभोक्ताओं से उक्त निर्धारित राशि से अधिक राशि वसूल रहे हैं;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या दिल्ली के विभिन्न इलाकों में केबल ऑपरेटरों के शुल्कों में कोई असमानता है;

(ङ) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(च) त्रुटिकर्ता केबल ऑपरेटरों के खिलाफ तथा सभी उपभोक्ताओं से वसूले जा रहे शुल्क को समान बनाने के लिए सरकार का क्या कार्रवाई करने का विचार है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई) द्वारा कोई मूल राशि नियत/निर्धारित नहीं की गई है। ट्राई ने दिनांक 01.01.2005 से केबल प्रभार में 7% की वृद्धि की अनुमति दे दी है। यह 7% वृद्धि करों को छोड़कर दिनांक 26.12.2003 को प्रचलित प्रभारों पर लागू होती है। ये प्रशुल्क आदेश ट्राई की वेबसाइट (www.trai.gov.in) पर उपलब्ध हैं।

(ख) और (ग) अनुमत दरों से ज्यादा वसूली करने वाले केबल आपरेटरों के विरुद्ध शिकायतों पर कार्रवाई दिनांक 1.10.2004 के प्रशुल्क आदेश के प्रावधानों तथा ट्राई अधिनियम, 1997 के प्रावधानों के अनुसार की जाती है।

(घ) से (च) टी वी चैनलों के प्रसारण तथा आबंटन से संबंधित विषय पर ट्राई ने अपने दिनांक 1.10.2004 की सिफारिशों में इस तथ्य को ध्यान में रखते हुए कि दरें विभिन्न पहलुओं पर निर्भर रहते हुए एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में भिन्न–भिन्न हैं, केबल दरों की एकरूपता के विनियमन का प्रस्ताव नहीं किया है। तथापि, ट्राई का विचार है कि एक समान दरें सम्बोधनीयता तथा गैर–विभेदकारी अन्तःसम्बद्धकारी करारों के प्रवर्तित करने के बाद उभरनी शुरू हो जायेगी तथा प्रतिस्पर्धा द्वारा सर्वोत्तम मूल्य विनियमन किया जा रहा है। सरकार ने, अब तक, डायरेक्ट–टु–होम

सेवा प्रदाताओं को एक लाइसेंस तथा दो आशय पत्र जारी किए हैं जिससे कि इसे कारगर प्रतिस्पर्धा में लाया जा सके।

ग्राउन्ड हैंडलिंग और इंजीनियरिंग आपरेशनों हेतु अलग-अलग कंपनियां

4460. श्री अशोक अर्गल : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या ग्राउन्ड हैंडलिंग और इंजीनियरिंग आपरेशनों हेतु अलग से संयुक्त उद्यम कंपनी स्थापित करने का कोई प्रस्ताव है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इसे कब तक स्थापित किये जाने की संभावना है?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) से (ग) यद्यपि, इस समय संयुक्त उद्यम कम्पनी के लिए कोई विशिष्ट प्रस्ताव नहीं है। एयर इंडिया ने ग्राउंड हैंडलिंग तथा अभियांत्रिकी सेवाओं के लिए अनुषंगी कंपनियां बनाई हैं और इंडियन एयरलाइंस ने ग्राउंड हैंडलिंग के लिए अनुषंगी कंपनी बनाई है। इंडियन एयरलाइंस तथा भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण की क्रमशः अभियांत्रिकी सेवाओं तथा ग्राउंड हैंडलिंग के लिए अनुषंगी कंपनियां बनाये जाने की योजना है। इन अनुषंगी कंपनियों को बनाये जाने के प्रयोजन से सरकार की अनुमति प्राप्त करने हेतु कार्यवाही की जा रही है।

बी.ई.एम.एल. और एच.एम.टी. के बीच समझौता

4461. श्री इकबाल अहमद सरडगी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड ने एच.एम.टी. के साथ बंगलौर में मेट्रो अवसंरचना निर्माण हेतु योजना आयोग द्वारा प्रदान की गई वित्तीय सहायता के आहरण की प्रक्रिया शुरू करने हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किया है;

(ख) यदि हां, तो क्या योजना आयोग मेट्रो अवसंरचना निर्माण हेतु वित्तीय सहायता देने हेतु सैद्धान्तिक रूप से सहमत हो गया है;

(ग) यदि हां, तो क्या इस वित्तीय सहायता को भारी उद्योग विभाग के माध्यम से दिया जा रहा है;

(घ) यदि हां, तो इस परियोजना हेतु बी.ई.एम.एल. को वर्ष 2005–06 के दौरान कितनी धनराशि प्रदान की गई है; और

(ङ) उक्त परियोजना को पूरा करने के लिए क्या समय सीमा निर्धारित की गई है?

रक्षा मंत्रालय में राज्य मंत्री तथा संसदीय कार्य मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री विजय हान्डिक) : (क) जी, हां। तथापि, बाद में भारी उद्योग विभाग के साथ चर्चा के दौरान यह प्रस्ताव किया गया है कि भारत अर्थ मूवर्स लिमिटेड को भारी उद्योग विभाग द्वारा सीधे ही निधियां मुहैया कराई जाएं।

(ख) जी, हां।

(ग) जी, हां।

(घ) और (ङ) यह परियोजना, वर्ष 2005–06 के लिए बजटगत 25 करोड़ रुपये के संवितरण से, 16 महीने में पूरी किए जाने की संभावना है।

चिकित्सा जांच

4462. श्री विजय कृष्ण : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या यह बात सच है कि वर्ष 1999–2000 तथा 2003–04 के दौरान जवानों की सेना में भर्ती हेतु भर्ती चिकित्सा अधिकारियों (आर एम ओ) द्वारा उनकी भर्ती के समय 1608 जवानों को शारीरिक रूप से योग्य घोषित किया गया था लेकिन तदुपरांत प्रशिक्षण केन्द्रों पर की गई द्वितीय चिकित्सा परीक्षा में उन्हें शारीरिक रूप से अयोग्य घोषित कर दिया गया तथा 1608 जवानों में से 1083 जवानों को उनकी भर्ती से पूर्व की ऑर्गेनिक बीमारियों तथा शारीरिक दुर्बलताओं के आधार पर अयोग्य घोषित कर दिया गया;

(ख) यदि हां, तो भर्ती के समय भर्ती चिकित्सा अधिकारियों द्वारा उक्त कमियां नहीं पकड़े जाने के क्या कारण हैं;

(ग) क्या झूठे चिकित्सा परीक्षण के मामले की जांच की गई है;

(घ) यदि हां, तो उसके क्या परिणाम निकले तथा दोषी पाए गए अधिकारियों के विरुद्ध क्या कार्रवाई की गई; और

(ङ) यदि नहीं, तो उसके क्या कारण हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) जी, हां।

(ख) से (ङ) 01 अप्रैल, 1998 से प्रभावी संशोधित भर्ती नीति के अनुसार, सेना में भर्ती खुली रैलियों के माध्यम से की जाती है। भर्ती की प्रक्रिया, रैली–स्थल पर इच्छुक उम्मीदवारों की प्रारंभिक छानबीन के साथ शुरू होती है और उसके बाद दस्तावेजों तथा शारीरिक उपयुक्तता की जांच की जाती है। तत्पश्चात् भर्ती चिकित्सा अधिकारियों द्वारा इच्छुक उम्मीदवारों की रैली–स्थल पर डाक्टरी जांच की जाती है। इसके बाद डाक्टरी तौर पर उपयुक्त उम्मीदवारों की लिखित परीक्षा होती है।

रैली–स्थल पर भर्ती संबंधी डाक्टरी जांच, कम रोशनी, शोर–गुल और अपर्याप्त बिजली–आपूर्ति जैसी कम अनुकूल परिस्थितियों में की गई थी, जिसमें बहुत सी निशक्तताएं अनदेखी रह सकती थीं। इस बात की भी जानकारी है कि कई उम्मीदवार, निजी डाक्टरों की सलाह से ड्रग्स का सेवन करते हैं, जो किसी निशक्तता के लक्षणों को छिपा सकती है। कुछ दोष शुरूआती अवस्था में रहे हो सकते हैं जो प्रारंभिक डाक्टरी जांच और द्वितीय डाक्टरी जांच के बीच 2–3 माह की मध्यवर्ती अवधि में बढ़ गए हो सकते हैं।

भर्ती संबंधी डाक्टरी जांच में रोग का पता न चलने वाले प्रत्येक मामले की जांच–पड़ताल की जाती है और समुचित प्रशासनिक/अनुशासनिक कार्रवाई की जाती है।

नए तैनात हुए भर्ती चिकित्सा अधिकारियों को भर्ती रैलियों में डाक्टरी जांच करने के लिए सैन्य अस्पतालों में विशेष प्रशिक्षण दिया जा रहा है।

[हिन्दी]

पेट्रोल पम्पों के आबंटन में तथा कथित अनियमितताएं

4463. श्री उमाकान्त यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को चालू वर्ष के दौरान उत्तर प्रदेश में भारतीय तेल निगम (आई ओ सी) द्वारा "किसान सेवा केन्द्र" पेट्रोल पम्प की डीलरशिप के आबंटन में तथाकथित अनियमितताओं के संबंध में विभिन्न वर्गों से शिकायतें प्राप्त हुई हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार द्वारा क्या कार्रवाई की गई है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) से (ग) सरकार को समय–समय पर सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) द्वारा विभिन्न प्रकार के खुदरा बिक्री केन्द्र डीलरशिपों (पेट्रोल पम्पों) के आबंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित शिकायतें प्राप्त होती हैं। इस प्रकार की शिकायतों के साथ–साथ सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों (ओ एम सीज) द्वारा स्वयं सीधे प्राप्त शिकायतों की, अपनी निर्धारित पद्धति के अनुसार, उनके द्वारा जांच की जाती है और इस प्रकार की जांचों के परिणामों के आधार पर उपचारात्मक कार्रवाई की जाती है।

उत्तर प्रदेश राज्य के संबंध में, इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) ने "किसान सेवा केन्द्र" अर्थात् ग्रामीण क्षेत्रों में आई ओ सी के खुदरा बिक्री केन्द्रों के लिए डीलरों की नियुक्ति की प्रक्रिया लगभग जून, 2005 के मध्य से आरंभ की है। तब से, इस प्रकार के खुदरा बिक्री केन्द्रों के आबंटन में कथित अनियमितताओं से संबंधित 22 शिकायतों में से जांच के पश्चात् 2 शिकायतें सिद्ध नहीं हुई। बाकी 20 शिकायतों में जांच, प्रक्रिया की विभिन्न अवस्थाओं पर है। इन मामलों में उपचारात्मक कार्रवाई, चल रही जांच के परिणामों पर निर्भर करेगी।

नाफ्था क्रैकिंग प्लांट, पानीपत

4464. श्री सीता राम यादव : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन आयल कार्पोरेशन ने पानीपत में नाफ्था क्रैकिंग प्लांट का निर्माण कार्य बंद कर दिया है; और

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) जी, नहीं।

(ख) उपर्युक्त (क) को ध्यान में रखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

प्लास्टिक कचरे से पेट्रोलियम प्रतिस्थानी

4465. श्रीमती मनोरमा माधवराज : क्या **पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या नागपुर के वैज्ञानिकों ने प्लास्टिक कचरे से पेट्रोलियम प्रतिस्थानी के व्यावसायिक उत्पादन का दावा किया है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास उपलब्ध सूचनाओं के अनुसार, नागपुर के एक प्रोफेसर ने प्लास्टिक कचरे को तरल हाइड्रोकार्बन उत्पादों में परिवर्तित करने की प्रयोगशाला स्तर पर उत्प्रेरण क्रियाविधि को विकसित करने का दावा किया है। तथापि, विस्तृत जांच करने पर पेट्रोलियम एवं प्राकृतिक गैस मंत्रालय की वैज्ञानिक सलाहकार समिति इस निष्कर्ष पर पहुंची है कि प्रस्ताव पर आगे अनुसंधान और/वित्त पोषण के लिए अनुशंसा नहीं की जा सकती। पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय के पास प्लास्टिक कचरे से पेट्रोलियम प्रतिस्थानी के व्यावसायिक उत्पादन के संबंध में कोई सूचना नहीं है।

(ख) और (ग) उपर्युक्त (क) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

क्वार्टरों का रखरखाव

4466. श्री मुनव्वर हसन : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गत तीन वर्षों के दौरान प्रत्येक वर्ष और चालू वर्ष में सशस्त्र बल कार्मिकों हेतु क्वार्टरों के निर्माण/रखरखाव हेतु छावनी/स्टेशनवार कितनी धनराशि आबंटित और जारी की गई है;

(ख) क्या सरकार को इस बात की जानकारी है कि दिल्ली में रेसकोर्स स्थित क्वार्टर जीर्णशीर्ण स्थिति में हैं; और

(ग) यदि हां, तो इन क्वार्टरों की मरम्मत के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) सूचना एकत्र की जा रही है और सदन-पटल पर रख दी जायेगी।

(ख) और (ग) वायुसेना स्टेशन, रेसकोर्स, नई दिल्ली में कुछ भवन काफी पुराने हैं। चालू वर्ष में वायुसेना द्वारा मौजूदा भवनों की मरम्मत तथा उन्नयन के लिए 4.65 करोड़ रुपये के 19 निर्माण-कार्य रिलीज़ किए गए हैं।

[अनुवाद]

घटिया वर्दियों की आपूर्ति

4467. श्री रघुनाथ झा : क्या **रक्षा** मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या लेह, सियाचिन और अन्य दुर्गम क्षेत्र में तैनात सैनिकों को घटिया वर्दियां तथा अन्य रहन-सहन की वस्तुएं उपलब्ध करायी गयी थीं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) सैनिकों की घटिया वर्दियां और रहन-सहन की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए जिम्मेदार अधिकारियों पर जवाबदेही तय करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं; और

(घ) इन क्षेत्रों के सैनिकों को उस क्षेत्र की पर्यावरणीय स्थितियों के अनुकूल वर्दी और रहन-सहन की वस्तुएं उपलब्ध कराने के लिए क्या उपाय किए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (घ) पिछले कुछ समय में लेह, सियाचिन तथा अन्य दुर्गम क्षेत्रों से घटिया किस्म की वर्दियों के किसी मामले की सूचना नहीं मिली है। समस्त सेना के सैनिकों के लिए वर्दियों की अधिप्राप्ति आयुध निर्माणियों से अथवा ट्रेड के जरिए की जाती है। अधिप्राप्त मदों की गुणता, गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा मुहैया करायी गई विनिर्दिष्टियों के अनुरूप होती है। आयुध डिपुओं को मदों की आपूर्ति किये जाने से पूर्व गुणता आश्वासन महानिदेशालय द्वारा इनकी जांच की जाती है और इन्हें पास किया जाता है।

डीलरशिप का पुनर्गठन

4468. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) इंडियन आयल कार्पोरेशन (आई ओ सी) उत्तर प्रदेश के कार्यालय में पेट्रोल पम्पों/एल पी जी/एस के ओ डीलरशिप के पुनर्गठन हेतु स्थानवार कितने प्रस्ताव लम्बित हैं;

(ख) इनमें से पारिवारिक निपटारे और एक साझेदार की मौत के कारण लम्बित प्रस्तावों की संख्या कितनी है जो तत्कालीन स्वीकृत पुनर्गठन नीति के अंतर्गत शामिल हैं;

(ग) क्या आई ओ सी ने स्वीकृत पुनर्गठन नीति के अंतर्गत शामिल पुनर्गठन प्रस्तावों को अंतिम रूप देने में विलय नहीं करने के लिए मंडलीय कार्यालय को अनुदेश जारी किए थे;

(घ) यदि हां, तो ऐसे लम्बित प्रस्तावों की स्वीकृति देने हेतु क्या कार्रवाई की गई है/करने का प्रस्ताव है; और

(ङ) ऐसे सभी प्रस्तावों की कब तक स्वीकृति दिए जाने की संभावना है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) इंडियन आयल कार्पोरेशन लिमिटेड (आई ओ सी) के उत्तर प्रदेश राज्य कार्यालय में खुदरा बिक्री केन्द्र (पिट्रोल पम्प)/मिट्टी तेल-एल डी ओ डीलरशिप व एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों की पुनर्स्थापना के कुल 22 प्रस्ताव लम्बित हैं, जिनका स्थानवार ब्यौरा निम्नानुसार है–

आगरा	–	7मामले
इलाहाबाद	–	1 मामला
बरेली	–	9 मामले
लखनऊ	–	3 मामले
तिलोई	–	1 मामला
वाराणसी	–	1 मामला

(ख) जबकि सात मामले एक साझीदार की मृत्यु के कारण लंबित है, एक मामला परिवार विवाद के कारण लंबित है।

(ग) आई ओ सी द्वारा किसी भी प्रस्ताव, जो अनुमोदित नीति के तहत कवर होता है, को अंतिम रूप देने में विलम्ब नहीं करने के अनुदेश दिए गए हैं।

(घ) से (ङ) चूंकि पुनर्स्थापना के अनुरोधों में विस्तृत जांच आवश्यक है और इस प्रक्रिया में कानूनी अनुमति प्राप्त करना शामिल है, इस मामले में निर्णय लेने के लिए कोई विशेष समय सीमा निर्धारित नहीं की जा सकती है।

रानीगंज से बांकुरा तक नयी रेल लाइन

4469. श्री सुनील खां : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेलवे का विचार दुर्गापुर से हावड़ा तक नयी रेलगाड़ी चलाने का है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या पूर्व रेल मंडल में रानीगंज से बांकुरा तक शीघ्र ही कोई नयी रेल लाइन बिछायी जाने वाली है; और

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

(ग) जी, नहीं

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

हेलीकॉप्टरों के लिए अनुरोध

4470. श्री बाडिगा रामकृष्णा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार को आंध्र प्रदेश सरकार से रक्षा बलों की शीघ्र तैनाती और नक्सली गतिविधियों को रोकना सुनिश्चित करने के लिए उसके पुलिस विभाग की मांग पर चार रक्षा हेलिकॉप्टर प्रदान करने का अनुरोध प्राप्त हुआ है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(ग) केन्द्र सरकार ने इस संबंध में क्या निर्णय लिया है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) और (ख) आंध्र प्रदेश में बचाव तथा निगरानी संबंधी कार्यों के प्रयोजनार्थ, पुलिस महानिदेशक, हैदराबाद द्वारा मांगे जाने पर शीघ्र हेलिकॉप्टर मुहैया कराए जाने के लिए आंध्र प्रदेश सरकार से एक अनुरोध प्राप्त हुआ था।

(ग) भारतीय वायुसेना द्वारा, राहत तथा बचाव कार्यों के लिए हेलिकॉप्टर, मामला-दर-मामला के आधार पर, उपलब्ध कराए जाते हैं बशर्ते हेलिकॉप्टर उपलब्ध हों।

रक्षा सौदों में बिचौलिए

4471. श्रीमती डी. पुरन्देश्वरी : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आदेश जारी होने के बावजूद, रक्षा सौदों में बिचौलिए अभी भी फल-फूल रहे हैं;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं और सरकार की इस पर क्या प्रतिक्रिया है; और

(ग) रक्षा खरीद में बिचौलियों की भूमिका समाप्त करने के लिए क्या कदम उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) रक्षा अधिप्राप्ति प्रक्रिया 2005, जिसका अनुसरण पूंजीगत अर्जन के लिए किया जाता है, मूल उपस्कर विनिर्माता/अधिकृत विक्रेताओं/सरकार द्वारा समर्थित निर्यात एजेंसियों (उन देशों के मामलों में लागू जहां घरेलू नियम, मूल उपस्कर विनिर्माता को सीधे निर्यात की अनुमति प्रदान नहीं करते हैं) के साथ सीधे लेन-देन की अनुमति प्रदान करता है। इसके अलावा, अधिप्राप्ति प्रक्रिया में पारदर्शिता लाने तथा विलंब को कम करने सुनिश्चित करने के लिए इस प्रक्रिया में कई प्रावधान किए गए हैं। इनमें से कुछ प्रावधान इस प्रकार हैं:-

(i) गुणात्मक अपेक्षाओं के आधार को और व्यापक बनाना ताकि एकल विक्रेता जैसी परिस्थितियों से बचा जा सके।

(ii) 300 करोड़ रुपये से अधिक की खरीददारी के लिए प्रस्ताव हेतु अनुरोध के एक हिस्से के रूप में सीधा आफसेट एवं सत्यनिष्ठा समझौता।

(iii) प्रस्ताव हेतु अनुरोध के एक हिस्से के रूप में मानक संविदा शर्तों को पहले से ही रखना। इसमें विक्रेता द्वारा अनुचित प्रभाव के इस्तेमाल के लिए दंड के संबंध में प्रावधान तथा विक्रेता द्वारा किसी एजेंट की नियुक्ति किए जाने अथवा एजेंसी कमीशन का भुगतान किए जाने की मनाही शामिल है।

(iv) अधिप्राप्ति संबंधी विभिन्न क्रिया-कलापों को पूरा करने के लिए व्यापक समय-सीमा।

गेल (इंडिया) लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति

4472. श्री एस. अजय कुमार : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) गेल (इंडिया) लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की श्रेणीवार कुल संख्या और प्रतिशतता कितनी है;

(ख) क्या गेल (इंडिया) लिमिटेड में अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के कर्मचारियों की पदोन्नति हेतु आरक्षण नियमों/अनुदेशों का पालन किया जा रहा है;

(ग) यदि हां, तो गत तीन वर्षों के दौरान अनुसूचित जातियों/अनुसूचित जनजातियों के श्रेणीवार कितने कर्मचारियों को पदोन्नत किया गया; और

(घ) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं और इस संबंध में नियमों/अनुदेशों को लागू करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) गेल (इंडिया) लि. में अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की वर्ग-वार कुल संख्या और प्रतिशत निम्नानुसार है-

वर्ग	अ.जा./प्रतिशत	अ.ज.जा./प्रतिशत
क	301/15.1%	105/5.3%
ख	66/14.1%	23/4.9%
ग	149/17.9%	74/8.9%
घ	6/15.0%	0/0

(ख) जी, हां।

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान पदोन्नत अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति कर्मचारियों की वर्ग–वार संख्या निम्नानुसार है–

वर्ग	2003	2004	2005
	अ.जा./अ.ज.जा.	अ.जा./अ.ज.जा.	अ.जा./अ.ज.जा.
क	45/22	60/18	49/21
ख	13/2	9/2	8/1
ग	22/11	34/20	16/18
घ	3/2	0/1	0/0

(घ) उपर्युक्त (क) से (ग) को देखते हुए प्रश्न नहीं उठता।

एयर माइलेज पर बोनस अंक देना

4473. श्री रामदास आठवले : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या इंडियन एयरलाइन्स (आई.ए) और एयर इंडिया (ए.आई.) सहित कुछ एयरलाइनें अपनी संबंधित एयरलाइनों द्वारा की गई उड़ानों के संबंध में एयर माइलेज पर बोनस अंक प्रदान कर रही है;

(ख) यदि हां, तो ऐसी योजनाओं का ब्यौरा क्या है; और

(ग) गत तीन वर्षों के दौरान इंडियन एयरलाइन्स और एयर इंडिया द्वारा ऐसी योजनाओं पर वर्षवार कितनी राशि खर्च की गई?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) और (ख) जी, हां। जिन संवर्धनात्मक स्कीमों के अंतर्गत 'फ्लाइंग रिटर्न' के सदस्यों को एयर माइलेज पर बोनस अंक दिए गए थे, उनके ब्यौरे इस प्रकर हैं:– (i) इंडियन एयरलाइन्स तथा एलाइंस एयर की घरेलू उड़ानों एवं सार्क सैक्टरों पर, क्रमशः दिनांक 01.07.2003 एवं 01.07.2004 से प्रभावी, गोल्डन/सिल्वर एज क्लब सामान्य प्रोदभवन के अतिरिक्त (यात्रा की श्रेणी के आधार पर) 25% एवं 10% अतिरिक्त माइलेज अंक बोनस कमाए जा सकते हैं; (ii) भारत में ऑनलाइन बुक की गई प्रत्येक एयर इंडिया की अन्तर्राष्ट्रीय उड़ानों के लिए 25% अतिरिक्त माइलेज; (iii) इनमें भी बोनस प्रदान किया जाता है, इनसे भी बोनस प्रदान किया जाता है, अमेरिकन एक्सप्रैस के माध्यम से एनरोलमेंट, ई–स्टेटमेंट बोनस, मैम्बर प्रोफाइल, मैम्बर गैट, मैम्बर प्वाइंट्स, महाराजा क्लब/लीडिंग एज क्लब प्रोफाइल अपडेट बोनस, ई–स्टेटमेंट, पेड एनरोलमेंट्स, आई सी – एमेक्स (आई सी–एमेक्स) के लिए सदस्यता हेतु विकल्प देकर तथा एक बार क्लिक बोनस; (iv) एयर इंडिया की भारत से न्यूयार्क/शिकागो, भारत/लंदन/पेरिस उड़ानों पर प्रथम व विशिष्ट श्रेणी में तथा एयर इंडिया की इंडिया/फ्रैंकफर्ट फ्लाइट की विशिष्ट श्रेणी पर अतिरिक्त माइलेज अंक प्रदान किए जाते हैं।

(ग) इंडियन एयरलाइन्स द्वारा, संवर्धनात्मक स्कीमों के अंतर्गत फ्रीक्वेंट फ्लायर प्रोग्राम (एफएफपी) सदस्यों के खातों में बोनस अंक दिए जाने से किसी प्रकार का प्रत्यक्ष व्यय नहीं किया जाता है। सदस्यों द्वारा एयरलाइन अथवा किसी दूसरी फ्रीक्वेंट फ्लायर एलाइंस एयर पार्टनर एयरलाइन पर अवार्ड टिकटें जारी किए जाने के लिए ही, कमाए गए अंकों सामान्य व साथ ही साथ बोनस का ही उपयोग किया जा सकता है।

आंतरिक सुरक्षा हेतु तैनात बलों को सुविधाएं

4474. डा. अरुण कुमार शर्मा : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या आंतरिक सुरक्षा हेतु सुदूर ऑपरेशनल एरिया में नियमित आधार पर तैनात किए गए सुरक्षा बल दिन–प्रतिदिन की कार्यवाही हेतु पर्याप्त सुविधाओं से सुसज्जित नहीं हैं;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने ऑपरेशनल एरिया में ऐसी सुविधाएं देने के लिए कोई धनराशि उपलब्ध नहीं कराई है; और

(ग) यदि हां, तो सरकार द्वारा इस संबंध में क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) आंतरिक सुरक्षा/प्रति–विद्रोही/आतंकवाद–रोधी कार्यों पर दूर–दराज के संक्रियात्मक

क्षेत्रों में तैनात भारतीय सेना की यूनिटों और विरचनाओं को अपना कार्य प्रभावी ढंग से निष्पादित करने हेतु संचलन तथा संचार संबंधी सुविधाओं से पर्याप्त रूप से सुसज्जित किया जाता है।

(ख) और (ग) प्रश्न नहीं उठते।

रेडार से वायुक्षेत्र की निगरानी करना

4475. श्री अधलराव पाटील शिवाजीराव : क्या नागर विमानन मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने विशेष रूप से हवाई यातायात पर बढ़ते दबाव के मद्देनज़र भारतीय वायु क्षेत्र की निगरानी को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए उपकरणों को आधुनिक बनाने हेतु कदम उठाए हैं;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) क्या देश में कई विमानपत्तनों पर लगाए गए रेडार अद्यतन मानदंड के नहीं हैं; और

(घ) यदि हां, तो सरकार द्वारा देश के सभी विमानपत्तनों पर आधुनिक रेडार लगाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : (क) जी, हां।

(ख) भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण द्वारा विभिन्न कदम उठाए गए हैं, जिनमें अन्य बातों के साथ–साथ भारतीय वायु क्षेत्र में रिड्यूज्ड वर्टिकल सेपरेशन मिनिमा (आर.वी.एस.एम.) की शुरूआत, नागपुर, त्रिवेन्द्रम, अहमदाबाद तथा वाराणसी एयरपोर्ट पर फ्लाइट डाटा प्रोसेसिंग प्रणाली की स्थापना, कोलकाता, चेन्नई, दिल्ली तथा मुम्बई एयरपोर्ट पर कंट्रोलर पायलट डाटा लिंक कम्यूनिकेशन (सी.पी.डी.एल.सी.) युक्त आटोमैटिक डिपेन्डेंट प्रणाली की स्थापना, 16 एयरपोर्टों पर उड़ान सूचना पट्टीका प्रणाली की स्थापना, दिल्ली एयरपोर्ट पर अत्याधुनिक सरफेस मूवमेंट गाइडेंस एवं कंट्रोल प्रणाली (ए.एस.एम. जी.सी.एस.) की स्थापना, 80 हवाई अड्डों को जोड़ने के लिए डेडीकेटेड सैटेलाइट कम्यूनिकेशन नेटवर्क (डीएससीएन) की व्यवस्था, राडार निगरानी के लिए 12 स्थलों पर राडारों की व्यवस्था, राडार नेटवर्किंग, उच्च स्तर की विशुद्धता सुलभता तथा यथार्थता के लिए सेटेलाइट आधारित ऑगमेंटेशन सिस्टम (एसबीएएस) की शुरूआत करना शामिल हैं। इसके अतिरिक्त, भारतीय विमानपत्तन प्राधिकरण ने पुराने उपस्कर, उच्च आवृत्ति वाले ट्रांसमीटरों, नॉन–डायरेशनल बेकंस, उपकरण अवतरण प्रणालियों, दूरी मापने के उपस्कर, ऑटोमैटिक मैसेज स्विचिंग सिस्टम, वीओआर/डीवीओआर आदि को अत्याधुनिक उपस्करों से प्रतिस्थापित करने के लिए भी कार्यवाही आरंभ की है।

(ग) जी, नहीं।

(घ) प्रश्न नहीं उठता।

एल पी जी डीलरों का चयन

4476. श्री रतिलाल कालीदास वर्मा : क्या पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) रसोई गैस डीलरशिप के लिए चयन करते समय व्यक्ति की आय/वित्तीय स्थिति का आकलन करने हेतु सरकारी क्षेत्र की तेल कंपनियों द्वारा क्या मानदंड अपनाए जा रहे हैं;

(ख) क्या अविवाहित संतानों द्वारा एल पी जी डीलरशिप के आदेवन करने के मामले में माता–पिता की आय को अविवाहित संतानों के साथ नहीं जोड़ा जाता है जबकि माता–पिता में किसी के द्वारा आवेदन करते समय अविवाहित संतानों की आय को माता–पिता की आय के साथ जोड़ा जाता है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(घ) क्या सरकार का विचार इस विसंगति को सुधार करने का है; और

(ङ) यदि हां, तो तत्संबंधी औचित्य क्या है?

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : (क) एल पी जी डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के चयन के लिए सार्वजनिक क्षेत्र की तेल विपणन कंपनियों के दिशानिर्देशों में विभिन्न मानदंडों, जिनके साथ विभिन्न अधिमान जुड़े होते हैं, के अंतर्गत उम्मीदवार के मूल्यांकन का प्रावधान है। इन मानदंडों में से वित्त प्रदान करने से संबंधित किसी उम्मीदवार की क्षमता से संबंधित अधिमान में, सभी मानदंडों के अंतर्गत अधिकतम आबंटन योग्य 100 अंकों में से, 35 अंकों का अधिकतम अधिमान होता है। इसके अलावा इस क्षमता का निर्णय उस ब्यौरे से किया

जाता है, जो बैंकों में मुक्त और बिना किसी बाध्यता की सावधि जमा राशियों, कोई अन्य दस्तावेज/संसाधन जो आसानी से तरल नकदी में परिवर्तित किए जा सकते हैं, उधार योग्यता के लिए बैंकरों/वित्तीय संस्थाओं से प्रमाण पत्र और ऋण देने की इच्छा, चल और अचल सम्पत्तियों, व्यवसाय/कृषि, किराया उपाजनों, रायल्टी इत्यादि से आय के बारे में किसी उम्मीदवार द्वारा प्रस्तुत किया जा सकता है।

तथापि, अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के लिए आरक्षित डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के मामले में इन मानदंड के अंतर्गत कोई मूल्यांकन नहीं किया जाता है।

(ख) और (ग) पेट्रोलियम उत्पादों की डीलरशिपों/डिस्ट्रीब्यूटरशिपों के आबंटन के संदर्भ में कोई पारिवारिक इकाई संबंधित व्यक्ति, उसके पति/पत्नी और अविवाहित पुत्रों/पुत्रियों को सम्मिलित करते हुए परिभाषित की जाती है। इस परिभाषा के अनुसार किसी आवेदन के माता–पिता उसके परिवार के भाग नहीं हैं और इसलिए माता–पिता की आय/वित्तीय स्थिति आवेदक की वित्तीय स्थिति का मूल्यांकन करने में ध्यान में नहीं रखी जाती है।

(घ) और (ङ) जी, नहीं। ऊपर भाग (ख) और (ग) के लिए दिए गए उत्तर को देखते हुए इस संबंध में तेल विपणन कंपनियों के वर्तमान दिशानिर्देशों में किसी परिवर्तन पर विचार नहीं किया जा रहा है।

[हिन्दी]

बर्मा बटालियन

4477. श्री अविनाश राय खन्ना : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या भारतीय सेना में बर्मा बटालियन नामक कोई रेजिमेंट थी;

(ख) यदि हां, तो क्या उक्त रेजिमेंट से चिकित्सीय आधार पर पदमुक्त हुए सैनिकों को वही लाभ प्रदान किये जा रहे हैं जो सशस्त्र सेनाओं को उपलब्ध हैं;

(ग) यदि नहीं, तो इसके क्या कारण हैं;

(घ) क्या सरकार उन सैनिकों को वही लाभ प्रदान करने पर विचार करेगी जिनके वे पात्र हैं; और

(ङ) यदि हाँ, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ङ) 1948 के रिकॉर्ड के अनुसार इण्डियन आर्मी की किसी भी रेजिमेंट का नाम बर्मा बटालियन नहीं रखा गया था। स्वतंत्रता से पूर्व कुछ भारतीय राष्ट्रिक, बर्मी आर्मी में शामिल हुए थे। भारतीय मूल और नेपाल मूल के बर्मी आर्मी पेंशनरों को पेंशन देने की जिम्मेदारी म्यांमार सरकार की है। भारतीय/नेपाली मूल के इन बर्मी आर्मी पेंशनरों को क्षतिपूर्ति करने और जीवन निर्वाह व्यय में होने वाली वृद्धि को पूरा करने के लिए अनुग्रहपूर्वक तदर्थ भत्ता भारत सरकार द्वारा वहन किया जाता है।

राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 का रखरखाव

4478. श्रीमती प्रतिभा सिंह : क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 का रखरखाव जनरल रिजर्व इंजीनियर्स फोर्स (जी आर ई एफ) द्वारा किया जाता है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार राष्ट्रीय राजमार्ग–22 का रखरखाव कार्य हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण कार्य विभाग को सौंपने पर विचार कर रही है;

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है; और

(घ) उक्त प्रयोजनार्थ लोक निर्माण विभाग, हिमाचल प्रदेश को वित्तीय सहायता प्रदान करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) राष्ट्रीय राजमार्ग 22 (एन एच 22) की कुल लंबाई 424 किलोमीटर है। इसमें से, वांग्टो–पूह से 89 किलोमीटर लंबा हिस्सा ही जनरल रिजर्व इंजीनियर्स फोर्स के प्रभार के अंतर्गत है।

(ख) जी, नहीं। सीमा सड़क संगठन वाले उक्त हिस्से को हिमाचल प्रदेश के लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाने का कोई प्रस्ताव नही है।

(ग) और (घ) प्रश्न नहीं उठते।

[अनुवाद]

फिल्म महोत्सव

4479. श्री जी. करुणाकरन : क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या केन्द्र सरकार ने वर्ष 2005 में देश में फिल्म महोत्सवों के आयोजन के लिए अन्य देशों को आमंत्रित किया है; और

(ख) यदि हां, तो इस संबंध में संबंधित सरकारों की प्रतिक्रिया क्या है?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) जी, नहीं।

(ख) प्रश्न नहीं उठता।

[हिन्दी]

निविदाएं देने में अनियमितताएं

4480. श्री रघुराज सिंह शाक्य : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या राइट्स लिमिटेड में निविदाएं देने में अनियमितताएं बरती गई हैं जैसा कि दिनांक 20 नवम्बर, 2005 के "राष्ट्रीय सहारा" में समाचार प्रकाशित हुआ है;

(ख) यदि हां, तो क्या सरकार ने इस संबंध में कोई जांच की है;

(ग) यदि हां, तो इसके क्या परिणाम हैं; और इन पर क्या अनुवर्ती कार्रवाई की गई है; और

(घ) भविष्य में अनियमितताओं को रोकने के लिए सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) से (ग) केंद्रीय जांच ब्यूरो की रिपोर्ट के आधार पर भारतीय रेल प्रौद्योगिकी एवं इंजीनियरी सेवा (राइट्स) के द्वारा की गई जांच से यह पता चला है कि राइट्स लिमिटेड द्वारा खुलने के बाद, मशीन से तोड़ी गई गिट्टियों से लेकर हाथ से तोड़ी गई गिट्टियों की सामग्री की विशिष्टियों में बदलाव, अयोग्य फर्म को निविदा देने तथा निविदा स्वीकार करने वाले अधिकारी द्वारा निविदा समिति की सिफारिशों, जो उसकी वित्तीय शक्तियों से परे थी, को स्वीकार करने के संबंध में निविदा प्रदान करने की अनियमितताएं की गई। इन अनियमितताओं के लिए, इन पदाधिकारियों के विरुद्ध विभागीय कार्रवाई की जा रही है। बहरहाल, 20 नवम्बर, 2005 के राष्ट्रीय सहारा में प्रकाशित अनियमितताएं जांच के दौरान सिद्ध नहीं हो पायीं।

(घ) सितम्बर, 2005 में राइट्स लिमिटेड द्वारा निर्माण परियोजना प्रबंधन पर कड़ाई से अनुपालन करने हेतु दिशा–निर्देश जारी किए गए हैं ताकि भविष्य में ऐसी अनियमितताओं से बचा जा सके।

स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधाएं

4481. श्री बापू हरी चौरे : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) महाराष्ट्र में वर्तमान में टर्मिनल सुविधा वाले रेलवे स्टेशन का ब्यौरा क्या है;

(ख) क्या महाराष्ट्र के कुछेक अन्य स्टेशनों पर टर्मिनल सुविधा प्रदान करने का कोई प्रस्ताव सरकार के विचाराधीन है; और

(ग) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) वर्तमान में, महाराष्ट्र राज्य में टर्मिनल सुविधाएं मुम्बई छत्रपति शिवाजी टर्मिनस, मुम्बई सेंट्रल, बान्द्रा (टर्मिनस), दादर, लोकमान्य तिलक (टर्मिनस), मनमाड़, भुसावल, अमरावती, नागपुर, नेरल, पुणे, दौंड, शोलापुर, मिरज, छत्रपति साहु महाराज (टर्मिनस), रोहा, नांदेड, पूर्णा, औरंगाबाद और रत्नागिरि पर उपलब्ध हैं।

(ख) जी, नहीं। वर्तमान में नहीं।

(ग) प्रश्न नहीं उठता।

रेल साइडिंग का निर्माण

4482. श्री टेक लाल महतो : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार गिरिडीह में लौह कारखानों के लिए रेलवे साइडिंग का निर्माण करने पर विचार कर रही है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है;

(ग) इसका निर्माण कार्य कब तक शुरू हो जाने तथा पूरे हो जाने की संभावना है; और

(घ) इस पर कितना खर्च आने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) जी नहीं। गिरिडीह के निकट पाँच या छः स्पंज आयरन कारखाने हैं। लेकिन इन्होंने आवक या जावक यातायात के लिए रेलवे को सम्पर्क नहीं किया अथवा न ही किसी साइडिंग के लिए अनुरोध ही किया है।

(ख) से (घ) प्रश्न नहीं उठता।

[अनुवाद]

केरल में नई रेलवे लाइनें

4483. डा. पी. पी. कोया : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार को केरल राज्य में नई रेलवे लाइनें बिछाने के लिए संसद सदस्यों से कोई प्रतिवेदन मिले हैं; और

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस पर सरकार की क्या प्रतिक्रिया है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : (क) और (ख) केरल राज्य में पड़ने वाले पूर्णतः/अंशतः नई रेल लाइनों के निर्माण कार्य के लिए पिछले एक वर्ष के दौरान माननीय संसद सदस्य से प्राप्त प्रस्ताव का ब्यौरा और उस पर की गई कार्रवाई का ब्यौरा निम्नानुसार है:–

क्र. सं.	प्रस्ताव	की गई कार्रवाई
1.	चेंगान्नुर–कोट्टरकारा–तिरूवनंतपुरम	प्रस्तावित संरेखण क्षेत्र पर, अडूर पट्टामपुरम और औवनीश्वरम के रास्ते कायाकुलम – कोट्टाकारा के लिए सर्वेक्षण कार्य शुरू किया गया है।
2.	गुरूवयुर–ईदापल्ली	सर्वेक्षण कार्य 2003–04 में पूरा हो गया था। इस लाइन के अलाभप्रद स्वरूप को ध्यान में रखते हुए तथा संसाधनों की अत्याधिक तंगी के कारण, इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
3.	चामराजनगर–गुडालूर/निलाम्बुर	चालू परियोजनाओं के भारी थो–फॉरवर्ड एवं संसाधनों की अत्याधिक तंगी के कारण प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
4.	निलाम्बुर–ननजनगुड	सर्वेक्षण कार्य 2003–04 में पूरा हो गया था। इस लाइन के अलाभप्रद स्वरूप तथा रेलों पर संसाधनों की अत्याधिक तंगी के कारण, इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
5.	डिंडिगुल–सबरीमाला	सर्वेक्षण कार्य 1997–98 में पूरा हो गया था। इस लाइन के अलाभप्रद स्वरूप तथा संसाधनों की अत्याधिक तंगी के कारण, इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।
6.	वाईकम रोड – वाईकम मंदिर	सर्वेक्षण कार्य 2002–03 में पूरा हो गया था। इस लाइन के अलाभप्रद स्वरूप तथा संसाधनों की अत्याधिक तंगी के कारण, इस प्रस्ताव पर विचार नहीं किया जा सका।

ऑपरेशन विजय के पश्चात् की विधवाओं को लाभ

4484. डा. राजेश मिश्रा :

श्री अवतार सिंह भडाना :

श्री जे.एम. आरून रशीद :

क्या रक्षा मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या सरकार ने ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन विजय के पश्चात् के हताहतों के बीच कोई भेद किया है जिसके फलस्वरूप ऑपरेशन विजय के पश्चात् के हताहतों की विधवाओं/करीबी रिश्तेदारों को दिए जा रहे लाभों को कम कर दिया गया है;

(ख) यदि हां, तो इसके क्या कारण हैं; और

(ग) इस संबंध में असंगति को दूर करने के लिए क्या कदम उठाए गए हैं अथवा उठाए जाने का प्रस्ताव है?

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : (क) से (ग) सरकार द्वारा एक ओर युद्ध में हताहत होने वालों तथा दूसरी ओर सीमा पर झड़पों के दौरान हताहत होने वालों और उग्रवादियों/आतंकवादियों/अतिवादियों, आदि के विरुद्ध कार्रवाई के दौरान हताहत होने वालों के बीच, खतरे के विभिन्न स्तरों, प्रत्येक मामलों में अंतर्ग्रस्त कार्रवाई की तीव्रता और सशस्त्र सेना कार्मिकों के मनोबल के हित को भी ध्यान में रखते हुए, भेद किया गया है।

इस नीति के अनुसार, ऑपरेशन विजय को युद्ध-जैसी कार्रवाई माना गया था तथा युद्ध में हताहत होने वालों के निकटतम संबंधियों को 10 लाख रुपये की वर्धित अनुग्रही क्षतिपूर्ति सहित एक विशेष कल्याण पैकेज दिया गया था। तथापि, जहां तक पेंशन संबंधी लाभों का संबंध है, ऑपरेशन विजय और ऑपरेशन विजय के पश्चात् के हताहतों के बीच कोई भेद नहीं किया गया है। युद्ध में शहीद हुए सभी सैनिकों की विधवाएं, उदारीकृत परिवार पेंशन की हकदार होंगी।

[हिन्दी]

भू-स्वामियों को मुआवजा

4485. श्री सुबोध मोहिते : क्या रेल मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या रेल विभाग ने रेल लाइन बिछाने हेतु अमरावती-नारखेड़ रेल मार्ग पर स्थित चंदुर बाजार में शिरगांव बुंद और पारसोडा तालुक के भू-स्वामियों को उनकी कृषि भूमि अधिग्रहित किए जाने पर मुआवजे का भुगतान किया है;

(ख) यदि नहीं, तो विलंब के क्या कारण हैं; और

(ग) भू-स्वामियों को मुआवजे का भुगतान कब तक किये जाने की संभावना है?

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : भू-स्वामियों को मुआवजे का विवरण निम्नानुसार है।

(क) राज्य सरकार द्वारा दी गई सूचना के अनुसार, पारसोडा गांव में भूमि अधिग्रहण के लिए मुआवजे की पूरी रकम अदा कर दी गई है। बहरहाल, शिराजगांव बुंद गांव में 12,28,441 रु. की तुलना में अब तक 9,79,525 रु. के मुआवजे की रकम की अदायगी कर दी गई है।

(ख) और (ग) भूमि अधिग्रहण अधिनियम के अनुसार भूमि अधिग्रहण और मुआवजे की अदायगी राज्य सरकार द्वारा की जा रही है। भूमि के लिए आवश्यक भुगतान राज्य सरकार की मांग के अनुसार जारी किया जा रहा है और आगे अदायगी की जिम्मेदारी राज्य सरकार की होती है।

[अनुवाद]

प्रसार भारती और भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड के बीच संयुक्त उद्यम अधिकार

4486. श्री सुग्रीव सिंह :

श्री किशन भाई वी. पटेल :

क्या सूचना और प्रसारण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:

(क) क्या प्रसार भारती ने वर्ष 1999 से अगले पांच वर्षों के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड से संयुक्त उद्यम अधिकार प्राप्त किया था;

(ख) यदि हां, तो भुगतान के लिए क्या निबंधन और शर्तें निर्धारित की गई हैं;

(ग) क्या देय किस्त का भुगतान निर्धारित निबंधन और शर्तों के अनुसार किया गया था;

(घ) यदि नहीं, तो उक्त अवधि के दौरान प्रसार भारती द्वारा भुगतान में विलंब का ब्यौरा क्या है;

(ङ) भुगतान में विलंब के क्या कारण हैं;

(च) ऐसे विलम्बित भुगतान के लिए भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड को भुगतान किए गए ब्याज का ब्यौरा क्या है; और

(छ) प्रसार भारती द्वारा भविष्य में ऐसे भुगतान समय पर किये जाने हेतु क्या कदम उठाए गए हैं?

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : (क) और (ख) जी, हाँ। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि करार के अनुसार प्रसार भारती को संविदा अवधि के लिए खेल के दिनों की संख्या/खेल के घंटों में कमी के कारण यथानुपातिक कटौती के अधीन बीसीसीआई को 46 करोड़ रुपये प्रतिवर्ष अधिकार शुल्क देना होगा।

(ग) से (ङ) जी, हाँ। प्रसार भारती ने सूचित किया है कि 161 करोड़ रुपये की राशि के भुगतान में देरी मुख्यतः पर्याप्त निधियाँ न होने और बी सी सी आई द्वारा बीजक प्रस्तुत न करने के कारण हुई थी।

(च) 141.78 लाख रुपये।

(छ) ऐसी देयाताओं को चुकाने के लिए पर्याप्त निधियों की उपलब्धता को सुनिश्चित करना।

अपराह्न 12.02 बजे

सभा पटल पर रखे गये पत्र

[अनुवाद]

संसदीय कार्य मंत्री तथा सूचना और प्रसारण मंत्री (श्री प्रियरंजन दासमुंशी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-05 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंडियन इंस्टिट्यूट आफ मास कम्युनिकेशन, नई दिल्ली के वर्ष 2004-2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 3469/05]

(2) (एक) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) सत्यजीत रे फिल्म एण्ड टेलीविजन इंस्टिट्यूट, कोलकाता के वर्ष 2003-2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(3) उपर्युक्त (2) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 3470/05]

(4) प्रसार भारती (ब्रॉडकास्टिंग कार्पोरेशन ऑफ इंडिया), कार्पोरेशन (संशोधन) नियम, 2005 का वार्षिक प्रतिवेदन जो 9 दिसम्बर, 2005 के भारत के राजपत्र में अधिसूचना संख्या सा.का.नि. 713 (अ) में प्रकाशित हुए थे, की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 3471/05]

रक्षा मंत्री (श्री प्रणब मुखर्जी) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:-

(1) (एक) एरोनाटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के वर्ष 2004-2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) एरोनाटिकल डेवलपमेंट एजेंसी, बंगलौर के

वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 3472/05]

(2) कैन्टोनमेंट बोर्ड के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रशासन प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 3473/05]

(3) (एक) इंस्टिट्यूट फार डिफेंस स्टडीज एण्ड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) इंस्टिट्यूट फार डिफेंस स्टडीज एण्ड एनालिसिस, नई दिल्ली के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) ।

(4) उपर्युक्त (3) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 3474/05]

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(क) (एक) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) बामर लॉरी एण्ड कंपनी लिमिटेड, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 3475/05]

(ख) (एक) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान पेट्रोलियम कारपोरेशन लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 3476/05]

[हिन्दी]

रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री रामविलास पासवान) : अध्यक्ष महोदय, मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्कररण):–

(क) (एक) एमएमटीसी लिमिटेड और इसकी सहायक फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड सहित, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एमएसटीसी लिमिटेड और इसकी सहायक फेरो स्क्रैप निगम लिमिटेड सहित, कोलकाता के वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। **देखिये** संख्या एल.टी. 3477/05]

(ख) (एक) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनिरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) एफसीआई अरावली जिप्सम एण्ड मिनिरल्स इंडिया लिमिटेड, जोधपुर के वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 3478/05]

(ग) (एक) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान फर्टिलाइजर कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 3479/05]

(घ) (एक) स्पांज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) स्पांज आयरन इंडिया लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 3480/05]

(ङ) (एक) भारत रिफ्रैक्टॉरीज लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) भारत रिफ्रैक्टॉरीज लिमिटेड, बोकारो स्टील सिटी का वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 3481/05]

(च) (एक) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे के वर्ष 2003–2004 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड, पुणे का वर्ष 2003–2004 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 3482/05]

(छ) (एक) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) हिन्दुस्तान ऑर्गेनिक केमिकल्स लिमिटेड, रायगढ़ का वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 3483/05]

(ज) (एक) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) फर्टिलाइजर कारपोरेशन आफ इंडिया लिमिटेड, नई दिल्ली का वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखे गए। देखिये संख्या एल.टी. 3484/05]

(झ) (एक) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय केमिकल्स एण्ड फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, मुम्बई का वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 3485/05]

(ञ) (एक) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मद्रास फर्टिलाइजर्स लिमिटेड, चेन्नई का वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन,

लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 3486/05]

(ट) (एक) नेशनल मिनिरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) नेशनल मिनिरल डेवलपमेंट कारपोरेशन लिमिटेड, हैदराबाद का वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्याएल.टी. 3487/05]

(ठ) (एक) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखा–पत्तनम के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय इस्पात निगम लिमिटेड, विशाखा–पत्तनम का वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 3488/05]

(ड) (एक) मेकॉन लिमिटेड, रांची के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) मेकॉन लिमिटेड, रांची का वर्ष 2004–2005 का वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

(2) उपर्युक्त (1) के मद (च) में उल्लिखित पत्रों को सभा पटल पर रखने में हुए विलम्ब के कारण दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 3489/05]

(3) हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड लिमिटेड के वर्ष 2004–05 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 3490/05]

(4) (एक) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखा–परीक्षित लेखे।

(दो) सेंट्रल इंस्टिट्यूट आफ प्लास्टिक्स इंजीनियरिंग एण्ड टेक्नॉलॉजी, चेन्नई के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 3491/05]

(5) इंडियन ड्रग्स एण्ड फार्मास्युटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2002–2003, 2003–2004 और 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 3492/05]

(6) इंस्टिट्यूट आफ पेस्टीसाइड फार्मुलेशन टेक्नॉलॉजी के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 3493/05]

(7) हिन्दुस्तान एंटीबायोटिक्स लिमिटेड के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। **देखिये** संख्या एल.टी. 3494/05]

(8) बंगाल इम्यूनिटी लिमिटेड के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारण बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 3495/05]

(9) स्मिथ स्टैनीस्ट्रीट फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन तथा लेखापरीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 3496/05]

(10) बंगाल केमिकल्स एण्ड फार्मास्यूटिकल्स लिमिटेड के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन और लेखा–परीक्षित लेखाओं को लेखा वर्ष की समाप्ति के पश्चात् 9 महीने की निर्धारित अवधि के भीतर सभा पटल पर नहीं रखे जाने के कारणों को बताने वाले विवरण की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 3497/05]

[अनुवाद]

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा पटल पर रखता हूँ:–

(1) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रवितेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(2) इंदिरा गांधी राष्ट्रीय उड़ान अकादमी, रायबरेली के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा के बारे में विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखा गया। देखिये संख्या एल.टी. 3498/05]

रेल मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) : मैं कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:–

(1) इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(2) इंडियन रेलवे फाइनेंस कारपोरेशन लिमिटेड, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखापरीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक महालेखा परीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 3499/05]

सामाजिक न्याय और अधिकारिता मंत्रालय में राज्यमंत्री (श्रीमती सुबुलक्ष्मी जगदीशन) : मैं निम्नलिखित पत्र सभा–पटल पर रखती हूं:–

(1) (एक) नेशनल ट्रस्ट फार द वेलफेयर आफ पर्सन्स विद ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी मेन्टल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिसएबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) तथा लेखापरीक्षित लेखे।

(दो) नेशनल ट्रस्ट फार द वेलफेयर आफ पर्सन्स विद ऑटिज्म सेरेब्रल पाल्सी मेन्टल रिटार्डेशन एण्ड मल्टीपल डिसएबिलिटीज, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 3500/05]

(2) (एक) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(दो) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली द्वारा वर्ष 2004–2005 के लिए दी गई सलाहों पर की गई कार्यवाही ज्ञापन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

(तीन) राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, नई दिल्ली के

वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण)।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 3501/05]

(3) कंपनी अधिनियम, 1956 की धारा 619क की उपधारा (1) के अंतर्गत निम्नलिखित पत्रों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण):–

(एक) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के कार्यकरण की सरकार द्वारा समीक्षा।

(दो) राष्ट्रीय अनुसूचित जाति वित्त और विकास निगम, नई दिल्ली के वर्ष 2004–2005 के वार्षिक प्रतिवेदन, लेखारीक्षित लेखे तथा उन पर नियंत्रक–महालेखापरीक्षक की टिप्पणियां।

[ग्रंथालय में रखी गई। देखिये संख्या एल.टी. 3502/05]

अपराह्न 12.03 बजे

राज्य सभा से संदेश

[अनुवाद]

महासचिव : मुझे राज्य सभा के महासचिव से प्राप्त निम्नलिखित संदेशों की सूचना सभा को देनी है:–

(एक) राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे कराधान विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 को, जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 14 दिसम्बर, 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।

(दो) राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियमों के नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे विनियोग (संख्यांक 5) विधेयक, 2005 को, जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 15 दिसम्बर, 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।

(तीन) राज्यसभा के प्रक्रिया तथा कार्य–संचालन नियम 186 के उप–नियम (6) के उपबंधों के अनुसरण में, मुझे केन्द्रीय बिक्री कर (संशोधन) विधेयक, 2005 को, जिसे लोकसभा द्वारा अपनी 20 दिसम्बर, 2005 की बैठक में पारित किया गया था और राज्य सभा को उसकी सिफारिशों के लिए भेजा गया था, वापस लौटाने और यह बताने का निदेश हुआ है कि इस सभा को इस विधेयक के संबंध में कोई सिफारिशें नहीं करनी है।

अपराह्न 12.04 बजे

सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति की अनुमति

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : सभा की बैठकों से सदस्यों की अनुपस्थिति संबंधी समिति ने 21 दिसम्बर, 2005 को सभा को प्रस्तुत अपने, पांचवें प्रतिवेदन में सिफारिश की है कि निम्नलिखित सदस्यों को उनके नाम के आगे दी गई अवधि के लिए सभा की बैठकों से अनुपस्थिति की अनुमति दी जाए:–

(1)	श्री चन्द्रशेखर	25 जुलाई, 2005 से 30 अगस्त, 2005 तक
(2)	स्वर्गीय श्री प्रकाशबापू वी. पाटिल	25 जुलाई, 2005 से 30 अगस्त, 2005 तक
(3)	श्री राजेश रंजन उर्फ पप्पू यादव	22 मार्च, 2005 से 24 मार्च, 2005 तक 19 अप्रैल, 2005 से 13 मई, 2005 तक और 25 जुलाई, 2005 से 23 अगस्त, 2005 तक
(4)	श्री हरिहर स्वाई	23 नवम्बर, 2005 से 23 दिसम्बर, 2005 तक

(5)	श्री सूरज सिंह	23 नवम्बर, 2005 से 23 दिसम्बर, 2005 तक
(6)	श्री मंजुनाथ कुन्नुर	29 नवम्बर, 2005 से 23 दिसम्बर, 2005 तक
(7)	श्री गोविन्दा आरुण आहुजा	25 जुलाई, 2005 से 20 अगस्त, 2005 तक और 23 नवम्बर, 2005 से 14 दिसम्बर, 2005 तक

क्या सभा इस बात से सहमत है कि समिति द्वारा प्रस्तुत की गई छुट्टी को स्वीकृत कर दिया जाए।

कई माननीय सदस्य : हाँ।

अध्यक्ष महोदय : अनुमति दी जाती है। सदस्यों को इसकी सूचना दे दी जायेगी।

अपराह्न 12.04¼ बजे

[अनुवाद]

कुछ सदस्यों द्वारा अनुचित आचरण के आरोपों की जांच करने संबंधी समिति

प्रतिवेदन

श्री पवन कुमार बंसल (चंडीगढ़) : महोदय, मैं कुछ सदस्यों द्वारा अनुचित आचरण के आरोपों की जांच करने संबंधी समिति के प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.04½ बजे

लोक लेखा समिति

तेईसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिण दिल्ली) : महोदय, मैं "निधियों के पुनर्विनियोग हेतु मानदंडों की समीक्षा" विषय पर लोक लेखा समिति (चौदहवीं लोक सभा) का 23वां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05 बजे

अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति

विवरण

[हिन्दी]

डा. सत्यनारायण जटिया (उज्जैन) : महोदय मैं "राष्ट्रीय अनुसूचित जाति तथा अनुसूचित जनजाति वित्त एवं विकास निगम (एनएसएफडीसी) का कार्यकरण" विषय पर अनुसूचित जातियों तथा अनुसूचित जनजातियों के कल्याण संबंधी समिति के दूसरे प्रतिवेदन (चौदहवीं लोक सभा) के अध्याय। में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई अंतिम कार्यवाही दर्शाने वाला विवरण (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.05¼ बजे

सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति

आठवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

श्री हरिन पाठक (अहमदाबाद) : महोदय, मैं नई नागर विमानन नीति और इंडियन एयरलाइंस तथा एयर इंडिया द्वारा विमान खरीद के बारे में सरकारी आश्वासनों संबंधी समिति के आठवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.05½ बजे

रेल अभिसमय समिति (2004)

चौथा प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री मदन लाल शर्मा (जम्मू) : महोदय, मैं 'वर्ष 2005–06 के लिए पूंजीगत निधियों के पुनःप्रवर्तन' के बारे में रेल अभिसमय समिति (2004) का चौथा प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.06 बजे

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति

दसवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री बी.के. दुग्गर (अमरेली) : महोदय, मैं 'उर्वरकों से संबंधित मूल्य निर्धारण और फीडस्टॉक नीतियां' के संबंध में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन की एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं।

अपराह्न 12.6¼ बजे

कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति

ग्यारहवें से तेरहवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : मैं कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति (2005–2006) के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:–

(1) कोयला मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2005–06) के संबंध में आठवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का ग्यारहवां प्रतिवेदन।

(2) खान मंत्रालय की अनुदान की मांगों (2005–06) के संबंध में नौवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का बारहवां प्रतिवेदन।

(3) इस्पात मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–06) के संबंध में दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर की गई कार्यवाही के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति का तेरहवां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.06½ बजे

वित्त संबंधी स्थायी समिति

अठाइसवें से बत्तीसवां प्रतिवेदन

[हिन्दी]

मेजर जनरल (सेवानिवृत्त) भुवन चन्द खंडूडी (गढ़वाल) : महोदय, मैं वित्त संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदनों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) प्रस्तुत करता हूं:

1. वित्त मंत्रालय (आर्थिक मामले, व्यय और विनिवेश विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में 28वां की गई कार्यवाही प्रतिवेदन;
2. वित्त मंत्रालय (राजस्व विभाग) की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में 29वां की गई कार्यवाही प्रतिवेदन;
3. योजना मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में 30वां की गई कार्यवाही प्रतिवेदन;
4. सांख्यिकी और कार्यक्रम कार्यान्वयन मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में 31वां की गई कार्यवाही प्रतिवेदन;
5. कंपनी कार्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में 32वां की गई कार्यवाही प्रतिवेदन;

अपराह्न 12.07 बजे

खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति

विवरण

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव (झंझारपुर) : महोदय, मैं खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग तथा उपभोक्ता मामले विभाग से संबंधित खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के निम्नलिखित की गई कार्यवाही प्रतिवेदनों में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की गई कार्यवाही दर्शाने वालों विवरणों की एक–एक प्रति (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा के पटल पर रखता हूं:

एक. खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग

(1) खाद्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1994–1995) के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (1995–96), दसवीं लोक सभा का 11वां प्रतिवेदन;

(2) खाद्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1995–1996) के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (1995–96), दसवीं लोक सभा का 16वां प्रतिवेदन;

(3) खाद्य मंत्रालय की वार्षिक प्रतिवेदन (1992–1993) के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (1994–95), दसवीं लोक सभा का 7वां प्रतिवेदन;

(4) खाद्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1996–1997) के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (1996–97), ग्यारहवीं लोक सभा का तीसरा प्रतिवेदन;

(5) 'चीनी' के बारे में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का छठा प्रतिवेदन;

(6) खाद्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1997–1998) (पूर्ववर्ती खाद्य मंत्रालय) के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (1997–98), 11वीं लोक सभा का 9वां प्रतिवेदन;

(7) खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय (चीनी और खाद्य तेल विभाग) की अनुदानों की मांगों (1998–1999) के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (1998–99), 12वीं लोक सभा का 5वां प्रतिवेदन;

(8) खाद्य मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (1998–1999) के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (1998–99), 12वीं लोक सभा का छठा प्रतिवेदन;

(9) पूर्ववर्ती खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय (चीनी और खाद्य तेल विभाग) की अनुदानों की मांगों (1999–2000) के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (1999–2000), 13वीं लोक सभा का पहला प्रतिवेदन;

(10) पूर्ववर्ती खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय (सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (1999–2000) के संबंध में समिति के 9वें प्रतिवेदन पर की गई कार्यवाही प्रतिवेदन के बारे में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का दूसरा प्रतिवेदन;

(11) खाद्य, उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदान की मांगों (2000–2001) के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (1999–2000), 13वीं लोक सभा का 8वां प्रतिवेदन;

(12) पूर्ववर्ती (चीनी और खाद्य तेल विभाग) की अनुदानों की मांगों (2000–01) के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति (1999–2000), 13वीं लोक सभा का 9वां प्रतिवेदन;

(13) खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग की अनुदानों की मांगों (2001–02) के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का 14वां प्रतिवेदन;

(14) अनुदानों की मांगों (2002–2003) के बारे में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति के 16वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों/टिप्पणियों पर सरकार द्वारा की गई कार्रवाई के बारे में समिति का 19वां प्रतिवेदन;

(15) खाद्यान्नों की खरीद, भंडारण और वितरण के बारे में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का 24वां प्रतिवेदन;

(16) खाद्य, नागरिक आपूर्ति और सार्वजनिक वितरण मंत्रायल (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003–04) के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन;

(17) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की रुगण चीनी उद्योग तथा चीनी विकास निधि के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का तीसरा प्रतिवेदन;

(18) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग) की अनुदान की मांगों (2004–05) के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का चौथा प्रतिवेदन;

दो. उपभोक्ता मामले विभाग

(1) 'उपभोक्ता संरक्षण' के बारे में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का 13वां प्रतिवेदन;

(2) खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (1998–99) के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का 7वां प्रतिवेदन;

(3) पूर्ववर्ती खाद्य और उपभोक्ता मामले मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (1999–2000) के संबंध में तीसरा प्रतिवेदन;

(4) पूर्ववर्ती उपभोक्ता मामले और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2000–2001) के संबंध में 7वां प्रतिवेदन;

(5) पूर्ववर्ती उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2001–2001) के संबंध में 13वां प्रतिवेदन;

(6) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2002–2004) के संबंध में 18वां प्रतिवेदन;

(7) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदानों की मांगों (2003–04) के संबंध में 23वां प्रतिवेदन;

(8) उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय (उपभोक्ता मामले विभाग) की अनुदान मांगों (2004–05) के संबंध में खाद्य, नागरिक आपूर्ति तथा सार्वजनिक वितरण संबंधी स्थायी समिति का 5वां प्रतिवेदन;

अपराह्न 12.07½ बजे

वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति

छियत्तरवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

श्री काशीराम राणा (सूरत) : मैं 'पुष्प कृषि' के बारे में वाणिज्य संबंधी स्थायी समिति का छियत्तरवां प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं।

अपराह्न 12.07¾ बजे

विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी स्थायी समिति

एक सौ सैतालीसवें से एक सौ बावनवां प्रतिवेदन

[अनुवाद]

डा. सुजान चक्रवर्ती (जादवपुर) : मैं विज्ञान और प्रौद्योगिकी, पर्यावरण और वन संबंधी विभागों से सम्बद्ध संसदीय स्थायी समिति के निम्नलिखित प्रतिवेदन (हिन्दी तथा अंग्रेजी संस्करण) सभा पटल पर रखता हूं:

(1) महासागर विकास विभाग की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में समिति के 143वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 147वां प्रतिवेदन;

(2) परमाणु ऊर्जा विभाग की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में समिति के 145वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 148वां प्रतिवेदन;

(3) विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में समिति के 140वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 149वां प्रतिवेदन;

(4) अंतरिक्ष विभाग की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में समिति के 144वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 150वां प्रतिवेदन;

(5) वैज्ञानिक और औद्योगिक अनुसंधान विभाग की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में समिति के 142वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 151वां प्रतिवेदन; और

(6) जैव प्रौद्योगिकी विभाग की अनुदानों की मांगों (2005–06) के बारे में समिति के 141वें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर सरकार द्वारा की–गई–कार्यवाही संबंधी 152वां प्रतिवेदन।

अपराह्न 12.08 बजे

मंत्रियों द्वारा वक्तव्य

(एक) पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2004-2005) के बारे में पेट्रोलियम और

प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

[अनुवाद]

*पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, मैं यह वक्तव्य लोक सभा के माननीय अध्यक्ष द्वारा दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन भाग–2 के निर्देश 73 क के अनुसरण में पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की पांचवीं रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की पांचवीं रिपोर्ट लोक सभा में 20.4.2005 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2005–2006 के लिए पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है।

समिति की रिपोर्ट में उल्लिखित सिफारिशों/मतों के बारे में कृत कार्रवाई के विवरण पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस संबंधी स्थायी समिति को 20.07.2005 को भेजे गए थे।

समिति द्वारा उक्त रिपोर्ट में 26 सिफारिशें की गई हैं जिनमें सरकार की ओर से कार्रवाई अपेक्षित है। ये सिफारिशें मुख्य रूप से अन्वेषण कार्यक्रमों को सुदृढ़ करने, कच्चे तेल/पेट्रोलियम उत्पादों के कार्यनीतिक भण्डारण की स्थापना करने, उपभोक्ता हितों की निगरानी के लिए विनियामक तंत्र की स्थापना करने, वैल्पिक ईंधनों के विकास, ऊर्जा संरक्षण उपायों, प्रौद्योगिकी उन्नयन, राष्ट्रीय गैस ग्रिड, पेट्रोलियम उत्पादों इत्यादि पर शुल्क संरचना के यौक्तिकरण/पुनर्संरचना से संबंधित हैं।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति मेरे वक्तव्य के अनुबंध में दी गई है जो सदन के पटल पर रख दिया गया है। इस अनुबंध के सभी विषयों को पढ़ने के लिए मैं सदन का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा। मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा गया मान लिया जाए

---

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3503/05

अपराह्न 12.08½ बजे

कच्चे तेल पर रायल्टी के बारे में दिनांक 1.12.2005 के लोक सभा तारांकित प्रश्न संख्या 141 के उत्तर में शुद्धि करने वाला विवरण

[अनुवाद]

*पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : सर्वश्री वी.के. दुग्मर और जीवाभाई अम्बालाल पटेल, संसद सदस्यों द्वारा कच्चे तेल पर रायल्टी के बारे में पूछे गऐ दिनांक 1.12.2005 के तारांकित प्रश्न संख्या 141 के भाग (क) के संबंध में विवरण के प्रत्युत्तर में गुजरात राज्य के प्रति 2003–04 के दौरान कच्चा तेल उत्पादक राज्यों को भुगतान की गई धनराशि, जो 8667.46 करोड़ रुपये दर्शाई गई है, को कृपया 867.46 करोड़ रुपये पढ़ा जाये। इस प्रकार प्रश्न के संशोधित विवरण की एक प्रति संलग्न है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, टंकण में गलती हो जाने पर भी खेद व्यक्त किया जाना चाहिए।

पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री तथा पंचायती राज मंत्री (श्री मणि शंकर अय्यर) : महोदय, मैं टंकण में हुई भूल के लिए गहरा खेद व्यक्त करता हूं।

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद।

पिछले तीन वर्षों के दौरान कच्चे तेल के उत्पादक राज्यों को प्रदान की गई रायल्टी

रायल्टी की प्राप्त की गई धनराशि (करोड़ रुपये)

राज्य	2004–05	2003–04	2002–03
गुजरात	1130.97	867.46	887.97
असम	894.06	703.18	589.13
आंध्र प्रदेश	77.25	77.29	78.35
तमिलनाडु	102.32	70.64	71.06
त्रिपुरा	6.96	5.94	5.75
राजस्थान	2.39	1.43	1.20
अरुणाचल प्रदेश	10.98	20.84	4.51
योग	**2224.93**	**1746.78**	**1637.97**

* सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3504/05

अपराह्न 12.09 बजे

दो (क) उर्वरक विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-06) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के छठे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

*** रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान)** : अध्यक्ष जी, मैं 01 सितम्बर 2004 के लोक सभा बुलेटिन खण्ड – II द्वारा जारी माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निर्देश 72–क के अनुसरण में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की छठी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति ने उर्वरक विभाग की वर्ष 2005–06 की अनुदान मांगों की जांच की और छठी रिपोर्ट को लोक सभा और राज्य सभा में 21 अप्रैल, 2005 को प्रस्तुत किया। रिपोर्ट में 16 सिफारिशें की गई हैं जो निम्नलिखित से संबंधित हैं।

1. किसानों को राजसहायता का भुगतान सीधे करना;

2. उर्वरक उत्पादन इकाइयों के वित्त–पोषण पर नई मूल्य–निर्धारण योजना का प्रभाव तथा इसका समाधान निकालना। यूरिया इकाइयों के लिए नई मूल्य–निर्धारण योजना (एनपीएस) को दो चरणों – चरण – I और चरण–II (1.4.2003 से 31.3.2004 तक तथा 1.4.2004 से 31.3.2006 तक) में कार्यान्वित किया जा रहा है। चरण–II अर्थात् 1.4.2006 के बाद से एनपीएस के चरण–I और चरण–II की प्रभावकारिता की समीक्षा करने के लिए डॉ वाई. के. अलघ की अध्यक्षता में एक कार्यदल का गठन किया गया है। समिति चाहती है कि कार्यदल अपनी रिपोर्ट शीघ्र दे और उन्हें इस संबंध में अद्यतन स्थिति से अवगत कराया जाए।

3. मुख्य रूप से गैस/एलएनजी फीडस्टॉक को पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध करना तथा नेफथा/ईंधन तेल/एलएसएचएस संयंत्रों को गैस आधारित संयंत्रों में परिवर्तित करना जिससे एलएनजी के मूल्यों को तर्कसंगत और प्रतिस्पर्धी बनाया जा सके। समिति ने सिफारिश की है कि घरेलू प्राकृतिक गैस के अधिमानतः आबंटन करने और उर्वरक इकाइयों को उचित मूल्यों पर आधारित एलएनजी उपलब्ध कराने के लिए जांच तेजी से की जाए और उर्वरक उद्योग के समग्र हित में शीघ्र निर्णय लिया जाए।

4. यूरिया/अमोनिया के उत्पादन के लिए ओमान में सुर में ओमान ऑयल कंपनी और भारतीय प्रायोजकों अर्थात् कृभको और इफको के बीच एक संयुक्त उद्यम परियोजना (ओमिफको) का निर्माण किया जा रहा है। परियोजना की समग्र प्रगति 97.26% थी जो 99.73% के मूल लक्ष्य की तुलना में निर्माण, स्थापना और पर्यवेक्षण कार्यकलापों से संबंधित थी। समिति ने सिफारिश की कि उर्वरक विभाग द्वारा यह सुनिश्चित करने के लिए हर संभव कदम उठाए जाएं कि ओमिफको परियोजना अनुसूची के अनुसार चरण में पूरी कर ली जाए तथा यह भी कि परियोजना की लागत न बढ़े और समय भी अधिक न लगे।

5. कुल 17167.07 करोड़ रुपए की अनुदान मांगों में वर्ष 2005–06 के लिए उर्वरक विभाग की गैर–योजना निधियां 16398.82 करोड़ रुपए है, को देखते हुए समिति का मानना है कि मंत्रालय को अपने वार्षिक व्यय को अपने स्वीकृत बजट के अंदर रखने का प्रयास करना चाहिए और वित्त मंत्रालय के मितव्ययी अनुदेशों का पालन करना चाहिए।

6. समिति सिफारिश करती है कि फॉस्फेटयुक्त उर्वरकों की खपत में संतुलित उर्वरण स्थिरता एक चिंता का विषय है। फॉस्फेटयुक्त और पोटाशयुक्त उर्वरक क्षेत्र के संबंध में नीतिगत परिवेश सहित तथ्यों को ध्यान में रखा जाना चाहिए। इन उर्वरकों की बुनियादी कच्ची–सामग्री की उपलब्धता से निपटने के लिए सरकार को उन देशों में और अधिक संयुक्त उद्यम लगाने के लिए आवश्यक प्रोत्साहन देने चाहिए जहाँ कच्ची सामग्री पर्याप्त मात्रा में उपलब्ध है। समिति यह भी सिफारिश करती है कि उर्वरक विभाग द्वारा कच्ची सामग्री को पर्याप्त और समय पर उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए तत्काल आवश्यक कदम उठाए जाने चाहिए तथा अन्य अवरोधों को भी दूर करना चाहिए। साथ ही सभी उर्वरक कंपनियाँ–सार्वजनिक, निजी और सरकारी समितियाँ अपनी स्थापित क्षमता के अधिकतम स्तर तक कार्य करें ताकि आयातित उर्वरकों पर निर्भरता को न्यूनतम स्तर पर रखा जा सके।

7. समिति की 41वीं और 44वीं रिपोर्ट (13वीं लोक सभा) में की गई सिफारिशों का ध्यान दिलाते हुए, स्थायी समिति ने कहा कि राज्य सरकारों द्वारा बिक्री प्रमाणन जारी करने से संबंधित समस्या के कारण इकाइयां को नियंत्रणमुक्त उर्वरकों की रियायत का भुगतान करने में देर होती है। इसलिए मौजूदा प्रणाली के स्थान पर शीघ्र उर्वरकों के आयात, उत्पादन और प्रेषण के आँकड़ों पर आधारित नई योजना लागू की जानी चाहिए।

8. उर्वरक विभाग के अंतर्गत आने वाले सार्वजनिक क्षेत्र के 10 उपक्रमों नामतः फैक्ट, एफसीआई, एनएफएल, आरसीएफ,

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3505/05

पीपीसीएल, एमएफएल, पीडीआईएल, एचएफसी, बीवीएफसीएल और फैगमिल में केवल चार सार्वजनिक उपक्रम अर्थात् आरसीएफ, एनएफएल, पीडीआईएल और फेगामिल में केवल चार सार्वजनिक उपक्रम अर्थात् आरसीएफ, एनएफएल, पीडीआईएल और फेगमिल ही लाभ कमा रहे थे और शेष या तो लगातार रूग्ण रहे हैं या घाटे में चल रहे हैं। इस संबंध में सार्वजनिक क्षेत्र में रूग्ण घाटे में चल रहे और बंद उर्वरक उपक्रम के पुनरूद्धार का काम उर्वरक विभाग द्वारा प्रोजेक्ट एण्ड डेवलपमेंट इंडिया लिमि. (पीडीआईएल) को सौंपा गया है। पीडीआईएल ने सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के संबंध में अपनी रिपोर्ट उर्वरक विभाग को प्रस्तुत कर दी है। इन इकाइयों के पुनरूद्धार प्रस्ताव जो उनकी प्रौद्योगिक–आर्थिक व्यवहार्यता पर आधारित होगा, सार्वजनिक उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआरपीएसई) को विचारार्थ भेजा जाएगा। समिति ने सिफारिश की कि सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों के पुनरूद्धार के लिए बीआरपीएसई को विचारार्थ सौंपने की रिपोर्ट की जाँच की प्रक्रिया में यथाशीघ्र तेजी लानी चाहिए।

समिति की सभी सिफारिशों पर मंत्रालय में विचार किया गया है और पहले ही कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। कुल 16 सिफारिशों/अभ्युक्तियों में से 12 सिफारिशें/अभ्युक्तियाँ अर्थात् 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 14 और 15 सरकार द्वारा स्वीकार कर ली गई हैं। सरकार के उत्तर को ध्यान में रखते हुए समिति सिफारिश/अभ्युक्ति संख्या 9 पर कोई कार्रवाई करने की इच्छुक नहीं है। सिफारिश सं. 12, 13 और 16 के संबंध में तथ्यात्मक स्थिति से समिति को 22.11.2005 को अवगत करा दिया गया है।

क्र.सं. 1 से 16 तक की सिफारिशों/अभ्युक्तियों के संबंध में की गई कार्रवाई से संबंधित उत्तर समिति को 29 जुलाई, 2005 को भेज दिए गए हैं। की गई कार्रवाई संबंधी इन नोटों पर आगे कोई अभ्युक्ति प्राप्त नहीं हुई है।

अपराह्न 12.10 बजे

दो (ख) रसायन और पेट्रोरसायन विभाग की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति के पांचवें प्रतिवेदन में अन्तर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

***रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम विलास पासवान)** : अध्यक्ष जी, मैं रसायन और उर्वरक संबंधी स्थायी समिति की पाँचवीं रिपोर्ट में शामिल अनुशंसाओं के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

रसायनों और उर्वरकों संबंधी स्थायी समिति ने रसायन और उर्वरक मंत्रालय (रसायन और पेट्रोरसायन विभाग) की वर्ष 2005–06 के लिए अनुदानों की मांगों की जांच की और लोक सभा में 21 अप्रैल, 2005 को अपनी पाँचवीं रिपोर्ट प्रस्तुत की। रिपोर्ट में 22 सिफारिशें शामिल हैं। सिफारिशों का सारांश निम्नलिखित है:–

(i) कार्यान्वयन एजेंसियों के बजटीय आबंटन का उपयोग।

(ii) सिपेट के नए विस्तार केन्द्रों की स्थापना।

(iii) पेट्रोरसायनों संबंधी राष्ट्रीय नीति बनाना।

(iv) हाजीपुर (बिहार) में एक डिजाइन एंड टूल रूप सेंटर की स्थापना।

(v) असम गैस क्रैकर परियोजना का कार्यान्वयन।

(vi) भोपाल गैस पीड़ितों की यथानुपात मुआवजे का वितरण।

(vii) आवश्यक संस्थागत विशेषज्ञता का प्रावधान ताकि आईपीएफटी सौंपे गए क्रियाकलापों को पूरा कर सके।

(viii) तपेदिक, मलेरिया, लेश्मेनिया के नए औषधों की खोज और विकास।

(ix) पेटेंट कानून के संशोधन के परिप्रेक्ष्य में भेषज सेक्टर मूल्य व्यवहार की निगरानी के लिए तंत्र।

(x) भेषज सेक्टर में अनुसंधान एवं विकास।

(xi) मूल्य नियंत्रण के अंतर्गत नहीं आने वाली औषधों की कीमतों की मॉनीटरिंग।

(xii) उचित मूल्यों पर जीवन रक्षक औषधों की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए अंतरिम रिपोर्ट की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई।

(xiii) देश में प्रतिबंधित औषधों के प्रयोग पर नियंत्रण।

(xiv) फार्मा निर्यात संवर्द्धन योजना के तहत निर्यात बढ़ाने के लिए बजट आबंटन।

(xv) वसूली का विवरण और औषध कंपनियों की लंबित देयताओं की सीमा।

(xvi) न्यायालय के शरण में जाने से पूर्व औषध कंपनियों के लिए आरंभ में एक प्रतिसतता राशि पूर्व–जमा करने का प्रावधान बनाया जाना।

(xvii) एमसीआईई की प्रगति में विकास।

(xviii) पूर्वोत्तर क्षेत्र हेतु निधियों का उपयोग।

(xix) एचआईएल के इन्डोसल्फान संयंत्र की पुनर्रचना।

(xx) रूग्ण/बंद कंपनियों का पुनरूद्धार।

---

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3508/05

(xxi) आईडीपीएल का पुनर्वास।

(xxii) आरडीपीएल की वित्तीय सहायता।

समिति की सभी सिफारिशों पर रसायन और पेट्रोरसायन विभाग द्वारा विचार किया गया है और कार्रवाई शुरू की जा चुकी है। विभाग ने कार्यान्वयन एजेंसियों की योजना निधि की स्थिति की समीक्षा की। सरकार हर संभव प्रयास कर रही है कि सिपेट के तीन नए विस्तार केन्द्रों की स्थापना दसवीं पंचवर्षीय योजना की शेष अवधि में सुनिश्चित की जा सके। विभाग, व्यय वित्त समिति (ईएफसी) का अनुमोदन हासिल करने की प्रक्रिया में है। पेट्रोरसायनों संबंधी राष्ट्रीय नीति पर केबिनेट नोट केबिनेट सचिवालय को सौंपे जाने की प्रक्रिया में है। हाजीपुर (बिहार) में एक डिजाइन एंड टूल रूप सेन्टर की स्थापना की योजना दसवीं पंचवर्षीय योजना में अनुमोदित योजना नहीं थी। इस विभाग ने दसवीं पंचवर्षीय योजना के मध्यावधि मूल्यांकन के समय इस योजना पर योजना आयोग के साथ चर्चा की थी। तथापि, योजना आयोग ने इसे अनुमोदित नहीं किया। लोक निवेश बोर्ड (पीआईबी) ने असम क्रैकर परियोजना की सिफारिश की है। प्रारूप केबिनेट नोट संबंधित मंत्रालयों/विभागों को उनकी टिप्पणी हेतु परिचालित किया गया है। भोपाल गैस रिसाव हादसे के पीड़ितों को यथानुपात मुआवजे का संवितरण उच्चतम न्यायालय के निर्देशों पर कल्याण आयुक्त के कार्यालय के जरिए किया जा रहा है। 2 दिसम्बर, 2005 तक 5,01,582 व्यक्तियों के दावे निपटाए जा चुके हैं और उन्हें 1349.85 करोड़ रुपए का यथानुपात मुआवजा दिया जा चुका है। आईपीएफटी में कैडर पुनर्गठन का कार्य पूरा हो चुका है। ठेके पर नियुक्ति के प्रावधानों को शामिल करने के लिए भर्ती नियमों में संशोधन की प्रक्रिया जारी है। नाइपर द्वारा तपेदिक, मलेरिया और लेश्मेनिया इत्यादि के नए औषधों की खोज और विकास के प्रयास किए जा रहे हैं। राष्ट्रीय औषध मूल्य निर्धारण प्राधिकरण (एनपीपीए) से दवाओं के लिए उत्पाद पेटेंट के प्रवर्तन के मद्देनजर दवाओं की कीमतों पर विशेष निगरानी रखने के लिए कहा गया है। जहाँ तक आर एंड डी पर विशेष ध्यान देने की बात है, तो विज्ञान और प्रौद्योगिकी विभाग, जैव–प्रौद्योगिकी विभाग और आयुष विभाग के साथ एक बैठक की गई। आर एंड डी समर्थन हेतु विभिन्न योजनाओं से संबंधित अतिरिक्त निधियों के लिए प्रस्तावों को वित्त मंत्रालयों को भेज दिया गया है। आम उपभोग की गैर–अनुसूचीबद्ध दवाओं की कीमतों में परिवर्तन की निगरानी के लिए एनपीपीपीए के पास एक प्रभावी तंत्र है। एनपीपीए द्वारा किए गए प्रयासों के चलते 32 कंपनियों ने 32 फार्मूलेशनों पैकों के दाम 1.15% से 34.62% के बीच स्वेच्छा से घटाए हैं। राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम के आलोक में मूल्य नियंत्रण के विस्तार (ट्रेड मार्जिन सहित) की जांच करने के लिए संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक समिति गठित की गई थी। समिति ने सरकार को अपनी अंतरिम रिपोर्ट सौंप दी है। समिति की सिफारिशों पर अनुवर्ती कार्रवाई के रूप में स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय से भी स्वास्थ्य बीमा योजना के और व्यापक प्रसार, गरीबी रेखा से नीचे के लोगों के लिए विशेष योजना और अन्य संबंधित मुद्दों पर टिप्पणियां मांगी गई हैं। जीवन रक्षक औषधों को उचित मूल्यों पर उपलब्ध कराने के उद्देश्य की प्राप्ति के लिए मूल्य नियंत्रण से इतर विकल्पों पर विचार करने के लिए प्रधान सलाहकार (पीपी), योजना आयोग की अध्यक्षता में गठित कार्यबल ने अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। संयुक्त सचिव की अध्यक्षता में एक कोर समूह कार्यबल की सिफारिशों की जांच के लिए एक नई भेषज नीति बनाने के लिए गठित की गई है। स्वास्थ्य और परिवार कल्याण मंत्रालय प्रतिबंधित औषधों के विषय देखता है। फार्मा निर्यात संवर्द्धन योजना के लिए बजट प्रावधान वर्ष 2005–06 में बनाए गए हैं। सरकार डीपीईए देयताओं के लिए जल्दी वसूली के लिए हर संभव प्रयास कर रही है। मेगा केमिकल इंडस्ट्रीय इस्टेट (एमसीआईई) की व्यवहार्यता रिपोर्ट के संबंध में कन्सलटेंट ने लोकेशन स्टडी रिपोर्ट और हल्दिया (पश्चिम बंगाल) के लिए परियोजना लागत रिपोर्ट प्रस्तुत कर दी है। हिन्दुस्तान इंसेक्टिसाइड्स लिमिटेड (एचआईएल) का इंडोसल्फान तकनीकी संयंत्र पुनः चालू किया गया है और ट्रायल उत्पादन जारी है। एचओसीएल और एचआईएल के पुनरूद्धार प्रस्तावों पर सार्वजनिक उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड द्वारा विचार किया गया है और इसकी अनुशंसा की गई है। एचएएल के पुनर्वास पैकेज संबंधी एक नोट सचिवों की समिति (सीओएस) के समक्ष इसकी सिफारिशों के लिए रखी जा रही है। बीसीपीएल के पुनरूद्धार के लिए प्रारूप कैबिनेट नोट संबंधित विभागों/मंत्रालयों को परिचालित किया गया था। तथापि, वर्तमान अनुदेशों के अनुसार यह मामला विचार/सिफारिशों के लिए सार्वजनिक उद्यम पुनर्निर्माण बोर्ड (बीआरपीएसई) के समक्ष रखा जाएगा। विभाग ने आईडीपीएल को पाँच करोड़ रुपए गुडगाँव, ऋषिकेष और चैन्नई के संयंत्रों को अनुसूची एम अनुपालक बनाने और आर एंड डी केन्द्र हैदराबाद के रख रखाव तथा मुजफ्फरपुर संयंत्र के पुनर्वास हेतु जारी किए हैं। आर डी पी एल के संबंध में यह विभाग आर डी पी एल को इक्विटी के रूप में 1.00 करोड़ रुपए, यदि योजना आयोग द्वारा निधियों का प्रावधान हो, तो जारी करने पर विचार कर रहा है।

अपराह्न 12.10½ बजे

दो (ग) इस्पात मंत्रालय से संबंधित अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में कोयला और इस्पात संबंधी स्थायी समिति के दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

*रसायन और उर्वरक मंत्री तथा इस्पात मंत्री (श्री राम

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3507/05

विलास पासवान) : अध्यक्ष जी, मैं कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति (14वीं लोक सभा) की दसवीं रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में दिनांक 01 सितंबर, 2004 के लोक सभा बुलेटिन–भाग–।। के माध्यम से माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के निदेश–73 क के अनुपालन में एक वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं:

उपर्युक्त रिपोर्ट लोक सभा में 26 अप्रैल, 2005 को प्रस्तुत की गई थी। यह रिपोर्ट वर्ष 2005–06 के लिए इस्पात मंत्रालय की अनुदान मांगों की जांच से संबंधित है।

इस रिपोर्ट में मंत्रालयों के उद्देश्यों, लक्ष्यों और उपलब्धियों के संदर्भ में समिति द्वारा कुल 31 सिफारिशें (38 पैराओं में) की गई हैं जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई अपेक्षित है।

समिति की रिपोर्ट में दी गई सिफारिशों/अभ्युक्तियों पर की गई कार्रवाई का विवरण कोयला एवं इस्पात संबंधी स्थायी समिति को दिनांक 25 अगस्त, 2005 को भेजा गया था।

समिति द्वारा की गई विभिन्न सिफारिशों के कार्यान्वयन की वर्तमान स्थिति लोक सभा के पटल पर रखे गए मेरे वक्तव्य के अनुलग्नक में दर्शाई गई है। मैं इस अनुलग्नक में दी गई सम्पूर्ण विषय वस्तु को पढ़ने में सदन का मूल्यवान समय नहीं लेना चाहूंगा। अनुरोध है कि इसे पढ़ा हुआ समझा जाए।

अपराह्न 12.11 बजे

(तीन) जल संसाधन मंत्रालय से संबंधित जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति के तीसरे प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

*भारी उद्योग और लोक उद्यम मंत्रालय के राज्य मंत्री तथा जल संसाधन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री संतोष मोहन देव) : मैं दिनांक 01 सितम्बर 2004 के लोकसभा बुलेटिन के अधीन जारी किए गए माननीय अध्यक्ष, लोकसभा के निदेश 73ए के अनुसरण में जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति की तीसरी रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के बारे में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूँ।

जल संसाधन संबंधी स्थायी समिति (चौदहवीं लोकसभा) की तीसरी रिपोर्ट 20 अप्रैल, 2005 को लोकसभा में पेश की गई थी। यह रिपोर्ट जल संसाधन मंत्रालय की वर्ष 2005–06 से संबंधित अनुदानों की मांग की जांच से संबंधित थी।

स्थायी समिति की उपयुक्त रिपोर्ट में शामिल सिफारिशों/अभिमतों पर की गई थी उपयुक्त रिपोर्ट में समिति द्वारा 27 सिफारिशें/अभिमत दिए गए थे जिन पर सरकार द्वारा कार्रवाई की जानी अपेक्षित थी। ये सिफारिशें मुख्यतः इन मुद्दों के साथ संबंधित थी। बजटीय संसाधनों में बढ़ोत्तरी, पहले से सृजित सिंचाई क्षमता का प्रयोग, निर्मित स्कीमों के प्रभाव कार्यान्वयन के लिए मानीटरी तंत्र का सुदृढ़ीकरण, परियोजना के शीघ्र अनुमोदन, जल संबंधी सभी मुद्दों से निपटने के लिए एक एकल प्रशासनिक मंत्रालय की जरूरत, नदियों को परस्पर जोड़ने की परियोजना का शीघ्र कार्यान्वयन, देश में उपलब्ध समिति भूजल जागरूकता संसाधनों का संरक्षण करने और साथ ही इष्टतम प्रयोग करने के लिए लोगों के भीतर जागरूकता उत्पन्न करना, भूजल की गुणवत्ता में सुधार लाना और भूजल में गिरावट को रोकना, कमान क्षेत्र विकास कार्यक्रम के अधीन निधि का पूरा प्रयोग किए जाने की दिशा में आने वाली कठिनाइयों दूर करना, विभिन्न बाढ़ नियंत्रण स्कीमों का शीघ्र कार्यान्वयन, राज्य सरकारों को त्वरित सिंचाई लाभ कार्यक्रम के लिए प्रदत्त निधि का अन्यत्र प्रयोग/दुरूपयोग रोकने के लिए तात्कालिक उपाय करना आदि।

समिति द्वारा की गई सिफारिशों के कार्यान्वयन की मौजूदा स्थिति मेरे वक्तव्य के साथ संलग्न अनुलग्नक में दी गई है जिसे सभा पटल रखा जा सकता है मैं अनुलग्नक में निर्दिष्ट सारी सामग्री पढ़ कर सदन का मूल्यवान समय नष्ट नहीं करना चाहूंगा। अनुरोध है कि इसे पठित समझ लिया जाए।

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3508/05

अपराह्न 12.12 बजे

(चार) *नागर विमान मंत्रालय की अनुदानों की मांगों (2005-2006) के बारे में परिवहन, पर्यटन और संस्कृति संबंधी स्थायी समिति के अट्ठासीवें प्रतिवेदन के अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

*सभा पटल पर रखा गया और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल.टी. 3509/05

नागर विमानन मंत्रालय के राज्य मंत्री (श्री प्रफुल पटेल) : मैं, लोक सभा में कार्यविधि एवं आचरण नियमावली के नियम 389 के प्रावधानों के अधीन दिनांक 1 सितम्बर, 2004 के संसदीय बुलेटिन भाग II के द्वारा माननीय लोक सभा अध्यक्ष द्वारा जारी दिशानिर्देशों के अनुक्रमण में परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 88 वीं रिपोर्ट में निहित सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति पर यह विवरण दे रहा हूं।

परिवहन, पर्यटन एवं संस्कृति पर विभाग संबंधित संसदीय स्थायी समिति की 88वीं रिपोर्ट राज्य सभा में दिनांक 29 अप्रैल 2005 को प्रस्तुत की गई थी तथा लोकसभा में दिनांक 29 अप्रैल 2005 को रखी गई थी। इस रिपोर्ट में 30 सिफारिशें/पैरा है। समिति की इन सिफारिशों की नागर विमानन मंत्रालय में सावधानीपूर्वक जांच की गई है। विभिन्न सिफारिशों पर की गई कार्रवाई संबंधी उत्तरों को पहले ही दिनांक 30.9.2005 को राज्य सभा सचिवालय में भेजा जा चुका है। अधिकांश सिफारिशों को सरकार द्वारा स्वीकार कर लिया गया है तथा कार्रवाई पहले ही की जा चुकी है/आरंभ की जा चुकी है। स्थाई समिति की रिपोर्ट में निहित सभी सिफारिशों पर की गई क़ार्रवाई/स्थिति को दर्शाने वाला एक विवरण अनुबंध के रूप में संलग्न है।

अपराह्न 12.12½ बजे

(पांच) रेल संबंधी स्थायी समिति के आठवें, नौवें और दसवें प्रतिवेदन में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति

***रेल मंत्रालय में रेल राज्य मंत्री (श्री आर. वेलु) :** मैं 1 सितम्बर, 2004 के लोक सभा के बुलेटिन पार्ट–II के तहत जारी माननीय अध्यक्ष, लोक सभा के दिशा–निर्देश 73–ए के अनुसरण में रेल संबंधी संसदीय स्थायी समिति (2004–05) की आठवीं, नौवीं और दसवीं रिपोर्टों में अंतर्विष्ट सिफारिशों के कार्यान्वयन की स्थिति के संबंध में यह वक्तव्य सभा पटल पर रखता हूं।

लोक सभा में 20.4.2005 को प्रस्तुत "अनुदान की मांगें (2005–06)" पर समिति की आठवीं रिपोर्ट में 30 सिफारिशें (आंशिक सिफारिशों सहित) थीं जिन पर रेल मंत्रालय द्वारा विचार किया गया था और उन पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट अक्तूबर, 2005 को समिति को प्रस्तुत कर दिया गया था।

11.5.2005 को लोक सभा में प्रस्तुत रेलवे (संशोधन) विधेयक, 2004 पर समिति की नौवीं रिपोर्ट 7 सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं और उन पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट सितम्बर, 2005 को समिति को प्रस्तुत कर दिया गया था।

संसाधन जुटाना (रेलों से संबंधित स्थायी समिति (13वीं लोक सभा) की 16वीं रिपोर्ट पर की गई कार्रवाई) पर समिति की दसवीं रिपोर्ट को लोम सभा में 11.5.2005 को पेश की गई, जिसमें 7 सिफारिशें अंतर्विष्ट थीं और इस पर की गई कार्रवाई संबंधी नोट को समिति के समक्ष सितम्बर, 2005 में प्रस्तुत कर दिया गया था।

इन रिपोर्टों में शामिल सभी सिफारिशें और कार्यान्वयन की स्थिति संलग्न विवरण में दर्शाई गई है। चूंकि ये विवरण बहुत बड़ी संख्या में है, इसलिए मैं अनुरोध करूंगा कि इसे पढ़ा हुआ मान लिया जाए।

[अनुवाद]

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : महोदय, मेरा एक निवेदन है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, मैं आपके विषय पर आऊँगा।

श्री गुरूदास दासगुप्त : इससे पहले कि आप ध्यानाकर्षण प्रस्ताव लें, मेरा एक निवेदन है। मेरा निवेदन यह है कि सचिवालय से मुझे यह जानकारी मिली है कि आज के लिए सूचीबद्ध ध्यानकर्षण प्रस्ताव आज नहीं लाया जाएगा।

अध्यक्ष महोदय : माननीय मंत्री जी यहीं पर हैं। यदि वह चाहें तो इसे लाए जाने की अनुमति दे सकता हूँ।

[हिन्दी]

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : कॉलिंग अटेंशन के बाद में करें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : पहले हमारा सवाल सुन लें।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : जो काम हाथ में है हम उसे पूरा कर लें।

श्री गुरूदास दासगुप्त : ठीक है। मैं ध्यानाकर्षण नहीं उठा रहा हूँ। मेरा यही कहना है कि यह बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। कल माननीय मंत्री चार घंटे तक यहीं पर थे।

---

*[illegible] सभा और ग्रंथालय में भी रखा गया। देखिए संख्या

अध्यक्ष महोदय : मैंने आपको अनुमति नहीं दी है।

श्री मुकुलदास दासगुप्त : मैं मामले की तह में नहीं जा रहा हूं?

अध्यक्ष महोदय : दासगुप्त जी, यह मेरा निर्णय है। मंत्री जी के बारे में कोई टिप्पणी न कीजिए। अगर कोई व्यक्ति बीमार है तो उसमें हम क्या कर सकते हैं।

श्री मुकुलदास दासगुप्त : महोदय, मैं, इस मामले को उठा रहा हूं। भविष्य निधि पर ब्याज दर कम करने का मामला एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अब मैं यह सुनिश्चित करूँगा कि कुछ भी रिकार्ड पर न जाए। यह उचित समय नहीं है। किसने कहा कि मैं अनुमति नहीं दे रहा हूँ? मैंने आपको वचन दिया है। यह जानते हुए कि आप इसे उठा रहे हैं। आप सभा के वरिष्ठतम सदस्य हैं। क्या आप चाहते हैं कि मैं सभा में आपको वचन दूँ?

श्री मुकुलदास दासगुप्त : जी नहीं।

अध्यक्ष महोदय : तब आप इसे क्यों उठा रहे हैं?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है?

[हिन्दी]

श्री घासीराम ओराम (सुन्दरगढ़) : अध्यक्ष महोदय, मैंने आपको विशेषाधिकार हनन के बारे में एक नोटिस दिया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, वह मामला मेरे विचाराधीन है। अब कोई कुछ न बोले।

मैं पुनः ध्यानाकर्षण पर विचार करने के बारे में सोच रहा था।

अपराह्न 12.14 बजे

अविलम्बनीय लोकमहत्व के विषय की ओर ध्यान दिलाना

(एक) बजट 2005-2006 के दौरान वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, देश के पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर बिहार के 36 पिछड़े जिलों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने की आवश्यकता

अध्यक्ष महोदय : श्री राम कृपाल यादव, कृपया मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराइए।

थोड़ी और सतर्कता बरती जानी चाहिए। ऐसा नहीं है कि अध्यक्ष को ही सतर्क रहना है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : अध्यक्ष महोदय, मैं वित्त मंत्री का ध्यान अविलम्बनीय लोक महत्व के निम्न विषय की ओर दिलाता हूं और प्रार्थना करता हूं कि वह इस संबंध में वक्तव्य दें:

"बजट 2005–2006 के दौरान वित्त मंत्री द्वारा की गई घोषणा के अनुसार, देश के पिछड़े क्षेत्रों विशेषकर बिहार के 36 पिछड़े जिलों के विकास के लिए मास्टर प्लान तैयार किए जाने की आवश्यकता।"

[अनुवाद]

***वित्त मंत्री (श्री पी. चिदम्बरम)** : महोदय, वर्ष 2005–06 का बजट प्रस्तुत करते समय, मैंने पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के सृजन की घोषणा की थी। मैंने 2005–06 के बजट में 5000 करोड़ रुपये आबंटित किये थे। मैंने यह भी घोषणा की थी कि इस कोष के सृजन के बाद मौजूदा राष्ट्रीय सम विकास योजना (आरएसवीआई) को ऐसी समुचित व्यवस्था के साथ समाप्त कर दिया जाएगा जिसके तहत उन सभी जिलों को कवर किया जाएगा जिनमें अभी राष्ट्रीय सम विकास योजना लागू है। इस परिवर्तन व्यवस्था के अंतर्गत, बिहार को आर एस वी आई के तहत सहायता मिलती रहेगी।

मैंने एन सी एम पी की भी बात की थी जिसमें बिहार सहित राज्यों को विशेष आर्थिक पैकेज पर बल दिया गया है। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए।

श्री पी. चिदम्बरम : पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष का खाका तैयार करने और इसका कार्यान्वयन करने के लिए योजना आयोग नोडल एजेंसी है। योजना आयोग ने सूचित किया है कि योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके बारे में संबंधित मंत्रालयों को जानकारी परिचालित कर दी गई है। इसका मसौदा प्रस्ताव शीघ्र ही आर्थिक मामलों संबंधी केबिनेट कमेटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।...*(व्यवधान)*

---

*मंत्रालय में भी रखा गया। देखिए संख्या एल. टी. 3511/05

अध्यक्ष महोदय : यह क्या हो रहा है? मैं मंत्री जी की बात भी नहीं सुन पा रहा हूँ।

श्री पी. चिदम्बरम : फिलहाल, आर एस वी आई की पहल के तहत बिहार के 21 पिछड़े जिले आते हैं। वर्ष 2003–04 से शुरू करके तीन वर्ष के लिए प्रति जिला 45 करोड़ रुपये की राशि अनुमोदित की गई है। 165 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है। किंतु, बिहार सरकार ने आंशिक राशि का ही उपयोगिता प्रमाणपत्र दिया है। आशा है कि शेष राशि के उपयोगिता प्रमाणपत्र यथा समय पर प्रस्तुत कर दिए जाएंगे।

इसके अतिरिक्त, आर एस वी आई के अंग के रूप में बिहार के लिए विशेष योजना के अंतर्गत 2005–06 में 270 करोड़ रुपये की राशि जारी कर दी गई है।...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांति बनाए रखें। यह बड़ा दुर्भाग्यपूर्ण है।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : सर, माननीय मंत्री जी ने ध्यान आकर्षण के जवाब में अपनी बात रखी है। मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान उनके बजट भाषण की ओर आकृष्ट करना चाहूंगा और उनके बजट भाषण से कुछ बातें उद्धत करना चाहूंगा। उसमें उन्होंने कहा था कि "पिछले बजट में पिछड़े जिलों के लिए एक अनुदान निधि की घोषणा होने के बाद इस प्रस्ताव पर काफी विचार–मंथन हुआ है। एक अंतः मंत्रालयी समूह (आई.एम.जी.) ने सामाजिक–आर्थिक रूप से प्रभावित करने वाले मानदंडों के आधार पर 170 पिछड़े जिलों की पहचान की है। आई. एम. जी. ने यह भी प्रस्ताव किया है कि नई सुविधा के अंतर्गत संसाधन, पंचायती राज संस्थाओं को समुचित अधिकार प्रदान किए जाने, जिसमें पदाधिकारियों और निधियों का अंतरण शामिल है, की शर्त पर होंगे। मैं आई. एम. जी. की सिफारिशों को स्वीकार करने का प्रस्ताव करता हूं और मुझे एक पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि की स्थापना की घोषणा करते हुए प्रसन्नता है। वर्ष 2005–2006 के लिए आयोजना में 5,000 करोड़ रुपये का आबंटन किया गया है और अगले चार वर्षों में प्रतिवर्ष इतनी ही राशि आबंटित की जाएगी। इस निधि की स्थापना के परिणामस्वरूप, वर्ष 2006–2007 में समाप्त होने वाली राष्ट्रीय सम विकास योजना (आर.एस.वी.वाई.) का उपयुक्त संक्रमण प्रबंधों, जो अब आर. एस. वी. आई. के अंतर्गत शामिल प्रत्येक जिले को संरक्षित करेंगे, के साथ परिसमापन किया जाएगा।"

दूसरा बजट भाषण जो बिहार के बारे में था, उस पर भी मैं माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित करना चाहूंगा। उसमें उन्होंने कहा था कि "राष्ट्रीय साझा न्यूनतम कार्यक्रम में बिहार, जम्मू व कश्मीर तथा पूर्वोत्तर क्षेत्र के लिए विशेष आर्थिक पैकेजों का उल्लेख है। अब तक बिहार ने आर. एस. वी. वाई. के माध्यम से विशेष सहायता प्राप्त की है। आर. एस. वी. वाई. के अधीन संक्रमण प्रबंध वर्ष 2006–2007 तक जारी रहेंगे। इस बीच बिहार के पिछड़े जिले पिछड़े क्षेत्र अनुदान निधि से सहायता प्राप्त करना आरंभ करेंगे। मैं यह भी उल्लेख करना चाहूंगा कि बिहार की आवश्यकताओं को मान्यता प्रदान करते हुए बारहवें वित्त आयोग ने वर्ष 2005–2010 की अवधि के लिए 7,975 करोड़ रुपये की राशि के प्रचुर अनुदान दिए हैं।"

स्वास्थ्य और शिक्षा के क्षेत्र में विकास के लिए विशेष अनुदान की आवश्यकता वाले कुछ राज्यों में एक राज्य के रूप में बिहार की पहचान की गयी। देश में आजादी के बाद सर्वप्रथम प्रथम पंचवर्षीय योजना जब से लागू हुयी, बिहार की आवश्यकता के अनुरूप राशि आबंटित नहीं की गयी, जिसकी वजह से बिहार आज भी दयनीय स्थिति में है। बिहार की आवाम हमेशा इस ताक में रही कि केंद्र की सरकार हमें मदद करने का काम करेगी और हमारा हक और हिस्सा हमें मिलेगा। झारखंड के बंटवारे के बाद बिहार की स्थिति और भी खराब हो गयी है। जो इस प्रदेश की आमदनी थी, उसकी 70 प्रतिशत राशि, जो बिहार में झारखंड से आती थी, वहां चली गयी है और मात्र 100 में 30 रुपए ही शेष बिहार के लिए हैं, जहां 8 करोड़ की आबादी है, जहां रोड की स्थिति खराब है, जहां बिजली की स्थिति खराब है, जहां स्वास्थ्य और शिक्षा की स्थिति खराब है, जहां पानी की व्यवस्था खराब है, कहीं उद्योग–धंधा नहीं लग सका है, जो भी ज्वाइंट उद्योग बिहार में था वह बंटवारे के बाद सब झारखंड के इलाके में चला गया। एक भी बड़ा उद्योग जो केन्द्र के माध्यम से लगा था, वहां नहीं है। यही नहीं जो शेष बिहार का भू–भाग बचा है, वह खास तौर पर खेत पर निर्भर करता है, खेती पर निर्भर करता है। वहां उपयुक्त यह होता कि बंद चीनी मिलों को फिर से चालू कराने का काम किया गया होता, मगर हमेशा बिहार की उपेक्षा होती रही है। खासतौर पर पूर्ववर्ती सरकार ने लगातार 6 वर्षों तक बिहार के साथ दुर्व्यवहार किया है, सौतेलेपन का व्यवहार करने का काम किया है तथा अपने आप में इतिहास कायम रखा है। पूर्ववर्ती सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत, मैं एक विभाग की बात बताता हूं, किस तरह से बिहार की उपेक्षा एनडीए की सरकार ने की है, मैं उसको उद्धत कर रहा हूं कि प्रतिवर्ष 300 करोड़ की दर से जो राज्य का हिस्सा था, लगभग 1800 करोड़ रुपए की कटौती की। एनडीए की सरकार ने ग्रामीण विकास मंत्रालय के अंतर्गत और विभिन्न विभागों के लिए जो राशि आनी

चाहिए थी, वह नहीं देने का काम किया। वर्तमान यूपीए की सरकार जो पिछड़े और गरीब प्रदेशों के प्रति कमिटेड है, उसके उत्थान के लिए कमिटेड है, जिसके अनुसार माननीय वित्त मंत्री जी ने प्रस्ताव रखा कि देश के 170 ऐसे जिले हैं, जिनके विकास के लिए, जिनके उत्थान के हम 5000 करोड़ रुपए आवंटित करने का काम करेंगे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपका प्रश्न क्या है?

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : बड़े दुर्भाग्य के साथ कहना पड़ रहा है कि माननीय वित्त मंत्री जी ने जो जवाब दिया है, जो वादा किया था, बजट भाषण में जो कमिटमेंट था कि जो 36 जिले बिहार के पिछड़े हुए हैं, एक जिला बचा है, पूरे प्रदेश को विशेष पैकेज देते। परंतु मैं समझता हूं कि उन्होंने गोलमटोल जवाब देने का काम किया है। मैं समझता हूं कि इससे बिहार का कल्याण होने वाला नहीं है। बिहार जो देश का सबसे पिछड़ा हुआ प्रदेश है, गरीबी से वहां की हालत खराब है। मैं पूछना चाहता हूं कि माननीय मंत्री जी कि जो आपने 170 पिछड़े जिलों के लिए घोषणा की थी कि 5000 करोड़ रुपए देंगे, जिसमें बिहार के 36 जिले शामिल थे, उस राशि के बारे में क्या हुआ? 8 महीने हो गए, मगर आप ने एक रुपया भी बिहार के पिछड़े जिलों को देने का काम नहीं किया है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : हर चीज की एक सीमा होती है। आप हर सेकंड नियम का उल्लंघन किए जा रहे हैं।

[हिन्दी]

श्री राम कृपाल यादव : मैं अंतिम प्रश्न पूछकर अपनी बात को समाप्त करूंगा।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, पूछिए।

श्री राम कृपाल यादव : मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहूंगा कि आप कब तक यह पैसा जारी करने जा रहे हैं और बिहार के पूरे तौर पर उत्थान के लिए क्या आपने कोई मास्टर प्लान बनाया है? क्या आप चाहते हैं कि बिहार जो पिछड़ा प्रदेश है, गरीब प्रदेश है, जिसकी हालत बहुत ही खराब है।

अध्यक्ष महोदय : इसका उत्तर इन्होंने दे दिया है।

श्री राम कृपाल यादव : उसके उत्थान के लिए आप भविष्य में कौन सा स्टेप लेने जा रहे हैं? मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी से चाहूंगा कि बिहार के उत्थान के आप क्या कर रहे हैं?

अध्यक्ष महोदय : मंत्री जी जवाब कैसे देंगे? जब आप बैठेंगे तभी तो जवाब देंगे।

[अनुवाद]

मैं आपको यह स्मरण कराना चाहता हूँ–क्योंकि यह आवश्यक हो गया है–कि जो सुविधाएं उन्हें दी गई हैं वे उसका दुरुपयोग करते रहे हैं।

ध्यानाकर्षण के मामले में, मैं बहुत ही उदार रहा हूँ। जबकि नियम यह है कि :

> "ऐसे वक्तव्य पर, जब वह दिया जाए, कोई वाद–विवाद नहीं होगा, परन्तु प्रत्येक सदस्य जिसके नाम में कार्य–सूची में मद दिखाई गई हो, अध्यक्ष की अनुमति से स्पष्टीकरण के लिए प्रश्न पूछ सकेगा और ऐसे सभी प्रश्नों के अन्त में मंत्री महोदय द्वारा उत्तर दिया जाएगा"।

अध्यक्षपीठ से अनुमति मिलती रही है, इसलिए आप माँग कर रहे है। लेकिन अब अनुमति देने का प्रश्न ही नहीं उठता। आप जोर जबरदस्ती कर रहे हैं कि आप जितना भी समय चाहें आपको दिया जाए। ध्यानाकर्षण का सम्पूर्ण प्रयोजन ही खत्म हो रहा है। इसलिए, भविष्य में, मैं इस बात का ध्यान रखूंगा कि अनुमति दी जाए या नहीं।

श्री सीताराम यादव – अनुपस्थित

...(व्यवधान)

[हिन्दी

अध्यक्ष महोदय : आप देख रहे हैं यहां सब लीडर्स हैं। इस तरह से कॉलिंग अटैन्शन का क्या होगा?

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, यह आपकी उदारता की जरूरत है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : (झंझारपुर) : अध्यक्ष महोदय, आपकी अनुमति है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इस किताब को फेंक दीजिए, फिर उदारता देखेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, आप बोलिए। क्वैश्चन पूछिए और थोड़ा लंबा क्वैश्चन पूछिए।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : अध्यक्ष महोदय, एक माननीय सदस्य अनुपस्थित है, उनका भी प्रश्न पूछने की मुझे इजाजत दी जाए। अनुपस्थित सदस्य मेरे ही दल का मैम्बर है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप 20 सेकंड बर्बाद कर चुके हैं।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : माननीय अध्यक्ष महोदय, आजादी की लड़ाई में बिहार सबसे आगे था लेकिन आज तक बिहार को पिछड़ेपन से निजात नहीं मिली है। इसका कारण इस जवाब में है जो बारह बजे आया है। यह जवाब विलंब से आया है। कॉलिंग अटैन्शन का जवाब दस बजे आना चाहिए था क्योंकि माननीय सदस्य उसे देखकर प्रश्न पूछते हैं। माननीय मंत्री जी ने इसमें आंकड़े दिए हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप विवेकशील सदस्य हैं। यह मात्र एक पृष्ठ का वक्तव्य है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आंकड़ों में दिया गया है कि राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत बिहार के 21 पिछड़े जिले हैं। जबकि इन 21 जिलों के बारे में शुरू में कहा गया था कि तीन साल तक एक–एक पिछड़े जिले को 40 करोड़ रुपए आबंटित किए गए हैं और 165 करोड़ रुपए रिलीज किया गया है। राष्ट्रीय सम विकास योजना, स्पेशल प्लॉन के तहत 270 करोड़ रुपया रिलीज किया गया और 21 जिलों को 45 करोड़ रुपए दिए गए, इस तरह से 945 करोड़ रुपए हो जाता है। अब मैं बीच वाले खंड के बारे में बताता हूं इसमें लिखा गया है कि –

[अनुवाद]

"पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष का खाका तैयार करने और इसका कार्यान्वयन करने के लिए योजना आयोग नोडल एजेंसी है। योजना आयोग ने सूचित किया है कि योजना को अंतिम रूप दिया जा रहा है और इसके बारे में संबंधित मंत्रालयों को जानकारी परिचालित कर दी गई है। इसका मसौदा प्रस्ताव शीघ्र ही आर्थिक मामलों संबंधी केबिनेट कमेटी के समक्ष अनुमोदन हेतु प्रस्तुत किया जाएगा।"

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय, यह जवाब बहुत दुर्भाग्यपूर्ण है। मुझे बड़े दुःख के साथ कहना पड़ रहा है कि बिहार के साथ यह नाइंसाफी है। मैंने आपसे इसीलिए निवेदन किया था कि यह कब तक जाता रहेगा? वर्ष 2002 में इसी सर्वोच्च सदन में तत्कालीन वित्त मंत्री ने कहा था कि योजना आयोग के उपाध्यक्ष की अध्यक्षता में एक कोषांग सैल बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए बनेगा, कोषांग सैल गठित होगा। लेकिन उस सैल का हश्र क्या हुआ? आज कहा जा रहा है कि प्लानिंग कमीशन इसे तैयार कर रही है और यह फाइनेलाइजेशन स्थिति में है। उसके बाद सी.सी.ई.ए. में जाएगा, फिर कैबिनेट कमेटी ऑफ इकनॉमिक अफेयर्स में जाएगा और उसके बाद एप्रूवल आएगा। हम भी मिनिस्टर रहे हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, आप जानते हैं कि मामलों को कैसे लटकाया जाता है।

[हिन्दी]

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : यह तो अनंत काल तक होगा। यह बिहार के साथ नाइंसाफी है। कॉलिंग अटैन्शन में पूरे देश के 170 पिछड़े जिले को चयन इन्टरमिनिस्ट्रीरियल ग्रुप ने किया था। लेकिन हमारे जिले का हश्र क्या है? मैं जानना चाहता हूं कि बिहार के उन्नयन के लिए, बिहार के पिछड़ेपन को दूर करने के लिए कालबद्ध योजना के अंतर्गत कब तक स्पैशल पैकेज देंगे?

बिहार के जिलों के लिए, यह आज तक, ऑन दि बेसिस ऑफ गाडगिल फार्मूला, ऑन दि बेसिस ऑफ पापुलेशन नहीं था, ऑन दि बेसिस ऑफ इंटर्नल रिसोर्सिस ऑफ दि कन्सर्निंग स्टेट था और इसी तरह से प्लान बिहार को मिलता रहा है। यदि सरकार की यही नीति रही, तो बिहार का पिछड़ापन सात जन्म तक दूर नहीं होगा। अगर यही स्पीड रही तो बिहार का पिछड़ापन दूर नहीं हो सकता है। इसीलिए ऑन दि बेसिस ऑफ नीड पावर्टी, ऑन दि बेसिस ऑफ पापुलेशन, ऑन दि बेसिस ऑफ स्टेट होना चाहिए न कि ऑन दि बेसिस ऑफ इंटर्नल रिसोर्सिस होना चाहिए। झारखंड बनने के बाद जो नदी नाले रहे गये हैं, खनिज चले गये हैं और बिहार जो बचा हुआ है, उसकी स्थिति अब नॉर्थ ईस्ट स्टेट्स की तरह है। अध्यक्ष महोदय, आपके पड़ोसी राज्य असम की भी यही स्थिति है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : इसलिये तो मैंने आपको अलाऊ किया है।

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : आज बिहार आर्थिक बदहाली से गुजर रहा है। इसलिये मैं मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि बिहार में राष्ट्रीय सम विकास योजना के अंतर्गत उन क्षेत्रों का विकास करें ताकि बिहार

राष्ट्र की मुख्यधारा से जुड़ जाये। इसलिये क्या प्लानिंग कमीशन ने जो सैल गठित करने की बात कही थी, उसमें बिहार के लिये कितनी राशि विमुक्त करने जा रहे हैं। जब तक यह फाइनल होगा, यह प्लानिंग कमीशन में रहेगा, सीसीईए में जाता रहेगा। इससे बिहार नैगलैक्ट होता रहेगा और इस एक्सरसाईज बिहार में से विलम्ब होगा। मैं सरकार से जानना चाहूंगा कि इसे कब तक पूरा किया जायेगा?

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : अध्यक्ष महोदय, माननीय मंत्री जी ने अपने उत्तर में बताया है कि उन्होंने राष्ट्रीय सम विकास योजना के लिये 165 करोड़ रुपया विमुक्त किया है। साथ ही यह भी कहा है कि विशेष योजनाओं के तहत 270 करोड़ रुपया विमुक्त किया है। माननीय मंत्री जी मूल प्रश्न से विचलित होना चाह रहे हैं। ध्यानाकर्षण में मुख्य प्रश्न यह था कि जिन पिछड़े जिलों की पहचान की गई है, पूरे देश के 170 जिले हैं लेकिन बिहार के 38 जिलों में कितने जिलों को छोड़ दिया गया है, कितने जिलों को लिया गया है और शायद इसमें सीवान जिले को छोड़ दिया गया है। मैं आपके माध्यम से कहना चाहता हूं कि माननीय वित्त मंत्री जी ने 28 फरवरी, 2005 को अपने बजट भाषण में कहा था...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप उन लोगों की बात पूछ रहे हैं, कोई नई बात पूछिये।

श्री गणेश प्रसाद सिंह : अध्यक्ष जी, अपने बजट भाषण में वित्त मंत्री जी ने कहा था कि आर्थिक और सामाजिक रूप से पिछड़े क्षेत्रों के लिये एक निधि स्थापित की जायेगी जो स्थापित की गई है और उसने पांच हजार करोड़ रुपये ....(व्यवधान) प्रत्येक वर्ष राशि उपलब्ध कराने का आश्वासन दिया गया था।

अध्यक्ष महोदय : यह बात राम कृपाल यादव पूछ चुके हैं।

श्री गणेश प्रसाद सिंह : मैं वही पूछ रहा हूं कि यह राशि पांच करोड़ रुपये दी जायेगी। माननीय मंत्री जी ने उत्तर में बताया है कि प्लानिंग कमीशन के पास मामला लंबित है लेकिन प्लानिंग कमीशन अभी तक कुछ नहीं कर रहा है। जो राशि विलम्ब से पहुंचे और जिन योजनाओं को स्वीकृत करने में इतना विलम्ब होता हो, क्या मंत्री जी मार्च, 2005 के अंदर इस विशेष योजना के तहत, पिछड़ा क्षेत्र अनुदान योजना के तहत स्वीकृति प्रदान कर राशि विमुक्त करने की कृपा करेंगे?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : माननीय सदस्यों, मैं बड़ी विनम्रतापूर्वक आप सबके सहयोग की अपेक्षा करता रहा हूं। मैंने पहले ही कहा है कि मैं ऐसे किसी सदस्य को बोलने की अनुमति नहीं दूंगा जिसने सूचना न दी हो। अपवाद स्वरूप, आज चूंकि एक सदस्य उपस्थित नहीं है अतः मैं श्री प्रभुनाथ सिंह को अनुमति देता हूं।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, आप उदार हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, मैंने आपको केवल एक प्रश्न पूछने की अनुमति दी है और एक प्रश्न के बाद की सारी बात विलोपित कर दी जाएगी।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके आदेश का पालन करूंगा और कोई लम्बा क्वैश्चन नहीं पूछूंगा।

श्री रविन्दर कुमार राणा (खगड़िया) : अध्यक्ष जी, मैंने भी इसका नोटिस दिया है लेकिन मेरा नाम नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : क्या आपको मालूम है कि किस ढंग से नाम आता है?

श्री रविन्दर कुमार राणा : अध्यक्ष जी, मैंने नाम दिया है।

अध्यक्ष महोदय : आप अपने नेता से पूछ लीजिये।

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी के उत्तर में कहा गया है कि बिहार के इसमें 21 जिलों को शामिल किया गया है ....*(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : श्री प्रभुनाथ सिंह, केवल एक प्रश्न पूछें।

....(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष महोदय, मैं जानना चाहता हूं कि बाकी जिलों का क्या होगा, जो छोड़ दिये गये हैं?

अध्यक्ष महोदय : बाकी जिलों का क्या होगा?

श्री प्रभुनाथ सिंह : अध्यक्ष जी, माननीय मंत्री जी ने कहा है कि वह राष्ट्रीय सम विकास योजना समाप्त कर रहे हैं। इस योजना में बिहार के 21 जिलों के लिये पैसा दिया गया है। उस हिसाब से

45 करोड़ रुपया आबंटित किया गया है लेकिन मेरी जानकारी के अनुसार वह 45 करोड़ रुपया पदाधिकारियों के पास यह कह कर रख दिया है कि वह तय करेंगे कि कौन सा काम होगा, कितना होगा, उसमें तो घपला और लूटपाट होगी। उसमें जनप्रतिनिधियों को शामिल नहीं किया गया है कि वे भी अपने सुझाव दें और उन पर विचार किया जाये।

अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से जानना चाहता हूं कि जो सुझाव जनप्रतिनिधियों ने बिहार सरकार को दिये हैं, क्या उन सुझावों को प्राथमिकता दी जायेगी या नहीं? जिन जिलों को छोड़ दिया गया है, क्या उन जिलों को 21 जिलों के अलावा शामिल किया जायेगा, यह हम जानना चाहते हैं।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : बहुत प्रासंगिक प्रश्न है।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सर, मैंने एकदम प्वाइंटेड क्वैश्चन पूछा है।

अध्यक्ष महोदय : उसी वजह से मैंने आपको अलाऊ किया है।

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, माननीय सदस्यों को स्मरण होगा कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष बनाने का उद्देश्य था–राष्ट्रीय सम विकास योजना का निरन्तर तथा पुनर्गठन। किंतु मैंने स्पष्ट तौर पर कहा था कि जब तक पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष नहीं बनता, राष्ट्रीय सम विकास योजना जारी रहेगी। वास्तव में, यह योजना वर्ष 2003–2004 से जारी है और योजना आयोग इसके आकलन तथा इसे आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमण्डलीय समिति की मंजूरी हेतु प्रस्तुत करने के अंतिम चरणों में है। अतः यह कहना ठीक नहीं होगा कि राष्ट्रीय सम विकास योजना निलम्बित रही है। इसको अभी भी कार्यान्वयन किया जा रहा है और बजट में इसके अंतर्गत उद्दिष्ट राशि भी व्यय की जा रही है। जब पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष बन जाएगा तो वह इस रूप में चलेगी और धनराशि भी इसी नाम से व्यय होगी।

अतः, धन जारी न किए जाने का प्रश्न ही नहीं उठता। मेरे पास पूरे देश के बारे में 22 दिसम्बर, 2005 तक के आँकड़े हैं। 2003–04 में 1,073.25 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी। वह रा.ज.ग. शासनकाल का अंतिम वर्ष था। 2004–2005 में 1,764.25 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी। वह सं.प्र.ग. शासनकाल का प्रथम वर्ष था। और चालू वर्ष में हमने अब तक, राष्ट्रीय सम विकास योजना के तहत देश में 1,041.12 करोड़ रु. की राशि दी है। यदि आप 2002–03 में के. बी. के योजना के तहत उड़ीसा को प्रदत्त 200 करोड़ की राशि भी इसमें जोड़ लें तो अभी तक की कुल दत्त धनराशि 4,051 करोड़ रु. बनती है। लेकिन, आज तक की जानकारी के अनुसार, हमें खर्च केवल 2,256 करोड़ रु. का बताया गया है ...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री गणेश प्रसाद सिंह : बिहार के लिए कितना रिलीज किया है?

[अनुवाद]

श्री पी. चिदम्बरम : उसी पर आ रहा हूं। कृपया थोड़ा रुकिए। आपको मैं आंकड़े दूँगा। हमने, के.वी.के. योजना के अंतर्गत उड़ीसा को दत्त 200 करोड़ रु. की राशि मिलाकर, कुल 4,051 करोड़ रु. की धनराशि जारी की है और सभी राज्यों में हमें प्राप्त खर्च–ब्यौरे के अनुसार कुल 2,256 करोड़ रु. की राशि व्यय हुई है। अब, बिहार की बात करें। बिहार में कतिपय कारणों की वजह से, जिनकी मैं यहाँ चर्चा नहीं करना चाहता, 2003–04 के दौरान इस योजनान्तर्गत कोई धनराशि जारी नहीं की गई। सं.प्र.ग. सरकार ने आकर प्रथम किस्त के रूप में 21 जिलों के लिए 157.50 करोड़ रु. की राशि दी जो 7.50 करोड़ रु. प्रति जिला की दर से थी। अब तक, और चालू वर्ष में, हमें केवल एक ही जिले की ओर से उपयोगिता–प्रमाणपत्र मिला है। हमें जिस जिले से यह प्रमाण–पत्र मिला उसे हमने फिर 7.5 करोड़ रु. दे दिए। दूसरे किसी भी जिले से कुछ भी राशि व्यय होने का हमें कोई प्रमाण–पत्र नहीं मिला।

इसके नियम तो बिल्कुल स्पष्ट हैं। नियमानुसार, जब प्रथम किस्त वे 60% हिस्से के व्यय का प्रमाण आप देंगे तभी दूसरी किस्त जारी की जाएगी। यदि यह प्रमाण नहीं मिलेगा तो सरकार, अपने नियम को तोड़कर अधिक राशि कैसे जारी करेगी? मैं बिहार के सभी माननीय सदस्यों से सम्मानपूर्वक कहना चाहता हूँ कि वे राज्य सरकार – मैं इस या उस पार्टी की सरकार की बात भी नहीं कर रहा हूँ – से आग्रह करें कि वह हमें उपयोगिता–प्रमाणपत्र भिजवाएं ताकि हम धनराशि की अगली किस्त जारी कर सकें।

महोदय इसके अलावा जैसा कि आप सबको विदित है कि

बिहार के लिए एक विशेष योजना के तहत 1000 करोड़ रु. की राशि उद्दिष्ट की गई थी और यह बात मैंने अपने वक्तव्य के आखिरी पैरे में कही भी थी। इस विशेष योजना के अंतर्गत 2005–2006 में बिहार को 270 करोड़ रु. की राशि जारी की गई थी। मैं आदरपूर्वक यह कहना चाहूँगा कि मैं तो केवल धनराशि दे सकता हूँ और संसद से इसे पारित करने का अनुरोध कर सकता हूँ। यदि संसद इसे पारित कर दे, जैसा कि पूर्व में हुआ था, तो धनराशि मिल जाएगी। पर इसे केवल नियमान्तर्गत ही प्रदान किया जा सकता है। बिहार के 21 जिलों को धनराशि नियमान्तर्गत ही उपलब्ध कराई गई है। इसकी अगली किस्त केवल तभी जारी की जा सकती है यदि नियमों का पालन हो और उपयोगिता–प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाएँ। जैसे ही उपयोगिता–प्रमाणपत्र प्रस्तुत किए जाएँगे, धनराशि दे दी जाएगी और मुझे विश्वास है कि पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष के लिए भी योजना आयोग आर्थिक कार्यसंबंधी मंत्रिमंडलीय समिति की मंजूरी प्राप्त कर लेगा...*(व्यवधान)*

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : उसने जो सवाल पूछा था, उसका उत्तर नहीं आया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : क्या राष्ट्रीय सम विकास योजना में अन्य जिलों को भी शामिल किया जाएगा?

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : हमारी जनप्रतिनिधियों के सुझाव वाली बात का क्या हुआ?

श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव : बिहार के विकास के लिए टाइम बाउंड प्लानिंग कब बनेगी?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आपकी ओर से मैंने प्रश्न पूछ लिया है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप ऐसा करेंगे तो मैं उनसे उत्तर देने का नहीं कहूँगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया बैठिए। आपके मसले पर ही आ रहा हूं।

...(व्यवधान)

श्री पी. चिदम्बरम : महोदय, जहां तक जिलों का सवाल है तो जब तक पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष को आर्थिक कार्य संबंधी मंत्रिमडलीय समिति की मंजूरी नहीं मिल जाती, तब तक हम राष्ट्रीय सम विकास योजना को पूर्व से ही चिन्हित 21 जिलों में कार्यान्वित करने के लिए बाध्य है। जब पिछड़ा क्षेत्र अनुदान कोष को मंजूरी मिल जाए तब जिलों को सूचीबद्ध किया जाएगा और केवल तभी मैं उनके नाम बता सकूँगा। कैबिनेट की मंजूरी मिलने के पहले ही मैं जिलों के नाम कैस बता सकता हूँ? इस समय, यह योजना 21 जिलों में चल रही है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : निःसन्देह आपके मामले पर विचार होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : चूँकि माननीय मंत्री यहाँ उपस्थित हैं, अतः हम अगला ध्यानाकर्षण प्रस्ताव, मद सं. 28, लेते हैं।

अपराह्न 12.41 बजे

(दो) कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में कमी किए जाने से उत्पन्न स्थिति

[अनुवाद]

श्री रूपचंद पाल (हुगली) : महोदय, मैं श्रम और रोजगार मंत्री का ध्यान अविलंबनीय लोक महत्व के निम्नलिखित मामले की ओर आकृष्ट करना चाहता हूँ और निवेदन करता हूँ कि वे इस संबंध में वक्तव्य दें:

"कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर में कमी किए जाने से उत्पन्न स्थिति ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कृपया शांत रहिए। अन्यथा मैं सभा की कार्यवाही स्थगित कर बाहर चला जाऊँगा।

*ग्रामीण विकास मंत्रालय में राज्य मंत्री (श्री ए. नरेन्द्र) : महोदय, ब्याज दर की घोषणा कर्मचारी भविष्य निधि योजना, 1952 के उपबंधों द्वारा प्रशासित होती है, जिसके अनुसार निधि के सदस्यों

*मंत्रालय में रखा गया देखिए संख्या एस.टी. 3512/05

के खातों में उपलब्ध जमा राशि पर उस दर पर ब्याज जमा किया जाना अपेक्षित होता है जो केन्द्र सरकार द्वारा कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड के परामर्श से निर्धारित की गयी हो। ब्याज की दर निर्धारित करते समय केन्द्र सरकार स्वयं को इस बात से संतुष्ट करेगी कि 'ब्याज उचंत खाते' से अधिक राशि का आहरण न किया जाये।

केन्द्रीय न्यासी बोर्ड (कर्मचारी भविष्य निधि) ने दिनांक 21.11.2005 और 7.12.2005 को आयोजित अपनी बैठकों में वर्ष 2005–06 के लिए ब्याज की दर के मुद्दे पर विचार–विमर्श किया था। दिनांक 7.12.2005 को आयोजित अपनी बैठक में बोर्ड ने इस मामले में निर्णय लेने के लिए अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड को प्राधिकृत किया था। अध्यक्ष, केन्द्रीय न्यासी बोर्ड, कर्मचारी भविष्य निधि ने तदनुसार, वर्ष 2005–2006 के लिए 8.5% ब्याज दर की घोषणा की है।

तत्पश्चात्, केन्द्रीय श्रमिक संघों व अन्यों ने यह मांग की है कि ब्याज की दर 9.5% से घटाकर 8.5% नहीं की जानी चाहिए। यह मांग 9–10 दिसम्बर, 2005 को आयोजित भारतीय श्रम सम्मेलन के दौरान भी उठायी गयी थी।

कर्मचारी भविष्य निधि के केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिश श्रम और रोजगार मंत्रालय में प्राप्त हो चुकी हैं और इस समय यह मामला मंत्रालय के विचाराधीन है।

श्री रूपचंद पाल : महोदय, माननीय मंत्री जी का यह वक्तव्य संतोषप्रद नहीं है। मैं माननीय मंत्रीजी से जानना चाहता हूँ कि ब्याज दर में एक प्रतिशत की कमी के पीछे तर्क क्या है। दूसरे, मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या यह सत्य है कि सरकार इस कमी के विरूद्ध कर्मचारियों के संगठनों के देशव्यापी विरोध को देखते हुए या उसके आधार पर इस पर गंभीरता से विचार या पुनर्विचार कर रही है।

तीसरे, यह एक बड़ी राशि है और यदि वैसा हुआ तो विशेष जमा योजना में जमा कुल राशि कितनी है और इसका उपयोग किस प्रकार किया जा रहा है?

अंतिम बात, कर्मचारी भविष्य निधि बड़ी संख्या में कर्मचारियों, जिनकी संख्या चार करोड़ से अधिक हो सकती है, से संबंधित एकमात्र सामाजिक सुरक्षा है। ऐसी स्थिति में, जब देश के कर्मचारियों को और कोई सामाजिक सुरक्षा शायद ही उपलब्ध है और जब बड़ी राशि का संग्रह किया जा चुका है, क्या सरकार कर्मचारियों के हितों पर विचार करने के लिए और पहले के मूल स्तर पर ब्याज दर लाने के लिए तैयार नहीं है?

अध्यक्ष महोदय : मैं आपके प्रति कृतज्ञ हूँ। ध्यानाकर्षण की सूचना पर ऐसे ही काम होना चाहिए। मैं इसके लिए श्री रूपचंद पाल जी आपको बधाई देना चाहता हूँ।

श्री बसुदेव आचार्य (बांकुरा) : महोदय, आप उन्हें पहली बार बधाई दे रहे हैं।

श्री सुरेश कुरूप (कोट्टायम) : महोदय, देश ने कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर में कमी करने के सरकार के निर्णय के विरूद्ध व्यापक पैमाने पर विरोध प्रदर्शन देखा है। महोदय, उपलब्ध 12 प्रतिशत ब्याज दर में कमी पूर्व रा.ज.ग. सरकार द्वारा की गयी थी। राजग सरकार द्वारा अपनायी गयी ऐसी नीतियों के कारण ही इस देश की जनता ने उसे सत्ता से बाहर कर दिया। यह सरकार इस देश की जनता के जनादेश के विरूद्ध ऐसा कर रही है। जनता ने उन्हें बहुमत इसलिए नहीं दिया कि वे इस प्रकार के काम करें। यदि यह सरकार भी पिछली सरकार की उन्हीं नीतियों को लागू करती रही तो इस सरकार का भी वैसा ही भविष्य होगा। यह सामाजिक सुरक्षा योजना है।

अध्यक्ष महोदय : कृपया पहले प्रश्न कीजिए और उसके बाद धमकी दी जा सकती है।

श्री सुरेश कुरूप : कर्मचारी भविष्य निधि सरकार और देश के श्रमिकों के बीच प्रसंविदा है। श्रमिकों ने उन पर विश्वास करके रकम जमा की है। सरकार को ब्याज दर को मनमाने ढंग से कम करने का अधिकार ही नहीं है। यह एक ऐसी योजना है जो श्रमिकों को तब मदद करती है जब वे सेवानिवृत्त होते हैं। इसलिए सरकार से यह अपेक्षा नहीं है कि वह उस पर श्रमिकों द्वारा किए गए विश्वास को ठेस पहुँचाए।

महोदय, वित्त मंत्री जी का कहना है कि वे कर्मचारी भविष्य निधि के ब्याज के लिए 1300 करोड़ रुपये जुटा सकने में समर्थ नहीं हैं। जबकि महोदय, वित्त मंत्री कार्पोरेट और इस देश के धनाढ्यों के लिए 700 करोड़ रुपये आसानी से जुटा सकते हैं और यह सरकार दाभोल से संबंधित बहुराष्ट्रीय कंपनियों को कई मिलियन डॉलर मुआवजा दे सकती है जब ये इसका अधिग्रहण करती है। लेकिन सरकार कर्मचारी भविष्य निधि के ब्याज के लिए 1300 करोड़ रुपये नहीं जुटा सकती। यह ब्याज दर रेड्डी समिति की रिपोर्ट की सिफारिश के आधार पर कम की गयी थी।

अध्यक्ष महोदय : मंत्रीजी ने कहा है कि यह मसला विचाराधीन है।

श्री सुरेश कुरूप : महोदय, उस समय मुद्रास्फीति की दर केवल तीन प्रतिशत थी और अब यह दर आठ प्रतिशत तक हो चुकी है। और यह स्वाभाविक है कि सरकार को कम से कम 9.5 प्रतिशत ब्याज दर बनाए रखनी चाहिए।

विशेष जमा योजना, जिसमें समग्र निधि का महत्वपूर्ण भाग जमा किया जाता है, पर ब्याज दर भी कम कर दी गयी है। यदि आप सिर्फ विशेष जमा योजना की ब्याज दर बढ़ा सकते हैं तो कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज दर भी बढ़ा सकते हैं।

इसलिए, मैं चाहता हूं कि सरकार इस संबंध में स्पष्ट उत्तर दे और देश भर के श्रमिकों की मांग पर विचार करते हुए कर्मचारी भविष्य निधि पर ब्याज दर कम से कम 9.5 प्रतिशत रखी जानी चाहिए। मैं यह भी जानना चाहूँगा कि क्या सरकार विशेष जमा योजना पर भी ब्याज दर बढ़ाने पर विचार करेगी।

अध्यक्ष महोदय : श्री हेमलाल मुर्मू मौजूद नहीं हैं, श्री गुरूदास दासगुप्त;

श्री गुरूदास दासगुप्त (पंसकुरा) : संसद में आपकी उस समय की चर्चाओं से जब आप अध्यक्षपीठ पर नहीं थे, मैं यही समझा हूं कि प्रश्न की भूमिका होनी चाहिए...

अध्यक्ष महोदय : मैं एक अच्छा सदस्य नहीं था, मेरा अनुसरण मत कीजिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, वह नए मंत्री हैं और मैं उनके विरूद्ध सख्त भाषा का प्रयोग नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : वह संबंधित मंत्री नहीं हैं। वह बीमार मंत्री के स्थान पर आकस्मिक व्यवस्था के रूप में काम कर रहे हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं उन पर सख्त नहीं हो सकता।

अध्यक्ष महोदय : आपको किसी पर भी सख्त नहीं होना चाहिए।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मैं असत्य पर सख्त हो सकता हूं और असत्य असंसदीय शब्द नहीं है।

अध्यक्ष महोदय : मैं ऐसा नहीं कह रहा हूं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : वक्तव्य के अंतिम भाग में कहा गया है कि केंद्रीय न्यासी बोर्ड की संस्तुति प्राप्त हो गई है। यह पूर्णतया अशुद्ध वक्तव्य है। केंद्रीय न्यासी बोर्ड में नियोक्ता, राज्य और केंद्र सरकारें तथा श्रमिक संघों के प्रतिनिधि होते हैं। मेरे पास देश के समस्त श्रमिक संघों, जिनमें इंटक, बी एम एस, सीटू, एटक तथा अन्य संघ शामिल हैं, का संयुक्त वक्तव्य है। सभी ने विरोध किया है। मुद्दा यह है कि माननीय मंत्री जी ने असत्य वक्तव्य दिया है।

क्या यह सच है कि श्रमिक संघों ने सामूहिक रूप से इसका विरोध किया है? यह बहुपक्षीय समिति है। बहुमत से कोई निर्णय नहीं हो सकता। यदि श्रमिक संघों ने इसका विरोध किया है तो माननीय मंत्री जी यह कैसे कह सकते हैं कि उन्हें केन्द्रीय न्यासी बोर्ड की सिफारिशें प्राप्त हो गई हैं?

सर्वाधिक महत्वपूर्ण प्रश्न यह है कि राष्ट्रीय न्यूनतम साझा कार्यक्रम में कहा गया है: "संप्रग सरकार कर्मचारी भविष्य निधि बोर्ड के साथ विचार–विमर्श और उसके अनुमोदन के बिना कर्मचारी भविष्य निधि पर कभी भी कोई फैसला नहीं लेगी।"

अध्यक्ष महोदय : सरकार ने अभी कोई निर्णय नहीं लिया है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : कर्मचारी भविष्य निधि (क.भ.नि.) बोर्ड ने कोई संस्तुति नहीं की है।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है, आप यह बात कह चुके हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, आप उत्कृष्ट सांसद हैं। आप जानते हैं कि क.भ.नि. बोर्ड कोई एकतरफा फैसला नहीं ले सकता।

अध्यक्ष महोदय : आप यह बात कह चुके हैं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : इसलिए, यह सरकार द्वारा न्यूनतम सांझा कार्यक्रम का उल्लंघन है।

अध्यक्ष महोदय : दासगुप्त जी, मैंने हमेशा यही कहा है कि वक्तव्य में मामला मंत्रालय के विचाराधीन बताया गया है। इसलिए, कोई निर्णय नहीं लिया गया है। मैं यही कह रहा हूं।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, बात यह है कि यह मुद्दे से बचने की सामान्य तरीका है। 'विचाराधीन' का अर्थ सरकार की वचनबद्धता नहीं है। यह संसदीय अपवंचन का अनुपम तरीका है। मंत्री महोदय संसदीय अपवंचन में लगे हैं और संसद को ठीक जानकारी नहीं दे रहे हैं– मैं इसे दिग्भ्रमित करना तो नहीं कहता।

महोदय, मैं कुछ और प्रश्न उठा रहा हूं। भविष्य निधि से लगभग पांच करोड़ लोग जुड़े हुए हैं। यदि हम प्रति परिवार तीन सदस्य भी मानें तो 15 करोड़ लोग इससे संबद्ध हैं। यह देश की सबसे पुरानी और बड़ी सामाजिक सुरक्षा योजना है। सरकार इससे छेड़छाड़ करना चाह रही है। मेरे पास प्रधानमंत्री का वक्तव्य है।

अध्यक्ष महोदय : यह वाद–विवाद नहीं है। आप इतने वरिष्ठ सदस्य हैं। यह स्पष्टीकरण माँगे जाने का प्रश्न है।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मैं स्पष्टीकरण माँग रहा हूँ। ऐसी जानकारी है कि माननीय प्रधानमंत्री और माननीय वित्त मंत्री ने कहा है कि यदि इससे कुछ कमाई हो तो वे इसे कर सकते हैं। इसका अर्थ यह हुआ कि यदि भविष्य निधि में कुल निधि 1,60,000 करोड़ रुपये है और भविष्य निधि से 1,60,000 करोड़ रुपये की कमाई हो तो वे इसे अदा कर सकते हैं। इसके लिए सरकार के अनुमोदन की आवश्यकता नहीं है। मेरा मूल प्रश्न यह है कि 1,60,000 करोड़ रुपये की राशि में से एक लाख करोड़ रुपये विशेष जमा योजना के तहत सरकार के पास जमा है। असल बात यही है।

रा.ज.ग. सरकार ने विशेष जमा योजना पर ब्याज की दर 12 प्रतिशत से घटाकर 8 प्रतिशत कर दी थी। यह सरकार रा.ज.ग. को हराकर सत्ता में आई है। अब वही नीति कैसे जारी रह सकती है? रा.ज.ग. की हार उसकी नीतियों के कारण हुई थी।

अध्यक्ष महोदय : यहाँ पर यह विषय नहीं है। आप यह नहीं कह सकते कि उन्हें हराया जाना चाहिए या नहीं हराया जाना चाहिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, कम से कम विशेष जमा योजना के संबंध में सरकार को ब्याज दर बढ़ाने के लिए तैयार रहना चाहिए। यह मेरा दूसरा प्रश्न है। क्या श्रम मंत्रालय, वित्त मंत्रालय और प्रधानमंत्री के समक्ष पूरी गंभीरता से विशेष जमा योजना पर ब्याज दर बढ़ाने के प्रश्न पर विचार करेगा?

महोदय, मेरा तीसरा प्रश्न यह है कि यह दुधारी तलवार है। यह प्रमुख व्यक्ति के नाते आप इस संबंध में सब कुछ जानते हैं।

अध्यक्ष महोदय : आप असहाय अध्यक्ष को इसमें क्यों घसीटते हैं? अब जारी रखिए और अपना प्रश्न पूछिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त : महोदय, मुझे आपको संबोधित करके ही अपनी बात कहनी है।

अध्यक्ष महोदय : आप मुझे संबोधित कीजिए।

श्री गुरुदास दासगुप्त : मैं किसी ऐसे व्यक्ति को संबोधित नहीं कर सकता। जो अदृश्य हो। मेरी आंखों के सामने आप ही दृश्यमान हैं। मुझे आपको ही संबोधित करना है। मैं अपनी आँखें बंद नहीं कर सकता।

अध्यक्ष महोदय : कृपया ध्यान तो रखिए। आप कृपया मेरी बात और समय का ध्यान रखिए!

श्री गुरुदास दासगुप्त : माननीय अध्यक्ष महोदय, इस सदन में केवल आप ही विचारवान व्यक्ति दिखते हैं और मैं आपको ही संबोधित करूँगा...*(व्यवधान)*। सेवानिवृत्ति पश्चात्, लोग अपनी जमाराशि एक सावधि जमा खाते में डालते हैं और लाभ पाते रहते हैं। विगत वर्षों के दौरान वर्तमान सरकार द्वारा सावधि जमा खातों, चाहें वे बैंकों के अधीन हों या कहीं और – जैसे डाकघरों आदि में – पर ब्याज दर कम कर दी गई है। कुछ मामलों में यह नौ प्रतिशत कर दी गई है लेकिन अधिकांश मामलों में तो यह आठ प्रतिशत ही है। कल्पना कीजिए कि मेरी कमाई इसलिए कम है क्यों कि मुझे आपकी ओर से भुगतान कम हो रहा है। सेवानिवृत्ति पश्चात्, मुझे मिलने वाला लाभ इसलिए कम है क्योंकि सरकार कम भुगतान दे रही है। सेवानिवृत्त होने के बाद मैं अपना धन लेकर डाकघर जाता हूँ। वहां ब्याज–दर कम कर दी गई है। इससे भविष्य निधि में निवेश करने वालों को यह खतरा हो रहा है कि उन्हें अपनी राशि पर सरकार की ओर से ब्याज–दर कम मिलेगी...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : प्रश्न यही है कि क्या ब्याज–दर बढ़ायी जानी चाहिए? यही एक प्रश्न है। और कोई बात?

श्री गुरुदास दासगुप्त : जी नहीं, महोदय। सरकार धीरे–धीरे सामाजिक सुरक्षा कम करती जा रही है। मैं उनपर यह आरोप इसलिए लगा सकता हूं क्योंकि खबर है कि पेंशन योजना हटाई जा रही है। इसको लेकर चर्चाएं हैं। यदि पेंशन योजना हटाई जा रही है, भविष्य निधि का लाभ कम कर दिया जा रहा है तो देश की वयोवृद्ध पीढ़ी का क्या होगा? आखिर क्या होगा उनका? सरकार की आम आदमी के प्रति एक जवाबदेही बनती है। मैं जानना चाहूंगा कि क्या सरकार सामाजिक सुरक्षा मुहैया कराने की अपनी जिम्मेदारी से पल्ला झाड़ सकती है? कल्याणकारी राज्य में सामाजिक सुरक्षा की अनदेखी नहीं की जा सकती। इसे छोड़ा नहीं जा सकता। बाजार–दर पर इसे नहीं रखा जा सकता। सरकार को सामाजिक सुरक्षा देना जारी रखना पड़ेगा और इसके लिए बजट में प्रावधान भी करना होगा। यह करना जरूरी है। 700 करोड़ रु. दिए गए हैं। आप यू. टी. आई. का पुनरुद्धार तो कर सकते हैं। इस सरकार ने कई हजार करोड़ रुपये देकर यू. टी. आई. को उबारा है ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : वह इन प्रश्नों का उत्तर नहीं दे सकते। इनका उत्तर वह कैसे दे सकते हैं?

श्री गुरूदास दासगुप्त : उन्हें इनका उत्तर देना होगा। क्योंकि वह सरकार में हैं, सरकार का प्रतिनिधित्व करते हैं।

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, माफ कीजिए।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : जब सरकार कई हजार करोड़ों रु. देकर यू.टी.आई. को उबार सकती है, एक्रान को उबार सकती है, शेयर बाजार दलालों का भला कर सकती है तो इस देश के 15 करोड़ लोगों को 700 करोड़ रुपये क्यों नहीं दे सकती? यही मेरा बुनियादी सवाल है। यदि सरकार ऐसे ही चलती रही तो इसके गंभीर परिणाम होंगे...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : यह तो प्रश्न नहीं है। यह धमकी है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैं कोई धमकी नहीं दे रहा हूं, सच्चाई बयान कर रहा हूँ।

अध्यक्ष महोदय : इसका आपको हक है।

श्री चंद्रप्पन बोलें।

श्री सी. के. चंद्रप्पन (त्रिचूर) : महोदय, आपने कहा था कि मंत्री महोदय को यह पता नहीं है कि वे आगे काम कर भी सकेंगे या नहीं।

अध्यक्ष महोदय : ऐसा किसने कहा?

श्री सी. के. चंद्रप्पन : आपकी ही प्रतिक्रिया थी, जब रा.ज.ग. सरकार के भविष्य पर सवाल आते हुए कोई धमकी दे रहा था, तो आपने कहा था कि इन्हें तो यह पता भी नहीं कि वह आगे काम कर भी सकेंगे या नहीं। मैं किसी पर आरोप नहीं लगा रहा हूँ, मैं तो यह कह रहा हूँ कि इन्हें दीवार पर लिखी इबारत से आँखें नहीं मूंदना चाहिए...*(व्यवधान)* जब इस तरफ बैठे ये महानुभाव, रा.ज.ग. के हमारे मित्र, सरकार में थे और अक्षम्य कदम उठा रहे थे तो जनता ने इन्हें नकार दिया। इस सरकार ने भी कर्मचारी भविष्य निधि की ब्याज–दर कम करके इस देश के कामगार वर्ग द्वारा इसे प्रदत्त समर्थन के साथ विश्वासघात किया है। अब मैं अपना प्रश्न पूछता हूं।

सं.प्र.ग. कार्यक्रम के क्रियान्वयन के एक अंग के रूप में, यह सरकार 75,000 करोड़ रु. कम करके ग्रामीण निर्धन आबादी के उत्कर्ष हेतु ग्रामीण रोजगार गारण्टी कार्यक्रम शुरू कर रही है। अब दूसरी ओर तो सरकार कर्मचारियों को कर्मचारी भविष्य निधि की उच्च ब्याज–दर देने की अपनी विशेष जिम्मेदारी से मुकर भी रही है। मैं इस सरकार से जानना चाहूँगा कि क्या यह बजटीय सहायता से कर्मचारियों के सहायतार्थ कोई ऐसी योजना बनाएगी जिससे उन्हें वैसा ही लाभ मिल सके, जैसा उन्हें 9.5 प्रतिशत ब्याज–दर प्राप्त करने पर मिलता था।

अपराह्न 1.00 बजे

यही बात है। क्या मैं यह जान सकता हूँ कि क्या आप कर्मचारियों के लिए कोई ऐसी नई योजना शुरू करेंगे जिससे उन्हें अपनी धनराशि पुनः प्राप्त हो सके जितने की उन्हें हानि हो रही थी?

अध्यक्ष महोदय : यह अच्छा प्रश्न है।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, माफ कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : जी नहीं, माफ कीजिए।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : कृपया मुझे माफ करिए। माननीय मंत्री महोदय बोलें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : मुझे माफ करिए। मान जाइए, वरना मैं सभा स्थगित कर दूँगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : खेद की बात है। यह सब क्या है?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ध्यानाकर्षण प्रस्ताव के लिए हुए बैलट में आपके नाम नहीं निकले।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : ठीक है; मंत्री महोदय, अब

देने की आवश्यकता नहीं है। माननीय सदस्यगण, आप उत्तर नहीं चाहते?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह नियम 193 के अधीन चर्चा नहीं है। आपको कहना चाहिए था कि ध्यानाकर्षण प्रस्ताव की आवश्यकता नहीं है आप नियम 193 के अंतर्गत चर्चा चाहते हैं। अब मैं ध्यानाकर्षण प्रस्ताव को चर्चा में परिवर्तित नहीं कर सकता।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : तब इसे नियम 193 के तहत चर्चा के रूप में परिवर्तित कर दिया जाएगा और इस पर अगले सत्र में चर्चा होगी। मैं आपको अनुमति दूँगा; आप नियम 193 के तहत चर्चा की सूचना दे सकते हैं। बहुत अच्छा, तब हमें कार्यवाही स्थगित करने दें।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, हम लोग उत्तर चाहते हैं... *(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जिम्मेदार सदस्यों की ओर से माँग की जा रही है।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : उन्हें उत्तर देने दें...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : हर सदस्य अब प्रश्न पूछना चाहता है। क्या यह ध्यानाकर्षण है या फिर चर्चा?

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : क्या यह ध्यानाकर्षण है? क्या कोई व्यक्ति किसी भी क्षण खड़ा हो सकता है, क्या किसी भी प्रकार का प्रश्न पूछा जा सकता है और क्या कोई भी मांग की जा सकती है?

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : हम क्षमाप्रार्थी हैं, कृपया उत्तर देने की अनुमति प्रदान करें...*(व्यवधान)*

श्री सी. कुप्पुस्वामी (मद्रास उत्तर) : महोदय, मैं कर्मचारी भविष्य निधि ब्याज दर पर एक बात कहना चाहता हूं। ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं अनुमति नहीं दूँगा। यदि आप संतुष्ट नहीं हैं तो आप जो चाहें, सो करें। आप मुझसे छुटकारा पाने के लिए सामान्य प्रस्ताव पेश कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : आप बार-बार अपना रूख नहीं बदल सकते।

[हिन्दी]

श्री ए. नरेन्द्र : चेयरमैन साहब को सीबीटी ने इंटरैस्ट रेट पर डिसिज़न लेने के लिए अथौराइज किया है। इंटरैस्ट रेट पर डिसिज़न इसलिए लेना पड़ा

[अनुवाद]

क्योंकि ब्याज में और विभिन्न प्रकार के निवेशों के कारण शुद्ध आय में कम हो गयी है। कर्मचारी भविष्य निधि (ईपीएफ) का संग्रह 79,764 करोड़ रुपये है और संग्रह निधि से ब्याज नहीं दिया जा सकता। हाल के वर्षों में हुई वर्तमान आय में से ही ब्याज अदायगी करनी होगी। महोदय, 31 मार्च 2005 को ई.पी.एफ. का संग्रह कोष 79,764.48 करोड़ रुपये है।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, मेरा व्यवस्था का प्रश्न है।

अध्यक्ष महोदय : आपका व्यवस्था का प्रश्न क्या है?

श्री गुरूदास दासगुप्त : वह आँकड़े बता रहे हैं जो मुझे सही नहीं लगते।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा, यदि वह सदन को गुमराह कर रहे हैं, तो आप उनके विरूद्ध विशेषाधिकार प्रस्ताव ला सकते हैं, मुझे इसमें कोई आपत्ति नहीं है। विशेषाधिकार प्रस्ताव लाने के लिए आपका स्वागत है। मैं कैसे जान सकता हूँ कि वह सही है या गलत?

श्री ए. नरेन्द्र : कर्मचारियों की पेंशन के आंकड़े 66,445 करोड़ रु. है और कर्मचारियों का बीमा जमा 4,518 करोड़ रु. है। आकस्मिकता निधि 133 करोड़ रु., विशेष आरक्षित निधि 205 करोड़ रु. और अतिरिक्त वसूली 27 करोड़ रु. है जो कुल मिलाकर 365 करोड़ रु. हुआ।

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, क्या यही उत्तर है?

अध्यक्ष महोदय : इसी कारण मैंने आपको शुरू में ही कहा था। लेकिन आपने टिप्पणी की। मैंने आपको बताया था कि संबंधित मंत्री बीमार है, मैंने इसे ध्यानाकर्षन स्वीकार कर गलती की। मैंने

आपसे अनुरोध किया था पर आप उत्तर चाहते थे और आपने टिप्पणी की कि मंत्री जी यहाँ उपस्थित नहीं हैं।

...(व्यवधान)

श्री गुरूदास दासगुप्त : मैंने कोई टिप्पणी नहीं की थी।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री आचार्य, श्री गुरूदास दासगुप्त, आप सभी इस सदन के माननीय सदस्य हैं। आप सभी जानते हैं कि मैं आपका बहुत सम्मान करता हूं। यदि माननीय मंत्री जी, जो स्पष्टतः माननीय श्रम मंत्री के स्थान पर उत्तर दे रहे हैं, आपको संतुष्ट करने में समर्थ नहीं हैं तो क्या किया जा सकता है?

...(व्यवधान)

श्री बसुदेव आचार्य : महोदय, वह हमारे प्रश्नों का उत्तर नहीं दे रहे हैं। इसलिए हम लोग बाहर जा रहे हैं। *...(व्यवधान)*

श्री गुरूदास दासगुप्त : महोदय, सरकार का प्रतिनिधित्व ऐसे काबिल मंत्री को करना चाहिए जो हमारे सभी प्रश्नों का उत्तर दे सके। सरकार उन्हें बलि का बकरा बना रही है। इसलिए हम लोग बाहर जा रहे है *...(व्यवधान)*

अपराह्न 1.06 बजे

(इस समय श्री बसुदेव आचार्य, श्री गुरूदास दासगुप्त और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यह मेरी गलती का परिणाम है। मैंने इस ध्यानाकर्षण को स्वीकार कर गलती की।

श्री ए. नरेन्द्र : भारतीय श्रमिक सम्मेलन में, प्रधानमंत्री ने कहा था कि उपलब्ध ईपीएफ *...(व्यवधान)*

[हिन्दी]

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : आप सरकार के साथ है फिर भी वाक–आउट कर रहे हैं।*...(व्यवधान)*

श्री मोहन सिंह (देवरिया) : अध्यक्ष महोदय, मंत्री जी सही जवाब नहीं दे रहे हैं, इसलिए हम भी अपने दल के साथ हैं *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 1.06½ बजे

(तत्पश्चात श्री मोहन सिंह और कुछ अन्य माननीय सदस्य सभा भवन से बाहर चले गए।)

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे (औरंगाबाद, महाराष्ट्र) : अध्यक्ष महोदय, कर्मचारियों के भविष्य के लिए 9.5 प्रतिशत इंटरेस्ट चाहिए। *...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

श्री ए. नरेन्द्र : इस संबंध में सरकार द्वारा उचित समय पर निर्णय लिया जाएगा।*...(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : श्री खैरे, यह सही तरीका नहीं है। सदन में व्यवधान न डालें।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि आप बाहर जाना चाहते हैं तो आप भी बाहर जा सकते हैं।

[हिन्दी]

श्री चंद्रकांत खैरे : आप बोलने नहीं देना चाहते, इसलिए हम भी जा रहे हैं।*...(व्यवधान)*

[अनुवाद]

अपराह्न 1.07 बजे

(तत्पश्चात श्री चंद्रकांत खैरे सभा भवन से बाहर चले गए।)

अध्यक्ष महोदय : आप अपना उत्तर पूरा कर सकते हैं।

श्री ए. नरेन्द्र : महोदय, यह मामला सरकार के विचाराधीन है।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[अनुवाद]

श्री अनंत कुमार (बंगलौर दक्षिण) : महोदय, मैं एक अविलम्बनीय लोक महत्व का मामला उठाना चाहता हूँ जो कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने से संबंधित है। वस्तुतः, शास्त्रीय भाषा का दर्जा उसकी आरंभिक पुस्तकों और रिकार्ड में दर्ज इतिहास की प्राचीनता, प्राचीन साहित्य, मौलिक साहित्यिक परम्परा और विरासत तथा भाषा रूप की विशिष्टता के आधार पर दिया जाता है।

जैसा कि आपको ज्ञात है और आप समझते भी होंगे कि समूचा दक्षिण भारतीय संगीत कर्नाटक संगीत के नाम से प्रसिद्ध है और पुरंदर दास इस संगीत के पितामह के नाम से प्रसिद्ध हैं। 'महाभारत' में कर्नाटक का उल्लेख आता है। पंढरपुर विट्ठल को भी कन्नड़ विट्ठल के नाम से जाना जाता है।

मैं इस प्रतिष्ठित सभा की जानकारी में यह बात लाना चाहता हूँ कि कन्नड भाषा का प्राचीनतम शब्द 'इसिला' है जिसका उल्लेख सम्राट अशोक के ब्रहमगिरि शिलालेख में मिलता है। यह शिलालेख ईसा पूर्व 252 का है। डी. लुईस राइस ने इस प्राकृत शिलालेख के बारे में वर्ष 1903 के अपने प्रकाशन 'एपीग्राफिया कर्नाटिका' में उल्लेख किया है।

दूसरे, हलमिदी शिलालेख के नाम से प्रसिद्ध एक और शिलालेख है जो हसन जिले के बेलुर तालुक से हलमिदी गाँव में है। यह शिलालेख 450 ई. का है। यह शिलालेख पूरी तरह कन्नड़ लिपि में है।

मैं इस मुद्दे को क्यों उठा रहा हूँ, वह इसलिए क्योंकि पम्प भारत, राणा का गढ़ युद्ध, राघवंक हरिशचंद्र काव्य, कुमार व्यास भरत, वचन साहित्य और बसवेश्वरा ओर शारणों का शारण साहित्य, पुरंदर दास और कनकदास का दास साहित्य, लक्ष्मी शा का जैमिनी भरत तथा भीम कवि का प्रभु लिंगे लीले, ये सभी साहित्यिक कृतियाँ यही जतला रही हैं कि कन्नड़ भाषा महती विरासत वाली एक बहुत ही प्राचीन भाषा है।

दिनांक 10 अक्तूबर, 2004 तक शास्त्रीय भाषा का दर्जा दिए जाने की शर्तें अलग थीं। भारतीय भाषाओं के लिए एक हजार वर्ष की पुरानी होने की शर्त थी। एकाएक, संप्रग सरकार ने 27.10.2005 को इसके मापदंड बदल दिया। मैं इसके पीछे जो तर्क है, उसे जानना चाहता हूँ। मैं केंद्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करे क्योंकि यह भारत की प्राचीन भाषाओं में से है।

संप्रग सरकार से यकायक 27.10.2005 को जो परिवर्तन किया है, मैं उसके पीछे का तर्क जानना चाहता हूं।

मेरा केंद्र सरकार से अनुरोध हैं कि वह कन्नड़ भाषा को शास्त्रीय भाषा का दर्जा प्रदान करे क्योंकि यह भारत की प्राचीन भाषाओं में से है और इसका ढाई हजार वर्ष से भी पुराना साहित्य है।

श्रीमती जयाबहन बी. ठक्कर (वड़ोदरा) : महोदय, इस मामले को उठाने की अनुमति देने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ।' गुजरात सरकार ने केंद्र सरकार से प्रस्तावित औद्योगिक पार्क अध्यादेश और औद्योगिक विवाद अधिनियम, 1947 में संशोधन के लिए अनुमति मांगी है। अभी तक भारत सरकार की अनुमति प्राप्त नहीं हुई है। मेरा केन्द्र सरकार से अनुरोध है कि वह मामले की पुनरीक्षा करें और शीघ्र ही अपनी सहमति प्रदान करे।

[हिन्दी]

श्री संतोष गंगवार (बरेली) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में एक बहुत ही महत्वपूर्ण विषय लाना चाहता हूं। 'गंगा नदी' जिसे हम मां की उपाधि देते हैं, उसका जल बहुत वर्षों से महत्वपूर्ण स्थान रखता है। हम गंगा जल का आचमन करते हैं, परन्तु विगत कई वर्षों से गंगा नदी में प्रदूषणं बढ़ता जा रहा है। इस बारे में निरंतर कहने के बाद भी कोई ध्यान नहीं दिया गया। 14 जून, 1986 को पूर्व प्रधान मंत्री श्री राजीव गांधी ने इसके प्रदूषण को ध्यान में रखकर लोगों को आश्वासन दिया था कि उन्हें वैसा ही निर्मल जल मिलेगा। पिछले 19 वर्षों में इस काम में 1800 करोड़ रुपये खर्च हो चुके हैं। अब यह बताया जाता है कि इसका जल आचमन करने योग्य बिल्कुल नहीं है और उस जल के नहाने से बीमारी हो सकती है। गंगा जल की जो मान्यता है, उस संदर्भ में बहुत समस्याएं सामने आ रही हैं। लोग इस बारे में सरकार को लिख रहे हैं।

मैं आपके माध्यम से सरकार के संज्ञान में लाना चाहता हूं कि गंगा नदी में जितनी भी चीजें आती हैं, उनको रोकने की कोई प्रक्रिया नहीं हुई है। सारी फैक्टरियो के ट्रीटमैंट प्लांट बंद पड़े हैं। मेरा आपसे आग्रह है कि सरकार प्राथमिकता के आधार पर इस ओर ध्यान दे और कोई कार्य योजना बनाकर, एक्शन प्लान बनाकर उसे कार्यान्वित करे जिससे हम गंगा और अन्य नदियों को प्रदूषण से मुक्त कर सकें। इसी के साथ-साथ वाटर का जो लैवल नीचे जा रहा है, उसे भी हम दुरस्त करने का काम करें। वास्तव में गंगा नदी की जो मान्यता है, उसमें हम कुछ सहयोग दे पायेंगे।

मैं आपके माध्यम से सरकार से कहना चाहता हूं कि वे इस संबंध में एक कार्य योजना प्रस्तुत करे।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : अब सभा अपराह्न 2.10 बजे पुनः समवेत होने के लिए स्थगित होती है।

अपराह्न 1.12 बजे

तत्पश्चात् लोक सभा अपराह्न 2.10 बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अपराह्न 2.16 बजे

(लोक सभा मध्याह्न भोजन के पश्चात् अपराह्न 2.10 बजे समवेत हुई)

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए)

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब सभा नियम 377 के अधीन मामलों पर विचार करेगी।

अपराह्न 2.17 बजे

नियम 377 के अधीन मामले

(एक) हिमाचल प्रदेश में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 22 के समुचित रखरखाव और अनुरक्षण के लिए उसे राज्य लोक निर्माण विभाग को सौंपे जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्रीमती प्रतिभा सिंह (मंडी) : महोदय, मैं आपके माध्यम से सदन एवं भारत सरकार के रक्षा मंत्री का ध्यान हिमाचल प्रदेश में भारत–तिब्बत सीमांत जिले किन्नौर तक जाने वाले नेशनल हाइवे नं. 22 की दयनीय दशा की ओर दिलाते हुए निवेदन करना चाहती हूँ कि इस सड़क का रख–रखाव वर्तमान में रक्षा मंत्रालय के अधीन, ग्रैफ (GREF) द्वारा किया जा रहा है। यह ऐसा क्षेत्र है जहां सर्दियों के मौसम में भारी बर्फबारी होती है और नेशनल हाइवे कई घंटे तक बंद रहता है।

महोदय, गैफ साधन तथा धन के अभाव के कारण इस मार्ग का रख–रखाव ठीक प्रकार से नहीं कर पा रही है और मार्ग काफी समय तक अवरूद्ध हो जाता है। इससे स्थानीय नागरिकों, किसानों, बागवानों को बहुत कठिनाई होती है क्योंकि उनकी नकदी फसलें रास्ते बन्द होने के कारण मंडियों तक नहीं पहुंच पाती हैं और उन्हें बहुत घाटा उठाना पड़ता है। पर्यटक भी रास्ता बन्द होने के कारण फंसे रहते हैं।

मेरी आपके माध्यम से रक्षा मंत्री जी से प्रार्थना है कि वे सीमांत जिले किन्नौर को देश से जोड़ने वाले नेशनल हाइवे नं. 22 का रख–रखाव हिमाचल प्रदेश लोक निर्माण विभाग को सौंपे तथा उसे इसका बेहतर रख–रखाव करने हेतु आवश्यक उपकरण, मशीनरी तथा पर्याप्त धनराशि मुहैया कराएं।

सभापति महोदय : श्री मधुसूदन मिस्त्री – उपस्थित नहीं।

(दो) प्रधानमंत्री ग्रामीण सड़क योजना के अंतर्गत लोहरदगा संसदीय निर्वाचन क्षेत्र, झारखंड के गांवों को मुख्य सड़कों से जोड़े जाने की आवश्यकता

डा. रामेश्वर उरांव (लोहरदगा) : महोदय, मेरा संसदीय क्षेत्र लोहरदगा (झारखंड) का एक बड़ा भूभाग जंगलों–पहाड़ों से भरा हुआ है। इनके अंदर अनेक गांव हैं जिनमें आदिवासी, गैर आदिवासी रहते हैं। इन्हें थाना, ब्लॉक कार्यालय तथा जरूरी सामानों के क्रय–विक्रय हेतु बाजार आना पड़ता है। सड़क नहीं रहने के कारण आवागमन में इन्हें काफी दिक्कत होती है। सड़क का बनना अति आवश्यक है।

अतः सरकार से अनुरोध है कि प्रधान मंत्री ग्रामीण सड़क योजना के तहत प्राथमिकता के आधार पर घाघरा, बिशुनपुर, रायडीह, बसिया, कामडारा, चैनपुर, डुमरी प्रखंड (सभी गुमला) तथा सेन्हा, किस्को प्रखंड (लोहरदगा जिला) के जंगल–पहाड़ में बसे गांवों को इस इलाके के मुख्य मार्ग से जोड़ा जाए।

(तीन) अभिभावकों के शोषण को रोकने के लिए निजी स्कूलों के कार्यकरण को विनियमित किए जाने की आवश्यकता

श्री अवतार सिंह भड़ाना (फरीदाबाद) : महोदय, मैं आपका ध्यान देश में निजी विद्यालयों की मनमानी तथा उनके द्वारा धन इकट्ठा करने के लिए अपनाए जा रहे हर प्रकार के हथकंडों के प्रयोग की ओर दिलाना चाहता हूँ। इन विद्यालयों ने शिक्षा को धनोपार्जन का एक सरल माध्यम बना लिया है। बच्चों को भारत

दर्शन भ्रमण करने के लिए अभिभावकों पर दबाव डालकर अच्छी रकम वसूल की जाती है और बच्चों को दूर–दूर के इलाकों के भ्रमण पर ले जाया जाता है।

भ्रमण के दौरान छात्रों को समुद्र में नहाने व अन्य खतरनाक स्थानों पर ले जाया जाता है, जहां अक्सर उनकी जानमाल की रक्षा की उचित व्यवस्था न होने पर बच्चों की मृत्यु तक हो जाती है। देश के अंदर ऐसे कई ज्वलन्त उदाहरण हमारे सामने आए हैं जहां मां–बाप पर दबाव डालकर, स्कूल के अनुशासन की दुहाई देकर, बड़ी–बड़ी रकम भ्रमण के नाम पर निजी स्कूलों द्वारा वसूली गयी और बच्चों को समुद्र में नहाने के लिए ले गए। साथ में गार्ड की व्यवस्था न होने पर भी बच्चों को समुद्र में स्नान कराया गया जहां उनकी मृत्यु हो गयी।

मेरी सरकार से मांग है कि जनवरी, 2005 से अब तक हुई ऐसी घटनाओं की जांच कराकर उन्हें दंडित किया जाए तथा इस बारे में सरकार स्पष्ट दिशानिर्देश दे कि जो अभिभावक बच्चों के लिए पैसा देने में असमर्थ हैं और जो न चाहते हों कि उनका इकलौता बेटा बहुत दिन के लिए उनसे दूर हो, उन पर दबाव न डालें और अगर ऐसी शिकायत आती है तो अविलम्ब स्कूल प्रशासन के खिलाफ सख्त कार्यवाही की जाए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अनुमोदित पाठ के अलावा कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा।

*...(व्यवधान)**

(चार) क्षेत्र के किसानों के हितों की रक्षा को ध्यान में रखते हुए कृषि विभाग, अंडमान और निकोबार द्वीप समूह के कार्यकरण की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

श्री मनोरंजन भक्त (अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह) : सभापति महोदय, अंडमान और निकोबार द्वीपसमूह में उत्पादन और उत्पादकता, फसल उन्नयन, आदि के माध्यम से कृषक समुदाय के कल्याण के लिए जिम्मेवार कृषि विभाग अपना कार्य संतोषजनक तरीके से नहीं कर रहा है। दुर्भाग्यवश, विभाग फसल के रख–रखाव, मृदा और जल संरक्षण तथा लघु सिंचाई जैसे सभी क्षेत्रों में बुरी तरह विफल रहा है।

इन द्वीपसमूहों में बागवानी फसलों की संभावनाओं का ध्यान रखते हुए भारत सरकार ने द्वीप विकास प्राधिकरण की सिफारिशों के अनुसार 50.06 करोड़ रुपये के अनुमानित परिव्यय वाले उच्च मूल्य कृषि कार्यक्रम को अनुमोदित किया था। कृषि विभाग उच्च मूल्य कृषि विकास एजेंसी नामक एजेंसी के माध्यम से इन कार्यक्रमों का दायित्व संभालता है। अनेक किसानों ने 'प्रिस' (पीआरआईएस) के साथ मिलकर क्षेत्रीय (फील्ड) अधिकारियों के मार्गदर्शन में कार्यक्रम में भाग लेकर खेती की। लेकिन आज तक इस योजना से एक भी किसान को कोई लाभ नहीं हुआ है। इसके अलावा, अनेक किसानों ने क्षेत्रीय फील्ड अधिकारियों की सलाह पर भारत सरकार के मानदंडों के अनुसार सहायता प्राप्त करने की आशा से निवेश किया है। किसान लोग कृषि विभाग के कार्यकरण से पूरी तरह असंतुष्ट है। यहाँ पर मैं यह भी जोड़ना चाहता हूँ कि अंडमान जिले की 70 प्रतिशत जनसंख्या और निकोबार जिले की शत–प्रतिशत जनसंख्या किसानों की है जो पूरी तरह कृषि उत्पादों पर ही निर्भर करती है।

इसके अलावा, जंगल से इमारती लकड़ी निकालने पर लगाया गया प्रतिबंध आर्थिक विकल्प और रोजगार के अवसरों पर एक मुख्य कुठाराघात था। इस शिकायत को कम करने के लिए शेखर सिंह आयोग ने औषधीय, सुगन्धित और डाई पादप जैसे गैर–इमारती वन उत्पाद के विकास का प्रस्ताव किया था। तदनुसार, खेती, संग्रहण, प्रसंस्करण और विपणन, आदि को बढ़ावा देने के लिए अंडमान और निकोबार औषधीय पादप बोर्ड का गठन किया गया था। भारत सरकार ने इसका वित्तपोषण किया है किंतु द्वीपवासियों को इसका लाभ नहीं मिला है।

इसलिए, मैं भारत सरकार से अनुरोध करता हूं कि वह इन द्वीपसमूह के किसानों की शिकायतों पर विचार करे और तदनुसार, अंडमान और निकोबार प्रशासन के कृषि विभाग के काम–काज को सुचारू बनाने के लिए तुरन्त निर्णय करें।

(पांच) 1947 में पाकिस्तान से आए हुए और जम्मू-कश्मीर में बस गए व्यक्तियों को राज्य का अधिवास प्रदान किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री गिरधारी लाल भार्गव (जयपुर) : 1947 में देश को आजादी मिलने के साथ ही देश का विभाजन भी हुआ। वहां से हजारों हिंदू परिवारों ने अपनी समस्त चल–अचल सम्पति छोड़ जम्मू व कश्मीर में शरण ली। जम्मू–कश्मीर में बसे इन लोगों को भारत

*कार्यवाही–वृतांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

की नागरिकता तो मिली जिससे ये लोग सभा चुनावों में तो मतदान कर सकते हैं, परंतु जम्मू–कश्मीर की नागरिकता आज तक नहीं मिली, जिससे ये लोग जम्मू–कश्मीर विधान सभा चुनावों में मतदान नहीं कर सकते।

इसके साथ ही वे जम्मू–कश्मीर की नागरिकता से भी वंचित हैं। इस कारण वे राज्य सरकार में सरकारी नौकरी, सरकारी स्कूलों, मेडिकल व इंजीनियरिंग कालेजों, शिक्षा व ऋण सुविधाओं का लाभ लेने से भी वंचित हैं। ये देश की आजादी के 58 वर्ष बाद भी दयनीय जीवन जीने को मजबूर हैं।

मेरा केन्द्रीय सरकार से अनुरोध है कि शीघ्र ही इस समस्या का समाधान करें।

(छह) विदर्भ क्षेत्र के किसानों को कम ब्याज दरों पर ऋण उपलब्ध कराए जाने तथा कपास और सोयाबीन का लाभकारी मूल्य निर्धारित किए जाने की आवश्यकता

श्री सुरेश वाघमारे (वर्धा) : सभापति जी, कृषि भारतीय अर्थव्यवस्था का मुख्य निर्धारक है। 58 प्रतिशत श्रमबल और दो–तिहाई जनसंख्या कृषि पर निर्भर है। सरकार ने अनेक योजनाएं कृषि के लिए चलाई, ग्रामीण क्षेत्र के लिए चलाई, लेकिन ग्रामीणों का पलायन और किसानों की आत्महत्याएं बढ़ रही हैं।

देश में महाराष्ट्र के विदर्भ क्षेत्र के किसानों की आत्महत्या का प्रमाण ज्यादा है कारण कपास और सोयाबीन के कीमतों में गिरावट, किसानों का बकाया ऋण और सिंचाई के लिए बिजली न होना (लोड शैडिंग), स्वामीनाथन कमेटी की रिपोर्ट को देखना सरकार के लिए जरूरी है। जिस पर सरकार सोचे और अमल करे।

मेरे निर्वाचन क्षेत्र वर्धा में त्रस्त ग्रामीणों ने डोर्ली नामक गांव ही बेचने के लिए टी.वी. पर दिखाया है। यह सब चिंता का विषय है। महोदय, जब सैंसेक्स गिरता है, शेयर मार्किट में गिरावट आती है तब सरकार को बहुत ज्यादा चिंता होती है लेकिन किसानों की आत्महत्याओं पर सरकार गंभीर नहीं दिखाई देती है।

मैं सरकार से अनुरोध करता हूं कि कपास के भाव 2700 रुपये प्रति क्विंटल और 1800 रुपये प्रति क्विंटल सोयाबीन के भाव दे, किसानों का ऋण माफ करे, खेती के लिए सिंचाई और हाउसिंग के लिए 4 प्रतिशत ब्याज पर ऋण उपलब्ध कराये तथा ऋण नाबार्ड से प्राप्त कराए। ओ. टी. एस. योजना सभी बैंकों में लागू करें। सिंचाई के लिए बिजली व्यवस्था दे। लोड–शैडिंग बंद करें। इससे ग्रामीण का पलायन रूकेगा, किसानों की आत्महत्याएं नहीं होंगी और भारत की अर्थव्यवस्था मजबूत होगी।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : श्रीमती मनोरमा माधवराज – अनुपस्थित।

(सात) मध्य प्रदेश के मुरैना शहर में रेलवे क्रासिंग पर उपरिपुल/अधोपुल का निर्माण किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

श्री अशोक अर्गल (मुरैना) : सभापति जी, उत्तर मध्य रेलवे के अंतर्गत मुरैना शहर के मध्य रेलवे क्रासिंग है, जिसे रेलवे द्वारा पूरी तरह बंद कर दिया गया है जिसके कारण स्थानीय नागरिकों, छात्रों, छात्राओं, बच्चों को महाविद्यालय, केन्द्रीय विद्यालय, पोलिटेक्निक कॉलेज तथा रिक्से वाले, हाथ ठेले वाले मजदूरों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। रेलवे क्रासिंग से गुजरने के दौरान कई लोगों की रेल से कटकर मौत हो चुकी है, इस संबंध में लम्बे समय से फुट ब्रिज या पुल बनाने की मांग हो रही है लेकिन अभी तक उत्तर मध्य रेल प्रशासन ने इस गंभीर समस्या की ओर कोई ध्यान नहीं दिया है।

अतः मैं भारत सरकार से मांग करता हूं कि उक्त स्थान पर स्थित रेल फाटक को जनहित में खोल दिया जाए या सरकार प्राथमिकता के आधार पर फुट ब्रिज या अंडर ब्रिज बनाने का आदेश प्रदान करे।

(आठ) उत्तर प्रदेश में कॉच से दिबियापुर रेलवे स्टेशन तक नई रेल लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता

श्री भानु प्रताप सिंह वर्मा (जालौन) : मान्यवर, मेरे लोकसभा क्षेत्र जालौन गरौठा, उ.प्र. में एट से कॉच एक शटल चलती है। सन् 1978 में, जब केंद्र में जनता पार्टी की सरकार थी, उस समय कोच से भेढ़ जालौन से औरय्या होते हुए डिबियापुर स्टेशन से रेलवे लाइन को जोड़ने का प्रस्ताव प्राप्त हुआ था। इसमें सर्वे के बाद कुछ मिट्टी का कार्य भी हुआ था इसके बाद कार्य रूक गया। यदि प्रस्ताव पर पुनः कार्यवाही होती है तो जनपद जालौन के साथ जनपद औरय्या के देहात की जनता इसका लाभ ले सकेगी। स्वतंत्रता के बाद से अभी तक जालौन नगर एवं औरय्या जनपद के नागरिकों को रेल की सुविधा प्राप्त नहीं हुयी है। इस क्षेत्र की लगभग 50 लाख जनता इससे लाभान्वित होगी।

अतः मेरी केंद्र सरकार से मांग है, उक्त जगह का पुनः सर्वे

कराकर बजट में धन आबंटन कराने की कृपा करें और पुनः कार्य शुरू करायें ताकि पिछड़े क्षेत्र का विकास हो सके।

(नौ) निर्धन लोगों को सस्ती दरों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित करने के लिए औषध नियंत्रण आदेश की पुनरीक्षा किए जाने की आवश्यकता

[अनुवाद]

श्रीमती मिनाती सेन (जलपाईगुड़ी) : महोदय, मैं सरकार का ध्यान केंद्र सरकार द्वारा अपनाई गई नीतियों के कारण वर्षों से औषधियों के मूल्यों में हो रही भयंकर वृद्धि से उत्पन्न बहुत ही गंभीर समस्या की ओर दिलाना चाहती हूँ। यहाँ पर यह स्मरणीय है कि 1978 में केंद्र सरकार ने औषधियों के मूल्य नियंत्रण के लिए आरंभिक आदेश जारी किया था। यह आदेश हाथी समिति की सिफारिशों के क्रम में जारी किया गया था। हाथी समिति की सिफारिशें औषधियों के मूल्य नियंत्रण और सरकारी क्षेत्र की औषधि विनिर्माणकारी कम्पनियों के हितों की रक्षा के लिए की गई थीं, किंतु औषधि व्यापार की बहुराष्ट्रीय कम्पनियों के दबाव में सरकार ने 1978 के औषध नियंत्रण आदेश के अंतर्गत आने वाली 166 औषधियों की संख्या को घटाकर 30 कर दिया है। इस प्रकार, भारत की जनता, विशेषतः गरीबी रेखा से नीचे जीवन–यापन करने वाली जनता को बहुराष्ट्रीय कम्पनियों की दया पर छोड़ दिया गया है। मैं सरकार से अनुरोध करती हूँ कि निर्धन लोगों को सस्ती दरों पर दवाओं की उपलब्धता सुनिश्चित कराने के लिए औषध नियंत्रण आदेश की समीक्षा करे।

सभापति महोदय : श्री रेवती रमण सिंह – अनुपस्थित।

[हिन्दी]

(दस) पीएमसीएच, पटना, बिहार की सेवाओं में सुधार के लिए बिहार सरकार को वित्तीय सहायता उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

श्री राम कृपाल यादव (पटना) : बिहार में मात्र एक प्रमुख सरकारी अस्पताल पी.एम.सी.एच. पटना की आर्थिक स्थिति दयनीय है। वहां जो व्यवस्था आज से 20 साल पहले थी, वहीं आज भी है। सामान्यतः कम ही हुयी है। पूरे प्रदेश से रोगी वहां इलाज के लिए आते हैं। उन्हें वहां समुचित स्वास्थ्य सहायता या उपचार नहीं मिलता है। इसका सबसे मुख्य कारण आर्थिक स्थिति है, जिसे राज्य सरकार पूरा नहीं कर पा रही है।

अतः मैं इस सदन के माध्यम से माननीय स्वास्थ्य मंत्री जी से अनुरोध करता हूं कि पी.एम.सी.एच., पटना को केंद्रीय आर्थिक सहायता दी जाए।

(ग्यारह) डुमरियागंज संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में नदी के तटबंधों के सुदृढ़ीकरण के लिए उत्तर प्रदेश सरकार को विशेष आर्थिक पैकेज उपलब्ध कराए जाने की आवश्यकता

मो. मुकीम (डुमरियागंज) : मैं आपके माध्यम से सरकार का ध्यान अपने संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश की ओर दिलाना चाहता हूं, जहां प्रति वर्ष बाढ़ से राप्ती नदी के किनारे बसे गांवों – अमरिया, गायघाट, मगरगाह, बनजरहा, कुडजा, जनकटहॉ, रसुलपुर एकडेगवा, गौरा बाजार, अमहवा व घोराही नदी के किनारे सेमरहवा व बानगंगा नदी के किनारे भदवा, अतरी, अमहवा, नन्दवलीया, गजहडा, बैदोली, बूढ़ी राप्ती नदी के किनारे तनेजवा, मटियार, मुहचुरवा तथा कुड़ा नदी के किनारे कुकुर भुकवा, परती बाजार, उस्का आदि गांवों में कटान के कारण लोगों के घर गिर रहे हैं। जिसके कारण लोग बेघर हो रहे हैं तथा जान–माल की क्षति हो रही है। इस मामले की ओर मैंने कई बार भारत सरकार का ध्यान आकर्षित किया, लेकिन आज तक सरकार ने कटान को रोकने के लिए कोई कार्यवाही नहीं की, जिसके कारण लोगों में असुरक्षा की भावना उत्पन्न हो रही है तथा काफी आक्रोश व उत्तेजना को भाव आम लोगों में पैदा होता जा रहा है।

अतः मैं आपके माध्यम से केंद्र सरकार से जनहित में मांग करता हूं कि मेरे संसदीय क्षेत्र डुमरियागंज, जनपद सिद्धार्थ नगर, उत्तर प्रदेश में स्थित राप्ती, घोराही, बानगंगा, बूढ़ी राप्ती व कूडा नदियों के किनारे बसे उक्त गांवों को बाढ़ व कटान से बचाने के लिए विशेष आर्थिक मदद देकर, इसको बचाने का कार्य किया जाए।

(बारह) तमिलनाडु के वेल्लोर संसदीय निर्वाचन क्षेत्र में अरनी टाउन को जोड़ने वाली नई रेलवे लाइन बिछाने के लिए सर्वेक्षण किए जाने की आवश्यकता

प्रो. के. एम. कादर मोहिदीन (वेल्लौर) : माननीय महोदय, मैं माननीय रेल मंत्री का ध्यान अपने निर्वाचन–क्षेत्र वेल्लोर में एक महत्वपूर्ण मुद्दे की ओर दिलाना चाहूँगा। मेरे निर्वाचन क्षेत्र का अर्मी नगर और आसपास का इलाका रेशमी साड़ियों तथा चावल की कई किस्मों सहित कृषि–उत्पादों के लिए प्रसिद्ध है। अर्मी की पट्टुसाड़ियाँ और अर्मी शीराग चम्बा चावल ऐसी बेहतरीन वस्तुएँ हैं

जिनकी अतर्राष्ट्रीय बाज़ार में धूम है। इसके अलावा वस्तुशिल्प सौंदर्य के प्रतीक अनेक मंदिर, जिन्हें रामायण काल का माना जाता है भी पर्यटकों के आकर्षण का केंद्र है। बुनकरों, कृषकों और पर्यटन को बढ़ाना देने के लिए इस क्षेत्र के लोगों की काफी समय से मांग रही है कि अर्मी को देश के रेल–मानचित्र में जगह मिले। रेल मंत्रालय ने उदारतापूर्वक इस अनुरोध पर विचार किया और इसे बजट में शामिल किया, जिसमें है कि "एक नया रेल मार्ग बनाया जाएगा जो टिंडिवनम, वंडावासी, अर्मी, सैटयार, अरकाट और वेल्लौर कटपाडी को जोड़ेगा"। इस क्षेत्र के लोग इस घोषणा से बहुत प्रसन्न थे और उत्साह का अनुभव कर थे। परन्तु, महोदय, यह घोषणा हुए दो वर्ष बीत गए और अभी तक नये रेलमार्ग संबंधी सर्वेक्षण का कोई अता–पता नहीं है। अर्मीवासियों के लिए यह काफी निराश करने वाली बात है।

मैं माननीय रेल मंत्री जी से मेरे निर्वाचन–क्षेत्र के अर्मी इलाके के निवासियों की इस दीर्घकालिक मांग पर ध्यान देने का आग्रह करते हुए अनुरोध करता हूं कि वे यथाशीघ उनके इस चिरप्रतीक्षित स्वप्न को साकार करें।

(तेरह) उड़ीसा में बसे हुए अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों को बाहर निकालने की प्रक्रिया तेज किए जाने की आवश्यकता

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : महोदय, मैं आपका ध्यान बांग्लादेश से समुद मार्ग के माध्यम से आकर उड़ीसा के समुद्र तट पर लगातार बसते जा रहे अवैध बांग्लादेशी घुसपैठियों की और आकर्षित करना चाहता हूं। यह केवल उड़ीसा की ही चिंता नहीं अपितु केंद्र के लिए भी खतरे की घण्टी है। इस बात में संदेह नहीं होना चाहिए कि दुच्चक्र के जरिए हमारी भूमि पर आने वाले अजनबियों को इजाजत दी जा सकती।

हाल ही में, उड़ीसा सरकार ने अवैध आप्रवासियों की पहचान करने और उन्हें निर्वासित करने का अभियान शुरू किया। यह प्रशंसनीय कदम है। लेकिन अधिकारियों ने जिस तरह से काम किया है, वह खेदजनक है। लगभग तीन जिलों में बांग्लादेशी घुसपैठिए भरे पड़े हैं। मुझे पता लगा कि बंगाली भाषा होने का फायदा उठाकर कई बंग्लादेशी अवैध तरीके से उड़ीसा में घुसपैठ करते हैं और अपना एक हिंदू नाम रखकर राजनैतिक संरक्षण पाने का प्रस्ताव करते हैं। कुछ सप्ताह पहले केंद्र सरकार ने राज्य सरकार से उसके निर्णय पर पुनर्विचार करने को कहा। इस बीच, उड़ीसा के तटवर्ती जिलों में घुसपैठियों के अनेक नये जत्थों के पहुंचने की खबरें हैं। ये घुसपैठिए अमूल्य वानस्पतिक संपदा नष्ट करते हैं, अपनी बस्तियां बसाते हैं। प्रतिबंधित जल क्षेत्र में मछली मारते हैं, समुद्री झींगे पकड़ते हैं और स्थानीय लोगों से झगड़ा करते हैं; जिससे पूरे इलाके में पारिस्थितिकीय और सामाजिक व्यवस्था की समस्या उत्पन्न हो गई है। अतएव, इन घुसपैठियों को निकाल बाहर करने की प्रक्रिया तेज किए जाने की आवश्यकता है। मैं यह स्पष्ट करना चाहूंगा कि विभाजन के बाद उड़ीसा के तटवर्ती इलाकों में कभी भी शरणार्थी आकर नहीं बसे थे। मैं सरकार से आग्रह करूंगा कि यह घुसपैठ रोकी जाए और शीघ्रातिशीघ्र अवैध वासियों की पहचान करने का काम शुरू हो।

(चौदह) पुरानी जूट मिलों के आधुनिकीकरण के लिए प्रयास किए जाने तथा जे सी आई द्वारा न्यूनतम समर्थन मूल्य पर जूट उत्पादकों के कच्चे जूट की खरीद सुनिश्चित किए जाने की आवश्यकता

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, जूट उद्योग इस समय बड़े संकट में है। इस साल स्थिति और बिगड़ गई है। सरकार द्वारा दिशानिर्देशों जारी किए जाने के बावजूद, मिल मालिक भारतीय जूट निगम से न्यूनतम समर्थन मूल्य पर कच्चा जूट नहीं खरीद रहे हैं। परिणामस्वरूप, जूट–उत्पादक न्यूनतम समर्थन मूल्य से काफी कम मूल्य पर अपनी उपज बेचने के लिए विवश है।

यह स्थिति जूट–उत्पादकों को पूरी तरह बर्बाद कर देगी और दूसरी ओर, मिलमालिकों द्वारा कच्चे जूट की खरीद न करने से जूट उद्योग में लगे सभी कामगारों का भविष्य अंधकार मय हो गया है।

मिलमालिकों के इस उदासीन रवैये से हमारा जूट उद्योग, जो कि एक समय पूरे देश की शान हुआ करता था, पूरी तरह नष्ट होने के कगार पर है।

अतएव, मैं जूट – उत्पाद को और पूरे जूट उद्योग को बचाने के लिए सरकार से शीघ्र कदम उठाने का आग्रह करता हूं और अनुरोध करता हूँ कि पुरानी जूट मिलों का भी आधुनिक प्रौद्योगिकी के साथ समयबद्ध तरीके से आधुनिकीकरण किया जाए।

(पन्द्रह) शत प्रतिशत केन्द्रीय हिस्सेदारी से बिहार के केन्द्रीय सहकारी बैंकों को पुनर्जीवित करने के लिए आवश्यक कदम उठाए जाने की आवश्यकता

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय,

केन्द्र सरकार ने ग्रामीण किसानों को लाभ पहुंचाने के उद्देश्य से सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक की स्थापना की थी। इस बैंक का उद्देश्य सहकारी कृषि को बढ़ावा देना, किसानों को कृषि हेतु ऋण मुहैया कराना आदि रहा है।

बिहार प्रान्त में सैंट्रल कोआपरेटिव बैंकों की स्थिति सरकार की मदद के अभाव में अत्यंत दयनीय है। इतना ही नहीं, बिहार प्रान्त का छपरा, मधेपुरा और दरभंगा बैंकों की अनुज्ञप्ति रद्द कर गई है। इन बैंकों में किसानों का रुपया जमा है। किसान अपना जमा पैसा अपनी लड़की की शादी, कृषि कार्य आदि के लिये जब लेने जाते हैं तो बैंक द्वारा नहीं दिया जा रहा है, जिसकी वजह से किसानों को अपना पैसा होते हुये भी साहुकारों से मजबूर होकर ऋण लेना पड़ रहा है। इस तरह बिहार राज्य में अन्य जिलों के सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक लगभग बंदी के कगार पर हैं।

इधर केन्द्र सरकार के कृषि मंत्री द्वारा वैद्यनाथन कमेटी की सैंट्रल कोआपरेटिव बैंकों के लिये की गई सिफारिश के बाद 14 हजार करोड़ रुपये की राशि मुक्त की जा रही है, जिसमें राज्य सरकार द्वारा 35 प्रतिशत और केन्द्र सरकार द्वारा 65 प्रतिशत निवेश किया जायेगा। बिहार सरकार की आर्थिक स्थिति अत्यंत ही दयनीय है। बिहार सरकार ऐसी स्थिति में नहीं है कि वह अपना 35 प्रतिशत लगा सके। वैसी स्थिति में बिहार स्थित कोआपरेटिव बैंकों को बचाने के लिये केन्द्र सरकार को फिलहाल 100 प्रतिशत लगाना होगा।

मैं सरकार से मांग करता हूं कि छपरा, मधेपुरा एवं दरभंगा सैंट्रल कोआपरेटिव बैंक की अनुज्ञप्ति पुनः प्रदान कर बैंक चालू कराये ताकि किसानों को उनका पैसा मिल सके एवं बैंक चल सके तथा केन्द्र सरकार द्वारा मुक्त राशि बिहार स्थित बैंकों में 100 प्रतिशत लगाते हुये बंदी के कगार पर चल रहे बैंकों को सुचारू रूप से चलाने हेतु आवश्यक कदम उठायें।

[अनुवाद]

(सोलह) भारतीय सीमा क्षेत्र के भीतर विशेषकर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिले के कुछ भागों में भूटानी मुद्रा के प्रचलन को रोकने की आवश्यकता

श्री जोआकिम बखला (अलीपुरद्वार) : सभापति महोदय, भारतीय क्षेत्र विशेषकर पश्चिम बंगाल के जलपाईगुड़ी और कूच बिहार जिलों के कुछ भागों में भूटान की मुद्रा प्रचलन में है। कुछ बेईमान व्यापारियों द्वारा 1, 2, 5, 10 और 100 रु. मूल्यवर्ग की कागजी मुद्रा चला दी गयी है। चूंकि भारतीय कागजी मुद्रा का मूल्य भूटान की कागजी मुद्रा से कहीं अधिक है, इसलिए उपरोक्त लोगों द्वारा भारतीय कागजी मुद्रा का संग्रह कर लिया जाता है और बदले में भूटान की कागजी मुद्रा और सिक्के चला दिए जाते हैं जो बिल्कुल गलत है और राष्ट्रीय सुरक्षा के लिए खतरा भी। स्थानीय प्रशासन शायद इस स्थिति से पूरी तरह अवगत हो किंतु इस अवैध कार्य को रोकने के लिए अभी तक समुचित कदम नहीं उठाए गए हैं। मैं माननीय गृह मंत्री जी से आग्रह करता हूँ कि वह इस अवैध कार्य पर रोक लगाने हेतु तत्काल कदम उठाए।

(सत्रह) असम में बाढ़ के कारण विस्थापित परिवारों के पुनर्वास के लिए विशिष्ट कार्यक्रम तैयार किए जाने की आवश्यकता

डा. अरूण कुमार शर्मा (लखीमपुर) : सभापति महोदय, देश के बाढ़ प्रभावित राज्यों में विस्थापित हुए भूमिहीन परिवारों के सुव्यवस्थित पुनर्वास के लिए एक विशेष केन्द्रीय योजना बनाने की तत्काल आवश्यकता के बारे में सरकार का ध्यान आकर्षित किया जाता है। केवल असम में ही इस दशक के दौरान बाढ़ तथा भूमि कटाव से 10,000 से भी अधिक परिवार बेघर हो गए हैं। ये परिवार अब सड़कों, तटबंधों और सुरक्षित वन क्षेत्रों में अस्थायी रूप से रह रहे हैं और इनकी अर्थव्यवस्था उपयोग वस्तुओं के खो जाने और भूमि कटाव द्वारा पूरी तरह तहस–नहस हो चुकी है। अब उनके पास आय का कोई भी व्यावहारिक स्रोत नहीं बचा है। सीमित केन्द्रीय राहत निधि से उन्हें एक बार प्रदान की गई राहत से उनकी समस्या का समाधान नहीं हो सका। उनके अस्थायी निवास के कारण उन्हें एन एफ एफ डब्ल्यू पी अथवा एस जी आर वाई अथवा डी आर डी के तहत आई ए आर आवास और रोजगार देने से भी इन्कार कर दिया गया। जब तक सुनामी या भूकंप की तर्ज पर इन लोगों के अर्थपूर्ण पुनर्वास के लिए केन्द्र सरकार द्वारा विशेष कार्यक्रम नहीं बनाया जाता, तब तक व्यापक आर्थिक असमानता के साथ भूखमरी और सामाजिक समस्या आती रहेगी।

इसलिए, मैं केन्द्रीय सरकार से आग्रह करता हूँ कि वह 100 प्रतिशत केन्द्रीय सहायता वाली विशेष योजनाएँ बनाकर इस मामले को राष्ट्रीय जिम्मेदारी समझकर गंभीरता से ले क्योंकि राज्य सरकारें अपने सीमित संसाधन के कारण इस बड़े कार्य का प्रबंध करने में असमर्थ हैं। बाढ़ और भूमि कटाव की पुनरावृत्ति को रोकने के लिए

यांत्रिक नदी प्रशिक्षण द्वारा ट्रेनिंग और नदी तट स्थिरीकरण जैसे गाद निकालने संबंधी तत्काल उपाय भी किये जा सकते हैं। जैसा कि माननीय प्रधानमंत्री द्वारा गठित किए गए कार्यबल में परिकल्पित है। ब्रह्मपुत्र बोर्ड को पर्याप्त धनराशि का आबंटन करके पहले से ही निर्धारित ऐसे कार्यक्रम का शीघ्र क्रियान्वयन सुनिश्चित करने का निदेश दिया जाये।

(अठारह) गुजरात के साबरकांठा जिले में अहमदाबाद-हिम्मतनगर रेलवे लाइन की क्रॉसिंग संख्या 81/ए पर सड़क उपरिपुल का शीघ्र निर्माण किए जाने की आवश्यकता

श्री मधुसूदन मिस्त्री (साबरकंठा) : महोदय, गुजरात के साबरकंठा जिले में पश्चिमी रेलवे की अहमदाबाद – हिम्मत नगर रेलवे लाइन पर रेलवे फाटक संख्या 81/ए हिम्मतनगर शहर से गुजरकर अम्बाजी और राजस्थान में और आगे पश्चिम की ओर जाने वाले यातायात के लिए सिरदर्द साबित हो रहा है। रेल मंत्रालय ने इस रेलवे फाटक (81ए) पर सड़क उपरि पुल के निर्माण की स्वीकृति दे दी है और रेल राज्य मंत्री ने कुछ माह पहले शिलान्यास भी कर दिया है। तथापि, इस सड़क उपरि पुल का निर्माण कार्य आरंभ नहीं किया गया है जबकि रेल मंत्रालय ने पिछले वर्ष और इस वर्ष (2005–06) के रेल बजट में इस रेलवे फाटक पर सड़क उपरिपुल के निर्माण के लिए पहले ही धनराशि का प्रावधान कर दिया गया है।

मैं रेल मंत्रालय से अनुरोध करता हूँ कि वह शेष औपचारिकताओं यदि कोई हों, को पूरा करके इस सड़क उपरि पुल का निर्माण कार्य आरंभ करे ताकि इस रेलवे फाटक संख्या 81/ए से गुजरने वाले वाहन तथा जनता राहत की साँस ले सकें।

अपराह्न 2.47 बजे

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2005

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब हम विधायी कार्य, मद सं. 30, दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार करेंगे।

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूँ:

> "कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872, में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

महोदय, इस विधेयक का आशय भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करना है।

सभापति महोदय : क्या आप इस विधेयक द्वारा तीनों विधानों में संशोधन कर रहे हैं?

श्री शिवराज वि. पाटील : हम इस विधेयक को पेश करके और इसे पारित कराकर इन विधानों के कुछ धाराओं में संशोधन करने का प्रयास कर रहे हैं। इस विधेयक का आशय भारतीय दंड संहिता में एक नयी धारा जोड़ना है। यह नयी धारा 195 क के नाम से जानी जाती है।

भारतीय दंड संहिता में यह प्रावधान है कि गलत साक्ष्य देने वाले व्यक्ति को दंड दिया जा सकता है परन्तु यदि कोई व्यक्ति किसी अन्य व्यक्ति को गलत साक्ष्य देने के लिए प्रेरित करता है अथवा उसे ऐसा करने के लिए धमकी देता है तो उसे विद्यमान भारतीय दंड संहिता के तहत दंडित नहीं किया जा सकता। इस खंड में ऐसे व्यक्ति को भी दंड देने का प्रावधान किया गया है। इसके लिए सात वर्ष की कैद की सजा है परन्तु यदि यह पाया जाता है कि किसी व्यक्ति को गलत साक्ष्य देने के कारण आजीवन कारावास की सजा दी गयी है तो प्रेरित करने वाले या धमकी देने वाले व्यक्ति को भी ऐसी ही सजा दी जा सकती है। उसे न केवल सात वर्ष कैद की सजा दी जा सकती है। बल्कि आजीवन कारावास की सजा भी दी जा सकती है। धारा 195 क में ऐसा प्रावधान किया गया है।

[अनुवाद]

महोदय, यह प्रावधान है कि जब कोई गवाह गलत साक्ष्य देता है या गलत दस्तावेज प्रस्तुत करता है तो उस पर मुकदमा चलाया जा सकता है। लेकिन उस पर मुकदमा चलाने के लिए स्वयं न्यायाधीश द्वारा आवेदन करना जरूरी होता है न कि किसी अन्य व्यक्ति द्वारा। किसी न्यायाधीन जिसे मामलों के संबंध में फैसला देना होता था, के लिए यह बहुत मुश्किल होता था कि वह दूसरे न्यायालय में जाए, शिकायत दर्ज कराए और न्यायालय में हाजिर हो या इसी प्रकार के अन्य कार्य करे। हम अब इस बात का प्रावधान कर रहे हैं कि न्यायाधीश शिकायत दर्ज करा सकता है या वह किसी अन्य अधिकारी को ऐसा करने के लिए प्राधिकृत कर सकता है। यह ऐसा प्रावधान है जो गलत साक्ष्य देने वाले गवाहों पर मुकदमा चलाना आसान बनाता है। यह एक अन्य प्रावधान है।

इस विधेयक का आशय सौदा–अभिवाक का प्रावधान करने के

लिए दंड प्रक्रिया संहिता में अध्यान 21 (क) जोड़ना है। सौदा अभिवाक क्या है? यह एक नया प्रावधान है जो हम दंड प्रक्रिया संहिता में जोड़ रहे हैं। सौदा अभिवाक अन्य देशों के कानून में है। अपराध के संबंध में समझौता करने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रावधान उपलब्ध है, उससे ज्यादा कठोर प्रावधान सौदा अभिवाक है और अभियुक्त को दंड देने के लिए दंड प्रक्रिया संहिता में जो प्रावधान किए गए हैं, उससे यह कम कठोर है। यह एक ऐसा रास्ता है जो इन दो अति स्थितियों के बीच अपनाया जाता है। जब कोई मामला न्यायालय में दर्ज किया जाता है तो कुछ ऐसे प्रावधान है, कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें समझौता किया जा सकता है। आरोपी और शिकायतकर्ता को इन मामलों में समझौता करने की अनुमति दी जा सकती है, समझौता करने की अनुमति दी जाती है। कुछ मामले ऐसे हैं जिनमें मामलों के संबंध में समझौता करने के लिए न्यायालय की अनुमति लेने की जरूरत होती है। और एक बार जब समझौता करने की अनुमति दे दी जाती है तब आरोपी को बरी समझा जाता है। आरोपी दोषमुक्त है और सही–सलामत जा सकता है। यह प्रावधान यानी सौदा अभिवाक का प्रावधान कर हम कह रहे हैं कि थोड़े गंभीर किस्म के मामलों में, जब कोई मुकदमा न्यायालय में दायर होता है तब आरोपित व्यक्ति न्यायालय में जा सकता है और कह सकता है कि मैं अपना अपराध स्वीकार करता हूँ। और उसने सौदा अभिवाक के प्रावधान के तहत स्वेच्छा से अपना अपराध स्वीकार करके न्यायाधीश के लिए निर्णय लेना आसान कर दिया। ऐसे आवेदन के साथ एक शपथपत्र संलग्न होना चाहिए जिसमें वह शपथ लेगा कि ऐसा वह स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के या किसी प्रकार की धमकी के बिना ही कर रहा है, यदि उसे न्यायालय में स्वीकार करना है। यदि न्यायालय इस निष्कर्ष पर पहुँचता है कि वह जो कर रहा है, सही कर रहा है, सही है तब न्यायालय वादी को नोटिस दे सकता है। यदि आरोपी का समर्थन करने वाला वकील वादी वहाँ नहीं है और अन्य वकील को भी नोटिस दिया जा सकता है तब न्यायालय कह सकता है कि वह न्यायालय के बाहर इस मामले पर विचार–विमर्श कर सकता है और वह मामले पर समझौता कर सकता है।

आरोपित व्यक्ति, शिकायतकर्ता, वादी और बचाव पक्ष के वकील न्यायालय के बाहर आपस में इस संबंध में बातचीत कर सकते हैं कि किस प्रकार का समझौता किया जाये। वे यह निर्णय कर सकते हैं कि उन्हें मुकदमें को निपटाने के लिए क्या करना चाहिए ताकि मुकदमा न्यायालय द्वारा खत्म किया जा सके। अपने विवेक से वे यह फैसला कर सकते हैं कि पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिया जाना चाहिए। वे यह निर्णय ले सकते हैं कि आरोपी को न्यायालय में आवेदन करने की अनुमति दी जा सकती है और वह नरमी बरतने या ऐसी ही किसी बात के लिए अनुमति माँग सकता है। जब मसले को न्यायालय में प्रस्तुत किया जाता है तो न्यायालय दोनों पक्षों के बीच हुए समझौते को स्वीकार कर सकता है। न्यायालय को केवल यही देखना है कि सभी कुछ स्वेच्छा से और बिना किसी दबाव के हुआ है। न्यायालय को सिर्फ यही सावधानी बरतनी है। एक बार न्यायालय जब इस निष्कर्ष पर पहुँच जाता है कि ऐसा वे बिना किसी दबाव में आए कर रहे हैं तब न्यायालय उसे स्वीकार कर सकता है।

जब इस प्रकार का समझौता हो जाता है तो उसके साथ कुछ अन्य शर्तों का भी प्रावधान है। यदि किसी अन्य कानून के अनुसार न्यूनतम दंड दिया जाता है तब क्या किया जाये? कई कानून ऐसे हैं जिनके अनुसार पाँच वर्ष का दंड न्यूनतम दंड है जो दिया जा सकता है या पांच वर्ष से कम दंड नहीं दिया जा सकता है। उस मामले में इस सौदा अभिवाक में प्रावधान है कि न्यायालय उस न्यूनतम दंड के आधे के बराबर दंड की अनुमति देगा। इसलिए न्यूनतम दंड का आधा दंड दिया जा सकता है। अन्य मामलों में, जिनमें किसी न्यूनतम दंड का प्रावधान नहीं है, तो न्यायालय दंड के एक चौथाई के बराबर दंड दे सकता है। यहाँ ऐसे प्रावधान किए गए हैं।

कुछ ऐसे मामले हैं जिनमें सौदा अभिवाक की अनुमति नहीं दी जाती है। वे कौन से मामले हैं? यदि किसी आरोपी को मृत्युदंड दिया जाये या यह मामला अत्यंत गंभीर प्रकृति का है। तो ऐसा मामला सौदा अभिवाक के अध्यधीन नहीं आएगा। यदि किसी आरोपी को आजीवन कारावास की सजा दी गयी हो तो ऐसा मामला सौदा अभिवाक हेतु न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। यदि किसी आरोपी को सात वर्ष से अधिक के कारावास की सजा दी गयी हो तो ऐसे मामला सौदा अभिवाक हेतु न्यायालय में नहीं लाया जा सकता। यदि किसी किशोर अपराधी का मामला हो तो उसे मामले को सौदा अभिवाक के तहत ही माना जा सकता। यदि किसी आर्थिक या सामाजिक अपराध का मामला हो तो ऐसे मामलों को सौदा अभिवाक के तहत नहीं माना जा सकता। यही वे शर्तें हैं जिसके तहत सौदा अभिवाक की अनुमति दी जाती है।

सौदा अभिवाक के लाभ क्या है? सौदा अभिवाक के फायदों में से एक फायदा यह है कि पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा दिया जा सकता है। इस कानून में प्रावधान है कि संबंधित पक्षों के बीच बातचीत के दौरान मुआवजे के बारे में फैसला हो सकता है। इसलिए, आरोपी व्यक्ति मुआवजा देगा और पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा मिलेगा। यह एक नयी अवधारणा है। पुराने कानून के तहत, वर्तमान दांडिक विधि शास्त्र के तहत मूल अवधारणा अपराधी

[श्री शिवराज वि. पाटील]

को दंड देना है। यह अवधारणा पीड़ित को मुआवजा देने की नहीं बल्कि अपराधी को दंड देने से संबंधित है। हाल के वर्षों में, हमारे देश और अन्य देशों में और विश्व के अन्य भागों में भी पीड़ित को मुआवजा देने की अवधारणा धीरे–धीरे स्वीकार की जा रही है। किसी अपराधी को दंड देना ही पर्याप्त नहीं है। अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए लेकिन उससे पीड़ित व्यक्ति को कोई स्थायी राहत नहीं मिलती। इसी कारण, पीड़ित व्यक्ति को मुआवजा देने की अवधारणा को स्वीकार किया जा रहा है।

अपराह्न 3.00 बजे

अभी हाल ही में हमने साम्प्रदायिक सौहार्द विधि नामक एक कानून पेश किया है जो साम्प्रदायिक हिंसा को रोकने और पीड़ितों को मुआवजा देने संबंधी कानून है। हमने इसे पेश कर दिया है और यह अगले सत्र या उसके बाद इस सदन में चर्चा के लिए लाया जा सकता है। हमने उसमें यह प्रावधान किया है कि साम्प्रदायिक हिंसा के शिकार लोगों को मुआवजा दिया जाएगा। किसके द्वारा मुआवजा दिया जाएगा? यह मुआवजा उन लोगों द्वारा दिया जा सकता है जो उस क्षेत्र में हिंसा की स्थिति पैदा करने के लिए जिम्मेदार हैं। यह मुआवजा सरकार द्वारा या किसी अन्य न्यास द्वारा या इस प्रयोजनार्थ सृजित किसी अन्य निकाय द्वारा दिया जा सकता है। अन्य देशों में न्यासों का सृजन किया जाता है और वे न्यास हिंसा के शिकार लोगों को मुआवजा दे रहे हैं। इसलिए यह सबसे महत्वपूर्ण प्रावधानों में से एक है कि अपराधी को दंड दिया जाना चाहिए।

जैसा कि माननीय सदस्य ने ठीक ही कहा – अभी–अभी वह यहाँ थे, पता नहीं बैठे हैं या चले गए – कि अपराधी को दण्ड मिलना ही चाहिए। लेकिन यही कहना पर्याप्त नहीं है। पीड़ित को प्रतिपूर्ति भी होनी चाहिए और यह धारणा सभी स्वीकार करते हैं। दाण्डिक न्यायालयों में कई मामले लंबित पड़े हैं और उन्हें समय पर निपटाना संभव नहीं हो पाया है। अब याचिका पर वार्ता से मामलों का निपटारा जल्द होगा और दाण्डिक न्याय भी शीघ्र किया जा सकेगा। यही किया जा रहा है और दाण्डिक न्यायिकता के क्षेत्र में हम यह नवीनतम अवधारणा लेकर आए हैं। अतः, दो बातें हो गई है–याचिका पर वार्ता, अर्थात् दोनों पक्षों को साथ लेकर मामले का निपटान, और दूसरी बात, पीड़ितों की प्रतिपूर्ति तथा इससे इस तरह की स्थितियों का निर्माण कि मामलों का सरलतः निपटान संभव हो जाए।

एक अन्य प्रावधान न्यायालय के समक्ष पेश होने वाले गवाहों के बारे में है। यह एक महत्वपूर्ण बात है। इसमें नौ खंड हैं और इनमें ये सभी बातें लाई गई हैं। यह चूँकि एक संशोधनकारी विधेयक है। अनेक माननीय सदस्यों तथा कई व्यक्तियों द्वारा यह मांग की गई थी कि हमें देश के दाण्डिक कानूनों में संशोधन करना चाहिए ताकि उन्हें अधिक व्यापक और प्रभावी बनाया जा सके।

अब हम देखते हैं कि नए–नए प्रकार के अपराध सामने आ रहे हैं। साइबर अपराध और कई अन्य प्रकार के अपराध देखने को मिल रहे हैं। भारतीय दण्ड संहिता या अन्य दूसरे कानून वर्तमान युग की अपेक्षाओं को पूरा नहीं कर पा रहे हैं। अतः, यह जानने का प्रयास किया जा रहा है कि किस प्रकार के नए अपराध हो रहे हैं और उनसे कैसे निपटा जाए। नयी अपेक्षाओं को पूरा करने के क्रम में, कुछ हद तक, दाण्डिक विधियों में तथा प्रक्रियागत विधि में संशोधन किया जाएगा, साथ ही साक्ष्य–विधि में भी संशोधन होगा। यह इस दिशा में उठाए गए कदमों में से एक कदम है। हमने विगत सत्र में दण्ड प्रक्रिया संहिता (संशोधन) विधेयक पारित किया था, इस सत्र में यह विधेयक पारित कर रहे हैं और आगे भी जो विधेयक पुरः स्थापित होगा उसको पारित करने के लिए सभा के सामने होंगे। हम यह काम टुकड़ों में क्यों कर रहे हैं?...*(व्यवधान)* हमसे यह प्रश्न कई बार पूछा जाता है।

सभापति महोदय : क्या विधि आयोग ने भी इसकी अनुशंसा की है?

श्री शिवराज वि. पाटील : विधि आयोग ने ही याचिका पर वार्ता का सुझाव दिया था। इस प्रयोजनार्थ नियुक्त अन्य संबंधित समितियों ने भी इसका सुझाव दिया था। अन्य देशों में याचिका पर दोनों पक्षों द्वारा वार्ता करने की रीति प्रचलित है। कुल मिलाकर, हम विधि आयोग द्वारा दिए गए सुझावों पर ही अमल करने का प्रयत्न कर रहे हैं। लेकिन सभी सुझावों पर विचार करना और उन्हें लागू करना संभव नहीं हुआ है। यदि आप ऐसा करेंगे तो काफी समय लगेगा। इसीलिए हम कह रहे हैं कि पहले ऐसे सभी सुझावों का संकलन कर लें जो सरलता से स्वीकार्य हों और कार्यान्वित हो सकें, और फिर तदनुसार विधि–संशोधन करके पुनः अन्य प्रकार के सुझावों को लें, उन पर विचार करें तथा फिर संशोधन करें। इस लिए विलम्ब से बचने के लिए हमने यह तरीका अपनाया है। कभी–कभी लोग कहने भी लगते हैं कि "आप इस तरह से क्यों कर रहे हैं, कुछ प्रावधान अभी और कुछ प्रावधान बाद में। ऐसा मत करिए।"

लेकिन हमने सोचा कि एक साथ सभी प्रावधानों पर विचार करने और फिर उन्हें प्रस्तुत करने में लगने वाले विलम्ब से बचा जाए। इसलिए हम जिन प्रावधानों पर सहमत हो जाते हैं, उन्हें ले आते हैं।

यह विधेयक सभा में पुरः स्थापित हुआ था। फिर यह स्थायी समिति को भेजा गया जिसने कतिपय सिफारिशें की। हमने समिति की वे सिफारिशें स्वीकार कर ली हैं। राज्य सभा में भी इस विधेयक पर चर्चा हुई थी। चर्चा के दौरान कुछ माननीय सदस्यों ने कतिपय अच्छे सुझाव भी दिए और सरकार उन्हें स्वीकार करने की स्थिति में थी। वे सुझाव स्वीकार कर लिए और फिर यह विधेयक पुरः स्थापित किया। संशोधित रूप में यह विधेयक इस सभा के समक्ष आया है। मैं आशा करता हूँ कि यह सभा इस विधेयक को स्वीकार और पारित करेगी ताकि हम भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता तथा साक्ष्य–विधि को श्रेष्ठतर बना सकें।

सभापति महोदय : प्रस्ताव प्रस्तुत हुआ :

"कि भारतीय दण्ड संहिता, दण्ड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में और संशोधन करने वाले विधेयक, राज्य सभा द्वारा यथापारित पर विचार किया जाए।"

श्री पी. एस. गढ़वी (कच्छ) : महोदय, मुझे अवसर प्रदान करने के लिए धन्यवाद। मैं इस विधेयक का समर्थन करता हूँ। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहूंगा कि उन्होंने ठीक ही कहा कि हमारे पुराने कानूनों, अर्थात् भारतीय दण्ड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम आदि, जो काफी पुराने हो चुके हैं, में बारीकी से संशोधन किया जाना चाहिए और वे इसी और कार्रवाई करने का प्रयास कर रहे हैं।

दण्ड प्रक्रिया संहिता में कुछ संशोधन तो किए गए थे। शुरू में मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूंगा कि जहां तक याचिका पर वार्ता करवाने संबंधी प्रावधानों की बात है उसके लिए अभियोजकों को प्रशिक्षित किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि इसमें अभियोजक की बहुत महत्वपूर्ण भूमिका होगी। इसके लिए अभियोजक को नोटिस दिया जाए। हमें विदित है कि अदालतों में बड़ी संख्या में लंबित मामले हैं और मेरे विचार से, दोषसिद्धि की दर ऐसे मामलों में मुश्किल से दस प्रतिशत है। इसके कई कारण हैं। मैं इस संशोधनकारी प्रस्ताव का स्वागत करता हूं।

आपको विदित होगा कि हमारी विधि – व्यवस्था एंगलो–सैक्सन न्याय शास्त्र पर आधारित है जिसमें अभियुक्त की निर्दोषिता तथा उसके आधार पर बनी धारणा को लेकर बात की जाती है। अवश्य, इस सोच पर प्रश्न नहीं किया जा सकता किंतु जो अपराध से पीड़ित हुए हैं, जो अपराध के गवाह रहे हैं उन्हें भी निश्चित रूप से यह सुनिश्चित करने का अधिकार है कि दोषियों को सजा मिले। और यह स्पष्ट है कि इस मायने में हमारा अनुभव उत्साहजनक नहीं रहा है, जिसके कारण आखिरकार हमें इस तरह के संशोधन करने पड़ रहे हैं।

महोदय, आपको स्मरण होगा कि दाण्डिक न्याय प्रणाली में तीन घटक होते हैं। पहला– पुलिस, दूसरा – अभियोजक और तीसरा – न्याय प्रणाली। नागरिक कानून में तो हम विवाद–समाधान की वैकल्पिक व्यवस्था ले आए हैं। सिविल न्यायालयों में, न्यायालय के बाहर समझौता कर लेने की भी स्वीकृति है। इसी तरह, इन संशोधनों से भी प्रकरण–निपटान की देरी को न्यूनतम करने में जरूर मदद मिलेगी।

वह संप्रभु दायित्व किसी भी हालत में किसी अन्य प्राधिकारी को नहीं दिया जा सकता। आज क्या स्थिति है? हम पुलिस व्यवस्था की खामियों के कारण कष्ट झेल रहे हैं। हम समुचित अभियोजन न होने की वजह से मुश्किल में है और इसके परिणामस्वरूप समुचित न्याय नहीं मिल पा रहा है।

मुझे यह लगता है कि दोषसिद्धि दर 10 प्रतिशत है। यदि मैं गलत हूँ तो मुझे बताएं। मैं माननीय मंत्री जी से जानना चाहता हूं कि देश में दोषसिद्धि की दर क्या है। यदि अपराधियों के छूट जाने का स्तर यही है तो शायद कहीं कुछ गंभीर खामी हैं जिसे सुधारे जाने की आवश्यकता है।

जब हमें संशोधन के मध्यम से दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन के माध्यम से महत्वपूर्ण उपबंधों पर चर्चा करने का अवसर मिल ही रहा है तो कतिपय संबद्ध और संगत मुद्दों पर भी ध्यान केंद्रित किया जा सकता है। यदि माननीय गृह मंत्री इन मुद्दों पर थोड़ा प्रकाश डालें तो मैं उनका आभारी होऊंगा। देश में पुलिस प्रणाली में सुधार करने के लिए क्या–क्या कदम उठाए जा रहे हैं? पुलिस की जांच क्षमता को सुदृढ़ करने के लिए क्या–क्या कदम उठाए जा रहे हैं? अपराधी इसीलिए दोषमुक्त हो जा रहे हैं क्योंकि जांच समुचित रूप से नहीं हो पा रही है और इसीलिए अभियोजन पक्ष विफल रहता है। शायद पुलिस और जांच तंत्र को प्रभावी प्रशिक्षण सुनिश्चित करने का समय आ गया है। अभियोजन निदेशालय नामक तंत्र की स्थापना की जा सकती है क्योंकि अभियोजकों को समुचित प्रशिक्षण दिए जाने की आवश्यकता होती है। मैं माननीय मंत्री जी से अनुरोध करता हूँ कि इस मुद्दे पर प्रकाश डालें।

दूसरे, मैं याचिका पर वार्ता के संबंध में कुछ टिप्पणियाँ करना चाहता हूं। यह वास्तव में एक स्वागतयोग्य कदम है। मुझे याद है कि श्री ठक्कर की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने स्वयं ही सिफारिश

[श्री पी. एस. गढ़वी]

की थी कि याचिका पर वार्ता क्यों शामिल की जाए। मैं उन कारणों का उल्लेख करना चाहता हूं कि क्यों श्री ठक्कर की अध्यक्षता वाले विधि आयोग ने अपने 142 वें प्रतिवेदन में याचिका पर वार्ता की बात की है। इसमें पांच कारण दिए गए हैं और ये बड़े ही रोचक हैं। "जब गिरफ्तार किए जाने वाले व्यक्ति दोषी होते ही हैं तो फिर मुकदमेंबाजी में क्यों पड़ा जाए? यह पहला कारण दिया गया था। दूसरा कारण यह दिया गया था कि जनता का पैसा बर्बाद नहीं किया जाना चाहिए। तीसरा, याचिका पर वार्ता का एक समझौते के रूप में सुझाव दिया गया था। दोनों पक्ष कुछ पाते और कुछ खोते हैं। चौथा कारण दिया गया था कि मुकदमेंबाजी में समय और धन लगता है। पाँचवां कारण यह था कि दोनों ही पक्ष इसका लाभ उठाते हैं।

ठक्कर आयोग के प्रतिवेदन के आधार पर, याचिका पर वार्ता का उपबंध किया गया है और यह स्वागतयोग्य है। इससे पीड़ित व्यक्तियों को भी सहायता मिलेगी। वास्तव में गरीब आदमी को ही हमेशा कष्ट सहना पड़ता है। कत्ल के अपराध में जब किसी गरीब आदमी को दंडित किया जाता है और फिर वह छूट जाता है तो उसके परिवार को कुछ नहीं मिलता। इस संशोधन में आपने मुआवजे का उपबंध रखा है। मुआवजे से पीड़ित व्यक्ति को कुछ सांत्वना मिलेगी। मेरा विनम्र निवेदन यह है कि दंड प्रक्रिया संहिता, साक्ष्य अधिनियम और भारतीय दंड संहिता में व्यापक संशोधन किए जाने की आवश्यकता है क्योंकि साइबर अपराध और नए तरीके के अपराध बढ़ रहे हैं। माननीय मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि दंड प्रणाली से व्यापक संशोधन करें।

आपने जाली नोटों के मामलों में विशेषज्ञों के साक्ष्य के बारे में उल्लेख किया है। अभी तक, केवल नासिक प्रिंटिंग प्रेस के विशेषज्ञों को ही साक्ष्य देने की अनुमति है। अब, जबकि आप ऐसा संशोधन ला रहे हैं कि अपराध विज्ञान प्रयोगशाला के अन्य विशेषज्ञ भी साक्ष्य दे सकते हैं तो मुझे यह कहना है कि अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं में अभी बहुत कुछ किया जाना शेष है। हमारे देश के अनेक भागों में प्रौद्योगिकीय रूप से विकसित आधुनिक अपराध विज्ञान प्रयोग शाखाएं नहीं हैं। जिसकी वजह से मामलों में विलम्ब होता है। जब कोई मामला अपराध विज्ञान प्रयोगशालाओं को भेजा जाता है तो इसमें कई महीने लग जाते हैं। मेरा सुझाव यह है कि हमारे पास जिला स्तर पर, क्षेत्रीय स्तर पर अच्छी अपराध विज्ञान प्रयोगशालाएं होनी चाहिए।

एक और प्रश्न यह है कि पुलिस जो वक्तव्य लेती है, वे हस्ताक्षरित नहीं होते और इसका परिणाम यह होता है कि बहुत से गवाह अदालत में जाकर मुकर जाते हैं।

अपराह्न 3.14 बजे

(श्री गिरिधर गमांग पीठासीन हुए)

मैं इस बात से सहमत हूँ कि अनुच्छेद 21 के अनुसार हम किसी को अपने खिलाफ साक्ष्य देने के लिए बाध्य नहीं कर सकते। लेकिन यहाँ पर मामला यह है कि पुलिस द्वारा धारा 161 के अंतर्गत बयान लिए जाते हैं जो हस्ताक्षरित नहीं होते। मेरा निवेदन यह है कि इन रिकार्ड किए गए बयानों को तुरंत उच्च अधिकारियों से या न्यायिक अधिकार प्राप्त व्यक्तियों या शपथ दिलाने का अधिकार रखने वाले व्यक्तियों से सत्यापित कराया जाय। उस मामले में यदि ऐसा किया जाए तो लोगों को मुकरने का मौका ही नहीं मिलेगा। कई बार, पुलिस भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। यदि वे किसी को फँसाना चाहते हैं तो अपनी तरह से अपनी पसंद का बयान तैयार कर लेते हैं। ये बयान अदालत में डायरी के रूप में प्रस्तुत किए जाते हैं। हमारा ऐसा अनुभव है कि पुलिस बयान बदल देती है। वे कोई भी काम कर सकते हैं। धारा 161 के अंतर्गत इन सब बातों पर आप विचार कर सकते हैं। जब पुलिस को दिए गए बयान अहस्ताक्षरित हों तो उन्हें यथासंभव शीघ्र ही समयबद्ध तरीके से उच्च अधिकारियों या मजिस्ट्रेट से सत्यापित कराया जाए।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं इस संशोधन विधेयक का समर्थन करता हूँ। मेरा अनुरोध है कि न्यायिक प्रक्रिया संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम तथा अन्य संहिताओं में व्यापक संशोधन किए जाने चाहिए। अब माफिया अपराध, साइबर अपराध, सांप्रदायिक अपराध तथा अन्य अपराध हो रहे हैं। इन सबके लिए व्यापक संशोधन किया जाना अनिवार्य है।

श्री एस. के. खारवेनथन (पलानी) : महोदय, मैं दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 का समर्थन करता हूँ। यह विधेयक भारतीय दंड संहिता, 1973 की दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन करने के लिए लाया गया है।

यह विधेयक 22 अगस्त, 2003 को तत्कालीन उप–प्रधानमंत्री श्री लाल कृष्ण आडवाणी ने पुरः स्थापित किया था। तत्पश्चात् इसे 18 सितम्बर, 2003 को संसदीय स्थायी समिति को भेजा गया। चौदह बैठकों के बाद 18 फरवरी, 2005 को अंतिम प्रतिवेदन तैयार किया गया। यह प्रतिवेदन 2 मार्च को संसद की दोनों सभाओं के पटल पर रखा गया। राज्य सरकार ने इस विधेयक को 13

सितम्बर, 2005 को पारित कर दिया। मूलतः, ये संशोधन दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 161, 162 और 164 में प्रस्तावित थे। धारा 344 के अंतर्गत संशोधन लाया गया था। धारा 161, 162, 164 और 344 के अंतर्गत प्रस्तावित संशोधनों का इस देश के कई वकीलों ने विरोध किया था। बार काउंसिल ऑफ इंडिया तथा तमिलनाडु सहित विभिन्न राज्यों की बार काउंसिलों ने भी इसका विरोध किया था। संसदीय स्थायी समिति ने भी प्रस्तावित संशोधनों का विरोध किया था। मैंने अपनी ओर से और तमिलनाडु बार काउंसिल संघ की ओर से माननीय मंत्री जी को एक ज्ञापन दिया है। दंड न्यायालयों में मुकदमेंबाजी में फंसे लोगों और गरीब दावेदारों के हितों की रक्षा सुनिश्चित करने के लिए मैं माननीय गृह मंत्री जी का अत्यधिक आभारी हूं। पिछली सरकार द्वारा सुझाये गए प्रस्तावित संशोधनों में दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 162 के अंतर्गत गवाह से हस्ताक्षर लिए जाने की बात की गई है और दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 164 में महत्वपूर्ण गवाह का बयान ऐसे मामलों में मजिस्ट्रेटों के समक्ष लिए जाने की बात कही गई है जिनमें सात वर्ष या इससे अधिक के कारावास और यहां तक कि मृत्युदंड तक का भी प्रावधान होता है। इनसे गरीब वादी जनों के हित प्रभावित हो रहे थे। इन उपबंधों को हटा दिया गया। मैं अपनी ओर से और इस देश के वकीलों की ओर से इन जन–विरोधी संशोधनों को हटाने के लिए गृह मंत्री जी का धन्यवद करता हूँ।

मैं सौदा अभिवाक के बारे में प्रस्तावित संशोधन का स्वागत करता हूँ। सौदा अभिवाक के अंतर्गत धारा 265 क से 265 ञ तक एक नया अध्याय जोड़ा गया है। सौदा अभिवाक अमरीका में सफल है। यह विचारण पूर्व वार्ता है। अभी तक भारतीय विधि में सौदा अभिवाक की अवधारणा को मान्यता नहीं दी गई है। किंतु, दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 206(1) और (3) तथा मोटर यान अधिनियम की धारा 208(1) में आरोपी व्यक्ति को छोटे–मोटे अपराध का दोषी होने का अभिवाक करने और थोड़ा बहुत जुर्माना अदा करने का प्रावधान है।

इसमें अभियोजन पक्ष और आरोपी के बीच वार्ता की आवश्यकता नहीं होती। दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 320, अनुमति सहित या उसके बिना, आरोपी और पीड़ित को अपराध के बारे में समझौता करने की सहमति देती है। यहां तक कि प्रक्रिया संहिता की धारा 320 के तहत भी 383 अपराधों में से केवल 53 मामलों के बारे में ही अनुमति सहित या रहित समझौते की सहमति है।

विधि आयोग ने विस्तृत चर्चा के बाद अपनी 142वीं रिपोर्ट में सौदा अभिवाक की सिफारिश की थी। यह हमारी सरकार द्वारा लाया गया एक अच्छा प्रस्ताव और अच्छा संशोधन है। हालांकि, सौदा अभिवाक कोई जबरदस्ती थोपी जाने वाली प्रणाली नहीं है; यह आरोपी व्यक्ति की इच्छानुसार काम करती है।

धारा 265 (ख) के अनुसार, आरोपी को पहले प्रार्थना पत्र देना होता है और यह तब देना होता है जब मजिस्ट्रेट के समक्ष आरोप दाखिल कर दिए गए हों; तब वह प्रार्थनापत्र देता है। अदालत दोनों पक्षों की बात सुनने के लिए प्राधिकृत है। धारा 265 (छ) के अनुसार दोनों पक्षों की बात सुने जाने की अनुमति है। धारा 265 (ङ) (क) पीड़ित व्यक्ति को मुआवजे की व्यवस्था के लिए है। आरोपी के हितों की रक्षा के लिए एक अन्य उपबंध है। यदि आरोपी व्यक्ति धारा 265(ख) और धारा 265(छ) के अधीन मामलों में समझौते के लिए प्रार्थना पत्र देता है तो उसे आरोपी के खिलाफ नहीं माना जा सकता। इससे आरोपी के हितों की रक्षा सुनिश्चित हो सकेगी। यह इस सरकार द्वारा उठाया गया स्वागत योग्य कदम है।

धारा 195(क) के अधीन एक अन्य महत्वपूर्ण उपबंध है भारतीय दंड संहिता की मूल धारा 195 में कहा गया है कि अपराध में दोषसिद्धि साबित करने के इरादे से गलत या गढ़े हुए साक्ष्य देने पर आजीवन कारावास की सजा हो सकती है। अब जो उपबंध लाया गया है उससे स्पष्टतः कहा गया है कि 'किसी व्यक्ति को धमकी देना या प्रोत्साहित करना' अपने आप में दंडनीय अपराध है। इसलिए यह अच्छा संशोधन है। धारा 195 (क) में भी यह कहा गया है कि जहाँ साक्ष्य दिया गया हो वहाँ पर इस बारे में अदालत में मुकदमा चलाया जा सकता है। यह स्वागत योग्य कदम है।

दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 292 के तहत् नकली नोटों, सिक्कों, आदि के बहुत से मामले मजिस्ट्रेट की अदालत में संबंधित अधिकारियों के साक्ष्य के बिना लंबित पड़े हैं। मौजूदा संशोधन से विलम्ब में कमी आएगी और मामलों का शीघ्र निपटान किया जा सकेगा।

इस प्रकार, हमारी सरकार द्वारा–हमारे माननीय गृह मंत्री जी द्वारा – लाए गए संशोधन स्वागत योग्य हैं और मैं पूरी तरह इस विधेयक का समर्थन करता हूँ।

श्रीमती सुस्मिता बाउरी (विष्णुपुर) : महोदय, इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति दिए जाने के लिए मैं आपका धन्यवाद करती हूँ। मैं इस विधेयक का समर्थन करती हूं।

हमारे देश में सर्वोच्च न्यायालय से लेकर निचली अदालतों तक विभिन्न न्यायालयों में लाखों मामले लंबित पड़े हुए हैं। राष्ट्रीय अपराध अभिलेख ब्यूरो के अनुसार, वर्ष 2003 के अंत में जेलों में बंद विचारधीन कैदियों की संख्या 2,17,659 थी। इनमें से

[श्रीमती सुस्मिता बाउरी]

अधिकतर व्यक्ति छोटे–मोटे अपराधों में फंसे हुए हैं। यह बहुत गंभीर मामला है। ये विचाराधीन कैदी सालों–साल जेलों में बंद पड़े रहते हैं। इनमें से अनेक दोषी नहीं पाए जाते। न्यायिक प्रक्रिया में विलंब के कारण उन्हें जेलों में सड़ना पड़ता है। हमारी जेलों की क्या स्थिति है? यह भयावह है।

हमारी सभी जेलों में क्षमता से अधिक कैदी हैं। राष्ट्रीय मानवाधिकार आयोग ने हमारी जेलों में 32.33 प्रतिशत अधिक कैदियों का उल्लेख किया है। स्थिति वास्तव में बहुत खराब है। कैदियों को अमानवीय स्थितियों का सामना करना पड़ता है। देश की प्रत्येक जेल में मानव अधिकारों का उल्लंघन होता है। पूरे तंत्र को दुरूस्त किए जाने की आवश्यकता है। विभिन्न न्यायालयों में न्यायाधीशों के बहुत से पद भी रिक्त पड़े हैं। बकाया मामलों का निपटान करने के लिए इन्हें भरा जाना चाहिए।

मौजूदा दंड प्रक्रिया संहिता में अपराधिक मामलों के निपटान के लिए विचारण की चार प्रक्रियाएं हैं यथा समन प्रक्रिया, वारंट प्रक्रिया, पुलिस केस और शिकायत केस। विचारण के लिए संक्षिप्त प्रक्रिया और सत्र प्रक्रिया होती है। दांडिक अपराधों के विचारण की प्रक्रिया, जैसाकि ऊपर बताया गया है, और दंड प्रक्रिया संहिता में कोई मेल नहीं दिखता क्योंकि निचली अदालतों में बहुत सारे मामले लंबित पड़े हैं और इसके लिए अपराधों के विचारण के लिए अलग प्रक्रिया शुरू किए जाने की आवश्यकता है; और अपराधों के विचारण न्यायिक या न्यायनिर्णयन की ऐसी ही प्रक्रिया विधेयक में 'सौदा–अभिवाक' शीर्षक के तहत लाई गई है। इसे दंड प्रक्रिया संहित के अध्याय 21क में शामिल किए जाने की संभावना है। दंड प्रक्रिया संहिता में विचारण की प्रक्रिया के तुरंत बाद धारा 260 से 265 तक संक्षिप्त विचारण की प्रक्रिया का उल्लेख है।

जैसाकि पहले कहा गया है, नया अध्याय 'सौदा अभिवाक' दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 265 क से 265 ञ तक है। इन उपबंधों के विश्लेषण से यह संकेत मिलता है कि विचारण की इस पृथक प्रक्रिया से बड़ी संख्या में आपराधिक मामलों को निपटाने में बहुत सहायता मिलेगी। कई साल लंबित रहने के बाद याचिका पर विचार होगा। यदि यह याचिका स्वच्छा से दी जाती है तो उस पर गोपनीय रूप से विचार होगा। इस तरह, आरोपित से याचिका लेने के लिए दबाव बनाने का कोई सवाल ही नहीं है। यदि यह याचिका स्वेच्छाकृत प्रतीक होती है तो नये जोड़े गए खंडों के अनुवर्ती दंड, अर्थात् प्रकरण के संतोषप्रद निदान, की भूमिका बन जाएगी।

ऐसा लगता है कि याचिका पर वार्ता का जो प्रावधान है, वह आरोपित के लिए एक विकल्प है। यदि वह इस खंड का लाभ लेता है और स्वेच्छा से याचिका देता है तो अनुवर्ती कृत्य, अर्थात् प्रकरण के संतोषप्रद निदान, की बारी आएगी और प्रकरण का अंतिम फैसला हो जाएगा।

इस अनुभव से आप देखेंगे कि इस प्रक्रिया के तहत काफी संख्या में प्रकरणों का फैसला हो सकेगा। मुझे उम्मीद है कि अभियोजन की यह विशेष प्रक्रिया पूरे समाज के लिए अत्यधिक सहायक होगी।

महोदय, निसंदेह, याचिका पर वार्ता वाले अध्याय में जो दण्डनीय अपराध आते हैं उनकी दण्डावधि 7 वर्ष से कम है। यह बात इस उपबंध के अनुप्रयोग के दायरे में आएगी। सामान्यतः, भारतीय दंड संहिता के तहत 7 साल तक की सज़ा वाले अपराध – प्रकरण प्रथम श्रेणी दण्डाधिकारी 3 साल तक की सज़ा सुना सकता है। याचिका पर वार्ता की प्रक्रिया के साथ जो मुकदमा चलेगा, उसमें अपराध के लिए 7 साल तक की सजा दी जा सकेगी और यही प्रतीत होती है कि यह कार्रवाई मजिस्ट्रेट के द्वारा ही की जाएगी।

यदि ऐसा है, तो मान लीजिए कि यदि मजिस्ट्रेट तीन साल से अधिक की सजा देना चाहे तो वह स्वयं यह सजा नहीं सुना सकेगा। उसे उचित सजा सुनाने के प्रयोजन से यह मामला मुख्य–न्यायिक दण्डाधिकारी के पास भेजना होगा, जिससे देरी होगी। अतः दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 29 को संशोधित करना होगा।

महोदय पूर्ववर्ती भा.ज.पा. सरकार ने दण्ड प्रक्रिया संहिता के उन उपबंधों के प्रभाव को कम करने का कदम उठाया था जो महिलाओं पर अत्याचार के मामले में लागू होते थे और ऐसे प्रकरणों को अन्य मामलों के साथ समन्वित करना चाहा था। इस तरह का बदलावा महिलाओं के अधिकारों के विरूद्ध था। मैं इसे खत्म करने के लिए मंत्री जी को धन्यवाद देती हूँ।

अपराध–मामलों को समन्वित रूप से देखे जाने के संबंध में आशंका यह है कि इस प्रावधान का धनी–मानी और ताकतवर लोगों द्वारा गलत इस्तेमाल किया जा सकता है। यह निर्धन वर्ग के हितों के खिलाफ बात होगी।

महोदय, एक और बात जो मैं कहना चाहती हूँ, वह गवाहों की सुरक्षा के बारे में है। कई मामलों में गवाह मुकर जाते हैं और अपराधी बच जाता है जिससे कानून का मज़ाक बनता है। कई बार गवाहों का पता ही नहीं चलता और उन्हें खत्म ही कर दिया जाता है। अधिकांशत, धनी मानी और ताकतवर लोगों से जुड़े मामलों में गवाह मुकर जाते हैं, चाहें फिर वो जेसिका लाल हत्याकांड हो या फिर बी.एम.डब्ल्यू.कार कांड।

महोदय, बेस्ट बेकरी मामले की गवाह, ज़ाहिरा शेख का मामला मेरी इस बात का एक अच्छा उदाहरण है। इसका ताजातरीन उदाहरण केरल से है जहां एक सैक्स–स्कैण्डल, जिसमें राज्य के एक पूर्व मंत्री की कथित मिलीभगत है, में कुछ गवाहों के मुकर जाने की खबर है। अधिकांश ऐसे मामलों में, जिनमें प्रभावशाली लोग लिप्त रहते हैं, गवाहों को धमकाकर या लालच देकर अपनी ओर मिला लिया जाता है। अतः, गवाहों की सुरक्षा अत्यावश्यक है। लेकिन इस स्थिति से निपटने के लिए देश में कोई स्पष्ट कानून मौजूद नहीं है।

वर्ष 1958 से विधि आयोग ने कितनी ही सिफारिशें की हैं, लेकिन ज्यादातर सिफारिशें गवाहों को भत्ते या सुविधाएँ प्रदान करने से ही संबंधित रहीं। गवाहों की जान की सुरक्षा के उपाय का कोई सुझाव नहीं है। अब इस पहलू पर ध्यान देने का समय आ गया है।

[हिन्दी]

सर, अपनी तरफ से और अपनी पार्टी की तरफ से मैं इस बिल का स्वागत करती हूँ।

[अनुवाद]

इन्हीं, शब्दों के साथ, मैं अपना भाषण समाप्त करती हूं।

[हिन्दी]

श्री गणेश प्रसाद सिंह (जहानाबाद) : महोदय, आपने मुझे दण्ड विधि संशोधन विधेयक, 2003 पर बोलने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभार व्यक्त करता हूँ।

महोदय, मैं आपके माध्यम से और इस सदन के माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान आकर्षित कराना चाहता हूँ कि यह जो भारतीय दण्ड संहिता है, भारतीय साक्ष्य अधिनियम है या भारतीय दण्ड विधान है, ये सभी कानून अंग्रेजों के जमाने के बने हुए हैं और बीच–बीच में जब कभी संशोधन की बात आई तो मामूली धाराओं में कुछ संशोधन किए गए। आप जानते हैं कि इक्के–दुक्के संशोधनों से काम चलने वाला नहीं है। सबसे जटिल समस्या है देश की न्यायिक प्रक्रिया में होने वाला विलम्ब है। न्यायालयों में जो विलम्ब होता है उसके लिए कौन से उपाय किए जाएं, इस पर विचार करने की जरूरत है। खासकर फौजदारी मुकदमों में एक व्यक्ति जवान होता है जब उस पर मुकदमा होता है, लेकिन उस मामले का फैसला तब होता है जब वह बूढ़ा होकर मरने के तुल्य हो जाता है। इसलिए इसके बारे में मेरा सुझाव है कि इनमें व्यापक सुधार करने की आवश्यकता है।

महोदय, इसके अनेक कारण हैं। न्यायालयों में लाखों की संख्या में मुकदमें लंबित हैं, चाहें वह उच्चतम न्यायालय हो, उच्च न्यायालय हो, सत्र न्यायालय हो या फिर निचले स्तर पर मजिस्ट्रेसी या दण्डाधिकारी के न्यायालय हों। इसके लिए न तो कोई कानून बनाया जा रहा है, न कोई संशोधन लाया जा रहा है। इसलिए जनता को त्वरित न्याय दिलाने के लिए इसकी सख्त आवश्यकता है।

महोदय, दूसरी बात मैं यह कहना चाहता हूँ कि न्यायलयों में भी भ्रष्टाचार व्याप्त है, परन्तु इस भ्रष्टाचार को दूर करने के लिए भी सरकार की तरफ से कोई उपाय नहीं किए जा रहे हैं। उसके लिए भी आयोग का गठन किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, ये सारी बातें हैं और जब तक इन कानूनों में व्यापक रूप से संशोधन नहीं होगा, तब तक इनको दूर कर पाना संभव नहीं है। आप देखेंगे कि दण्ड प्रक्रिया संहिता वर्ष 1860 में बनी थीं। बीच में एक बार इसमें वर्ष 1973 में संशोधन किया गया, फिर इसमें वर्ष 2003 में संशोधन लाया गया और अब पुन संशोधन आया है। यह जो संशोधन आया है वह वर्ष 2003 से संशोधन का प्रस्ताव चल रहा था, उसी में कुछ और बातों का जिक्र करके लाया गया है। आप जानते हैं कि जब कोई संज्ञेय अपराध अपराधी करता है तो सबसे पहले वह गवाहों पर हमला बोलता है। जो व्यक्ति गवाहों को डराता–धमकाता है, प्रलोभन देकर साक्ष्य देने से वंचित करता है या फिर यदि कोई व्यक्ति मिथ्या साक्ष्य देता है, उस व्यक्ति को दण्ड देने के लिए इस संशोधन में प्रावधान किया गया है। इस संशोधन के द्वारा धारा 195 (क) में कुछ शब्द जोड़े गए है। इसी प्रकार धारा 161 एवं धारा 162 का भी संशोधन किया गया है और खासकर इसमें एक प्रविष्टि भी जोड़ी गयी है जिससे संबंधित प्रावधान पहले सेक्शन में था।

महोदय, यह संशोधन विधेयक स्वागत योग्य है और मैं इसका समर्थन करता हूँ, लेकिन अन्त में मैं माननीय मंत्री जी से निवेदन करूंगा कि दण्ड प्रक्रिया संहिता, दण्ड विधान और साक्ष्य अधिनियम में आज की परिस्थितियों और घटित हो रही घटनाओं को देखते हुए व्यापक रूप से परिवर्तन किए जाने की आवश्यकता है।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपके प्रति आभार प्रकट करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूँ।

[अनुवाद]

प्रो. के. एम. कादर मोहिदीन (वेल्लौर) : महोदय, आपने मुझे माननीय गृह मंत्री द्वारा वस्तुतः दण्डविधि (संशोधन) विधेयक, 2005

[प्रो. के. एम. कादर मोहिदीन]

पर चर्चा में भाग लेने का अवसर प्रदान किया, इसके लिए आपको बहुत–बहुत धन्यवाद। इस विधेयक का सभी को समर्थन करना चाहिए।

पहली बात तो इसमें यह है कि अभी तक कितने ही लोग झूठी गवाहियाँ देते रहे हैं, पर पहली बार उन्हें दण्ड देने की बात इसमें कही गई है। जो लोग गवाहों को बरगलाते हैं या धमकाते हैं, अब उन्हें सज़ा मिलेगी। यह एक स्वागतयोग्य बात है।

महोदय, इस विधेयक का एक अन्य महत्वपूर्ण पक्ष है – याचिका पर वार्ता का उपबंध। देश के दीवानी और फौजदारी न्यायालयों में मामलों के ढेर लगते जा रहे हैं। मैं इस सामान्य सभा के समक्ष तीन बातों का सुझाव देना चाहूँगा। मैं कोई वकील नहीं हूँ। बल्कि देश के नागरिकों में से ही एक हूँ। एक शिक्षक होने के नाते मेरा तीन बातों का सुझाव है।

अदालतों में लंबित मामलों को तीन श्रेणियों में वर्गीकृत किया जाना चाहिए। पहले तो निपटान की प्रक्रिया बननी चाहिए। सिंगापुर जैसे देश में न्यायालयों के पास रोज़ नए मामले आते हैं। जैसे आप अपने स्थान पर बैठे हैं इसी प्रकार मजिस्ट्रेट भी अपने आसन पर आसीन होता है। पुलिसवाले आरोपित को मजिस्ट्रेट के सामने लाते हैं। सभी आरोपित पंक्तिबद्ध होकर खड़े कराए जाते हैं। पुलिसवाले उनसे पूछते हैं कि उन्होंने अपनी प्राथमिकी दर्ज करा दी है या नहीं। मजिस्ट्रेट आरोपित से पूछता है कि क्या उसने अपराध किया है। यदि आरोपित अपराध करने की बात मान लेता है तो उसे जुर्माने या अन्य प्रकार का दण्ड तत्काल दिया जाता है, कभी तो, दोषी न पाए जाने पर उसे छोड़ भी दिया जाता है। वहाँ इस तरह से मामले निपटते हैं।

दूसरी बात, यदि आरोपित मान लेता है कि उसने अपराध किया है तो उसे वहीं दण्ड सुना दिया जाता है तो उसे अपने मामले की पैरवी के लिए वकील करने का हक़ होता है। इस प्रकार से मामला अदालत पहुँचता है। सिंगापुर जैसे देशों में इस तरह से मामलों का निपटान किया जाता है। इस तरह की प्रक्रिया अपनाने से हमारे देश में भी बहुत सारे मामलों का ढेर नहीं लगेगा। इसका दूसरा पहलू छँटाई प्रक्रिया है। याचिका पर वार्ता का प्रावधान वास्तव में छँटाई प्रक्रिया को पूरा करता है। हमारे माननीय गृह मंत्री ने कहा कि मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और सात वर्ष की कैद के मामलों में याचिका पर वार्ता का यह प्रावधान लागू नहीं होता। अपराध राज्य के कानून के विरूद्ध किया जाने वाला कृत्य है। आध्यात्मिक नेता पाप को भगवान के कानून के विरूद्ध किये गए कृत्य के रूप में परिभाषित करते हैं। जो कोई भी पाप करता है उसे भगवान द्वारा दंड मिलता है। जो व्यक्ति देश के कानून के विरूद्ध अपराध करता है उसे राज्य द्वारा दंड दिया जाता है। लेकिन यहाँ हमारे माननीय गृह मंत्री ने मृत्यु दंड को याचिका पर वार्ता के दायरे से बाहर रखा है। याचिका पर वार्ता इस विधेयक की सबसे अधिक स्वीकार्य और स्वागत योग्य विशेषता है। मृत्यु दंड, आजीवन कारावास और सात वर्ष तक की कैद की सजा को याचिका पर वार्ता के दायरे में लाया जाना चाहिए।

अरब देशों में, जहाँ इस्लामी कानून सरकार है, मृत्यु दंड के मामलों में भी याचिका पर वार्ता का प्रावधान लागू है, इस्लामी कानून में जान से मारने का अपराध देश के कानून नहीं बल्कि परिवार के हित के विरूद्ध है। मध्य पूर्व के न्यायालयों में ऐसे देशों में जहाँ इस्लामी कानून मृत्यु दंड के मामलों में भी लागू किया जाता है, जो लोग मारे गए व्यक्ति के कारण प्रभावित होते हैं उन्हें मुआवजा दिया जाता है। प्रभावित लोगों को दिए जाने वाले मुआवजे की माँग स्वयं प्रभावित लोगों द्वारा की जाती है। परिवार के सदस्य 20 करोड़ रुपये या 20 बिलियन डॉलर की मांग करते है और यह रकम अपराधी द्वारा दी जाती है। ऐसा प्रबंध वहाँ किया गया है। इसलिए याचिका पर वार्ता को वहाँ स्वीकार किया गया है। इस याचिका वार्ता को मृत्यु दंड, आजीवन बारावास के सभी पहलुओं और सात वर्ष की कैद से संबंधित मामलों में भी लागू किया जाना चाहिए। यही मेरा विनम्र सुझाव है।

अपराध दूषित मानसिकता वाले लोगों द्वारा किये जाते हैं। मैं यह विधेयक लाने के लिए हमारे माननीय गृह मंत्री की सराहना करता हूँ। वह महान मानववादी हैं। वह देश में बढ़ते जा रहे मुकदमों की संख्या कम करना चाहते हैं। वह हमारे देश के दाण्डिक कानून को आधुनिक बनाना चाहते हैं। इसी उद्देश्य से उन्होंने इस विधेयक को पेश किया है। देश में हो रहे अपराधों की संख्या कम करने के लिए हमें लोगों को शिक्षित करना चाहिए। मुझे संसद की इस महान सभा में एक बात कहते हुए दुख हो रहा है। प्रत्येक मुद्दे का विश्लेषण किया जाता है और उस पर चर्चा की जाती है। लेकिन नैतिक शिक्षा और आध्यात्मिक ज्ञान लोगों के मन में बैठाया जाना चाहिए। अपराध करने से लोगों को कैसे रोका जाय? अब तक इस सभा में इस पहलू पर चर्चा नहीं हुई है।

इसलिए नैतिक शिक्षा, आचार संहिता और मानव जीवन के आध्यात्मिक पहलुओं को लोगों के मस्तिष्क में उनके नवजात और बाल्यकाल से ही बैठाया जाना चाहिए। उपचार से बेहतर निवारण

है। यही लोग कहते हैं। लेकिन जो लोग समय के साथ–साथ अपराधी बन रहे हैं उन्हें प्रारंभ में ही अपराध करने से रोका जाना चाहिए। इस समस्या का आरंभ में ही समाधान कर लिया जाना चाहिए। अपराधियों के देश को निपराधियों, संतों और आध्यात्मिक नेताओं के देश में बदल दिया जाना चाहिए। इसलिए इस क्षेत्र में लोगों को शिक्षा दी जानी चाहिए। लोगों को आध्यात्मिक ज्ञान और नैतिक शिक्षा दी जानी चाहिए। उन्हें सांसारिक सामान्य जीवन में अनैतिक कृत्य नहीं करने के महत्व को महसूस करना चाहिए। इस विधेयक का उद्देश्य लोगों की बढ़ती आपराधिक मानसिकता को रोकना है, सभी वर्गों द्वारा इसका स्वागत किया जाना चाहिए।

यहाँ पर मैं एक और बात कहना चाहता हूँ। यदि कोई मुसलमान अपराध करता है उसे तुरंत मुसलमान अपराधी कह दिया जाता है। यहि हिन्दू अपराध करता है तो उसे हिन्दू अपराधी और सिख अपराध करता है तो उसे सिख अपराधी कहा जाता है, इसी प्रकार लोग मुसलमान आतंकवादी, हिन्दू आतंकवादी और सिख आतंकवादी कहेंगे। आतंकवाद मानवता के विरूद्ध है। यह मानवता के विरूद्ध अपराध है। जो व्यक्ति आतंकवादी कृत्य करता है उसे मानवता का शत्रु समझा जाना चाहिए। उसे हिंदू, मुसलमान, सिख या ईसाई आतंकवादी नहीं कहा जाना चाहिए। धर्म का अपराध से कुछ लेना–देना नहीं है। मेरा देश के प्रत्येक व्यक्ति से अनुरोध है कि भगवान के लिए किसी को भी इसलिए सिर्फ धर्म का नाम लेकर नहीं पुकारें क्योंकि उसने देश में अपराध किया है अथवा आतंकवादी कृत्य किया है।

हमारे गृह मंत्री जी ने यह विधेयक हमारे देश में मुकदमों की संख्या कम से कम करने के लिए और याचिका पर वार्ता द्वारा लोगों को दिए जा रहे दंड कम से कम के लिए पेश किया है। इससे हमारे देश में नैतिक जीवन के विकास में निश्चित रूप से सहायता मिलेगी। इससे देश में बढ़ते हुए अपराध को निश्चित रूप से कम किया जा सकेगा। इन शब्दों के साथ, मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : महोदय, मैं दण्ड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन करने वाले इस विधेयक का समर्थन करता हूं।

प्रारंभ में मैं कहना चाहूंगा कि ऐसे समय जब हम एक ऐसे राष्ट्र के रूप में विकास कर रहे हैं जिसमें नागरिकों को इस तरीके से रहने का अधिकार है जो संसार के शेष देशों के अन्य नागरिकों के संगत हो, तो इसके लिए हमें अपने कानूनों को आधुनिक रूप देने की जरूरत है।

हम देख चुके हैं कि न्याय मिलने से विलम्ब होना न्याय से वंचित करना है। अभियुक्त के मामले में यदि न्याय मिलने से बहुत समय लग जाता है तो यह न्याय किए बिना दंड देने जैसा है। इसलिए परिणामस्वरूप हमने देखा है कि कई अभियुक्त दंड दिए जाने का इंतजार करते हुए जेलों में बंद पड़े हैं। लेकिन यह एक ऐसा दंड है जो ऐसे व्यक्ति को पहले ही दिया जा चुका है जो उसे समय पर मिलने वाले न्याय के फलस्वरूप मिलने वाले दंड से बहुत अधिक है। इसलिए हमें अपनी प्रणाली को आधुनिक बनाने की आवश्यकता है। इसलिए मैं इस प्रावधान का स्वागत करता हूँ।

इस विधेयक का एक उद्देश्य कम से कम समय में न्याय दिलाना है। लेकिन शायद पहले इस कानून को संसद द्वारा पारित कराना होगा। मैं समझता हूँ, कि शायद हमें इस प्रणाली पर नए सिरे से विचार करने की जरूरत है। उदाहरण के लिए, यह विधेयक दो से भी अधिक वर्ष पहले 22 अगस्त 2003 को तत्कालीन उप प्रधानमंत्री द्वारा पहले राज्य सभा में पेश किया गया था। इसे लोक सभा में आने में दो वर्ष से अधिक समय लग गया। आशा है हम लोग आज इसे पारित कर देंगे। इसलिए यह इस देश का एक महत्वपूर्ण कानून बन जाएगा। इसलिए, मैं समझता हूँ कि हमें वास्तव में इस विधेयक को नये स्वरूप में पारित कराने के लिए इस प्रक्रिया में लगे समय और लगने वाले समय पर गौर करने की आवश्यकता है।

इस विधेयक के कई घटक हैं। मैं इसके कुछ घटकों पर बात करूंगा। पहली बात यह गवाहों की समस्या का समाधान करने का प्रमाण करता है। आजकल गवाहों पर अभियुक्त के मुताबिक साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए दबाव डाला जाता, उसे धमकाया जाता है या बाध्य किया जाता है। यह विधेयक इसी से संबंधित है। इसलिए यह एक महत्वपूर्ण मुद्दा है। वास्तव में इसे उन अनेक कारणों में से एक कारण माना गया है जिसके कारण न्याय समय पर और सही तरीके से नहीं मिल पाता। विभिन्न विधि आयोगों, विभिन्न संस्थानों ने उस पहलू पर विचार किया है। इसलिए, यह स्वागत योग्य संशोधन है। मैं इसका स्वागत करता हूँ।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

दूसरा घटक सौदा–अभिवाक के बारे में है। अमरीका में यह काफी लम्बे अरसे से प्रचालित है। वस्तुतः आरोप तय होते ही आरोपी को यह कहने का अधिकार है कि वह सौदा अभिवाक के माध्यम से निपटान के लिए आगे बढ़ना चाहता है। यहाँ पर वह मान जाता है कि वह दोषी है और उसे निर्धारित दंड से कम दंड दे दिया जाता है। जैसाकि माननीय मंत्री जी कह रहे थे कि वस्तुतः यह हमारी भारतीय प्रणाली में निर्धारित न्यूनतम दंड का आधा होगा और जिस विधि के अंतर्गत उसका विचारण हो रहा है उसके तहत कोई दंड निर्धारित नहीं है, तो उसका एक चौथाई होगा।

मैं तो यह महसूस करता हूँ कि आप इस सौदा – अभिवाक को कतिपय स्थितियों तक सीमित कर रहे हैं और कतिपय दंडों से छूट पाने के लिए कर रहे हैं, इससे कतिपय ऐसे दोषी व्यक्ति इसके दायरे से बाहर रह जाएंगे जिनपर कतिपय दंड देने के लिए विचारण चल रहा है। उदाहरण के लिए, आजीवन कारावास का दंड है, यह सात वर्ष का कारावास है, या फिर दंड जीवित रहने तक कारावास में रखने का भी है। मेरे विचार से, यदि आप एक ऐसी प्रणाली के लिए आगे बढ़ रहे हैं जिसका विधि में विस्तृत उल्लेख है, तो वह व्यवहाय कैसे होगी? आरोपी व्यक्ति, बचाव पक्ष के काउंसेल, सरकारी वकील और इन चारों को मिल बैठकर किसी विशेष प्रश्न पर सहमत होना होगा। इसलिए, इस प्रणाली में भ्रष्टाचार की गुंजाइश नहीं है। मेरे विचार से इसका विस्तार किए जाने की आवश्यकता है, एक या दो या चार अपराधों तक नहीं बल्कि सभी संभावित अपराधों तक इसका दायरा होना चाहिए। यह एक अच्छी शुरूआत हो सकती है। हम यहाँ से शुरूआत करके आगे बढ़ सकते हैं। जैसाकि मैंने पहले कहा था कि सौदा–अभिवाक अमरीका में लम्बे समय से प्रचलित है। इस देश के तथा उन अन्य देशों के अनुभव हमारे समक्ष हैं जहाँ पर यह प्रचलित है। उस देश के तथा उन अन्य देशों के अनुभव हमारे समक्ष है जहाँ पर यह प्रचलित हैं। इसलिए, ऐसा नहीं है कि हम पहली बार प्रयास कर रहे हैं। अतः इसका उपयोग एकाधिक मामलों में करना श्रेयस्कर होगा।

तीसरे, एक चीज जिसका उल्लेख मंत्री जी ने नहीं किया, वह संभवतः उस अपराध के बारे में समझौता है जब इसमें पति या उसके रिश्तेदारों को भी शामिल किया जाए। अब आप इस पर भी विचार कर रहे हैं।

श्री शिवराज वि. पाटील : यह मूल विधेयक का अंश था किंतु राज्य सभा में इसका लोप कर दिया गया है।

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु : इसीलिए आपने उसका उल्लेख नहीं किया। इसलिए महोदय, अब जो नए उपबंध लाए गए हैं, वे वास्तव में स्वागतयोग्य है और हमें उनकी आवश्यकता है। यह भारतीय साक्ष्य अधिनियम पहली बार तत्कालीन सरकार ने 1872 में पारित किया था और आज यह कानून है। इसीलिए मंत्री महोदय के लिए मेरा सुझाव यही होगा कि यदि आप वास्तव में हमारी न्यायिक प्रणाली को आधुनिक बनाने के बारे में सोच रहे हैं, तो केवल यत्र–तत्र संशोधन करने से काम नहीं चलेगा। हमें इस पर नए सिरे से दृष्टिपात करने और एक नया कानून लाने की आवश्यकता है ताकि यह अपने स्वरूप और कार्यान्वयन में भी आधुनिक हो।

उदाहरणार्थ, उन्होंने एक नये कानून का उल्लेख किया था जिसे संसद ने लगभग कुछ वर्ष पूर्व पारित किया था जो इलेक्ट्रॉनिक माध्यमों से किए जाने वाले अपराधों से निपटने के लिए था। इसलिए, महोदय, यदि आप पूरी तरह एक आधुनिक कानून लेकर आएं और यत्र–तत्र संशोधन का रास्ता न अपनाएं, जैसा कि हम अब कर रहे हैं, तो यह हमारे लिए बहुत ही सहायक होगा। इसलिए, मंत्री जी से मेरा अनुरोध है कि अगले वर्ष या उससे अगले वर्ष एक उचित आयोग का गठन करें और यह सुनिश्चित करें कि ये सभी कानून एकमुश्त एक ही कानून का रूप ले लें। दंड प्रक्रिया संहिता, भारतीय दंड संहिता, भारतीय साक्ष्य अधिनियम, इनमें से कुछ कानून शायद एक ही कानून में समेकित किए जा सकते हैं। आप एक नया कानून लेकर आ सकते हैं। इसलिए, मैं इस विधेयक का वास्तव में समर्थन करता हूँ। मुझे आशा है कि मंत्री जी उन कुछेक सुझावों का संज्ञान लेंगे जो हम लोगों ने दिए हैं।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : सभापति महोदय, धन्यवाद। दांडिक न्याय प्रणाली में मुख्यतः पुलिस, अभियोजन पक्ष और न्यायपालिका शामिल है, न्यायपालिका राज्य का ऐसा अंग है जो देश के नागरिक के सबसे करीब है। यही नजदीकी उसे बार–बार और बड़े निष्ठुर तरीके से कानून का उल्लंघन करने की शक्ति देती है। जब भी कोई पुलिस अधिकारी बेरोकटोक किसी नागरिक को गिरफ्तार करता है और उसे प्रताड़ित करता है, जब भी कोई सम्पन्न अथवा शक्तिशाली व्यक्ति अभियोजन पक्ष को रिश्वत देकर दंड से साफ बच निकलता है जब भी कोई बड़ा आदमी अपनी निहित लक्ष्यों की प्राप्ति सुनिश्चित करने के लिए दांडिक न्यायतंत्र के साथ दखलअंदाजी करता है तो हमारे आदर्श की किरकिरी हो जाती है। न्यायपालिका निर्भीक तरीके से और स्वतंत्र रूप से कार्य करती है। कानून के शासन के लिए स्वतंत्र पुलिस संगठन की आवश्यकता

होती है। इसके लिए राजनैतिक हस्तक्षेप से मुक्त स्वतंत्र अभियोजन सेवाओं की भी आवश्यकता है परंतु जो भी कार्रवाई में सेवाएं करें, वे उनके प्रति जवाबदेह हों। यह कहा गया है कि इस विधेयक का आशय जैसा कि माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया है, वे भारतीय दंड संहिता, दंड प्रकिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम में संशोधन करना है। इसका प्रयोजन देश की मौजूदा दांडिक न्याय प्रणाली को बेहतर बनाना है। लंबित मामलों की संख्या काफी अधिक है और इसलिए हमें इसकी आवश्यकता है। इसके तीन कारण गिनाए गए हैं। पहला कारण, लंबित आपराधिक मुकदमों की संख्या बहुत अधिक है। दूसरा, इनके निपटान में बहुत विलम्ब होता है। तीसरा, गंभीर मामलों में दोषसिद्धि की दर बहुत कम है। ये तीन ऐसे मुद्दे हैं जिनका निपटान करना इस विधेयक का उद्देश्य है। इसके लिए प्रस्तावित उपाय भी तीन ही बताये गए हैं। आपराधिक मामलों में गवाह को अपने बयान से मुकरने से रोकना। दूसरा, सौदा अभिवाक की अवधारणा की शुरूआत। तीसरा, भारतीय दंड संहिता की धारा 498 (क), जो महिलाओं के प्रति अत्याचार से संबंधित है। के अंतर्गत अपराध के संबंध में समझौता करना।

अपराह्न 3.55 बजे

(अध्यक्ष महोदय पीठासीन हुए)

जिन तीन अधिनियमों को संशोधित किए जाने का प्रस्ताव है, वे हमारे देश की दांडिक न्याय प्रणाली के एक रक्षक समझे जाते हैं।

ये प्रस्तावित संशोधन विधि आयोग और दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार संबंधी समिति, जिसका नेतृत्व डा. न्यायमूर्ति वी. एस. मलीमथ ने किया था, की 142 वीं 154वीं और 178वीं रिपोर्ट में अंतर्विष्ट सिफारिशों पर आधारित है।

[अनुवाद]

इस विधेयक में इन तीन मुद्दों पर ध्यान केंद्रित किया गया है : पलट जाने वाले गवाह, सौदा अभिवाक तथा भारतीय दण्ड संहिता की धारा 498 क के तहत आने वाले अपराध–मामलों में समझौता करना; इसके अलावा जाली नोटों से संबंधित मामलों में विशेषज्ञों का साक्ष्य लेना।

मैं गवाह के पलटने की बात पर आता हूँ जिसके लिए भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन होना है। हम सभी जानते हैं कि दाण्डिक न्याय की प्रणाली साक्ष्य–आधारित होती है। अदालत में झूठा और गढ़ा हुए बयान आपराधिक मामलों में दोषसिद्धि की दर कम करता है। बयान से मुकरने की वजह से अपराधिक मामलों में दोषसिद्धि की दर 10 प्रतिशत ही है। गवाह स्वेच्छापूर्वक, या किसी तीसरे पक्ष द्वारा धमकाए जाने, या लालच दिए जाने अथवा बरगलाए जाने की वजह से गलतबयानी करता है। झूठा बयान देने वाले गवाह को अब भारतीय दण्ड संहिता की धारा 193–196 के तहत दण्ड दिया जाएगा। किंतु गवाह को धमकाने या बरगलाने वाले व्यक्ति के लिए कोई दण्ड नहीं है। भारतीय दण्ड संहिता से इसका उपबंध नहीं किया गया है। यहां इस विधेयक में कुछ नये प्रावधान किए जाने की जरूरत है।

महोदय, इस विधेयक में उस व्यक्ति को, जो गवाह को गलत बयानी करने के लिए धमकाता या बरगलाता है, सात साल की सजा या जुर्माना अथवा दोनों, का दण्ड दिया जा सकता है। लेकिन मेरा कहना यह है कि दण्ड प्रक्रिया संहिता की धारा 344 के अंतर्गत आने वाले मौजूदा सामान्य उपबंध, जिनमें गलतबयानी के लिए संक्षिप्त विचारण निर्धारित किया गया है, अपर्याप्त सिद्ध हुए हैं। इस तरह, गवाहों को मुकरने से रोकने के लिए, संक्षिप्त विचारण का उपबंध किया गया है और अधिकतम सज़ा के रूप में कारावास का विधान किया गया है।

किंतु इस संशोधन में कुछ जरूरी कदमों की उपेक्षा कर दी गई है। जब साक्ष्य लेना दाण्डिक न्याय प्रणाली का एक महत्वपूर्ण अंग है तो यदि किसी व्यक्ति या तीसरे पक्ष के खिलाफ यह आरोप आए कि अमुक व्यक्ति ने गवाह को धमकाया या बरगलाया अथवा लोभ दिया, तो संबंधित व्यक्ति का साक्ष्य लेने के लिए एक विशिष्ट समयावधि निर्धारित की जानी चाहिए। लेकिन अब इस बात की कोई गुंजाइश नहीं है। क्या न्यायालय इसके लिए पुलिस को कहे? अतः, एक समयसीमा इस वास्ते जरूर तय करनी होगी। मेरे विचार से यह एक जरूरी बात है। माननीय मंत्री जी चर्चा का उत्तर देते समय हमें इस पक्ष पर जरूर अवगत कराएँ।

अब मैं दूसरे पहलू पर आता हूँ। यह है – सौदा अभिवाक। दुनिया की न्यायकारी प्रणाली में यह कोई नई बात नहीं है। अमरीका में इसका विधान है, लेकिन हमारे लिए तो यह एक नई बात है। विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में यह दृढ़ बात व्यक्त किया था कि हमारे यहाँ भी सौदा अभिवाक प्रणाली होनी चाहिए। दाण्डिक न्याय प्रणाली में सुधार संबंधी समिति ने भी देश में सौदा अभिवाक की सिफारिश की थी। यह कोई ऐसी अनसुनी चीज़ नहीं

[श्री भर्तृहरि महताब]

है जैसा माननीय मंत्री जी ने अपने प्रस्तावना–भाषण में भी कहा है।

अध्यक्ष महोदय : श्री महताब, हमें अपराह्न 4 बजे एक चर्चा आरंभ करनी है। आप और कितना समय लेंगे?

श्री भर्तृहरि महताब : महोदय, मैं दस मिनट में अपनी बात खत्म करूँगा। मुझे दो–तीन बातें कहनी हैं।

अध्यक्ष महोदय : ठीक है। आप अपना भाषण बाद में जारी रखिएगा। अब हम मद सं. 35 लेंगे।

अपराह्न 4.00 बजे

श्री शिवराज वि. पाटील : फिर विधेयक पर चर्चा आज होगी या कल?

अध्यक्ष महोदय : हम उसे इस चर्चा के बाद आज ही कर सकते हैं। आज शाम 6 बजे कर सकते हैं, और यदि यह चर्चा पहले ही समाप्त हो जाए तो और पहले।

श्री शिवराज वि. पाटील : इसके अलावा मुझे कुछ और काम है; मुझे जाना है। यदि मैं उपस्थित न रहा तो फिर बात उठेगी।

अध्यक्ष महोदय : हम आपसे बाद में बात करेंगे, क्षमा कीजिए। चूँकि चर्चा गृहीत हो चुकी है, अतः उसे लेना पड़ेगा। वैसे भी हम खेलकूद पर कभी–कभार ही चर्चा करते हैं।

...(व्यवधान)

श्री शिवराज वि. पाटील : तो क्या नियम 193 के अधीन चर्चा को विधेयक की चर्चा पर वरीयता दी जाएगी?

अध्यक्ष महोदय : ऐसा नहीं है। यह विधेयक इसी सत्र में पारित होगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : लगता है, इसमे भी समय लगेगा।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : श्री तोपदार, सुनिए। आप बीच में मत बोलिए।

...(व्यवधान)

अपराह्न 4.02 बजे

नियम 193 के अधीन चर्चा

आगामी खेल स्पर्धाओं को ध्यान में रखते हुए देश में खेल संबंधी अवसंरचना का विकास किए जाने की आवश्यकता

[हिन्दी]

अध्यक्ष महोदय : इससे पहले कि आप शुरू करें, मैं एक बात स्पष्ट कर देना चाहता हूँ। ऐसा इसलिए है कि मैंने इस नोटिस को बहस के लिए स्वीकार किया है यदि मैं ऐसा कहूं कि कुछ समझदार मित्र जिनके पास गलत जानकारी है। मुझसे कहते रहे हैं कि मैंने कुछ अनुचित कार्य किया है। मैं यह स्पष्ट कर दूँ कि मैंने किसी भी टीम से किसी खिलाड़ी को बाहर करने के लिए कोई नोटिस या प्रस्ताव स्वीकार नहीं किया है। मैं किसी भी चीज का उल्लेख नहीं कर रहा हूँ, यह बात हरेक व्यक्ति समझता है। लेकिन यह मामला कुछ इस तरह का लगता था कि उस मुद्दे पर प्रस्ताव करने, नियत करने या अनुमति देने में अध्यक्ष के औचित्य के बारे में अखबारों में टिप्पणियाँ की गयी थीं। इस पर संपादकीय लिखे गए थे। अन्य सदन के किसी समझदार सदस्य ने अध्यक्ष को इस बारे में परामर्श दिया था कि उन्हें क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए। इसलिए मैं स्थिति पूरी तरह स्पष्ट कर देना चाहता हूँ।

इस सदन के युवा सदस्यों ने सम्पूर्ण राष्ट्र से संबंधित इस मुद्दे पर नोटिस देने का कष्ट किया है इसलिए मैं उनका बहुत स्वागत करता हूँ। मेरा मानना है कि खेलों में भारत के प्रदर्शन में काफी सुधार की जरूरत है। इसलिए सभी माननीय सदस्य कृपया उनके द्वारा उल्लिखित मुद्दे तक ही स्वयं को सीमित रखें।

आपने आगामी खेल स्पर्धाओं को ध्यान में रखते हुए देश में खेल संबंधी अवसंरचना का विकास किए जाने की आवश्यकता के बारे में मामला उठाया है। कृपया समुचित स्तर पर बहस करने दें। ऐसा नहीं कहा जाए कि किसी विशेष खिलाड़ी, वह चाहे कितना भी बड़ा या महत्वपूर्ण क्यों न हो, को समर्थन देने के लिए छल–कपट किया गया है। इस प्रस्ताव पर चर्चा की अनुमति देने के लिए अध्यक्ष के निर्णय पर बहुत अनुचित टिप्पणियाँ की गयी थीं इसलिए मैं ऐसी बातें कहने के लिए बाध्य हो गया हूं।

श्री नवीन जिन्दल (कुरूक्षेत्र) : माननीय अध्यक्ष महोदय, अपने बहुत पसंदीदा विषय पर बोलने का अवसर दिए जाने के लिए मैं अत्यंत आभारी हूँ। यह पूरे देश के लिए बहुत ही महत्वपूर्ण है जो

कि व्यापक आधार वाला, विश्व स्तरीय ढाँचा और अंतर्राष्ट्रीय स्तर का वातावरण बनाने की जरूरत के बारे में हैं। विशेषकर मैं ओलम्पिक के बारे में बोलने जा रहा हूँ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : मैं आशा करता हूँ कि कुछ सदस्यों द्वारा बहुत उपयोगी भागेदारी की जाएगी और हमें इसे शाम 6 बजे तक पूरा कर लेना चाहिए।

श्री नवीन जिन्दल : यह चर्चा बहुत सही समय पर की जा रही है क्योंकि आगामी राष्ट्रमंडल खेल आस्ट्रेलिया में मार्च, 2006 में, एशियाई खेल दोहा में 2006 में, 2008 में बीजिंग ओलम्पिक और 2010 में भारत में राष्ट्रमंडल खेल होने वाले हैं। वास्तव में, इन खेलों की तैयारी हम देर से कर रहे हैं। अन्तराष्ट्रीय स्तर पर, वे ओलम्पिक के लिए 8 वर्ष या 12 वर्ष पहले ही तैयारी शुरू कर देते हैं। हम केवल एक या दो वर्ष पहले तैयारी कर रहे हैं। इसी से यह प्रतीत होता है कि हम ऐसा प्रदर्शन क्यों करते हैं।

महोदय, खुद आप भी खेलों के बहुत प्रेमी हैं और जब भी ले. कर्नल राठौर या भारतीय क्रिकेट टीम के सचिन तेंदुलकर जैसे भारतीय खिलाड़ियों ने देश का नाम रोशन किया है तो आपने सदन में हमेशा इसका विशेष उल्लेख किया है।

अध्यक्ष महोदय : श्री विजयपत सिंघानिया जी।

श्री नवीन जिन्दल : मैं इस चर्चा को शुरू करने की अनुमति देने के लिए आपका आभारी हूँ। आप मोहन बागान एथलेटिक क्लब की कार्यकारिणी समिति के सदस्य हैं।

कई माननीय सदस्य जैसे श्री शरद पवार, खेलकूद में काफी रूचि रखते हैं। वह बी सी सी आई के अध्यक्ष हैं। प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा तीरंदाजी संघ के अध्यक्ष हैं। श्री प्रिय रंजन दासमुंशी फुटबॉल संघ के अध्यक्ष हैं। श्री संतोष मोहन देव टेनिस में अत्यधिक रूचि रखते हैं। श्री दयानिधि मारन को टेनिस और स्नूकर बहुत पसंद है। राव इन्द्रजीत सिंह तीन वर्षों तक स्कीट शूटिंग के राष्ट्रीय चैम्पियन रहे हैं और उन्होंने नया रेकार्ड बनाया है। श्री राहुल गाँधी को शूटिंग और स्क्वैश में रूचि है। मेरे मित्र श्री नवजोत सिद्धू पूर्व अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट खिलाड़ी रहे हैं। हम सभी को श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर पर गर्व है। जिन्होंने 1998 में एशियाई खेलों में दो स्वर्ण पदक जीते थे। श्री के. सी. सिंह बाबा भारोत्तोलन में दो बार राष्ट्रीय चैम्पियन रहे हैं और उन्होंने एशियाई चैम्पियनशिप में दो रजत पदक जीते थे।

अध्यक्ष महोदय : आप उन सभी को बधाई देते हैं।

श्री नवीन जिन्दल : श्री सुखदेव सिंह ढींढसा साइकिल चालन संघ के अध्यक्ष हैं। श्री दुष्यंत सिंह को शूटिंग बहुत पसंद है। इस सभा के बहुत से सदस्यों ने भी संसद–खेलकूद प्रतियोगिताओं में भाग लिया था। मैं खेलने के विषय पर उत्साहपूर्ण चर्चा और वाद–विवाद की आशा करता हूँ। मुझे विश्वास है कि हम सर्वसम्मति बना सकते हैं। ताकि हम एक देश के रूप में अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर खेलों में अच्छा प्रदर्शन करें।

अब हम 2004 में एथेंस में हुए पिछले ओलम्पिक के विषय पर बात करें। अमरीका, चीन, रूस, आस्ट्रेलिया, जापान और इटली ने दो अंकों में स्वर्णपदक जीते परंतु भारत सिर्फ एक रजत पदक ही जीत सका। इसलिए पिछड़कर हम स्लोवेनिया, एस्टोनिया, हांग कांग ओर पराग्वे जैसे छोटे देशों की श्रेणी में शामिल हो गए जिन्होंने सिर्फ एक रजत पदक जीता। ले. कर्नल राज्यवर्धन सिंह राठौड़ को उनके असाधारण प्रदर्शन पर मेरी ओर से बधाई जिसे मुझे एथेंस में देखने का सौभाग्य मिला था।

अपराह्न 4.07 बजे

(श्री गिरिधर गमांग *पीठासीन हुए*)

हालाँकि महत्वपूर्ण तथ्य वही है कि हम सिर्फ एक ही रजत पदक जीत सके। सभापति महोदय, जब हमने अपने भारतीय महिला एथलीटों, विशेषकर अंजूबॉबी जॉर्ज, सीमा बिस्वास और जे. जे. शोभा को अच्छा प्रदर्शन करते देखा तो वह बहुत गौरव पूर्ण क्षण था। तब भी जब सीमा बिस्वास बहुत ही गंभीर रूप से घायल थी तब भी उन्होंने लंगड़ाते हुए दौड़ शुरू की और तीसरा स्थान प्राप्त किया। मैं दर्शकों में बैठा था और पूरे विश्व के कई लाख लोग खेल देख रहे थे। मुझे विश्वास है कि यह क्षण हर भारतीय के लिए बहुत गौरव पूर्ण था।

सभापति महोदय, क्रय शक्ति की समरूपता के आधार पर हमारा सकल घरेलू उत्पाद जो 3.3 ट्रिलीयन डॉलर है, अमरीका, यूरोपीय संघ, चीन और जापान के बाद पाँचवें स्थान पर है। जनसंख्या के संबंध में हम चीन से तुलनीय हैं। पर जहां चीन ने पिछले ओलंपिक में 32 स्वर्ण, 17 रजत और 14 कांस्य पदकों सहित कुल 63 पदक जीते वहीं हम केवल एक रहत पदक ही जीत सके। महोदय, मुझे याद है, मैं जब ओलंपिक देख रहा था तो वहाँ हर दिन करीब चार से पाँच बार चीन का राष्ट्रगान सुनाई देता था।

[श्री नवीन जिन्दल]

बार–बार सुनना और चीन के खिलाड़ियों का बढ़िया प्रदर्शन देखना चीन के प्रति मेरे आदर को बढ़ा गया।

मैं बताना चाहूँगा कि चीन का तरीका क्या है। चीन के क्रीडा विद्यालयों में पाँच वर्ष की आयु से ही बच्चों को लिया जाता है। वहाँ से क्षमतावान खिलाड़ियों को नगरीय या महानगरीय क्रीडा केंद्रों में कठिन प्रशिक्षण के लिए भेजता जाता है। फिर उनमें से श्रेष्ठतम खिलाड़ियों को राष्ट्रीय टीमों के साथ प्रशिक्षित किया जाता है। वहाँ प्रतियोगिता निरंतर चलती रहती है। मशीन की तरह स्वर्ण पदक जीतने के लिए चीनी खिलाड़ी बरसों पसीना बहाते हैं। एक आकलन है कि चीन के दो लाख खिलाड़ियों में से लगभग 1200 खिलाड़ी राष्ट्रीय टीम में चयनित हुए और एथेंस में उन्होंने 32 स्वर्ण पदक जीते। प्रत्येक स्वर्ण पदक विजेता को इतनी पुरस्कार राशि मिलती है जितनी किसी बीजिंगवासी की 23 वर्षों की वार्षिक आय होती है। पिछले दो दशकों में चीन ने 1,113 चैम्पियन खिलाड़ी दिए जिन्होंने 750 से भी अधिक बार विश्व–रिकार्ड तोड़े। लागत काफी ज्यादा लेकिन चीन ओलंपिक पदक के रूप में राष्ट्रगौरव बढ़ाने के लिए इसे उचित मानता है। इंटरनेट पर उपलब्ध एक रिपोर्ट का अनुमान है कि चीन में एथेंस ओलंपिक की तैयारी में लगभग 2.4 बिलियन डॉलर, अर्थात् करीब 11,000 करोड़ रु. व्यय किया।

इसकी तुलना में, वर्ष 1991–92 में भारत सरकार का इस तरफ बजट मात्र 42 करोड़ रु. था जो 2005–2006 तक बढ़कर 313 करोड़ रु. हुआ। हमारे राष्ट्रीय बजट का मात्र 0.06 प्रतिशत ही है और हमारे सकल घरेलू उत्पाद का काफी छोटा अंश। चीन का खेलकूद पर जो व्यय है, हमारा व्यय उसका केवल तीन फीसदी ही है।

अंतरराष्ट्रीय खेलों में स्वर्ण पदक के लिए प्रतियोगिता दिन–ब–दिन कठिन होती जा रही है। ये पदक किसी राष्ट्र की युवाशक्ति और संघर्ष की भावना के प्रतीक बन गए हैं। भारत की आबादी का 40 प्रतिशत से ज्यादा हिस्सा 13–35 वर्ष के आयुवर्ग वाले लोग हैं। इस प्रकार हम एक युवाप्रधान राष्ट्र हैं। हमें खेलकूद पर ध्यान देना ही चाहिए।

महोदय, इसके लिए सबसे पहले तो आधारभूत संरचना का विकास होना चाहिए। दुर्भाग्यवश, अभी तक हम बिल्कुल उल्टी दिशा में चलते आए हैं। 31 मार्च, 2005 तक भारत सरकार स्टेडियम, तरणताल, शूटिंग रेंज आदि बनाने के लिए राज्य सरकारों पर स्थानीय निकायों को अनुदान देती रही। 1 अप्रैल, 2005 से यह योजना राज्यों के हवाले कर दी गई क्योंकि खेलकूद का विषय राज्य सूची में आता है। बड़ी मुश्किल से अब यह तय हुआ है कि कम से कम अपूर्ण परियोजनाएँ तो मार्च, 2007 तक निपटा दी जाएँ। महोदय, अनेक राज्यों के लिए खेलकूद कम प्राथमिकता का विषय है अतः संभावना बनती है कि इस प्रयोनार्थ दी गई धनराशि को अन्यत्र उपयोग किया जाएगा जब तक कि योजना आयोग इस बारे में कोई कदम न उठाए। इस भाषण को तैयार करते हुए मैंने देश की कई प्रख्यात खेल–हस्तियों से बात की है।

श्रीमती अंजू बॉबी जॉर्ज, जो बंगलूर में अभ्यास करती हैं, तो हमें बताया कि हमारे पास विश्वस्तरीय सुविधाएँ नहीं हैं; व्यायाम शालायें पुरानी हैं; स्थिति में त्वरित सुधार के लिए कोई महिला–विशेषज्ञ नहीं है; शारीरिक प्रशिक्षण के उपकरण पुराने हैं; मैदान सींचने तक के लिए पैसा नहीं हैं; कोचों की संख्या अपर्याप्त है। 200 खिलाड़ियों के लिए मात्र एक कोच उक्रेन से अनुबंधित किया गया था; और फिर, अच्छे कोच मुश्किल से मिलते हैं। दवा, खेल–विज्ञान परामर्श इत्यादि सभी सुविधाएँ एक ही छत के नीचे मिलें तभी बात बनेगी; ये सुझाव उन्होंने दिए।

महोदय, सुश्री मल्लेश्वरी, जिन्होंने 2000 के सिडनी ओलंपिक में कांस्य पदक जीता था, भी यही कहती हैं कि दिल्ली में नेहरू स्टेडियम तक में हमारे पास विश्वस्तरीय सुविधाएँ नहीं हैं। पटियाला में नेताजी सुभाष राष्ट्रीय क्रीड़ा संस्थान है मैं खुद वहाँ गया। वहाँ की व्यायामशाला की हालत देखकर मुझे चिंता हो गई। आप वहाँ की ट्रेडमिल देखें, बिल्कुल बेकार है। मेरे विचार से देश में खेल–सुविधाएँ बढ़ाने के लिए काफी कुछ करना बाकी है।

महोदय, हमारा एथलेटिक परिसंघ स्वयं नई दिल्ली, बंगलूरू और पटियाला जैसे शहरों तक में अच्छे खिलाड़ी गृहों की कमी तकनीकी तरीकों, चोट आदि से निजात पाने की विधियों और खान–पान की निगरानी का रोना रोता है।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री महोदय से कहना चाहूँगा कि हमें काफी काम करने और खेलकूद के लिए बजट बढ़ाने की जरूरत है। सरकार खुद इस ओर खर्च नहीं कर रही। देश का कार्पोरेट क्षेत्र, जिसकी तरक्की देखने लायक है, वह भी खेलकूद की ओर धन लगाने में रूचि नहीं दिखा रहा। महोदय, हमारे यहाँ सबसे ज्यादा पैसा क्रिकेट में लगता है। क्रिकेट में संभवतया सारी प्रायोजन–राशि का अस्सी फीसदी से भी ज्यादा हिस्सा होता है। सभी की नजरें क्रिकेट पर होती हैं। जबकि क्रिकेट ओलंपिक में भी शामिल नहीं है। क्रिकेट बमुश्किल दुनिया के 20

देशों में खेला जाता होगा जबकि ओलंपिक खेलों में विश्व के 200 से अधिक देश भाग लेते हैं।

महोदय, आपके माध्यम से मैं माननीय वित्त मंत्री जी से अनुरोध करना चाहूँगा कि वह आगामी बजट में उन सभी कम्पनियों, निजी क्षेत्र, निगमित क्षेत्र के व्यक्तियों व संस्थानों को कर में रियायत दें जो ओलंपिक खेलों को प्रोत्साहन दें और ओलंपिक खिलाड़ियों की हौसला–अफ़जाई करें। यदि इस कारणवश 150 प्रतिशत कर–रियायत दी जाए तो मुझे भरोसा है कि ओलंपिक खेलों और खिलाड़ियों के उत्साहवर्धन के लिए काफ़ी सारी कम्पनियाँ आगे आएँगी और हमारा प्रदर्शन वाकई सुधर जाएगा। कभी–कभी हम लोग जीवन के खेलों के महत्व की अनदेखी करते हैं। विश्वमंच पर आज खेल बहुत महत्व रखते हैं। जब आप एथेंस के ओलंपिक स्टेडियम में बैठे हों तो और भारतीय खिलाड़ियों को तिरंगे के साथ दौड़ता देखें तो गर्व और स्वाभिमान की जो लहरें दिल में उठती हैं, उसे बताया तो नहीं जा सकता पर हरके उसे महसूस कर सकता है। मेरे विचार से तो यह अत्यावश्यक है कि 150 प्रतिशत की यह कर–रियायत अवश्य दी जाए। यह अनुरोध माननीय सदस्य श्री कलमाड़ी के द्वारा किया गया था और अन्य माननीय संसद–सदस्य भी इस छूट के पक्ष में थे।

महोदय, मैं आपके माध्यम से यह अनुरोध भी करना चाहूँगा कि भारत सरकार राज्य सरकारों से यह सुनिश्चित करने को कहें कि शहरी विकास के लिए बनने वाले मास्टर–प्लान में स्टेडियम और अन्य सुविधाओं के लिए निश्चित रूप से जगह रखी जाए। हमें भारतीय खेल प्राधिकरण को सशक्त करने की भी जरूरत है क्योंकि यह देश के खेल कूद का शीर्षस्थ संस्थान है। यदि पदक चाहिए, तो इसे मजबूत बनाना ही पड़ेगा।

भारतीय खेल प्राधिकरण केंद्रों के लिए बजट की बात : भा. खे. प्राधि. ने पाँच स्थानों पर खेल विज्ञान केंद्र बनाए हैं। पटियाला स्थित राष्ट्रीय खेल संस्थान को उन्नत बनाने के साथ–साथ पाँच नए केन्द्रों की भी योजना है।

शक्तिवर्धक दवाओं (डोप) के सेवन पर नियंत्रण : शक्तिवर्धक दवाओं के सेवन के कारण अयोग्यता भारतीय खेल–जगत के लिए एक अन्य गंभीर त्रासदी सिद्ध हो रही है। एथेंस ओलंपिक, 2004 में हमारी भारोत्तालकों, सुश्री प्रतिभाकुमारी और शनामचा चानू के साथ जो हुआ उसे हम शायद ही भूल सकें। भारतीय खेल प्राधिकरण के पास इस समय मात्र एक डोप–कंट्रोल प्रयोगशाला है। जिसे अभी भी भारतीय ओलंपिक समिति से मान्यता प्राप्त करना शेष है। मेरा सुझाव है कि भारतीय खेल प्राधिकरण (भा. खे. प्रा.) के हरेक क्षेत्रीय केन्द्र में कम से कम एक प्रयोगशाला जरूर होनी चाहिए। हम इस खतरे के प्रति ज्यादा जागरूकता पैदा करने के लिए सभी राष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धाओं में प्रतिबंधित दवाओं के सेवन की जाँच को अनिवार्य बनाने पर विचार कर सकते हैं।

राष्ट्रीय प्रशिक्षण योजना : इस योजना के अंतर्गत, भारतीय खेल प्राधिकरण मैचिंग आधार पर राज्य सरकारों को उनके राज्य और जिला प्रशिक्षण केन्द्रों के लिए प्रशिक्षण उपलब्ध कराता है। यह उनके वेतन, किट, चिकित्सा व्यय और यात्रा व्यय को वहन करता है। भा. खे. प्रा. का वार्षिक बजट करीब 37 करोड़ रुपये है। भा. खे. प्रा. के पास पूरे देश के लिए सिर्फ 1480 प्रशिक्षक हैं। जो बहुत ही अपर्याप्त हैं। इसे कम से कम संभव समय से कम से कम दस गुना बढ़ाने की जरूरत है। आपको यह जानकर आश्चर्य होगा कि वर्ष 1992 के बाद से प्रशिक्षकों की कोई भर्ती नहीं की गयी है। पिस्तौल निशानेबाजी में अर्जुन पुरस्कार जसपाल राणा का कहना है कि इन 1480 प्रशिक्षकों में निशानेबाजी के लिए एक भी प्रशिक्षक नहीं है। जबकि हम भारतीय महाभारत और अर्जुन के देश से हैं। तीरंदाजी और निशानेबाजी में हमारी संभावनाएँ बहुत अधिक हैं। परंतु हमारे पास ऐसे समुचित प्रशिक्षक या समुचित वातावरण नहीं है जहाँ हम विकास कर सकें। अन्यथा यह देश बहुत से जसपाल राणा और कर्नल राठौड़ दे सकता है जो तीरंदाजी और निशानेबाजी में अव्वल स्थान प्राप्त करने का पूरी तरह से दावा कर सकते हैं।

महोदय, यदि हम खेल–कूद के सामानों की बात करें तो भा. खे.प्रा. के पास ओलंपिक और एशियाई खेलों के लिए भारतीय टीम को तैयारी कराने के लिए पाँच क्षेत्रीय केन्द्र और पाँच उप–केन्द्र हैं। पूरी ढाँचागत सुविधा और सामान भा. खे. प्रा. द्वारा उपलब्ध कराया जाता है। इन खेलों के लिए अनेक बार सामान का आयात करने की आश्यकता होती है। हम वैसी गुणवत्ता वाला सामान देश में नहीं बनाते। हालाँकि 'भुगतान करो और खेलों योजना' के अंतर्गत तुगलकाबाद शूटिंग रेंज में 1982 के बाद से कोई भी सामान (हथियार) आयात नहीं किया गया है और आबंटन 5.5 करोड़ रुपये से घटाकर 4.5 करोड़ रुपये कर दिया गया है।

स्टेडियम, निशानेबाजी रेंज होने के बावजूद भी ऐसा देखा जाता है कि अधिकांश बार सरकार भवन, स्टेडियम और निशानेबाजी रेंज बनवाने में रूचि लेती हैं परन्तु कोई भी यह देखने में रूचि नहीं लेता कि इन स्टेडियमों और निशानेबाजी रेंजों के भीतर वास्तव में

[श्री नवीन जिन्दल]

क्या हो रहा है। हम पाते हैं कि निशानेबाजी रेंजों में कभी–कभी न तो कोई हथियार और गोलाबारूद होता है और न ही लक्ष्य। हम केवल भवन बना रहे हैं और उन भवनों का रख–रखाव कर रहे हैं। वास्तव में जो नहीं हो रहा है वह है उसका लागू करने वाला भाग। हम केवल ढाँचागत बाहय काम करने में रूचि रखते हैं लेकिन सबसे महत्वपूर्ण बात है कि हमारे पास सॉफ्टवेयर, प्रशिक्षक और उन भवनों के भीतर सामान होना चाहिए। यह सामान्य जानकारी की बात है कि जो अस्त्र–शस्त्र हम देश में बनाते हैं वे अच्छी गुणवत्ता के नहीं है। अंतराष्ट्रीय प्रतिस्पर्द्धाओं की बात तो रहने दीजिए, देश में बना सामान राष्ट्रीय प्रतियोगिता में भी इस्तेमाल नहीं किया जाता। हमारी नीतियाँ भी खेल–कूद के सामान और अस्त्र–शस्त्रों का निजी क्षेत्र में स्वदेश में विनिर्माण करने को भी हतोत्साहित करती हैं। जिस पर पुनर्विचार किए जाने की आवश्यकता है।

महोदय, हमारे खेल–कूद संघ और महासंघ अक्सर गलत कारणों से खबरों में बने रहते हैं। प्रतिभा खोज के लिए संघों और महासंघों से विभिन्न वर्गों में राष्ट्रीय चैम्पियनशिप आयोजित करने की आशा की जाती है। उनसे कार्यक्रमों के वार्षिक कैलेन्डर बनाने की आशा की जाती है। हालांकि इनमें से अधिकांश प्रतियोगिताओं का नियमित आयोजन नहीं कर पाते। कई तो अपने लेखे भी प्रस्तुत नहीं कर पाते।

चूँकि खेल–कूद राज्य का विषय है इसलिए राज्यों के मुख्यमंत्रियों से अनुरोध किया जा सकता है कि वे ग्रामीण खेल प्रतियोगिताओं का आयोजन कर ग्रामीण खेल प्रतिभाओं की पहचान करने की व्यवस्था करें। जैसा कि मैंने कहा, आज क्रिकेट मैचों को अत्यधिक उत्साह से देखा जाता है और इस खेल के 80 प्रतिशत से भी ज्यादा प्रायोजन मिलता है। यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हम अपने युवाओं की रूचि विभिन्न खेलों विशेषकर ओलम्पिक खेलों में पैदा करें।

मैं, श्री शरद पवार को भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड का अध्यक्ष बनने पर और बी. सी. सी. आई का राजस्व 100 करोड़ रु. प्रति वर्ष से बढ़कर 400 करोड़ रु. करने पर बधाई देता हूँ। अब मैं यह महसूस करता हूँ कि बीसीसीआई को क्रिकेट का ध्यान रखने के साथ साथ अन्य ओलंपिक खेलों का भी प्रोत्साहन देना चाहिए। मैं समझता हूं कि यह बहुत महत्वपूर्ण है कि हमें क्रिकेट के अलावा अन्य खेलों पर भी ध्यान देना चाहिए। माध्यमिक स्तर तक स्कूलों में खेल–कूद और शारीरिक शिक्षा को अनिवार्य विषय बनाना बहुत महत्वपूर्ण है। इसकी शुरूआत केंद्रीय माध्यमिक शिक्षा बोर्ड से संबद्ध और सभी केन्द्रीय विद्यालयों से की जा सकती है। मैं स्वामी विवेकानंद का उदाहरण देना चाहूँगा। स्वामी विवेकानंद ने युवाओं को आहवाहन किया था:

"मेरे युवा मित्रों, मेरी सलाह है कि आप मजबूत बनिए। आप गीता के अध्ययन से ज्यादा फुटबॉल खेलकर स्वर्ग के नजदीक हो जाओगे। आप अपनी मांसपेशियाँ मजबूत कर गीता को बेहतर ढंग से समझ सकेंगे, आप रक्त का संचार करके कृष्ण की विलक्षण और शक्तिशाली प्रतिभा को बेहतर समझ सकेंगे। जब आपका शरीर आपके पैरों पर मजबूती से खड़ा होगा और आप स्वयं को शक्तिशाली मनुष्य अनुभव करेंगे तो उपनिषदों और आत्मा को बेहतर समझ सकेंगे।"

मैं समझता हूं खेल–कूद हमेशा से बहुत महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहे हैं और मैं महसूस करता हूँ कि हमें इस पर बहुत ध्यान देने की जरूरत है।

खेल–कूद के सामान के विषय में ओलंपिक खेलों के सभी सामान पर सीमा–शुल्क से छूट दिए जाने की जरूरत है। आज भी जब हम ओलम्पिक के लिए समान आयात करते हैं तो कभी–कभी सीमा–शुल्क लगता है। यह दुविधा है। एक ओर तो हम अन्तर्राष्ट्रीय स्तर पर अधिक से अधिक पदक प्राप्त करना चाहते हैं परंतु दूसरी ओर जब खिलाड़ी या खेल संघ खेल का सामान आयात करना चाहते हैं तो उन्हें सीमा शुल्क चुकाना पड़ता है। इसीलिए सरकार उन्हें आर्थिक सहायता देने के बजाय उस पर सीमा शुल्क लगा रही है। जिसे बदला जाना चाहिए ऐसा मैं समझता हूं।

पोलो जैसे खेल के लिए भी जो बहुत कुछ भारतीय खेल हैं जब आप घोड़े आयात करते हैं तब उन पर सीमा शुल्क लगता है। मैं समझता हूं कि इस पर भी छूट देनी चाहिए। ओलम्पिक खेलों में रजत पदक विजेता कर्नल रा. व सिंह राठौड़ ने सुझाव दिया है कि खिलाड़ियों को दी जाने वाली नकद प्रोत्साहन राशि अधिक होनी चाहिए क्योंकि इससे उन्हें वित्तीय सुरक्षा प्राप्त होती है। उच्चतम स्तर की उपलब्धि प्राप्त करने वाले खिलाड़ियों को अतिरिक्त प्रोत्साहन राशि मिलनी चाहिए। इससे खिलाड़ी कई क्षेत्रों में भाग्य आजमाने के बजाय एक ही खेल पर ध्यान केन्द्रित करने के लिए प्रोत्साहित होंगे। यहाँ, मैं भारत सरकार और विशेषकर भारतीय सेना का धन्यवाद देना चाहूँगा जिसने कर्नल राठौड़ को विभिन्न उत्पादों का ब्रांड एम्बेसडर बनने की अनुमति दी और इसके बदले मैं आश्वस्त हूँ कि कर्नल राठौड़ भारतीय सेना के सबसे अच्छे ब्रांड एम्बेसडर हैं।

मैं निशानेबाजी के बारे में विस्तार से बोलना चाहूँगा क्योंकि इसमें मेरी दिलचस्पी होने के कारण मैं अन्तर्राष्ट्रीय निशानेबाजी से भी परिचित रहा हूँ। मैं पिछले 15 वर्षों से निशानेबाजी करता रहा हूँ। मैं इस सम्मानीय सभा को बताना चाहूँगा कि 15 वर्ष की उम्र से 25 वर्ष तक, जब मैंने निशानेबाजी की, मेरे पास कभी भी अच्छी किस्म की बंदूक नहीं रही। मैं अभ्यास के लिए कारतूस पर्याप्त संख्या में कभी नहीं जुटा सका। मैंने अपने जीवन के 10 वर्ष अच्छी बंदूक और कारतूस के बिना बिताए क्योंकि नियमों के अनुसार देश के शीर्ष दस निशानेबाज ही इनका आयात कर सकते हैं।

[हिन्दी]

अगर इस देश में सिर्फ 10 लोगों को आप इम्पोर्ट करने देंगे तो जो 15वीं पोजीशन पर है, 20वीं पोजीशन पर है, वह आगे कैसे बढ़ेगा। यही कारण था कि वही लोग शूटिंग करते थे, उनके परिवारों के अंदर शूटिंग चलती थी। मेरे पास टाइम होते हुए भी, बड़ी लगन होते हुए भी बिना हथियार के मैं नहीं कर सका और मुझे 10 साल लग गये। जब मैं उस स्टेज पर पहुंच गया, मैं टॉप टैन में आ गया तो इसमें मैंने बहुत प्रयास किया और मैं बहुत आभारी हूं कि 2002 के अंदर यह पालिसी चेंज की गई और 10 शूटर्स की जगह 25 शूटर्स को एलाऊ किया गया कि वे अपने पैसे से हथियार इम्पोर्ट कर सकें। उसके अंदर भी जब शूटर्स अपने पैसों से नेशनल में क्वालीफाई करने के बाद लाइसेंस के लिए एप्लाई करते हैं तो उन्हें बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है। जो आफिसर्स उनको लाइसेंस देते हैं, वे यह नहीं सोचते कि सिर्फ लाइसेंस दे रहे हैं, वे सोचते हैं, जैसे उनको दान के अंदर बंदूक दे रहे हैं या हथियार दे रहे हैं।

इसमें मैं कहना चाहूंगा कि यह ऑटोमेटिक होना चाहिए। 110 करोड़ लोगों के देश के अंदर वह संख्या 10 से बढ़ाकर 25 की गई। जब हमारे माननीय सुनील दत्त जी मंत्री थे तो मैंने उनसे प्रार्थना की थी तो उन्होंने यही कहा था कि इस लिमिट को बढ़ाकर जो भी नेशनल लेवल पर शूटर्स पहुंचते हैं, उन सभी को हथियार इम्पोर्ट करना एलाउड होगा। जब हम इन हथियारों की बात करते हैं तो ये कोई कॉम्बेट वैपंस नहीं हैं, यह कोई आदमी को मारने के लिए नहीं हैं, ये टार्गेट वैपंस हैं, जो किसी ए.के. 47 से कहीं ज्यादा महंगे आते हैं। किसी टैरेरिस्ट को अगर ए. के. 47 इम्पोर्ट करनी हो तो उसे तो कोई रैक्ट्रिक्शन नहीं है, लेकिन अगर एक शूटर को, जो अपने देश के लिए मैडल जीतना चाहता हो, अगर वह इम्पोर्ट करना चाहे तो उसको बहुत कठिनाईयों का सामना करना पड़ता है कई शूटर नेशनल लेवल पर क्वालीफाई करने के बाद भी इस कोशिश में लगे रहते हैं कि किस तरह से उनको लाइसेंस मिल सकता है। उन्हें मैडल जीतने की खुशी इतनी नहीं होती है, जितनी लाइसेंस मिलने की होती है। मैं कहना चाहूंगा कि सरकार को लाइसेंस आटोमैटिक कर देना चाहिए। इस बारे में मेरी माननीय श्री ऑस्कर फर्नान्डीस जी से बात हुई थी और उन्होंने मुझे एन्करैजिंग रिस्पॉन्स दिया था। उन्होंने कहा था कि स्पोर्टसमैन को ही नहीं गन डीलर्स को भी स्पोर्टस के वैपन्स रखने चाहिए, जैसे एयरगन्स या एयरपिस्टल्स हैं, जो कि बिल्कुल भी हानिकारक नहीं हैं और उनसे किसी का नुकसान नहीं हो सकता है, लेकिन वे स्पोर्टस को बढ़ाने के लिए आवश्यक हैं, उनको ऑटोमैटिक कर देंगे ताकि स्कूल्स और गन डीलर्स डयूटी फ्री इम्पोर्ट कर सकें। यह ओजीएल के अंदर तो है लेकिन इस पर आज भी डयूटी एक्सैम्पशन नहीं है। यदि हम चाहते हैं कि अन्तराष्ट्रीय स्तर पर शूटिंग में मेडल जीतें, दूसरी शूटिंग में मेडल जीतें, दूसरी तरफ जब कोई शूटर कोई गन इम्पोर्ट करे तो सब्सीडाइज्ड करने की बजाय उस पर डयूटी चार्ज की जाए, मैं समझता हूं कि यह बहुत बड़ा विरोधाभास होगा। इसे बदलने की जरूरत है।

महोदय, मैंने शूटिंग के अंदर नेशनल रिकार्ड बनाया हुआ है। मैं शूटिंग में नेशनल चैम्पियन भी रह चुका हूं। एक हफ्ते पहले मैंने नेशनल चैम्पियनशिप में टीम ईवेंट भी जीता है। मैं चाहता हूं कि शूटिंग शुरू करते समय जो तकलीफें मुझे आयी हैं, वे किसी और को न आयें। यदि आप लोग भी शूटिंग शुरू करेंगे, तब आपको मालूम पड़ेगा कि कितनी परेशानी एक आदमी को कोई भी स्पोर्टस शुरू करते समय आती है। हिन्दुस्तान ही केवल ऐसा देश है, जहां के शूटिंग रैंजिस पर एम्युनिशन नहीं मिलता है, अन्यथा विश्व के अन्य देशों के शूटिंग रैजिंस पर दुकान होती है, जहां से आप हथियार किराये पर ले सकते हैं और प्रैक्टिस करके उन्हें वापस कर सकते हैं। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि हिन्दुस्तान की किसी भी शूटिंग रैंज पर यह सुविधा नहीं है कि आप गोलियां खरीद सकें और प्रैक्टिस कर सकें।

महोदय, मैं आपके माध्यम से सरकार से प्रार्थना करना चाहता हूं कि सरकार इस बारे में उचित कदम उठाए।

महोदय, हमने ओ. पी. जिंदल पे एण्ड प्ले नाम से एक नई स्कीम शुरू की है। यह स्कीम तुगलकाबाद में शुरू की गई है। यहां

[श्री नवीन जिन्दल]

पर आप कम कीमत पर एम्युनिशन खरीद सकेंगे और प्रैक्टिस कर सकेंगे। इस स्कीम को लागू करने के लिए मैं खेल मंत्री श्री ऑस्कर फर्नांडिस का बहुत–बहुत आभारी हूं। मैं स्वर्गीय श्री सुनीलदत्त जी को भी श्रद्धांजलि देना चाहूंगा, जिन्होंने काफी स्कीमों को प्रोत्साहन दिया था।

महोदय, जब कोई कारतूस इम्पोर्ट किया जाता है तो उसे लॉस्ट मिनट पर इम्पोर्ट किया जाता है। इस कारण से हमें वह हवाईजहाज द्वारा इम्पोर्ट करना पड़ता है, इससे जितने का कारतूस नहीं होता है, उससे ज्यादा तो उस पर किराया लग जाता है। प्लान बनाकर, समय पर और बल्क में इन कारतूसों को इम्पोर्ट किया जाए, साथ ही साथ इन्हें शिप से इम्पोर्ट किया जाए तो मैं समझता हूं कि कारतूस बहुत ही सस्ते पड़ेंगे। यह तो वही बात हो जाती है रोटी खरीदने के लिए पैसे नहीं हैं पर केक खरीदने के लिए खर्च करना पड़ रहा है। मैं चाहता हूं कि इस विरोधाभास को भी जल्द खत्म करना चाहिए।

मैं चाहता हूं कि एयरवैपन्स को ड्यूटी फ्री किया जाए ताकि स्कूलों में इनका प्रयोग हो सके। शूटिंग ऐसा खेल है, जिस पर हमारा देश पूरे संसार में डॉमिनेट कर सकता है।

महोदय, जितनी भी मैंने स्कीम्स बतायी है, उसमें पैसे की आवश्यकता नहीं है। मैं सरकार से पैसे की मांग नहीं कर रहा हूं। हमें केवल इसमें लिब्रलाइज़ रूख अपनाने की जरूरत है। लाइसेंस, परमिट, कोटा राज को खत्म करके, स्पोर्टस वैपन्स के लिए लिब्रलाइज़ रूल बनाए ताकि लोग अपने ड्रीम्स और पैशन्स को पूरा कर सके।

महोदय, मैं माननीय प्रधानमंत्री जी, गृह मंत्री जी और पूरे ऑगस्ट हाउस का धन्यवाद करना चाहूंगा जिन्होंने राष्ट्र गौरव अपमान निवारण विधेयक को पास किया। इस बिल के पास होने के बाद देश का कोई भी नागरिक अपने कपड़ों के ऊपर हमारे देश का झण्डा पहन सकेगा। मैं एक उदाहरण देना चाहूंगा, तीन–चार महीने पहले मैं ब्राजील गया था, एक इंटरनैशनल शूटिंग इवैंट में हिस्सा लेने के लिए, हम जब वहां पर अपने वैपन्स चैक कर रहे थे तो वहां के खिलाड़ी ने देखा कि मेरी कैप पर बैरिटा लिखा हुआ है। उन्होंने मुझे कहा कि आपने अपनी कैप के ऊपर विदेशी कम्पनी का नाम लिखा है, आप इसके ऊपर राष्ट्रीय ध्वज क्यों नहीं लगाते। मैं उस समय चुप हो गया क्योंकि मैं उन्हें यह नहीं बताना चाहता था कि हमारे देश में अपना झंडा लगाना एलाउड नहीं है। लेकिन मैं गर्व के साथ कह सकता हूं कि अब हमारे देश में लोग अपनी कैप के ऊपर, अपने कपड़ों के ऊपर राष्ट्रीय ध्वज लगा सकते हैं। जब हमारे खिलाड़ी अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर जाएंगे तो उन्हें राष्ट्रीय ध्वज हमेशा प्रेरित करेगा कि देश की सौ करोड़ जनता उनके साथ है।

जब राष्ट्रीय ध्वज पर डिस्कशन चल रही थी, तो कई लोगों ने आशंका जाहिर की थी कि जब सब लोगों को राष्ट्रीय ध्वज लगाना एलाऊ कर दिया जाएगा तो क्या इसकी गरिमा में कमी आएगी, क्या लोग इसका दुरूपयोग करेंगे। मैं कहना चाहूंगा कि हमें इन आशंकाओं को बिल्कुल भूल जाना चाहिए क्योंकि हम देवी–देवताओं की मूर्ति अपने घरों में रखते हैं तो उनका दुरूपयोग नहीं करते बल्कि उनकी पूजा करते हैं। इसलिए हमारे गणतंत्र की नींव विश्वास पर टिकी है। हमें एक–दूसरे पर विश्वास करना पड़ेगा, यह हमारा राष्ट्रीय ध्वज है, हमारा राष्ट्रीय ध्वज हमें हमेशा प्रेरित करेगा कि हम अपने देश के लिए ज्यादा से ज्यादा काम कर सकें।

[अनुवाद]

निष्कर्षतः, मैं केवल इतना कहना चाहूँगा कि अन्तर्राष्ट्रीय खेल देशों को अपने युवाओं की शक्ति का प्रदर्शन करने का अद्वितीय अवसर प्रदान करते हैं। स्वर्ण पदक जीतने की होड़ दिन–प्रतिदिन तेज होती जा रही है। न केवल विकसित देश बल्कि चीन और अन्य एशियाई देशों ने भी अपने सतत प्रयासों द्वारा खेलों के स्तर में सुधार कर स्वर्ण पदक जीतने में बहुत प्रगति की है। खेलों में हमारी प्रगति नियमित नहीं रही है। 2002 में हुए राष्ट्रमंडल और एशियाई खेलों ने खेलों में हमारी रूचि को फिर से अस्थायी रूप से जाग्रत किया पर इसे जारी रखने और भारत की मेजबानी में होने वाले राष्ट्रमंडल खेल और 2008 के बीजिंग ओलम्पिक खेल जैसे आगामी खेलों में उच्चतम स्तर के प्रदर्शन तक विकास करने के लिए प्रयास किए जाने की जरूरत है। यदि माननीय श्री सुरेश कलमाड़ी की कोशिशें रंग लाती हैं और भारत को ओलम्पिक खेल के आयोजन करने का अधिकार हासिल हो जाता है तब हमें वास्तव में देश के खेल संस्कृति का निर्माण करना पड़ेगा ताकि जब हम यह आयोजन करें, तो इनमें अच्छा प्रदर्शन भी करें। इसलिए, मैं इस सदन के सभी माननीय सदस्यों से सर्वसम्मत वातावरण बनाने की अपील करना चाहूँगा। हमें भारत में खेलों के लिए जोशीला वातावरण बनाने में अपना सहयोग देना चाहिए जिसमें हमारे प्रतिभाशाली युवा अपनी श्रेष्ठता साबित कर सकें। खेल हमारे देश, हमारे देश के युवाओं को मजबूत, गौरवशाली और अनुशासित बनाएगा। यह हमें अच्छी टीम के खिलाड़ी बनना सिखाएगा। महोदय, अच्छी टीम के खिलाड़ी बने

बिना इस संसार के किसी खेल में जीता नहीं जा सकता। देश में खेल संस्कृति को बढ़ावा देकर हम सभी अच्छी टीम के खिलाड़ी बन जाएँगे। हमें अपने देश में और अधिक गर्व महसूस होगा और हमें अधिक से अधिक गौरवान्वित, समृद्ध और प्रसन्न नागरिक बन जाएँगे। इसलिए, मैं इस सम्मानित सदन से अनुरोध करूँगा कि वे न केवल क्रिकेट बल्कि अन्य खेलों को भी समर्थन दें।

हमें ओलम्पिक खेलों पर भी ध्यान इसलिए देना चाहिए क्योंकि ये 200 से अधिक देशों में खेले जाते हैं। हमारे देश में इन खेलों को वास्तव में नजर अंदाज कर दिया जाता है। हमारे देश में क्रिकेट की ओर किसी भी तरह से बहुत ध्यान दिया जाता है। मैं इस अवसर पर भारतीय क्रिकेट टीम को श्रीलंका को 2–0 से हराने के लिए भी बधाई देना चाहूँगा। हम सभी को वास्तव में ओलम्पिक खेलों पर भी ध्यान केंद्रित करना होगा। इसके लिए आपने मुझे बोलने का अवसर दिया। मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूँ।

[हिन्दी]

प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा (दक्षिणी दिल्ली) : सभापति महोदय, मैं सबसे पहले जिंदल जी को इस बात की बधाई देना चाहता हूं कि उन्होंने नियम 193 के अंतर्गत इस विषय को बहस के लिए उठाया। हम कई बार इसके बारे में नोटिस देते रहे हैं और मुझे इस बात की खुशी है कि बहुत सालों के बाद लोक सभा ने इस विषय पर कोई बहस की है। बहुत जरूरी काम के बावजूद मुझे लगा कि इस विषय पर इस समय जरूर कुछ कहना चाहिए। मैं अधिक समय नहीं लूंगा परंतु जितनी बातें जिंदल जी ने कहीं, उन सबका मैं समर्थन करता हूं, वे बहुत ही आवश्यक हैं और उन पर विचार करना चाहिए। एक विचार जो सचमुच देखने का है, जिसे सारे हाउस को विचार करना चाहिए, यहां हमारे आई ओ ए के प्रैजीडैंट श्री कलमाडी बैठे हुए हैं, इस देश में हर आदमी चाहता है कि खेलों की उन्नति हो, पर खेल का बजट क्या है। इस पर थोड़ा विचार करना चाहिए। स्पोर्ट्स के लिए इस साल का टोटल बजट जिसमें भा.खे.प्रा. भी शामिल है, सब मिलाकर 312 करोड़ रुपये हैं, जिसमें से 50 परसेंट से ज्यादा स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया के लिए जाता है। बाकी का पैसा सुपरविजन आदि में जाता है। मैं पूछना चाहता हूं कि खिलाड़ियों पर कितना पैसा खर्च हो रहा है? आज हम हिन्दुस्तान का जिक्र करते हैं कि यह 106 करोड़ लोगों का देश है। छोटे–छोटे देश मैडल ले आते हैं लेकिन हम मैडल लेकर नहीं आते। परन्तु जिस देश में टोटल बजट पर उसकी जीएनपी का .00001 परसेंट खर्च होता हो, उससे आप बहुत से मैडल जीतने की उम्मीद कैसे कर सकते हैं? अगर हम पिछले और इस साल के बजट को देखें, तो पिछले साल के बजट से इस साल के टोटल बजट प्लान एलोकेशन में 40 परसेंट की इनक्रीज हुई। स्पोर्ट्स में वैसे 11 परसेंट इनक्रीज हुई। अगर उसमें से 45 करोड़ रुपये, जो कॉमन वेल्थ गेम्स के लिए रखा था, वह निकाल दिया जाये तो यह 7 परसेंट है। बदकिस्मती से केवल यही एक सैक्टर है जिसमें पिछले साल के मुकाबले प्लान एलोकशन कम हो गया है। अगर प्लान एलोकशन पिछले साल से कम हो जाये और हम उम्मीद करें कि हमारे खिलाड़ी यहां बड़े मैडल जीतकर आयें, तो वह ठीक नहीं है। आने वाले मार्च में हमें कॉमन वेल्थ गेम्स में जाना है। सारे हाउस को यूनेनीमसली इस बात को कहना चाहिए। यहां मिनिस्टर साहब भी बैठे हैं, कि यह बजट केवल 100 करोड़, 150 करोड़, पांच या दस करोड़ रुपये में ही रहेगा तो इससे कुछ होने वाला नहीं है। मिनिमम दो हजार करोड़ रुपया अगले पांच साल के लिए उसको भा. ओ. सं. के साथ तालमेल बैठाकर दिया जाये तो इससे कुछ नतीजा निकल सकता है।

सभापति महोदय, मैं रोज अखबार पढ़ता हूं और देखता हूं कि कॉमन वेल्थ गेम्स के लिए तैयारी हो रही है। कॉमन वेल्थ गेम्स की वजह से यह पुल बन रहा है, इसलिए इसमें 500 करोड़ रुपये खर्च होंगे। कॉमन वेल्थ गेम्स की वजह से होटल बन रहे हैं, जिसमें कई हजार करोड़ रुपये खर्च होंगे। कुल मिलाकर होटल आदि चीजों में तकरीबन 40–50 हजार करोड़ रुपये खर्च होने हैं। मेरा कहना है कि इस पैसे का 10 परसेंट भी यदि आप खिलाड़ियों पर खर्च कर दें तो उसमें बहुत कुछ हो सकता है। मगर हम पैनी वाइस पौंड फुलिश सिद्धांत पर चल रहे हैं। दिल्ली में मच्छर मारने की मशीनें कॉमन वेल्थ गेम्स के लिए चाहिए तो उस पर पैसा लगा दो या फलां चीज पर कर दो, आदि कर रहे हैं। इस बात का भी बहुत जिक्र हो रहा है कि यहां मच्छर बहुत ज्यादा है इसलिए ये मशीनें लानी हैं।

मैं खिलाड़ियों के बारे में आपको कुछ बताना चाहता हूं। हिन्दुस्तान में ढाई सौ और तीन सौ यूनीवर्सिटीज हैं। उन तीन सौ यूनीवर्सिटीज के लिए पिछले साल 12 करोड़ रुपये रखे गये थे, लेकिन इस साल एक पैसा भी नहीं रखा गया है। यह कहा गया कि यूजीसी उस पर खर्च करेगी। प्लान में यूनीवर्सिटीज के स्पोर्ट्स का जो बजट था, उसको जीरो कर दिया गया। यदि एक यूनिवर्सिटी में

[प्रो. विजय कुमार मल्होत्रा]

एक स्विमिंग पूल बनाना हो तो उसके लिए 12 से 20 करोड़ रुपया लग जाता है। हिन्दुस्तान की कोई यूनीवर्सिटी ऐसी नहीं है जिसमें इंटरनैशनल स्टैंडर्ड का स्विमिंग पूल या इक्विपमैंट्स हों। हिन्दुस्तान में ऐसी एक भी यूनिवर्सिटी नहीं है जिसमें आप उम्मीद कर सकें? इसमें लिखा है कि इंटरनेशनल ऑफ सिंथेटिक प्लेइंग सरफेसिस को पिछले साल सात करोड़ रुपया दिया गया जिसे रिवाइज करके डेढ़ करोड़ रुपया दिया गया लेकिन इस साल जीरो है। आप दूसरे देशों से इस देश का मुकाबला करते हैं? आप कहते हैं कि हौलैंड हॉकी में बहुत आगे चला गया है, आस्ट्रेलिया बहुत आगे चला गया है। वह छोटा सा मुल्क है। हालैंड में हॉकी के साढ़े तीन सौ सिंथेटिक सरफेसिस हैं जबकि हमारे देश में कितने हैं? मैं किसी सरकार की बात नहीं कर रहा हूं परंतु अगर इसमें सोचना है तो बड़े पैमाने पर सोचना होगा।

अभी आपने प्राइवेट लोगों से कहा कि 50 परसेंट आप दें और 50 परसेंट हम देंगे। अगर 50 परसेंट पैसा किसी कैपलिस्ट या बिज़नेस हाउस को देना है तो उसका मतलब यह है कि टैक्स के अंदर आप उसे 165 परसेंट की एग्जम्पशन दें, तो वह 50 परसेंट पैसा लगायेगा और 50 परसेंट पैसा हम लगायेंगे। अगर आप 50–50 परसेंट करते हैं तो सीधा क्यों नहीं कहते? इस वजह से एक भी जगह नहीं बन रही है। हम न तो 50 परसेंट पैसा देते हैं और न ही वह 50 परसेंट पैसा डालते हैं। अगर आप कहें कि स्पोर्ट्स के इन्फ्रास्ट्रक्चर के लिए या किसी और काम के लिए हम उन्हें 165 परसेंट एग्जम्पशन देंगे, अब 100 परसेंट नहीं क्योंकि 100 परसेंट का मतलब 30 परसेंट ही है। तो भी सत्तर प्रतिशत वह अपने पास से डालता है। 165 प्रतिशत आप कर दें तो पचास–पचास प्रतिशत बैठता है। इसलिए इसको भी करने की जरूरत है। सारी स्पोर्ट्स फेडरेशन जिनके नेशनल्स भी हैं, जिसमें कोचेज भी हैं; कोचिंग कैम्पस भी हैं जिसमें कि जूनियर, सब–जूनियर, सीनियर सभी हैं और बाहर टीमें भेजना भी है। सब मिलाकर, टोटल जितना खर्च है, वह सब स्पोर्ट्स फेडरेशन के माध्यम से है और उसमें कुल खर्च 45 करोड़ रुपया रखा गया है। मैंने कहा कि उसमें से कॉमनवैल्थ गेम्स का भी हिसाब है। एक करोड़ रुपया क्रिकेट पर खर्च आता है। क्रिकेट का जब यह फेडरेशन एडवर्टाइज करती है, उसके एडवर्टाइजमेंट के साथ ही उसकी इंकम ही हमारे बजट से पचास–सौ गुना है। उनकी इंकम ही इतनी ज्यादा हो जाती है। एक क्रिकेट खिलाड़ी को पैसा मिलता है और यश मिलता है। हमारे ओलम्पिक गेम्स में क्या मिल रहा है, इसको भी देखने की जरूरत है। खेल के मैदानों के विकास के लिए ग्रामीण विद्यालय के लिए अनुदान हेतु साढ़े चार करोड़ रुपया है। साढ़े चार लाख गांव हैं या साढ़े पांच लाख गांव हैं। साढ़े चार करोड़ रुपया है। साढ़े चार लाख गांव हैं या साढ़े पांच लाख गांव हैं। साढ़े चार करोड़ रुपया हिन्दुस्तान भर के सारे गांव में जिनकी प्ले फील्ड बनानी है तथा और भी सारे काम करने हैं, उसके लिए केवल साढ़े चार करोड़ रुपया है। सौ रुपया भी नहीं बैठेगा। मुश्किल से सौ रुपये से भी कम एक गांव का बैठेगा। क्या रूरल एरिया में इससे कुछ काम हो सकता है? क्या कोई प्ले फील्ड बन सकती है? ये जो स्मॉल वर्सेज हैं, इनको छोड़े। अब यह देखिएगा कि एक छोटी सी बात मैं कहना चाहता हूं। पिछली बार कॉमन वैल्थ गेम्स में जिसे गोल्ड मैडल मिला, उसे बीस लाख रुपये का प्राइस मिला। जो एशियन गेम्स पिछले 2002 में हुए थे, उनमें जो गोल्ड मैडल जीतकर आया, उसे बीस लाख रुपये का प्राइस मिला। लेकिन अब इस प्राइस को कम करके 6 लाख रुपये कर दिया गया है। सन् 2004 तक प्राइस बीस लाख रुपये था और 2005 में 6 लाख रुपये कर दियां। मैंने मंत्रालय से पूछा था कि यह क्या है? बीस लाख रुपये दिये गये थे, लोगों ने बीस लाख रुपये से बढ़ाकर तीस लाख–चालीस लाख रुपये इंसेंटिव्स के रुप में दिये हैं। सारी एशिया के अंदर कोई गोल्ड मैडल जीतकर आ रहा है, सारी कॉमनवैल्थ कंट्रीज में जीतकर आ रहा है, उसका फस्ट प्राइज पहले बीस लाख रुपये था, उसके कोच को भी बीस लाख रुपये था, उसे कम करके 6 लाख रुपये क्यों कर दिया? उन्होंने कहा कि वह बिना उसके हो गया था, इसलिए अब हमने उसे 6 लाख रुपये कर दिया। अगर स्पोर्ट्स के लिए इसी तरह से इंसेंटिव्स हैं तो स्पोर्ट्स के बढ़ने की कोई गुंजाइश नहीं है और हमें इसे भूल जाना चाहिए। ज्यादा बड़ी–बड़ी बातें करने से कोई फायदा नहीं है। इसलिए इस बात पर बैठकर विचार करना चाहिए।

मैंने पहले ही 1951 का प्लान देखा है, उसमें शुरू हुआ है और अब तक हमारी दस नेशनल पॉलिसी बन चुकी हैं। सबमें यह बात है कि कम्पलसरी सबजेक्ट स्कूल के अंदर स्पोर्ट्स होना चाहिए। लेकिन आज तक इम्पलीमेंट नहीं हुआ है। कम से कम यही होता कि यह लड़का अगर स्पोर्ट्स में हिस्सा नहीं लेगा तो उसे अगली क्लास में नहीं चढ़ाएगा। आप उसको नम्बर मत दीजिए, आप उसे बीच में मत डालिए, पर उसमें यह कम्पलसरी तो करिए कि अगली क्लास में अगर जाना है तो स्पोर्ट्स में हिस्सा लेना पड़ेगा। दस नेशनल पॉलिसीज में लिखने के बाद भी कुछ नहीं हुआ है और यह इसलिए नहीं है कि इसके बारे में कोई बिल नहीं है, कोई करने की जरूरत नहीं है।

अगर ये सारी आइटम्स बजट के लिए मैं आपके सामने दिखाऊं तो मैं आपको दिखा सकता हूं कि किस नेशनल स्पोर्ट्स के साथ एक स्टैप मदरली ट्रीटमेंट है। स्पोर्ट्स का जो विषय है, इसके लिए पिछले साल से बहुत कम बजट एलोकेट किया गया है। मैं फिर आपसे कहना चाहता हूं कि सारा हाउस यूनेनीमसली इस बात को एप्रूव करे कि इसके लिए अगले साल जो बजट आएगा, वह कम से कम 2000 करोड़ रुपये का बजट होना चाहिए और सारे सदन को मिलकर इस पर विचार करना चाहिए। इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

सभापति महोदय : बहुत अच्छा बोला है।

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर (कृष्णनगर) : सबसे पहले माननीय सभापति जी को मैं धन्यवाद देना चाहती हूं क्योंकि उन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर मुझे अपने विचार प्रस्तुत करने का मौका दिया है। इस विषय पर काफी चर्चा की आवश्यकता थी। इस विषय से मेरा नजदीक का रिश्ता है। इसीलिए इस क्षेत्र की परेशानियों और समस्याओं को मैं अच्छी तरह से समझती हूं। पिछले डेढ़ वर्ष में मैं स्टैंडिंग कमेटी की मैम्बर रही हूं और खेल के मैदान से लेकर खिलाड़ी से बातचीत करने तक का मुझे मौका मिला है और जिस परेशानी का मुझे सामना करना पड़ा था, आज भी उसी परेशानी का सामना खिलाड़ी को करना पड़ रहा है। मैं अपने नेता श्री बासुदेव आचार्य जी को धन्यवाद देती हूं जिन्होंने मेरी प्राथमिकता का सम्मान रखा है। मैं कहना चाहूंगी कि खेलों के प्रति लोगों में जागरूकता लाने की कोशिश करने की जरूरत है। यह जागरूकता तब तक नहीं लायी जा सकती है, जब तक खेलों को शिक्षा से न जोड़ दिया जाए। जब तक खेलों को शिक्षा का एक हिस्सा नहीं बना दिया जाता है, यह काम कभी पूरा नहीं होगा। एक नयी खेल नीति लाने की जरूरत है, जिसमें खेलकूद को एक जरूरी विषय के रूप में पाठयक्रम में जोड़ दिया जाए। शिक्षा विभाग द्वारा यह निर्देश जारी किया जाना चाहिए कि स्कूलों के पास खेलों के लिए जगह हो। अधिकाधिक खिलाड़ियों का चयन स्कूल से ही किया जाना चाहिए और यह काम तभी होगा जब शिक्षा को एक जरूरी विषय के रूप में लिया जाएगा। राष्ट्रीय खेल नीति वर्ष 1984 में संसद में प्रस्तुत की गयी, तब से उस दिशा में सरकार ने कोई सही कदम नहीं उठाया है। वर्ष 2001 में नेशनल स्पोर्टस पॉलिसी में इसका थोड़ा ध्यान रखा गया था।

कल अर्थात 21 दिसम्बर, 2005 को सदन में एक प्रश्न के उत्तर में माननीय मंत्री जी ने जो जवाब दिया, उसे सुनकर मुझे आश्चर्य हुआ। उन्होंने कहा था कि भारत, चीन और यूरोपीय देशों में महिलाओं के खेल के विषय में कोई कम्परेटिव अध्ययन नहीं किया गया है। हमारा देश चीन से पहले आजाद हुआ था। आज चीन पूरे विश्व में खेल जगत में सबसे आगे जा रहा है और हमारे देश में एक भी सोने का मेडल दिखायी नहीं देता है। जब तक कम्पेरेटिव स्टडी नहीं होगी, तब तक कैसे पता लगेगा कि हमारे देश में क्या कमी है। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता पर विचार करते हुए अन्तराष्ट्रीय खेलों में भारत के कमजोर प्रदर्शन पर चिन्ता जताई गयी है। अगर हम ओलम्पिक खेलों में भारत के प्रदर्शन को देखें तो पिछले 100 सालों के इतिहास में हॉकी, एथलेटिक्स, बाक्सिंग, वेट लिफ्टिंग, शूटिंग खेलों के अलावा हमें कुछ हासिल नहीं हुआ है। 100 करोड़ की जनसंख्या को विश्व में एक स्वर्ण भी नहीं मिल पाता है। इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो खिलाड़ियों का उचित इंफ्रास्ट्रक्चर की आवश्यकता है और दूसरी ओर इंफ्रास्ट्रक्चर का उचित उपयोग करना जरूरी है। हमारा देश इन दोनों ही पहलुओं में उचित प्रबंधन करने में सफल नहीं हो पा रहा है। इंफ्रास्ट्रक्चर की कमी नहीं है, लेकिन उसका वितरण गलत है। जहां गांवों में उसका नितान्त अभाव है, वहीं शहरों और कस्बों में उसका प्रबंधन गलत है। कबड्डी, आर्चरी, खोखो जैसे खेलों के लिए भी इंफ्रास्ट्रक्चर की व्यवस्था नहीं हो पा रही है। हमारे ग्रामीण और ट्राइबल एरियाज में प्रतिभा की कमी नहीं है परन्तु उनकी सुविधा नही मिलती है। रूरल स्पोर्ट्स को बढ़ावा देने के लिए हमें जिलावार मैदान और स्टेडियम्स की आवश्यकता है। पंचायतों और जिला परिषदों को आर्थिक निर्णय लेने में सहायता देकर हम ग्रामीणी स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत बना सकते हैं। स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर से संबंधित चार योजनाएं आयोग ने राज्यों को दे दी हैं। इससे भारत सरकार के खेल मंत्रालय को कुछ राहत मिल गयी होगी, लेकिन खेल को स्टेट सब्जेक्ट बताकर भारत सरकार अपनी जिम्मेदारी से नहीं बच सकती है। इस विषय को कन्करेन्ट लिस्ट में आना चाहिए जिससे दोनों की जिम्मेदारी बनेगी, पूरी जिम्मेदारी राज्य सरकार पर छोड़ने से काम नहीं चलेगा। जो चार स्कीम्स राज्यों को दी गयी है, उनके बारे में भारत सरकार की जिम्मेदारी बनती है कि इसके लिए राज्यों को विशेष आर्थिक सहायता देने की व्यवस्था बजट में हो। राज्यों की आर्थिक हालत केन्द्र सरकार से छिपी नहीं है। मुझे आशा है कि योजना आयोग राज्य की वार्षिक सहायता की इन स्कीमों पर आने वाले खर्च को ध्यान में रखेगा। मैं आशा करती हूं कि आगामी बजट में इस पर ध्यान दिया जाएगा। संसद में बहस हो और बहस केवल कागजों पर रह जाए, मैं यह नहीं चाहती हूं। पहले भी मैंने इस मुद्दे को कॉलिंग अटेंशन में उठाया था और तत्कालीन खेल मंत्री स्वर्गीय सुनील दत्त जी ने आश्वासन दिया था और यह उम्मीद थी कि आने वाले समय में बुनियादी ढांचा मजबूत हो जाएगा। मैं वर्तमान मंत्री जी से भी अनुरोध करूंगी कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर में स्टेडियम, मैदान, ट्रैक,

[श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर]

स्वीमिंग पूल आदि सभी महत्वपूर्ण हैं। हमारे एथलीट्स की ट्रेनिंग के लिए अच्छे ट्रैक की व्यवस्था करना बहुत जरूरी है। फुटबाल, हॉकी आदि खेलों में अच्छे मैदानों की आवश्यकता होती है।

महोदय, कोच खिलाड़ी का मॉडल होता है। कोच की बुनियादी आवश्यकताएं पूरी करना जरूरी है। उनके लिए वेतन, छुट्टियों आदि की व्यवस्था को भी ध्यान में रखना पड़ेगा। कोच मानसिक तौर पर संतुष्ट रहेगा, तभी अच्छी ट्रेनिंग दे सकता है। इधर कुछ दिन पहले, जून–जुलाई, 2005 में भा. खे. प्रा. में 736 कोचों के ट्रांसफर से खेल व्यवस्था पर विपरीत प्रभाव पड़ा है। उनके स्थानांतरण को लेकर कई भ्रांतियां हैं। कोई कोच तो कई वर्षों से एक ही स्थान पर आसीन है तो कुछ को लगभग हर वर्ष एक जगह से दूसरी जगह भेज दिया जाता है, इससे उनका व खिलाड़ियों का मनोबल गिरता है। हमारे यहां अच्छे कोच की कमी नहीं है, विदेशी कोच की व्यवस्था की गई है, ऐसा मानना है कि उनके आने से स्तर तो बढ़ा पर पिछले पांच–छः वर्षों में हम देखें कि हम अंतर्राष्ट्रीय मैडल से दूर रहे। उनके साथ खिलाड़ियों की भाषा संबंधी समस्याएं होती हैं। हमारे भारतीय कोचों को अन्तर्राष्ट्रीय स्तर की ट्रेनिंग देकर हम विदेशी कोच पर होने वाले खर्च को बचा सकते हैं।

इंफ्रास्ट्रक्चर की बात करते हुए कई पैंडिंग प्रोजेक्ट्स की बात आ जाती है। हमारे देश में अक्सर प्रोजेक्ट समय पर पूरे नहीं होते। इससे समय व धन दोनों की हानि तो होती ही है, साथ में इनका रेलेवेन्स भी समाप्त हो जाता है। शोरगुल मचाने पर पुराना प्रोजेक्ट तो पड़ा रह जाता है और नया प्रोजेक्ट या स्कीम चल पड़ती है। प्रोजेक्ट पूरा हो जाए तो उसका उपयोग नहीं हो पाता है। हमें समयबद्ध तरीके से अपने संसाधनों का वैज्ञानिक उपयोग करना नहीं आया है।

अपराह्न 4.51 बजे

(श्री वरकला राधाकृष्णन पीठासीन हुए)

इन सब तथ्यों का उल्लेख करते हुए मुझे इस बात की भी खुशी है कि आने वाले 2010 में हम कामनवैल्थ गेम्स आयोजित कर रहे हैं। भारत को मिलने वाले इस गौरव का श्रेय हमारी प्रतिभाओं को भी जाता है। अंतर्राष्ट्रीय समुदाय ने भारत की प्रतिभा को ध्यान में रख कर हमें कामनवैल्थ गेम्स दिए हैं। इन गेम्स का होस्ट होने के नाते हम पर कई जिम्मेदारियां भी हैं। सबसे पहली जिम्मेदारी है इतने बड़े इवेंट को सफल बनाने की। गेम्स पर लगने वाला इंफ्रास्ट्रक्चर न काफी बड़ा होगा, बल्कि महंगा भी होगा। भारत सरकार भारत की जनता के सहयोग से यह कार्य पूरा करेगी। दूसरी जिम्मेदारी यह है कि देश की प्रतिष्ठा होगी मैडल जीतना। हमें अपनी प्रतिभाओं को दिखाने का पूरा मौका मिल रहा है। यह अवसर है जब प्रत्येक भारतवासी का कर्तव्य बनता है कि स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर को मजबूत करने में सहयोग प्रदान करे। मौजूदा इंफ्रास्ट्रक्चर का स्तर बढ़ाना भी हमारी प्राथमिकता होनी चाहिए। कामनवैल्थ गेम्स का इंफ्रास्ट्रक्चर तो 2010 तक तैयार हो पाएगा, उसके समानांतर इंफ्रास्ट्रक्चर उपलब्ध करना होगा। हमें अपने खिलाड़ियों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार करने के लिए ज्यादा एजेंसीज नहीं बनानी चाहिए, इससे जिम्मेदारियां फिक्स करने में कठिनाइयां आती हैं। हमारा इंफ्रास्ट्रक्चर इतना मजबूत हो कि 2012 के एशियाई गेम्स और 2016 के ओलम्पिक गेम्स भी मिलें।

खेलों के विषय में बात चल रही है और आजकल पापुलर गेम क्रिकेट का जिक्र न करना गुस्ताखी होगी। क्रिकेट ने सबसे ज्यादा रोमांचित कर रखा है सारे देश को, हो क्यों नहीं आखिर बीसीसीआई खिलाड़ियों के लिए इतनी सुविधाएं जुटाता है। कम्पिटीशन इस खेल में बहुत अधिक है। एक–एक खिलाड़ी के लिए चार–चार प्रतिभाएं बाहर बैठी हैं, थोड़ी चूक हुई और हुए खेल से बाहर। सौरव गांगुली इस बार चुके नहीं, पर उन्हें भी बाहर होना पड़ा। यदि परफारमैंस खराब हो तो कोई बात नहीं, पर पिछले मैच में गांगुली ने अच्छा प्रदर्शन किया था। देश में 80 प्रतिशत लोगों की राय में उनका टीम से बाहर होना गलत है, उन्हें इस सीरीज में पूरा खेलने देना न्यायोचित था। उनके जैसा अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी इसके लिए डिजर्व करता है। अभी भी हमें उनसे उम्मीद है।

यहां पर मैं यह भी कहना चाहूंगी कि यह तो क्रिकेट की बात है, लोग इसे जान गए, पर अन्य खेलों में तो प्रतिभाशाली खिलाड़ियों के साथ अक्सर ऐसा होता रहता है। सिलेक्शन लेवल पर कई तरह की समस्याएं आती हैं। आखिर वक्त तक सिलेक्शन का पता नहीं रहता। हम लोग भी जब खेलने जाते थे, तो जब हम प्लेन में नहीं बैठ जाते थे, हम सोचते थे कि पता नहीं हम टीम के साथ दौड़ पाएंगे या नहीं।

अन्य संबंधित कई बातें हैं जो खेलों को प्रभावित करती हैं। इनमें एक मुख्य बात फैडरेशन एसोसिएशन के विषय में कहना ठीक रहेगा कि इनके किसी–किसी फैडरेशन के जो सचिव हैं, उन्हें खेल के बारे में कोई रूचि नहीं होती, वह कोई खेल नहीं जानते कि खेल क्या होता है। एक–एक सचिव एक ही एसोसिएशन में 40 से 45 वर्षों तक बैठा रहता है। सरकार से जो पैसा फैडरेशन को मिलता है, मैं मंत्री जी को सुझाव देना चाहूंगी कि उसका लेखाजोखा होना चाहिए।

मैं कुछ सुझाव देना चाहती हूं। जिंदल जी ने जो सुझाव दिए खेलों के विकास के बारे में और इंफ्रास्ट्रक्चर के बारे में, मैं इसके लिए उन्हें धन्यवाद देना चाहती हूं। मैं यह कहना चाहती हूं कि खेल के बाद खिलाड़ियों के लिए कोई निश्चित नौकरी नहीं है, वह होनी

चाहिए, क्योंकि देखा गया है कि अगर कोई खिलाड़ी किसी खेल से हटता है तो उसे कहीं नौकरी नहीं मिलती। कई बार तो ऐसे भूतपूर्व खिलाड़ियों को भुखमरी का शिकार भी होना पड़ा है। इसके अलावा खिलाड़ी के रूप में ही देखना चाहिए, जाति की दृष्टि से उसके साथ भेद नहीं करना चाहिए। बुनियादी ढांचें में प्रतिभाशाली खिलाड़ी को उन्नति का अवसर मिलना चाहिए। अभी स्पोर्ट्स फैडरेशन की बात कही गयी। हमारे देश का पूरा बजट 5 लाख करोड़ रुपये का है, 18 हजार करोड़ रुपये एजुकेशन का है और स्पोर्ट्स मिनिस्ट्री में पांच सौ करोड़ रुपया दिया गया है। मेरा कहना यह है कि यह बजट का केवल 0.5 प्रतिशत स्पोर्ट्स को देने से ही हमारा स्पोर्ट्स आगे बढ़ सकता है।

मैं उम्मीद करती हूं कि हमारा देश विश्व–पटल पर सबसे आगे रहेगा। मेरा समय समाप्त हो रहा है।

श्री रवि प्रकाश वर्मा (खीरी) : सभापति जी, मैं सबसे पहले भाई जिंदल जी को बधाई देना चाहता हूँ। जिन्होंने इस महत्वपूर्ण विषय को समझा और चर्चा के लिए नियम 193 के अंतर्गत इसे लाये हैं। साथ ही मैं माननीय स्पीकर साहब को भी बधाई देना चाहूंगा जिन्होंने प्राथमिकता के आधार पर इस विषय को आगे रखा। हमारे पूर्व वक्ताओं में माननीय विजय कुमार मल्होत्रा जी, श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर व श्री नवीन जिंदल जी ने बहुत ही महत्वपूर्ण सुझाव दिये हैं और ये लोग भी खेलों से सीधे जुड़े हैं। मैं अपने को, इनके सुझावों के साथ सम्बद्ध करता हूं।

हमारे खेलों का प्रभाव सीधा जनता के मन पर पड़ता है और इसका सीधा–सीधा रिश्ता देश की जनता के चरित्र और उसके मनोबल पर पड़ता है और खेल का रिश्ता सीधे जनता के मौरल बिल्डिंग से होता है। जो भी पैसा खेल–कूद पर खर्च किया जा रहा है वह पूरे राष्ट्र के चरित्र–निर्माण पर खर्च किया जा रहा है – मैं ऐसा समझता हूं। जो खर्चा भारत सरकार खेलकूद पर कर रही है वह धीरे–धीरे कम होता जा रहा है। जैसा कुछ वक्ताओं ने कहा कि मिनिमम रिक्वायरमेंट करीब दो–तीन हजार करोड़ रुपये की है जिससे खेलकूद के माहौल को हम बना सकेंगे।

आजकल खेलकूद का संबंध नौजवानों से लिया जाता है लेकिन मैं समझता हूं कि खेलकूद हर आदमी के लिए जीवन को जीने का तरीका है। आज कहा जाता है कि पूरे धरती पर सबसे ज्यादा डायबिटीज और दिल के मरीज हिंदुस्तान में है। इसलिए हम खेलकूद को किसी भी हालत में नजरअंदाज नहीं कर सकते हैं। हमारे लिए एक अपरिहार्य कार्यक्रम हो चुका है और आज आवश्यकता इस बात की है कि खेलकूद को बचपन से ही शिक्षा के कैरीकूलम के साथ जोड़ा जाना चाहिए।

खेलकूद का सबसे बड़ा लाभ यह है कि इससे आदमी का चरित्र बनता है। हमारे देश में 40 प्रतिशत लोग गरीबी रेखा से नीचे जीवनयापन करते हैं। जो लोग खेती से जुड़े हुए हैं उनके सामने सबसे बड़ी समस्या व्यक्तित्व के विकास की है। वे अपनी सही बात को भी सही नहीं कह पाते। अगर हमारे पास एक बहुत विकसित खेल संस्कृति रही होती तो व्यक्तित्व के अभाव से हम मुक्ति पा सकते थे और हिंदुस्तान एक उन्नत राष्ट्र बन सकता था। इस बात से कोई इंकार नहीं कर सकता है।

एक जमाना था जब कहा जाता था कि "पढ़ोगे–लिखोगे बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे होगे खराब"। लेकिन आज खेदकूद को महत्व मिलने लगा है।

अपराह्न 5.00 बजे

अब अच्छे कैरियर खेलकूद में निकल रहे हैं, लेकिन एक बड़ी दुखद सच्चाई भी है कि हमारे यहां जितने लोग टीवी पर बैठकर खेल देखते हैं या रेडियो पर सुनते हैं, उतने लोग खेलने के लिए नहीं जाते और अपने बच्चों को भी खेलने के लिए नहीं भेजते। यह एक दोहरा चरित्र है, जो हमारे सामने है। मुझे लगता है कि सदन में इस पर चर्चा हो रही है और मुझे विश्वास है कि पूरे हिन्दुस्तान में लाखों, करोड़ों लोग इस बात को देख रहे हैं और कल अखबार के माध्यम से भी इस बात को जानेंगे। इस बात पर विरोधाभास सामने आ जाना चाहिये कि ऐसा क्यों होता है? क्रिकेट को एक नशे की तरह हम लोग देख रहे हैं, लेकिन अपने ही बच्चों को हम खेलने नहीं भेजते हैं। कभी एक हफ्ते में एक बार मैदान में नहीं उतारते हैं। आखिर इसका क्या कारण है?

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें।

श्री रवि प्रकाश वर्मा : महोदय, मैं एक मिनट में अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा : यह बहुत ही आवश्यक पहलू है। खेल बेसिकली ह्यूमन डेवलपमेंट का प्रासेस है। आप खेलकूद से केवल यह उम्मीद नहीं कर सकते कि आदमी का शारीरिक विकास होगा, बल्कि खेलकूद का ह्यूमन डेवलपमेंट आस्पेक्ट्स जुड़े हुए हैं। मेरे पूर्ववर्ती वक्ताओं ने बहुत सी बातें कही, मैं उन्हें दोहराना नहीं चाहता, लेकिन अगर खेलकूद एलोकेशन बढ़ाए नहीं जाएंगे, तो खेलकूद में अच्छे कैरियर्स नहीं निकलेंगे। सच्चाई यह है कि हमारे पास अच्छे कोचेज का अभाव है, जैसा कि ज्योतिर्मय सिकदर साहिबा कह रही थीं कि हमारी स्थानीय भाषा को जानने वाले जो कोच हैं, जो अनुभवी कोच हैं, जो कम से कम हमारे ग्रामीण क्षेत्र के

[श्री रवि प्रकाश वर्मा]

बच्चों को उनकी स्थानीय भाषा में सिखा सकते हैं, उनसे इंटरेक्ट कर सकते हैं, उनकी मजबूरियों को समझ सकते हैं, हमें ऐसे कोच चाहिए। चूंकि खेल को शिक्षा का अपरिहार्य अंग नहीं बनाया गया था, इसलिए आज जैसे व्यक्तित्व का विकास लोगों को हुआ है, वह अधूरा है। जो पढ़ने वाले लोग हैं उनकी बौद्धिकता का विकास ज्यादा हो गया है, जो खेलने वाले लोग हैं, उनकी बाडी का एनर्जी डोमिनेट कर गया है, लेकिन एक सामान्य व्यक्तित्व के विकास में जो न्यूरो मस्क्युलर को–आर्डिनेशन चाहिए, जो मस्तिष्क और शरीर का तालमेल चाहिए, उसका हमारे हिंदुस्तान में बड़े स्तर पर अभाव है। मीडिया जिस तरह से क्रिकेट को वेटेज दे रहा है या जो महंगे स्पोर्टस हैं, कार रेसिंग को, एडवेंचर स्पोर्ट का, गोल्फ को, बिलियर्डस को तथा टेनिस को, मुझे लगता है कि उसमें खेलकूद का इंटरेस्ट कम है और सट्टेबाजी का इंटरेस्ट ज्यादा है। सच्चाई यह है कि बड़े पैमाने पर मीडिया के माध्यम से सट्टेबाजी हो रही है और इसने खेलकूद के माइंडसेट को डैमेज करने का काम किया है। मैं उम्मीद करता हूं कि सरकार आने वाले वर्षों में, क्योंकि हम लोग कॉमन वेल्थ गेम्स की ओर जा रहे हैं, इस चीज को ध्यान में रखेगी कि खेलकूद को एक कैरियर की तरह, संस्कृति की तरह, एक लाइफ स्टाइल की तरह हिंदुस्तान में लोग इसको स्वीकार करें।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। अभी करीब 20 वक्ताओं को अपनी बात कहनी है।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा : चाहें गरीब तबके के लोग हों, चाहें समृद्ध तबके के लोग हों, खेलकूद को एक संस्कृति बनकर हमारे सामने आना चाहिए। पैसे के डिस्बर्समेंट का जो मोड है, वह सिर्फ फेडरेशन द्वारा है। मैं आगाह करना चाहता हूं कि फेडरेशन की फंक्शनिंग बहुत डेमोक्रेटिक नहीं है। उस पर कुछ खास तबके के लोग हैं, जो डामिनेट करके बैठ जाते हैं, इसलिए फेडरेशन को ज्यादा ट्रांसपेरेंट और ज्यादा से ज्यादा डेमोक्रेटिक सेटअप बनाना चाहिए। मैं आपको अवगत कराना चाहता हूं कि हम खुद खिलाड़ी रहे हैं। हम पिछले 30–35 सालों में टूर्नामेंट, राज्य स्तर पर गोला गोकलनाथ लखीमपुर खीरी, उत्तर प्रदेश में चला रहे हैं, लेकिन आज तक हम लोगों को एक पैसे का ग्रांट नहीं मिला। हम लोग 2–3 लाख रुपए एक साल में बच्चों को ट्रेनिंग के लिए, टूर्नामेंट कराने के लिए व्यय करते हैं, लेकिन आज तक हमें ग्रांट नहीं मिला।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त करें। अन्यथा, हम लोग इस चर्चा को आज समाप्त नहीं कर पायेंगे।

[हिन्दी]

श्री रवि प्रकाश वर्मा : मेरा कहना है कि जिन स्कूलों में स्पोर्टस के टैलेंट को बढ़ाया जा रहा है, जहां पर एक्टिवली पर्टीसिपेशन किया जा रहा है, उनको भारत सरकार से सीधे ग्रांट का प्रावधान करना चाहिए। हमारे यहां इन्फ्रास्ट्रक्चर की कमी है, इसमें कोई शंका नहीं है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में भारत सरकार इस कमी को दूर करने का प्रयास करेगी। मेरा आपके माध्यम से सरकार से निवेदन है कि लखीमपुर खीरी में सूटिंग रेंज का निर्माण करने का प्रयास किया गया, उसमें सांसद निधि से मैंने कंट्रीब्यूशन भी किया, लेकिन आज तक वह अधूरी पड़ी है। मुझे मालूम है कि हमारे बहुत से सांसद भाई और बहन जिनकी खेलकूद में रूचि है और वह इसके इन्फ्रास्ट्रक्चर बिल्डिंग के लिए कुछ करना चाहते हैं, जिन खेल योजनाओं में एमपीज अपनी एमपीलैड्स से कंट्रीब्यूट कर रहे हैं, उनको प्रतियोगिता के स्तर पर भारत सरकार सीधे–सीधे यहां से ग्रांट करें, मैं इस बात का अनुरोध करता हूं। जिंदल जी ने वाकई एक महत्वपूर्ण विषय उठाया है। मैं आशा करता हूं कि यह डिबेट यही नहीं रूकेगी, एक लंबे समय तक यह डिबेट पार्लियामेंट में ही नहीं हर गली, हर गांव और हर शहर में होनी चाहिए। नैशनल मोरल को ऊपर उठाने के लिए खेलकूद बहुत महत्वपूर्ण माध्यम रहे हैं। देशी और स्थानीय खेलों को भी उतना ही महत्व देना चाहिए, चाहे वह महत्व मीडिया, सरकार या पत्र–पत्रिकाओं के माध्यम से ही दिया जाए। हर जिले, हर तहसील में स्थायी तौर पर इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रिएट होना चाहिए। हमारे गांव में अच्छे और बेहतरीन टेलेंट्स हैं, लेकिन उन्हें सपोर्ट नहीं मिल रहा है इसलिए वे सामने नहीं आ पा रहे हैं। मैं अपनी बात इस आशा से खत्म कर रहा हूं कि सदन यह संकल्प करके उठेगा कि हम खिलाड़ियों का ख्याल रखेंगे। यह दुर्भाग्यपूर्ण सत्य है कि मेजर ध्यानाचंद जैसे खिलाड़ी, जो अंतर्राष्ट्रीय स्तर के खिलाड़ी थे लेकिन उन्हें अपने आखिरी दिन आर्थिक दुर्गति में बिताने पड़े। मैं आशा करता हूं कि ऐसे दिन किसी दूसरी खिलाड़ी को देखने को नहीं मिलेंगे।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : कार्यवाही वृत्तांत में कुछ भी सम्मिलित नहीं किया जाएगा। आप इसी तरह बोलते रहिए।

*(व्यवधान)...**

सभापति महोदय : मैं माननीय सदस्यों को सूचित करना चाहूंगा कि करीब 20 वक्ता इस मुद्दे पर बोलने का इंतजार कर रहे हैं। यह महत्वपूर्ण मुद्दा है। मैं इस बात से सहमत हूं पर प्रश्न यह है कि समय सीमित है और किसी भी कारण से इसे बढ़ाया नहीं जा सकता।

---

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

...(व्यवधान)...

[हिन्दी]

श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर (कृष्णानगर) : सभापति महोदय, जब इस विषय पर चर्चा हो रही है तो इसे चलने दीजिए।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : अब, सायं 6 बजे तक का समय दिया गया है।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : महोदय, यह एक महत्वपूर्ण विषय है।

सभापति महोदय : इसके बाद, दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 पर विचार किया जाएगा। कल सदन अनिश्चित काल के लिए स्थगित कर दिया जाएगा। समय बहुत सीमित है।

...(व्यवधान)...

सभापति महोदय : कल मैं रात्रि 9.30 बजे तक बैठा था। आप में से कोई भी यहां नहीं थे। मैं कल यहीं था। उससे एक दिन पहले मैं, रात्रि 9 बजे तक बैठा था।

...(व्यवधान)

***श्री पन्नियन रवीन्द्रन** (तिरूवनन्तपुरम) : सभापति महोदय, जनसंख्या में हमारे देश का स्थान विश्व में दूसरा है। लेकिन खेलों में हम बहुत पीछे हैं। ओलम्पिक में भी हम बहुत पिछड़े हुए हैं। एक समय था जब हम हॉकी पर गर्व करते थे। हॉकी में हम विश्व में बहुत अच्छी स्थिति में थे। ओलम्पिक में हॉकी का पदक काफी समय तक हम जीतते रहे। हमारे पास ध्यानचंद जैस महान खिलाड़ी थे। कोई भी देश हमसे कड़ी प्रतिस्पर्द्धा करने की स्थिति में नहीं था। लेकिन अब हॉकी में हम बहुत पीछे हैं। यह सही है कि कुछ समय के लिए हमने कुछ प्रगति की थी। लेकिन फिर हम पीछे हो गए। अन्य खेलों में हमारी स्थिति क्या है? लैटिन अमरीकी देशों सहित कई छोटे देश खेलों पर काफी पैसा खर्च करते हैं। लेकिन क्या यह सच नहीं है कि इस क्षेत्र में हम पीछे जा रहे हैं?

किसी देश का स्वास्थ्य उसके खेलों में निहित रहता है। भारत की जनसंख्या 100 करोड़ से अधिक है। स्वतंत्रता प्राप्त हुए 58 वर्ष बीत चुके हैं। जब कोई अंतर्राष्ट्रीय खेल–कूद प्रतियोगिता आयोजित होती है तो हम भारत के बारे में सोचते हैं। हम पूछते हैं कि क्या भारत ने इन में कोई पदक जीता। इसका उत्तर प्रायः नकारात्मक होता है। यह स्थिति सभी खेलों की है। विकासशील देशों में हम चीन के बाद दूसरा प्रगतिशील राष्ट्र हैं। हम चीन से कई क्षेत्रों में प्रतिस्पर्द्धा कर रहे हैं। लेकिन खेलों में हम पीछे जा रहे हैं। मैं समझता हूँ कि इसका कारण है खेलों के मामलों मे हमारे द्वारा दर्शायी गयी उपेक्षा और दूर दृष्टि की कमी। क्योंकि खेलों को बढ़ावा देने के लिए हमारे पास पर्याप्त प्रणाली नहीं है। कई स्थानों में हमारे पास खेल के मैदान नहीं हैं। यदि हमें खेलों में विश्व के देशों से प्रतिस्पर्द्धा करनी है तो हमें कृत्रिम ट्रैक वाले स्टेडियम बनाने की जरूरत है। हमारे पास कई स्थानों में यह सुविधा उपलब्ध नहीं है। पी.टी. उषा जैसे केरल के एथलीट देश के लिए खेले और देश का नाम रोशन किया। ऐसे महान एथलीट भी बालू के ट्रैक पर अभ्यास कर रहे हैं। उन्हें अभ्यास करने के लिए कृत्रिम ट्रैक की जरूरत है। हमारे एथलीटों के उचित प्रशिक्षण के लिए पर्याप्त ढाँचागत सुविधा होनी चाहिए। हमारे देश में भारतीय खेल प्राधिकरण नामक संगठन है। देश के सभी प्रमुख स्थानों में भा. खे. प्रा. के क्षेत्रीय केन्द्र होने चाहिए। तिरूवनन्तपुरम में इसकी बहुत जरूरत है।

तिरूवनंतपुरम और कन्नूर में केरल में दो खेल विद्यालय हैं। इन विद्यालयों में करीब 500 विद्यार्थी पढ़ रहे हैं। ये विद्यालय केरल सरकार के शिक्षा विभाग के अधीन हैं। शिक्षा विभाग के अधीन चलाये जा रहे इन दो विद्यालयों में शिक्षा प्राप्त कर रही लड़कियों को पूर्व में खेल–कूद परिषद द्वारा भोजन उपलब्ध कराया जाता था। हाल ही में इसे भी बंद कर दिया गया है। ग्रामीण क्षेत्रों से आए विद्यार्थियों को प्रोत्साहित करने और उन्हें बढ़ावा देने के लिए खेल–कूद परिषद के पास कोई योजना नहीं है। यह दयनीय स्थिति है।

तिरूवनन्तपुरम में विद्यालय स्तर की खेल–कूद प्रतियोगिता आयोजित होने जा रही है जिसमें 4000 से अधिक विद्यार्थी भाग लेंगे। इस प्रकार की प्रतियोगिताओं में प्रतिभावान बच्चों की खोज करने के लिए हमारे पास कार्यक्रम होना चाहिए। ये बच्चे युवा प्रतिभाएँ हैं जो कालांतर में एथलीट बनते हैं और देश के लिए पदक जीतते हैं। उनकी पहचान करने और उनकी प्रतिभा को बढ़ावा देने के लिए प्रयास किया जाना चाहिए। लेकिन इसके लिए सरकार को पहल करनी चाहिए। देश में कई बड़ी कंपनियाँ और औद्योगिक फर्म हैं। ये सामान्यतः क्रिकेट और इस जैसे खेलों को बढ़ावा देती हैं। हम क्रिकेट को बढ़ावा देने की जरूरत का विरोध नहीं करते। यह खुशखबरी है कि इस महान सदन के माननीय सदस्य श्री शरद पवार बी सी सी आई के अध्यक्ष बन गए हैं। श्री पवार जी इस खेल की प्रगति के लिए काम कर रहे हैं और हमें इस बात की खुशी है। लेकिन अन्य खेलों की स्थिति क्या है? अन्य खेल खेलने वाले गरीब लोगों को कोई बड़ी कंपनी शायद ही प्रायोजित करती है? जब वे

*मूलतः मलयालम में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री पन्नियन रवीन्द्रन]

अपने खेलों से सन्यास लेते हैं तो उनका भविष्य सुरक्षित करने के लिए कोई प्रावधान नहीं होता। उनको रोजगार प्रदान करने की कोई व्यवस्था नहीं है। उनके सन्यास लेने के बाद उन्हें सहारा देने के लिए कोई व्यवस्था नहीं है। जो पुरस्कार राशि उन्हें दी जाती है वह भी 3 या 4 वर्ष के उनके प्रशिक्षण में हुए खर्च की कुल राशि के दस प्रतिशत से भी कम होती है। हमारे खिलाड़ियों को इस दयनीय स्थिति से बचाना हमारा कर्तव्य है। खिलाड़ियों की मदद करने के लिए प्रणाली बनाने के प्रति साकारात्मक रुख होना चाहिए। मेरा सुझाव है कि खेलों की स्थिति में सुधार के लिए बड़ी कंपनियों पर उपकर लगाया जाना चाहिए। खेलों के लिए बजटीय आबंटन वर्तमान् दर का कम से कम दस गुणा तक बढ़ाया जाना चाहिए हमें अनुभव करना और समझना चाहिए कि खेल–कूद एक महत्वपूर्ण गतिविधि है। जब तक हम राष्ट्र के रूप में खेलों को यथोचित महत्व नहीं देंगे तब तक हमारे देश में खेलों का कोई भविष्य नहीं है। फुटबॉल का उल्लेख करने की भी जरूरत नहीं है। हम इस तरह खेल में बहुत पीछे हैं। हमने फुटबॉल छोड़ दिया है और कई अन्य खेलों में पीछे जा रहे हैं। खेल–कूद के क्षेत्र में युवा प्रतिभाओं के विकास को आसान बनाने के लिए कोई प्रणाली नहीं है। खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने के लिए हमारे पास पर्याप्त ढाँचागत सुविधा नहीं है। खेलों के प्रति हमारी मनोवृत्ति में परिवर्तन होना चाहिए। खेलों पर यथोचित ध्यान दिया जाना चाहिए। सरकार को पहल करनी चाहिए। और खेलों के लिए आबंटन बढ़ाना चाहिए।

इसी प्रकार, एक अन्य महत्वपूर्ण मुद्दा खिलाड़ियों की पेंशन से संबंधित है। खेलों से सन्यास लेने वाले खिलाड़ियों के लिए पेंशन की व्यवस्था होनी चाहिए। अब कुछ स्थानों में थोड़ी सी रकम पेंशन के रूप में दी जाती है। इसमें वृद्धि की जानी चाहिए। यदि खिलाड़ियों का भविष्य पेंशन द्वारा सुरक्षित किया जाए तो वे अपना सर्वोत्तम योगदान कर सकते हैं। कुछ खिलाड़ी ऐसे हैं जो खेल प्रतियोगिताओं के दौरान घायल हो जाते हैं। इनमें से कुछ आजीवन घायल रहते हैं। ऐसे घायल खिलाड़ियों की देखभाल करने की कोई व्यवस्था नहीं है।

इसलिए मैं यह कहना चाहूँगा कि केन्द्र सरकार को खेलों में सुधार के लिए साकारात्मक कदम उठाना चाहिए और खेलों को उनका वाजिब महत्व और उन पर उचित ध्यान दिया जाना चाहिए। भा. खे. प्रा. को सभी राज्यों में क्षेत्रीय केन्द्र शुरू करने चाहिए। बजट में खेलों के लिए न्यूनतम रकम निर्धारित होनी चाहिए। एक संस्थान है जो लक्ष्मी बाई राष्ट्रीय शारीरिक शिक्षा संस्थान के नाम से जाना जाता है। इस संस्थान की स्थापना पं. बंगाल, केरल, महाराष्ट्र, मणिपुर आदि जैसे राज्यों में की जानी चाहिए। इन्हीं राज्यों से अधिकांश एथलीट आते हैं। ऐसे राज्यों में बेहतर खेल शिक्षा के लिए सुविधाएँ उपलब्ध करायी जानी चाहिए।

क्रिकेट कई प्रायोजकों का ध्यान आकर्षित कर रहा है। इस खेल से काफी आय होती है। क्रिकेट से प्राप्त आय का एक भाग नजरअंदाज किए गए खेलों को दिए जाना चाहिए। यह अच्छा विचार होगा यदि क्रिकेट जैसा समृद्ध और सफल खेल अन्य बदहाल खेलों को सहायता दे सके। यदि पवार जी जैसे व्यक्ति इसे संभव करने के लिए कुछ कर सकते हों तो इससे कई अन्य खेलों को काफी मदद मिलेगी। इसलिए सरकार से मेरी अंतिम अपील है कि सरकार को खेलों में और अधिक रूचि लेनी चाहिए। इससे पहले कि माननीय सभापति मुझे अपनी बात समाप्त करने के लिए कहें, मैं यह कहकर अपनी बात समाप्त कर रहा हूँ। कि सरकार को खेलों को महत्वपूर्ण राष्ट्रीय गतिविधि के रूप में विचार करना प्रारंभ करना चाहिए।

[हिन्दी]

श्री आलोक कुमार मेहता (समस्तीपुर) : सभापति महोदय, मैं आपको धन्यवाद देना चाहूंगा कि आपने मुझे माननीय सदस्य श्री नवीन जिन्दल एवं श्री बसुदेव आचार्य द्वारा लाये गये नियम 193 के अंतर्गत महत्वपूर्ण विषय पर बोलने का अवसर प्रदान किया है। खेल दुनिया के इतिहास में मानव ही नहीं जानवरों की जिंदगी का भी अभिन्न अंग रहे हैं। यह मानव की संस्कृति, मनोरंजन और स्वास्थ्य के साथ–साथ व्यक्तित्व को भी समृद्ध करते रहे हैं। ये राष्ट्रीय सम्मान बढ़ाने के साथ–साथ दो देशों के बीच सौहार्दपूर्ण संबंध और व्यापार को बढ़ावा देते हैं। इतने बहुआयामी प्रभावों को रखने के बावजूद खेल सरकार के कार्यक्रमों में अंतिम पायदान पर खड़े हैं। इस क्षेत्र में सरकार की ओर से बहुत कम एलोकेशन दिया है, यह परम्परा रही है। इस संबंध में मल्होत्रा साहब ने बहुत सी बातें कही हैं। लेकिन मैं कहना चाहता हूं कि भारतीय जनता पार्टी के छः वर्षों के शासनकाल में भी खेलों के क्षेत्र में विशेष कुछ नहीं किया गया, जिसे लेकर वह अपनी पीठ थपथपा रहे हैं।

सभापति महोदय, मैं कहना चाहता हूं कि इस देश में विकसित खेल संस्कृति पश्चिम बंगाल को छोड़कर शायद ही किसी राज्य में है। आज इसे खड़ा करने की आवश्यकता है। गांवों और गलियों में ही हमारी बहन, श्रीमती सिकदर, संसद सदस्य निकल कर खेल क्षेत्र में शिखर तक पहुंची और उन्होंने एशियन गेम्स में गोल्ड मैडल जीता। उन्होंने बहुत दिलेरी से अंदर की बातों को यहां

कहा। मैं बताना चाहता हूं कि आज गांवों और गलियों में जाकर टेलेन्ट सर्च प्रोग्राम ऑर्गेनाइज किये जाने चाहिए। जहां इंफ्रास्ट्रक्चर नहीं है, वहां भी टेलेन्ट भरा पड़ा है, बस उन्हें थोड़ा गाइड करने की जरूरत है। मैं समझता हूं कि इससे कभी – कभी जो स्टैगनेन्स वाली स्थिति आ जाती है, वह नहीं आयेगी। पुराने समय में जो परम्परागत ढंग से कहा जाता था – "पढ़ोगे लिखोगे तो बनोगे नवाब, खेलोगे कूदोगे तो बनोगे खराब" यह दोहा आज भी देहातों और कस्बों में लागू है। आज भी गांवों के लोग खेलों के प्रति जागरूक नहीं हैं। इसके लिए प्रचार– प्रसार करना, गांवों तक इसका संदेश पहुंचाना और उनमें एक अराउचल पैदा करने की आवश्यकता है। खेलों की राष्ट्रीय नीतियों में व्यावहारिक स्तर पर कमियां रहीं हैं। हमारे दृष्टिकोण से इसमें जो खामियां रही हैं, उन्हें मैं सदन के समक्ष रखना चाहता हूं। मैं माननीय मंत्री जी और उनकी एनथुजियास्टिक अप्रोच को बहुत पहले से जानता हूं। इस दिशा में बहुत कुछ किया जा सकता है। रेवेन्यु कमाने वाले खेलों के प्रचार–प्रसार और उनके प्रशिक्षण पर आज अधिक खर्च हो रहा है। लेकिन खेल ऐसी चीज नहीं है कि जिसे आप मार्केट मे बेचें, जहां से ज्यादा रेवेन्यू आये, सिर्फ उसे बढ़ावा दिया जाए, यह तर्क खेलों के क्षेत्र में लागू होना चाहिए। खेलों के क्षेत्र में होमोजिनिटी होनी चाहिए तथा जिन कन्वेंशनल और ट्रेडीशनल खेलों का गांवों और गलियों से लोप हो रहा है उन्हें एनकरेज किया जाना चाहिए। उनके एनकरेजमैन्ट के उपाय सरकार द्वारा किये जाने चाहिए। जिन पारंपरिक खेलों का लोप हो रहा है, उन्हें प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। जैसा मेरे से पूर्व वक्ता ने कहा कि विद्यालयों और महाविद्यालयों में खेलों की शिक्षा और प्रशिक्षण अनिवार्य होना चाहिए। खेलों के शिक्षक बहाल होने चाहिए। खेलों को ऑप्शनल सब्जैक्ट नहीं रहने दिया जाना चाहिए। मैं कहना चाहता हूं कि उत्कृष्ट खेलों को बड़ी कंपनियों के स्पॉन्सरशिप के भरोसे छोड़ना न्यायोजित नहीं होगा। इसलिए इन्हें सरकार आगे बढ़ाये तथा खेलों बढ़ावा देने के लिए सरकारी स्तर से जो कुछ किया जा सकता है, वह जरूर किया जाना चाहिए। खेल नीतियों को बनाने और उनके संशोधन में पर्याप्त परामर्श लेना तथा परामर्शदात्री समिति बनाना, क्षेत्रवार, खेलवार स्पोर्ट्स पर्सन्स की हिस्सेदारी होनी चाहिए।

महोदय, खेलों की एसोसिएशंस के बारे में मेरे से पूर्व वक्ता ने बताया कि उनमें जो सैक्रेटरी होते हैं, वे 15–15, 20–20 साल तक एक जगह जमे रहते हैं। जिन कारणों से सरकारी अधिकारियों का स्थानांतरण किया जाता है, उन्हीं कारणों से इस क्षेत्र में भी स्थानान्तरण किये जाने चाहिए। स्पोर्टस एसोसिएशंस में खिलाड़ियों की हिस्सेदारी होना चाहिए। अधिकांश एसोसिएशंस में खिलाड़ियों की हिस्सेदारी की संख्या नगण्य है। इसीलिए हम चाहते हैं कि जमीनी स्तर पर खेलकूद के प्रोत्साहन के जो उपाय हैं, उसमें पंचायती राज व्यवस्था के माध्यम से भी उन्हें स्वतंत्रता मिलनी चाहिए और उन्हें पर्याप्त धनराशि उपलब्ध करानी चाहिए। गांवों के स्तर पर खेलों के क्षेत्र में बेसिक इंफ्रास्ट्रक्चर तैयार होना चाहिए। अंत में मैं कहना चाहता हूं कि बिहार जैसे दर्जनों राज्य देश में हैं जहां इस ओर ध्यान देने की आवश्यकता है। मैं उत्तर पूर्वी राज्यों के आंकड़े देख रहा था। मैंने देखा कि राष्ट्रीय सहायता के रूप में खेलों के क्षेत्र में जो राशि दी जाती रही है, वह नगण्य है। पिछले आठ–दस वर्षों के आंकड़े मैने देखे हैं। बिहार और ऐसे राज्यों में, जिनको द्रोणाचार्य की खोज है, द्रोणाचार्य नहीं मिल पा रहे हैं, वहां अर्जुन भील शिष्यों की जिन्दगी जी रहे हैं। मैं माननीय मंत्री जी से कहना चाहता हूं कि इस ओर ध्यान दें और अनडिसकवर्ड क्षेत्रों को डिसकवर करके खेलों में आगे जाने का प्रयास करें जिससे राष्ट्रीय उन्नति में उनकी भागीदारी हो।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं आपका धन्यवाद करता हूं कि आपने मुझे बोलने का अवसर दिया।

[अनुवाद]

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्रीपेरूम्बुदूर) : महोदय, आगामी खेल प्रतिस्पर्द्धाओं को ध्यान में रखते हुए देश में खेल संबंधी आधारभूत ढाँचे का विकास किये जाने की आवश्यकता के बारे में मेरे मित्र श्री नवीन जिन्दल द्वारा नियम 193 के अधीन आरंभ की गई चर्चा में मुझे बोलने का अवसर देने के लिए आपका धन्यवाद।

वास्तव में मैं श्री नवीन जिन्दल को धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने नियम 193 के अधीन इस चर्चा की पहल की है। खेलों के बारे में चर्चा के लिए यह अत्यंत महत्वपूर्ण समय है। हम विभिन्न विकासात्मक कार्यकलापों के बारे में चर्चा करने में अत्यधिक समय खर्च कर रहे हैं। हम संसद के समय का उपयोग विभिन्न विषयों पर चर्चा करने में कर रहे हैं। खेल संबंधी आधारभूत ढांचे के विकास के बारे में चर्चा करना भी महत्वपूर्ण है।

मानव संसाधनों का विकास करने के लिए खेल संबंधी आधारभूत ढाँचे का विकास करना आवश्यक है। अच्छी खेल अवसंरचना से अच्छे खिलाड़ी बनेंगे। हम कहते हैं कि स्वास्थ्य ही सबसे बड़ा धन है। हम धन की ओर भाग रहे हैं और अपने स्वास्थ्य को हानि पहुंचा रहे हैं। अतः धन के पीछे भागने से क्या लाभ है? हम देखते हैं कि भारत में पर्याप्त शारीरिक क्रियाकलाप न होने के कारण अधिकांश लोग मधुमेह, रक्त–चाप और अन्य रोगों से ग्रस्त

[श्री ए. कृष्णास्वामी]

हैं। यहां तक कि एक खिलाड़ी भी जोकि शारीरिक व्यायाम करता है, केवल युवा अवस्था में ही अपने स्वास्थ्य को ठीक प्रकार रखता है। अधेड़ अवस्था को पार करने के पश्चात् वह खेल संबंधी क्रियाकलाप छोड़ देता है और रोगी बन जाता है। अतः खेलों और खेल संबंधी आधारभूत ढांचे के विकास के बारे में चर्चा करने के लिए यह सही समय है।

भारत विश्व में अपने मानव संसाधनों के लिए प्रसिद्ध है। भारत का ध्यान सूचना प्रौद्योगिकी, ऑटोमोबाइल इंजीनियरिंग आदि क्षेत्रों में अपने मानव संसाधनों का विकास करने पर केंद्रित है। अब हमारा देश तरक्की कर रहा है। सम्पूर्ण विश्व हमारी लगन, ईमानदारी और हमारे मानव संसाधन के ज्ञान के आधार के कारण भारतीय श्रम पर निर्भर है। फिर खेलों में हम पीछे क्यों हैं?

अन्य एशियाई देशों की तुलना में भारत खेलों में पीछे है। एक खिलाड़ी होने के नाते मैं इस विषय पर बोल रहा हूं। जब मैं स्कूली शिक्षा ग्रहण कर रहा था, और मैं हायर सैकेंडरी में था तो विश्वास कीजिए, मैं एक "बॉडी बिल्डर" था। उस समय मैं भारोत्तोलन किया करता था क्योंकि मेरे स्कूल के निकट ही एक बहुत अच्छा खेल परिसर था जिसमें भारोत्तोलन, व्यायामशाला आदि के लिए सभी सुविधाएँ उपलब्ध थीं। मैंने वहीं लगातार कई वर्ष तक अभ्यास किया और वर्ष 1984 में 'मिस्टर मद्रास' बना। वर्ष 1986 में, मैंने राज्य में तीसरा स्थान प्राप्त किया। स्कूली शिक्षा पूरी करने के पश्चात् मुझे भारोत्तोलन के लिए अच्छा आधारभूत ढाँचा नहीं मिल पाया; इसलिए मैंने खेल संबंधी क्रियाकलाप बन्द कर दिये। तत्पश्चात् मैं दोबारा एक अच्छा खिलाड़ी कभी नहीं बन पाया।

प्रथम स्तर पर आधारभूत ढाँचा ही प्रत्येक व्यक्ति को युवा अवस्था में खेलों में भाग लेने के लिए आकर्षित करता है। यदि आधारभूत ढाँचा अच्छा होगा तो प्रत्येक व्यक्ति खिलाड़ी बनना चाहेगा। चूंकि खिलाड़ी अपने शारीरिक स्वास्थ्य पर विशेष ध्यान देते हैं इसलिए वे प्रत्येक व्यक्ति का ध्यान आकर्षित करते हैं। यही कारण है कि हम देखते हैं कि तेंदुलकर जैसा खिलाड़ी लगभग 100 करोड़ लोगों को ध्यान आकर्षित करता है। मैं धनराज पिल्लै का प्रशंसक हूँ। दो वर्ष पूर्व मैंने चेन्नई में राधाकृष्णन स्टेडियम, जोकि बहुत अच्छा स्टेडियम है, में राष्ट्रीय स्तर पर हॉकी मैच का आयोजन कराया था। उस स्टेडियम में हॉकी खेलने के लिए कृत्रिम घास का मैदान (सिंथेटिक ट्रैक) है। बचपन में, मैं गलियों मे हॉकी खेला करता था। इन गलियों का तल बहुत ऊबड़-खाबड़ होता था। जब हम ऐसी गलियों में हॉकी खेलते थे तो हमें बहुत चोटें आती थीं। इस स्तर पर धनराज पिल्लै जैसे खिलाड़ी सिंथेटिक ट्रैकों पर हॉकी खेल सके परंतु ग्रामीण लोगों या उन लोगों के बारे में आप क्या कहेंगे जो शहरी क्षेत्रों में रह रहे हैं परंतु उन्हें अच्छे ट्रैकों पर खेलने का मौका नहीं मिलता?

नये निर्माण कार्य को मंजूरी देते समय हम पार्क, खेल के मैदान और ऐसी प्रत्येक सुविधा के लिए पर्याप्त स्थान सुनिश्चित करते हैं उसके पश्चात् जब उस क्षेत्र का विकास होता है तो हम पाते हैं कि अवैध कब्जा करने वाले लोग उन खेल के मैदानों और पार्कों पर कब्जा कर लेते हैं। हम यहां यह कह रहे हैं कि हमारे पास उचित आधार भूत ढांचा उपलब्ध नहीं है। यदि हमारे पास खुली जगह नहीं होगी तो हम देश में खेलों का विकास कैसे करेंगे? यदि कहीं आधुनिक आधारभूत ढांचा है तो उसका उपयोग उच्च स्तर के खिलाड़ियों या उच्च पदस्थ लोगों द्वारा किया जा रहा है। परंतु ऐसे लड़कों या लड़कियों के बारे में क्या कहेंगे जो अच्छे खिलाड़ी बनना चाहते हैं? वे उन सुविधाओं का लाभ नहीं उठा सकते।

इसलिए मेरा सरकार से आग्रह है कि वह प्रत्येक गाँव में, कम से कम जिला मुख्यालयों खेल संबंधी आधारभूत ढ़ांचे का विकास करें। खेल परिसरों का निर्माण करके खेलों का विकास किया जा सकता है। तमिलनाडु में भारतीय खेल प्राधिकरण की एक शाखा है; सभी राज्यों में उसकी शाखाएँ हैं। मैं यह जानना चाहता हूं कि खेलों के विकास के लिए वे क्या कर रहे हैं। लाखों रुपए खर्च किए जा रहे हैं। लेकिन इससे खेलों का कितना विकास हो पाया है? उन्होंने कौन-कौन से खेलों का विकास किया है? वे फुटबाल और हॉकी के खिलाड़ियों को किस प्रकार का प्रशिक्षण दे रहे हैं? इसमें कोई संदेह नहीं कि हमारे देश में क्रिकेट एक बड़े देश के रूप में विकसित हुआ है क्योंकि उसके लाखों प्रशंसक हैं। परंतु कोई अकेला खेल अन्य खेलों की कीमत पर कैसे विकसित हो सकता है।

'बॉडी बिल्डिंग' जैसे खेल जिनमें मैंने भी प्रशिक्षण लिया है, तथा भोरोत्तोलन, पावर लिफ्टिंग और कबड्डी ग्रामीण क्षेत्रों में खेले जाते हैं। जो गाँवों में खेले जाते हैं। ये खेल गरीब लोगों या उपेक्षित लोगों के खेल हैं।

खेलों में भी दो प्रकार के खेल होते हैं:- एक प्रकार के वे खेल होते हैं जो धनी लोगों द्वारा खेले जाते हैं और दूसरे वे खेल हैं

जो गरीब लोगों द्वारा खेले जाते है। टेनिस और क्रिकेट धनी लोगों के खेल है और 'बॉडी बिल्डिंग', भारोत्तोलन, कबड्डी गरीब लोगों के खेल हैं। खेलों में इस प्रकार का भेदभाव है। हम ऐसा कैसे होने दे सकते हैं?

महोदय, कल निजी संस्थाओं में आरक्षण दिये जाने के मुद्दे पर मत विभाजन हुआ था। मेरा सरकार से आगह है कि इन खेलों के लिए निधियों का आबंटन करते समय भी आरक्षण का उपबंध किया जाना चाहिए। ये गरीब लोगों के खेल हैं इसलिए निधियों के आबंटन में आरक्षण दिया जाना चाहिए। मैं सरकार से यह जानना चाहता हूँ कि खेलों के लिए बजट आबंटन कितना है। हम सदैव रेलवे, रक्षा और अन्य विभागों के लिए बजटीय आबंटन के बारे में बात करते हैं क्या परन्तु खेलों के लिए बजटीय आबंटन के बारे क्या कहेंगे? एशियाई देशों में भारत तेजी से विकास कर रहा है। परंतु यदि हम खेलों का विकास नहीं कर पायेंगे तो हम मानव संसाधन का पूरा उपयोग करने में असफल हो जाएंगे। इस प्रकार, तकनीकी अन्य क्षेत्रों में विकास करते हुए हमें खेलों के क्षेत्र में भी विकास करना है। केवल तभी समान रूप से संतुलित विकास हो पाएगा अन्यथा खेलों में कमी आ जाएगी और मानव संसाधन कम हो जाएंगे। मैं सरकार से इस संबंध में बजट में वृद्धि करने की मांग करता हूँ।

राजग सरकार ने तमिलनाडु राज्य में एक खेलकूद अकादमी को मंजूरी प्रदान की थी। लेकिन आजतक उसे शुरू नहीं किया जा सका है। जब श्री राधाकृष्णन राजग सरकार में खेल मंत्री थे, तो उन्होंने तमिलनाडु में एक खेलकूद अकादमी को मंजूरी दी थी। मैं माननीय मंत्री जी से यह जानना चाहता हूं कि इसे आज तक शुरू क्यों नहीं किया गया है। जब किसी खेलकूद अकादमी को मंजूरी मिल गई है तो इसमें विलंब नहीं करना चाहिए। मंत्री महोदय को इस ओर तत्काल ध्यान देना चाहिए।

मेरा आखिरी सुझाव यह है। मैं पिछले दो वर्षों से संसद सदस्य हूँ। मैं स्वयं भी एक खिलाड़ी हूँ। मुझे नहीं मालूम कि खेल मंत्री कौन है। खिलाड़ी किसी का भी ध्यान आसानी से आकर्षित कर सकते हैं। हर कोई तेंदुलकर और धनराज पिल्लै को जानता है। उसी तरह खेल मंत्री भी एक मशहूर हस्ती, लोकप्रिय हस्ती को होना चाहिए। यदि किसी खिलाड़ी को खेल मंत्री बनाया जाये, तो वह खेलों के विकास में काफी रूचि लेगा। हमारे साथ नवीन जिंदल जी हैं। मेरा यह सुझाव है कि श्रीमती सोनिया जी उन्हें खेल मंत्री बना सकती हैं। इससे हमारे देश में खेलों का विकास होगा।

[अनुवाद]

श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु (राजापुर) : महोदय, मैं आपको धन्यवाद देता हूं कि आपने ऐसे विषय पर हम सब को चर्चा करने का मौका दिया है। हमारे मित्र श्री नवीन जिंदल जी और श्री बसुदेव आचार्य जी को भी धन्यवाद देने की जरूरत है, लेकिन शायद उनकी चर्चा करने का मकसद यह है कि हमारे देश में जो कुछ अंतर्राष्ट्रीय स्तर के उत्सव होने वाले हैं, उसके सिलसिले में हमारे पास इन्फ्रास्ट्रक्चर क्यों नहीं है, इसके बारे में इस तरह का प्रस्ताव उन्होंने रखा है, लेकिन मैं चाहता हूं कि ऐसे विषय पर ऐसी चर्चा हो ताकि पूरे विश्व में हमारे देश का झंडा वहां फैलाने का भी एक बड़ा श्रेय उन्हें प्राप्त हो। इसलिए हमारे देश की सरकार को इस तरह की फैसिलिटीज़ बढ़ाने के लिए, इस तरह का इन्फ्रास्ट्रक्चर क्रियेट करने की जरूरत है। इसके ऊपर शायद चर्चा करने की जरूरत है।

महोदय, दुर्भाग्य से यदि हमारे देश में स्पोर्ट्स, खेल–कूद का मामला आता है तो हम उसे शायद क्रिकेट तक ही सीमित रखते हैं। उसमें कोई समस्या आती है तो शायद देश के लोग मानते हैं कि स्पोर्ट्स के ऊपर कोई समस्या आ गई। गांगुली को टीम में नहीं लिया गया तो देश के ऊपर बड़ा संकट आ गया है। शायद देश डूबने की स्थिति में आ गया है, उसे किस तरह से बचाया जाए। इस तरह की चिंता हम लोग करते हैं, मैं मानता हूं कि इसके लिए सभी को चिन्ता करनी चाहिए। हमारे देश की आबादी सौ करोड़ की है, उन्हें यदि ठीक तरह से विकसित करना है, उनके बारे में सोचना है तो उसमें जो अलग अंग है, खेल–कूद भी उसमें बड़ा अहम् अंग है, उसे यदि डेवलप करेंगे तो मैं मानता हूं कि हमारे देश में रहने वाली आबादी भी ठीक तरह से आगे आएगी। पूरे विश्व में जो भी इंटरनेशनल इवेंट्स होते हैं, हमारा देश ऐसा है जिसकी सौ करोड़ की आबादी है, उसमें हमेशा पार्टीसिपेट करता है, कोई भी इवेंट्स नहीं, जहां यह पार्टिसिपेट नहीं करता, लेकिन जब वापस आते हैं तो आने के बाद हम देखते हैं कि शायद कस्टम वालों को भी कोई तकलीफ नहीं, क्योंकि कस्टम वाले पूछेंगे?

[अनुवाद]

क्या आपको कोई घोषणा करनी है? कोई स्वर्ण पदक नहीं है, रजत पदक नहीं है और कांस्य पदक भी नहीं है। घोषणा करने के लिए कुछ भी नहीं है।

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

[हिन्दी]

इसके, लिए कस्टम वालों को तकलीफ न हो, यह सोच कर हमारे स्पोर्ट्समैन विदेश में जाकर यदि खेलने की शुरूआत करेंगे तो शायद मैं मानता हूँ कि कस्टम की चिन्ता उन्हें उतनी करने की जरूरत नहीं, कुछ लेकर आएं ताकि डिक्लेयर करें तो हमें भी अच्छा लगेगा और यह करने के लिए सरकार को काम करना चाहिए।

आपने कहा कि हमारे स्पोर्ट्स मिनिस्टर कौन है, उसका पता नहीं चलता। शायद जिस तरह म्युजिकल चेयर होती है, उसी तरह से हमारे देश में स्पोर्ट्स मिनिस्टर भी आज यह है, कल कोई अन्य है, उसके बाद वे चले जाते हैं। आज भी कौन हैं, मुझे मालूम नहीं है, क्योंकि स्पोर्ट्स मिनिस्टर को मैं देख नहीं पा रहा हूं। स्पोर्ट्स मिनिस्टर को अच्छी ट्रेनिंग मिले, इसके लिए म्युजिकल चेयर का गैम खेलने के बाद उसे स्पोर्ट्स मिनिस्टर बनाया जाता होगा। लेकिन आज वे यदि यहां उपस्थित होते तो मुझे जरूर लगता कि वे शायद हमारी बात को भी सुन पाते। मैंने जैसा कहा कि हमें ह्यूमन रिसोर्स डवलपमेंट की तरह इसको देखना चाहिए। आप देखिए, हमारा पड़ोसी देश चीन है, उनकी हमसे 30 प्रतिशत आबादी ज्यादा है। वे पहले इण्टरनेशनल स्पोर्ट्स में आते ही नहीं थे, क्योंकि उन्होंने अपने आपको वहां से विथड्रा किया था। अब आ गये तो आज विश्व में कोई भी इवेंट होती है तो सबसे पहला एवार्ड उनको मिलता है। यह सिर्फ एक्सीडेंट से नहीं होता। सिर्फ चाइना को मिला, यू.एस.ए. को मिला, ये सभी सत्ताएं एक इकोनोमिक स्ट्रेंथ भी है। आप वहां जाकर उनकी एच. आर. डी. पालिसी देखेंगे तो आपको पता चलेगा कि पूरे ह्यूमन रिसोर्स की वे कोशिश करते हैं। उसमें स्पोर्ट्स भी अपने आप से उभर आता है, ऐसा मैं मानता हूं। सिर्फ स्पोर्ट्स को कंसेंट्रेट करके बात नहीं चलेगी। पूरी तरह से हमारे देश में रहने वाली 100 करोड़ की आबादी को किस तरह से विकसित किया जाये, उसके बारे में सोचने की जरूरत है।

कुछ लोग ऐसे हैं, जिनको स्पोर्ट्स से इण्टरैस्ट है। जैसे हमारे नवीन जिन्दल जी हैं, वे पार्लियामेंट में आते हैं तो पार्लियामेंट में भी स्पोर्टिंग स्प्रिट से बात करते हैं और बाहर जाते हैं तो उसमें पोलिटिक्स के बिना स्पोर्ट्स खेलते हैं। मैं मानता हूं कि इस तरह के लोगों को, जिनकी स्पोर्ट्स में रूचि है, स्पोर्ट्स को डवलप करना चाहिए, जिनकी रूचि नहीं है, उनको नहीं करना चाहिए। लेकिन इसकी बहुत जरूरत है। हमें स्पोर्ट्स को एक जीवन विद्या की तरह से देखना चाहिए। उसमें भी चिरातन–पुरातन हमारी जो संस्कृति है, इसके आधार पर जो हमारे स्पोर्ट्स हैं, उन स्पोर्ट्स को डवलप करना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट को ही स्पोर्ट्स बनाकर हमारा काम नहीं चलेगा। जैसे कबड्डी की उन्होंने बात की, खोखों की उन्होंने बात की, ऐसे अलग–अलग हमारे देश में पैदा हुए खेल हैं, उनको भी विकसित करना चाहिए। इसमें एक ही डर है कि जो स्पोर्ट्स हमारे देश में विकसित होते हैं, उनको डवलप करते हैं, जैसे हाकी की बात की जो जब इंडियन स्पोर्ट जब इण्टरनेशनल बन जाता है तो हमें मैडल मिलना खत्म हो जाता है और बाकी में यूरोपियन लोग आज डोमिनेट कर रहे हैं। इण्डिया में एमीनेट हुए चैस में भी ऐसा ही है, शतरंज की शुरूआत हमारे देश में हुई, लेकिन आज उसका गोल्ड मेडल अभी हमारे आनन्द को मिला, नहीं तो हमें कभी नहीं मिलता था। इसलिए मैं मानता हूं कि इंडियन स्पोर्ट्स को इस तरह से डवलप करना चाहिए कि हमारी इंटीग्रेटिड वे ऑफ लाइफ में उसको आने की जरूरत है और वे ऐसा करेंगे, ऐसा मैं मानता हूं।

सिर्फ स्पोर्ट्स डवलप करने में स्पोर्ट्समैन डवलप नहीं होंगे, एक स्पोर्टिंग स्प्रिट भी देश में डवलप होगी, जिसकी जरूरत है, क्योंकि आज जो तनाव समाज में हमें देख रहे हैं, वह भी स्पोर्ट्स डवलप करने से कम होगा। एड्स के बारे में जैसे हमारे आज के युवा स्पोर्ट्स मंत्री हैं, वे एड्स में ज्यादा रूचि लेते हैं, मैं उसके लिए उनको धन्यवाद देता हूं। यदि आप स्पोर्ट्स डवलप करेंगे तो शायद एड्स की समस्या का हल होने में काफी कामयाबी मिलेगी, क्योंकि लोगों का ध्यान एक अच्छे इश्यू के ऊपर आकर्षित होगा ताकि उसके लिए बन जाये। स्पोर्ट्स का इन्फ्रास्ट्रक्चर किस तरह से डवलप हो, इसके बारे में हम लोग चर्चा कर रहे हैं। यह जिम्मेदारी हमारी सरकार की है। सरकार सिर्फ लैक्चर दे कि स्पोर्ट्स तैयार होने चाहिए तो तैयार नहीं होंगे। यह तो सब हम रोज लैक्चर दे सकते हैं कि स्पोर्ट्समैन होने की जरूरत है, स्पोर्ट्समैन स्प्रिट डवलप स्पोर्ट्समैन होने की जरूरत है, की जरूरत है, लेकिन जब तक इन्फ्रास्ट्रक्चर ऑफ दि ग्राउण्ड तैयार नहीं होगा, तब तक यह बात नहीं बनेगी।

उसकी शुरूआत हमें गांव से करनी चाहिए। हमने देखा है कि हमारे देश में हमारे पास जो हमारे शैडयूल्ड ट्राइब्स हैं, उन लोगों को यदि हम एथलेटिक्स की ट्रेनिंग में जाएंगे तो उनके पास नैचुरल स्टिंक्ट है, दौड़ने की उनकी ताकत है। ठीक तरह से अपनी जीवन पद्धति में वे इस तरह का प्रयास करते हैं तो यदि हमारे शैडयूल्ड

ट्राइब्स के लोग अच्छी तरह से एथलीट बन सकते हैं। हमारे जो फिशरमैन लोग हैं, जो हमारी कोस्टल लाइन पर रहते हैं, उनको हम एक्वेटिक स्पोर्ट्स की ट्रेनिंग अच्छी तरह से देंगे तो ऑटोमेटिकली वे बन जाएंगे। लेकिन उनके पास क्या नहीं है। उनके पास इन्फ्रास्ट्रक्चर नहीं है, जो गांव–गांव में बनाने की जिम्मेदारी हमारी सरकार की होगी। हम यहां एक स्टेडियम दिल्ली में बनाएंगे, मुम्बई में बनाएंगे, कलकत्ता में बनाएंगे, चेन्नई में बनाएंगे तो इसका समाधान नहीं होगा, इसीलिए हर गांव में किस तरह से इन्फ्रास्ट्रक्चर बने, उसकी चिन्ता सरकार को करनी चाहिए और उसको लेकर ही काम करना चाहिए।

सभी गाँवों में भी स्पोर्ट्स खेलने की जरूरत नहीं है। कुछ गांव के लोगों की जो रूचि है, उसमें खेलेंगे। हर डिस्ट्रिक्ट को किसी स्पोर्ट्स में एक स्पेशलाइज्ड डिस्ट्रिक्ट बनाना चाहिए। जिस डिस्ट्रिक्ट में मैं चुनकर आता हूं, सिन्धदुर्ग मेरा चुनाव क्षेत्र है, वह कोस्टल लाइन पर है तो हम उसको सही माने में अच्छी तरह से एक्वेटिक स्पोर्ट्स में ला सकते हैं। स्पोर्ट्स के साथ हम जो भी इन्फ्रास्ट्रक्चर की बात करते हैं,

[अनुवाद]

खेल प्राधिकरण भी काफी महत्वपूर्ण है।

[हिन्दी]

हमने देखा है कि हमारे जो स्पोर्ट्समैन हैं, उनको सबसे ज्यादा मैदान के ऊपर खेल खेलने से भी पहले सलैक्टर्स के साथ खेल खेलना पड़ता है। सलैक्टर्स के साथ अच्छी तरह से अगर खेल खेलेंगे तो शायद टीम में आ सकते हैं। अगर टीम में आएंगे तो कुछ प्रदर्शन कर सकते हैं। जैसे धनराज पिल्लै की बात की, आज धनराज पिल्लै जैसे खिलाड़ी को भी टीम में आने के लिए सबसे पहले प्रयास करना पड़ता है कि इंडियन हाकी फैडरेशन के जो अध्यक्ष हैं, वे उनके ऊपर खुश रहें, उनकी मेहर–नज़र रहे तो ही उनको आने का मौका मिलेगा और इसके लिए स्पोर्ट्स एडमिनिस्ट्रेशन, मैं मानता हूं कि सबसे आवश्यक बात है।

(अध्यक्ष महोदय *पीठासीन हुए*)

अपराह्न 5.40 बजे

जिसके ऊपर भी हमें ध्यान देना होगा। स्कूल, गांव और डिस्ट्रीक तक हमें इसे करना होगा। खेलों में एक करीकूलम लाना चाहिए ताकि स्कूल में पढ़ने वाले बच्चों को भी पता चल सके कि उनमें खेलों के प्रति कैस रूचि है, उनमें खेलों के प्रति कैसा एटिट्यूड है? यदि वे सिर्फ खेलना चाहते हैं तो उनके लिए स्पोर्टस स्कूल हमारे देश में शुरू करने की आवश्यकता है। इस तरह की कोशिश हमारी सरकार को करनी चाहिए।

मैं ऐसा मानता हूं कि यदि हम हर गांव में एक योगा स्कूल खोल दें तो डॉक्टरों की आमदनी कम हो जाएगी और लोगों में एक तरह से स्पोर्टस के प्रति भी रूचि पैदा होगी। सरकार को इस दिशा में भी काम करना चाहिए।

कुछ समय पहले हमने देखा कि क्रिकेट क्लब ऑफ इंडिया ने कोर्ट में एक एफिडेविट दाखिल किया था, जिसमें उन्होंने कहा था कि हम देश के लिए नहीं खेलते हैं, हम अपनी टीम और फैडरेशन के लिए खेलते हैं।

महोदय, जो भी खिलाड़ी अपने देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए जाता है, उसके ऊपर यह जिम्मेदारी होती है कि वह अपने देश का ही प्रतिनिधित्व करे। इस तरह के प्रावधानों में भी बदलाव लाने की आवश्यकता है।

महोदय, हमारे सदन में एक महिला खिलाड़ी पश्चिम बंगाल से चुनकर आयी हैं। मैं चाहता हूं कि इसी तरह से और भी खिलाड़ी देश के विभिन्न भागों से चुनकर सदन में आएं, इससे सदन में स्पोर्टिंग स्प्रिट बढेगी। ऐसा मेरा मानना है। हमें एक प्रावधान करने की जरूरत है, जिसके तहत सभी राजनैतिक दलों को खिलाड़ियों को संसद में लाने के लिए कोशिश करनी चाहिए।

महोदय, खेलों की फण्डिंग किस तरह से हो, यह भी हमारी चिंता है। हम इस सदन में सभी बातों के लिए बहस करते हैं, लेकिन खेलों के इंफ्रास्ट्रक्चर पर बहस नहीं करते हैं। मैंने सुना है कि क्रिकेट में टेलिकास्ट राइट्स के लिए एक–एक, दो–दो हजार रुपये मिलते हैं। मेरी यह राय है कि क्रिकेट के टेलिकास्ट राइटस और स्पॉन्सरशिप से जो पैसा आता है, उसकी कमर्शियल अर्निंग की दस प्रतिशत रकम को क्रिकेट के अलावा जो खेल हैं, उनके विकास के लिए सरकार को दिया जाए। इस पैसे से खेलों के लिए इंफ्रास्ट्रक्चर डेवलप करने में मदद मिलेगी।

महोदय, हमने देखा है कि स्पोर्टस बाडीज़ के इलैक्शन में भी सुधार लाने की आवश्यकता है। हम लोग संसदीय चुनावों में सुधार के बारे में भी चिन्ता करते हैं लेकिन स्पोर्टस बाडीज़ के इलैक्शन

[श्री सुरेश प्रभाकर प्रभु]

पर चिन्ता नहीं करते हैं, जिस पर एक खिलाड़ी को बनाने की जिम्मेदारी होती है। इन स्पोर्टस बाडीज़ के इलैक्शन में भी सुधार लाने की आवश्यकता है।

महोदय, आपने मुझे इस विषय पर बोलने का मौका दिया, इसके लिए मैं आभारी हूं। पिछले दस साल से मैं इस सदन में हूं, लेकिन मुझे कभी भी इस विषय पर बोलने का मौका नहीं मिला। मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा स्पोर्टसमैन हमारी संसद में आएं ताकि हमारे खेलों का विकास हो सके, इन्हीं बातों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री के. सी. सिंह 'बाबा' (नैनीताल) : अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे इस चर्चा में भाग लेने का मौका दिया। मैं अपने साथी श्री नवीन जिंदल जी का भी आभार व्यक्त करता हूं, जिन्होंने इतने महत्वपूर्ण विषय पर चर्चा उठायी। अपनी बात रखने से पहले जितने भी हमारे अर्जुन एवार्डिज हैं, मैं उन सबको बधाई देना चाहता हूं।

[अनुवाद]

मैं समझता हूं कि हमें यानी लोकसभा के माननीय सदस्यों को बहुत गर्व है कि हमारी गैलरी.....*

अध्यक्ष महोदय : नहीं, आप गैलरी का उल्लेख नहीं कर सकते। आप कह सकते हैं कि हमें उन सभी खिलाड़ियों पर गर्व है जिन्हें अर्जुन पुरस्कार दिया गया है और हम ऐसे और भी पुरस्कार चाहते हैं।

श्री के. सी. सिंह 'बाबा' : महोदय, क्षमा करें।

अध्यक्ष महोदय : मुझे विश्वास है कि हम एक-दूसरे से सीखेंगे।

श्री के. सी. सिंह 'बाबा' : महोदय, यह निराशाजनक बात है कि 100 करोड़ से अधिक जनसंख्या वाले विश्व के सबसे बड़े लोकतंत्र को शायद ही ओलम्पिक के नक्शे या अन्य खेलों के प्रतिस्पर्धात्मक क्षेत्र में खोजा जा सकता है। आधा दर्जन खेलों के अलावा हमारे बच्चे ओलंपिक और अन्य अंतर्राष्ट्रीय खेलों के बारे में अधिक नहीं जानते यद्यपि उन खेलों में 50 से ज्यादा देश भाग लेते हैं। हमारे बच्चे उनके बारे में नहीं जानते। क्या ऐसा उन्हें उन खेलों से परिचित न कराये जाने के कारण है? क्या ऐसा मीडिया की कमी के कारण है? क्या इसमें हमारे माता-पिता या विद्यालय या खेल संघों या खेल महासंघों या ओलंपिक संघ का दोष है? खेलों की शुरूआत विद्यालय स्तर पर की जानी चाहिए। इसमें संदेह नहीं कि यहाँ उपस्थित कई सदस्य विभिन्न खेलों में मुख्य अतिथि के रूप में आमंत्रित किए जाते होंगे। मैनें विद्यालयों में होने वाले खेलों को देखा है। मैंने ग्रामीण खेलों को देखा है। मैं आश्चर्यचकित था कि प्रत्येक वर्ष चूँकि राज्य सरकार से बजट मिलता है, फिर भी खेलों का आयोजन निरूत्साहजनक तरीके से किया जाता है। उनका कोई रिकॉर्ड नहीं रखा जाता। विद्यालय बच्चों को यहाँ लाते हैं और वे बगैर किसी लक्ष्य यानी पिछले वर्ष के रिकॉर्ड या ग्रामीण खेलों के मौजूदा रिकॉर्ड को चुनोती माने बिना केवल 100 मीटर या 200 मीटर या 400 मीटर की दौड़ में भाग लेते हैं।

मैंने देखा है कि विद्यालयों में पढ़ने वाले बच्चे ग्रामीण खेलों में भाग लेते हैं, उदाहरण के लिए, गोला फेंकने वाले को कुछ ही दिन पहले इसलिए बुलाया गया था क्योंकि विद्यालय प्रतियोगिताओं में भाग ले रहा था और उसने बगैर किसी तकनीक के गोला फेंका। इसलिए यदि हम रिकार्ड नहीं रखेंगे और यदि हमारा कोई लक्ष्य नहीं होगा। तो हम चैम्पियन नहीं बना पाएंगे। खेल ग्रामीण क्षेत्र से शुरू होते हैं पर बच्चे अधिकांश खेलों के बारे में कुछ भी नहीं जानते जोकि बहुत आश्चर्य जनक बात है। हम ओलंपिक चैम्पियन कैसे दे सकते हैं?

जहाँ तक हमारे राष्ट्रीय संघों का संबंध है, हमारे खेल प्रशिक्षक हमारे एथलीटों को राज्य और राष्ट्रीय स्तर पर खेलने के लिए तैयार करते हैं। लेकिन आश्चर्यजनक बात यह है कि हम अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों पर काफी पैसा बर्बाद करते हैं। अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों को बहुत मेहनताना तथा अन्य सुविधायें दी जाती हैं। जबकि हमारे प्रशिक्षकों ने राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय स्तर के चैम्पियन दिए हैं। अधिकांश वित्तीय लाभ अंतर्राष्ट्रीय प्रशिक्षकों द्वारा ले लिया जाता है। यह पैसे की बर्बादी है। जैसाकि श्री जिंदल ने कहा भारत में 400 एन आई एस प्रशिक्षक हैं। भारत में प्रशिक्षकों की कमी हो जायेगी और भविष्य में हमारे पास भारतीय प्रशिक्षक नहीं होंगे। हमें और अधिक प्रशिक्षकों की जरूरत है। भारतीय खेल प्राधिकरण में अधिकांश प्रशिक्षक तदर्थ या अनुबंध आधार पर रखे गए हैं। मेरा अनुरोध है कि उन्हें नियमित किया जाना चाहिए विशेषकर ऐसे प्रशिक्षकों को जो वहाँ तदर्थ या अनुबंध आधार पर हैं।

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

स्वयं खिलाड़ी होने के नाते मैं खेलों में प्रगति हेतु कुछ सुझाव देना चाहूँगा। जब हमारी राष्ट्रीय टीम भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए विदेश जाती है तो हम देखते हैं कि राष्ट्रीय चैम्पियनक या खिलाड़ी जिन्हें हमारे देश का प्रतिनिधित्व करने के लिए चुना गया है, अपने खर्च पर विदेश नहीं जा सकते। तब, वे भारत का प्रतिनिधित्व करने के लिए दूसरे, तीसरे या चौथे नंबर की टीम को पूछते हैं। यह भी एक कारण है कि हमें पदक नहीं मिल पाते। स्वयं अंतर्राष्ट्रीय एथलीट होने के कारण मैंने ऐसा होते हुए देखा है। जब एशियाई चैम्पियनशिप में मैंने भारत का प्रतिनिधित्व किया था तो उस समय हमारे अधिकांश राष्ट्रीय चैम्पियन भारत का प्रतिनिधित्व नहीं कर सके।

एक अन्य बात है – हमारे राष्ट्रीय स्तर के एथलीटों के लिए अंतर्राष्ट्रीय स्पर्धाओं का अभाव। क्या यह भी वित्त की कमी के कारण है? अथवा, हमारे राष्ट्रीय एथलीटों को ऐसे अवसर मुहैया कराने की दिशा में हमारे खेल प्राधिकरण के दुलमुल रवैये के कारण है जिससे हमारी टीमों को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर पर्याप्त अनुभव नहीं मिल पाता? देश के अधिकांश खेल प्राधिकरण विद्यालयों में, खेल प्राधिकरण केंद्रों में और विश्वविद्यालयों में स्पर्धाओं का कार्यक्रम ही नहीं भेजते। इससे युवा एथलीटों को समस्या होती है। भारतीय खेल प्राधिकरण द्वारा आयोजित खेल–स्पर्धाएं और अंतर–विश्वविद्यालयी खेल स्पर्धाएं उसी समय आयाजित की जाती हैं जब राष्ट्रीय जूनियर और सब–जूनियर स्पर्धाएं आयोजित होती हैं। इसका दुष्प्रभाव पड़ रहा है और हमारे युवा एथलीटों को स्पर्धा का अवसर हीं नहीं मिल पाता।

महोदय, हमारे देश में फैशन का बहुत बोलबाला रहता है। ओलंपिक और अंतरर्राष्ट्रीय स्तर की अन्य स्पर्धाओं, जिनमें दुनियां के ज्यादातर देश भाग लेते हैं, जैसी विशुद्ध खेल प्रतियोगिताओं में लोगों की दिलचस्पी कम ही रहती है। मैं पेशेवराना खेलों के खिलाफ नहीं हूँ। पेशेवराना खेलों को मीडिया की बहुत तवज्जो मिलती है। पेशेवराना खेलों में मैच–फिक्सिंग जैसी घटनाएं भले ही हों, लेकिन इन खेलों के खिलाड़ी हमें जोरदार मनोरंजन और रोमांच प्रदान करते हैं। इसी ओर सारा धन लगा हुआ है लेकिन मैं इसके खिलाफ नहीं हूं। मेरी विनती यही है कि अंतर्राष्ट्रीय प्रतिस्पर्धाओं और गैर–पेशेवराना खेलों की विश्व प्रतियोगिताओं का भी सीधा प्रसारण किया जाए और ऐसी घटनाओं के मुख्य अंशों को भी टी.वी. पर दिखाया जाए। इससे देश के दूर–दराज के इलाकों में रहने वाले बच्चे भी विभिन्न खेलों के बारे में जान सकेंगे।

अध्यक्ष महोदय : ऐसी बातों की लोकप्रियता राजनेताओं की लोकप्रियता से अधिक होनी चाहिए।

श्री के. सी. सिंह 'बाबा' : महोदय, वर्तमान में महाराष्ट्र के पहलवान जादव पुराने जमाने के महान खिलाड़ियों के नाम जानने की बात तो छोड़ दीजिए, हमारे देश में कुछ ही लोग ऐसे होंगे जो पेशेवराना डब्ल्यू. डब्ल्यू. एफ. कुश्ती – जो हमारे फैशनपरस्त लोगों के बीच काफी लोकप्रिय है – और फ्री – स्टाइल ओलंपिक कुश्ती के बीच का अंतर, या फिर ओलंपिक में फ्री–स्टाइल और ग्रीको–रोमन स्टाइल कुश्ती के बीच अंतर, या फिर भारोत्तोलन और पावर–लिफ्टिंग के बीच का अंतर अथवा जूडो और कराट के बीच का अंतर समझते होंगे; ओलम्पिक खेलों में भारत के लिए पदक जीतने वाले पहले व्यक्ति मिलखा सिंह, ध्यानचंद, पी. एस. चौहान जैसे लोग भी हुए हैं। एक हमारे पूर्व संसद–सदस्य भी रहे हैं जिन्होंने खेल की दुनिया में भी काफी नाम कमाया। मैं उनका नाम भूल गया हूँ।

अध्यक्ष महोदय : किस खेल में संबद्ध थे वह?

श्री के. सी. सिंह 'बाबा' : कुश्ती, महोदय। वे अर्जुन पुरस्कार विजेता थे। आज हमारे साथ दो और ऐसे संसद–सदस्य हैं–श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर और श्री नवीन जिन्दल। लोगों को तो आज के एथलीटों तक का नाम नहीं पता। कई नए लोग हैं जिन्हें अर्जुन पुरस्कार मिल चुका है, जैसे – घुड़सवारी में मेजर अहलावत और कुश्ती में श्री अनुज इत्यादि। महोदय, मैं देश में खेलों के विकास के लिए कुछ सुझाव देना चाहता हूँ। मैं इन्हें बिंदुवार पढ़ता हूं। बस, आधा मिनट और।

पहली बात तो यह, कि भारतीय खेल प्राधिकरण की सभी खेल–प्रोत्साहन योजनाओं की तत्काल समीक्षा की जानी चाहिए और भारतीय खेलों के समग्र विकास हेतु प्रशिक्षकों की राय भी ली जाए।

दूसरी बात, भा. खे. प्राधि. नियमित तौर पर और अधिक प्रशिक्षकों को नियुक्त करें, अभी अधिकांश प्रशिक्षक या तो अनुबंध या तदर्थ आधार पर है। पहले इनको ही प्राथमिकता दी जाए।

तीसरी बात, हमें राष्ट्रीय और राज्य स्तर पर बेहतर समन्वय रखने के उद्देश्य से 'खेल नीति' बनानी चाहिए। चौथे, राज्य सरकारें और केंद्र सरकार अखिल भारतीय खेल प्राधिकरण प्रशिक्षक कल्याण संघ से परामर्श करके एक उपयुक्त नीति बनाएँ और भारतीय खेल प्राधिकरण के प्रशिक्षकों का प्रभावी ढंग से उपयोग करें। पाँचवीं बात, हरेक क्षेत्रीय कार्यालय में नेमी तौर पर भारतीय खेल प्राधिकरण के महानिदेशक से सचिव की बैठक आयोजित हो जिससे खेलों के संबंध में सकारात्मक बातचीत होकर इनका विकास हो सके। इसके अलावा, भारतीय खेल प्राधिकरण की योजनाओं के आयोजन और प्रशिक्षकों के बेहतर उपयोग की दृष्टि से खेल की हरेक श्रेणी में एक उच्चाधिकार तकनीकी समिति बने जिसमें वरिष्ठ प्रशिक्षक शामिल हों। मित्र देशों के साथ प्रतिस्पर्धा, खिलाड़ियों और प्रशिक्षकों को उच्च प्रशिक्षण, वैज्ञानिक शोध व नवीनतम प्रौद्योगिकी प्रयोग, तथा आधारसंरक्षण निर्माण आदि उपायों के जरिए अधिकाधिक खेल–विनिमय कार्यक्रम चलाए जाएं।

[श्री के. सी. सिंह 'बाबा']

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छे सुझाव हैं।

श्री तथागत सत्पथी (ढेकानाल) : महोदय, इस चर्चा में भाग लाने के लिए आपने अनुमति दी, आपको धन्यवाद। मैं बहुत संक्षेप में अपनी बात रखूँगा।

महोदय, भारत के विषय में हम जानते हैं कि सबसे पुरातन युद्ध–स्पर्धाओं में से एक, यहीं कुरूक्षेत्र में हुई थी। अच्छा रहता कि यदि कुरूक्षेत्र से निर्वाचित माननीय सदस्य ही खेल संबंधी इस चर्चा का आरंभ करते। तथापि, मैं उन्हें बधाई देना चाहूँगा।

आप सभी और यह संपूर्ण सदन जानता है कि खेल हममें एक संकल्प और मिलकर काम करने की इच्छाशक्ति जगाते हैं। भारत जैसे देश में, जहां इस ओर हम सफलता से वंचित रहे हैं, किसी भी उपलब्धि या सफलता का आशय केवल धनार्जन से ही नहीं है अपितु इससे देश प्रेम की भावना भी जाहिर होती है। जब हमारा कोई खिलाड़ी देश या विदेश में किसी खेल में उत्कृष्ट सफलता प्राप्त करता है तो देश भर में एकता और हर्ष की लहर दौड़ जाती है।

मुझे एक हिंदी चलचित्र 'मेरा गांव मेरा देश' का स्मरण है जिसमें दिखाया गया है कि देश कोई अलग से बनी ईकाई नहीं है और जबकि हमारे सभी गाँव मिलकर खड़े हों, केवल तभी हम यह कह सकते हैं कि देश का ध्यान रखा गया है। अभी तक हमारी अधिकांश आधारसंरचनात्मक गतिविधियां शहरोन्मुख और शहरों पर ही केंद्रित रही है। अतः, मेरे विचार से अब यह चुनाव करना आवश्यक हो गया है कि हम देश में खेल–ढाँचे को कैसा बनाना चाहते हैं। क्या हम यह चाहते हैं कि हमारे पास मुट्ठी भर उत्कृष्ट खिलाड़ी हों या फिर हम एक अरब से अधिक आबादी वाले इस देश में खेल–सुविधाओं और खेल–आधारसंरचना को अधिक व्यापक स्तर पर विकसित करना चाहते हैं? या फिर हम लोगों पर ही यह तय करने की जिम्मेदारी डाल दें कि उनमें से कौन बढ़िया खिलाड़ी बनना चाहता है? उपलब्धि कमाने का भाव आना चाहिए। जब कुछ लोग खेल के क्षेत्र में सफलता अर्जित करते हैं तो इसके मायने यह होते हैं कि उन की कुछ लोगों की ही नहीं, बल्कि पूरे देश की उन्नति हुई है। हम इससे व्यापक स्तर पर एक उल्लेखनीय बदलाव देख पाते हैं।

भारत युवाओं का देश है। अभी देश की लगभग 45 प्रतिशत आबादी 30 वर्ष से कम आयु के युवाओं की है और अनुमानतः, सन् 2015 तक देश की लगभग 77 प्रतिशत आबादी 35 वर्ष से कम आयु के युवाओं की होगी। भारत दुनियां का सबसे युवा प्रधान देश बनने जा रहा है। लेकिन यदि हम शारीरिक शिक्षा नहीं देंगे तो स्थिति नहीं सुधरेगी। मैं इस वाक्य पर जोर देना चाहूँगा कि शारीरिक शिक्षा बहुत ही जरूरी है। शारीरिक शिक्षा का महत्व खेलों के अतिरिक्त भी होता है।

सायं 6.00 बजे

यदि हम अपने युवाओं को समुचित शारीरिक शिक्षा नहीं देंगे तो भारत का भविष्य बहुत अंधकारमय होगा। मंत्री जी आप चिकित्सा के क्षेत्र में, अपराध नियंत्रण के क्षेत्र में और कई अन्य क्षेत्रों में लागत में कटौती कर सकते हैं। यदि आप युवाओं को खेलों जैसे क्रियाकलापों में शामिल कर सकें तो वह बेहतर होगा। ढाँचागत सुविधा का संबंध सिर्फ स्टेडियम, व्यायामशाला बनाने से ही नहीं है अपितु हमें अनेक व्यायामशालाओं स्वीमिंग पूलों, जल–क्रीडा सुविधाओं, पर्वतरोहण सुविधाओं और सभी बेहद जरूरी सुविधाओं की जरूरत है। जब आप खेलों को देखते हैं तो यह बहुत व्यापक विषय है। यह दुखद है कि हमारे मेडिकल कॉलेजों में आज भी खेलों से संबंधित चिकित्सा शिक्षा उपलब्ध नहीं है। इसीलिए भारत में बहुत कम ऐसे डॉक्टर हैं जो खेलों से संबंधित चोटों का उपचार करने में सक्षम हैं। मैं व्यक्तिगत रूप से महसूस करता हूँ कि यह एक बहुत महत्वपूर्ण विषय है जिस पर ध्यान देना चाहिए।

यदि पिछली सरकारों पर नजर डालें तो खेल मंत्रालय महत्वहीन मंत्रालय के रूप में पृष्ठभूमि में रहा है। कुछ माननीय सदस्यों ने इस संबंध में पहले ही विचार व्यक्त किए हैं। उन्होंने यह भी उल्लेख किया है कि माननीय खेल मंत्री इस बारे में चर्चा के दौरान यहाँ बैठना जरूरी नहीं समझते।

अध्यक्ष महोदय : उन्हें जाना था इसलिए उन्होंने मेरी अनुमति ली है?

श्री तथागत सत्पथी : मैं किसी व्यक्ति विशेष के बारे में उल्लेख नहीं कर रहा हूँ। मैं सभी सरकारों की सामान्य मनोवृत्ति की बात कर रहा हूँ कि खेल संघीय और राज्य स्तर पर भी बहुत ही महत्वहीन विषय है। इसलिए हमें उसे ठीक करना है। हम खेलों के प्रति भविष्य में कैसा रूख अपनाना चाहते हैं?...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : जब तक यह चर्चा समाप्त नहीं होती और अगला विधेयक अपराध विधि (संशोधन) विधेयक पर चर्चा पूरी नहीं होती इस सभा की कार्यवाही चलती रहेगी।

श्री तथागत सत्पथी : एशियाड 1982 ने दिल्ली में खेलों संबंधी ढाँचागत सुविधाओं के बारे में हमारी आँखे खोल दीं। दिल्ली में आपाधापी मची थी। बाद में हमने पाया कि खेलगाँव स्थित एशियाड गाँवों और इससे जुड़े अन्य गाँव भी लोगों को रहने के लिए दे दिए गए। लेकिन हम भविष्य के लिए उन ढाँचागत सुविधाओं को बरकरार नहीं रख सके। इसलिए जब हम खेल संबंधी ढाँचागत सुविधाओं में निवेश करते हैं तो हमें यह भी सुनिश्चित करना होता है कि हम उन ढाँचागत सुविधाओं को खेल संबंधी विशेष गतिविधियों हेतु भविष्य के उपयोग के लिए किस प्रकार प्रबंध करना चाहते है...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : आप बहुत अच्छी बात कह रहे हैं। लेकिन हमारे पास समय की कमी है। यदि आप अन्यथा न लें तो आप अपनी बात समाप्त कर सकते हैं।

श्री तथागत सत्पथी : क्या मैं दो या तीन मिनट और बोल सकता हूँ?

अध्यक्ष महोदय : कृपया दो मिनट और लें। आपकी बात में व्यवधान डालने के लिए मैं क्षमा चाहता हूँ। आप अच्छी बातें कह रहे हैं। लेकिन हमें इस चर्चा को समाप्त करना है। इसके लिए दो घंटे का समय निर्धारित किया गया है। आखिरकार हम समय से बँधे हैं।

श्री तथागत सत्पथी : हम अधिकतर पश्चिमी खेलों को ही खेल समझते हैं जबकि हमें अपनी धारणा बदलनी होगी और खेलों को भारतीय संदर्भ में देखना होगा। हमें महसूस करना होगा कि हमारे बहुत से पारंपरिक खेल है। भारत के 85 प्रतिशत लोग गाँवों में रहते हैं। हमारे लोग उन पारंपरिक खेलों में बहुत सहज महसूस करते हैं क्योंकि मूलरूप से ये खेल उनके डीएनए में रच–बस गए हैं। इसलिए हमें यह भी सोचना है कि उन खेलों को कैसे बढ़ावा दिया जाए। क्रिकेट या कुछ अन्य खेलों से मेरा कोई विरोध नहीं है। लेकिन सिर्फ उन्हीं विशेष खेलों पर ध्यान केन्द्रित नहीं किया जाना चाहिए। हमें इस क्षेत्र में विस्तार करना है इसलिए अन्य चीजों के बारे में भी सोचना होगा।

अंत में मैं यहां एक या दो बातें कहना चाहूँगा। हाल ही में, उड़ीसा के एक चार वर्षीय बच्चे बुधिया को बेचा गया था। उसकी माँ ने उसे इसलिए बेचा क्योंकि उसकी आर्थिक स्थिति दयनीय थी। उसने किसी को 1000 रु. में अपने बच्चे को बेच दिया। उस लड़के को अन्य खेल प्रशिक्षक ने 1500 रु. या 2000 रु. में खरीद लिया। यह चार वर्षीय बच्चा एक दिन बहुत गंदी भाषा में लगातार बोले जा रहा था क्योंकि वह मलिन बस्ती में पला–बढ़ा था। इसलिए वह युवा जिसने उसे खरीदा था बहुत ज्यादा खिन्न हो गया और उसने उस बच्चे को कई थप्पड़ मारे और कहा, वह तब तक इस फुटबॉल मैदान में चक्कर लगाए जब तक कि मैं यहां बैठा हूँ। उस लड़के ने दौड़ना शुरू किया। जिस व्यक्ति ने उस लड़के को खरीदा था, वह इस बारे में भूल गया और वह भुवनेश्वर में राज्य सचिवालय चला गया। यह घटना सुबह 7.30 बजे घटी। जब वह व्यक्ति दोपहर बाद 1.00 बजे लौटा, लड़का तब भी दौड़ रहा था। वह युवा यह देखकर आश्चर्यचकित हो गया कि उस लड़के के शरीर पर पसीने की एक भी बूंद नहीं थी। उसने डॉक्टरों को बुलाया। डॉक्टरों ने उस लड़के के हृदय की धड़कन की जाँच की। उन्होंने पाया कि वह लड़का सुबह 7.30 बजे से 1 बजे तक लगातार दौड़ता रहा था और उसके दिल की धड़कन भी तेज नहीं हुई थी।

महोदय, आज उड़ीसा में बहुत से व्यक्ति कह रहे हैं कि उस बच्चे को खरीदने वाले प्रशिक्षक को दंड दिया जाना चाहिए और इसे गिरफ्तार किया जाना चाहिए क्योंकि वह उस लड़के की क्षमता का दुरूपयोग कर रहा है। लेकिन मेरे विचार से उसी जैसे बच्चों को शुरू से ही चुनकर उनका पालन–पोषण खिलाड़ी बनाने के लिए किया जाना चाहिए। इसलिए भारत में देश के रूप में अधिक दर्शक हैं। मैं एक बात पर टिप्पणी करना चाहता था कि सबसे पहली बात है कि भारत ऐसा देश है जहाँ सफल लोगों की कमी है। इसलिए हमें सफलता की अत्यधिक आवश्यकता है। दूसरी ओर भारत में दर्शकों की संख्या में काफी वृद्धि हुई है। परंतु खिलाड़ी बहुत ही कम संख्या में हुए हैं। टीवी ने बड़ी संख्या में दर्शक या श्रोता पैदा किए हैं। परंतु वे सिर्फ पड़े–पड़े टिप्पणी करने वाले लोग हैं। हमें खिलाड़ी बनाने हैं। सरकार हमारे बालक–बालिकाओं को उनके बैठक खाने से लाकर खेलों के मैदान में जौहर दिखाने में मदद कर सकती है। यहाँ, निजी कंपनियाँ भी अपना योगदान न सिर्फ खेल कोटे से नौकरियाँ देकर बल्कि खेलों और खिलाड़ियों को उनके बचपन से ही प्रोत्साहन देकर कर सकती हैं।

अध्यक्ष महोदय : कृपया।

श्री तथागत सत्पथी : अंतिम बात जो मैं कहना चाहूँगा ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : अंतिम बात।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, अब यह मेरा बिल्कुल अंतिम मुद्दा है। बिल्कुल अंतिम ...*(व्यवधान)* महोदय, अंतिम बात यह है कि ऐसी स्थिति में भी आप कह रहे थे कि इस पर चर्चा की जानी चाहिए जबकि मीडिया ने कुछ ऐसी बातें लिखी जो हममें से अधिकांश लोगों को पसंद नहीं आई क्योंकि यह एक ऐसा विषय है जो किसी एक व्यक्ति से संबंधित नहीं है? यह दुख की बात है कि खेलों में राजनीति का आज दुष्परिणाम सामने आ रहा है और वह खेलों को नष्ट कर रहा है चाहें वह .....*बनाम ताकत हो या फिर कुछ और ...*(व्यवधान)*

अध्यक्ष महोदय : कोई नाम न लिए जाएं।

श्री तथागत सत्पथी : अकेले सौरव गांगुली को ही खेल से नहीं हटाया। महोदय, दो–तीन लोगों की कुछ अंदरूनी राजनीति के कारण ही उड़ीसा जैसे राज्य को भी बाराबांकी स्टेडियम में एक दिवसीय मैचों से वंचित होना पड़ा था। यह बड़े दुःख की बात है। इसके बारे में पूरा देश दुखी है। हमें खेद है क्योंकि सभी खिलाड़ियों को उचित अवसर दिए जाने चाहिए।

अध्यक्ष महोदय : जरूर दिए जाने चाहिए।

श्री तथागत सत्पथी : महोदय, अंत में, आपने मुझे यह अवसर प्रदान किया, उसके लिए मैं आपको धन्यवाद देना चाहता हूं।

अध्यक्ष महोदय : श्री कीरेन रिजीजू। क्या आप अपने स्थान पर बैठे हुए हैं?

श्री कीरेन रिजीजू (अरूणाचल पश्चिम) : महोदय, मुझे यहीं से बोलने की अनुमति दी जाये। वहां से बोलने में काफी असुविधा है।

अध्यक्ष महोदय : चूंकि विषय खेलों से संबंधित है, इसलिए आप ऐसा कर सकते हैं। कृपया खास खास बातें ही कहिए हमें इसे खत्म करना है। हमें एक विधेयक भी निपटाना है।

श्री कीरेन रिजीजू : माननीय अध्यक्ष महोदय, धन्यवाद। मुझे इस चर्चा में भाग लेने की अनुमति देने के लिए आपका धन्यवाद। मैं संसद में महत्वपूर्ण चर्चा हेतु यह विषय लाने के लिए अपने सहयोगी श्री नवीन जिन्दल को बधाई देता हूँ।

[हिन्दी]

विश्व भर में यदि हम देखें कि किस देश का खेल कहां पर खड़ा है, तो क्रिकेट कहीं भी उस पायदान में नहीं आता है। मैं सबसे पहले यह चीज साफ करना चाहूंगा कि मैं क्रिकेट का विरोधी नहीं हूं, लेकिन जो परिस्थिति है, उसे देखते हुए मैं यह बात कह रहा हूं। मैंने यह बात इसलिए कही कि कौन सा देश कहां खड़ा है, इसका पता ओलम्पिक खेलों में, एशियन खेलों में और कामनवैल्थ खेलों में चलता है और वहां पर क्रिकेट की कोई जगह नहीं होती है। बड़े दुख की बात है कि हमारे यहां मेन न्यूज चैनल्स पर क्रिकेट के अलावा बाकी खेलों को स्थान नहीं मिला है।

हमारा देश विश्व में खेल के मामले में नीचे खड़ा है। इसका एक प्रमुख दोष मैं सरकार, सिस्टम और मीडिया को देना चाहूंगा। क्रिकेट एक कोलोनियल गेम है और हम उसे फॉलो कर रहे हैं। मैं उसका विरोध नहीं कर रहा हूं, लेकिन उसकी वजह से बाकी खेलों को नुकसान हो रहा है, यह नुकसान बहुत बड़ा है। शरद पवार जी हमारे देश के क्रिकेट बोर्ड के अध्यक्ष बन गए हैं, तो यह क्रिकेट के लिए तो अच्छा है लेकिन बाकी खेलों के लिए खतरा है।

हमारे देश की आबादी 100 करोड़ से ऊपर है। जब हमें किसी खेल में कोई मैडल नहीं मिलता, तो इसका अफसोस सबको होता है। विश्व भर में जब खेलों पर चर्चा होती है, तो इंडिया का नाम कहीं नहीं आता है, यह बड़े दुख की बात है। ...*(व्यवधान)* क्रिकेट में तो आठ–नौ देश ही इन्वाल्व हैं और जब टैस्ट मैच होता है तो दो देशों के बीच होता है। उससे यह पता नहीं चलता कि विश्व में आप किस पायदान पर हैं।

माननीय खेल मंत्री जी यहां नहीं हैं, फिर भी मैं आपके माध्यम से उन तक अपना मैसेज पहुंचाना चाहूंगा कि जो बात माननीय सुरेश प्रभु जी ने कही कि हर क्षेत्र विशेष की अपनी एक खास क्वॉलिटी होती है। ट्राइबल्स एरियाज, कोस्टल एरियाज और प्लेन एरियाज के लोगों की अपनी–अपनी क्वॉलिटीज, विशेषताएं और क्षमताएं होती हैं जिनके हिसाब से सरकार को उन विशेष एरियाज के खेलों के लिए फंड एलोकेट करना चाहिए और उन खेलों की तरफ ध्यान देना चाहिए। स्पोर्ट्स अथॉरिटी ऑफ इंडिया ने सबसे पहले स्पेशल एरियाज गेम्स चालू किये थे और उससे ट्राइबल्स एरियाज और दूरदराज के लोगों को मौका मिला। इंडियन फुटबॉल लीग में काफी नौजवान खिलाड़ी उभरकर आये थे। लेकिन खेलों के लिए जो कुछ भी किया गया है वह काफी नहीं है।

मैं उदाहरण देना चाहता हूं कि हमारे अरूणाचल प्रदेश में एक

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

भी स्वीमिंग पूल और आर्चरी के लिए मैदान नहीं है, बॉलीबॉल के लिए अच्छे मैदान नहीं हैं तो कहां से खिलाड़ी निकलेंगे। माननीय सुरेश प्रभाकर प्रभु जी ने जो कहा, उनके एक पाइंट से मैं सहमत नहीं हूं कि हमारे खिलाड़ी बाहर जाकर मैडल लेकर नहीं आते हैं। मैं पूछना चाहता हूं कि सरकार हमारे खिलाड़ियों के लिए क्या कर रही है, क्या सुविधाएं दे रही है, इस बात को भी आपको देखना होगा। नार्थ–ईस्ट में सरकार को खेलों की ओर ज्यादा ध्यान देना होगा। क्योंकि कारपोरेट जगत नार्थ–ईस्ट में नहीं जाता है। सबसे पहले सरकार को वहां ध्यान देना होगा। माननीय मल्होत्रा जी ने फंड एलोकेशन के बारे में कहा। मैं समझता हूं कि खेलों के लिए फंड एलोकेशन दुनिया में सबसे कम हिन्दुस्तान का होगा। लेकिन जब हमारे खिलाड़ी गोल्ड मैडल जीतकर आते हैं, तो माननीय प्रधान मंत्री जी से लेकर सबका सिर गर्व से ऊंचा हो जाता है। हम केवल दो–तीन सौ करोड़ रुपये ही खेलों के लिए एलोकेट करते हैं। आज तक ओलम्पिक्स में हमने अपने नेशनल गेम हॉकी को छोड़कर किसी खेल में गोल्ड मैडल नहीं जीता है लेकिन आज हॉकी की भी दुर्दशा है और उसकी हमारी सरकार को कोई चिंता नहीं है। सब कहते हैं कि खेलों की तरफ सरकार को ध्यान देना चाहिए लेकिन धरातल पर इसका उल्टा है और खेलों के लिए कुछ नहीं होता है। सरकार की तरफ से जितने फंड की आवश्यकता हो, उसे पूरा किया जाना चाहिए, यही आज की सच्चाई है।

पिछली बार, हमारे क्रिकेट प्लेयर को निकाले जाने से कंट्रोवर्सी हुई। अभी मणिपुर की गेम्स को लेकर जो कंट्रोवर्सी हुई, उससे मणिपुर में आग लग गयी थी, लेकिन हमारी संसद में भी उस बात की किसी को कोई परवाह नहीं। किसी ने उसे यहां नहीं उठाया।

अध्यक्ष महोदय : मणिपुर वाला मामला उठा था।

श्री कीरेन रिजीजू : ठीक है। मैं अपनी बात में सुधार करता हूं। लेकिन आम परिस्थिति में, क्रिकेट के मामले में, मीडिया वाले भी ऐसे व्यवहार करते हैं जैसे कि सारा देश क्रिकेट के बिना मर जायेगा और मुख्य चैनलों पर भी इसे दिखा देते हैं। लगता है कि क्रिकेट के अलावा देश में कोई दूसरा काम नहीं है। अगर हमारी ऐसी मानसिकता रहेगी तो क्रिकेट के अलावा दूसरे खेलों में सुधार नहीं होगा और उनका स्तर गिरता जाएगा। खेल की दिशा बिल्कुल गिरती जाएगी। अंत में मैं समय को ध्यान में रखते हुए यही कहूंगा, कहने के लिए तो बहुत कुछ है, लेकिन समय का अभाव है, मैं मल्होत्रा जी की बात का फिर से सपोर्ट करना चाहूंगा कि अगले साल के बजट में कम से 2000 करोड़ रुपए का प्रोवीजन सरकार द्वारा किया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : वह क्रिकेट के लिए नहीं है, जैसा कि आप कह रहे हैं?

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू : क्रिकेट के पास तो अपना बहुत पैसा है, क्रिकेट को क्लेम करते हैं कि उनका बोर्ड विश्व में सबसे अधिक समृद्ध बोर्ड है। लेकिन जब हम अपने देश के ग्राउंड्स को देखेंगे...* वह पैसा कहां जाता है?

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : आप इससे तुलना क्यों कर रहें हैं? यह तो एक मित्रवत् देश है। उस वाक्य का लोप किया जाये।

[हिन्दी]

श्री कीरेन रिजीजू : मैं केवल इतना कहना चाहूंगा कि खेल में हमें पालिटिक्स स्प्रिट को नहीं लाना है, मगर हमें पालिटिक्स में खेल स्प्रिट को लेकर आगे का काम करना है।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : धन्यवाद। आपका भाषण काफी अच्छा था।

श्री सुव्रत बोस (बारासाट) : अध्यक्ष महोदय, सबसे पहले तो मैं अपने मित्र, माननीय श्री नवीन जिन्दल को बधाई देता हूँ जिन्होंने खेलों से संबंधित विषय पर सभा का ध्यान आकर्षित किया है। यह विषय काफी महत्वपूर्ण है लेकिन दुर्भाग्यवश, सरकार और संसद, दोनों ने ही इसकी उपेक्षा की है। महोदय, यद्यपि आप खेलों के प्रति अत्यधिक रूचि और लगाव रखते हैं, तथापि इस उपेक्षा ने आपको खेल संबंधी इस चर्चा जोकि इस सभा में कभी–कभार ही होती है, को छोटी करने के लिए बाध्य कर दिया है। श्री जिन्दल ने ओलम्पिक खेल सहित खेलों के लिए कम धनराशि आबंटित करने के बारे में अपना भाषण देते समय जो कुछ बातें कहीं थीं, में उन्हीं बातों को दोहराकर सभा का ज्यादा समय नहीं लेना चाहता।

एक सक्रिय खिलाड़ी होने के नाते मैं बड़े गर्व के साथ यह

*कार्यवाही वृत्तांत में सम्मिलित नहीं किया गया।

[श्री सुव्रत बोस]

कह सकता हूँ कि मैं अभी एक सक्रिय खिलाड़ी हूं। मैंने 10 वर्ष की आयु में टेनिस खेलना शुरू किया था और अब 60 वर्ष के बाद भी मैं टेनिस खेलने के लिए थोड़ा बहुत समय निकाल ही लेता हूं।

अध्यक्ष महोदय : बहुत अच्छा।

श्री सुव्रत बोस : मैं खेलों से संबद्ध रहा हूँ। राष्ट्रीय स्तर पर अपने राज्य का प्रतिनिधित्व करने, लगभग 36 वर्ष पहले वर्ष 1969 में भारतीय डेविस कप टीम का कैप्टन होने और राज्य तथा राष्ट्रीय संघों में महत्वपूर्ण पद धारण करने के अलावा, मैंने अपने अनुभव से यह पाया कि हालांकि खेल संघों का मुख्य उद्देश्य प्रतिभाओं को खोजना, उनका पोषण और विकास करना है, तथापि मेरे विचार से, अधिकांश खेल संघ ये काम नहीं करते। वे संभवतः कुछ खेल प्रतियोगिताएं आयोजित करके ही संतुष्ट हो जाते हैं। हालांकि प्रतिस्पर्धा होना अच्छी बात है, खिलाड़ियों का विकास करना जरूरी है लेकिन फिर भी खेल संघों से यह आशा नहीं की जा सकती कि वे इन सब कार्यों को करते। हम चीन को देखें। हमारी स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद यह स्वतंत्र हुआ और इसने नई हुकूमत शुरू की। यदि हम चीन में खेलों की प्रगति पर नज़र डालें तो हम पायेंगे कि चीन ने राष्ट्रीय खेल नीति बनाई और उसने इसे काफी गंभीरता पूर्वक क्रियान्वित भी किया है।

दुर्भाग्यवश, हमने अभी तक राष्ट्रीय खेल नीति नहीं बनाई है। अतः, नये माननीय खेल मंत्री का स्वागत करते हुए मैं आपके माध्यम से उनसे आग्रह करता हूँ कि वह एक राष्ट्रीय खेल नीति बनायें ताकि हम खेलों का समुचित ढंग से विकास कर सकें।

चीन ने न केवल खेल संबंधी कार्यक्रमों के विकास पर अपितु खेलकूद के प्रत्येक क्षेत्र में शारीरिक स्वास्थ्य पर भी ध्यान दिया। जोकि पूर्णतः और नितांत आवश्यक है। मेरी सहयोगी और मित्र श्रीमती ज्योतिर्मयी सिकदर ने भी यह बात कही थी। इसलिए, हमें विद्यालय स्तर से ही इसकी शुरूआत करनी होगी। अतः, मेरा सरकार से अनुरोध है कि वह प्रत्येक केन्द्रीय विद्यालय में हमारे युवा बालक और बालिकाओं के शारीरिक प्रशिक्षण के लिए व्यायामशालाएं बनवाकर इस संबंध में उदाहरण पेश करे। हमें प्रत्येक छात्र के लिए व्यायामशाला में सक्रिय रूचि लेना और भाग लेना अनिवार्य करना होगा। इससे हमारे खिलाड़ी और युवा बालक तथा बालिकाएं तंदुरूस्त रहेंगी। जब उनमें प्रतिभा है तो उनके लिए अपनी प्रतिभा का विकास और पोषण करना आसान हो जाएगा।

महोदय, मैं आपका ज्यादा समय नहीं लूंगा लेकिन मैं सरकार का ध्यान इस बात की ओर भी आकर्षित करना चाहूंगा कि भारतीय खेल प्राधिकरण को जिस तरह से काम करना चाहिए, वह वैसे नहीं कर रहा है। मेरे विचार से, माननीय खेल मंत्री के लिए यह आवश्यक है कि वह भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्यकरण की ओर ज्यादा से ज्यादा ध्यान दें। आपने हाल ही में, मेरे विचार से, एक वर्ष से भी कम समय पहले देखा होगा कि यदि मुझे सही संख्या याद है तो उनके लगभग 750 प्रशिक्षकों का एक ही दिन में स्थानांतरण कर दिया गया। कई प्रशिक्षकों, जिनका स्थानांतरण किया गया है, जो प्रत्येक क्षेत्र में प्रशिक्षक हैं, को ऐसी जगह भेजा गया जहां वह खेल ही नहीं है। भारतीय खेल प्राधिकरण के कार्य करने का यह तरीका है।

अध्यक्ष महोदय : उसके बावजूद, हमारे कुछेक खिलाड़ियों ने बेहतरीन प्रदर्शन किया है। मैं उनका आभारी हूँ। इससे पता चलता है कि उचित प्रयास करके हम अच्छे एथलीट तैयार कर सकते हैं।

श्री सुव्रत बोस : हाँ, उन लोगों ने योगदान किया है। मैं नहीं कहता कि उन लोगों ने योगदान नहीं किया लेकिन मैं समझता हूँ कि भारतीय खेल प्राधिकरण के सभी परिसरों में उपलब्ध सुविधाओं को भी आधुनिक बनाना होगा। यद्यपि मैं नहीं समझता कि सरकार को खेल संघों और खेल महासंघों के कार्यकरण में हस्तक्षेप और दखल देना चाहिए, फिर भी मेरे विचार से सरकार कुछ पहलुओं पर उन्हें मार्गदर्शन दे सकती है। अभी हाल ही में, भारतीय क्रिकेट टीम से सौरभ गांगुली को निकाल देने का बहुत ही भावुक मुद्दा सामने आया है। मैं समझता हूँ कि यह मंच इस विषय पर चर्चा करने के लिए नहीं है। मैं यही कहना चाहता हूँ कि क्या भारतीय क्रिकेट कंट्रोल बोर्ड की चयन समिति का गठन आदर्श है? कम से कम इस विषय पर तो सरकार खेल संघों और खेलमहासंघों का हमेशा मार्गदर्शन कर ही सकती है।

महोदय, आपको टेबल टेनिस क्षेत्र में जानकारी है। मैं जानता हूँ आप बहुत दयालु रहे हैं और आपने इस में काफी रूचि भी ली है। दुर्भाग्यवश, ऐसा एक उदाहरण है जब राष्ट्रीय महासंघ ने राज्य संघ को अयोग्य करार दिया था और प्रतिद्वन्दी संघ को उसकी जगह लेने के लिए प्रोत्साहित किया था। लेकिन मैं समझता हूँ कि इससे खेल में गिरावट आई है। मैं यह नहीं कह रहा हूँ कि राज्य संघ समुचित ढंग से कार्य कर रहा था। मेरे पास उनसे संबंधित जानकारी नहीं है। लेकिन मैं यहाँ पर एक बार फिर कहता हूँ कि संभवतः सरकार सलाहकार की भूमिका निभा सकती है और समस्या को हल करने की कोशिश कर सकती है। हाल के वर्षों में पश्चिम बंगाल टेबल टेनिस की पाठशाला बन गया है।

अध्यक्ष महोदय : मैंने कहा कि समस्या खिलाड़ियों के साथ नहीं बल्कि सिर्फ अधिकारियों के साथ है।

श्री सुव्रत बोस : जी हाँ, अधिकारियों के साथ भी हैं। इसलिए मैं समझता हूँ कि कुछ मामलों में सरकार द्वारा हस्तक्षेप करना जरूरी है। महोदय, मैं आपका और अधिक समय नहीं लेना चाहता। यह अवसर प्रदान करने के लिए मैं आपको धन्यवाद देता हूँ। मैं नियम 193 के तहत यह चर्चा, जो कि काफी महत्वपूर्ण है, कराने की अनुमति देने के लिए धन्यवाद देता है।

अध्यक्ष महोदय : मैं किसी के द्वारा सूचना देने का इंतजार कर रहा था।

***श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई (शिवकाशी)** : महोदय, महाकवि सुब्रमण्यम भारती, जो मेरे निर्वाचन क्षेत्र एट्टयापुरम के हैं, ने कविता में कहा है

"ओ डी विलायडु पप्पा, नी ओयन्थीरूक्कलागथु पप्पा
कूडी विलायडु पाप्पा नी, ओरू नगहन्ध्येयई वैयाथे पाप्पा"

(बच्चों को खेल का आनंद उठाने के लिए प्रोत्साहित करना चाहिए; उन्हें बगैर किसी ईर्ष्या और प्रतिद्वंदिता के एकजुट होकर खेलने दीजिए) "क्या हमने अपने देश के करोड़ों बच्चों को खेलने–कूदने के लिए पर्याप्त संख्या में खेल के मैदान उपलब्ध कराये हैं" यह एक विवादास्पद प्रश्न है। पूरे देश में खेल के मैदान पर्याप्त संख्या में न होने के कारण हमारे बच्चे वहां ठीक प्रकार से नहीं खेल पाते और सिर्फ इसी कारण वर्तमान में 108 करोड़ से अधिक जनसंख्या होने के बावजूद हम अंतर्राष्ट्रीय खेल स्पर्धाओं में पदक पाने में पीछे रह जाते हैं। करीब 170 देशों के मंच में, विशेषकर ओलंपिक खेलों में हमने 100 वाँ स्थान भी प्राप्त नहीं किया है। हमे स्वर्ण पदक विजेता तैयार करने के लिए तपस्या करनी होगी। मैं इस बहस के प्रारंभकर्ता और इस सदन के पीठासीन अधिकारी को इस सदन को राजनीति के खेल के मैदान से बदलकर खेलों के उपयुक्त क्रीडास्थल बनाने के लिए धन्यवाद देना चाहता हूँ। समय की कमी को देखते हुए मैं केवल तीन बातें कहना चाहता हूं जिनकी ओर ध्यान देना आवश्यक है। यदि सच्चे खिलाड़ियों को विकसित किया जाना है तो उसके लिए अनुकूल वातावरण और उनके मनोबल को और ऊँचा उठाने के लिए पर्याप्त प्रोत्साहन की जरूरत है। प्रतिभा की खोज की जानी चाहिए और संभावित खिलाड़ियों की पहचान की जानी चाहिए, उनकी गुप्त प्रतिभा की पहचान की जानी चाहिए और उन्हें कठिन व्यावसायिक प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए। दूसरी बात यह है कि एथलेटिक और खेल स्पर्धाओं के सभी क्षेत्रों को बराबर प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। मुझे लगता है कि हमारी केन्द्र सरकार ने वातावरण तैयार करने, प्रतिभाओं की खोज करने और उन युवा खिलाड़ियों को तैयार करने से संबंधित तीन पहलुओं पर पर्याप्त ध्यान नहीं दिया है।

मैं केन्द्र सरकार से अनुरोध करता हूँ कि वह अवसंरचनात्मक विकास योजना के तहत खेलों के लिए जरूरी अवसंरचना तैयार करने की जिम्मेदारी राज्य सरकारों को सौंपने की वर्तमान स्थिति पर फिर से विचार करें। केन्द्र को अपना उत्तरदायित्व नहीं छोड़ना चाहिए। जब राज्य अपनी आधारभूत जरूरतों को पूरा करने में समर्थ नहीं है तो वे खेल अवसंरचना विकास के लिए निधियों का आबंटन और खर्च कैसे कर सकते हैं। राज्य खिलाड़ियों को प्रशिक्षण देने या खेलों का विकास करने में समर्थ नहीं हो सकते हैं। यह दावा कि नवोदय विद्यालय इस योजना का संचालन कर सकते हैं, भी अनुचित है। जो नवोदय विद्यालय में प्रवेश लेते हैं, वे अच्छी शिक्षा प्राप्त करने के लिए लेते हैं न कि खेल सुविधाओं को लाभ उठाने के लिए। वे खेलों को उचित प्राथमिकता नहीं दे सकते। इस देश में सभी खेल सुविधाएँ, क्लब और संघ गैर–सरकारी क्षेत्र में हैं। इससे केन्द्र द्वारा आबंटित निधियों के समुचित वितरण में बाधा पहुँचती है। इसलिए, मैं सरकार से अनुरोध करता हूँ कि मौजूदा प्रणाली को सरल बनाया जाए और खेलों तथा इसके अवसंरचनात्मक विकास में तेजी लाने के लिए पूर्ण उपाय के रूप में खेल मंत्री की नियुक्ति करें। ग्रामीण क्षेत्रों में भी खेलों की बुनियादी सुविधा प्रदान की जानी चाहिए और ग्रामीण क्षेत्रों में खेल प्रतिभाओं की पहचान की जानी चाहिए, उन्हें प्रोत्साहित और विकसित किया जाना चाहिए। इस आवश्यकता को उजागर करने के लिए और खेल स्पर्धाओं को बढ़ावा देने के संभव उपाय सुझाने के लिए हमारे नेता बैकों ने अपने गाँव कलिंगापट्टी में राज्य स्तरीय वार्षिक वॉलीबाल चैंपियनशिप टूर्नामेंट की व्यवस्था की हुई है। इन मैचों को देखने के लिए हजारों लोग वहाँ इकट्ठे होते हैं और इससे ग्रामीण लोगों को, उनमें से युवाओं को खेलने और अच्छा प्रदर्शन करने की प्रेरणा मिलती है। यहां तक कि ग्रामीण खेलों को बढ़ावा देने के उद्देश्य से इस खेल स्पर्धा को दूरदर्शन पर भी प्रसारण किया गया है। इसलिए, हमें अपने राष्ट्र को और आगे ले जाने की दृष्टि से खेलों को बढ़ावा देने के लिए सभी

*मूलतः तमिल में दिए गये भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

[श्री रविचन्द्रन सिप्पीपारई]

संभव कदम उठाने चाहिए। इसके साथ ही मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

[हिन्दी]

श्री लक्ष्मण सिंह (राजगढ़) : अध्यक्ष महोदय, वैदिक काल से हमारे देश में खेलों का बहुत महत्व रहा है। वैदिक काल में खेलों का शुभारम्भ अग्नि प्रज्जवलित करके करते थे और आज ओलम्पिक खेलों में यही परम्परा चली आ रही है। भारत और ग्रीक की संस्कृति में बहुत समानता है। अगर ग्रीक में एक धार्मिक फिगर निलमपोज़ है जो अपने शरीर पर सर्प लपेटते थे, तो हमारे यहां भगवान शिव भी कहने के लिये वहीं रूप है। लेकिन मुझे यह कहते हुये बहुत ही दुख हो रहा है कि ग्रीक जैसा छोटा सा देश ओलम्पिक खेल होस्ट कर सकता है लेकिन हमारा देश आजादी के 57 साल बाद भी ओलम्पिक खेल होस्ट करने की स्थिति में नहीं है।

अध्यक्ष महोदय, छोटे–छोटे देश आज हम से ज्यादा मैडल लेकर आते हैं। हमारे देश में भी खेल बहुत पुरानी परम्परा है। अगर हम स्पोर्ट्स इनफ्रास्ट्रक्चर की बात करें तो हमारे देश में भा.खे.प्रा. ने स्पेशल एरिया गेम स्कीम बनायी है जिनका काम

[अनुवाद]

दुर्गम ग्रामीण जनजातीय क्षेत्रों से 14 से 21 वर्ष के आयु समूह के व्यक्तियों में से खेल प्रतिभाओं को चुनकर उन्हें आधुनिक प्रतिस्पर्धात्मक खेलों के लिए तैयार करना है।

[हिन्दी]

सरकार ने टेलेंट स्पॉट के करने के लिये 14 से 21 वर्ष की उम्र रखी है, इसे घटाकर 10 से 15 वर्ष करना चाहिये। दस साल के खिलाड़ी का स्पॉट करके नर्चर करने की आवश्यकता है। मुझे यह कहते हुए दुख होता है कि जब टेलेंट पिक अप करते हैं तो उन्हें कितना भत्ता दिया जाता है? सरकार प्रति व्यक्ति प्रतिदिन 75 रुपये भत्ता देती है जो आज की स्थिति में बहुत कम है। एक्सीडेंट इन्श्योरेंस प्रीमियम 150 रुपये प्रतिवर्ष प्रति व्यक्ति है। आज दवाईयों की कीमतें कितनी बढ़ रही हैं? क्या मैडिकल खर्चे के लिये केवल 300 रुपये काफी हैं? यह बड़े शर्म की बात है कि इतना कम भत्ता दिया जाता है। भा. खे. प्रा. को चाहिये कि वह भत्ते में बढ़ोत्तरी करें।

अध्यक्ष महोदय, देश में 17 स्पोर्ट्स एरिया गेम्स सैन्टर्स हैं और एक साल में इन्होंने 1300 ट्रेनीज पूरे देश से चुने हैं। इस देश में एक – तिहाई युवा वर्ग हैं, हमारे देश में इनकी आबादी लगभग 30 करोड़ की है। उनमें से आपने सात स्पोर्ट्स सैन्टर्स के लिए 1300 ट्रेनीज चुने हैं। इसका अर्थ यह है कि अगर हम एक स्पोर्ट्स सैन्टर को देखें तो आपने साल भर में कितने खिलाड़ी चुने हैं।

[अनुवाद]

इसका अर्थ है कि उन्होंने देशभर से प्रत्येक खेल प्रशिक्षण केन्द्र के लिए सिर्फ 8 खिलाड़ियों को चुना है जो कि शर्मनाक है।

[हिन्दी]

मैं आपसे आशा करता हूं कि आप इसका दायरा और बढ़ायेंगे और जो खिलाड़ी दूर–दराज के ग्रामीण इलाकों में बसे हैं, जो ट्राइबल्स हैं, उन्हें आगे आने का अवसर देंगे। हर बार यही कहा जाता है कि पैसा नहीं है, बजट कम है। मैं आपके माध्यम से बताना चाहता हूं कि नेशनल स्पोर्ट्स डवलपमैन्ट फंड है। इसमें आप एन. आर. आइज. को इंकम टैक्स में सौ प्रतिशत की छूट देते हैं। लेकिन इसमें कितना फंड आया, कहां गया, कहां खर्च हुआ, इसके बारे में आज तक कोई चर्चा नहीं हुई। वित्त मंत्री जी ने भी इस बारे में कभी चर्चा नहीं की। हम चाहते हैं कि माननीय मंत्री जी इस बारे में सदन को जानकारी दें कि जो नेशनल स्पोर्टस डवलपमैन्ट फंड है, जिसमें स्पोर्ट्स को बढ़ाने के लिए एन. आर. आइज. का पैसा आता है और उन्हें आप इंकम टैक्स में सौ प्रतिशत की छूट देते हैं, यह पैसा कहां से जाता है? हमने सुना है कि यह पैसा डाइवर्ट हो जाता है, जो एक बहुत शर्मनाक बात है।

अध्यक्ष महोदय, एक आर्मी बॉइज स्पोर्ट्स कंपनी स्कीम है, जिसमें आर्मी की मदद से आप स्पोर्ट्स टेलेन्ट को बढ़ावा देते हैं। लेकिन इसमें जिन बच्चों को चयन होता है, उन्हें भत्ता कितना मिलता है? उन्हें 60 रुपये प्रति दिन भत्ता मिलता है।

इसी तरह से आपकी नेशनल कोचिंग स्कीम है। उसमें कोचिज की स्ट्रैन्थ के अनुसार आपको 1600 कोचिज चाहिए। अभी आपके पास केवल 1500 कोचिज हैं। मैं समझता हूं कि इसमें 1600 कोचिज भी कम हैं। इसमें कोचिज की संख्या बढ़ानी चाहिए और इसमें लगभग चार–पांच हजार कोचिज होने चाहिए। उनकी शीघ्र ही पूर्ति होनी चाहिए, जिससे कि उभरते खिलाड़ियों को कोचिंग का अवसर मिल सके।

इसके अलावा डोप कंट्रोल सैन्टर हैं। हमारे बहुत से खिलाड़ी डोप लेते हुए पकड़े गये हैं जिनके कारण अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर हमें शर्मिन्दा होना पड़ा। देश में जवाहर लाल नेहरू स्टेडियम एक डोप कंट्रोल सैन्टर है। इनकी संख्या बढ़ाने की आवश्यकता है, जिससे कि इन बातों पर नियंत्रण पाया जा सके।

इसी तरह से लक्ष्मीबाई नेशनल कॉलेज ऑफ फिजिकल एजूकेशन ग्वालियर में स्थित है। यह मध्य प्रदेश में एक ऐसी संस्था है जो खेलों की शिक्षा देती है। यह खेलों के लिए शैक्षाणिक व्यवस्था करती है लेकिन उसका बजट आपने केवल चार करोड़ रुपये रखा है, जिसमें नॉन–प्लान एक्सपैन्डीचर 2 करोड़ 90 लाख रुपये है। इस बजट को बढ़ाने की आवश्यकता है तथा वहां कोचिज की तनख्वाहें बढ़ाने की भी बहुत आवश्यकता है। वहां इंफ्रास्ट्रक्चर पर और पैसा खर्च करने की आवश्यकता है। क्योंकि यह खेलों से संबंधित बहुत महत्वपूर्ण संस्था है।

[अनुवाद]

अब आपके पास "खेलों और खेल उपकरणों तथा खेल के मैदानों का विकास करने के लिए ग्रामीण विद्यालयों को अनुदान" नामक योजना है।

[हिन्दी]

इसके लिए डेढ़ लाख रुपये सामान खरीदने और फील्ड बनाने के लिए दिया जाता है। लेकिन इसमें बाउन्ड्री वॉल बनाने का कोई प्रावधान नहीं है। इसलिए इसमें इतनी धनराशि दीजिए, ताकि ग्रामीण क्षेत्रों में जो प्ले ग्राउंड बनें, उनकी बाउन्ड्री वॉल भी बन सके।

इन्होंने भारत निर्माण योजना में ग्रामीण विकास के लिए 1 लाख 74 हजार करोड़ रुपये रखे हैं, यह बहुत अच्छी बात है। आप ग्रामीण विकास जरूर करिये। लेकिन जो आपकी भारत निर्माण योजना है, इसमें ग्रामीण क्षेत्रों में खेलों को बढ़ावा देने के लिए कहीं कोई बात नहीं कही गई है। जो कि बहुत महत्वपूर्ण प्वाइंट है। इस बारे में कभी वित्त मंत्री जी ने भी कुछ नहीं कहा है और न हमने सुना है। ग्रामीण खेलों को बढ़ाना, ग्रामीण क्षेत्रों में स्पोर्ट्स इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना, यह भी भारत निर्माण योजना का एक अंग होना चाहिए।

आपकी स्पोर्ट्स स्कालरशिप स्कीम है। इस स्कीम में आप लोगों ने अजीब मापदंड रखे हैं। इसमें यदि किसी खिलाड़ी को कालेज या यूनिवर्सिटी से अगर लोकल स्कालरशिप मिलती है तो उसे साढ़े सात सौ रुपये महीना मिलते हैं। लेकिन जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है, उसका भत्ता कम हो जाता है। यानी जो कॉलेज या यूनिवर्सिटी स्तर पर खेलता है उसे साढ़े सात सौ महीना मिलते हैं, लेकिन जो नेशनल लैवल पर देश के लिए खेलता है, उसे छः सौ रुपये महीना मिलता है। यहां उल्टा हो रहा है। जो राष्ट्रीय स्तर पर खेलता है, उसको ज्यादा पैसा मिलना चाहिए। उससे कम पैसा उसे मिलना चाहिए जो राज्य स्तर पर खेलता है और उससे भी कम पैसा उसे मिलना चाहिए जो कालेज स्तर पर खेलता है। इस दिशा में सुधार किये जाने की आवश्यकता है।

केन्द्र की योजना के अनुसार योजना अयोग खेलों के विकास के लिए सीधे राज्यों को पैसा देता है, लेकिन उसका नियम यह है कि दो करोड़ रुपये से ज्यादा वह किसी राज्य को नहीं दे सकता। मैं कहना चाहता हूं कि इस दो करोड़ रुपये की राशि को बढ़ाकर 10–15 करोड़ रुपये प्रति राज्य करना चाहिए। जिससे हम खेलों को बढ़ावा दे सकें।

अध्यक्ष महोदय, समय के अभाव में मैं अपनी बात समाप्त कर करना चाहता हूं और जिन्दल जी को धन्यवाद देना चाहता हूं कि वे एक अति महत्वपूर्ण विषय सदन में चर्चा के लिए लाए। मैं जिन्दल जी से एक सवाल करना चाहूंगा। वे सदन में यह चर्चा लाए हैं, यह अच्छी बात है, लेकिन वे एक माने हुए उद्योगपति भी हैं। उन्होंने कितने प्लेयर्स को अब तक स्पॉन्सर किया है मैं नहीं जानता। किया है तो अच्छी बात है। यदि नहीं किया है तो मैं उनसे निवेदन करूंगा कि उड़ीसा के एक भाई का छोटा बच्चा बुदिया जो दौड़ने में बहुत अच्छा है, उसको आप स्पॉन्सर करिये तो कम से कम हमारे उड़ीसा के गांव के बच्चे को आगे आने का अवसर मिलेगा।

मैं उड़ीसा सरकार को बधाई दूंगा कि इन्होंने रूरल स्पोर्ट्स के लिए अंगुल जिले को चुना है।

[अनुवाद]

यह ग्रामीण खेलों के विकास के लिए अनुकरणीय मामला है।

[हिन्दी]

देश में ज्यादा से ज्यादा हो जिससे ग्रामीण और पिछड़े क्षेत्रों में रहने वाले बच्चों को आगे आने का अवसर मिल सके।

[अनुवाद]

*श्री एम. शिवन्ना (चामराजनगर) : माननीय अध्यक्ष महोदय, मैं आपका आभारी हूं कि आपने मुझे, "भारत में खेल–कूद", विषय पर बोलने का अवसर दिया। यह महत्वपूर्ण विषय माननीय सभा के समक्ष लाने के लिए मैं माननीय सदस्य श्री जिंदल को बधाई देता हूं। महान कन्नड़ लेखक और ज्ञानपीठ पुरस्कार से सम्मानित डा. आर. ए. बेंडे एक गीत गाते हैं जिसमें कहा गया कि बच्चे खेलते हुए सीखते हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि देश में खेल है कहां? दुर्भाग्य से खेल के स्थान पर राजनीति हो रही है?

काफी पहले चामराजनगर में खेल स्टेडियम के निर्माण के लिए पूर्व संसद सदस्य तथा मंत्री श्री वी. श्रीनिवास प्रसाद ने चालीस लाख रुपए और मैंने बीस लाख रुपए दिए थे। आजतक केन्द्र और राज्य सरकार द्वारा कुछ भी नहीं किया गया है। भारत में खेल की यह दयनीय दशा है। मैंने इस विषय में कई प्रश्न किए थे। मुझे यथावत बेकार से जवाब दिए गए और स्टेडियम के निर्माण में कोई प्रगति नहीं हुई। वास्तव में, हम चाहते थे कि चामराजनगर में एक बड़ा सा स्टेडियम बनाया जाए जिसमें एक अच्छा सा तरणताल इनडोर स्टेडियम, अच्छे ट्रैक आदि हों। मुझे नहीं पता कि चामराजनगर के लोगों का यह सपना कब सच होगा।

मैंने चामराजनगर में एक कोच नियुक्त किए जाने का अनुरोध किया था और तदनुसार वहां एक कोच भेजा गया। पर बड़े दुख की बात है कि तीन महीनों के भीतर ही उसे किसी अन्य स्थान पर स्थानान्तरित कर दिया गया। कैसी विडम्बना है। मैं संबंधित अधिकारियों से अनुरोध करता हूं कि कोच को तुरंत वापस लाया जाए।

जहां तक खेल कूद का संबंध है, स्वतंत्रता प्राप्ति के 59 वर्ष बाद भी हम एक पिछड़ा देश हैं। हम ओलम्पिक में दौड़–कूद आदि में कांस्य पदक तक नहीं ला सके हैं। अन्य अन्तर्राष्ट्रीय खेलों में भी हमारे खिलाड़ियों का प्रदर्शन निराशाजनक ही रहा है। इस स्थिति के लिए हमें खुद को दोष देना होगा। वास्तव में, हमारे खेल के क्षेत्र में दरार है। हमने ग्रुप बना रखे हैं। टेनिस, गोल्फ और क्रिकेट जैसे खेल अमीरों के लिए हैं। आम आदमी गरीब और गांव के लोगों को तो कबड्डी, बालीबाल, सोफ्टबाल, थ्रो बाल, खो–खो आदि जैसे खेलों से ही संतोष करना पड़ता है। ग्रामीण बच्चे और चामराजनगर जैसे पहाड़ी क्षेत्रों से आने वाले बच्चे कबड्डी और खो–खो में अच्छा प्रदर्शन कर सकते हैं। लेकिन इन खेलों को प्रोत्साहित करने वाला कौन है? कभी–कभी मुझे लगता है कि कुछ दशकों बाद हो सकता है कि हम इन सारे खेलों को ही भूल जाएं और हमें केवल क्रिकेट ही याद रहे।

आज चीन खेलों में पूरी दुनिया को चुनौती दे रहा है। वह 2008 ओलम्पिक की मेजबानी कर रहा है। वह फील्ड प्रतिस्पर्धाओं, दौड़–कूद प्रतिस्पर्धाओं और आपने सभी खेलों में सर्वोच्च स्थान प्राप्त करने के दृढ़ निश्चय के साथ आगे बढ़ रहा है। आने वाले 2008 ओलम्पिक में हमारे देश की क्या स्थिति है? क्या हम कोई स्वर्णपदक ला सकेंगे? तैयारियां कैसी चल रही हैं? कमर कसने का यही समय है। केन्द्र और राज्यों को तात्कालिकता को समझना चाहिए और देश को खेलकूद की शानदार गतिविधियों के नए युग में ले जाने के लिए सारे उपाय करने चाहिए।

मैं एक खिलाड़ी हूं। मैं एक बहुत अच्छा पहलवान और कबड्डी खिलाड़ी था। मेरी इच्छा एक पुलिस अधिकारी बनने की थी। लेकिन एक खिलाड़ी को प्रोत्साहन कहां मिलता है। इसीलिए खिलाड़ियों को नौकरियों में आरक्षण देना तथा छात्रवृत्तियां और अन्य प्रोत्साहन देना अत्यंत आवश्यक है। देश में प्रतिभा की कोई कमी नहीं है। लेकिन आधारभूत सुविधा की कमी आवश्यक है। शारीरिक और मानसिक रूप से विकलांग बच्चों को भी उनकी क्षमता के अनुसार खेल के क्षेत्र में अवसर दिया जाना चाहिए। देश में केन्द्र और राज्यों द्वारा खेल को उन्नत किए जाने की आवश्यकता है। इसमें कोई दो राय नहीं कि इस दिशा में पहला कदम होगा खेलों से राजनीति को समाप्त करना। बहुत हो गया, हमें किसी एक व्यक्ति के बारे में नहीं लड़ना चाहिए। हमारे खिलाड़ियों को अपने लिए नहीं बल्कि देश के लिए खेलना चाहिए। हमारा देश किसी एक राज्य से अधिक महत्वपूर्ण है।

महिला खिलाड़ियों को छात्रवृत्तियां, कोटा आरक्षण आदि के साथ–साथ विशेष प्रोत्साहन दिया जाना चाहिए। अंजू बाबी जार्ज, सानिया मिर्जा, अपर्णा पोपट और अन्यों के रूप में हमारे सामने इसके अच्छे परिणाम हैं। इस समय केन्द्र की दृढ़ इच्छा शक्ति ही समय की मांग है।

आशा है कि भारत सरकार समय की मांग देखकर देश में खेल के स्तर में सुधार करने के लिए हर संभव प्रयास करेगी।

*मूलतः कन्नड़ में दिए गए भाषण के अंग्रेजी अनुवाद का हिन्दी रूपान्तर।

महोदय, इन्हीं शब्दों के साथ आपको धन्यवाद देता हूं और अपना भाषण समाप्त करता हूं।

*डा. रामकृष्ण कुसमरिया (खुजराहो) : महोदय, माननीय सदस्य श्री नवीन जिन्दल ने खेलों पर नियम 193 के तहत इस चर्चा को शुरू किया है, जिस पर आपने मुझे अपने विचार व्यक्त करने का अवसर दिया, इसके लिए मैं आपका आभारी हूं।

महोदय, हमारा देश गांवों में बसा हुआ है। हमारा देश एक अरब की जनसंख्या का देश है। यहां नौजवान बहुसंख्यक हैं, यह एक नौजवान देश है, यदि ऐसा कहें तो कोई अतिशयोक्ति न होगी। किंतु खेद की बात है कि हमारे खेल मात्र शहरों तक सीमित हैं या क्रिकेट तक सीमित हैं। अतः हमें खेल की सुविधाऐं गांवों तक बढ़ानी होंगी। ग्रामीण इलाकों की प्रतिभाओं को उभारने का अवसर प्रदान किया जाना चाहिए। उदाहरण के तौर पर मेरे संसदीय क्षेत्र खुजराहों में छत्तरपुर कॉलेज की टीम पूरे मध्य प्रदेश में से नेशनल में हॉकी खेलने के लिए चुनी गई है। कहने का तात्पर्य है कि प्रतिभाएं हर जगह मौजूद हैं, सिर्फ उन्हें मौका दिया जाना चाहिए। इसी के साथ क्रिकेट के अलावा, बास्केटबाल, फुटबाल, कबड्डी, खो–खो, कुश्ती एवं अन्य खेल भी खिलाड़ी की रुचि के अनुसार होने चाहिए और उन्हें उसकी कोचिंग मिलनी चाहिए। विद्यालयों, महाविद्यालयों एवं विश्वविद्यालयों में खेल कूद के लिए विशेष पैकेज देना चाहिए, क्योंकि मुझे मालूम है कि इन संस्थानों में धन का अभाव रहता है। इन विश्वविद्यालयों में विदेशों के अनुरूप कोई भी संस्थान नहीं है। खेल के मैदान और स्वीमिंग पूल की सुविधा नहीं है। दुखद बात तो यह है कि आज भी हमारी कोई खेल नीति नहीं है, इसी का परिणाम है कि हमारे खिलाड़ी विदेशों में खेलने तो जाते हैं, किन्तु खाली हाथ वापस आते हैं।

अतः जैसा कि मल्होत्रा जी ने कहा कि खेलों के लिए दो हजार करोड़ के बजट का प्रावधान होना चाहिए। देश के सम्पूर्ण ग्रामीण एवं शहरी इलाकों में आधारभूत सुविधाएं जुटाने की आवश्यकता है। छोटे–छोटे देश ओलम्पिक में हम से अधिक मेडल प्राप्त कर लेते हैं। हम टैलेन्टिड खिलाड़ियों को कुछ सुविधाएं नहीं देते हैं। उनको बहुत कम भत्ता दिया जाता है, जो कि शर्मनाक है। 50 करोड़ युवकों में से मात्र 1700 खिलाड़ी चुने जाते हैं। यह संख्या बहुत कम है। एनएसडीएफ फण्ड कितना आता है और कहा जाता है कि कोचों की संख्या कम है, उसे भी बढ़ाने की आवश्यकता है। खेलों से संबंधित शैक्षणिक संस्थाएं बढ़ाने की आवश्यकता है एवं उनके लिए धन का प्रावधान करने की आवश्यकता है। भारत निर्माण योजना में ग्रामीण खेलों के लिए भी प्रावधान करना चाहिए।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*श्री हंसराज जी. अहीर (चन्द्रपुर) : महोदय, विश्व खेल मानचित्र में भारत के स्थान की चर्चा करें तो आज केवल क्रिकेट को छोड़कर कोई ऐसा खेल नहीं जिसमें हमें महारथ हासिल हो। एक जमाने में हाकी में महास्थ रखने वाला भारत आज महारथी के बजाए क्वालीफाइंग मैचों के लिए झगड़ता दिखायी देता है। पूरे भारत में हर जगह केवल क्रिकेट की चर्चा तथा क्रिकेट खेल दिखायी पड़ता है। कहां गये हमारे कुश्ती, हाकी, कबड्डी के खिलाड़ी – एथलैटिक में हम बेहद कमजोर हैं। विश्व स्तरीय एथलीट निर्माण करने में हमारा अपयश ही इसकी वास्तविकता बयान करता है।

हमारे यहां खेल प्रतिभा को निखारने के लिए उचित सुविधा तथा अब संरचना उपलब्ध नहीं होना यह खेल की दुर्दशा का प्रमुख कारण है। खेल में भविष्य बनाना आज भी सपना है। अगर कोई लड़का या लड़की खेल में थोड़ी प्रतिभा दिखाती है, तो उसके परिजन, अभिभावक ही उसे पढ़ाई का वास्ता देकर उसकी खेल प्रतिभा पर कुठाराघात करते दिखायी देते हैं। यह वास्तविकता है कि खेल क्षेत्र को प्रतिष्ठा तथा अजीविका का पर्याप्त साधन बनाया गया तो देश में खेल प्रतिभा को निखारने तथा नयी खेल प्रतिभा निर्माण में सहायता प्राप्त होगी। हम देखते हैं कि अमेरिका हो या इंग्लैंड वहां पर स्कूली स्तर पर खेल को बढ़ावा दिया जाता है, खेल में रूचि रखने वालों के लिए सरकार खुद ही सुविधा तथा उनकी शिक्षा का इंतजाम करती है, लेकिन यहां पर खेल में ऐसा दिखायी नहीं देता। अनेक प्रतिभाशाली खिलाड़ियों को अपने आजीविका के लिए खेल क्षेत्र को बढ़ावा देने के लिए खिलाड़ियों को जीवन भर आजीविका के साधन उपलब्ध हो ऐसा प्रयास होना चाहिए।

हमारे यहां के वनवासी, आदिवासी दुर्गम क्षेत्र में रहने के कारण शारीरिक रूप से परिश्रमी होते हैं। उन्हें एथलैट में आगे लाया जा सकता है। बनवासी कल्याण आश्रम के अंतर्गत एकलव्य खेलकूद परियोजना द्वारा ऐसा प्रयास कई जगह हो रहा है।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[श्री हंसराज जी. अहीर]

धनुर्विद्या के लिम्बाराम ऐसी ही उपलब्धि है। केवल एक सानिया मिर्जा, एक पी. टी. ऊषा, एक मल्लेश्वरी या मिल्खा सिंह पर भारत की खेल प्रतिभा सिकुड़ जाती है। इसमें निरन्तरता लाने के लिए सरकार द्वारा सार तक खेलकूद को बढ़ावा देना है। शालेय, स्कूली ग्रामसार पर खेलकूद पाठयक्रम में शामिल किया जाना चाहिए। ग्राम छोटे शहरों में मिनी स्टेडियम बनाकर कुश्ती, एथलैट्स का प्रशिक्षण दिया जाना चाहिए तथा इनको टी.वी. चैनलों पर प्रसारित कर खेलों को प्रतिष्ठित करने का प्रयास होगा तो ही अपने यहां के खेलों को प्रतिष्ठा तथा खिलाड़ियों को आजीविका का साधन उपलब्ध होगा। केवल क्रिकेट के लिए समर्पित रहने वाले चैनलों तथा अखबारों के खेल पृष्ठों पर अन्य भारतीय खेलों के साथ खिलाड़ियों को शोहरत मिले तो आगे चलकर खेल क्षेत्र में नयी प्रतिभाएं दिखायी देंगी।

क्रिकेट को प्रायोजित करने के लिए लगी होड़ को देखते हुए अब भारतीय खेल तथा अन्य खेलों को भी इन उद्योगों द्वारा प्रायोजित करके इसके विकास एवं उन्नति के लिए आर्थिक सहायता करने की भी जरूरत है।

क्रिकेट में राज्य स्तर पर खेलने के बाद ही खिलाड़ी को बड़े उद्योग घराने, निम्न सरकारी प्रतिष्ठानों द्वारा बड़े वेतन की नौकरियां मिलती हैं। मेरे निर्वाचन क्षेत्र से एक खिलाड़ी, जो कि भारत की तरफ से कबड्डी का अंतर्राष्ट्रीय मैच खेला, लेकिन उसके पश्चात् उसे जिलाधिकारी कार्यालय में चपरासी की नौकरी मिली। इससे क्या संदेश देंगे हम – मेरा निवेदन है कि कबड्डी के अंतर्राष्ट्रीय खिलाड़ी को चपरासी और क्रिकेट के राज्य स्तरीय खिलाड़ी को मोटी नौकरी – यह भेदभाव खत्म होना चाहिए।

*श्री हरिभाऊ राठौड़ (यवतमाल) : महोदय, भारत की आबादी 100 करोड़ से ज्यादा है। फिर भी जब ओलंपिक होता है, तो भारत का खिलाड़ी उसमें कहीं दिखाई नहीं देता। मेरा कहना यह है कि इतनी बड़ी आबादी के देश में उसके अनुरूप खिलाड़ी आगे आने चाहिए। लेकिन देखने को यह मिलता है कि हम खेलकूद में बहुत पीछे हैं। आज तक ग्रामीण क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया। केवल शहर में खेलकूद के लिए इन्फ्रास्ट्रक्चर तैयार किया गया, लेकिन ग्रामीण क्षेत्र की ओर ध्यान नहीं दिया गया। ग्रामीण क्षेत्र के खिलाड़ी का अगर सही मार्गदर्शन किया गया, तो वह भारत का नाम जरूर रोशन करेगा।

*श्री वीरेन्द्र कुमार (सागर) : महोदय, आपने खेलों के संबंध में अपनी बात रखने का जो अवसर प्रदान किया है, उसके लिए आपको धन्यवाद देता हूं। हमारे देश में प्राचीन समय से ही खेलों को महत्व दिया जाता रहा है। वास्तव में हमारे देश में खेल प्रतिभाओं की कमी नहीं है। ग्रामीण क्षेत्रों में विपुल संभावनाएं हैं जिनके मन में खेलने की इच्छा आती है किंतु उनके पास साधन नहीं जुटते हैं, जिस कारण उनकी प्रतिभा को आगे बढ़ाने का अवसर नहीं मिल पाता है अन्यथा हमारे देश ने ही हाकी के क्षेत्र में मेजर ध्यानचंद सरीखे जादूगर को पैदा किया था जिनकी प्रतिभा को सारे विश्व ने स्वीकार किया था। हिटलर भी उनकी खेल प्रतिभा से प्रभावित हुए था। उड़न सिख मिल्खा सिंह ने दौड़ के क्षेत्र में ओलंपिक में भारत को गौरवान्वित किया था। साथ ही पी.टी. ऊषा ने दौड़ में उड़न परी के रूप में ओलंपिक में भारत का मान बढ़ाया था। यह सभी खेल प्रतिभाएं छोटे शहरों से, मध्यम वर्गीय परिवारों से आयीं थीं। खेल प्रतिभाओं को उभारने के लिए छोटे–छोटे शहरों में प्रशिक्षण संस्थाओं के माध्यम से सभी खेलों को बढ़ावा देना चाहिए। सिर्फ क्रिकेट ही नहीं हॉकी, कबड्डी, वालीबाल, फुटबाल, खो–खो, बास्कटबाल और टेनिस के खिलाड़ियों को खेल के अच्छे मैदान तथा आधुनिक उपकरण उपलब्ध कराये जाने की आवश्यकता है। इसके लिए बजट में खेलों की आबंटन राशि को बढ़ाये बगैर यह कार्य नहीं हो सकता। आदिवासी अंचलों में अच्छे तीरंदाज हैं, जो अर्जुन एवं एकलव्य के समान अच्छे निशानेबाज हो सकते हैं किंतु उनके पास खाने–पहनने की भी व्यवस्थाएं नहीं हैं। जसपाल राणा सरीखे अच्छे शूटर भी ग्रामीण अंचलों से मिल सकते हैं। केवल आवश्यकता है खेल के प्रति साधन उपलब्ध कराकर अच्छा वातावरण बनाने की।

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, हम लोग ओवर आइम में बैठकर बिल पास करवा रहे हैं। कम से कम भोजन का इंतजाम तो कराइए?

अध्यक्ष महोदय : भोजन के लिए स्पीकर के पास तो कोई पैसा होता नहीं है। जिसके पास पैसा होता है उसे बोलिए।

...(व्यवधान)...

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

*भाषण सभा पटल पर रखा गया।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : मुझे अत्यधिक प्रसन्नता है कि इतने सारे माननीय सदस्यों ने इस चर्चा में रूचि दिखाई। आज मैंने बहुत अच्छे भाषण सुने हैं। मैं उन्हें इसलिए सुन रहा था क्योंकि मुझे विषय अच्छा लग रहा था। मैं आपका बहुत आभारी हूं। यह जानकर मेरा भी उत्साहवर्धन हुआ है कि अन्य बहुत से माननीय सदस्य भी चर्चा में भाग लेकर अपना योगदान देना चाहते हैं। अभी हमने इस विषय पर पूरी चर्चा नहीं की है।

चूंकि विधेयक पारित करना है, हम इस चर्चा को आगामी सत्र में भी जारी रखेंगे और इस पर शीघ्रातिशीघ्र चर्चा करेंगे।

...(व्यवधान)

अध्यक्ष महोदय : यदि कोई माननीय सदस्य अपना लिखित भाषण सभा पटल पर रखना चाहें तो वे रख सकते है।

[हिन्दी]

श्री निखिल कुमार (औरंगाबाद, बिहार) : अध्यक्ष महोदय, हमें भी पांच मिनट बोलने का मौका दिया जाए।

[अनुवाद]

अध्यक्ष महोदय : केवल पांच मिनट ले सकते हैं, परंतु अन्य 20 माननीय सदस्य इस विषय पर बोलना चाहते हैं। निखिल कुमार जी इस प्रकार यह चर्चा कैसे खत्म हो सकती है? आप अगली बार चर्चा में भाग लीजिएगा।

सायं 6.44 बजे

दंड विधि (संशोधन) विधेयक, 2005 – *जारी*

अध्यक्ष महोदय : अब हम मद सं. 30 पर वापस आते हैं। जिन्दल जी, आपको बोलने का एक और मौका मिलेगा। महताब जी अपना भाषण जारी रखेंगे।

श्री भर्तृहरि महताब (कटक) : भारतीय दंड संहिता में विशेष रूप से साक्षी के पक्षद्रोही बनने से संबंधित उपबंध में संशोधन करने के बारे में मैंने एक महत्वपूर्ण प्रश्न पूछा था।

सांय 6.45 बजे

(श्री देवेन्द्र प्रसाद यादव, पीठासीन हुए)

जब न्यायालय के संज्ञान की बात आती है तो साक्ष्य के बिना प्रलोभन के पहलू की जांच किए बिना विचारण आगे नहीं बढ़ सकता। मेरा विशेष प्रश्न यह है कि जांच करने के लिए क्या कदम उठाये जाते हैं और ऐसे मामले में क्या इसे निर्धारित समय–सीमा के भीतर पूरा किया जाये? तीन अन्य उपबंध भी हैं लेकिन मैं यह जानना चाहता हूँ कि क्या इस प्रयोजनार्थ इस विधेयक में कोई उपबंध किया गया है। जहां तक मेरी समझ का सवाल है, मुझे ऐसा नहीं लगता क्योंकि जब आप तीसरे पक्ष को कार्यक्षेत्र की सीमा में लाते हैं तो उसका उद्देश्य न्यायालय में मुकदमों की संख्या को कम से कम करना होता है। यही मुख्य प्रयोजन होता है और यह अच्छी बात है। लेकिन यहां कानून आड़े आ जाता है। मेरा यह सुझाव है कि कुछ विनिर्दिष्ट समय–सीमा बनाई जा सकती है ताकि यदि कोई मुद्दे उत्पन्न हों, तो हम उनका शीघ्र निपटान कर सकें।

अब मैं विधेयक के दूसरे पहलू पर आता हूं जोकि सौदा अभिवाक से संबंधित है। मैंने कहा है कि यह कोई नई अवधारणा नहीं है। विश्व के दांडिक विधि शास्त्र में यह कोई नई अवधारणा नहीं है। संयुक्त राज्य अमरीका में यह अवधारणा पहले से है लेकिन निःसन्देह हमारे लिए यह एक नई अवधारणा है। विधि आयोग ने अपनी 154वीं रिपोर्ट में इस प्रकार के सौदा अभिवाक के संबंध में अपना दृढ़मत व्यक्त किया था। न्यायमूर्ति मालीमथ की अध्यक्षता में गठित दांडिक न्याय प्रणाली में सुधार संबंधी समिति ने सौदा अभिवाक को आरंभ करने की सिफारिश की थी। यह संयुक्त राज्य अमरीका में विद्यमान प्रणाली का प्रतिरूप नहीं है, जैसाकि माननीय मंत्री जी ने उल्लेख किया था। यहां, इस विधेयक में न्यायालय को न्याय निर्णायक के रूप में शामिल करने का प्रस्ताव किया गया है। मैं नहीं जानता कि किसी अन्य देश में न्यायालय को अभियुक्त और अभियोजक द्वारा आपस में रियायत की मात्रा निर्धारित करने और तत्पश्चात् सुनवाई के लिए तारीख तय करने का अवसर प्रदान करके उनके बीच न्यायनिर्णायक के रूप में शामिल किया गया है अथवा नहीं। विधेयक में यह कहा गया है कि न्यायालय को यह निर्णय लेना है कि सौदा अभिवाक के लिए आवेदन स्वैच्छिक रूप से दिया गया है अथवा नहीं?

[श्री भर्तृहरि महताब]

न्यायालय और लोक अभियोजक को शामिल करने से एक समस्या उत्पन्न हो जाती है। काल्पनिक तौर पर, यदि मैं यह कहूं कि सौदा–अभिवाक सफल नहीं होने की स्थिति में इस की पूरी संभावना है कि किसी समाधान पर पहुंचने का प्रयास करते समय लोक अभियोजक को जो जानकारी मिली है, वह उसका पूरा लाभ उठायेगा, जो कि कानूनी रूप से, सही नहीं है।

जैसाकि विभिन्न मंचों, यहां तक कि स्थायी समिति में, मीडिया और अन्य क्षेत्रों में इस बात का पर्याप्त उल्लेख किया गया है कि जब इसके स्थान पर पूर्वापेक्षित शर्त के रूप में एक स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय नहीं बनाया जाएगा, तब तक यह अभियुक्त के खिलाफ जाता रहेगा। जोकि कानून के शब्दों में गलत कहलाएगा। विनीत नारायण मामले में उच्चतम न्यायालय ने एक स्वतंत्र अभियोजन निदेशालय की स्थापना की सिफारिश की थी। यहां इस विधेयक में इसका उल्लेख पृष्ठ 3 पर किया गया है। न्यायालय नोटिस जारी करेगा। न्यायालय यह भी सुनिश्चित करेगा कि संपूर्ण प्रक्रिया स्वैच्छिक रूप से पूरी की गई है। न्यायालय अभियुक्त और पीड़ित दोनों को दुबारा नोटिस जारी करेगा। यह सब बोझ न्यायालय ही उठायेगा। हमारा यह कहना है कि लंबित मामलों की संख्या अधिक होने के कारण न्यायालय पहले से ही काम के बोझ से दबा हुआ है। यह तो एक अतिरिक्त कार्य, गैर न्यायिक कार्य या न्यायालय से बाहर का कार्य है। हम न्यायालय का काम बढ़ाते जा रहे हैं और उन पर काम का दबाव बढ़ता जा रहा है। मेरी समझ में यह बात नहीं आ रही है। न्यायालय पर काम का पहले से ही काफी दबाव है। अगर आप न्यायालय को शामिल करेंगे और इस रूप में सौदा अभिवाक पद्धति को अपनाएंगे तो मेरे विचार से न्यायालय पर काम का दबाव और बढ़ जाएगा। हमें अमरीका की पद्धति अपनानी चाहिए। मामले का न्यायालय से बाहर समाधान करने में कठिनाई क्या है? मेरे विचार से न्यायालय को शामिल करने के बजाय यदि हम उस तरह से काम करें तो वह ज्यादा ठीक रहेगा।

तीसरा पहलू भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत अपराधों के संबंध में समझौता करने के बारे में है। इसका उद्देश्य महिलाओं की उनके पतियों अथवा उनके रिश्तेदारों की क्रूरता से रक्षा करना था जिससे कि विरक्त पति–पत्नी को एक साथ रहने का अवसर प्रदान करने का प्रयास किया जा सके। इस संशोधन के माध्यम से यह उपबंध किया गया है। इस विषय पर सदन में पहले भी चर्चा हो चुकी है। इस संबंध में मेरी कोई अलग राय नहीं है और राष्ट्रीय महिला आयोग ने कहा है कि यह धारा 498 क का प्रभाव कम कर देगा ....*(व्यवधान)*....

गृह मंत्री (श्री शिवराज वि. पाटील) : विधेयक में यह उपबंध नहीं है। राज्य सभा में इस उपबंध का लोप कर दिया गया है और हमने आयोग की मांग को स्वीकार कर लिया है।

श्री भर्तृहरि महताब : मैं एक अन्य पहलू पर आता हूँ। जब विधेयक पर खंडशः रूप से कार्य करने की बात कही जा रही थी तो इनका भी उल्लेख किया गया था। मैं इस सभा का और आपके माध्यम से माननीय मंत्री जी का ध्यान दंड प्रक्रिया संहिता की धारा 197 की ओर आकृष्ट करना चाहता हूं। इस धारा के अनुसार, लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के लिए सरकार की पूर्वानुमति अपेक्षित है। यह उपबंध एक आदर्श विधि शासन का उपहास करता है। कुछ लोगों को पूरी तरह बचाया जाता है, जब तक अनुमति नहीं दी जाती, तब तक कोई कार्यवाही नहीं की जा सकती। कोई मुकदमा नहीं चलाया जा सकता। हमें ऐसे कई उदाहरणों के बारे में जानकारी हैं। इसमें काफी समय लगता है। कभी–कभी कुछ लोक सेवकों पर मुकदमा चलाने के संबंध में कोई निर्णय नहीं लिया जाता और कई बार तो प्राथमिकी (एफआईआर) के आधार पर ही पुलिस लोगों को गिरफ्तार कर लेती है। यदि कोई व्यक्ति प्राथमिकी दर्ज कराता है तो पुलिस जाकर व्यक्ति को गिरफ्तार कर लेती है। हमारे देश में यह उपबंध है कि अभियुक्त को तब तक निर्दोष माना जाता है जब तक कि उसे दोषी साबित न कर दिया जाये। हम मात्र प्राथमिकी के आधार पर ही पुलिस को उस व्यक्ति को गिरफ्तार करने की समस्त शक्तियां क्यों दें? गांवों अथवा शहरी क्षेत्रों में जब प्रतिष्ठित व्यक्तियों पर किसी बात का शक होता है तो, उन्हें पुलिस स्टेशन बुलाकर गिरफ्तार किया जाता है। क्या कोई ऐसा उपबंध किया जा सकता है जिससे इस प्रकार के अपमान से बचा जा सके? मैं इस बात पर भी बल दूंगा कि इन सभी कार्यों के लिए पुलिस को जवाबदेह बनाया जाये।

इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपना भाषण समाप्त करता हूं। मैं यह कहना चाहता हूं कि विधिशासन के लिए एक स्वतंत्र पुलिस संगठन की आवश्यकता है, जैसाकि मैं पहले भी कह चूका हूँ। पुलिस प्रशासन की स्वतंत्रता आवश्यक है।

इस लक्ष्य की प्राप्ति के लिए प्रयास किए जाने चाहिए। इन्हीं शब्दों के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूं।

श्री अजय चक्रवर्ती (बसीरहाट) : धन्यवाद, सभापति महोदय। समयाभाव के कारण मैं संक्षिप्त भाषण दूंगा।

माननीय मंत्री एक विधेयक लाए हैं और उसे सभा के समक्ष पारण हेतु रखा है। इस बात में मुझे लेशमात्र भी संदेह नहीं कि हम सभी सदस्यों अपनी भिन्न–भिन्न राजनीतिक विचारधारा के बावजूद, सर्वसम्मति से इस विधेयक को पारित करेंगे।

यह विधेयक जिन उद्देश्यों और लक्ष्यों के साथ लाया गया है वे सभी अकाट्य हैं। इसके उद्देश्यों एवं कारणों का कथन भी अत्युत्तम है। भारतीय दण्ड संहिता तथा दाण्डिक प्रक्रिया संहिता को संशोधित करने का एक उद्देश्य है–मामलों का शीघ्र निपटान। यह बड़ी अच्छी बात है।

मैं कहना चाहता हूँ कि हमारी न्यायिक प्रणाली ब्रिटिश काल के दौरान अस्तित्व में आई थी। हम अभी भी उसी पुरानी प्रणाली से चल रहे हैं और जब तक इसे पूर्णतया परिवर्तित नहीं किया जाता, मामलों का शीघ्र निपटान नहीं हो सकता। हम वही पुरानी प्रक्रियाएँ अपना रहे हैं। जिनमें समय भी काफी लगता है। मामला अदालत में जाता है लेकिन कोई कह नहीं सकता कि उसका निपटान कब तक होगा। निचली अदालत से वह ज़िला अदालत में जाता है, जिला अदालत से हाई कोर्ट में और हाई कोर्ट से सुप्रीम कोर्ट में। ऐसी है हमारे देश की न्यायिक प्रणाली।

भारतीय दण्ड संहिता ब्रिटिशकाल से बनी थी। मेरी जानकारी के अनुसार, इसका प्रारूप लार्ड मैकाले ने बनाया था। उस समय उसने आदमी द्वारा संभव सभी अपराधों और अन्यायपूर्ण क्रियाकलापों का विचार किया था। उसने भारतीय जनजीवन के सभी पक्षों, ग्रामीण समस्याओं के सभी पहलुओं में और अन्य कई बातों पर भी ध्यान दिया था। लेकिन, वक्त बदल रहा है।

यदि किसी व्यक्ति की घातक हथियार से हत्या की जाए तो उसे समय बनी भारतीय दण्ड संहिता में इस बात का उस हिसाब से उपबंध है। लेकिन अब अपराध के तरीके भी बदल गए हैं। अतः हमें भारतीय दण्ड संहिता में संशोधन करने की आवश्यकता है। भा. द. संहिता की धारा 165 (क) की जगह एक नया उपबंध इसमें किया गया है जो अदालत में दी गई झूठी गवाही का इस हेतु लालच या धमकी, अथवा झूठी गवाही के लिए विवश किए जाने से संबंध रखता है।

सभापति महोदय : कृपया एक मिनट में समाप्त कीजिए।

श्री अजय चक्रवर्ती : लेकिन, गवाह को धमकाएगा या लालच देगा कौन? कौन उसे बरगलाएगा? निश्चित रूप से ऐसा कोई ताकतवर आदमी, जिसके पास इलाके में पैसे और बाहुबल की ताकत हो।

सायं 7.00 बजे

लेकिन इस उपबंध में शैथिल्य है। न्यायालय पीठ पर बैठा अधिकारी इस आशय की शिकायत कर सकेगा और उसके द्वारा अधिकृत कोई सक्षम व्यक्ति इस शिकायत को दर्ज करा सकेगा। मेरा प्रश्न इसमें यह है कि – गवाही लेगा कौन? यदि कोई गवाह बरगलाए जाने या धमकाए जाने की वजह से अदालत के समक्ष झूठा बयान दे तो इस गवाही को लेगा कौन? क्या झूठी गवाही का शिकायतकर्त्ता ही गवाही लेगा या फिर न्यायपीठासीन अधिकारी और शिकायतकर्ता–दोनों ही पुलिस को गवाही लेने के लिए निदेशित करेंगे?

मैं समझता हूं कि हमारे गृहमंत्री स्वयं एक विचारवान, प्रख्यात वकील हैं और मुझसे बेहतर जानकारी रखते हैं। मुझे एक निचली अदालत में वकालत करने का थोड़ा – बहुत अनुभव है। जबकि आपने हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में वकालत की है। यही एक अंतर है। हमें इन सब बातों की बुनियादी दिक्कतें पता हैं। निचली अदालत के वकील इन बातों की जितनी प्रतिपरीक्षा करते हैं वैसी बड़ी अदालतों के वकील नहीं करते। इसीलिए हमें ये सब बातें पता हैं।

किसी ने पुलिस थाने में प्राथमिकी दर्ज कराई। प्राथमिकी दर्ज होते ही मामला बन गया। तहकीकात के बाद अदालत के संज्ञान हेतु आरोप–पत्र दाखिल कर दिया गया। गवाह का नाम भी आरोप–पत्र में है। लेकिन कुछ गवाहों का पता नहीं चलता। कुछ गवाह खुद–ब–खुद अदालत में आकर कहते हैं कि हमें कुछ नहीं पता। लेकिन कुछ भी हो, इस कानून और संशोधन का उद्देश्य उत्तम है, स्वीकार योग्य है।

याचिका पर वार्ता करना अच्छा विचार है। कुछ अन्य देशों में यह व्यवस्था पहले से ही है। माननीय गृह मंत्री जी द्वारा प्रस्तुत इस विधेयक में याचिका पर वार्ता का भी उपबंध किया गया है।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : माननीय सदस्य कृपया बैठे–बैठे न बोलें।

[अनुवाद]

[श्री अजय चक्रवर्ती]

श्री अजय चक्रवर्ती : मुझे यह उम्मीद है कि इस विधेयक के उद्देश्य से वकीलों की चिंताएं भी बढ़ जाएँगी। अभी वे मुवक्किल से अदालत के सामने अपना जुर्म न कहलने की सलाह देते हैं। पर आपने एक अच्छा उद्देश्य रखा है। पश्चिम बंगाल के गांवों में 'सालिशी' एक व्यवस्था है। इस बारे में हमारे विपक्षियों और कभी-कभी वकीलों तक ने शोरगुल किया है। यदि यह 'सालिशी' विधेयक लागू हो जाए तो वकीलों की दुकानें बंद होने लगेंगी! यह एक किस्म की 'सालिशी' व्यवस्था ही है। क्योंकि दोनों पक्ष मिलकर अदालत के बाहर ही मामला सुलझा लेते हैं और फिर अदालत में यह याचिका देते हैं कि मामला सुलझ गया। अच्छा विचार है, हम इसका स्वागत करते हैं। यह संशोधन अच्छी सोच के साथ आया है, स्वागत है। हरेक इसका समर्थन करेगा। मैं इस विधेयक को सभा की अनुमति हेतु लाने के लिए माननीय मंत्री जी का भी साधुवाद करता हूँ।

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह (महाराजगंज, बिहार) : सभापति महोदय, मैं इस बिल के समर्थन में बोलने के लिए खड़ा हुआ हूं। यह बिल सिर्फ कानूनी ही नहीं है बल्कि मैं इसे व्यावहारिक मानता हूं। गृह मंत्री जी, आप तो वैसे ही व्यावहारिक आदमी है। आपने इस बिल में लगभग तीन बिन्दुओं को टच किया है – एक बिन्दु है कि यदि कोई साक्ष्य कहीं गलत बयान दे रहा है और उसकी प्रमाणिकता हो जाती है कि इसका बयान गलत हो रहा है जिससे मुदालत को सजा होने की संभावना है, तो आपके बिल में है कि उस पर भी सजा निर्धारित की जाएगी।

दूसरे इस बिल में आपने लिखा है कि यदि कोई साक्षी को धमकी देकर, डरा कर या प्रलोभन देकर साक्ष्य दिलवाना चाहे तो उस पर कार्रवाई की जायेगी। उसके लिए सजा भी निर्धारित की है। तीसरा प्वाइंट यह है कि यदि किसी भी मामले में आदमी काम्प्रोमाइज करना चाहता है तो न्यायालय को आवेदन देकर वह कम्प्रोमाइज कर सकता है। यह बहुत ही अच्छी बात है।

सभापति महोदय, मैं आपके माध्यम से माननीय मंत्री का ध्यान दो-तीन बिन्दुओं की तरफ दिलाना चाहूंगा। मेरी समझ में दो-तीन बिन्दु ऐसे हैं जिन पर गृह मंत्री जी ने ध्यान नहीं दिया। अगर आपको लगे कि हमारी बात में सच्चाई या दम है तो हम चाहेंगे कि आप इसे जरूर बिल में शामिल करें।

सभापति महोदय, जब मुकदमें होते हैं तो उसमें गवाही देने की एक परम्परा है। हमारा कहना है कि आप एक बार जेल में जाकर निरीक्षण करें। आप देखेंगे कि जेल में जितने दोषी हैं, उससे ज्यादा वहां निर्दोषों की संख्या होती है। इसका कारण यह है कि गांव में कटुतावश मुकदमे होते हैं। वे मुकदमे सत्य पर आधारित नहीं होते। अगर घटना सत्य होती है तो अभियुक्त का नाम गलत होता है। खासकर दो-तीन तरह के मुकदमे तो बिल्कुल ही असत्य हुआ करते हैं। उदाहरण के लिए हम आपको बताना चाहेंगे कि इस समय गांव और शहर में डॉवरी केस काफी चल रहा है। सुप्रीम कोर्ट ने इस पर कई बार कई तरह की टिप्पणियां कर दी हैं। सुप्रीम कोर्ट ने कहा है कि सात वर्ष के अंदर नगर अगर विवाहिता लड़की की मृत्यु होती है तो उस पर किसी साक्ष्य की जरूरत नहीं है। उसके पति को इस मुकदमे में दोषी मान लिया जायेगा।

माननीय मंत्री जी, हम आपको बताना चाहते हैं कि गरीब प्रांत के लोग दिल्ली, गुजरात मुम्बई, कोलकाता जैसे शहरों में 1500, 2000 और 2500 में नौकरी करते हैं। जब किसी की शादी होती है तो दुल्हन अपने पति के साथ रहना चाहती है। वह चाहती है कि मैं भी मुम्बई और दिल्ली में अपने पति के साथ रहूं लेकिन साधन के अभाव में वह अपने पति के साथ नहीं रह पाती। अब लड़कियां सेंटीमेंटल होती हैं। दो-तीन महीने बीतने के बाद वह गुस्से में आकर सूसाइड कर लेती हैं। उसके बाद लड़की के घर वाले मुकदमा कर देते हैं कि लड़की वालों ने हमसें इतना दहेज मांगा था। हमने दहेज नहीं दिया इसलिए इन्होंने हमारी लड़की की हत्या कर दी। अब मुकदमे में पूरे परिवार का नाम आ जाता है। अगर उस परिवार में कुंवारी लड़की है तो उसका नाम भी मुकदमे में आ जाता है। हमारे यहां का कानून भी इस तरह का है कि ऐसे केसों में जमानत होने की संभावना कम ही होती है। अब कुंवारी लड़की भी जेल में पड़ी रहती है क्योंकि उसकी भी जमानत नहीं होती। उच्च न्यायालय भी उसकी जमानत होने की संभावना कम ही होती है। अब कुंवारी लड़की भी जेल में पड़ी रहती है क्योंकि उसकी भी जमानत नहीं होती। उच्च न्यायालय भी उसकी जमानत की अर्जी को खारिज कर देती है। इस तरह से यह गलत मुकदमे का आधार बनता है।

सभापति महोदय, हम आपसे कहना चाहते हैं कि एक तरफ हम भावना से बहकर कहते हैं कि हत्या हो रही है, तो इस पर कठोर कार्रवाई होनी चाहिए जबकि दूसरी तरफ हम जितने काले

कानून बनाते हैं, उतना ही उनका दुरूपयोग होता है। मैं मंत्री जी से निवेदन करना चाहूंगा कि अगर मुकदमें झूठी गवाही पर चल रहे हैं, और उसमें किसी व्यक्ति को सजा हो जाती है तो यह उसके साथ भारी अन्याय होता है। इसी तरह धारा 302 या 307 की घटना में किसी व्यक्ति को गवाह का नाम नहीं मिलता और गांव में किसी आदमी का कोई दुश्मन है, तो वह आदमी उनसे कहता है कि मैं आपके पक्ष में गवाही दे दूंगा लेकिन फलां–फलां व्यक्ति का नाम भी आप इस केस में डाल दीजिए। इस तरह लोग गवाह बन जाते हैं और गवाही भी हो जाती है। न्यायालय से उस व्यक्ति को सजा भी हो जाती है जबकि घटना से उसका कोई ताल्लुक नहीं होता।

अब गांव में हरिजनों के संबंध में मुकदमा होता है। था। वैसे भी गांव में हरिजन के साथ किसी का विवाद कम ही होता है। आपसी तनाव, आपसी विवाद अधिकतर सम्पन्न लोगों में ही होता है। अब सम्पन्न लोग एक जाति में नहीं हैं, सभी जातियों में सम्पन्न लोग हैं। उनके यहां मजदूरी करने वाला हरिजन होता है। यदि उन लोगों में आपस में विवाद होता है तो वे उस हरिजन को लेकर मुकदमा करवा देते हैं और अपने दो लोगों को गवाह बनाकर गवाही भी दिलवा देते हैं। पुलिस चार्जशीट भी कर देती है। न्यायालय में जब वे लोग जाते हैं तो उनको सजा भी हो जाती है।

अब आपने इस बिल में कहा कि जबरन गवाही देने या गलत गवाही देने वाले को सजा होगी–हम आपसे निवेदन करना चाहेंगे कि इन्वेस्टीगेशन करने वाली एजेंसी जब मामले को इन्वेस्टीगेट करती है तो उसकी भूमिका पर भी आपको गौर करना चाहिए। पुलिस के यहां भी व्यक्ति लिखित बयान नहीं देता, बल्कि जुबानी बयान देता है। जहां पुलिस जाती है, अगर कहीं किसी से प्रभावित हो गई है और किसी का विरोध अगर उसे करना है, वह मानसिक रूप से तैयार हो गया, चाहे प्रभाव का जो भी कारण हो, इसमें हम नहीं कहते हैं कि पैसे की बदौलत यह हुआ है, प्रभाव कई कारणों से हो सकते हैं। किसी कारण से अगर पुलिस प्रभावित हो गई तो वह पूछता है कि आपके पक्ष में कौन–कौन से लोग हैं, उनके बाप का नाम पूछ लेता है, गांव पूछ लेता है और डेयरी में वह लिख देता है कि हमने इनका बयान लिया। फिर वह अपने मन से बनाकर ऐसा बयान लिखेगा कि लगभग उसे सजा की तरफ ही आगे बढ़ा देगा। इस तरह यदि आप यह कहते हैं कि गलत बयानी देने वालों पर कार्रवाई होगी, हम आपसे निवेदन करेंगे कि इंवेस्टीगेशन के समय जो पुलिस के पदाधिकारी इंवेस्टीगेशन करते हैं और किसी प्रभाव में प्रभावित होकर अगर गलत तरीके से डायरी में अंकित करते हैं जिसकी बदौलत किसी को सजा होने की संभावना होती है, उन पर आप क्या कार्रवाई करेंगे? हम यह जानना चाहते हैं।

अब हम यह नहीं कहते हैं कि उन्हें आप जेल में भेज दीजिए। हम नहीं कहते हैं कि उन्हें आप बर्खास्त कर दीजिए। कम से कम थोड़ी सजा अगर आप निर्धारित करेंगे तो उन्हें भय होगा और वे गलती जानबूझकर नहीं करेंगे। कम से कम इतना कर दीजिए कि यदि वह दरोगा है तो उसे थानेदार बना दीजिए, उसका डिमोशन कर दीजिए। कुछ–न–कुछ उनके लिए भी आप जरूर कुछ सजा निर्धारित कीजिए ताकि निष्पक्ष जांच हो सके।

हम दूसरी बात आपसे कहना चाहते हैं कि आपने गवाह के विषय में तो कह दिया है, लेकिन मुद्दई जो फर्जी बयान देता है, फर्जी बयान के आधार पर, साक्ष्य के आधार पर अगर न्यायालय से निर्णय होता है, अगर अभियुक्त रिहा हो जाता है जो पांच–दस साल तक कोर्ट का चक्कर लगाता रहता है, आप तो मानेंगे कि मुद्दई का बयान गलत था और साक्षी ने गवाही गलत दी थी। वैसी स्थिति में मुद्दई के लिए आपने कौन सा दंड निर्धारित किया है? चूंकि मुद्दई को तो आप गवाह के रूप में नहीं लेते हैं, मुद्दई के लिए आपने इसमें कोई प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है, इसलिए हम आपसे निवेदन करेंगे कि केस का इंवेस्टीगेशन करने वाला पदाधिकारी और गलत फर्जी बयान करने वाला व्यक्ति, इन दोनों पर आप इसमें सजा निर्धारित कीजिए कि अगर उनके गलत फर्जी बयान पर किसी व्यक्ति को अनावश्यक परेशानी होती है तो उन पर भी कार्रवाई होनी चाहिए। आपने कहा है कि जब यह सामने आ जाएगा कि उन्होंने गवाही गलत दी है, हम आपको एक बात बताना चाहते हैं कि पहले न्यायालय में 164 का बयान मुद्दई के चाहने से हो जाता था, लेकिन सर्वोच्च न्यायालय ने एक निर्णय दे दिया कि जब तक पुलिस नहीं चाहेगी, जब तक किसी व्यक्ति का 164 में किसी मुकदमें के संदर्भ में बयान दर्ज नहीं होगा, नहीं होता है तो आप कैसे तथ्यों पर निर्धारित करेंगे कि कौन व्यक्ति की गवाही गलत है और कौन व्यक्ति की गवाही सही है। चूंकि गवाही के समय एक ही स्टेज होती है कि जब सी. जी. एम. के यहां मुकदमा चलता है और

[श्री प्रभुनाथ सिंह]

केस का कॉगनीजेंस ले लिया जाता है तो ट्रॉयल कोर्ट में उस मुकदमें को भेज दिया जाता है। ट्रॉयल कोर्ट में ही उसका साक्ष्य ले लिया जाता है और ट्रॉयल कोर्ट में चाहे सजा हो या रिहा हो, अगर उसे सजा हो गई और अपील में बड़ी अदालत में जाता है, उच्च न्यायालय में जाता है, सर्वोच्च न्यायालय में जाता है तो वहां पर उसकी गवाही नहीं होती है। वहां जो निचली अदालत में गवाही हो जाती है, उसी गवाही के आधार पर, उन्हीं कागजातों के आधार पर ऊपर की अदालत में उसकी विवेचना की जाती है, निर्णय किया जाता है। इसलिए इसे आप अनिवार्य कर दें कि जब किसी केस में अगर पुलिस आरोप पत्र समर्पित करती है, तो मुद्दई का या साक्ष्य का बयान 164 में अनिवार्य करें। जब आप अनिवार्य करेंगे तब तो पता चलेगा कि मजिस्ट्रेट के सामने उसने क्या बयान दिया और ट्रॉयल कोर्ट के सामने उसने क्या बयान दिया। उन बयानों में अंतर है कि नहीं है। अगर आप अंतर नहीं समझ पाएंगे तो आप कैसे समझेंगे कि किसने गवाही सही दी है और किसने गवाही गलत दी है। गृह मंत्री जी, हकीकत यह है कि गांवों में अभी भी गरीब तबके के लोग हैं तो कोर्ट में वे पैसे के लिए भी गवाही देते हैं। इससे उनकी रोजी–रोटी भी चलती है। अगर ऐसे गवाह की गवाही से अगर किसी व्यक्ति को न्यायालय से सजा हो जाती है तो वैसी स्थिति में इससे ज्यादा और कोई दुखद घटना नहीं हो सकती। इसलिए इन सब चीजों पर आप विवेचना करें।

सभापति महोदय : कृपया अब आप समाप्त करिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, हम अपनी बात एक–दो मिनट में समाप्त कर रहे हैं। हम आपको तथ्य बता रहे हैं कि और आपसे निवेदन करना चाहते हैं कि इन सब बिन्दुओं पर आप गंभीरता से विचार करें। हम चाहेंगे कि किसी केस की जांच के पदाधिकारी, केस के मुद्दई और केस में गलत गवाही देने वाले लोगों पर आप दंड की प्रक्रिया निर्धारित करें क्योंकि आपने साक्ष्य पर तो कर दी है लेकिन मद्दई और जांच पदाधिकारी पर दंड की प्रक्रिया निर्धारित नहीं की है। अगर आप निर्धारित कर देंगे तो हम समझते हैं कि न्याय प्रक्रिया से सही न्याय पाने वाले लोगों को इससे सुविधा होगी। जहां तक आपने कहा कि न्यायालय में अगर आपसी विचार–विमर्श से निपटारा करना है तो जो आपने कहा है कि एफीडैविट के माध्यम से न्यायालय के सामने आप अपना आवेदन कर सकते हैं। हम मानते हैं कि आपने यह बड़ा सही कदम उठाया है। उससे एक परेशानी हल होने की भी संभावना है लेकिन एक दूसरी शंका बनी रहेगी। शंका यह बनी रहे ा अगर कोई व्यक्ति न्यायालय में आवेदन करता है, उसके लिए दोनों पार्टीज की बात हो गयी हो और फिर वह पार्टी विपरीत उस बात के विपरीत चली जाए तो न्यायालय के मन में यह शंका होगी कि जानबूझकर दबाव देकर इस तरह का आवेदन दिलवाया गया है। इसलिए इस प्रक्रिया में एक छोटा सा वाक्य शामिल कर देना चाहिए कि जो भी आवेदन आए, वह दोनों के हस्ताक्षर से आए। इससे मैं समझता हूँ कि दोनों के हस्ताक्षर से आने पर इस तरह का कोई नया विवाद नहीं होगा। मुझे भरोसा है कि मैंने जो बातें कहीं हैं, उन पर आप गंभीरता से विचार करके जांच पदाधिकारी और मुद्दई, चूंकि आपने साक्षी के लिए प्रावधान कर दिया है इसलिए मैं उसके लिए अलग से कुछ नहीं कहना चाहता हूँ, के लिए भी आप दण्ड निर्धारित करते हुए बिल को पारित करवाइए और हम तो इसको पारित करवाने के लिए पहले से ही खड़े हैं। मैं एक और निवेदन करना चाहता हूँ, हालांकि वह इस विषय से जुड़ा हुआ नहीं है।

सभापति महोदय : माननीय सदस्य, आपका भाषण समाप्त हो गया है, अब आप अपना स्थान ग्रहण कीजिए।

श्री प्रभुनाथ सिंह : महोदय, मैं एक पर्सनल बात कह रहा हूँ, आप भी सुन लीजिए, आपको भी अच्छा लगेगा।

हमने व्यक्तिगत रूप से मिलकर यह निवेदन किया था कि जब अगला सत्र आता है तो जो 16 करोड़ भोजपुरी लोग इस देश में रहते हैं, उनके लिए भोजपुरी वाला बिल लाएं। वे लोग आपकी ओर ध्यान लगाकर देख रहे हैं। उसके बाद हम आपको ले चलेंगे, माला वगैरह पहनाएंगे, इसलिए वह भी काम कर दीजिए। इस बिल को तो हम बिना वोट के पास करवाएंगे।

इसी के साथ मैं अपनी बात समाप्त करता हूँ, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद।

श्री अविनाश राय खन्ना (होशियारपुर) : सभापति महोदय, आपको बहुत–बहुत धन्यवाद देते हुए मैं इस बिल के संबंध में कुछ क्लेरिफिकेशन्स चाहता हूँ ताकि जब यह विधि कार्यान्वित हो तो इसमें किसी तरह से अस्पष्टता न हो, जैसे आपने धारा 195 के दूसरे पार्ट में यह प्रावधान रखा है:

[अनुवाद]

"...और यदि ऐसे गलत साक्ष्य के परिणामस्वरूप किसी निर्दोष व्यक्ति पर दोष सिद्ध होकर इसे मृत्युदण्ड या सात वर्ष से अधिक

की सज़ा दी जाती है।"

[हिन्दी]

मैं इसके बारे में जानना चाहूंगा कि एक केस को डिसाइड करने में, दोषी को सजा दिलवाने में कम से कम पांच–छः साल लग जाते हैं। सजा हो गयी तो यह कहां से पता चलेगा कि यह स्टेटमेंट धमकी से या दबाव में दिलवाया गया है या नहीं?

दूसरी बात यह है कि मान लीजिए यह पता चल गया कि उसने जो गवाही दी है वह दबाव या अनुचित प्रभाव के अधीन दी है तो जो कन्विक्शन हुआ है, जो सेन्टेंस दिया गया है उसका क्या होगा? क्या उसे रद्द किया जाएगा? सेकेण्डली आपने जो धारा 195 में यह जो शब्द जोड़ें हैं कि

[अनुवाद]

'न्यायालय या न्यायालय के द्वारा प्राधिकृत कोई अन्य अधिकारी'

[हिन्दी]

वह कंप्लेन दे सकता है। यदि यहां पर एक रैंक तय हो जाए तो अच्छा होगा ताकि कल को कोर्ट यह न करे कि अपने स्टेनों को या अपने क्लर्क को यह कह दे कि आप कम्प्लेनर बन जाओ और कल को वह उसकी पैरवी न कर पाए। इसलिए इसमें

[अनुवाद]

"अमुक–अमुक पदस्थिति से अनिम्न कोई अधिकारी"

[हिन्दी]

यह शब्द जोड़ा जाए।

महोदय, यह जो प्ली ऑफ बारगेनिंग का कांसेप्ट है, एक नया कांसेप्ट है और मैं समझता हूँ कि इसके लिए आपका स्वागत भी होगा। लेकिन इसके बारे में कुछ शंकाएं हैं क्योंकि जिन लोगों ने विधि के क्षेत्र में प्रैक्टिकली काम किया है, वे ही आपको बता सकेंगे कि इसके बारे में क्या शंकाएं हो सकती हैं, जैसे सोशियो–इकोनोमिक फैक्टर को आपने इससे बाहर ही रखा है, लेकिन इस सोशियो – इकोनोमिक की व्याख्या क्या होगी? कल को डिफ्रेंट कोर्ट्स के डिफ्रेंट जजमेंट आएंगे और आपका जो इंटेंशन है वह पूरा नहीं होगा। इसलिए अगर इस सोशियो–इकोनोमिक शब्द की परिभाषा इस एक्ट में डाली दी जाए तो अच्छा होगा। सेकेण्डली आपने यह प्रावधान रखा है कि

[अनुवाद]

यह अधिनियम ऐसे व्यक्तियों पर लागू नहीं होगा जो महिलाओं और बच्चों के विरूद्ध अपराध करते हैं।

[हिन्दी]

इसमें एक कठिनाई आएगी। यह एक्ट लोगों को आपस में नजदीक लाने के लिए हैं, कम्प्रोमाइज करने के लिए है, अगर इसमें यह प्रावधान जोड़ दिया जाए कि अगर वह महिला या बच्चा उस परिवार से है, जैसे एक पिता ने अपने बेटे का मारा–पीटा जिससे उसे चोट आई और एक नॉन काग्नीजिबल ऑफेंस बन गया तो अगर प्ली ऑफ बारगेनिंग होती है। तो उसे कुछ एग्जम्पशन मिलनी चाहिए। धारा 265–बी में किस स्टेज पर एप्लीकेशन दे सकता है, क्या यह चार्ज फ्रेम होने से पहले या चार्ज फ्रेम होने के बाद या डयूरिंग या ट्रायल एट एनी टाइम, अगर यह स्पेसिफाई होगा, तो उसमें एप्लीकेशन और एवीडेंस का कोर्ट को ध्यान रहेगा, वरना कंट्रोवर्सी बढ़ जाएगी कि अब तो स्टेटमेंट और एवीडेंस रिकार्ड हो गए, अब प्ली आफ बार्गेनिंग नहीं हो सकती। इसलिए एक स्टेज तय हो जाए, उससे कानून में इम्पलीमेंट कराने में मुश्किल नहीं होगी।

आपने धारा 365–बी में कहा है –

[अनुवाद]

(उपधारा (1) के अंतर्गत आवेदन प्राप्त करने पर न्यायालय लोक–अभियोजक या शिकायतकर्ता को नोटिस जारी करेगा।

[हिन्दी]

इसमें वर्ड "और" नहीं होना चाहिए, 'एंड' होना चाहिए। मान लो कोर्ट प्रोसिक्यूटर को नोटिस दे दे, कम्प्लेनेंट को मालूम नहीं क्या होने वाला है, अंटिल अनलैस और कम्प्लेनेंट और एक्यूस्ड तीनों इकट्ठा न हो जाएं, यह प्ली आफ बार्गेनिंग का फायदा नहीं हो सकता। इसलिए "और" की जगह वर्ड "एंड" हो।

आपने 265 (4) ए में जो वर्ड लिखा है।

[अनुवाद]

न्यायालय इस बात से संतुष्ट हो कि आवेदन आरोपित द्वारा स्वेच्छा से दिया गया है..."

[हिन्दी]

अगर सीआरपीसी पढ़ी जाए तो कोर्ट अपनी सेटिसफैक्शन

[श्री अविनाश राय खन्ना]

रिकार्ड करती है, यहां पर ओरेल सेटिसफैक्शन नही होनी चाहिए।

[अनुवाद]

न्यायालय को यह कारण भी दर्ज कराना चाहिए कि वह स्वेच्छा से दिए गए आवेदन से कैसे संतुष्ट हैं।

[हिन्दी]

जो 265–सी में वर्ड है, आपने "विक्टिम" वर्ड यूज किया है। आमतौर पर एक केस मे एक से ज्यादा इंजर्ड होते हैं।

[अनुवाद]

एक से अधिक 'विक्टिम' हो सकते हैं।

[हिन्दी]

यहां पर 'विक्टिम' और 'विक्टिम्स' मान लो चार घायल हुए हैं, कोर्ट एक को बुलाकर आपसे में फैसला करा देती है, तब तीनों कहें कि हम फैसला नहीं मानते, तो आपकी सारी एक्सरसाइज खत्म हो जाएगी। इसलिए विक्टिम/विक्टिम्स शब्द लाना चाहिए।

आपने 265–बी और 265–के काफी समझ के साथ, काफी मेहनत के साथ इंट्रोडयूज किया है। इसमें एक बात आएगी। मान लो एक कम्प्रोमाइज डेपोजिशन कार्ड के सामने आ जाए, तो कोर्ट का माइंड बायस्ड हो जाता है। उसे जानकारी हो जाती है कि उस एक्यूस्ट ने अपना कंफैशन कर लिया, अपनी बात मान ली, तो एक प्रोविजन बनाएं कि जिस कोर्ट में ट्रायल चल रहा है, बार्गेनिंग नहीं होती तो उस कोर्ट से ट्रायल किसी और कोर्ट को चली जाएगी, ताकि उसका माइंड फिर बायस्ड न हो।

आपने 265–एल में जुविनाइल और चाइल्ड इन दोनों लोगों को डेफिनेशन से बाहर रखा है। अगर एक केस में एक्यूस्ड चाइल्ड भी हो तो क्या एक केस में दो निर्णय हो सकते हैं? जो मेजर हैं, वे उसका बेनिफिट लें, जो जुविनाइल हो, चाइल्ड हो, वह बेनिफिट न ले इसलिए चाइल्ड और जुविनाइल को इस परिभाषा से बाहर नहीं रखना चाहिए। आपने एक शिडयूल दिया है ऑफेंस का, उसमें फाइन डिफाइन नहीं किया कि कितना हो सकता है। वह फाइन डिफाइन किया जाए।

कोर्ट में जो प्रेक्टिकल डिफिकलटी आती है, वह मैं बताना चाहता हूं। पुलिस के पास बहुत काम हैं। पुलिस लॉ एंड ऑर्डर को देखती है, पुलिस ट्रैफिक को देखती है, पुलिस इलेक्शन डयूटी में जाती है, वीआईपी की डयूटी पर जाती है। जो लोग इंवैस्टीगेशन करते हैं, उन्हें इवैस्टीगेशन के साथ–साथ इन डयूटीज़ को भी करना पड़ता है। जब इंवैस्टीगेशन होता है, तो आई. ओ. दो–दो साल तक कोर्ट में पेश नहीं होता, क्योंकि एक ही रिक्वेस्ट आती है कि वह वीआईपी डयूटी पर है, वह इलेक्शन डयूटी पर गया हुआ है वह स्पेशल चैकिंग पर गया हुआ है। इसलिए आई. ओ. तब तक नहीं बदला जाए उस थाने से, जब तक वह फाइल, चालान पेश न कर दे और उसका स्टेटमेंट न हो जाए।

मैं एक बात बताना चाहता हूं जो हमारा प्रोसिजर का मिसयूज होता है। मान लो एक मर्डर केस में बेल एप्लीकेशन डिस्ट्रिक्ट कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी, हाई कोर्ट ने रिजेक्ट कर दी और सुप्रीम कोर्ट ने भी रिजेक्ट कर दी। लेकिन आईओ के पास पावर है कि वह एक एक्यूज की बेल करवा सकता है। कानून में प्रावधान है कि अगर 90 दिन तक एक्यूज़ का चालान पेश नहीं किया जाता है तो एक्यूज का राइट है कि उसे बेल–आउट किया जाए। सुप्रीम कोर्ट तक बेल रिजैक्ट हुई हो, लेकिन एक आईओ को मैनेज कर लो तो एक्यूज बेल ले सकता है। इसलिए ऐसे आईओज के खिलाफ भी सख्त कार्रवाई होनी चाहिए।

मान्यवर, मैं आपसे एक टैक्निकल पाइंट और जानना चाहता हूं। एवीडेंस की बात आपने की है। एवीडेंस दो प्रकार के होते हैं – एक तो ऑरल एवीडेंस और एक डाक्युमेंट्री एवीडेंस होता है, जो एक्सपर्ट के द्वारा आता है। मान लो कि एक डाक्टर मैडीकल लीगल रिपोर्ट देता है, एक्यूज सीएमओ को कहता है कि बोर्ड बैठा दो, उसके ऊपर बोर्ड बैठता है। मान लो कि बोर्ड की ओपिनियन में अंतर आ गया। पहले डाक्टर ने गलत बोला तो क्या यह कानून उसके ऊपर भी लागू होगा? इसे बारे में यह साइलेंट है क्योंकि उनकी स्टेटमेंट नहीं होती है, वे सिर्फ ओपिनियन देते हैं। पैसे लेकर डाक्टर्स एमएलआर देते हैं। बोर्ड का फैसला दूसरा आता है और डाक्टर की ओपिनियम दूसरी आती है तो आप कैसे करेंगे?

इसी प्रकार से कई टैस्टस होते हैं जैसे फूड का आवश्यक वस्तु अधिनियम के अंतर्गत टैस्ट होता है, एक्यूज के पास राईट है

[अनुवाद]

कि वह प्रयोगशाला से एक और नमूने की जांच कराए।

[हिन्दी]

तो दो कंट्राडिक्ट्री रिपोर्ट्स आ जाती हैं। एक रिपोर्ट जिस पर पुलिस ने रिलाई किया और दूसरी रिपोर्ट जिस पर एक्यूज ने रिलाई किया। अगर ये कंट्राडिक्ट्री रिपोर्ट्स आई तो क्या सैक्शन 195 उनपर एप्लाई होगा?

[अनुवाद]

इन सवालों का उत्तर चाहिए। इसमें स्पष्टता चाहिए।

[हिन्दी]

पहले जजमेंट हाईकोर्ट की आयेगी, फिर सुप्रीमकोर्ट की आएगी, फिर केस सैटल होगा। तब तक यह जो एक्ट आप लाए हैं उसकी मंशा पूरी नहीं होगी। इन पाइंट्स को अभी क्लीयर कर दिया जाए, ताकि इम्पलीमेंट करने मे मुश्किल न आये।

आखिर में मैं एक बात और कहना चाहता हूं कि कानून के हिसाब से पुलिस और ज्युडिशियरी दोनों को हमें तैयार करना होगा, दोनों की सोच को बदलना होगा, दोनों को मॉडर्न टैक्नोलॉजी देनी होगी। उदाहरण के तौर पर मान लो कि दफा 304(ए) का केस है जिसमें दो साल की सजा है। मान लो कि दिल्ली के आदमी का गुवाहाटी में एक्सीडेंट हुआ तो उसे हर पेशी पर वहां जाना पड़ेगा। सजा दो साल है लेकिन उसका इतना नुकसान हो जाएगा कि वह सारी उम्र भूल नहीं सकता है। कंपाउंडेबल ऑफेंस हैं, सजा दो साल है या ऑफेंस नॉन–कंपाउंडेबल हैं तो इसको भी रिव्यू करके एक्सीडेंटल केसेज को भी इस प्ली ऑफ बारगेनिंग में लाया जाए।

[अनुवाद]

डा. सिबैस्टियन पॉल (एर्णाकुलम) : महोदय, मैं दंड विधि संशोधन विधेयक का स्वागत करता हूँ जिसमें भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता और भारतीय साक्ष्य अधिनियम, तीनों में संशोधन करने का उपबंध किया गया है। इस विधेयक के और अधिक विस्तार में जाने की जरूरत नहीं है क्योंकि इस संशोधन विधेयक के उपबंधों को स्वीकार करने में लगभग सर्वसम्मति है। हमारी दंड प्रशासन प्रणाली में एक नयी अवधारणा अर्थात सौदा अभिवाक नामक अवधारणा जुड़ जाने से आमूल चूल परिवर्तन होने जा रहा है। सौदा अभिवाक भारत में एक नयी अवधारणा है जिसे वस्तुतः महत्वपूर्ण परिवर्तनों के साथ अमेरिका से लिया गया है। मै समझता हूँ कि हमारे द्वारा अपनायी गयी सौदा अभिवाक की अवधारणा अमेरिका से प्रचलित अवधारणा से अधिक प्रभावशाली है। भारतीय प्रणाली में कड़ा न्यायिक नियंत्रण है। इससे लंबित पड़े मामलों को निपटाने में न्यायालयों को बहुत सहायता मिलेगी। भारतीय न्यायपालिका का चिरस्थायी अभिशाप है शेष मामलों का अंतहीन सिलसिला। हमारी न्यायपालिका डॉकेट विस्फोट जैसी स्थिति से ग्रस्त है। इसलिए इस प्रणाली के आरंभ होने से छोटे अपराधों के अधिकांश मामले, जिनमें सात वर्ष से कम की सजा होती है, कड़ी न्यायिक निगरानी और नियंत्रण में न्यायालय के बाहर भी निपटाए जा सकते हैं।

लेकिन साथ ही मुझे वारणी भी देनी हैं क्योंकि हम पुलिस पर पूरी तरह विश्वास नहीं कर सकते। विभिन्न अपराधों में, पुलिस स्वीकार करवा सकती है और व्यक्ति को न्यायालय के सामने सौदा–अभिवाक के लिए हाजिर कर सकती है। मामला उसी चरण में समाप्त किया जा सकता है और वास्तविक अपराधी छूट जाएगा। दूसरे शब्दों में, यह प्रणाली सबसे उपयुक्त है और सौदा अभिवाक द्वारा हम पीड़ित के मर्म विज्ञान में एक अन्य महत्वपूर्ण अवधारणा शामिल कर रहे हैं और वह है दोषी या अपराधी को दंड देने के अलावा पीड़ित को मुआवजा देना।

महोदय, इन सभी मायनों में मैं इस कदम का स्वागत करता हूँ। इस संशोधन से हमारी दंड प्रशासन प्रणाली में भारी बदलाव होगा और मैं आशा करता हूँ कि अवर न्यायिक अधिकारी लंबित पड़े मामलों को निपटाने के लिए इन उपबंधों का उपयोग करेंगे। हमें आशा करनी चाहिए कि इससे और भविष्य में होने वाले कई और संशोधनों से हम देश में ज्यादा स्वच्छ, विधिसंगत और समानता युक्त न्यायप्रणाली उपलब्ध करा सकेंगे।

प्रो. एम. रामदास (पांडिचेरी) : सभापति महोदय, मैं दंड (संशोधन) विधेयक, 2005 का समर्थन करता हूँ क्योंकि इस विधेयक के उद्देश्य आज देश की विधिक आवश्यकताओं के अनुरूप हैं और मैं दंड प्रक्रिया संहिता में बहुत सरल संशोधन पेश करने के लिए माननीय गृह मंत्री को बधाई देता हूँ। कुछ समय पहले जब गृह मंत्री ने दंड प्रक्रिया संहिता में कुछ परिवर्तन किया था तो देश में काफी हो हल्ला हुआ था और पूरा विधि जगत उन संशोधनों के खिलाफ था। हमें विधि जगत की उन सभी आपत्तियों पर प्रतिक्रिया जताने और अब उस बहुत ही सरल विधेयक को पेश करने के लिए गृह मंत्री की सराहना करनी चाहिए जो देश में दंड न्यायिक प्रणाली को बिगाड़ने वाली कुछ बुराईयों को दूर करने में कुछ हद तक सहायक सिद्ध होगा।

[प्रो. एम. रामदास]

महोदय, हम आज ही चाँद की आशा नहीं कर सकते, हम परिशुद्ध दुनिया और पूरी तरह से ठीक न्यायिक प्रणाली की आशा नहीं कर सकते। हमें कदम–दर–कदम आगे बढ़ना होगा। यह विकासमान समाज है। हमें व्यवस्था में संशोधन करना होगा और समाज के लोगों के जीवन और स्वतंत्रता में सुधार करने की कोशिश करनी होगी। इसलिए इस संदर्भ में जब हम संशोधनों पर नजर डालते हैं तो हम पाते हैं कि वे चार प्रकार के हैं। ये वर्तमान दंड न्याय व्यवस्था को नुकसान पहुँचाने वाली कमियों को दूर करने की कोशिश करते हैं।

जैसा कि आप जानते हैं न्याय प्रणाली के महत्वपूर्ण पहलूओं में से एक है साक्षियों द्वारा उपलब्ध कराये गए साक्ष्य का सार और साक्षियों के मुकर जाने के कारण लोगों को न्याय देने के लिए निष्पक्ष और विश्वसनीय प्रणाली नही है। न्यायिक प्रणाली की अन्य आलोचना यह की जाती है कि न्यायालयों में बड़ी संख्या में मामले लंबित हैं। न तो अभियुक्त और न ही पीड़ित को न्याय मिलता है और न्याय में विलंब, न्याय न देने के समान है। यही आम धारणा है जो हम अपने देश की न्याय प्रणाली के बारे में हर जगह पाते हैं।

महोदय, हमारे देश में वैश्वीकरण शुरू होने के बाद जाली मुद्रा संबंधी अनेक मामले सामने आए हैं और कुशल गवाहों की अनुपस्थिति के कारण ऐसे मामलों को भी समुचित ढंग से नहीं निपटाया जा रहा है। अंत में विवाह संबंधी समस्याएँ भी हैं और ये भी समाज में सामाजिक कुरीतियाँ पैदा करती हैं। इसलिए इन चारों कमियों का इस दंड विधि (संशोधन) विधेयक द्वारा निवारण किये जाने की आवश्यकता है। इन चारों संशोधनों के विपक्ष के बजाय पक्ष में बोलने के लिए कई और बातें हैं।

साथ ही मैं माननीय गृह मंत्री के ध्यान में यह बात लाना चाहता हूँ कि यदि सरकार साक्षी संरक्षण योजना लाने की इच्छुक है, तभी 195 (क) को जोड़ने में 'गवाह के मुकर जाने' का उद्देश्य सफलता पूर्वक लागू किया जा सकता है। इसका कारण है कि आज माफिया की बदलती दुनिया में, डाकूवाद की बदलती दुनिया में कोई भी ईमानदारी से गवाही देने का इच्छुक नहीं हैं। यदि हत्यारे ने हत्या की है और जिसने देखा वह यह कहे कि मैं न्यायालय में जाकर ईमानदारी से गवाही दूँगा और वह न्यायाधीश के सामने उपस्थित हो जाता है तो 24 घंटे के भीतर वह गायब कर दिया जाएगा और एक और हत्या कर दी जाएगी। इसी प्रकार की व्यवस्था आज हम विकसित कर रहे हैं। अराजकता बढ़ रही है। इसलिए जब तक गवाह को संरक्षण प्रदान नहीं किया जाएगा तब तक ऐसे परिणामों की अधिक से अधिक प्रभावशीलता की संभावना नहीं है। हालाँकि इसमे एक मुख्य उपबंध है कि जो व्यक्ति धमकी देंगे तो इसे उनके द्वारा गैर जमानती अपराध किया माना जाएगा और इससे कानून में सख्ती बढ़ेगी।

जहाँ तक सौदा अभिवाक का संबंध है तो इसके कई और लाभ हैं। यह अमरीकी प्रणाली से बेहतर प्रणाली है क्योंकि यह कानून के संरक्षण के दायरे में है। यह समझौता न्यायालय के दायरे से बाहर नहीं है...*(व्यवधान)*

सभापति महोदय : कृपया अपनी बात समाप्त कीजिए।

प्रो. एम. रामदास : इसलिए सौदा अभिवाक भी अच्छा है। लेकिन साथ ही यहाँ फिर इसकी जरूरत है कि सरकार को अभियोजन निदेशालय नामक संस्था स्थापित करनी चाहिए। जो ऐसे मामलों में प्रभावी समझौता कराने में समर्थ होगी। लेकिन साथ ही हमें यह भी देखना चाहिए कि क्या सौदा अभिवाक अपराधियों के लिहाज से संतोष जनक है या नहीं। वे अपराध करेंगे; न्यायालय में जाएँगे, समझौता करेंगे – तीन पक्षों अभियुक्त, पीड़ित और अभियोगी और अभियोगी तथा अन्य व्यक्तियों के बीच और तब वे स्वयं रिहा होंगे। वे फिर अपराध करेंगे। इससे अपराधियों के प्रति कोई ढिलाई नहीं बरती जानी चाहिए। इसलिए मैं कहूँगा कि ऐसा होना चाहिए और पूरी दंड प्रणाली की पुनः संरचना की जा सकती है या उनमें आमूल–चूक परिवर्तन किये जा सकते हैं। इसे तभी पूर्णतः प्रभावशाली बनाया जा सकता है यदि पुलिस व्यवस्था और जन अभियोजन प्रणाली कमी रहित हो। पुलिस प्रणाली में सुधार अवश्य होना चाहिए। इसलिए इन संशोधनों को शामिल करने मात्र से ही हम व्यवस्था को पूरी तरह ठीक नहीं कर सकते। अवश्य ही हम कहीं भी पूर्णता की वकालत नहीं कर रहे हैं। पूर्णता संभव नहीं है। सिर्फ सापेक्षिक पूर्णता संभव है और उस सीमा तक एवं उस उद्देश्य के लिए यह विधेयक मील का पत्थर होगा। इसलिए मैं दंड विधि (संशोधन) विधेयक का तहे दिल से स्वागत करता हूँ।

प्रो. रासा सिंह रावत (अजमेर) : माननीय सभापति महोदय, मैं माननीय गृह मंत्री द्वारा प्रस्तुत किए गए दंड विधि (संशोधन) अधिनियम, 2005 का स्वागत करता हूं। इसके माध्यम से आई. पी. सी. के अंतर्गत भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 तथा भारतीय साक्ष्य अधिनियम, 1872 में संशोधन किए जा रहे हैं। मैं

समझता हूं कि अब तक हमारी न्याय प्रणाली में कुछ ऐसी कमजोरियां थीं जो दीमक बनकर न्यायिक प्रणाली को नष्ट करने पर उतारू थीं, उन कमजोरियों की तरफ सरकार का ध्यान गया है। इस बिल में उन्हें दूर करने का प्रयास किया गया है।

हमारे देश में आपराधिक क्षेत्र में, चाहें क्रिमिनल मुकदमें हों या सिविल हों, इनका अबार बहुत बढ़ गया है। गृह मंत्री जी यहां विराजमान हैं, विधि मंत्रालय और गृह मंत्रालय, दोनों इस बारे में गंभीरता से सोचें कि मुकदमों का अंबार किस प्रकार से निपटाया जाए, तो उत्तम होगा। लेकिन अभी जो प्रयास किया गया है उस प्रयास का स्वागत किया जाना चाहिए ताकि आपराधिक मामलों में निर्णय त्वरित गति से हो और कानून का सरलीकरण हो। लोग बिना किसी दबाव के, लालच के साक्ष्य देने के लिए सामने आएंगे और मुकदमों का निपटान सही तरीके से हो सकेगा। इस बिल में झूठी गवाही देने वालों के खिलाफ कार्रवाई का जो प्रावधान किया गया है, मैं समझता हूं यह बहुत अच्छी बात है। आज मानवीय मूल्यों का ह्रास होता जा रहा है, इसके कारण लोग लालच में आ कर, धनबल, बाहुबल, दादागिरी या माफियागिरी से डरकर मनगढंत आरोप लगाते हैं या गवाहियां देते हैं, ऐसे लोगों को सजा देने का प्रावधान इसमें किया गया है, मैं इसका स्वागत करता हूं।

इसके साथ–साथ जो बारगेनिग चैप्टर बढ़ाया गया है, यह बहुत ही अच्छा है। आज दुनियाभर में मुकदमेंबाजी चलती रहती है और तारीख पर तारीख पड़ती रहती है। उसके स्थान पर अगर दोनों पार्टियां सहमत हों, पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर न्यायाधीश के संरक्षण में समझौता हो जाये तो उससे बढ़कर कोई अच्छी चीज नहीं होती है। इससे समाज के अंदर सौहार्दपूर्ण वातावरण पैदा होगा।

[अनुवाद]

न्याय के मिलने में देर होना न्याय न मिलने के बराबर है।

[हिन्दी]

अगर न्याय में विलम्ब किया जाता है तो न्याय से इनकार किया जाता है। इस लिये मुकदमें का त्वरित गति से निर्णय हो, इसके लिये कानून का सरलीकरण अत्यंत आवश्यक है जिसका इस बिल के माध्यम से प्रयास किया गया है।

सभापति महोदय, चूंकि समय कम है, इसलिये मैं कानून की बारीकियों में न जाकर आपके आदेश का पालन करते हुये इस बिल का स्वागत करता हूं और आशा करता हूं कि आगे भी इसी दृष्टि से इसी पथ पर विधि एवं गृह मंत्रालय आगे बढ़ेगा ताकि मुकदमों की संख्या कम हो, अपराधियों पर नियंत्रण हो और प्रजा को सुख मिलेगा जिसके हम हमेशा प्रबल पक्षधर हैं।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, सर्वप्रथम मैं माननीय अध्यक्ष महोदय और इस सभा का धन्यवाद करना चाहता हूँ जिन्होंने समय बढ़ाकर और समायोजन के द्वारा हम सबकी सहायता करके इस विधेयक के पारित की प्रक्रिया को सुविधाजनक बना दिया है।

वाद–विवाद बहुत ज्ञानवर्द्धक था। इस पर जो माननीय सदस्य बोले वे अनुभवी विधिवेत्ता और वकीलों की तरह बोलें। उनके द्वारा व्यक्त किये गए विचार बहुत ही विचारोत्तेजक थे। वे पूर्णतः प्रासंगिक थे। अतः मैं उन सभी सदस्यों का धन्यवाद करता हूँ।

इसमें तीन बातें कही गई थीं। यदि हम वाद–विवाद का विश्लेषण करें तो उससे तीन बातें सामने आती हैं। उनमें से पहला मुद्दा गवाहों से संबंधित है। दूसरा मुद्दा सौदा अभिवाक के उपबंध से संबंधित है और तीसरा मुद्दा जाँच, मामलों के निपटान और दाण्डिक विधिशास्त्र के संबंध में हमारे देश में व्याप्त सामान्य स्थिति से संबंधित है। गवाहों को संरक्षण दिया जाना चाहिए। यही सुझाव यहाँ पर बोलने वाले अधिकांश सदस्यों द्वारा दिया गया था।

मैं कहना चाहूँगा कि दंड प्रक्रिया संहिता में संशोधन करके हमने यह उपबंध कर दिया है कि गवाहों को संरक्षण दिया जाएगा। पूर्व दंड प्रक्रिया (संशोधन) संहिता जिस पर कुछ सदस्यों ने आपत्ति की थी और जिसे आस्थगित कर दिया गया है, में यह उपबंध किया गया है कि गवाहों को संरक्षण दिया जाना चाहिए और उसमें यह भी उपबंध है कि गवाहों को संरक्षण किस प्रकार दिया जाना चाहिए। यदि उसे आस्थगित नहीं किया गया होता तो वह इन लोगों के लिए सहायक सिद्ध होती।

यह सुझाव भी दिया गया था कि एक अभियोजन निदेशालय होना चाहिए। इसलिए उसमें इसके लिए भी उपबंध किया गया था। पूर्व संशोधन विधेयक में एक अभियोजन निदेशालय के सृजन का उपबंध किया गया था। उसे भी आस्थागित कर दिया गया है। पूर्व संशोधन विधेयक में यह उपबंध किया गया है कि महिला गवाहों, पीड़ित महिलाओं और महिला शिकायतकर्ताओं को किस प्रकार संरक्षण दिया जा सकता है। इसे भी केवल अग्रिम जमानत से

[श्री शिवराज वि. पाटील]

संबंधित एक खण्ड के कारण आस्थगित कर दिया गया। यदि विधेयक में यह खण्ड न भी हो तब भी न्यायालय निर्णय दिये जाने के समय प्रार्थियों को वहाँ उपस्थित रहने के लिए बुला सकता है।

मैंने अपने साथियों और मित्रों को अपनी बात समझाने का प्रयास किया परंतु उन्होंने इसे गंभीरतापूर्वक नहीं लिया। इसलिए मैंने कहा, ठीक है, आप स्वयं इस पर विचार करें और तत्पश्चात् मेरे पास आइये और फिर मैं इस पर विचार करूंगा। यही कारण है कि वह विधेयक अब तक आस्थगित रहा। परंतु इस संबंध में हमें कुछ न कुछ करना होगा। उस दंड प्रक्रिया संहिता में यह उपबंध किया गया था कि यदि किसी अभियुक्त को उतनी अवधि के लिए जेल में रखा जाता है जिसकी अवधि के लिए उसको सजा दी जा सकती है, तो उस पर मुकदमा चलाये बिना ही उसे रिहा किया जा सकता है। वह जेल से बाहर आ जाता है। उसमें यहीं उपबंध किया गया है।

इस प्रकार के सराहनीय उपबंधों को भी आस्थागित कर दिया गया है। मेरा सभी साथियों से अनुरोध है कि वे इन बातों पर ध्यान दें और अपने साथियों तथा वकीलों को भी इस पर विचार करने के लिए प्रेरित करें। इस प्रकार उस विधेयक के केवल एक उपबंध के कारण उसे आस्थगित किया गया है। मुझे उसका अत्यंत खेद है।

जहाँ तक गवाहों का संबंध है, माननीय सदस्यों ने गवाहों के बारे में बहुत अच्छी बातें कही हैं। पिछली सीटों पर बैठने वाले माननीय सदस्यों में से एक सदस्य ने जो मुद्दा उठाया वह इस बात से संबंधित था कि हम इस निष्कर्ष पर कैसे पहुँचेंगे कि गवाह ने सच्ची गवाही नहीं दी है। मैं यहाँ पर माननीय सदस्यों के समक्ष एक बात पूर्ण रूप से स्पष्ट करना चाहता हूँ कि खण्ड 195 (क) का संबंध गवाह से नहीं है। इसका संबंध उस व्यक्ति से है जो गवाह को प्रभावित कर रहा है। यदि कोई गवाह न्यायालय में जाकर झूठी गवाही देता है तो उसे दंडित किया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता में यह उपबंध पहले से ही है और इस प्रयोजनार्थ यह प्रक्रिया पहले से ही उपबंधित हैं कि झूठी गवाही देने वाले गवाह को किस प्रकार दंडित किया जाए और उसे किस सीमा तक दंडित किया जा सकता है। खण्ड 195 (क) का संबंध ऐसे व्यक्ति को दिए जाने वाले दण्ड से है जो किसी गवाह को न्यायालय में झूठी गवाही देने के लिए फुसला रहा है या उसे धमकी दे रहा है। भारतीय दंड संहिता में इसका उपबंध नहीं था। अब हम इसे भारतीय दंड संहिता में शामिल करने का प्रयास कर रहे हैं और इसके अनुसार सात वर्ष के कारावास की सजा दी जा सकती है। पुनः इस मामले को स्थायी समिति को सौंप दिया गया। स्थायी समिति ने कहा कि मान लीजिए कि यदि कोई हत्या का मामला हो और गवाह को गवाही देने के लिए फुसलाया जाता है या उसे धमकी दी जाती है। वह न्यायालय में जाकर गवाही देता है और उस गवाही के आधार पर, यदि उसकी गवाही के कारण उसे मृत्यु दंड दिया जाता है; आजीवन कारावास की सजा दी जाती है यदि इस प्रचार की सजा दी जाती है तो क्या ऐसे व्यक्तियों को दी गई सात वर्ष की सजा पर्याप्त होगी? इसलिए, स्थायी समिति ने यह सुझाव दिया कि यदि किसी व्यक्ति को सात वर्ष से अधिक की सजा दी जाती है तो उस व्यक्ति को भी उतनी ही सजा दी जानी चाहिए जो गवाह को झूठी गवाही देने के लिए फुसला रहा है या धमकी दे रहा है। इसलिए हमने स्थायी समिति की इस सिफारिश को स्वीकार कर लिया और इस विधेयक में उसका उपबंध है। मुझे इस बात की बहुत खुशी है कि लगभग सभी सदस्यों ने इस उपबंध का समर्थन किया है।

महोदय, इस विधेयक का सबसे महत्वपूर्ण भाग सौदा अभिवाक है। यह सौदा अभिवाक क्या है? उसका प्रस्ताव करते समय मैंने स्पष्ट किया कि इस विधेयक पर विचार किया जाए; मुझे उस पर पुनः विस्तार से बताने की आवश्यकता नहीं है। परंतु हमें यह समझ लेना चाहिए कि सौदा अभिवाक की धारणा केवल बाहर से ही नहीं आयी है। यह सच है कि यह अमरीका में प्रचलन में है? और इससे काफी हद तक उनके उद्देश्य की प्राप्ति हो रही है। लेकिन यह भारत में भी प्रचलन में थी। प्राचीन दाण्डिक विधिशास्त्र में मौजूद इस धारणा को हममें से अधिकांश लोग समझ नहीं पाते हैं। जब किसी व्यक्ति के विरूद्ध कोई अपराध किया जाता था तो अपराधकर्ता को केवल दंड ही नहीं दिया जाता था अपितु पीड़ित व्यक्ति को क्षतिपूर्ति भी की जाती थी। उदाहरणार्थ, उसे दो गायें दी जाती थीं; एक भूखण्ड दिया जाता था; और कुछ धनराशि दी जाती थी। यही सौदा अभिवाक है। इस्लामी कानून में भी – कल एक माननीय सदस्य इस संबंध में बोल रहे थे – अब इसे स्वीकार कर लिया गया है, उन्होंने तो यहाँ तक कहा कि हत्या के मामले में जिसमें मृत्युदंड की सजा भी दी जा सकती है, में भी सौदा अभिवाक की अनुमति दी जानी चाहिए।

इस्लामी दाण्डिक विधिशास्त्र में सौदा अभिवाक को स्वीकार किया गया है।

मेरे कहने का तात्पर्य यह है कि यह धारणा विश्व के अनेक

भागों में विद्यमान थी। भारत में भी यह विद्यमान थी। इस्लामी विधिशास्त्र में भी यह विद्यमान है। इतना ही नहीं यह पश्चिमी देशों में भी है। अतः यह कोई नई धारणा नहीं है। वस्तुतः हम प्राचीन धारणा को ही स्वीकार कर रहे हैं।

मैं सभा के समक्ष दो बातें स्पष्ट करना चाहता हूँ। पहली बात यह है कि इससे न्यायालयों में होने वाले विलंब में कमी आयेगी। मामलों की संख्या में कमी आयेगी और मामलों का निपटान तीव्र गति से होगा। परंतु मैं सौदा अभिवाक के सबसे महत्वपूर्ण भाग का उल्लेख करना चाहता हूँ जोकि पीड़ित व्यक्ति को की जाने वाली क्षतिपूर्ति है।

जिस न्याय–व्यवस्था को हम बरसों से अपनाए हुए हैं, उसने अपराधियों को दण्डित करने में हमारी सहायता की है। दण्ड प्रक्रिया संहिता में कुछ उपबंध हैं जिनका न्यायाधीश द्वारा कुछ पीड़ितों को मुआवज़ा प्रदान करने के उद्देश्य से प्रयोग किया जा सकता है, तथापि ये उपबंध उतने सख्त नहीं हैं। अमूमन, अधिकांश मामलों में पीड़ित को कोई मुआवजा नहीं मिलता। यदि अपराधी से कोई जुर्माना राशि वसूली जाती भी है तो वह पीड़ित को मुआवज़ा देने की बजाय सरकार की जेब में चली जाती है। पर इस तरह की न्याय–व्यवस्था अब परिवर्तित हो रही है। भारत में हम अब इस धारणा को अपना रहे हैं कि सिर्फ अपराधी को दण्डित करना ही काफी नहीं। दण्डित तो उसे करना ही है, पर पीड़ित को भी कुछ राहत देना आवश्यक है। यदि किसी परिवार का कोई युवा लड़का मर जाता है तो आश्रितों सदस्यों को कुछ मुआवजा मिलना चाहिए। अब यह धारणा स्वीकृत होने लगी है और इस विधेयक के माध्यम से वह कुछ व्यावहारिक भी हो सकेगी। मैं इस बात से भी खुश हूँ कि मामलों के निपटान में होने वाली देरी भी कम की जाएगी।

एक माननीय सदस्य पूछ रहे थे कि यदि मामले का निपटान अंततः न्यायाधीश को ही करना है तो अदालत में लगने वाली देरी कैसे कम होगी? यदि हम देरी को कम करने का तरीका जानना चाहते हैं तो पहले यह समझना पड़ेगा कि कोई मामला किसी फौजदारी अदालत में चलता कैसे है। पुलिस मामले में तफ्तीश करती है, आरोप–पत्र तैयार करती है और उन्हें अदालत में दाखिल करती है। एक बार अरोप–पत्र आ जाए तो, यदि अदालत सामान्य अदालत है तो, न्यायिक दण्डाधिकारी मामले की सुनवाई करता है। यह मामला सत्र–न्यायालय में नहीं जाता फिर गवाहों को नोटिस मिलता है, वे अदालत में हाज़िर होते हैं उनके बयान लिए जाते हैं और प्रतिपरीक्षा की जाती है। तर्क–वितर्क किए जाते हैं और तब जाकर फैसला होता है। इसमें काफी लम्बा समय लग जाता है। गवाहों को बुलाने, साक्ष लेने, तर्क–वितर्क और फैसला करने में काफी समय लगता है जिससे देरी होती है। कभी–कभी गवाह मिलते ही नहीं। जैसे किसी डॉक्टर की गवाही होनी है और वह अदालत को जवाब लिखता है कि वह अदालत में हाज़िर नहीं हो सकता, तब न्यायाधीश मामले को किसी अन्य तारीख तक मुल्तवी कर देता है और उसमें देरी होने लगती है। अब इस तरह की स्थितियाँ शायद न बनें।

एक माननीय सदस्य ने जानना चाहा कि आरोपित को याचिका के संबंध में सौदा अभिवाक करने के लिए कब अदालत में बुलाया जाएगा। धारा 173 के तहत उपबंधित है कि जैसे ही पुलिस द्वारा अदालत में आरोप–पत्र दाखिल किया जाये, आरोपित एक आवेदन पेश कर सकता है। इस आवेदन के साथ एक शपथ पत्र भी देना होगा क्योंकि उसे शपथपूर्वक यह कहना होगा कि वह यह स्वेच्छा पूर्वक कर रहा है और इस वास्ते उस पर किसी का कोई दबाव नहीं है। उसे यह स्पष्ट करना पड़ेगा। यह हो जाने के बाद अदालत, अभियोजक पक्ष या वादी को तथा आरोपित या उसके वकील को, नोटिस भेजती है। कुछ मामलों में अभियोजक होता है, कुछ में नहीं होता। निजी शिकायतें भी होती हैं। पुलिस–केस होने पर भी वह मामला अदालत में आता है।

तो, मान लीजिए कि अभियोजक उपस्थित है। लेकिन, निजी शिकायत होने की स्थिति में अभियोजक नहीं होगा। वादी खुद ही आए या फिर बाद में अपनी पैरवी के लिए कोई वकील कर ले। इसी कारण से हमने यह उपबंध रखा है कि अभियोजक, वादी, आरोपित और उसका वकील – इन सभी को आपस में बातचीत करके सोचना होगा कि मामले का निपटारा कैसे हो। ऐसा उपबंध किया गया है। अदालत इसमें हस्तक्षेप नहीं करती। जब वे सोच लें कि ऐसा करना है तो इसकी सूचना अदालत में दी जाएगी, और अदालत को सूचना मिलने पर वह उसकी जाँच करेगी। अदालत भला यह जाँच क्यों करेगी? वह दो प्रयोजनों से इसकी जाँच करेगी; अदालत पहले तो यह देखना चाहेगी कि वैसा स्वेच्छा से किया जा सकता है कि नहीं।

दूसरे, हर मामले में आरोपित को सीधे–सीधे मुक्ति नहीं मिल सकती। कुछ मामलों में उसे जाने दिया जाता है किंतु परिवीक्षाधीन रखा जाएगा और कुछ मामलों में सज़ा देनी होगी। अदालत प्रमुख तौर पर यह देखने का प्रयास करेगी कि कोई समझौता संबंधित

[श्री शिवराज वि. पाटील]

पक्षों की पूरी–पूरी रज़ामंदी से हुआ है या नहीं। इसमें बहुत थोड़ा समय लगेगा और ऐसा करना संभव भी है। हमने यहाँ यह सावधानी बरती है कि हत्या के मामलों में, जिनमें आजीवन कारावास या सात साल की कैद की सज़ा होती है, सौदा अभिवाक का विकल्प न रहे। फिर, हमने यह भी कहा है कि सामाजिक–आर्थिक स्थितियों को प्रभावित करने वाले मामलों में भी ऐसा नहीं होने दिया जाएगा। अत एव, हमने ऐसी कुछ सावधानियाँ भी बरती हैं। मेरे विचार से, जिन सामाजिक स्थितियों में हम रह रहे हैं, उनमें ऐसी सावधानियाँ आवश्यक हो जाती हैं।...*(व्यवधान)*...

श्री खारवेल स्वाईं (बालासोर) : आप इसे बाल अपराध के मामले में क्यों चाहते हैं?

श्री शिवराज वी. पाटील : इसका कारण है कि बाल अपराध अधिनियम के तहत अभियुक्त को दी गयी राहत यहाँ दी गयी राहत से बहुत ज्यादा है। इसी कारण हमने यह दी है..*(व्यवधान)* इससे हमें मदद मिलेगी।

यह तर्क यह भी दिया गया था कि इससे धनी लोगों को मदद मिलेगी। मैं नहीं जानता कि इससे धनी व्यक्तियों को मदद कैसे मिलेगी। अभियुक्त को आवेदन देना है। यदि वह आवेदन नहीं देना चाहता है तो नहीं देगा। मैं इस बात से सहत हूँ कि जहाँ भी मुआवजे की बात है, इससे मदद मिल सकती है पर अभियुक्त को इसे स्वीकार करना होगा। कुछ मामलों में अपराधी को दंडित करना ही पर्याप्त नहीं है बल्कि पीड़ित की मदद करना भी आवश्यक है। यह हितकारी प्रावधान है और मैं समझता हूं कि हमें इसे स्वीकार करना चाहिए। इसके अलावा, अन्य प्रावधान भी हैं जो बहुत महत्वपूर्ण नहीं है।

जाली मुद्रा मामले में सिर्फ नासिक मुद्रण प्रेस के विशेषज्ञों को ही साक्ष्य देने की अनुमति दी गयी थी। अब यह प्रावधान किया गया है कि अपराध विज्ञान (फोरेंसिक) प्रयोशाला के विशेषज्ञों को इस मामले में मदद करने की अनुमति दी जानी चाहिए। एक माननीय सदस्य ने सुझाव दिया था कि फोरेंसिक प्रयोगशालाओं को सक्षम बनाया जाना चाहिए और हम फोरेंसिक प्रयोशालाओं को सक्षम बनाने के लिए भी काफी पैसा दे रहे हैं।

तीसरी बात यह भी कही गयी थी कि सौदा अभिवाक आवेदन या शपथ–पत्र तैयार किया जाता है और अंततोगत्वा न्यायाधीश सौदा अभिवाक को स्वीकार नहीं करता है। तब क्या होगा यदि अभियुक्त ने पहले ही कह दिया है कि उसने अपराध किया है और वह मुआवजा देने के लिए तैयार है? इसलिए उसे मामूली सजा दें। क्या यह बात उसके विरूद्ध जाएगी? यह एक बहुत महत्वपूर्ण बात कही गयी है और जब विशेषकर माननीय प्रधानमंत्री जी की ओर से इस महत्वपूर्ण मुद्दे पर चर्चा की गयी, तो उन्होंने कहा, "देखिए यदि आप इसे कार्यवाही वृत्तांत में दर्ज करने की अनुमति देते हैं, तब वह पहले ही दोषी सिद्ध हो गया और उसे कोई भी सजा दी जा सकती है।" इसी कारण, हम इस संशोधन विधेयक में विशेष संशोधन कर रहे हैं। खंड 265 ठ में प्रावधान है कि यदि सौदा अभिवाक न्यायाधीश द्वारा स्वीकार नहीं किया जाता है तो उसके सामने जो सामग्री है, उसे अभियुक्त के विरूद्ध इस्तेमाल नहीं किया जाएगा।

रात्रि 8.00 बजे

अब इसका कानून में भी विशेष प्रावधान किया गया है। इसलिए उस प्रकार की आशंका वहाँ नहीं होनी चाहिए।

अन्य बात यह है कि साक्ष्य संबंधी कानून में भी संशोधन किया गया है। एक माननीय सदस्य ने अपना विचार व्यक्त नहीं किया पर उन्होंने आकर मुझसे कहा – "आपने इस बात की व्याख्या नहीं की : वह क्या है? वह खंड (9) में है। खंड 9 में कहा गया है:

"इस धारा की कोई बात उपधारा (1) के अधीन इस प्रकार अनुज्ञात किए गए व्यक्ति को ऐसे साक्ष्य के किसी भाग का अवलंब लेने के हक से वंचित नहीं करेगी।"

यह ऐसा संशोधन है जिसका भारतीय साक्ष्य अधिनियम की धारा 154 में सुझाव दिया गया है। इसमें कहा गया है कि यदि कोई साक्षी गवाही से मुंकर जाता है तो उससे जिरह की जा सकती है। प्रश्न यह था कि क्या ऐसे गवाह द्वारा दिया गया साक्ष्य विश्वास योग्य होगा या नहीं जिसे मुकरा गया घोषित कर दिया गया हो? अब इसे कानून में संशोधन करके बहुत विशेष बना दिया गया है कि यदि ऐसा गवाह वहाँ है और यदि उसने ऐसा बयान दिया है जिसका एक भाग विश्वसनीय है और दूसरा भाग अविश्वसनीय है तो न्यायाधीश को यह अनुमति होगी कि वह विश्वसनीय भाग का उपयोग करे और अविश्वसनीय भाग को नजरअंदाज करे। अब इस प्रकार का प्रावधान किया गया है।

कुछ माननीय सदस्यों द्वारा बहुत अच्छी बातें कही गयी हैं। श्री प्रभुनाथ सिंह ने वकील की तरह अपनी बात रखी। उन्होंने कई

बातें कहीं। उन्होंने एक बात यह भी कही कि – "आप उस व्यक्ति के लिए दंड का प्रावधान कर रहे हैं जो गवाह को गलत साक्ष्य प्रस्तुत करने के लिए प्रेरित करता है या धमकी देता है। आप इस पुलिस के लिए क्या करने जा रहे हैं जो साक्ष्य देने धमका रही है या प्रेरित कर रही हैं तथा आरोप–पत्र तैयार कर रही है?

आज हमारे यहां जो भी विधि शास्त्र या दण्ड प्रक्रिया संहिता है वह यही सुझाव देती है कि पुलिस जो भी करती है वह आधार नहीं है और दोषसिद्धि का आधार नहीं हो सकती। गवाहों द्वारा न्यायालय में जो बयान दिए गए हैं वहीं आधार हो सकते हैं। इसलिए उन सभी बयानों को रिकॉर्ड किया जाता है जो गवाहों द्वारा मौखिक रूप से दिए जाते हैं। लेकिन तब पुलिस से इन सभी बयानों को लिखित रूप में देने की आशा की जाती है। लेकिन ऐसे बयानों पर न तो गवाहों द्वारा और न ही पुलिस अधिकारियों द्वारा हस्ताक्षर किये जाते हैं। लेकिन यह सामग्री आरोप–पत्र के साथ ही अदालत जाती है और ऐसे अहस्ताक्षरित बयानों के आधार पर ही अभियोजक गवाहों से प्रश्न पूछकर उनसे तथ्य उगलवाता है। यह अदालत के अधीन मामले का हिस्सा बनता है और तब बचाव–पक्ष के वकील को गवाह से सवाल पूछने का उसकी प्रतिपरीक्षा का मौका मिलता है।

मैं आपको बताऊँ कि प्रतिपरीक्षा की यह प्रक्रिया बहुत बढ़िया और बड़ी समझदार है। मैं हमेशा से कहता रहा हूँ कि आप किसी भी किस्म के, कितने भी शातिर गवाह को मेरे सामने लाइए और उसे अदालत के सामने झूठी बयान बाजी, के लिए अच्छी तरह पढ़ा–लिखा दीजिए; लेकिन मैं उसके मुँह से सच उगलवा ही लूँगा। मैं प्रतिपरीक्षा के जरिए उससे सच बुलवाऊँगा और ऐसा संभव है। यही कारण है कि प्रतिपरीक्षा की प्रक्रिया बड़ी असरदार है। फिर न्यायाधीश इसकी जाँच करेगा।

आज, शायद श्री प्रभुनाथ सिंह ने वह विधेयक पढ़ा था जो हमने यहाँ रखा है। लेकिन यह विधेयक जरा दूसरे स्वरूप में आया है। इस विधेयक में मूलतः जो सुझाव हैं। वह यह है, इसमें सुझाव है कि – धारा 161, 162, 163 और 164 के अंतर्गत ये उपबंध प्रासंगिक हैं – बयान पुलिस द्वारा लिये जाएँगे, उन पर गवाहों के हस्ताक्षर होंगे, फिर पुलिस के हस्ताक्षर होंगे, तब कहीं जाकर उन्हें अदालत में पेश किया जाएगा। धारा 164 के अंतर्गत इन्हें न्यायाधीश द्वारा रिकार्ड किया जाएगा और फिर इन गवाहों और स्वयं न्यायाधीश के हस्ताक्षर होंगे, तब ये बयान उन्हें दे दिए जाएंगे माना जाएगा। संशोधनकारी विधेयक में मूलतः यह उपबंधित था।

जब यह मामला स्थायी समिति के पास गया तो स्थायी समिति ने कहा: "नहीं, आप ऐसा नहीं कर सकते।" आखिर स्थायी समिति का कहना क्या था? उसने कहा, "धारा 164 के तहत, आप न्यायाधीश के पास जाकर शपथ पूर्वक बयान दे सकते हैं और उसे हस्ताक्षरित कर सकते हैं, किंतु हम इस उपबंध को स्वीकार नहीं करेंगे जिसमें पुलिस को कागज़ पर गवाहों के दस्तखत लेने की शक्ति मिल जाती है, चूँकि वह उन्हें प्रभावित करके बयान लेने और दस्तखत करवा लेने की स्थिति में रहती है। और पुलिस द्वारा इस तरह बयान लेना दाण्डिक न्याय शास्त्र के उस सिद्धांत के विरूद्ध होगा जिसके अनुसार किसी निर्दोष को दण्ड नहीं मिलना चाहिए।"

[हिन्दी]

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति जी, माननीय मंत्री जी ने जो कहा है, पुलिस जब जांच करती है तो पुलिस चार्जशीट दायर करती है और वही साक्ष्य का नाम लेती है – कारण कि उन्हीं के साक्ष्य को न्यायालय में माना जाता है और साक्ष्य के बाद अगर किसी को निचली अदालत से सजा हो जाती है तो हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट तक लड़ते–लड़ते 20 वर्ष की उसकी जिंदगी लग जाती है। अगर सर्वोच्च न्यायालय ने उसे मुक्त भी कर दिया तो वैसी स्थिति में जो पुलिस ने लिखा है, ये कहते हैं कि पुलिस के साक्ष्य का कोई महत्व नहीं होता है, माननीय मंत्री जी, जब पुलिस को न्यायालय में विटनैस के रूप में कॉल किया जाता है तो डायरी में वह लिखता है। उससे कहलवाया जाता है कि यह जांच आपने की है कि नहीं और जब वह हां कहता है तो उसे विटनैस के रूप में माना जाता है तो उसे अभियुक्त को भोगना पड़ता है। वैसी स्थिति में अगर ऊंची अदालत से सजा से मुक्त हो जाता है तो इतना तो स्वीकार करना होगा कि पुलिस ने गलत लिखा था और पुलिस ने गलत लिखा था तो इसके लिए आप क्या करेंगे, हम आपसे यह जानना चाहते हैं?

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : मैं उस बात पर आऊँगा। मैं यही समझने की कोशिश कर रहा हूँ और आपने वास्तव में एक अच्छा सवाल उठाया है। यह बात न केवल सदन में बल्कि विचारण न्यायालयों, उच्च न्यायालयों और उच्चतम न्यायालयों में भी उठाई गई है। उच्चतम न्यायालय ने पुलिस के विरूद्ध विशेष रूप से उत्तर प्रदेश वाले मामले में फैसले दिए हैं, और पुलिस के खिलाफ हुआ फैसला उनके लिए हतोत्साहित करने वाला साबित हुआ, लेकिन वह

[श्री शिवराज वि. पाटील]

सही फैसला था। यदि कोई पुलिस अधिकारी कोई झूठा केस बनाता है, यदि कोई पुलिस अधिकारी झूठे गवाह को सामने ला रहा है, यदि कोई पुलिस अधिकारी गलत बयान दर्ज कर रहा है, और यदि यह बात बहस के दौरान या जाँच अथवा प्रतिपरीक्षा के दौरान विचारण–न्यायाधीश के ध्यान में लाई जाती है तो अदालत इस बात का संज्ञान लेकर उस पुलिस अधिकारी को अभियोजित करने के लिए कह सकती है। जब कोई गवाह झूठा बयान देता है तो अदालत सीधे–सीधे उससे नहीं कहती कि "आपने ऐसा कहा तो हम ऐसा करेंगे।" गवाह द्वारा गलतबयानी किए जाने को भी न्यायाधीश अलग–अलग प्रकार से बोलता है। वह यह जानने की कोशिश करता है कि और गवाहों के बयान से उसका बयान किस तरह भिन्न है, जाँच में, प्रतिपरीक्षा में और पुनर्परीक्षण में क्या बात सामने आई? अदालत में उसका व्यवहार कैसा रहा? क्या वह शातिरी दिखा रहा था या भरोसेमंद दिखता था? इन सब बातों पर न्यायाधीश ध्यान देकर विचार करता है और जब अदालत इस निष्कर्ष पर पहुंचती है कि गवाह अदालत को गुमराह कर रहा था, तो अदालत उसके खिलाफ कार्यवाही शुरू कर देती। यह आवश्यक समझा गया कि अदालत स्वयं ही ऐसी शिकायत दर्ज कराए। यदि आवश्यक हो जाए तो भी अदालत के लिए यह सर्वदा संभव नहीं की वह शिकायत देकर स्वयं अदालत के समक्ष पेश हो सके। इसी कारण कहा गया है कि अदालत स्वमेव अथवा किसी प्राधिकृत व्यक्ति के जरिए शिकायत कर सकती है। अब इस तरह का उपबंध रखा गया है। जो बात गवाह के मामले में लागू है वही पुलिस के मामले में भी लागू है। लेकिन, गवाह की सत्यता का परीक्षण करते समय और पुलिस के कृत्य को सत्यता का परीक्षण करते समय न्यायाधीश इन दोनों के बीच अंतर करता है, क्योंकि गवाह मामले से रिश्ता रख सकता है, क्योंकि – गवाह उसी गाँव को रहने वाला हो सकता है, जहाँ का निवासी आरोपित है। जबकि पुलिस उतना रिश्ता नहीं रख सकती और फिर वह अपनी ड्यूटी कर रही होती है। यदि आप पुलिस का उत्साह लगातार गिराते रहें तो फिर उसके लिए साक्ष्य एकत्र कर न्यायालय के समक्ष लाना कैसे संभव होगा?

एक और प्रश्न था जिसके बारे में मैं कुछ कहना चाहता हूँ। दोषसिद्धि की दर कम क्यों है? दोषसिद्धि की दर कम इसलिए है क्योंकि सच बोलने वाले गवाह सामने नहीं आते। अगर कोई हत्या होती है तो, उसे सामने देखने वाला गवाह कहता है कि उसे इस मामले में मत घसीटिए! वह कहता है कि मैं अदालत में जाऊँ और गवाही दूँ तो तरह–तरह के सवाल पूछे जाएंगे।

[हिन्दी]

मुझे मालूम नहीं था, मैं वहां पर नहीं था।

[अनुवाद]

आपने खुद ही यह बात कही, और ठीक कही। मुझसे हमेशा पूछा जाता रहा है कि मुलजिम छूट क्यों जाते हैं, उन्हें सज़ा क्यों नहीं होती? दोषसिद्धि की दर कम क्यों है? और मैं जो नपा–तुला उत्तर हर बार देता रहा हूँ, वह यह है कि प्रायः सभी मामलों में, यदि दस आरोपित हैं और उनमें से पाँच वास्तविक में गुनहगार हैं तो बाकी पाँच केवल इसीलिए वहाँ खड़े हैं क्योंकि उनके नाम बस इससे संबंधित हैं परिणाम यह होता है कि जिस गुनहगार को सज़ा होनी चाहिए वह केवल इस बात का लाभ लेकर कर छूट जाता है कि पाँच अन्य निर्दोष व्यक्ति भी इस मामले में फँस गए है। जब असली गवाह बयान देने आता है और कोई अच्छा प्रतिपरीक्षक सामने हो तो वह यह उगलवा सकता है कि ये पाँच लोग वहाँ नहीं थे। यह है मानवीय कमज़ोरी। यह जीवन की वास्तविकता है। यही व्यावहारिक कठिनाइयां हैं। यही कारण है कि हमें सोचना पड़ेगा कि क्या कारण है। हम जो तरीका चाह रहे हैं; वह पूर्ण नहीं है। हम हालत को बेहतर करना चाह रहे हैं बेहतर कानून बेहतर प्रणाली चाह रहे हैं। शायद, कुछ मामलों में यह तरीका काम करे, हो सकता है कुछ में न भी करे। हम दावा नहीं करते कि यह सब कुछ ठीक कर देगा, लेकिन ज़रा उस स्थिति के बारे में सोचिए जिसमें आप पुलिस पर बिल्कुल विश्वास नहीं कर रहे। तब क्या होगा? यदि आप पुलिस का विश्वास नहीं करते तो फिर कौन साक्ष्य एकत्र करेगा, कौन आरोप–पत्र दायर करेगा? न्यायाधीश कैसे फैसला करेगा? आरोपित को न्याय की परिधि में कौन लाएगी? अपराध–पीड़ित तो सदैव निर्बल ही होता है। चाहें शारीरिक रूप से, चाहें आर्थिक रूप से वह निर्बल हो या फिर इतना शरीफ़ हो कि उसकी शराफ़त ही उसकी कमज़ोरी समझ ली जाए। यदि कोई षड्यंत्र हो रहा हो तो कम से कम उसके के पास एक अवसर तो बचता है जिससे न्याय मिले। इसी कारण यह समस्या है। आपने बड़ी अच्छी बात कही। यदि आप यह बताएँ कि दण्ड प्रक्रिया संहिता को कैसे संशोधित किया जाए तो हमें वैसा करके बड़ी खुशी होगी। मैंने इस समस्या पर विचार किया है और उसमें एक सिरे से सीधे दूसरे सिरे की ओर चले जाना संभव नहीं है। दाण्डिक न्याय के क्षेत्र में यह समस्या बनी हुई है। कुछ लोग वादी की भांति तर्क पेश करते हैं

और अभियोजन का पक्ष लेते हैं, तो कुछ लोग प्रतिवादी का पक्ष लेते हैं। न्यायाधीश को फैसला करना होता है और दोनों पक्षों के तर्क सुनकर निष्कर्ष और निर्णय पर पहुँचना होता है। जब हम मानवाधिकारों की बात करते हैं तो फिर पुलिस को मिली शक्तियों को कम करना होगा। हमें देखना होगा कि ज़रा भी संदेह हो तो व्यक्ति को छोड़ दिया जाए, बरी कर दिया जाए। पर ज़रा इसका परिणाम भी सोच लीजिए। कल्पना करिए कि इससे अधिकांश लोग छूट जाते हैं। पर इसके अलावा, संदेह का लाभ और निर्दोष की मुक्ति जैसे सिद्धांत भी हैं। दोनों ही सिद्धांत स्वागतयोग्य हैं, होना भी चाहिए। ये यही तय करते हैं कि दोषसिद्ध की दर कम रहे। वस्तुतः यही वह कारण है जिसकी वजह से हमें संतुलन बनाने की आवश्यकता होगी।

एक बात यह कही गयी कि हम मौखिक साक्ष्य पर निर्भर करते हैं। बात तो सही है। पर दीवानी मामलों में हम फौजदारी मामलों की अपेक्षा अधिकतर दस्तावेजी साक्ष्य पर निर्भर रहते हैं। इस वजह से भी हम मौखिक साक्ष्य पर निर्भर करते हैं। परंतु, हम फौजदारी मामलों में भी साक्ष्य एकत्र करने का एक अलग कदम उठा रहे हैं। फौजदारी मामलों में भी अब कुछ दस्तावेजी साक्ष्य दिया जाता है – जैसे, डॉक्टर का साक्ष्य, दूसरे अन्य साक्ष्य और फिर पंचनामा भी तैयार किया जाता है। अब एक तीसरा चरण है। यह है – प्रौद्योगिकी जन्य साक्ष्य का। डीएनए परीक्षण विश्वस्त परीक्षण है। यदि बाल भी मिल जाता है तो उसका परीक्षण किया जा सकता है; यदि कपड़े का एक टुकड़ा भी मिल जाता है तो उसका परीक्षण किया जा सकता है; यदि पैरों के निशान एकत्र किए जाते हैं तो उनका परीक्षण किया जा सकता है। ये सभी तकनीकी प्रमाण हैं। दुर्भाग्यवश, हमारे देश में तकनीकी प्रमाण संग्रह करने की जो प्रणालियां हैं वे विकास की प्रक्रिया में हैं और ये अभी उस चरण में नहीं पहुँची हैं जहाँ उसे होना चाहिए। इसीलिए दोष–सिद्धि की दर हमारे देश में कम है। यदि दोष सिद्धि की दर कम है तो उसका कारण है कि वास्तविक आरोपी के साथ निर्दोष व्यक्ति भी शामिल होते हैं। गवाह आगे आने का तैयार नहीं होते हैं। कभी–कभी जाँचकर्ता अधिकारी गलती करते हैं और कभी–कभी ऐसी स्थितियां होती हैं जो न्याय दिलाने में वास्तव में सहायता नहीं करती। तकनीकी साक्ष्य की अपेक्षा हमारी निर्भरता मौखिक साक्ष्य पर होती है। यदि ये बातें होंगी तो हम वैसा करने में समर्थ हो जाएँगे।

यह ऐसी प्रणाली उपलब्ध कराने की कोशिश है जो बगैर देरी किए न्याय दिलाने में हमारी सहायता करेगी और इस तरह से न्याय करेगी जो पीड़ितों की सहायता करेगी और आरोपित व्यक्ति के साथ वास्तविक न्याय किए जाने में सहायक होगी। मुझे यह कहने में कोई हिचक नहीं है कि मैं यह नहीं कहूँगा कि यह एक आदर्श प्रणाली है। मैं यह कहूंगा कि यह एक बेहतर व्यवस्था है, हम एक बेहतर व्यवस्था उपलब्ध कराने की कोशिश कर रहे हैं। हम अभी भी उस स्थिति में पहुँचाने के पथ पर हैं जहाँ आदर्श व्यवस्था उपलब्ध होगी।

एक बार फिर मैं इस चर्चा में भाग लेने के लिए माननीय सदस्यों को धन्यवाद देता हूँ। सदस्यों ने न केवल चर्चा में भाग लिया है बल्कि वे इतने समय तक सदन में उपस्थित रहे हैं और उस व्यवस्था में उन्होंने बहुत रूचि ली है जिसे हम लोग विकसित करने की कोशिश कर रहे हैं।

श्री ए. कृष्णास्वामी (श्री पेरुम्बुदूर) : मैं एक विषय पर स्पष्टीकरण चाहता हूँ।

[हिन्दी]

सभापति महोदय : आपको इतना अच्छा जवाब मिला है।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : मुझे कैबिनेट की बैठक में जाना है।

श्री ए. कृष्णास्वामी : आपके द्वारा दिए गए उत्तर से मैं समझता हूँ कि यदि पुलिस सौदा अभिवाक से संबंधित आरोप पत्र दाखिल करती है, यदि कोई अनुमति आवेदन देता है तो उसे स्वीकार कर लिया जाएगा। आपने ऐसा कहा है। क्या कानून इसकी अनुमति देता है कि बिना कोई आरोप पत्र पाए कोई निर्दोष व्यक्ति अनुमति ले सकता है?

श्री शिवराज वि. पाटील : सौदा अभिवाक आरोप पत्र दायर करने के बाद ही शुरू होता है इसके पहले नहीं ...*(व्यवधान)*...

सभापति महोदय : नहीं कृपया अपना स्थान ग्रहण कीजिए। केवल दो स्पष्टीकरण पाने की अनुमति दी जाएगी। श्री महताब। वह अंतिम व्यक्ति होंगे।

...*(व्यवधान)*...

श्री शिवराज वि. पाटील : चिंता न करें। कानून में प्रावधान है कि यह आसेप पत्र दायर करने के बाद ही शुरू होगा। न्यायालय से आशा की जाती है कि वह आरोपी व्यक्ति को नोटिस दे और

[श्री शिवराज वि. पाटील]

उसके बाद ही यह शुरू होगा ...*(व्यवधान)*...। जब आप कानून पढ़ेंगे तो इसे जान जायेंगे।

सभापति महोदय : श्री महताब, केवल एक प्रश्न उठाने की अनमुति दी जा सकती है।

श्री भर्तृहरि महताब : माननीय गृह मंत्री ने बहुत विस्तृत और भरोसेमंद उत्तर दिया है। लेकिन, जो प्रश्न मैंने किया है वह भारतीय दंड संहिता में परिवर्तन से संबंधित है, तीसरे पक्ष गवाह को प्रभावित किया जा रहा है या घूस दिया जा रहा है या जो भी हो–उससे संबंधित है। यदि शिकायत दर्ज होती है तो न्यायालय उसका संज्ञान लेता है? तब साक्ष्य जुटाने होते हैं, जाँच करनी होती है। इसमें कितना समय लगेगा? क्या आप कोई समय सीमा निर्धारित करना चाहते हैं ताकि यह अधिक समय तक न खिंचे?

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' (बेगूसराय) : गृह मंत्री जी ने बहुत विस्तार से बताया और वे विस्तार से अध्ययन करके इसे लाए। इसमें आईपीसी सीआरपीसी में सुधार की गुंजाइश मंत्री जी लाए हैं। लेकिन उसके साथ–साथ चर्चा का उत्तर देते हुए एक बार माननीय गृह मंत्री जी ने कहा कि गवाहियों के ट्रायल के समय क्रास एग्ज़ामिनेशन के माध्यम से उसे तोड़ा जा सकता है और वहां गलत और सही का फैसला हो सकता है। हमारा सीआरपीसी, आईपीसी या एवीडैंस एक्ट इन्वैस्टीगेशन पर निर्भर करता है और अगर हमारी जांच स्वच्छ और निष्पक्ष नहीं होगी, तो इसके कारण कई मुकदमें अनावश्यक अदालतों में पहुंचते हैं। इसलिए हम चाहेंगे कि आगे भी आप इसे देखें। आज कोई जरूरी नहीं है कि आप इस पर कुछ कहें। चूंकि आप सुधार की दिशा में चल रहे हैं, इसलिए हम चाहते हैं कि आप इस पर विस्तार पूर्वक सोचकर एक कम्प्रीहैन्सिव बिल लाने का प्रयास करें।

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, हम लोग भी अपने सुझाव लिखकर भेज देंगे।

श्री छत्तर सिंह दरबार (धार) : सभापति महोदय, माननीय मंत्री जी ने जो स्पष्टीकरण दिया है, उससे मैं बहुत संतुष्ट हूं। परन्तु एक शब्द बीच में आया है हिन्दुस्तान में अन्य देशों के मुकाबले सजा की दर कम है। हमारा कहना है कि भावना यह नहीं होनी चाहिए कि सजा की दर कैसे बढ़े बल्कि भावना यह होनी चाहिए कि स्वच्छ न्याय और शुद्ध न्याय कैसे मिले।

[अनुवाद]

श्री शिवराज वि. पाटील : माननीय मंत्री जी ने जो भी कहा मैं उससे सहमत हूँ।

[हिन्दी]

आपने जो बताया, उससे मैं पूरी तरह से सहमत हूं। सिर्फ संख्या बढ़ाने के लिए किसी को सजा दी जाये, तो यह कोई न्याय नहीं होता और ऐसा करना ठीक भी नहीं होगा।

[अनुवाद]

जहाँ तक इसे किए जा सकने वाली समय सीमा की बात है, न्यायशास्त्र; चाहें सिविल, आपराधिक, संवैधानिक या अंतर्राष्ट्रीय न्यायशास्त्र हो; प्राकृतिक न्याय का सिद्धांत स्वीकार करता है। आप किसी व्यक्ति के विरूद्ध शिकायत कर सकते हैं लेकिन आप उसकी बात सुने बिना, उसे अपनी बात कहने का अवसर दिए बिना दंडित नहीं कर सकते। इस प्रक्रिया में समय लग जाता है। हमें इस बात को समझना होगा। यदि आप उस व्यक्ति को दंड देना चाहते हैं जिसने किसी गवाह को गलत गवाही देने के लिए फुसलाया हो या धमकाया हो तो पहले यह सिद्ध करना होगा कि उसने प्रथम दृष्टया ऐसा किया है। ऐसा कब किया जा सकता है? ऐसा तब किया जा सकता है जब पहले मामले का निर्णय हो चुका हो, जब गलत गवाही देने वाले गवाह का साक्ष्य रिकॉर्ड किया जा चुका है। उसके बाद न्यायाधीश इस निष्कर्ष पर पहुँच सकता है कि वह व्यक्ति जो निर्दोष दिखता है उसे गलत गवाही देने के लिए धमकाया या फुसलाया गया है। जब वह इस निष्कर्ष पर पहुँचता है तब वह नोटिस जारी करेगा, उसे न्यायालय में बुलाएगा और तब अभियोजन शुरू करेगा। निश्चित रूप से इसमें लंबा समय लगेगा। इस प्रकार का प्रावधान भारतीय दंड संहिता में नहीं था। यदि कोई व्यक्ति किसी गवाह को गलत गवाही देने के लिए फुसलाता या धमकता है तो ऐसे तीसरे व्यक्ति को दंडित करने का प्रावधान उसमें नहीं था। इस कानून में संशोधन कर हम यह प्रावधान कर रहे हैं। यद्यपि इसमें समय लगेगा। पर निश्चित रूप से दंड दिया जा सकता है।

सभापति महोदय : प्रश्न यह है :

"कि भारतीय दंड संहिता, दंड प्रक्रिया संहिता, 1973 और भारतीय साक्ष्य अधिनियम 1972 में और संशोधन करने वाले विधेयक; राज्य सभा द्वारा यथापारित, पर विचार किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : अब सभा विधेयक पर खंड–वार विचार आरंभ करेगी।

प्रश्न यह है:

"खंड 2 से 9 विधेयक का अंग बने।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

"खंड 2 से 9 विधेयक में जोड़ दिये गये।

खंड 1, अधिनियम सूत्र तथा विधेयक का पूरा नाम विधेयक में जोड़ दिए गए।

सभापति महोदय : मंत्री जी अब प्रस्ताव करें कि विधेयक पारित किया जाए।

श्री शिवराज वि. पाटील : महोदय, मैं प्रस्ताव करता हूं

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

सभापति महोदय : प्रश्न यह है

"कि विधेयक पारित किया जाए।"

प्रस्ताव स्वीकृत हुआ।

सभापति महोदय : कृपया अपना स्थान ग्रहण करें। मुझे एक घोषणा करनी है।

माननीय सदस्यों, क्रम संख्या 31, 32 और 33 पर विचार पारित करने हेतु सूचीबद्ध विधेयकों की विषय वस्तु समान है।

यदि सभा सहमत हो तो हम तीनों विधेयकों पर संयुक्त चर्चा कर सकते हैं।

...(व्यवधान)

[हिन्दी]

श्री राजीव रंजन सिंह 'ललन' : सभापति महोदय, कोरम नहीं है और बिना कोरम के हाउस कैसे चलेगा?...*(व्यवधान)*

श्री प्रभुनाथ सिंह : सभापति महोदय, बिना कोरम के हाउस कैसे चलेगा?...*(व्यवधान)* मेरा व्यवस्था का प्रश्न है। सदन में गणपूर्ति नहीं है।

सभापति महोदय : प्रभुनाथ सिंह जी, क्या आप कोरम का सवाल रेंज कर रहे हैं?

श्री प्रभुनाथ सिंह : जी हां।

सभापति महोदय : घंटी बजायी जा रही है।

[अनुवाद]

सभापति महोदय : सभा में गणपूर्ति नहीं है। अब, सभा कल 23 दिसम्बर, 2005 के पूर्वाह्न 11.00 बजे तक के लिए स्थगित होती है।

रात्रि 8.33 बजे

तत्पश्चात लोक सभा, शुक्रवार, 23 दिसम्बर 2005/2 पौष, 1927 (शक) के पूर्वाह्न ग्यारह बजे तक के लिए स्थगित हुई।

अनुबंध - I

तारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1.	श्री अर्जुन सेठी	422
2.	श्री रायापति सांबासिवा राव	429
3.	श्री सर्वानन्द सोनोवाल	424
4.	श्री जीवाभाई ए. पटेल श्री हरिसिंह चावड़ा	425
5.	श्री थावरचन्द गेहलोत श्री कृष्णा मुरारी मोघे	426
6.	श्री सुबोध मोहिते श्री बालासोवरी वल्लभनेनी	427
7.	श्री मित्रसेन यादव श्री भुवनेश्वर प्रसाद मेहता	428
8.	श्री सुग्रीव सिंह	429
9.	श्री उदय सिंह	430
10.	श्री हरिकेवल प्रसाद श्रीमती संगीता कुमारी सिंह देव	431
11.	श्री किसनभाई वी. पटेल	432
12.	श्री हेमलाल मूर्मू	433
13.	श्री जोवाकिम बखला	434
14.	श्री रामदास आठवले	435
15.	श्री अनिरूद्ध प्रसाद उर्फ साधु यादव	436
16.	श्री अनन्त नायक श्री जुएल ओराम	437
17.	श्री बसुदेव आचार्य	438
18.	श्री प्रभुनाथ सिंह	439
19.	श्री बाडिगा रामकृष्णा श्री बृज किशोर त्रिपाठी	440
20.	श्री किन्जरपु येरननायडु	441

अतारांकित प्रश्नों की सदस्य–वार अनुक्रमणिका

क्र. सं.	सदस्य का नाम	तारांकित प्रश्नों की संख्या
1	2	3
1.	आरून रशीद, श्री जे. एम.	4340, 4388, 4431, 4351
2.	आदित्यनाथ, योगी	4351
3.	अडसूल, श्री आनंदराव विठोबा	4377, 4378, 4424, 4425, 4442
4.	अजय कुमार, श्री एस.	4364, 4472
5.	अर्गल, श्री अशोक	4460
6.	अर्गल, श्री अशोक	4369, 4412, 4473
7.	बारड़, श्री जसुभाई धानाभाई	4308, 4385, 4430, 4445, 4457
8.	बर्मन, श्री हितेन	4414
9.	बखला, श्री जोवाकिम	4379, 4427
10.	भडाना, श्री अवतार सिंह	4388, 4431, 4484
11.	भार्गव, श्री गिरधारी लाल	4333, 4403
12.	बिश्नोई, श्री जसवंत सिंह	4345, 4369
13.	बरकटकी, श्री नारायण चन्द्र	4311, 4380
14.	बोस, श्री सुव्रत	4317, 4414
15.	चौधरी, डा, तुषार अमर सिंह	4344
16.	चौरे, श्री बापू हरी	4392, 4434, 4481
17.	चव्हाण, श्री हरिश्चंद्र	4329, 4386
18.	चावड़ा, श्री हरिसिंह	4393
19.	चिरान, श्री एन. एस. वी.	4348, 4374
20.	धनराजू, डा. के.	4321
21.	धोत्रे, श्री संजय	4397
22.	गदाख, श्री तुकाराम गंगाधर	4316, 4387
23.	गमांग, श्री गिरिधर	4331

1	2	3
24.	गांधी, श्रीमती मेनका	4411, 4440, 4451
25.	गणेशन, श्री एल.	4347, 4394
26.	गंगवार, श्री संतोष	4324
27.	गिल, श्री आत्मा सिंह	4375, 4420
28.	गौडा, श्री डी. वी. सदानन्द	4365, 4413
29.	हसन, श्री मुनव्वर	4466
30.	जगन्नाथ, डा. एम.	4371
31.	झा, श्री रघुनाथ	4467
32.	जिन्दल, श्री नवीन	4328, 4421
33.	करूणाकरन, श्री पी.	4309
34.	कौर, श्रीमती परनीत	4326
35.	खां, श्री सुनील	4332, 4469
36.	खन्ना, श्री अविनाश राय	4310, 4410, 4452, 4477
37.	खारवेनथन, श्री एस. के.	4305, 4390, 4433, 4446, 4454
38.	कौशल, श्री रघुवीर सिंह	4307
39.	कोया, डा. पी. पी.	4355, 4406, 4483
40.	कृष्ण, श्री विजय	4462
41.	कुप्पुसामी, श्री सी.	4436
42.	कुशवाहा, श्री नरेन्द्र कुमार	4356, 4361
43.	'ललन', श्री राजीव रंजन सिंह	4354, 4402
44.	माडम, श्री विक्रमभाई अर्जनभाई	4353, 4405
45.	माधवराज, श्रीमती मनोरमा	4465
46.	महाजन, श्रीमती सुमित्रा	4358
47.	महाजन, श्री वाई. जी.	4323, 4401, 4410
48.	महतो, श्री सुनिल कुमार	4314, 4389, 4432
49.	माहेश्वरी, श्रीमती किरण	4452
50.	महतो, श्री टेक लाल	4376, 4422, 4482
51.	मंडल, श्री सनत कुमार	4312, 4381, 4435, 4448
52.	मनोज, डा. के. एस.	4334
53.	मसूद, श्री रसीद	4336
54.	मिडियम, डा. बाबू राव	4341
55.	मेघवाल, श्री कैलाश	4369
56.	मेहता, श्री भुवनेश्वर प्रसाद	4407, 4448
57.	मिश्रा, डा. राजेश	4340, 4388, 4431, 4484
58.	मोदी, श्री सुशील कुमार	4318, 4383
59.	मोघे, श्री कृष्णा मुरारी	4396
60.	मोहले, श्री पुन्नूलाल	4352, 4400
61.	मुकीम, मो.	4327, 4423
62.	मो. ताहिर, श्री	4356, 4361
63.	मोहिते, श्री सुबोध	4384, 4429, 4447 4485
64.	मुन्शी राम, श्री	4356, 4361
65.	मुर्मू, श्री हेमलाल	4408, 4439, 4458
66.	नायक, श्री अनन्त	4417
67.	नायक, श्रीमती अर्चना	4343
68.	निहाल चन्द, श्री	4459
69.	ओवेसी, श्री असादूद्दीन	4343
71.	पटेल, श्री किशनभाई वी.	4449, 4450, 4455, 4486
72.	पाठक, श्री ब्रजेश	4418, 4441, 4452

1	2	3
73.	पाटील, श्री बालासाहिब विखे	4362
74.	पाटील, श्री श्रीनिवास दादासाहेब	4320
75.	पटले, श्री शिशुपाल	4356, 4361
76.	प्रसाद, श्री हरिकेवल	4404
77.	पुरन्देश्वरी, श्रीमती डी.	4337, 4471
78.	राधाकृष्णन, श्री वरकला	4357, 4409
79.	रामकृष्णा, श्री बाडिगा	4398, 4437, 4449 4470
80.	राणा, श्री कासीराम	4313
81.	राव, श्री. के. एस.	4348
82.	राव, श्री रायापति सांबासिवा	4391
83.	राठौड़, श्री हरिभाऊ	4410
84.	रावले, श्री मोहन	4362
85.	रावत, श्री अशोक कुमार	4356, 4361
86.	रेड्डी, श्री जी. करूणाकर	4342, 4370, 4479
87.	रेड्डी, श्री एम. श्रीनिवासुलु	4336
88.	रेंगे पाटील, श्री तुकाराम गणपतराव	4346
89.	साई प्रताप, श्री ए.	4360
90.	सज्जन कुमार, श्री	4363
91.	सांगवान, श्री किशन सिंह	4325
92.	सरदगी, श्री इकबाल अहमद	4391, 4461
93.	शर्मा, डा. अरूण कुमार	4330, 4474
94.	सरोज, श्री तूफानी	4339, 4458
95.	शाक्य, श्री रघुराज सिंह	4326, 4468, 4480
96.	शिवाजी राव, श्री अबलराव पाटील	4399, 4475
97.	शिवन्ना, श्री एम.	4350
98.	शिवनकर, प्रो. महादेवराव	4356, 4361
99.	सिद्दीश्वर, श्री जी. एम.	4306
100.	सिद्धू, श्री नवजोत सिंह	4372
101.	सिंह, श्री बृजभूषण शरण	4373
102.	सिंह, श्री चन्द्रभूषण	4356
103.	सिंह, श्री गणेश	4335
104.	सिंह, श्रीमती प्रतिभा	4322, 4419, 4478
105.	सिंह, श्री राकेश	4366, 4415
106.	सिंह, श्री सुग्रीव	4395, 4449, 4455 4486
107.	सिंह, श्री उदय	4402
108.	सिप्पीपारई, श्री रविचन्द्रन	4319
109.	सुब्बा, श्री मणी कुमार	4431
110.	सुगावनम, श्री ई. जी.	4315, 4382, 4428 4444, 4453
111.	सुजाता, श्रीमती सी. एस.	4359
112.	सुमन, श्री रामजीलाल	4402
113.	थामस, श्री पी. सी.	4368
114.	तुम्मर, श्री वी. के.	4346, 4389
115.	त्रिपाठी, श्री बृज किशोर	4398, 4437, 4450, 4456
116.	वल्लभनेनी, श्री बालासोवरी	4348, 4367, 4416
117.	वर्मा, श्री रतिलाल कालीदास	4344, 4476
118.	वीरेन्द्र कुमार, श्री एम. पी.	4343
119.	वर्मा, श्री रवि प्रकाश	4377, 4378, 4424, 4425, 4442
120.	वीरेन्द्र कुमार, श्री	4349
121.	यादव, श्री सीता राम	4407, 4464
122.	यादव, श्री उमाकान्त	4483
123.	येरननायडु, श्री किन्जरपु	4426, 4443

अनुबंध-II

तारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	425, 426, 427, 440
रक्षा	422, 432, 441
सूचना और प्रसारण	435
पंचायती राज	436
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	423, 424, 428, 430, 434
रेल	429, 433, 437, 438, 439
सामाजिक न्याय और अधिकारिता	431

अतारांकित प्रश्नों की मंत्रालय–वार अनुक्रमणिका

नागर विमानन	4305, 4317, 4330. 4346, 4348, 4350, 4359, 4362, 4370, 4389, 4390, 4391, 4399, 4400, 4410, 4419, 4424, 4448, 4450, 4457, 4460, 4473, 4475
रक्षा	4310, 4322, 4325, 4334, 4336, 4340, 4343, 4355, 4373, 4377, 4381, 4383, 4388, 4392, 4398, 4401, 4406, 4414, 4418, 4421, 4425, 4426, 4431, 4432, 4437, 4443, 4444, 4449, 4461, 4462, 4466, 4467, 4470, 4471, 4474, 4477, 4478, 4484
सूचना और प्रसारण	4306, 4307, 4309, 4311, 4332, 4333, 4338, 4351, 4358, 4369, 4403, 4412, 4445, 4453, 4455, 4459, 4479, 4486
पंचायती राज	4452
संसदीय कार्य	
पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस	4321, 4324, 4326, 4331, 4335, 4345, 4347, 4354, 4356, 4365, 4367, 4382, 4393, 4402, 4407, 4416, 4423, 4427, 4428, 4435, 4436, 4438, 4441, 4447, 4454, 4456, 4463, 4464, 4465, 4468, 4472, 4476

रेल	:	4312, 4313, 4314, 4315, 4316, 4318, 4320, 4323, 4327, 4329, 4339, 4341, 4342, 4344, 4349, 4352, 4353, 4357, 4360, 4361, 4363, 4364, 4366, 4368, 4371, 4374, 4375, 4376, 4380, 4384, 4385, 4386, 4394, 4395, 4396, 4397, 4404, 4405, 4408, 4409, 4415, 4417, 4420, 4422, 4429, 4434, 4442, 4446, 4458, 4469, 4480, 4481, 4482, 4483, 4485
सामाजिक न्याय और अधिकारिता		4308, 4319, 4328, 4337, 4372, 4378, 4379, 4387, 4411, 4413, 4430, 4433, 4439, 4440, 4451

इंटरनेट

लोक सभा की सत्रावधि के प्रत्येक दिन के वाद–विवाद का मूल संस्करण भारतीय संसद की निम्नलिखित वेबसाइट पर उपलब्ध है:

http://www.parliamentofindia.nic.in

लोक सभा की कार्यवाही का दूरदर्शन पर सीधा प्रसारण

लोक सभा की संपूर्ण कार्यवाही का दूरदर्शन के विशेष चैनल "डीडी–लोकसभा" पर सीधा प्रसारण किया जाता है। यह प्रसारण सत्रावधि में प्रतिदिन प्रातः 11.00 बजे लोक सभा की कार्यवाही शुरू होने से लेकर उस दिन की सभा समाप्त होने तक होता है।

लोक सभा वाद-विवाद बिक्री के लिए उपलब्ध

लोक सभा वाद–विवाद के हिन्दी संस्करण और अंग्रेजी संस्करण की प्रतियां तथा संसद के अन्य प्रकाशन, विक्रय फलक, संसद भवन, नई दिल्ली–110001 पर बिक्री हेतु उपलब्ध हैं।

पी.एल.एस. – 48/16/22/ 2005 (एन.)
232

© 2005 प्रतिलिप्यधिकार लोक सभा सचिवालय
लोक सभा के प्रक्रिया तथा कार्य संचालन संबंधी नियमों (ग्यारहवां संस्करण) के नियम 379 और 382 के अंतर्गत प्रकाशित
और सनलाईट प्रिन्टर्स, दिल्ली – 110006 द्वारा मुद्रित।